सर्वे
भवन्तु सुखिनः

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

वार्षिक रिपोर्ट 2007-2008

सर्वे
भवन्तु सुखिनः

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

वार्षिक रिपोर्ट 2007-2008

फरीदकोट हाउस, कॉपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली–110001, भारत
टेलिफोन : 91-11-23385368, फैक्स : 91-11-23384863
ईमेल : covdnhrc@nic.in

विषय सूची

अध्याय – 1	**प्रस्तावना**	1
अध्याय – 2	**अवलोकनः 2007–08**	5
अध्याय – 3	**भारत में मानव अधिकार परिप्रेक्ष्य**	13
अध्याय – 4	**रा0मा0अ0आयोग : संगठन और कार्य**	17
अध्याय – 5	**नागरिक स्वतंत्रताएं**	23
	क) आतंकवाद और उग्रवाद	23
	ख) हिरासतीय हिंसा और उत्पीड़न	24
	– हिरासतीय मौतें	24
	ग) कारागारों की स्थिति	26
	– जेलों के दौरे	26
	– चंड़ीगढ स्थित बुरैल मॉडल जेल में सदस्य का दौरा	26
	– जेल में कैदियों की संख्या का आकलन	28
अध्याय – 6	**मानव अधिकार हनन के मामले**	31
	क) संख्या और प्रकृति	31
	ख) 2007–2008 के चुनिंदा मामले	35
	i) हिरासतीय मौतें	35
	1. गुजरात के जूनागढ़ जिला जेल में कालू जी उर्फ कालियो भागू जी सोरथी की मौंत (केस संख्या 653/6/2002–03–सी.डी.)	35
	2. आंध्र प्रदेश के नालगौंडा में पुलिस हिरासत में कोडती वेंकटा कृष्णा उर्फ जिन्हा की मौंत (केस संख्या 489/1/2002–03)	35
	3. आंध्र प्रदेश के राजामुंदरी में न्यायिक हिरासत में कैदी चिन्ना पुरप्पू रमेश की मौंत (केस संख्या 531/1/2005–06–सी.डी.)	36
	4. महाराष्ट्र के बीड में पुलिस हिरासत में चंदकाँत की मौंत (केस संख्या 1287/13/2002–03–सी.डी.)	36
	5. नई दिल्ली स्थित तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में विचाराधीन कैदी अनिल कुमार त्यागी की मौंत (केस संख्या 2746/30/2000–01–सी.डी.)	37
	6. नई दिल्ली में पुलिस हिरासत में किशन सिंह की मौंत (केस संख्या 5060/30/2004–05–सी.डी.)	38
	7. उत्तर प्रदेश स्थित जिला जेल खीरी में न्यायिक हिरासत में विचाराधीन कैदी सुरेन्द्र की मौंत (केस संख्या 24185/24/2001–02–सी.डी.)	38
	8. अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में पुलिस लॉकअप में ऑलिक तयैंग की मौंत (केस संख्या 14/2/2003–04–सी.डी.)	39

9. उड़ीसा के विशेष जेल भुवनेश्वर में उपचार न होने के विचाराधीन कैदी अभिषेक साहू की न्यायिक हिरासत में मौंत (केस संख्या 42/18/2003–04–सी.डी.) 39

10. मध्य प्रदेश के सतना में मुगलिया की कथित हिरासत में मौंत (केस संख्या1996/12/1999–2000–सी.डी.) 40

11. बिहार के भागलपुर जिला जेल में कैदी पदूम सोरेन की मौंत (केस संख्या 2848/4/2002–03–सी.डी.) 40

12. महाराष्ट्र, मुम्बई में पुलिस द्वारा पिटाई के कारण शाति दशरथ नायक की कथित हिरासत में मौंत (केस संख्या 2021/13/2000–01–सी.डी.) 41

13. उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर जिला स्थित सेहरामऊ पुलिस स्टेशन में पुलिस हिरासत में रामचंद्र की मौंत (केस संख्या 12975/24/1999–2000–सी.डी.) 41

14. कर्नाटक, बंगलुरू की केंद्रीय जेल में विचाराधीन कैदी विशाल कृष्णा माडेकर की मौंत (केस संख्या 671/10/2001–2002–सी.डी.) 42

15. असम के करीमगंज में न्यायिक हिरासत में मो0 हारिश अली की अवैध गिरफ्तारी/बंदी बनाना (केस संख्या 15/3/2000–2001) 42

ii) अवैध हिरासत एवं उत्पीड़न 43

16. असम के कामरूप के गौरीपुर आउटपोस्ट में देवेंद्रनाथ डेका की मौंत (केस संख्या 25/3/2002–2003–सी.डी.) 43

17. उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में पुलिस द्वारा आजाद हुसैन को अवैध रूप से बंदी बनाना तथा उत्पीड़ित करना (केस संख्या 3829/24/2001–2002) 43

18. उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में पुलिस द्वारा सुशील कुमार और उसकी पत्नी की पिटाई (केस संख्या 28117/24/2006–2007) 44

19. उत्तर प्रदेश के जहानाबाद पुलिस द्वारा जसवंत सिंह पटेल को अवैध रूप से बंदी बनाना तथा शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाना (केस संख्या 5782/24/2003–2004) 44

20. राजस्थान के धौलपुर के राजाखेड़ा पुलिस स्टेशन में रमेंश, संतोष और रामगोपाल को अवैध रूप से बंदी बनाना (केस संख्या 1635/20/2002–2003) 45

iii) पुलिस द्वारा गोलीबारी 46

21. जम्मू और कश्मीर के दोमाना में पुलिस द्वारा गोलीबारी के दौरान निशु शर्मा की मौत तथा राकेश शर्मा को चोटें आना (केस संख्या 97/9/2005–2006) 46

22. बिहार के पूर्वी चंपारन में अंधाधुंध पुलिस गोलीबारी के कारण कमलेशवर प्रसाद जैसवाल को गंभीर चोटें आना (केस संख्या 4112/4/2000–2001) 46

23. उड़ीसा के बालासौर में पुलिस गोलीबारी के कारण सुनील मंडल की मौत (केस संख्या 837/18/2001–2002) 47

iv) सैन्य अथवा अर्ध–सैनिक बलों द्वारा अवैध हिरासत, उत्पीड़न अथवा गोलीबारी 48

24. मणिपुर के थिगुचिगजिन में सी.आर.पी.एफ. कर्मियों द्वारा अवैध हिरासत एवं उत्पीड़न (केस संख्या 38/14/1999–2000–ए एफ) 48

25. जम्मू और कश्मीर के पुंछ में सैन्य कर्मियों द्वारा मो0 खादम, मो0 रैयाज़ तथा मो0 रशिद नामक तीन सिविलियन का अपहरण और हत्या (केस संख्या 179/9/2002–2003–ए डी) 48

26. पश्चिम बंगाल में में बी.एस.एफ. कर्मियों द्वारा उत्तम साहा को हिरासतीय उत्पीड़न (केस संख्या 529/25/2000–2001–पी एफ) 49

27. पश्चिम बंगाल के मालदा में भारत – बंगाल सीमा पर सुरक्षा बलों द्वारा गोलीबारी के दौरान रजंन सिंह की मौंत (केस संख्या 128/25/1998–1999–ए डी) 50

v) सांप्रदायिक हिंसा 50

28. उड़ीसा के कंधमाल जिले में ईसाईयों के प्रति हिंसा (केस संख्या 825/18/26/2007–08–लिंक फाईल संख्या 923/18/26/2007–08) 50

29. गोधरा – उपरांत हिंसा के संबंध में आज तक "ऑपेशन कलंक" कार्यक्रम का स्वतः संज्ञान (केस संख्या 426/6/18/2007–2008) 52

vi) विकास–प्रवृत विस्थापन 54

30. पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में पुलिस द्वारा गोलीबारी के दौरान गाँव वालों की मौंत तथा घायल होना (केस संख्या 725/25/12/2007–08) 54

vii) अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन जातियों के अधिकारों का हनन 57

31. बिहार के अररिया में अनुसूचित जाति की महिला का बलात्कार तथा अन्य अत्याचार (केस संख्या 431/4/2001–02) 57

32. उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में भूमि विवाद में 21 अनुसूचित जाति के लोगों पर गोली चलाने के मामले को दर्ज किए जाने से मना करना (केस संख्या 8277/24/4/2007–08) 58

viii) महिलाओं और बच्चों पर अत्याचार 58

33. उत्तर प्रदेश के कानपूर में स्कूली बच्चों का उत्पीड़न (केस संख्या 23464/24/2005–06) 58

34. उत्तर प्रदेश के लखनऊ की स्थानीय पुलिस द्वारा एक महिला से बलात्कार की कोशिश (केस संख्या 5485/24/1998–1999) 59

35. पश्चिम बंगाल में नार्थ सिरसोल्ड कोलिरिक के सुरक्षा गार्ड की 12 बोर गन द्वारा शुभमदास (4 वर्षीय) को गंभीर चोटें आना (केस संख्या 589/25/2002–03) 60

36. हरियाणा, गुड़गॉव के पटौदी शहर में एक कुँए से अध जले कन्या भ्रूण का पाया जाना (केस संख्या 795/7/5/2007–08) 61

ix) मजदूरों का शोषण से संरक्षण 62

37. आंध्र प्रदेश के महबूब नगर में मैसर्स सालबूटी प्लास्टीक लिमिटेड में बाल मजदूर (केस संख्या 401/1/2006–07) 62

x) बंधुआ मजदूर 62

38. उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में धर्मपाल और 28 अन्य व्यक्तियों को उनके परिवारों के साथ बंधुआ मजदूरों के रूप में रखा जाना (केस संख्या 36851/24/2006–07) 62

xi) स्वास्थ्य का अधिकार 63

39. चिकित्सा देखरेख की मनाही के कारण वेटर की मौंत (केस संख्या 2272/30/2005–06) 63

40. केरल के थिरूनंथापुरम में चिकित्सा देख–रेख की कमी के कारण वैन्युगोपालन नायर की मौंत (केस सं. 95/11/1999–2000) 64

41. पुष्पविहार नई दिल्ली स्थित सी.जी.एच.एस डिसपैंसरी द्वारा लापरवाही के कारण सुनीता को होने वाली तकलीफ (केस संख्या 102/30/2005–06) 65

42. केरल के थिरूवनथपुरम में श्री अविट्टम थिरूनल अस्पताल में बेक्टीरियल संक्रमण के कारण शिशुओं की मौंत (केस संख्या 14/11/12/2007–2008) 66

xii) भूख के कारण मौंत 66

43. उड़ीसा के नौपदा जिले में भूखमरी के कारण लोग पत्थर खाने को मजबूर (केस संख्या 232/18/30/2007–2008) 66

xiii) विद्युतमारण का मामला 67

44. बिहार के पटना जिले में आलमगंज में बिजली का करंट लगने के कारण रविकांत पुरी की मौंत (केस संख्या 1902/4/2000–2001) 67

xiv) अन्य मामले 68

45. उत्तर प्रदेश, गाजियाबाद में न्याय–हत्या के कारण पाँच निर्दोष व्यक्तियों द्वारा 15 साल जेल में काटना (केस संख्या 4437/24/2005–2006) 68

46. उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में पटाखों की फैक्टरी में विस्फोट के कारण 11 मजदूरों की मौंत (केस संख्या 33497/24/2004–2005) 69

47. उत्तर पूर्व रेलवे, वाराणसी द्वारा अपनी सेवा निवृति लाभों को रोके जाने के कारण उसके इंतजार में सोचन की मौंत (केस संख्या 37757/24/2000–2001) 70

ग) पटना, बिहार में कमीशन की कैंप सीटिंग 70

घ) अनुवर्तन 71

I) वार्षिक रिपोर्ट 2004–05 तथा 2005–06 में दिए गये मामलों के संबंध में की गई कार्रवाई 71

1. केरल के वाएनाड जिले के वन अधिकारियों द्वारा आदिवासी परिवारों पर अत्याचार (केस संख्या 199/11/2002–2003) 71

2. आंध प्रदेश और केरल में किसानों द्वारा आत्महत्या (केस संख्या 208/1/2004–2005) 71

3. दक्षिण भारत के तटिय क्षेत्रों में सुनामी के कारण हुई तबाही (केस संख्या 1054/22/2004–2005) 72

4. जम्मू एवं कश्मीर में जलील अंद्रावी का कथित अपहरण और हत्या (केस संख्या 9/123/1995–एल डी) 72

5. नागावल्ली नदी पर बांध के निर्माण द्वारा किसानों और खेतीहर मजदूरों का विस्थापन (केस संख्या 667/1 /2002–2003) 72

6. मध्य प्रदेश में बाल विवाह के विरूद्ध आंदोलन करने वाली महिलाओं पर हमला (केस संख्या 165/12/2005–2006 डब्ल्यू सी) 72

7. सहारनपुर उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में पंचायतों के निर्णय के कारण महिलाओं के मानव अधिकारों का हनन (केस संख्या 16173/24/2005–2006–डब्ल्यू सी लिंक फाईल संख्या 232/33/2005–2006–डब्ल्यू सी) 73

8. उत्तर प्रदेश के बागपत और मुजफ्फरनगर में पंचायत द्वारा मानव अधिकारों का हनन (केस संख्या 16755/24/2005–2006–डब्ल्यू सी) 73

9. झारखंड के पलामु जिले में अनुसूचित जाति की महिला की नीलामी (केस संख्या 712/34/2005–2006–डब्ल्यू सी) 73

10. बिहार के किशनगंज जिले में बी.एस.एफ. कैंप के बाहर से नाबालिग लड़कियों का अपहरण (केस संख्या 2610/4/2005–2006–डब्ल्यू सी) 74

11. बिहार में उपनिरीक्षक द्वारा नर्तकी का बलात्कार (केस संख्या 660/4/2003–2004–डब्ल्यू सी) 74

12. हरियाणा पुलिस द्वारा नाबालिग की अवैध हिरासत एवं उत्पीड़न (केस संख्या 1453/7/2005–2006) 74

13. मेघालय पुलिस द्वारा निर्दोष लोगों की हत्या (केस संख्या 11/15/2005–2006) 74

14. हरियाणा पुलिस द्वारा होंडा फैक्टरी के प्रदर्शन कर रहे मजदूरों पर हमला (केस संख्या 681/7/2005–2006–एफ सी लिंक फाईल 741/7/2005–2006) 75

15. असम के तेजपुर मानसिक अस्पताल में विचाराधीन कैदी को 33 वर्षों तक हिरासत में रखा (केस संख्या 26/3/2005–2006) 75

16. आंध्र प्रदेश के करीमनगर में पुलिस हिरासत में चित्तयाला सुधाकर की मौंत (केस संख्या 381/1/1998–1999) 75
17. सीवर में कार्य करने को दौरान दिल्ली जल बोर्ड के दो कर्मचारियों की मौंत (केस संख्या 716/30/2005–2006) 76
18. अशक्त व्यक्ति के अधिकारों का संरक्षण, श्याम सक्सेना का मामला (केस संख्या 4/0/2005–2006) 76
19. एम्स नई दिल्ली द्वारा शुल्क लगाया जाना (केस संख्या 3153/30/2005–2006) 76
20. उत्तर प्रदेश के जगजीवन राम नाम विचाराधीन कैदी को लम्बे समय तक हिरासत में रखना (केस संख्या 35741/24/2005–2006) 76
21. उत्तर प्रदेश के उन्नाव जेल में विचाराधीन कैदी शंकर दयाल को 44 साल तक हिरासत में रखना (केस संख्या 37484/24/2005–2006) 77
22. उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में बच्चों की भूख से मृत्यु (केस संख्या 21997/24/2003–2004) 77
23. जम्मू और कश्मीर में भूकंप (केस संख्या 76/9/2005–2006) 77

II) वार्षिक रिपोर्ट 2006–07 में दिए गए मामलों पर की गई कार्रवाई 77

1. अरूण कुमार उपाध्याय की पुलिस हिरासत में सुल्तान पुर जेल से लखनऊ, उत्तर प्रदेश स्थानांतरण के दौरान मौंत (केस संख्या 32757/24/2002–2003–ए.डी. लिंक फाईल (केस संख्या 32539/24/2002–3–सी.डी.) 77
2. पंजाब के कपूरथला जिला जेल में न्यायिक हिरासत में गुरूनाम सिंह की मौंत (केस संख्या 157/19/2001–2002 –सी.डी) 78
3. उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में न्यायिक हिरासत में विचाराधीन कैदी शर्मा की मौंत (केस संख्या 38895/24/2001–2002–सी.डी.) 78
4. दिल्ली के मुखर्जी नगर पुलिस हिरासत में पृथ्वी की मौंत (केस संख्या 1112/30/1997–1998–सी.डी.) 78
5. मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में पुलिस हिरासत में भानदास की मौंत (केस संख्या 145/12/2000–2001–सी.डी.) 78
6. मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में पुलिस हिरासत में मुन्ना कुमार सौनी की मौंत (केस संख्या 50/12/2001–2002–सी.डी.) 78
7. उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में न्यायिक हिरासत में विचाराधीन कैदी मन्ना सिंह की मौंत (केस संख्या 17979/24/2000–2001–सी.डी.) 79
8. महाराष्ट्र के जलगॉव में न्यायिक हिरासत में दलीप सीताराम चौधरी की मौंत (केस संख्या 531/13/2002–2003–सी.डी.) 79
9. उत्तर प्रदेश के कानपुर में चमनगंज में मानसिक रूप से अशक्त व्यक्ति लायक अनवर को पुलिस द्वारा यातना (केस संख्या 36115/24/2002–2003) 79
10. चंडीगढ़ पुलिस द्वारा कथित गलत पहचान के मामले में संतोष को अवैध हिरासत में रखना (केस संख्या 72/27/2006–2007–डब्ल्यू.सी.) 79
11. पंजाब के अमृतसर जिले में चब्बा में किसानों पर पुलिस द्वारा अत्याचार (केस संख्या 640/19/2006–2007) 79
12. उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में पहवा में पुलिस द्वारा राजू को अवैध हिरासत में रखना और उसको उत्पीड़ित करना (केस संख्या 23139/24/2001–2002) 80
13. उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में बिजली का करंट लगने के कारण घनश्याम की मौंत (केस संख्या 20385/24/2000–2001) 80

14. उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में बृहत परियोजनाओं के लिए भू अधिग्रहण द्वारा किसानों के अधिकारों का हनन (केस संख्या 13218 / 24 / 2006–2007) 80
15. उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में एक मेले के दौरान आगजनी की घटना में लोगों की मौंत होना (केस संख्या 521 / 24 / 2006–2007) 81
16. उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में बाल गृह में बच्चों की दशा (केस संख्या 19884 / 24 / 2005–2006) 81
17. उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में बच्चों के मानव अधिकारों का हनन (केस संख्या 35707 / 24 / 2006–2007–डब्ल्यू.सी.) 81
18. बिहार के आरा जिले में पुलिस की उपस्थिति में भीड़ द्वारा 4 अनुसूचित जाति के लोगों की हत्या (केस संख्या 1099 / 4 / 2006–2007) 81
19. तमिलनाडु के मदुरै जिले में अनुसूचित जाति की महिला पंचायत अध्यक्ष की नीलामी (केस संख्या 802 / 22 / 2006–2007–डब्ल्यू.सी.) 81
20. बिहार के लखीसराय जिले में अनुसूचित जाति की 4 महिलाओं का बलात्कार (केस संख्या 1375 / 4 / 2006–2007–डब्ल्यू.सी.) 82
21. महाराष्ट्र के भंडारा जिले में अनुसूचित जाति की महिलाओं पर अत्याचार (केस संख्या 1107 / 13 / 2006–2007–डब्ल्यू.सी.) 82
22. बिहार के बेगूसराय में पुलिस कर्मी द्वारा एक विधवा से बलात्कार का प्रयास, हत्याएँ और 7 व्यक्तियों को घायल करना (केस संख्या 3618 / 4 / 2004–2005–डब्ल्यू.सी.) 82
23. उत्तर प्रदेश के निठारी जिले में लापता हुए बच्चे और उनकी हत्याएँ (केस संख्या 39250 / 24 / 2006–2007) 82
24. दक्षिण दिल्ली में कढ़ाई का काम करने की यूनिट से 55 बाल मजदूरों को छुड़ाया गया (केस संख्या 364 / 30 / 2006–2007) 83
25. वीरप्पन को ढूंढ़ने के लिए गठित कर्नाटक और तमिलनाडु के संयुक्त विशेष कार्यबल द्वारा किए गए अत्याचार (केस संख्या 795 / 22 / 1997–1998) 83
26. मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में छात्रों द्वारा पिटाई के कारण प्रोफेसर की मौंत (केस संख्या 886 / 12 / 2006–2007) 83
27. मध्य प्रदेश में रेलवे संरक्षण बल के कांस्टेबल द्वारा अंधाधुंध गोलीबारी से 3 व्यक्तियों की मौंत तथा 11 व्यक्तियों के घायल होने के संबंध में (केस संख्या 2252 / 12 / 2001–2002) 84
28. पंजाब पुलिस द्वारा सामूहिक दाह–संस्कार (केस संख्या 1 / 97 / एन.एच.आर.सी.) 84
29. कश्मीर में मानव अधिकारों के हनन के लिए 76 सैन्यकर्मियों को सज़ा (केस संख्या 122 / 9 / 2006–2007–ए.एफ.) 85
30. दिल्ली तथा पड़ोसी क्षेत्रों में सी.जी.एच.एस. पेंशनभोगियों के लिए दवाईयाँ उपलब्ध कराने मे देरी (केस संख्या 418 / 30 / 2006–2007) 85
31. आंध्र प्रदेश के विशाखापट्नम के हकीरपेट मंडल में आदिवासियों के लिए स्वास्थ्य के अधिकार से वंचित रखना (केस संख्या 513 / 1 / 2006–2007) 85
32. हरियाणा के गुड़गांव जिले में पुलिस द्वारा शक्ति का दुरूपयोग (केस संख्या 1906 / 7 / 2006–2007–डब्ल्यू.सी.) 86
33. पंजाब के अमृतसर में अध्यापक द्वारा पिटाई के कारण बच्चे की मौंत (केस संख्या 621 / 19 / 2006–2007–डब्ल्यू.सी.) 86
34. आंध्र प्रदेश के राजामुंद्री में माता–पिता द्वारा लड़कियों को बेचा जाना (केस संख्या 658 / 1 / 2006–2007–डब्ल्यू.सी.) 86
35. केरल में एच.आई.वी. पोजीटीव बच्चों को शिक्षा देने से इंकार किया जाना (केस संख्या 143 / 11 / 2006–2007) 87
36. गुजरात में बच्चों का लापता होना (केस संख्या 756 / 6 / 2006–2007) 87

ग) मानव अधिकार हनन के पीड़ितों और मृतकों के निकटतम रिश्तेदारों के लिए वित्तीय राहत की स्वीकृति/दोषी लोक सेवकों के प्रति अनुशासनिक कार्रवाई/अभियोजन 88

अध्याय – 7 आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार 91

क) स्वास्थ्य का अधिकार 91
- चिकित्सा देखरेख की उपलब्धता 92
- एन.एच.आर.सी. की संस्तुतियों का अनुर्वतन 93
- सिलिकोसिस 95
  - अल्पावधि संस्तुतियां 95
  - दीर्घावधि संस्तुतियां 96
  - राष्ट्रीय कार्यबल 96
- रेबीज़–रोधी टीके की उपलब्धता : एन.एच.आर.सी.के हस्तक्षेप की कामयाबी की कथा 97
- फिलेरेसिस 97
- कुष्ठरोग और मानव अधिकार 98
- एच.आई.वी./एड्स और मानव अधिकार 98

ख) मानसिक स्वास्थ्य 99

ग) भोजन का अधिकार 100

घ) शिक्षा का अधिकार 101

ङ) महिलाओं और बच्चों के अधिकार 103

अ) महिलाओं के अधिकार 103
- कार्यस्थल में महिलाओं के यौन शोषण का सामना करनाः विशाखा दिशा निदेशों के संबंध में अनुपालन रिपोर्टें 103
- राज्य सरकारों की जनसंख्या नीतियों के साथ–साथ राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में प्रोत्साहन/हतोत्साहन दिया जाना 104
- महिलाओं और बच्चों पर विशेष ध्यान सहित मानव अवैध व्यापार की रोकथाम और सामना करने के लिए एक संगठित कार्य योजना का प्रतिपादन करना 104
- वृंदावन में असहाय महिलाओं का पुर्नवास 106

ब) बच्चों के अधिकार 106
- बच्चों के बलात्कार के मामलों के त्वरित निपटान के लिए दिशा–निर्देश 106
- विचारण न्यायालय के लिए दिशा–निर्देश 107
- लापता बच्चों का विषय 108
- भारत में किशोर न्याय व्यवस्था की मॉनिटरिंग 108

अध्याय – 8 बंधुआ मजदूरी तथा बाल श्रम प्रथा का उन्मूलन 109

क) बंधुआ मजदूरी व्यवस्था 109

राज्य समीक्षाएं 109
- कर्नाटक 110
- उड़ीसा (कोरापुट, बोलनगीर और कालाहांड़ी जिले) 110
- झारखण्ड़ 111
- पंजाब 112
- छत्तीसगढ़ 112

ख) बाल मजदूरी 113

राज्य समीक्षाएं 113
- कर्नाटक 114
- उड़ीसा (कोरापुट, बोलनगीर और कालाहांड़ी जिले) 115

– झारखण्ड़ 116
– पंजाब 117
– छत्तीसगढ़ 119
ग) बंधुआ मजदूरी और बाल मजदूरी पर कार्यशाला 120

अध्याय – 9 कमजोर वर्गों के अधिकार 123
क) अशक्त व्यक्तियों के अधिकार 123
– संकेत भाषा 125
ख) विस्थापित व्यक्तियों के अधिकार 125
– राष्ट्रीय पुर्नवास एवं पुनः स्थापन नीति 126
ग) अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के अधिकार 126
घ) सिर पर मैला ढ़ोने का उन्मूलन 127

अध्याय – 10 मानव अधिकार शिक्षा और जागरूकता 129
– स्कूल और विश्वविद्यालय शिक्षा व्यवस्था में मानव अधिकार शिक्षा को समाविष्ट करने के संबंध में राष्ट्रीय परामर्श 129
– मानव अधिकारों के संबंध में न्यायिक अधिकारियों के लिए संवेदनशीलता कार्यशाला 129
– मानव अधिकारों के संवर्धन एवं मॉनिटरिंग के लिए संकेतकों का प्रयोग करने संबंधी कार्यशाला 129
– भाषाओं की भूमिका विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन 130
– ग्रीष्मकालीन एवं शीतकालीन अंतःशिक्षुता कार्यक्रम 130
– आयोग द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम 130
– भारतीय विदेश सेवा परिवीक्षार्थियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम 130
– विभिन्न सेवाओं/संस्थानों के अधिकारियों का एन.एच.आर.सी. का दौरा 130
– इन–हाउस प्रशिक्षण कार्यक्रम 131
– भारत के विभिन्न कॉलेजों/विश्वविद्यालयों से दौरे पर आए छात्रों/प्रशिक्षुओं के साथ परस्पर चर्चा 131
– गैर सरकारी संगठनों सहित विभिन्न संस्थानों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में एन.एच.आर.सी. की प्रतिभागिता 131
– आयोग में हिन्दी पखवाड़े का आयोजन 131
– स्थापना दिवस समारोह 131
– मानव अधिकार दिवस 131
– कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए पेंटिग प्रतियोगिता 132

अध्याय – 11 अन्तरराष्ट्रीय सहयोग 133
(क) वैश्विक आवधिक पुनरीक्षा के बारे में आयोग द्वारा अपनायी गई प्रक्रिया 133
– वैश्विक आवधिक पुनरीक्षा के लिए एन.एच.आर.सी.,भारत के पेपर 134
(ख) अंतरराष्ट्रीय बैठकों में भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा भाग लेना 134
(ग) राष्ट्र मंडल सम्मेलन 135
(घ) राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के साथ सहयोग 135
(ङ) बैठकें और कार्यशालाएं 135
– राष्ट्रीय जाँचों के विषय पर उप–क्षेत्रीय कार्यशाला 135
– विधिवेता परामर्शदात्री परिषद् को सुदृढ़ करने के विषय में कार्यशाला 136
(च) विदेश में यात्रा, सम्मेलन तथा कार्यशालांए 136
(छ) आदान–प्रदान एवं अन्य परस्पर चर्चाएं 136

अध्याय – 12 गैर सरकारी संगठन 139

अध्याय – 13 राज्य मानव अधिकार आयोग 141

अध्याय – 14 मानवाधिकारों से संबंधित कानूनों, अंतरराष्ट्रीय संधियों एवं अन्य अंतरराष्ट्रीय दस्तावेजों की समीक्षा एवं उनका कार्यान्वयन 143

(क) मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 143

(ख) शरणार्थियों की स्थिति, 1951 और 1967 के प्रोटोकॉल से संबंधित समझौता 143

(ग) प्रताड़ना एवं अन्य क्रूर, अमानवीय अथवा अपमानजनक व्यवहार या दण्ड के विरूद्ध समझौता, 1984 144

(घ) जिनेवा समझौता, 1949 के अतिरिक्त, वर्ष 1977 के प्रोटोकॉल 144

(ङ) निशक्त व्यक्तियों के अधिकारों पर समझौता,2006 145

अध्याय – 15 अनुसंधान अध्ययन एवं परियोजनाएँ 147

(क) पूर्ण हो चुके अनुसंधान अध्ययन 147

(ख) नये अनुसंधान अध्ययन 147

अध्याय – 16 प्रशासन एवं संभार तंत्र सहायता 149

(क) विशेष संपर्ककर्त्ता 149

(ख) कोर–ग्रुप 149

(ग) राजभाषा का प्रयोग 149

(घ) पुस्तकालय 149

अध्याय – 17 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 151

अध्याय – 18 मुख्य सिफारिशों एवं संस्तुतियों का सार 153

अनुलग्नक 173

1. वर्ष 1993–94 से 2007–2008 तक आयोग द्वारा दर्ज किए गए पुलिस हिरासत में मौंत एवं न्यायिक हिरासत (जेल) में मौंतों के मामलों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र–वार एवं वर्ष–वार विवरण 175

2. 1 अप्रैल,2007 तक लम्बित मामलों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र –वार संख्या दर्शाने वाला विवरण 177

3. 1 अप्रैल,2007 से 31 मार्च, 2008 के दौरान पंजीकृत मामलों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र–वार संख्या दर्शाने वाला विवरण 178

4. वर्ष 2007 – 2008 के दौरान निपटाये गये मामलों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र–वार संख्या दर्शाने वाला विवरण 179

5. 31 मार्च, 2008 तक लंबित मामलों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र–वार संख्या दर्शाने वाला विवरण 180

6. वर्ष 2007 – 2008 के दौरान निपटाये गये रिपोर्ट मामलों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र–वार एवं श्रेणी–वार संख्या दर्शाने वाला विवरण 181

7. वर्ष 2007–2008 के दौरान उन मामलों की कुल संख्या जिनमें आयोग ने वित्तीय राहत/अनुशासनात्मक कार्रवाई/अभियोजन की संस्वीकृति की 184

8. वर्ष 2007–2008 के दौरान आयोग की वित्तीय राहत/अनुशासनात्मक कार्रवाई/अभियोजन की संस्वीकृति के अनुपालन के लिए लंबित मामलों का ब्यौरा दर्शाने वाली तालिका 185

9. वर्ष 1999–2000 से वर्ष 2006–2007 के दौरान आयोग की वित्तीय राहत के भुगतान/अनुशासनात्मक कार्रवाई/अभियोजन के लिए आयोग की संस्वीकृति के अनुपालन के लिए लंबित मामलों का ब्यौरा दर्शाने वाली तालिका 192

10. वर्ष 1993–1994 से वर्ष 2006–2007 के दौरान आयोग द्वारा संस्वीकृत किए गए उन वित्तीय राहत के भुगतान/अनुशासनात्मक कार्रवाई/अभियोजन के मामलों की संख्या जिन्हें न्यायालय में चुनौती दी गई, का ब्यौरा दर्शाने वाली तालिका 194

11. लापता बच्चों संबंधी एन.एच.आर.सी.समिति की रिपोर्ट 195

12. वर्ष 2007–2008 के दौरान आयोजित किए गए मानव अधिकार प्रशिक्षण कार्यक्रम 224

13. वैश्विक आवधिक समीक्षा के लिए एन.एच.आर.सी.,भारत का पेपर 229

चार्ट और ग्राफ 237

1. गत 3 वर्षों के दौरान दर्ज किए गए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र–वार मामले 239

2. वर्ष 2007–2008 के दौरान दर्ज किए गए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र–वार मामलों की संख्या 240

3. वर्ष 2007–2008 के दौरान हिरासतीय मौतों/बलात्कारों के संबंध में दर्ज की गई सूचनाओं की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र–वार सूची 241

4. वर्ष 2007–2008 के दौरान आयोग द्वारा निपटाए गए रिपोर्ट मामलों की प्रकृति एवं वर्गीकरण 242

5. वर्ष 2007–2008 के दौरान राज्य मानव अधिकार आयोगों को स्थानांतरित किए गए मामले 243

6. वर्ष 2007–2008 के दौरान निपटाए गए/लंबित मामले 244

7. वर्ष 2007–2008 के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा 3 प्रतिशत से अधिक की निष्कासन दर से आरंभ मे ही खारिज किए गए मामले 245

8. वर्ष 2007–2008 के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा 3 प्रतिशत से अधिक निष्कासन दर से निदेश देकर निपटाए गए मामले 246

संक्षिप्तियाँ 247

अध्याय 1 प्रस्तावना

1.1 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की यह पंद्रहवीं वार्षिक रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट की कार्यावधि 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2008 तक है।

1.2 मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 20 (2) और सितम्बर 2006 में इसमें किए गए संशोधन के अंतर्गत परिकल्पित प्रक्रिया के अनुपालन में की गई कार्रवाई संबंधी ज्ञापन तैयार करने के लिए आयोग की 1 अप्रैल, 2006 से 31 मार्च, 2007 की अवधि की 14 वीं वार्षिक रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत करने हेतु 20 सितम्बर 2007 को केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत की गई थी।

1.3 तद्नुसार, आयोग की 14वीं वार्षिक रिपोर्ट, इस पर की गई कार्रवाई संबंधी ज्ञापन सहित 26 फरवरी 2009 को लोकसभा एवं राज्यसभा के पटल पर प्रस्तुत की गई। आयोग ने मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 20 (2) के अंतर्गत यथापेक्षित 14वीं वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियों को सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को भी प्रेषित कर दी है ताकि इसे की गई कार्रवाई संबंधी ज्ञापन या आयोग की संस्तुतियों पर लिए जाने के लिए प्रस्तावित ज्ञापन और संस्तुतियों के अनुपालन न होने के कारण, यदि कोई हों, सहित उनके संबद्ध विधानमंडलों के पटल पर प्रस्तुत किया जा सके।

1.4 समीक्षाधीन वर्ष में आयोग के शीर्ष नेतृत्व में परिवर्तन आया। भारत के उच्चतम न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री सं. राजेन्द्र बाबु ने 2 अप्रैल 2007 को आयोग के पाँचवें अध्यक्ष के रूप में पद ग्रहण किया। इसी वर्ष आयोग के सदस्य न्यायमूर्ति डॉ0 शिवराज वी. पाटील ने 4 फरवरी 2008 को अपना पद समय–पूर्व त्याग दिया था। न्यायमूर्ति श्री वाई. भास्कर राव, श्री आर. एस. काल्हा और श्री पी. सी. शर्मा आयोग में सदस्य के रूप में कार्यरत रहे।

1.5 जहाँ तक आयोग की संविधि की धारा 3 (3) के अंतर्गत इसके मानित सदस्यों का संबंध है, श्री मोहम्मद शफी कुरैशी ने 3 सितम्बर 2007 को आयोग के राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य के रूप में पद ग्रहण किया। डॉ0 बूटा सिंह ने 25 मई, 2007 को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष के रूप में पद ग्रहण किया और श्रीमती उर्मिला सिंह ने 18 जून 2007 को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला। डॉ0 गिरिजा व्यास राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष के रूप में कार्यभार देखती रहीं।

1.6 श्री रवि कमल भार्गव, आई.ए.एस. (महाराष्ट्र – 72) के सेवानिवृत होने पर आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में श्री अखिल कुमार जैन आई.ए.एस. (पश्चिम बंगाल–73) ने महासचिव का पद ग्रहण किया। 31 दिसम्बर 2007 को श्री दामोदर षडंगी आई.पी.एस. (पश्चिम बंगाल–72) आयोग के महानिदेशक (अन्वेषण) के पद से सेवानिवृत्त हुए।

1.7 आयोग की वार्षिक रिपोर्ट देश में मानव अधिकारों की सूचना का महत्वपूर्ण स्रोत है। मौजूदा वार्षिक रिपोर्ट में भी व्यक्तिगत शिकायतों के साथ–साथ मानव अधिकार से जुड़े विभिन्न विषयों पर आयोग द्वारा उठाए गए कदमों, आयोग के महत्व और उसकी उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत किया गया है। प्रत्येक गुजरते वर्ष के साथ आयोग की यह धारणा दृढ़ हुई है कि गरिमापूर्ण जीने के अधिकार में व्यक्ति का सम्पूर्ण रूप से सम्मान सम्मिलित है। इससे इस तथ्य की पुनः पुष्टि होती है कि आयोग के लिए आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर समान रूप से ध्यान केन्द्रित करना उतना ही अनिवार्य है जितना सिविल और राजनीतिक अधिकारों पर ध्यान केन्द्रित करना। अधिकारों की अविभाज्यता और उनका अंतरसंबंध–प्रकृति की एक निर्विवाद सच्चाई है क्योंकि इन दोनों का सह–अस्तित्व है। यही वास्तविक कारण है कि आयोग ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान सभी अधिकारों पर ध्यान केन्द्रित करने का पुरजोर प्रयास किया है और मौजूदा रिपोर्ट इसी बात का विवरण प्रस्तुत करती है।

1.8 इस बात से बिल्कुल भी इंकार नहीं किया जा सकता कि व्यापक सांविधानिक, विधायी और संस्थागत ढाँचा होने और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, सरकार और इसके अभिकरण एवं सम्पूर्ण सिविल समाज द्वारा प्राप्त की गई उपलब्धियों के रिकार्ड के बावजूद, स्वतंत्रता प्राप्ति के पचास वर्ष से भी अधिक समय व्यतीत होने के बाद भी भारत में मानव अधिकारों का संरक्षण और संवर्धन निरंतर एक कठिन चुनौती के रूप में हमारे समक्ष मौजूद है। मानव अधिकारों को पूर्णतः प्राप्त करने के लिए पुरानी और नई बाधाओं पर नियंत्रण करना होगा। इन बाधाओं में मुख्यतः गरीबी, निरक्षरता, भ्रष्टाचार, आतंकवादी घटनाओं में वृद्धि और कई मौजूदा कानून जिनका संबंध मानव अधिकारों से है, को लागू करने में सतत् राजनीतिक और प्रशासनिक इच्छा की कमी शामिल है। आज हमारे समक्ष चुनौती यह है कि हम इन समस्याओं से निपटे और मानव अधिकारों से संबंधित सांविधानिक गारंटियों, अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं और देशी कानूनों को ईमानदारी से लागू करने का प्रयास करें। केन्द्र सरकार और सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों, स्वायत्त निकायों, सभ्य समाज और नागरिकों के सभी प्रयास इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु होने चाहिए।

1.9 मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन के अभियान में आयोग अकेला नहीं है। हाल के वर्षों में, कई गैर–सरकारी संगठन, नागरिकों, विशेष रूप से सुविधा वंचित समूहों के मानव अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सरकारी विभागों ने भी प्रयास शुरू किए हैं और विभिन्न मानव अधिकारों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य या कमजोर के सशक्तिकरण को लक्षित कर कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं।

1.10 बहरहाल, आयोग को इस स्थिति की विपरीत तस्वीर के बारे में बताते हुए दुःख होता है। कई राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों और केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों ने आयोग के प्रयासों को अपनी जाँच, नोटिसों और संस्तुतियों पर कार्य न कर, यदि उन्हें विफल नहीं बनाया है, तो उन्हें विलम्ब अवश्य किया है। यह बड़ी दुःखद बात है कि आयोग के कई मामले को इसलिए नहीं निपटाया जा सका है क्योंकि संबद्ध राज्य सरकार/संघ राज्य प्रशासनों ने कोई जवाब नहीं दिया या आयोग के आदेशों का अनुपालन नहीं किया या की गई कार्रवाई रिपोर्ट प्रेषित नहीं की।

1.11 इन सबका संयुक्त परिणाम आयोग में लम्बित मामलों की संख्या से न आँक कर उन व्यक्तियों की संख्या से आंका जाए जिन्हें अपने मानव अधिकारों से वंचित रखा गया और मानव अधिकार का हनन करने वाले उन अभियुक्तों

की संख्या से आंका जाए जिन्हें अभी तक सजा नहीं दी जा सकी है। ऐसा होना सचमुच ही बहुत दुःखद है जब भारत में मानव अधिकारों को प्रदान करने और सुनिश्चित करने हेतु कानून मौजूद हैं, उन अधिकारों के संरक्षण हेतु एक व्यवस्था भी मौजूद है और आयोग जैसा एक संस्थान है जो लोगों के रक्षक के रूप में कार्य कर रहा है।

1.12 इस वार्षिक रिपोर्ट द्वारा प्रस्तुत मंच पर आयोग सभी भागीदारों को इस मामले पर अपेक्षित त्वरित ध्यान देने का पुनः आग्रह करता है। सभी सरकारी मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासकों को आयोग की संस्तुतियों, आदेशों और जाँचों, जो उनकी उपेक्षित मिसिलों में अभी भी लंबित है, पर पूर्ण रूप से ध्यान केन्द्रित करना चाहिए और उन पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए ताकि उन सभी को जिन्हें अधिकारों से वंचित रखा गया है, राहत मिल सके। जब किसी को उसके वंचित अधिकार दिलाए जाते हैं या उसके अधिकारों के उल्लंघन के लिए मुआवजा दिया जाता है तो वास्तव में यह मानवता की जीत होती है।

(सं. राजेन्द्र बाबु)
अध्यक्ष

(जी. पी. माथुर)	**(बी.सी. पटेल)**	**(सत्यब्रत पाल)**	**(पी. सी. शर्मा)**
सदस्य	**सदस्य**	**सदस्य**	**सदस्य**

27 मई, 2009
नई दिल्ली

अध्याय 2

मुख्य बिन्दु : 2007–2008

2.1 आयोग के लिए मानव अधिकारों के संरक्षण और संवर्धन से अभिप्राय लोकतंत्र की रक्षा करना है और लोकतंत्र का अर्थ है देश के सभी नागरिकों के हितों की रक्षा करना। आयोग कभी भी राज्य और उसके अभिकरणों को उनके उन कृत्यों, भूलों, दुष्प्रेरणा या लापरवाही की ओर ध्यान आकृष्ट करने में नहीं हिचकिचाया जिनसे मानव अधिकारों का उल्लंघन हुआ हो। मानव अधिकारों से संबंधित विभिन्न मामलों जिनमें आतंकवाद की स्थिति में मानव अधिकारों का संरक्षण भी शामिल है, के गंभीर मामलों में भी आयोग संविधान, जिसकी प्रस्तावना में निहित अन्य बातों के साथ–साथ दो कोर नैतिक मूल्यों–जीवन स्वतंत्रता और व्यक्ति की गरिमा और देश की एकता और अखण्डता का हर हाल में संरक्षण और संवर्धन होना अनिवार्य है, में उल्लिखित सिद्धांतों द्वारा दर्शाए गए मार्गदर्शन पर ही कार्य करता रहा है। वस्तुतः इन दोनों में परस्पर विरोध नहीं है अपितु वे दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक शक्तिशाली राष्ट्र से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने नागरिकों के मानव अधिकारों की रक्षा अवश्य करें। इसके प्रतिकूल कार्य करना दोनों के लिए हानिकारक है।

2.2 वस्तुतः यदि किसी राष्ट्र की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक शक्ति को सुनिश्चित करना हो और उसकी एकता, शांति की गारंटी सुनिश्चित करनी है तो सभी लोगों, विशेष रूप से कमजोर और हाशिए पर पड़े लोगों की गरिमा को बनाए रखने के साथ–साथ उनके मानव अधिकारों की रक्षा करना अनिवार्य है। यह अच्छे प्रशासन की अनिवार्य शर्त है। मानव अधिकारों का संरक्षण और अच्छा प्रशासन एक ही सिक्के के दो पहलू है। यही मुख्य कारण है जिसने आयोग को आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों, विशेष रूप से कमजोर वर्गों नामतः महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यकों, अशक्त और गरीबी में रह रहे लोगों, जिनमें विस्थापित व्यक्ति भी शामिल हैं, पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए प्रेरित किया है। इस समुदाय के लोगों के लिए अवसरों के द्वार पूर्ण रूप से खोल देने चाहिए ताकि उनके मौलिक अधिकार जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन, पोषण, आवास और सफाई इत्यादि का अधिकार सुनिश्चित हो सके।

2.3 आगामी पैरा में अप्रैल 2007 से मार्च, 2008 तक की अवधि के दौरान हुई मुख्य घटनाओं का ब्यौरा प्रस्तुत किया गया है।

नए अध्यक्ष

2.4 न्यायमूर्ति श्री सं0 राजेन्द्र बाबु ने 2 अप्रैल, 2007 को आयोग के पाँचवें अध्यक्ष के रूप में पद ग्रहण किया। वे न्यायमूर्ति डॉ0 ए. एस. आनंद के स्थान पर आए जिन्होंने 31 अक्टूबर, 2006 को पद त्याग दिया था।

आयोग की बैठकें

2.5 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आयोग के फुल कमीशन ने, जिसमें आयोग के अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं, मानव अधिकारों के उल्लंघन के विभिन्न मामलों पर 96 बैठकों में और अन्य कार्यक्रमों एवं प्रशासनिक कार्यसूची के मदों पर 33 बैठकों में विचार–विमर्श एवं निर्णय किया। सांविधानिक फुल कमीशन जिसमें मानद सदस्य भी शामिल है की बैठक 20 जुलाई, 2007 को हुई।

मानव अधिकार के उल्लंघन के मामलों का निपटान

2.6 आयोग में पंजीकृत मानव अधिकारों के उल्लंघन के मामलों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, 1,0,0,616 मामले आयोग में पंजीकृत किए गए। 1,02,848 मामलों को इसी वर्ष के दौरान निपटा दिया गया। आयोग द्वारा विकसित कम्प्यूटरीकृत शिकायत प्रबंधन प्रणाली (सी एम एस) ने मामलों के निपटान को सुविधाजनक बना दिया है।

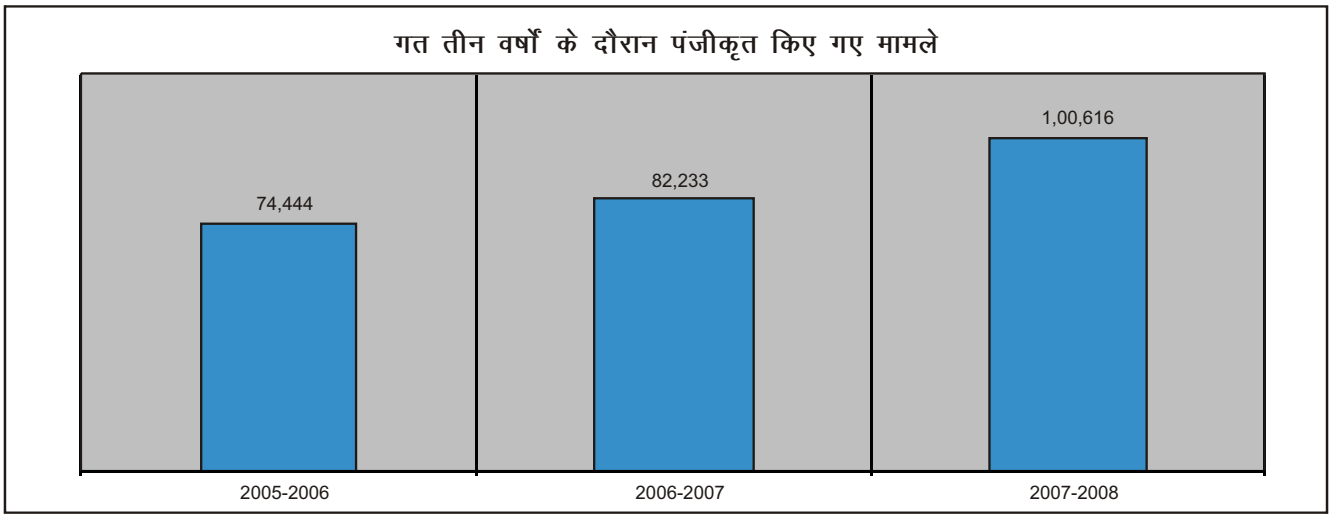

कैम्प बैठकों का आयोजन

2.7 पटना, बिहार में 17 से 19 मई, 2007 के दौरान कैम्प बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य लंबित मामलों के तुरंत निपटान के साथ–साथ मानव अधिकारों से संबंधित विभिन्न मामलों पर आयोग द्वारा की गई संस्तुतियों पर राज्य प्रशासकों द्वारा की गई प्रगति की समीक्षा करना था। कैम्प बैठक के दौरान आयोग ने 155 मामलों को निपटाया। राज्य सरकार ने छः मामलों, जिनमें मानव अधिकारों का उल्लंघन हुआ था। में संबद्ध पीड़ितों को रु0 7,60,000/– की अदायगी की। आयोग ने हिरासतीय मौतों के आठ मामलों सहित 10 मामलों में 14,25,000/– रुपए की राहत राशि अदा करने की संस्तुति भी की।

2.8 19 मई, 2007 को राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया जिसमें जेलों की स्थिति, हिरासत में हिंसा, हिरासतीय मौतें, महिलाओं एवं बच्चों के देह–व्यापार, किशोर न्यायालय, स्वास्थ्य संबंधी

मामलों, शिक्षा, सिर पर मैला ढुलाई इत्यादि से संबंधित विभिन्न मामलों की ओर उनका ध्यान आकृष्ट किया गया। आयोग ने राज्य स्तर पर मानव अधिकार मामलों के समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से नोडल अधिकारी/अधिकारियों की नियुक्ति की जरूरत पर भी बल दिया।

शिकायत प्रबंधन प्रणाली को बेहतर बनाना

2.9 शिकायत प्रबंधन प्रणाली को सुविधाजनक बनाने के लिए आयोग में लगाए गए सी एम एस सॉफ्टवेयर को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन आई सी) की सहायता से बेहतर बनाया गया। 31 मार्च, 2008 की स्थिति के अनुसार सी एम एस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में 7,74,564 मामलों के संबंध में सूचना थी।

नागरिक और राजनीतिक अधिकार

हिरासतीय हिंसा की रोकथाम

2.10 आयोग को समीक्षाधीन वर्ष के दौरान न्यायिक हिरासत में मौतों के 1789 मामले और पुलिस हिरासत में मौत के 188 मामले तथा अर्द्ध–सैनिक/रक्षा बलों के हिरासत में मौत के चार मामलें प्राप्त हुए। आयोग ने हिरासत में हुए मौत के 744 मामले, जिनमें न्यायिक हिरासत में हुए मौत के 662 मामले और पुलिस हिरासत में हुए मौत के 78 मामले तथा अर्द्ध–सैनिक बलों/रक्षा बलों के हिरासत में हुए मौत के 4 मामले शामिल हैं, को निपटाया।

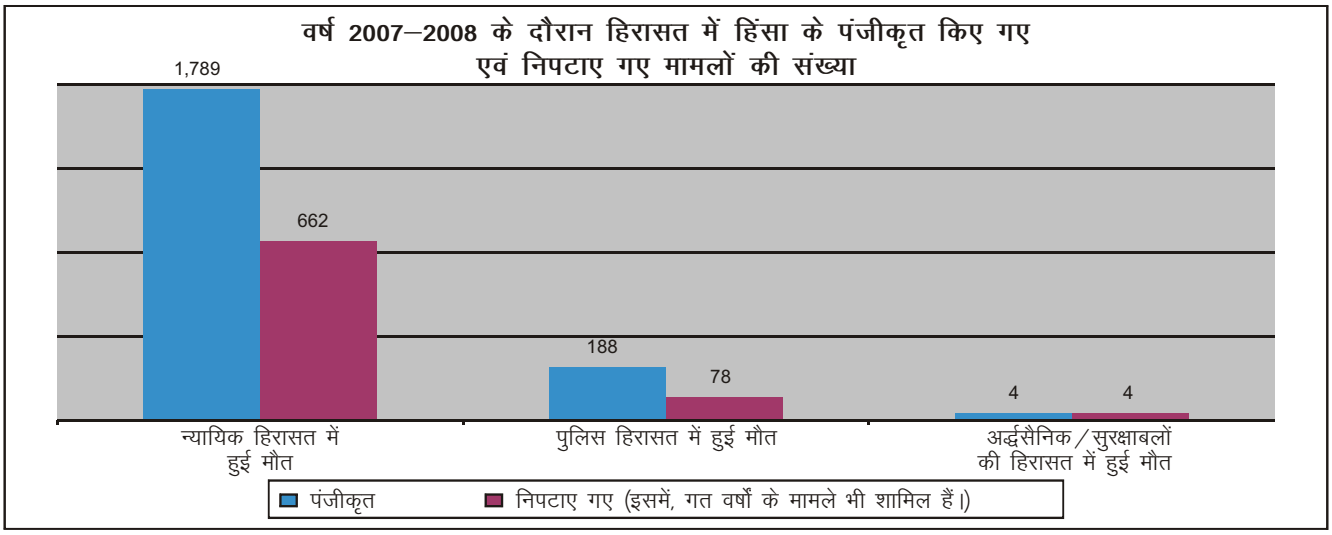

जेलों का निरीक्षण

2.11 आयोग के एक सदस्य ने 27 मार्च, 2008 को चंडीगढ़ माडॅल जेल का दौरा किया। राजधानी की उच्च सुरक्षा वाली तिहाड़ जेल में 14 जून, 2007 को जाँच दल ने दौरा किया। इसके अतिरिक्त आयोग के एक विशेष सम्पर्ककर्त्ता ने जेलों की परिस्थितियों को जानने के लिए उड़ीसा का दौरा किया।

* वार्षिक रिपोर्ट में न्यायिक हिरासत से तात्पर्य न्यायालय के आदेशों के अनुसार जेल में रह रहे व्यक्तियों से है।

आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार

कार्य–स्थल पर महिलाओं के यौन भाोषण की रोकथाम एवं निवारण

2.12 कार्य स्थल पर महिलाओं के यौन–शोषण की रोकथाम एवं निवारण, जो विशाखा दिशा–निर्देश के नाम से विख्यात हैं, से संबंधित उच्चतम न्यायालय के दिशा–निर्देर्शों के कार्यान्वयन में आयोग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आयोग के प्रयासों के अनुपालन में सभी राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रशासकों ने कर्मचारियों की आचरण नियमावली में आवश्यक संशोधन किए हैं। उन्होंने आयोग को यह भी सूचित किया कि उन्होंने अपने मंत्रालयों और विभागों में शिकायत समितियों का गठन किया है।

बाल मजदूरी और बंधुआ मजदूरी का उन्मूलन

2.13 बच्चों के लिए आयोग की चिंता बाल मजदूरी की प्रथा के उन्मूलन हेतु इसके द्वारा किए गए अथक प्रयास से साफ झलकती है तथा आयोग यह सुनिश्चित करना चाहता है कि सभी बच्चे स्कूल जाएं तथा कोई भी बच्चा कार्य न करे। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आयोग ने केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और संघ राज्य प्रशासनों के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए 27 जून, 2007 को नई दिल्ली में बंधुआ और बाल मजदूरी विषय पर राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला का आयोजन किया। आयोग ने, कर्नाटक, उड़ीसा, झारखंड, पंजाब और छत्तीसगढ़ राज्यों में बंधुआ मजदूरी और बाल मजदूरी की स्थिति की गहन समीक्षा भी की। इन आधारों पर सभी संबद्ध प्राधिकारियों को विशिष्ट संस्तुतियाँ की गईं।

स्वास्थ्य का अधिकार

2.14 ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सकों और परिचारिकाओं की कमी के मामले से निपटने के लिए आयोग ने भारतीय चिकित्सा परिषद्, भारतीय परिचारिका परिषद् और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ 30 अगस्त 2007 को एक बैठक का आयोजन किया और कई संस्तुतियाँ की जिसमें चिकित्सकों के लिए एक वर्ष की अनिवार्य ग्रामीण सेवा और विशेष विषय के रूप में 'आपातकालीन औषधि' भी शामिल है।

मानसिक स्वास्थ्य

2.15 मानसिक स्वास्थ्य संबंधी पुनःर्गठित कोर समूह की बैठक 21 अगस्त, 2007 को हुई और इस बात को दोहराया गया कि मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों की मूलभूत जरूरतों जैसे भोजन, पोषण, स्वास्थ्य, सफाई और मनोरंजन इत्यादि को पूरा किया जाना चाहिए ताकि उनका उपचार गरिमापूर्ण हो सके। कोर समूह ने यह सुझाव भी दिया कि मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों को वृद्धावस्था पेंशन और अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं जैसे हित लाभों का हकदार बनाया जाए। इसके अतिरिक्त इस बात पर भी बल दिया गया कि मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों के पुनर्वास में गैर–सरकारी संगठनों को शामिल किया जाना आवश्यक है।

कुष्ठ रोग और मानव अधिकार

2.16 कुष्ठ रोग से जुड़े भेदभाव के मामले को संबोधित करते हुए आयोग ने 3 जनवरी, 2008 को एक बैठक का आयोजन किया और कई संस्तुतियाँ की। इन संस्तुतियों में कुष्ठ रोग से प्रभावित व्यक्तियों के अधिकारों पर

प्रभाव डालने वाले विभिन्न अधिनियमों में भेदभाव संबंधी प्रावधानों में संशोधन करना/इनका विलोप करना शामिल है।

एच आई वी/एड्स और मानव अधिकार

2.17 आयोग ने एच आई वी/एड्स द्वारा संक्रमित/प्रभावित व्यक्तियों के अधिकारों पर एक फिल्म और वीडियो स्पॉट तैयार किया। इसे दूरदर्शन और कुछ निजी चैनलों पर प्रसारित किया गया और विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों के दौरान दिखाया गया।

भोजन का अधिकार

2.18 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग वर्ष 1997 से भोजन के अधिकार संबंधी मामले की जाँच कर रहा है। इस निमित्त आयोग में कोर समूह का गठन किया गया है जिसको बाद में पुर्नगठित किया गया। 9 अगस्त, 2007 को पुनर्गठित कोर समूह की बैठक (यह इस क्रम की तीसरी बैठक थी) का आयोजन किया गया। इस बैठक में विभिन्न स्तरों पर निगरानी समितियाँ गठित किए जाने पर बल दिया गया ताकि वे निरीक्षण कर सके कि भोजन का अधिकार सुनिश्चित हो। इसके अतिरिक्त आयोग देश की भोजन सुरक्षा से संबंधित विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन का निरंतर अनुवीक्षण कर रहा है। इस दिशा में 28 चयनित जिलों, जिसमें प्रत्येक राज्य से चयनित एक जिला शामिल हैं, में आयोग ने मानव अधिकार जागरूकता और मानव अधिकारों के कार्यान्वयन के आकलन को सुविधाजनक बनाने हेतु कार्यक्रम शुरू किया है।

विस्थापित व्यक्तियों के अधिकार

2.19 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने 24–25 मार्च, 2008 को नई दिल्ली में 'विस्थापित व्यक्तियों के राहत और पुनर्वास' पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जिसका उद्घाटन केन्द्रीय गृह–मंत्री श्री शिवराज वी. पाटिल द्वारा किया गया। इस सम्मेलन में प्रस्तावित भूमि अर्जन (संशोधन) विधेयक, 2007 तथा पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन विधेयक 2007 में संशोधन हेतु कई संस्तुतियाँ की।

कन्या भ्रूण हत्या का मामला

2.20 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या निधि ने "मुख्य राज्यों में गर्भधारण पूर्व और प्रसव–पूर्व नैदानिक तकनीक (लिंग चुनाव का निषेध) अधिनियम के कार्यान्वयन पर अनुसंधान एवं समीक्षा" नामक संयुक्त परियोजना शुरू की। इस अनुसंधान परियोजना का मुख्य उद्देश्य अधिनियम के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में गर्भ–धारण पूर्व और प्रसव–पूर्व तकनीक (लिंग चुनाव का निषेध) अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत मामलों की समीक्षा कर इस अधिनियम के कार्यान्वयन में आने वाली बाधाओं पर ध्यान देना एवं ऐसे मामलों को पंजीकृत करने में होने वाली बाधाओं की पहचान करना एवं ऐसे मामलों के संबंध में जारी किए अंतिम आदेश का अध्ययन करना है।

2.21 आयोग ने लिंग जाँच परीक्षण और कन्या भ्रूण हत्या में तथाकथित रूप से कई सालों से शामिल नर्सिंग होम के पास कुएँ से प्राप्त हुए अधजले भ्रूण की बरामदी से संबंधित मामले की जाँच हेतु हरियाणा के गुड़गांवा जिले के पटौदी गांव में जाँच टीम भी भेजी।

मानव अधिकार शिक्षा और जागरूकता

2.22 नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में 6 जुलाई 2007 को "विद्यालय एवं विश्वविद्यालय शिक्षा प्रणाली में मानव अधिकार शिक्षा को शामिल करने" संबंधी विषय पर एक राष्ट्रीय परिचर्चा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर दो मॉड्यूल – राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की संस्तुतियाँ – विश्वविद्यालय और महाविद्यालय स्तर पर मानव अधिकार शिक्षा और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की संस्तुतियाँ – प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक स्तरों में शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षकों के लिए मानव अधिकार शिक्षा संबंधी माड्यूल को भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्री, श्री अर्जुन सिंह द्वारा विमोचन किया गया। इन माड्यूलों को शिक्षा प्रणाली में विभिन्न स्तरों पर लागू करने हेतु सभी भागीदारों को भेजा गया।

गैर सरकारी संगठनों (एन जी ओ) के साथ भागीदारी का सुदृढ़ीकरण

2.23 "मानव अधिकारों के बेहतर संवर्धन और संरक्षण में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के समर्थन में गैर–सरकारी संगठनों की भूमिका" विषय पर बेंगलूरू में कर्नाटक राज्य न्यायिक अकादमी में 28 से 29 अप्रैल 2007 को दो–दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य मानव अधिकारों के बेहतर संरक्षण एवं संवर्धन में आयोग और गैर–सरकारी संगठनों के बीच सहभागिता को सुदृढ़ करना था। इस सम्मेलन में कुछ उपयोगी संस्तुतियाँ/सुझाव भी दिए गए।

नोएडा के गुमशुदा बच्चों का मामला

2.24 नोएडा, उत्तर प्रदेश के निठारी गांव से गुम हुए बच्चों के यौन शोषण और हत्या की भयावह समाचार के पश्चात् आयोग ने इस मामले में जाँच के लिए एक समिति का गठन किया। सम्पूर्ण मामले की जाँच के बाद इस समिति ने आयोग को अपनी संस्तुतियाँ दी। इन संस्तुतियों को आयोग द्वारा स्वीकार किया गया और सभी भागीदारों को प्रेषित किया गया। इन संस्तुतियों में सभी गुम हुए बच्चों के संबंध में सूचना 24 घंटे के भीतर राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग को देने जैसे सुधारात्मक कदम भी शामिल है।

बाल बलात्कार मामलों का त्वरित निपटान

2.25 जुलाई, 2007 में आयोग ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों एवं भागीदारों को बाल बलात्कार संबंधी मामलों के त्वरित निपटान हेतु दिशा–निर्देशों को परिचालित किया ताकि कोई भी पीड़ित ऐसे घिनौने अपराध से पर्याप्त राहत से वंचित न रहे।

विशेष रूप से बच्चों और महिलाओं के देह–व्यापार की रोकथाम एवं निवारण हेतु समेकित कार्य योजना

2.26 महिलाओं और बच्चों के देह–व्यापार की रोकथाम एवं निवारण हेतु समेकित कार्य योजना का प्रारूप तैयार करने के लिए आयोग ने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (अध्यक्ष), विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास,

पंचायती राज, राष्ट्रीय महिला आयोग, यूनीसेफ और देह–व्यापार रोकथाम में कार्य कर रहे कुछ गैर–सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों को शामिल कर एक कार्य–दल का गठन दिया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम और कार्यशालाएं

राष्ट्रीय

2.27 समीक्षाधीन अवधि के दौरान कुछ महत्वपर्ण कार्यशालाएँ एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए जैसे केन्द्रीय और राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों के वरिष्ठ अधिकारियों हेतु बंधुआ और बाल मजदूरी पर कार्यशाला; और मानव अधिकारों पर प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण। भारतीय विदेश सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों हेतु दो–दिवसीय अटैचमेंट कार्यशाला का भी आयोजन किया जिसमें उन्हें मानव अधिकारों के बारे में जानकारी दी गई। इसके अतिरिक्त आयोग ने विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए माह पर्यन्त चलने वाले ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन अंतःशिक्षुता कार्यक्रम और मानव अधिकारों के क्षेत्रों में रूचि रखने वाले विद्यार्थियों के लिए अल्पावधि अटैचमेंट कार्यशाला का भी आयोजन किया। समीक्षाधीन अवधि के दौरान प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों, पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों, राज्य मानव अधिकार आयोगों, गैर सरकारी संगठनों देश के अन्य संगठनों के सहयोग से आयोग के प्रशिक्षण प्रभाग द्वारा 65 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

अंतरराष्ट्रीय

2.28 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ मानव अधिकार उच्चायुक्त कार्यालय एवं मानव विकास संस्थान के सहयोग से 26 से 28 जुलाई 2007 तक "संकेतकों का प्रयोग कर मानव अधिकारों के कार्यान्वयन का संवर्धन एवं अनुवीक्षण" विषय पर नई दिल्ली में तीन दिवसीय एशिया उप–क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में दक्षिण एशिया से राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों, नीति निर्माताओं, राष्ट्रीय आंकड़ा अभिकरणों और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

2.29 आयोग ने राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों और राउल वैलनबर्ग मानव अधिकार और मानवोचित कानून संस्थान के साथ मिलकर 29 अक्टूबर से 1 नवम्बर 2007 तक नई दिल्ली में राष्ट्रीय जाँच विषय पर चार दिवसीय उप–क्षेत्रीय कार्यशाला का भी आयोजन किया।

अन्य बैठकें

2.30 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान मौजूदा मामलों जैसे अशक्त व्यक्तियों के अधिकारों हेतु कार्य करना और उनका पक्ष रखना; राष्ट्रीय जन संख्या नीति 2000; की तुलना में पर्यावरण का अधिकार और राज्य मानव अधिकार आयोग के साथ बेहतर तालमेल पर विचार करने एवं उन पर सर्वसम्मति बनाने हेतु कई महत्वपूर्ण बैठकों का आयोजन किया गया।

अन्तरराष्ट्रीय गतिविधियाँ

वैश्विक आवधिक समीक्षा

2.31 मानव अधिकार परिषद् संकल्प 5/1 जो सभी भागीदारों के साथ राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक विचार–विमर्श प्रक्रिया के माध्यम से वैश्विक आवधिक समीक्षा (यू पी आर) हेतु सूचना तैयार करने हेतु राज्यों को प्रोत्साहित करता है, के आधार पर आयोग ने भारत सरकार के साथ सक्रिय रूप से समन्वय स्थापित किया और भारत के देशीय दस्तावेजों को तैयार करने में मुख्य भूमिका निभाई है। आयोग ने इस संबंध में सभी भागीदारों के साथ 23 जनवरी 2008 को अपने कार्यालय में बैठक का आयोजन किया जिसमें विभिन्न सरकारी मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों, कुछेक राज्य मानव अधिकार आयोगों के अध्यक्षों, शिक्षाविदों, वकीलों और अन्य विशेषज्ञों ने भाग लिया। आयोग ने संक्षिप्त दस्तावेजों को भी तैयार किया और ओ एच सी एच आर को अलग से प्रेषित किया।

2.32 आयोग ने लंदन में आयोजित राष्ट्रमण्डल देशों के राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों के तीन दिवसीय सम्मेलन; जिनेवा में राष्ट्रीय संस्थानों की अंतरराष्ट्रीय समन्वय समिति की बैठक; जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद् की बैठक; सिडनी में एशिया प्रशांत मंच की बारहवीं राष्ट्रीय बैठक और जिनेवा में मानव अधिकार संरक्षण और संवर्धन हेतु राष्ट्रीय संस्थानों की अंतरराष्ट्रीय समन्वय समिति की विस्तारित ब्यूरो बैठक में भाग लिया।

❖ ❖ ❖

भारत में मानव अधिकारों के परिप्रेक्ष्य

अध्याय 3

3.1 भारत में मानव अधिकार सांस्कृतिक लोकाचार और नैतिक मूल्यों में गहन रूप से निहित हैं। "सर्वे भवन्तु सुखिनः (सभी सुखी हों)", "वासुदेव कुटुम्बकम् (सम्पूर्ण विश्व एक परिवार है)," और "जीओ और जीने दो" जैसी सूक्तियाँ ऐसे नैतिक मूल्य हैं जिनकी भारतीय समाज ने हमेशा कदर की है और ये सभी नैतिक मूल्य भारत के सभी धर्मों में भी प्रतिबिंबित होते हैं।

3.2 भारत का स्वतंत्रता संघर्ष वस्तुतः मानव अधिकारों का संघर्ष था जिसका उद्देश्य प्रत्येक भारतीय नागरिक को गरिमा और सम्मानपूर्वक जीवन जीने योग्य बनाना था। इसीलिए मानव अधिकार सिद्धांत भारतीय संविधान का अभिन्न अंग हैं। संविधान की उद्देशिका अपने सभी नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता को सुरक्षित करने और उनमें बंधुत्व को बढ़ावा देने के प्रति कटिबद्ध है जिससे सभी नागरिकों की गरिमा और देश की एकता एवं अखण्डता सुनिश्चित होती है।

3.3 औपनिवेशिक शासन के अधीन कई देशों और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान मानव अधिकारों के उल्लंघन की पृष्ठभूमि में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना एक महत्वपूर्ण कदम था। अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र और मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा पत्र में उल्लिखित मानव अधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता के प्रति प्रतिबद्धताओं की पुनः पुष्टि की। संयुक्त राष्ट्र घोषणा–पत्र जाति, लिंग, भाषा और धर्म के आधार पर भेदभाव किए बिना सभी के लिए मानव अधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं हेतु सम्मान के संवर्धन और प्रोत्साहन में आपसी सहयोग की कामना करता है।

3.4 भारत का संविधान मानव अधिकारों के प्रति देश की दृढ़ प्रतिबद्धता का द्योतक है और यह मानव अधिकारों के संरक्षण और संवर्धन हेतु मूलभूत प्रावधानों का प्रतिपादन करता है। यह धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान या किसी अन्य बात के निरपेक्ष सभी नागरिकों को मूलभूत मानव अधिकारों और मूलभूत स्वतंत्रता की गारंटी देता है। इस निमित्त इन अधिकारों के कार्यान्वयन हेतु संस्थानों की स्थापना की गई है। मानव अधिकारों के लिए मूलभूत विधिक ढांचा संविधान के तीन भागों में निहित है। संविधान का भाग–III मौलिक अधिकारों की चर्चा करता है जो देश के सभी व्यक्तियों/प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रा एवं अधिकार देता है। ये अधिकार न्यायिक रूप से प्रवर्तनीय है और मुख्य रूप से सिविल और राजनीतिक प्रकृति के हैं। भाग – IV राज्य नीति के निर्देशात्मक सिद्धांतों की चर्चा करता है जिसमें इसके नागरिकों के विकास हेतु राज्यों को निर्देश दिए गए हैं। इन अधिकारों की प्रकृति मुख्य रूप से सामाजार्थिक है और इनका संबंध काम का अधिकार, काम की उचित और मानवीय परिस्थितियों, पोषण के स्तर को बढ़ाना और जन स्वास्थ्य में सुधार लाना इत्यादि शामिल हैं। संविधान के भाग – IV 'क' में मौलिक

कर्त्तव्य दिए गए हैं जो दृढ़ता से इस विश्वास की पुष्टि करते हैं कि राज्य और नागरिक दोनों का यह कर्त्तव्य है कि वे इसे पूरा करें और इसे उत्कर्ष तक ले जाने का प्रयास करें।

3.5 संविधान में निहित अधिकार पर आधारित शासन के लिए मूलभूत ढांचे को लोकसभा द्वारा अधिनियमित कानूनों के पूरक के रूप में बनाया गया है जिनमें अन्य बातों के साथ–साथ महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अशक्त व्यक्तियों इत्यादि जैसे उपेक्षित समूहों के लिए विशिष्ट विधान भी शामिल हैं। सांविधानिक प्रावधानों एवं देशी कानूनों के अतिरिक्त अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदाएं जिसका भारत भी एक पक्षकार है, भी मानव अधिकारों के संरक्षण और संवर्धन का आधार है।

3.6 मानव अधिकार विधानों में सबसे महत्वूपर्ण विधान मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 है जिसे मानव अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2006 के द्वारा संशोधित किया गया। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राज्य मानव अधिकार आयोग और मानव अधिकार न्यायालयों के गठन का प्रावधान है। संसद द्वारा इस अधिनियम को अधिनियमित करना इस बात की पुनः दृढ़ पुष्टि करता है कि भारत के नागरिकों के अधिकारों के प्रति सम्मान राष्ट्र के हित, प्रगति और अखण्डता का केन्द्र बिन्दु है। मानव अधिकार संरक्षण की धारा 2 (घ) के अंतर्गत "मानव अधिकारों" से अभिप्राय संविधान द्वारा गारंटी दिए गए या अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदाओं में निहित और भारत के न्यायालयों में प्रवर्तनीय व्यक्ति के जीने की स्वतंत्रता, समानता और गरिमा संबंधित अधिकार से है। अधिनियम की धारा 2 (छ) के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा से अभिप्राय 16 दिसम्बर, 1966 को संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा अंगीकृत सिविल और राजनीतिक अधिकारों संबंधी अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा और आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों संबंधी अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा और संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंगीकृत ऐसी अन्य प्रसंविदा और अभिसमय से है जिसे केन्द्र सरकार की अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया हो।

3.7 भारत में मानव अधिकार ढाँचे को न्यायपालिका द्वारा और भी सुदृढ़ किया गया है विशेष रूप से जहाँ संविधान या कानून में अधिकारों की व्याख्या स्पष्ट रूप से नहीं की गई हैं। उदाहरण के लिए संविधान के भाग–III (मौलिक अधिकार) के अनुच्छेद 21 के अनुसार "जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा – किसी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के सिवाय उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता।" लेकिन अनुच्छेद 21 पर उच्चतम न्यायालय के विधि शास्त्र ने इसकी परिधि का विस्तार कर इसमें गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए अनिवार्य कई अधिकारों नामतः स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छ पर्यावरण, त्वरित सुनवाई, गोपनीयता इत्यादि के अधिकार को शामिल किया है।

चुनौतियाँ

3.8 भारत में मानव अधिकारों से संबंधित चुनौतियों को देश में भाषा, धर्म और सांस्कृतिक भिन्नता की पृष्ठभूमि में देखा जाना चाहिए। इसकी यह भिन्नता ही भारत की सबसे बड़ी ताकत है और साथ ही योजना और विकास की अनिवार्यताओं के कार्यान्वयन के संदर्भ में सबसे बड़ी चुनौती भी है। इसके अतिरिक्त, देश के कुछ हिस्सों में उग्रवाद और आतंकवाद की बढ़ती घटनाओं से लोगों के मूलभूत अधिकारों के संरक्षण का कार्य मुश्किल हो गया है।

3.9 भारतीय समाज में व्याप्त गहन संरचनात्मक असमानता जैसे जाति और लिंग आधारित भेदभाव प्रत्येक व्यक्ति को मानव अधिकार मुहैया कराने में बड़ी बाधा है। महिलाओं और बच्चों तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित व्यक्तियों के मानव अधिकारों के उल्लंघन की कई घटनाएं सामने आती हैं। मानव अधिकारों की प्राप्ति में शिक्षा एवं जागरूकता का अभाव अन्य बड़ी बाधाएं हैं। कुछ मानव अधिकार मामलों के संबंध में औपचारिक कानूनों का अभाव इस समस्या को बढ़ाता हैं।

3.10 साामाजिक असमानताओं के अतिरिक्त, आर्थिक असमानताएं, भी राजनीतिक शक्ति, न्याय, मूलभूत सामान और सेवाएं, जो मानव अधिकारों को पूर्णतः प्राप्त करने के लिए अनिवार्य हैं, तक पहुंच में अंतर पैदा करती हैं जिनसे भी कुछ वर्ग शक्तिहीन हो जाते हैं। विकास की प्रक्रिया में सभी अधिकार धारकों को उनके सभी मानव अधिकार दिलाने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। यह विशेष रूप से गरीब और उपेक्षित लोगों के लिए और भी अनिवार्य है। मानव अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण के लिए विकास का अधिकार एक महत्वपूर्ण अपेक्षा है। इस अधिकार का उद्देश्य असमानताओं को कम करना, स्वतंत्रता और गरिमा को बढ़ावा देना तथा रहन–सहन की स्थितियों में सर्वांगीण सुधार करना है। लेकिन इन उद्देश्यों में से किसी को भी गरीबी की स्थिति में प्राप्त कर पाना संभव नहीं है। इसके अतिरिक्त, वर्ग असमानताएं समाज के कुछ उच्च शिक्षित वर्ग के पक्ष में सत्ता की डोर को सौंपती हैं जिससे कमजोर वर्गों का शोषण होता है और जिसके परिणामस्वरूप वे और भी ज्यादा उपेक्षित हो जाते हैं।

3.11 नागरिकों के मानव अधिकारों के संरक्षण के संबंध में पुलिस और अफसरशाही बहुत अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विधानों के प्रभावी कार्यान्वयन, प्रशासन और पुलिस बल द्वारा त्वरित एवं संवेदनशील कार्रवाई लोगों के मौलिक अधिकारों की प्राप्ति में असीम योगदान दे सकते हैं। पुलिस बलों को यह अवश्य ही स्वीकार करना चाहिए कि बेहतर और सक्षम पुलिस कार्य और कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु मानव अधिकारों का संरक्षण अनिवार्य है।

3.12 मीडिया भी मानव अधिकारों संबंधी मामलों पर संवेदनशीलता से और जिम्मेदार ढंग से कार्य करके महत्वपूर्ण और सकारात्मक भूमिका निभा सकता है। संवेदनशील और जिम्मेदार मीडिया एक ओर जहां मानव अधिकारों का संरक्षण कर सकती है वहीं दूसरी ओर मानव अधिकार जागरूकता का प्रसार भी करती है। यह स्मरण रखना भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि मानव अधिकार केवल मानव अधिकार अभिकरणों और राज्य के लिए गंभीर विषय नहीं है, बल्कि यह सम्पूर्ण समाज के लिए चिंता का विषय है। इसलिए यह लोगों को स्वयं भी संवेदनशील, जागरूक और सजग होने की मांग करता है। इस क्षेत्र में गैर–सरकारी संगठन मुख्य भूमिका निभाते हैं।

3.13 इसके अतिरिक्त, मौजूद परिस्थिति की यह भी मांग है कि राजनीतिक प्रतिबद्धताओं को व्यवहार में लाया जाए। मानव अधिकारों के प्रति सम्मान के अभाव में सामाजिक न्याय से परिपूर्ण विकास को हांसिल नहीं किया जा सकता। इसके लिए ऐसे विधिक, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक माहौल–जो सर्वांगीण विकास के अधिकार को बहाल करने में स्थानीय स्तर पर अनुकूल एवं संवेदनशील हो, – की आवश्यकता है। आयोग प्रत्येक व्यक्ति को सभी मानव अधिकारों की प्राप्ति हेतु इस प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने में सहायक की भूमिका निभाता है।

❖ ❖ ❖

अध्याय 4

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग: संगठन और कार्य

4.1 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एन एच आर सी) की स्थापना 12 अक्टूबर, 1993 को हुई। इसके कानून मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 में निहित हैं और इसे मानव अधिकार संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2006 के द्वारा संशोधित किया गया। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन अक्टूबर, 1991 में मानव अधिकारों के संरक्षण और संवर्धन हेतु पेरिस में आयोजित की गई राष्ट्रीय संस्थानों की पहली अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला में अंगीकृत किए गए तथा बाद में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 20 दिसम्बर, 1993 के 48/134 संकल्प में पृष्ठांकित किऐ गये पेरिस सिद्धान्तों के अनुरूप है। आयोग मानव अधिकारों के संरक्षण और संवर्धन के प्रति भारत की चिंता का मूर्त रूप है।

गठन

4.2 आयोग में एक अध्यक्ष और चार पूर्ण कालिक सदस्य और चार मानद सदस्य होते हैं। कानून में आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए उच्च योग्यता निर्धारित की गई है।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन

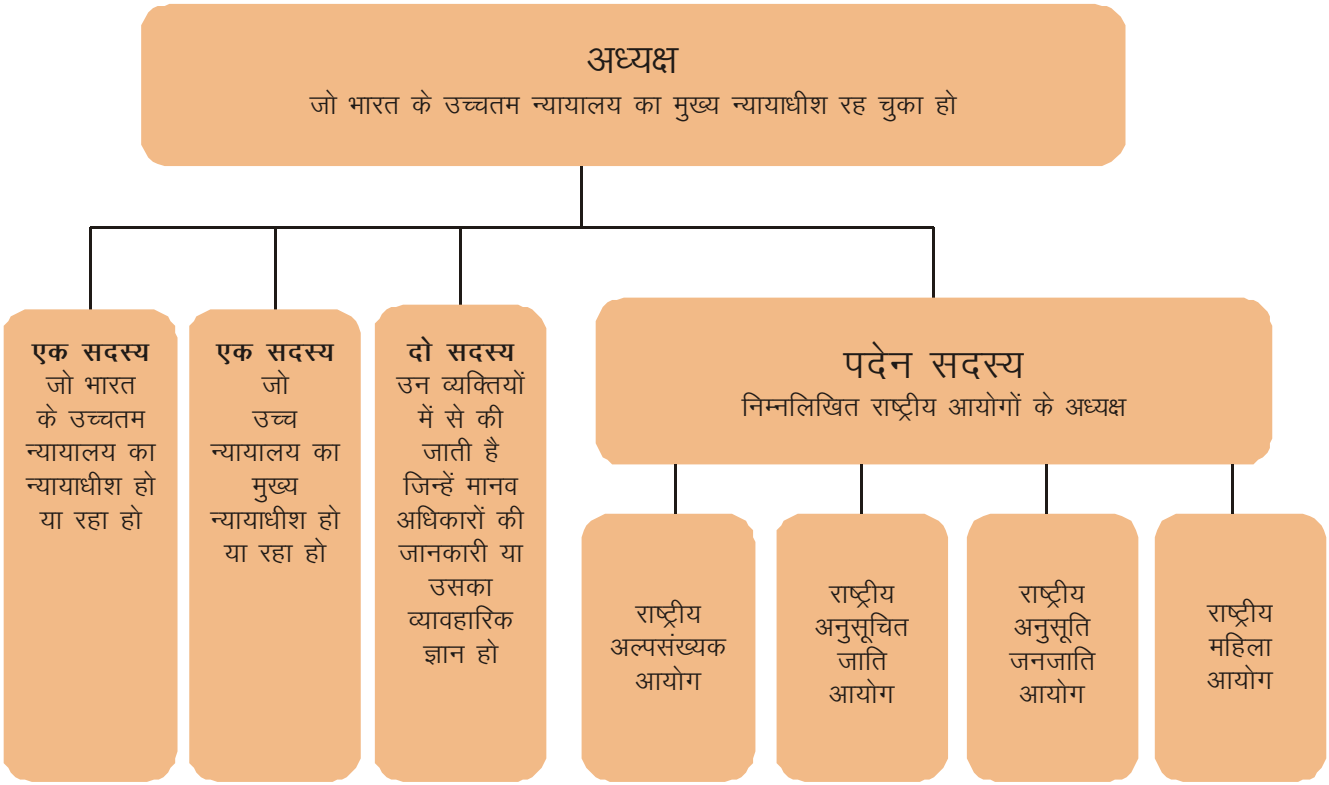

नियुक्तियाँ

4.3 आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा एक उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों पर की जाती है जिसमें प्रधानमंत्री (अध्यक्ष के रूप में), लोकसभा के अध्यक्ष, भारत सरकार में गृह मंत्रालय के प्रभारी मंत्री, लोक सभा और राज्य सभा में विपक्ष के नेता और राज्य सभा के उपसभापति होते हैं।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति हेतु चयन समिति

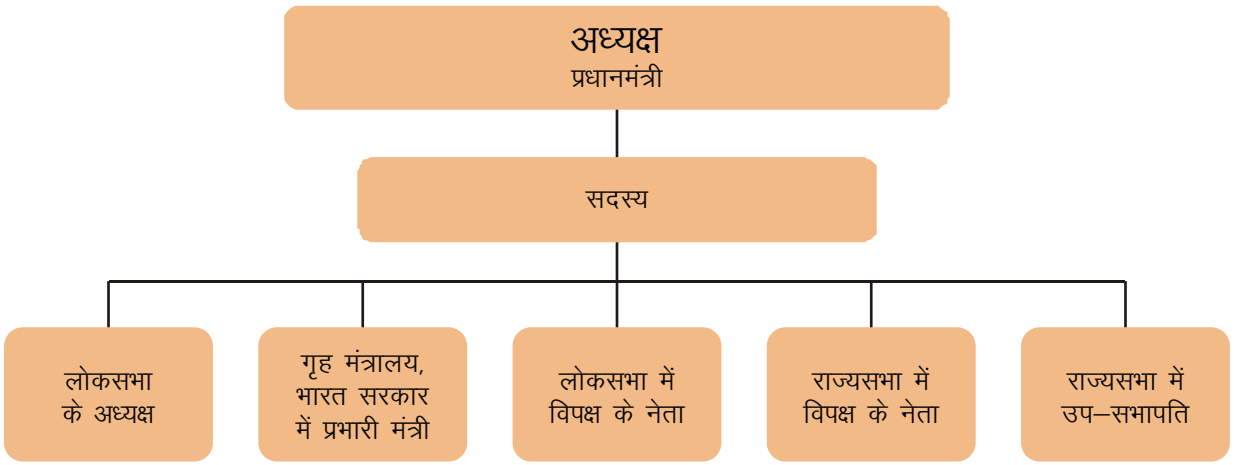

4.4 आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की योग्यता संबंधी निर्धारित किए गए वैधानिक अपेक्षाओं के साथ–साथ एक उच्चस्तरीय एवं राजनीतिक रूप से संतुलित समिति द्वारा उनके चयन से आयोग को स्वतंत्र रूप से कार्य करने का अवसर प्राप्त होता है तथा इसकी कार्य–प्रणाली को एक उच्चस्तरीय विश्वसनीयता प्राप्त होती है।

4.5 आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी महासचिव होता है, जो भारत सरकार के सचिव स्तर का एक अधिकारी होता है। आयोग का सचिवालय महासचिव के व्यापक मार्गदर्शन के अधीन कार्य करता है।

4.6 आयोग में 6 प्रभाग हैं। वे हैं (i) विधि प्रभाग, (ii) अन्वेषण प्रभाग, (iii) नीतिगत अनुसंधान, परियोजना और कार्यक्रम प्रभाग, (iv) प्रशिक्षण प्रभाग, (v) सूचना एवं जन संपर्क प्रभाग और (vi) प्रशासन प्रभाग।

4.7 **विधि प्रभाग** मानव अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों या स्वतः संज्ञान से पंजीकृत शिकायतों की प्राप्ति या प्राप्त सूचना के आधार पर मानव अधिकार हनन के मामलों का निपटान कर आयोग को अपनी सेवाएं प्रदान करता है। **अन्वेषण प्रभाग** आयोग के आदेश पर किन्हीं विशिष्ट मामलों में स्वतंत्र जांच करता है। यह प्रभाग हिरासत में हुई मौत और पुलिस मुठभेड़ के मामलों तथा पुलिस और सशस्त्र बलों से संबंधित किसी अन्य मामले की जाँच करने में विशेषज्ञ सलाह में भी सहायता करता है। नीतिगत अनुसंधान, परियोजना और कार्यक्रम प्रभाग मानव अधिकारों पर अनुसंधान कार्य करता है और उसे बढ़ावा देता है तथा मानव अधिकार संबंधी महत्वपूर्ण मुद्दों पर संगोष्ठियों,

कार्यशालाओं एवं सम्मेलनों का आयोजना करता है। यह केन्द्र और राज्य/संघ–राज्य क्षेत्रों के प्राधिकारियों द्वारा आयोग की संस्तुतियों पर किए गए कार्यान्वयन के अनुवीक्षण में भी सहायता करता है। **प्रशिक्षण प्रभाग** राज्य और इसके अभिकरणों के विभिन्न अधिकारियों, गैर–सरकारी संगठनों, विद्यार्थियों और सिविल समाज इत्यादि को मानव अधिकारों के संबंध में प्रशिक्षण देने और उसके प्रति उन्हें संवेदनशील बनाने हेतु कार्य करता है। **सूचना और जनसंपर्क विभाग** प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया के जरिए आयोग की गतिविधियों के संबंध में सूचना का प्रसार करता है । यह मासिक मानव अधिकार समाचार–पत्र और आयोग के अन्य प्रकाशनों को भी प्रकाशित करता है। **स्थापना प्रभाग**, प्रशासन, कार्मिक, (जिसमें संवर्ग मामले भी शामिल हैं), लेखा, पुस्तकालय और आयोग के अधिकारियों और कर्मचारियों की अन्य जरूरतों को देखता है।

4.8 विशेष सम्पर्ककर्त्ताओं की नियुक्ति और कोर एवं विशेषज्ञ समूहों के गठन से आयोग के विस्तार क्षेत्र में काफी बढ़ोत्तरी हुई है। विशेष सम्पर्ककर्त्ता बहुत अधिक वरिष्ठ अधिकारी होते हैं जो अपनी सेवानिवृत्ति से पहले भारत सरकार के सचिव या पुलिस महानिदेशक के रूप में कार्य कर चुके होते हैं या जिन्होंने मानव अधिकार संबंधी क्षेत्र में अनुकरणीय कार्य किए हों। इन्हें या तो विशिष्ट विषयों जैसे बंधुआ मजदूरी, बालश्रम, हिरासतीय न्याय, अशक्तता इत्यादि से निपटने का कार्य दिया जाता है या राज्य समूहों से बने विशिष्ट अंचल में मानव अधिकार विषयों और उसके उल्लंघनों के मामलों को देखने का कार्य दिया जाता है।

4.9 कोर/विशेषज्ञ समूह में विख्यात व्यक्ति या मानव अधिकार मामलों पर कार्य कर रहे निकायों के प्रतिनिधि होते हैं। ये समूह आयोग को विभिन्न मामलों पर विशेषज्ञ सलाह प्रदान करते हैं।

- गैर–सरकारी संगठनों का कोर समूह
- भोजन के अधिकार पर कोर समूह
- मानसिक स्वास्थ्य पर कोर समूह
- स्वास्थ्य संबंधी कोर सलाहकार समूह
- अशक्तता संबंधी मामलों पर कोर समूह

कार्य

4.10 आयोग का शासनादेश काफी व्यापक है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 12 में निहित इसके कार्य इस प्रकार हैं :–

- (i) मानव अधिकारों के उल्लंघन या दुष्प्रेरण की शिकायत या (ii) इस प्रकार के उल्लंघन को रोकने में सरकारी कर्मचारी द्वारा की गई उपेक्षा का स्वतः संज्ञान लेना या पीड़ित व्यक्ति या उसकी तरफ से किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत याचिका या किसी न्यायालय के निदेश या आदेश पर जाँच करना।

- किसी न्यायालय के समक्ष लम्बित, मानव अधिकार के उल्लंघन से संबंधित किसी भी आरोप के संबंध में किसी प्रक्रिया में उस न्यायालय की अनुमति से हस्तक्षेप करना।

- मौजूदा समय में लागू किसी अन्य कानून में निहित किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन किसी जेल या अन्य संस्थान, जहां पर व्यक्तियों को उपचार, सुधार या संरक्षण के लिए बंदी बनाकर रखा जाता है, में कैद व्यक्तियों की जीवन–यापन की स्थिति का अध्ययन करने एवं सरकार के सिफारिश करने हेतु, जेल या संस्थान का दौरा करना।

- मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए, संविधान द्वारा अथवा मौजूदा समय में लागू किसी कानून के तहत उपबन्धित सुरक्षोपायों की समीक्षा करना और उनके प्रभावी कार्यान्वयन हेतु सिफारिश करना।

- आतंकी कारनामों सहित अन्य कारकों, जिनसे मानव अधिकारों के उपभोग में बाधा पहुँचती है, की पुनरीक्षा करना और उचित सुधारात्मक उपाय सुझाना।

- मानव अधिकार संबंधी समझौतों और अन्य अंतरराष्ट्रीय दस्तावेजों का अध्ययन करना और उनके कारगर कार्यान्वयन के लिए सिफारिशें करना।

- मानव अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य करना और उसे बढ़ावा देना।

- प्रकाशनों, मीडिया, विचार गोष्ठियों और अन्य उपलब्ध साधनों के माध्यम से समाज के विभिन्न वर्गों में मानव अधिकारों संबंधी शिक्षा का प्रसार करना और इन अधिकारों के संरक्षण के लिए उपलब्ध सुरक्षोपायों के बारे में जानकारी को बढ़ावा देना।

- मानवाधिकार के क्षेत्र में कार्यरत गैर–सरकारी संगठनों और संस्थाओं के प्रयासों को बढ़ावा देना

- मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए, आवश्यक समझे जाने वाले ऐसे ही अन्य कार्य करना,

शक्तियाँ

4.11 मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के अंतर्गत शिकायतों की जाँच करते हुए आयोग को सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत किसी वाद की जाँच कर रहे दीवानी न्यायालय की सभी शक्तियाँ प्राप्त हैं।

विशिष्ट लक्षण

4.12 आयोग को वर्ष 1993 में राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंगीकृत किए गए पेरिस सिद्धांतों के पूर्णतः अनुकूल बनाया गया है। इसका शासनादेश एवं कार्य क्षेत्र काफी व्यापक है। आयोग अपने कार्य संचालन और दायित्वों का निर्वाह बड़े ही पारदर्शी ढंग से करता है।

4.13 आयोग का यह अनुभव रहा है कि मानव अधिकारों के बेहतर संरक्षण हेतु अपेक्षित सुधारों और सुशासन को सुनिश्चित करने हेतु अपेक्षित सुधारों में कभी विरोध नहीं रहा है। इसे अन्यथा कहने का अर्थ मानव अधिकारों और सुशासन में मिथ्या भेद करना तथा उन दोनों के बीच अंतर्भूत संबंधों को गलत अर्थ देना होगा। हमारे संविधान के स्वरूप के अनुसार सुशासन का मुख्य उद्देश्य भाग–III में निहित मौलिक अधिकारों की रक्षा, भाग–IV में निहित राज्य के नीति–निर्देश सिंद्धातों का पालन, संसद द्वारा अधिनियमित कानूनों को कार्यान्वित करना और राष्ट्र द्वारा की गई संधियों के दायित्वों को पूर्ण सद्भाव से पूरा करना है।

❖ ❖ ❖

अध्याय 5

नागरिक स्वतंत्रताएँ

क. आतंकवाद और उग्रवाद

5.1 हाल के वर्षों में सिविल स्वतंत्रताओं और मानव अधिकारों का मामला, विशेष रूप से भारत जैसे देशों, जहाँ आतंकवाद और उग्रवाद की घटनाएँ बढ़ती जा रही है, में जटिल होता जा रहा है। अपनी गत वार्षिक रिपोर्टों में आयोग ने इस बात का निरन्तर उल्लेख किया है कि आतंकवाद और उग्रवाद का उद्देश्य समाज और देश में अस्थिरता लाना है। इसलिए यह अनिवार्य है कि इन्हें इनके सभी प्रकारों और रूपों से लड़ कर हराया जाना चाहिए। मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए यह अति महत्वपूर्ण है। तथापि इसको इस प्रकार किया जाना चाहिए जिससे कि इस लोकतंत्र के संविधान और कानून के नियमों की रक्षा हो सके।

5.2 आतंकवाद विरोधी और उग्रवाद विरोधी उपायों को केवल इन कुकृत्यों को अंजाम देने वालों या इनके उत्प्रेरकों के प्रति लक्षित होने चाहिए न कि निर्दोष नागरिकों के। आयोग वर्षों से आतंकवाद और उग्रवाद से लड़ने हेतु राष्ट्रीय अभिकरणों द्वारा किए गए उपायों द्वारा निर्दोष नागरिकों के मानव अधिकारों के उल्लंघन की स्पष्ट रूप से आलोचना करता रहा है। मानव अधिकारों का उल्लंघन प्रायः गैर–कानूनी गिरफ्तारी, हिरासतीय हिंसा, यातना और पुलिस और अन्य कानून–प्रवर्तन अभिकरणों द्वारा अपनी शक्तियों के दुरूपयोग के रूप में होता है। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि लम्बी अवधि तक मानव अधिकारों का निरन्तर उल्लंघन प्रायः अशांति और विरोध का रूप ले लेता है। ऐसी परिस्थितियों को यदि अनदेखा कर दिया जाए, तो आतंकवाद और उग्रवाद को पनपने के लिए अनुकुल आधार बन जाती हैं। सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक असमानता काफी हद तक राष्ट्र के भीतर और उसके बाहर, अशांति और विरोध में अपनी भूमिका निभाते हैं। चूंकि आतंकवाद और उग्रवाद के समाजिक तथा आर्थिक आयाम हैं, इसलिए आयोग का यह मानना है कि देश में आतंकवाद और उग्रवाद को रोकने और उसके उन्मूलन हेतु कानूनों को प्रभावी तरीके से लागू करना और सुशासन दोनों ही महत्वपूर्ण है।

5.3 तद्नुसार, आयोग निरन्तर उन उपायों का समर्थन करता रहा है जिससे निर्दोषों के मानव अधिकारों का उल्लंघन किए बिना राज्य प्रशासन को आतंकवाद और उग्रवाद से प्रभावशाली ढंग से लड़ने में मदद मिलेगी। आयोग ने राज्यों को आतंकवाद और उग्रवाद से लड़ने में कानूनी नियमों का पालन करते हुए तथा मौजूदा कानूनों की परिधि में कार्य करते हुए निम्न "वांछित प्रक्रियाओं" संबंधी दिशा–निर्देश जारी किए हैं। आयोग, जो हिरासत में हुई मौतों और मानव अधिकारों के उल्लंघन के अन्य आरोपों पर केन्द्र और राज्यों से नियमित रूप से रिपोर्ट माँगता है, ने हमेशा आतंकवाद और उग्रवाद से लड़ने के नाम पर राज्य के विभिन्न अभिकरणों द्वारा की गई कार्रवाइयों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने पर बल दिया है। आयोग ने मानव अधिकार जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से इस खतरे से लड़ने में जुटे सभी को संवेदनशील करने हेतु विशेष प्रयास किए हैं।

ख. हिरासतीय हिंसा और यातना

5.4 आयोग का सदैव यह मत रहा है कि जब कभी कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार किसी व्यक्ति को उसकी स्वतंत्रता से वंचित किया जाता है और संबद्ध प्राधिकारी द्वारा उसे हिरासत में लिया जाता है तो उस व्यक्ति की सुरक्षा उस प्राधिकारी का दायित्व बन जाता है। इस सुरक्षा में उसके सभी मूलभूत अधिकार जैसे जीवन का अधिकार, भोजन का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार इत्यादि शामिल हैं। हिरासतीय हिंसा जिसमें यातना भी शामिल है, कानून के नियमों का उल्लंघन करती है। केवल यह तथ्य कि कोई व्यक्ति खतरनाक अपराधी है या समाज के लिए खतरा है, पुलिस या अन्य प्राधिकारियों को कानून द्वारा उपबंधित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके मूलभूत मानव अधिकारों से वंचित करने की अनुमति नहीं देता। यह पुलिस को अनुमति नहीं देता कि वह सूचना प्राप्त करने के लिए उसको यातना दे।

हिरासत में हुई मौतें

5.5 हिरासतीय हिंसा को रोकने के लिए लक्षित महत्वपूर्ण कदमों में आयोग ने 1993 में सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को यह निर्देश जारी किए कि पुलिस और न्यायिक हिरासत में होने वाली सभी मौतों–प्राकृतिक और अप्राकृतिक की घटनाओं को 24 घंटों के भीतर आयोग को प्रेषित किया जाना चाहिए। इन निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जा रहा है और इस प्रकार के किसी निर्देश का उल्लंघन करने के लिए प्राधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया जाता है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने यह भी निर्देश जारी किए हैं कि पुलिस हिरासत में हुई मौत के मामलों में शव–परीक्षण की वीडियो फिल्म बनाई जाए और उस वीडियो टेप को आयोग को भेजा जाए। इन उपायों से आयोग को पुलिस और अन्य लोक सेवकों द्वारा हिरासत में दी गई यातना और हिंसा पर रोक लगाने में मदद मिलती है। आयोग ने हिरासत में हुई मौतों/हिंसा के प्रति सावधान करते हुए यह संकेत किया है कि कानून–प्रवर्तन अभिकरणों के इसी विरोधी (द्वेषपूर्ण) रवैये के कारण अराजकता को बढ़ावा मिलता है तथा प्रवर्तक अधिकारियों के प्रति नफरत पैदा होती है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का यह मानना है कि हिरासतीय अपराधों में कमी सुनिश्चित करने का एक उपाय यह है कि सभी प्रकार की हिरासतीय हिंसा, जिसमें यातना और आघात इत्यादि शामिल हैं, को अंजाम देने वालों के विरूद्ध अभियोग चलाने के साथ–साथ उनके विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। ऐसे कई मामलों में आयोग ने अपराधी अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने और पीड़ित या उसके नजदीकी रिश्तेदार को आर्थिक सहायता प्रदान करने की संस्तुतियाँ भी की हैं। तथापि प्राधिकारियों द्वारा विभागीय कार्रवाई में दी गई सजा किए गए अपराध के बराबर नहीं होती।

5.6 वर्ष 2007–2008 की अवधि के दौरान, आयोग को न्यायिक हिरासत में हुई मौतों के 1,789 मामलों, पुलिस हिरासत में हुई मौतों के लगभग 188 मामलों, अर्ध–सैनिक/रक्षा बलों की हिरासत में हुई मौतों के चार मामलों की सूचना प्राप्त हुई। आयोग ने हिरासत में हुई मौतों के 744 मामलों को निपटाया। इनमें न्यायिक हिरासत में हुई मौतों के 662 मामले, पुलिस हिरासत में हुई मौतों के 78 मामले और अर्ध–सैनिक/रक्षा बलों की हिरासत में हुई मौतों के 4 मामले शामिल हैं। इन आँकड़ों में पिछले वर्षों के मामले भी शामिल हैं।

5.7 1993–1994 के दौरान आयोग द्वारा पंजीकृत पुलिस और न्यायिक हिरासत में हुई मौतों के 34 मामले थे। 1994–1995 से 2007–2008 तक आयोग ने पुलिस हिरासत में हुई मौतों से संबंधित 2202 मामले और न्यायिक हिरासत में हुई मौतों के 14609 मामले पंजीकृत किए। 1993–1994 से 2007–2008 तक आयोग में पुलिस और न्यायिक हिरासत (जेल) में हुई मौतों से संबंधित मामलों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार और वर्षवार विवरण **अनुबंध 1**

पर है। 1994–1995 से 2007–2008 के दौरान पुलिस हिरासत में सबसे ज्यादा मौतें महाराष्ट्र राज्य (292) में हुई, उससे कम उत्तर प्रदेश (225), गुजरात (178), आंध्र प्रदेश (176) और पश्चिम बंगाल (158) में हुई जिनको मौटे अक्षरों में नीचे दर्शाया गया है।

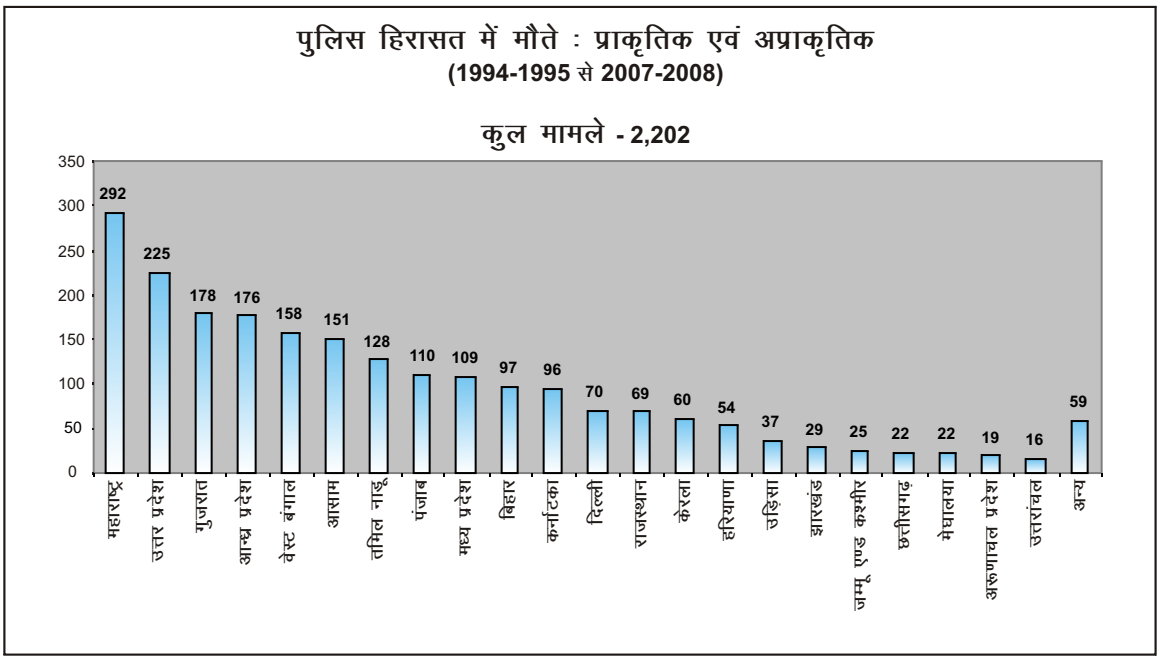

5.8 1994–1995 से 2007–2008 के दौरान न्यायिक हिरासत में सबसे अधिक मौतें उत्तर प्रदेश (2,401) में हुई, उससे कम बिहार (1974), महाराष्ट्र (1,596), आंध्र प्रदेश (1,220) और तमिलनाडु (797) में हुई।

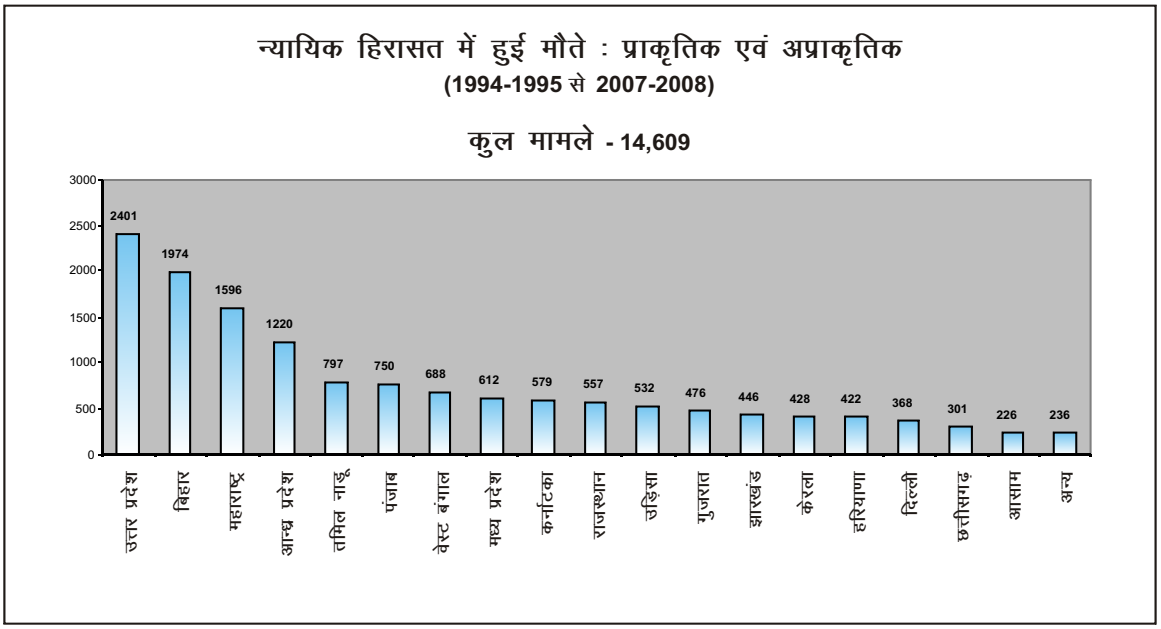

(ग) जेलों की स्थिति

5.9 मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, के अनुसार आयोग के विभिन्न कार्यों में से एक कार्य राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन आने वाली जेलों, जहां व्यक्तियों को उपचार, सुधार या संरक्षण हेतु निरूद्ध या कैद रखा जाता है, का दौरा करना है ताकि वहां की जीवन की परिस्थितियों का आकलन किया जा सके और उस संबंध में सरकार को संस्तुतियाँ दी जा सकें।

5.10 आयोग ने बारम्बार इस बात पर बल दिया है कि कैदियों के मानव अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता और निरूद्ध रखे जाने या कैदी होने का अर्थ यह नहीं कि उनसे उनके अधिकार अर्थात् मानव अधिकार छीन लिए जाएं। किसी निश्चित अपराध में उनके संलिप्त होने के कारण (तथाकथित या सिद्ध, जैसा भी मामला हो) उन्हें उनकी स्वतंत्रता से कानून की उचित प्रक्रिया द्वारा केवल कुछ समय के लिए वंचित रखा गया है। उन्हें इसलिए जेल में रखा जाता है ताकि जेल से बाहर रहकर वे फिर से कोई अपराध न करें और जेल में रहकर वे सुधर जाएं, न कि उन्हें केवल सजा देने मात्र जेल में रखा जाता है।

5.11 आयोग ने सदैव यातना या किसी भी प्रकार के क्रूर, अमानवीय और अपमानजनक व्यवहार पर पूर्ण निषेध पर बल दिया है। यह इस बात पर भी बल देता है कि हालांकि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा कैदी के परिवार से सम्पर्क पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, लेकिन इसे पूर्ण रूप से छीना नहीं जा सकता साथ ही इसने इस बात पर भी बल दिया है कि महिला कैदियों के प्रति इस संबंध में विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए।

5.12 कई वर्षों से आयोग ने जेलों की स्थिति सुधारने के लिए कई दिशा–निर्देश जारी किए हैं, मौके पर जाकर जाँच उपरान्त अपनी टिप्पणियाँ की हैं और कई अन्य कदम उठाएं हैं ताकि कैदी गरिमामय जीवन व्यतीत कर सके और अपने मामले में निर्णय होने तक या सजा पूरी करने तक अपने अधिकारों का उपभोग कर सकें।

5.13 मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत स्पष्ट किए गए कार्यों के अनुपालन में 2007–2008 के दौरान, आयोग के एक सदस्य, एक विशेष सम्पर्ककर्त्ता और अधिकारियों ने देश के विभिन्न भागों में जेलों का दौरा किया।

(क) जेलों का दौरा

5.14 आयोग के अन्वेषण प्रभाग की टीम ने 14 जून को राजधानी की उच्च सुरक्षा वाली तिहाड़ जेल में एक के बाद एक होने वाली मौत की जांच करने के लिए दौरा किया। आयोग ने छह कैदियों और एक जेल वारडन की मौत के संबंध में जेल प्रशासन को पहले नोटिस भी जारी किया था।

बुरेल मॉडल जेल, चंडीगढ़ में सदस्य का दौरा

5.15 जेल के संचालन का परीक्षण करने और कैदियों के मानव अधिकारों की स्थिति का अध्ययन करने हेतु आयोग के सदस्य ने 27 मार्च, 2008 को बुरेल मॉडल जेल का दौरा किया। अपने दौरे के आधार पर उन्होंने निम्नलिखित टिप्पणियाँ की :–

- जेल विभाग में एक स्वतंत्र महानिरीक्षक (जेल) अवश्य होना चाहिए।
- यह सुनिश्चित किया जाए कि विधिक सलाहकार जेल कर्मचारियों के जिम्मेदार सदस्य या गैर–सरकारी संगठन के प्रतिनिधि के सामने ही कैदी से बात करे।
- जेल अधीक्षक को कैदियों को परामर्श सुविधाएँ उपलब्ध की संभावना का भी परीक्षण करना चाहिए।
- महानिरीक्षक (जेल) विभिन्न मामलों में विचारण के दौरान होने वाले स्थगनों के परीक्षण का अध्ययन करना चाहिए। तत्पश्चात् विधिक सेवा प्राधिकार को चयनित दीर्घकालीन लंबित मामलों पर कार्रवाई करने और उनके त्वरित निपटान हेतु कदम उठाने का अनुरोध किया जा सकता है।
- विचारणों के त्वरित निपटान हेतु वीडियो कान्फ्रेंसिग का प्रबंध।

5.16 वर्ष 2007–2008 के दौरान, आयोग ने उड़ीसा राज्य में जेल सुधारों, दोष सुधार (उपचारात्मक) प्रशासन और जेलों के आधुनिकीकण की भी समीक्षा की।

5.17 आयोग के विशेष सम्पर्ककर्त्ता ने 28 से 31 जनवरी 2008 के दौरान विशेष जेल, भुवनेश्वर, सर्कल जेल, चौदवार; उप–जेल नयागढ़ और बीजू पटनायक ओपन एयर आश्रम, जमुहरी, खुरदा का दौरा किया। इस दौरे से पूर्व सभी संबद्ध व्यक्तियों को विभिन्न मानव अधिकारों से जुड़े आयामों से संबंधित विस्तृत प्रश्नावली को परिचालित किया गया था। इस व्यापक समीक्षा में प्राकृतिक और सामाजिक अवसंरचना, भीड़भाड़, भोजन का अधिकार, जल, स्वास्थ्य व्यक्तिगत स्वच्छता, सफाई, प्रकाश–व्यवस्था, वायु संचालन, अनुकूल वस्त्र, लीलन, आहार, चिकित्सा सुविधाएं जिसमें विशेषीकृत उपचार शामिल है; व्यवसायिक कौशल; प्रशिक्षण कार्यक्रम; मुक्त कराए गए मजदूरों की मुक्ति उपरांत देखभाल और पुनर्वास; सिद्धदोष; माताओं के साथ रह रहे बच्चों (0–6 वर्ष समूह) की विशेष समस्याओं; हिरासतीय कर्मचारियों की सेवा शर्तों और परिस्थितियों और उनके मानव संसाधन विकास के उपाय; विचारण; जमानत; समय पूर्व; जेल से रिहाई; पैरोल; बिन बताए छुट्टी; रिश्तेदारों से मुलाकात संबंधी मामले; जेल में कैदियों के लिए साक्षरता कार्यक्रम; कैदियों के मनोरंजन (जिसमें गेम्स, खेलकूद, भजन, योग, ध्यान); रिकार्ड अभिलेखन और जेल सुधार में गैर सरकारी संगठनों का योगदान शामिल है।

5.18 मुख्य सचिव के साथ हुई बैठकों के साथ समाप्त किया गया जिसके दौरान विशेष सम्पर्ककर्त्ता ने उन मामलों की चर्चा की जिन पर तत्काल ध्यान दिए जाने की जरूरत थी। इनमें से कुछ मामले बहुत सारे विचारण कैदियों की सुनवाई से संबंधित लम्बे अरसे से पड़े लम्बित मामलों का तत्काल निपटान; जर्जर पड़े खतरनाक भवनों को ठीक करना और उनका रख–रखाव; जेलों में अस्वच्छता और गंदगी पर कार्रवाई; जमानतों के लिए श्योरिटी के प्रबंध में आने वाली व्यवहारिक परेशानियों को दूर करना; और राज्य द्वारा नियुक्त बचाव वकीलों द्वारा कम मानदेय के कारण रूचि न दिखाने की समस्या का समाधान करना शामिल है।

5.19 आयोग ने उड़ीसा सरकार को अपनी कई टिप्पणियॉं और संस्तुतियां की। इसमें शामिल हैं (क) पुलिस, अनुसंधान और विकास ब्यूरों, गृह मंत्रालय द्वारा वर्ष 2003 में खण्ड में भारत में जेलों में निगरानी और प्रबंधन हेतु

माडॅल जेल पुस्तिका के प्रावधानों को तैयार किए आज लगभग 5 वर्ष हो गए हैं। तथापि उड़ीसा की 70 जेलों में इन्हें अभी भी अंगीकृत और कार्यान्वित किया जाना है। इस प्रयोजन हेतु गठित समिति ने अभी तक कोई बैठक नहीं की है इस समिति के कार्यो को शीघ्रता से किए जाने की जरूरत है और इसे अधिदेशित कार्यो को प्रारम्भ करने एवं पूरा करने हेतु निश्चित समय अनुसूची बनाए जाने की आवश्यकता है। (ख) उड़ीसा सरकार के मुख्य सचिव की अध्यक्षता और गृह, वित्त, विधि, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, राजस्व, महिला एवं बाल विकास के सचिवों, उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार को सदस्य बनाकर राज्य स्तर की हिरासतीय। दोष सुधार सलाह का गठन किया जा सकता है। जैसा कि माडॅल जेल नियमावली द्वारा संस्तुति की गई है साथ ही साथ मुख्यमंत्री की सहपक्षी जेल प्रभाी मंत्री को उप–अध्यक्ष और गृह, वित्त, राजस्व और विधि सचिवों को सदस्य बनाकर उच्चाधिकार जेल विकास बोर्ड का गठन किया जाना चाहिए ।

कैदियों की संख्या का आकलन

5.20 आयोग वर्ष में दो बार जेल आकड़ों को एकत्र एंव विश्लेषण करता है। आलोच्य अवधि के दौरान, आयोग ने 30 जून 2006 तक के जेल आँकड़ों का विश्लेषण किया। देश की कुल जेल जनसंख्या 365,431 थी जो पूर्व अवधि में 30 जून, 2005 को 3,50,346 से 4 प्रतिशत ज्यादा है। सभी जेलों और उपजेलों की अधिकृत क्षमता 2,57,348 को देखते हुए 30 जून, 2005 को पूरे देश में 42.9 प्रतिशत की तुलना (जब अधिकृत क्षमता कम थी) में 42 प्रतिशत अधिक भीड़भाड है। दस राज्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, सिक्किम, गुजरात, अंडमान ओर निकोबार द्वीप समूह, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में भीड़भाड़ की रेंज 53 प्रतिशत से 128 प्रतिशत है जो प्राधिकृत क्षमता से अधिक है।

5.21 उनमें से झारखंड राज्य ने अपनी जेलों की 5814 की क्षमता (30 जून 2005) को 9,508 करके इस भीड़भाड़ को उल्लेखनीय रूप से कम किया है। अधिकतम भीड़भाड़ वाली 10 जेलों की सूची में से इसने इस भीड़भाड़ को व्यापक रूप से 221.2 प्रतिशत से कम करके 93 प्रतिशत तक कर दिया है। दिल्ली जून, 2006 तक अधिकतम भीड़भाड़ वाली 10 जेलों की सूची में थी और इसने अपनी जेलों की भीड़भाड़ को 217.4 प्रतिशत से 128 प्रतिशत किया है। सिक्किम (105.8 प्रतिशत) गुजरात (103.1 प्रतिशत), अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (96.8 प्रतिशत), बिहार (92.5 प्रतिशत), छत्तीसगढ़ (86.8 प्रतिशत), उत्तर प्रदेश (75.8 प्रतिशत), मध्य प्रदेश (68.2 प्रतिशत) और उड़ीसा (53.3 प्रतिशत) ऐसे राज्य है जो अखिल भारतीय स्तर पर 42 प्रतिशत से अधिक भीड़भाड वाले राज्य हैं।

5.22 सात राज्य और चार संघ राज्य क्षेत्रों – मणिपुर, जम्मू तथा कश्मीर, नागालैंड़, मिजोरम, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, चंड़ीगढ़, दमन एवं दीव, दादरा एवं नागर हवेली और पांडिचेरी में अपनी जेलों में प्रधिकृत क्षमता से कम कैदी हैं।

5.23 30 जून 2006 को देश में कुल जेल जनसंख्या के 69.2 प्रतिशत कैदी विचारणाधीन कैदी हैं जिनकी संख्या में पिछले वर्ष की 70.6 प्रतिशत की तुलना में कुछ सुधार हुआ है। नौ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कुल जेल जनसंख्या में

विचारणाधीन कैदियों का अनुपात 80 प्रतिशत से भी अधिक है इनमें दादर और नागर हवेली (100 प्रतिशत), लक्षद्वीप (100 प्रतिशत) मेघालय (93 प्रतिशत), मणिपुर (90.3 प्रतिशत) दमन एवं दीव (87.5 प्रतिशत), जम्मू तथा कश्मीर (85.7 प्रतिशत), बिहार (85.7 प्रतिशत), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (81.8 प्रतिशत) और चंडीगढ़ (80.1 प्रतिशत) शामिल हैं। उत्तर प्रदेश राज्य समीक्षाधीन अवधि के दौरान कुल जेल जनसंख्या में विचाराधीन कैदियों की संख्या को 80 प्रतिशत से कम करने में सफल रहा।

5.24 देश में कुल जेल जनसंख्या की तुलना में महिला कैदियों का प्रतिशत पूर्व वर्ष की भांति 3.9 प्रतिशत रहा। 2002 से सभी 5 विश्लेषणों में मिजोरम निरन्तर सबसे उच्च स्थान (15.3 प्रतिशत), इससे कम दमन एवं दीव (10.2 प्रतिशत), तमिलनाडु (8 प्रतिशत), चडीगढ़ (6.7 प्रतिशत) पश्चिम बंगाल (6.2 प्रतिशत), पंजाब और आंध्र प्रदेश प्रत्येक (5.2 प्रतिशत) पर रहे ।

5.25 देशभर में जेलों में अपनी माताओं के साथ रह रहे बच्चों (छः वर्ष तक की आयु के) की संख्या 1,7,3,2 थी । उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक संख्या 323 थी उससे कम पश्चिम बंगाल (264), मध्य प्रदेश (184), महाराष्ट्र (152) और झारखण्ड़ (141) में थी ।

❖ ❖ ❖

अध्याय 6 मानव अधिकार हनन के मामले

क. संख्या एवं प्रकृति

6.1 पूर्व वर्षों की भांति आयोग ने देश के विभिन्न भागों से मानव अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित बड़ी संख्या में शिकायतें प्राप्त कीं। इनमें हिरासतीय मौतों, उत्पीड़न, पुलिस की निरंकुशता, सुरक्षा बलों द्वारा किए उल्लंघन, जेल की दशा, सार्वजनिक पदाधिकारियों द्वारा लापरवाही, महिलाओं, बच्चों तथा अन्य कमजोर वर्गों को अधिकारों से वंचित करने से संबंधित मामले शामिल थे। आयोग ने मानव अधिकारों के हनन संबंधी अनेक घटनाओं को समाचार पत्रों, टेलीविजन तथा अध्यक्ष/सदस्यों के दौरों की रिपोर्टो आदि के आधार पर स्वतः संज्ञान में लिया है। आगामी पैरा में शिकायतों की संख्या एवं प्रकृति का सार दिया गया है तथा कुछ महत्वपूर्ण मामलों में आयोग द्वारा दी गई संस्तुतियां भी प्रस्तुत हैं।

6.2 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आयोग के पास कुल 1,32,497 मामले जांच के लिए आए। (इनमें गत वर्षों के बकाया अग्रेनीत केस भी शामिल हैं)। आयोग ने 1 अप्रैल, 2007 से 31 मार्च, 2008 के बीच 1,02,848 मामलों का निपटान किया। 31 मार्च, 2008 तक आयोग के पास कुल 29,649 केस लंबित थे। केसों का राज्य–वार तथा वर्ग–वार ब्यौरा **अनुलग्नक 2 से 5** पर दिया गया है।

6.3 आयोग में वर्ष 2007–08 के दौरान भारी संख्या में 1,00,616 केस दर्ज किए गए, जबकि वर्ष 2006–07 में यह संख्या 82,233 थी। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान दर्ज किए गए मामलों में से 98332 मामले कथित मानव अधिकार उल्लंघन की शिकायतें, आयोग द्वारा स्वतः संज्ञान में लिए गए 108 मामले, 188 मामले पुलिस हिरासत में मौतों, 1789 मामले न्यायिक हिरासत में मौतों, 4 मामले रक्षा/अर्द्ध–सैनिक बलों की हिरासत में मौतों, 18 हिरासत में हुए बलात्कारों से संबंधित; तथा 177 पुलिस मुठभेड़ों से संबंधित थे **(अनुलग्नक 3)**।

6.4 पूर्व की भांति दर्ज की गई शिकायतों में सबसे अधिक 58865 संख्या अर्थात् 58.50 प्रतिशत उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुई थी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा बिहार से क्रमशः 6210 और 4595 शिकायतें प्राप्त हुई। समीक्षाधीन अवधि के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा बिहार में राज्य मानव अधिकार आयोग नहीं थे। उत्तर प्रदेश में राज्य मानव अधिकार आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति न होने तथा सदस्यों के रिक्त पदों को न भरने के कारण क्रियाशील नहीं था **(अनुलग्नक 3)**।

6.5 वर्ष 2007–08 के दौरान निपटाए गए कुल 1,02,848 मामलों में से 63,763 को आरंभ में ही खारिज कर दिया गया जबकि 26,600 को उचित प्राधिकारियों को निदेश देकर निपटाया गया। 1576 मामलों को मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप राज्य मानव अधिकार आयोगों के लिए स्थानांतरित किया गया था। आयोग ने

बलात्कार के तीन मामलों सहित हिरासतीय मौतों से संबंधित 747 सूचनाओं, मुठभेड़ में मौतों के 62 मामलों तथा 10,100 अन्य मामलों को भी संबद्ध प्राधिकरणों से रिपोर्टें मांगने के पश्चात् निपटाया (अनुलग्नक 4) नीचे दिए गए **ग्राफ** देखें। राज्य–संघ राज्य क्षेत्र–वार विवरण **अनुलंग्नक 4** पर दिया गया है।

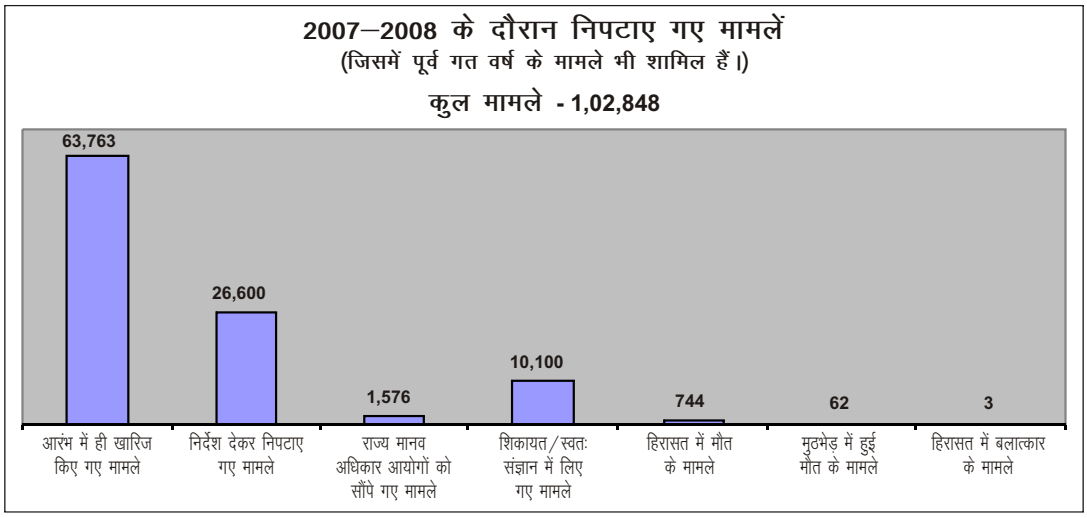

6.6 अंतिम श्रेणी में कथित गुमशुदगी के मामले (32) अवैध नज़रबंदी (675), अवैध हिरासत (318), कथित झूठे फंसाया जाना (254), हिरासत में हुई हिंसा (2), कथित फर्जी मुठभेड़ (57), उचित कार्रवाई करने में असफलता (1589) तथा अन्य कथित पुलिस प्रताड़नाएं (2623) संबंधित मामले शामिल थे। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र–वार विवरण **अनुलग्नक 6** (क) में दिया गया है ।

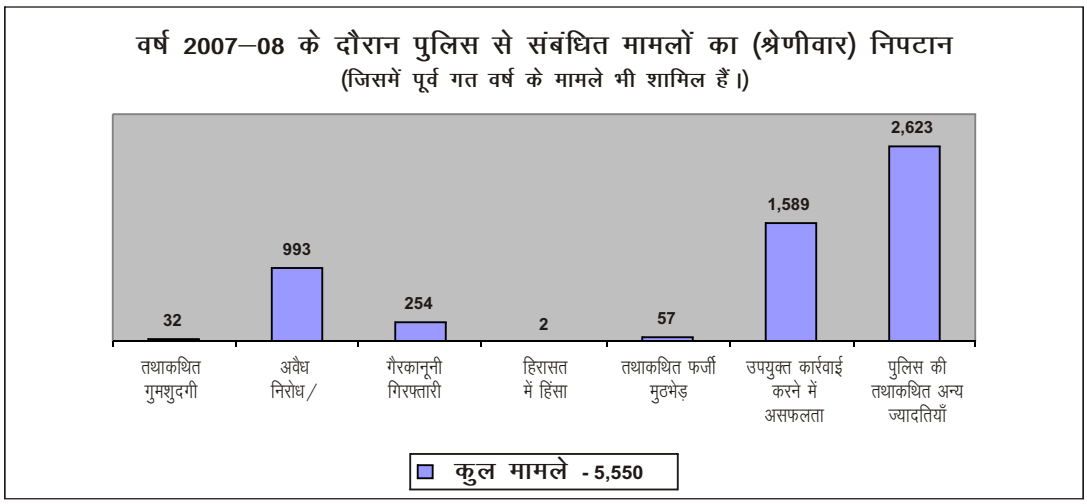

6.7 आयोग को महिलाओं के अधिकारों से वंचित करने से संबंधित अनेक षिकायतें प्राप्त हुई हैं। आयोग ने महिलाओं की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने वाले आरोपों से संबंधित (100) मामलों, महिलाओं के यौन उत्पीड़न (89), अपहरण, बलात्कार और हत्या (278), महिलाओं के शोषण के (77), बलात्कार के (242), दहेज के लिए हत्या (443), दहेज की मांग के (117) महिलाओं के मामलों को निपटाया। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र–वार विवरण **अनुलग्नक – 6** (ख) में दिया गया है ।

* दर्ज किए गये मामले वैसे मामले हैं जो प्रथम दृष्ट्या खारिज किये गये अथवा आयोग के निदेश पर निपटाये गये अथवा राज्य मानवाधिकार आयोगों को अंतरित किये गये मामलों से भिन्न हैं

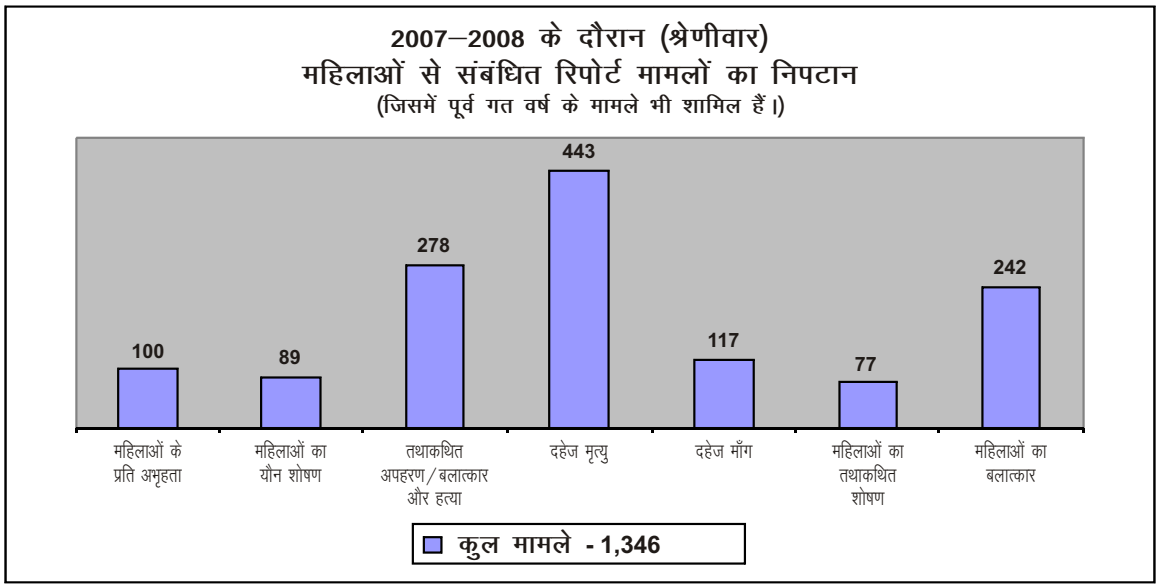

6.8 आयोग ने बाल मजदूरी से संबंधित 29 मामलों, बाल विवाह से संबंधित 20 मामलों तथा बंधुआ मजदूरी से संबंधित 82 मामलों का भी निपटान किया। राज्य/संघ क्षेत्र–वार विवरण **अनुलग्नक –6** (ग) पर दिया गया है।

6.9 जेलों की दशाओं से संबंधित शिकायतों को आयोग द्वारा उचित संस्तुतियों के साथ निपटाया गया था, उनमें कैदियों के कथित उत्पीड़न के 123 मामले जेलों में चिकित्सा सुविधाओं की कमी के 28 मामलों, जेलों की दशाओं के अन्य पहलुओं के संदर्भ में 147 मामले थे। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र – वार विवरण **अनुलम्नक –(ग)** पर दिया गया है।

6.10 आयोग ने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के सदस्यों के प्रति कथित अत्याचार के 175 मामले, सांप्रदायिक हिंसा के तीन मामले तथा अन्य श्रेणियों से संबंधित लोगों के 2597 मामले निपटाए। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र–वार विवरण **अनुलग्नक 6** (ग) में दिया गया है।

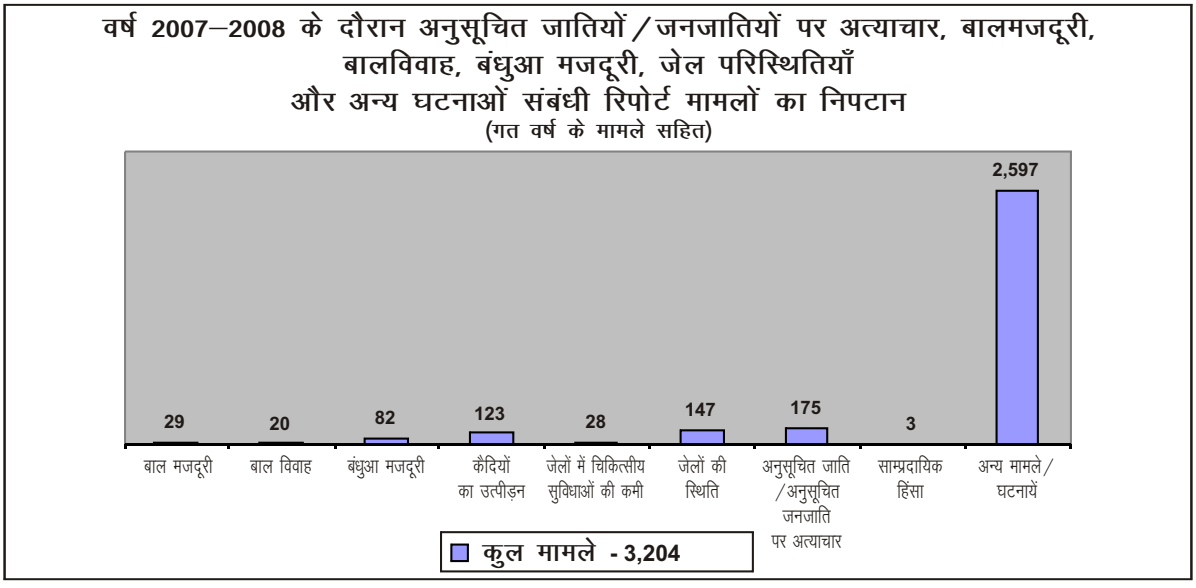

* दर्ज किए गये मामले वैसे मामले हैं जो प्रथम दृष्ट्या खारिज किये गये अथवा आयोग के निदेश पर निपटाये गये अथवा राज्य मानवाधिकार आयोगों को अंतरित किये गये मामलों से भिन्न हैं

6.11 उच्चतम न्यायालय ने अपने दिनांक 12 दिसम्बर 1996 के आदेश के माध्यम से राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को पंजाब सामूहिक दाह संस्कार का मामला सौंपा। यह मामला वर्ष 1984 और 1994 के बीच पंजाब के कुछ क्षेत्रों में पुलिस द्वारा अपहरण के कारण लोगों के गुम होने से संबंधित है जिसके परिणामस्वरूप अमृतसर, मजीठा और तरण तारण जिलों में पुलिस द्वारा 2097 शवों का गुप्त रूप से दाह–संस्कार किया गया था। इस संबंध में आयोग द्वारा की गई कार्यवाही का पूर्ण विवरण आयोग के पिछली वार्षिक रिपोर्टों में दिया गया है।

6.12 आयोग ने दिनांक 11 नवम्बर 2004 की अपनी कार्रवाई के माध्यम से उन मृतकों के निकटतम रिश्तेदारों को 2,50,000 रूपए का मुआवजा प्रदान करने की संस्तुति की जो अपनी मृत्यु के समय पंजाब पुलिस की हिरासत में थे। बाद में अपने दिनांक 10 अक्टूबर, 2006 के आदेश के माध्यम से आयोग ने उन मृतकों के निकटतम रिश्तेदारों को 1,75,000/– रुपए का मुआवजा देने की संस्तुति की जिनके शवों का पंजाब पुलिस नियमों, दिशानिदेशों, प्रथा तथा मानवीय कानूनों का अनुसरण किए बिना पंजाब राज्य द्वारा गुपचुप तरीके से अंतिम संस्कार कर दिया गया था। 31 मार्च, 2008 तक आयोग ने प्रत्येक व्यक्ति को 2,50,000/– रु0 की दर से 195 दिवंगत व्यक्तियों के निकटतम रिश्तेदारों को 4,87,50,000/– रुपए प्रदान किए तथा 1193 मृतकों के निकटतम रिश्तेदारों प्रत्येक को 1,75,000/– रु0 की दर से 2,08,77,500/– रु0 प्रदान किए। इस प्रकार 1388 मृतकों के निकटतम रिश्तेदारों को भुगतान के लिए आयोग द्वारा कुल 25,75,25,000/– रु0 की संस्तुति की गई।

6.13 अक्टूबर 1993 में अपने स्थापना काल से ही आयोग ने उचित मामलों में पीड़ितों/पीड़ितों के निकटतम रिश्तेदारों को वित्तीय राहत देने की संस्तुतियां की हैं, जिनका विवरण पिछली वार्षिक रिपोर्टों में पहले ही दिया जा चुका है। वर्ष 2007–08 के दौरान आयोग ने 199 मामलों, जिनमें पुलिस/न्यायिक हिरासत में हुई मौतों के 81 मामले शामिल हैं, में 3,20,00,000/– रु0 की वित्तीय राहत की संस्तुति की है। कुल 199 मामलों में से आयोग ने 9 मामलों में अनुषासनात्मक कार्रवाई तथा 2 मामलों में दोषी पुलिस कर्मियों के विरूद्ध मुकदमा चलाने की संस्तुति की। इसके अलावा 2 मामलों में खेल अनुशासनात्मक कार्रवाई की संस्तुति की। **(अनुलग्नक–7)**

6.14 आयोग को ऐसी बहुत सी शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिनमें आरोप है कि संज्ञेय अपराध की शिकायतें दर्ज करने में पुलिस स्टेशनों के अधिकारियों की तरफ से लापरवाही होती है अथवा केस दर्ज करते समय अपराध की गंभीरता को कम करने की प्रवृत्ति झलकती है। यह दण्ड प्रक्रिया संहिता के अध्याय XII विशेष रूप से द. प्र. सं. की की धारा 154 के उपबंधों के अंतर्गत पुलिस स्टेशन के प्रभारी को सौंपे गए सांविधिक दायित्वों का गंभीर उल्लंघन है। इसका दाण्डिक न्याय प्रदान करने की प्रणाली पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। आयोग संस्तुति करता है कि सभी राज्य एवं केन्द्र शासित सरकारें मामले दर्ज करने से संबंधित विषयों में दं. प्र. सं. की धारा 154 के उपबंध का अत्यधिक सावधानीपूर्वक अनुसरण कर सभी संबद्ध पुलिस कर्मियों के लिए आवश्यक निदेश जारी करें।

6.15 आयोग इस वार्षिक रिपोर्ट के माध्यम से एक बार फिर से केन्द्र और राज्य सरकारों से रिपोर्टों एवं अन्य दस्तावेजों के लिए किए गए आग्रहों पर तत्परता से प्रत्युत्तर देने तथा प्रत्येक मामले में आयोग द्वारा की गई विभिन्न संस्तुतियों पर बिना किसी विलंब के कार्रवाई करने का निवेदन करता है। आयोग अपनी संस्तुतियों को भी दोहराता है कि केंद्र और राज्य सरकारें इसके द्वारा जारी दिशानिर्देशों का अधिक सावधानीपूर्वक अनुसरण करें क्योंकि इससे मामलों के त्वरित निपटान में आयोग को मदद मिलेगी तथा इस प्रकार मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत

आयोग को सौंपे गए दायित्वों को पूरा किया जा सकेगा। आयोग अपनी ओर से अपनी शिकायत निपटान प्रणाली को परिष्कृत करने एवं उसमें सुधार लाने के लिए निरंतर प्रयासरत् है।

ख. वर्ष 2007–2008 के दृष्टान्त मामले

पुलिस ज्यादतियां

(क) हिरासत में हुई मौतें

1. जिला जेल, जूनागढ़, गुजरात में कालूजी उर्फ कलियों भागूजी सोरथी की मौत (मामला सं0 653/6/ 2002 –03 –सी डी)

6.16 आयोग को जिला जेल, जूनागढ़ के अधीक्षक से श्री कालूजी उर्फ कालियो भागूजी सोरथी, जिसे जिला जेल जूनागढ़ में था, की मौत के विषय में सूचना प्राप्त हुई। 31 जनवरी 2003 को तीन सह–कैदियों द्वारा मारने–पीटने के बाद उसे जूनागढ़ के सिविल अस्पताल में उपचार के लिए ले जाया गया जहां उसे मृत घोषित किया गया।

6.17 अधीक्षक ने आयोग को यह सूचना दी कि जांच करने पर जेल स्टॉफ के 6 सदस्य अपनी ड्यूटी से लापरवाही करते हुए पाए गए थे तथा उनकी वेतनवृद्धि रोक कर उन्हें दण्डित किया गया था। आयोग का मानना है कि "कैदी के जीवन की रक्षा करने तथा सह–कैदियों के हमलों से उसे बचाने का दायित्व राज्य सरकार का था। राज्य अपने दायित्व के निर्वहन में असफल रहा तथा इसलिए उसे मृतक के निकटतम रिश्तेदार को अवश्य ही मुआवज़ा देना चाहिए।"

6.18 इस बात पर विचार करते हुए कि मृतक की आयु मात्र 22 वर्ष थी, आयोग ने गुजरात राज्य से मृतक के निकटतम रिश्तेदार को 2,00,000/– रु0 वित्तीय राहत देने की संस्तुति की।

6.19 भुगतान के प्रमाण के साथ अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

2. नालगोंडा, आंध्र प्रदेष में पुलिस हिरासत में कोडथी वेंकटा कृष्ण उर्फ जिन्हा की हत्या (मामला सं0 489/1/2002–03)

6.20 पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ (पी यू सी एल) के महासचिव से आयोग को यह सूचना प्राप्त हुई कि कोडथी वेंकटा कृष्णा उर्फ जिन्हा, 19 अक्टूबर, 2002 को आन्ध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले के बाहरी क्षेत्र में नालगोंडा जिला पुलिस द्वारा की गई मुठभेड़ का पीड़ित था। शिकायत में यह उल्लेख भी था कि नागेश नामक एक व्यक्ति जो पुलिस हिरासत में था, के साथ भी इसी प्रकार की घटना होने की संभावना है।

6.21 पुलिस अधीक्षक से प्राप्त रिपोर्ट के साथ–साथ मजिस्ट्रेटी जांच रिपोर्ट (एम ई आर) पर विचार करने पर आयोग का मानना है कि जबकि एम ई आर में कहा गया है कि जिन्हा ने एक राउंड फायरिंग तथा पुलिस पार्टी ने बदले में 11 राउंड फायरिंग की, पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में कहीं भी जिन्हा द्वारा फायरिंग के विषय में उल्लेख नहीं है। इस प्रकार पुलिस पार्टी पर जिन्हा द्वारा कोई फायरिंग करना संदेहास्पद प्रतीत होता है। इसके अलावा पुलिस द्वारा 11 राउंड फायरिंग करने का कोई औचित्य नहीं दिया गया था। इसलिए आयोग की दृष्टि में इस बात से इंकार नहीं किया गया कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार किसी अन्य प्रकार से जिन्हा जीवन से वंचित था।

6.22 मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 18 (सी) के अंतर्गत आन्ध्र प्रदेश के मुख्य सचिव को नोटिस जारी

किया गया कि कारण बताएं कि क्यों न जिन्हा के निकटतम रिश्तेदार को तत्काल वित्तीय राहत का भुगतान करने की सिफारिश की जाए, इसके प्रत्युत्तर में आन्ध्र प्रदेश सरकार के प्रधान सचिव ने उल्लेख किया था कि मृतक के निकटतम रिश्तेदार को 20,000/– रु0 का भुगतान किया गया था। आयोग का मानना था कि यह राशि अपने आप में पर्याप्त नहीं थी तथा संस्तुति की कि राज्य को वित्तीय राहत के रूप में 2,00,000/– रु0 की राशि अवश्य देनी चाहिए, जिसका अनुपालन किया गया था।

3. आन्ध्र प्रदेश के राजामुन्द्री में न्यायिक हिरासत में बंद कैदी श्री चिन्नापुरप्पु रमेष की मौत (मामला सं0 531/1/2005–06–सी डी)

6.23 आन्ध्र प्रदेश, जिला जेल भीमावरम के अधीक्षक ने आयोग को सूचित किया कि हिरासत में कैद चिन्ना पुरप्पु रमेश, उम्र 27 वर्ष, जिसे भ.दं.सं0 की धारा 44/354 के तहत अ. सं. 41/3 में 8 अगस्त 2005 को जेल में दाखिल किया गया, की मृत्यु सरकारी अस्पताल ले जाते समय 14 नवम्बर, 2005 को हो गयी।

6.24 मजिस्ट्रेटी जाँच में यह निष्कर्ष निकला था कि उसकी मौत श्री जी. रवि बाबु, अधीक्षक सब–जेल भीमावरम, डॉ0 टी. चन्द्राराव, सहायक शल्य चिकित्सक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, भीमावरम तथा श्री एन. चिरंजीवी, उपनिरीक्षक, पुलिस स्टेशन, अकिविडु की लापरवाही के कारण हुई क्योंकि वे समय पर डॉक्टरी उपचार उपलब्ध कराने में असफल रहे।

6.25 आयोग के कारण बताओ नोटिस के प्रत्युत्तर में पश्चिम गोदावरी, एलुरू के समाहर्त्ता एवं जिला मजिस्ट्रेट ने उल्लेख किया कि अपनी ड्यूटी के निर्वहन में एम ई आर में दोषी पाए गए सभी व्यक्तियों के विरूद्ध विभागीय कार्रवाई की सिफारिश की गई।

6.26 आयोग का मानना है कि "एक कैदी जो कि राज्य की हिरासत में हो, उसे जीवन का अधिकार है तथा राज्य उसके अधिकारों का संरक्षण और सुरक्षोपाय प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। दोषी लोक सेवकों के प्रति केवल विभागीय कार्रवाई करने से न्याय की अपेक्षा पूर्ण नहीं होती"।

6.27 आयोग का यह भी मानना है कि कैदियों की देखभाल के प्रति अपनी ड्यूटी के निर्वहन में संबद्ध अधिकारी असफल पाए गए। यदि समय पर उस कैदी को उपयुक्त चिकित्सा देख–रेख प्रदान की जाती तो शायद उसकी जिन्दगी बचाई जा सकती थी। इस बात पर विचार करते हुए कि मृतक केवल 27 वर्ष का था, आयोग ने 10 सितम्बर, 2007 को सिफारिश की कि आन्ध्र प्रदेश राज्य मृतक के निकटतम रिश्तेदार को 2,00,000/– रु0 की वित्तीय राहत प्रदान करे। भुगतान के साक्ष्य सहित अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

4. महाराष्ट्र, बीड़ में पुलिस हिरासत में चन्द्रकान्त की मौत (मामला सं0 1287/13/2002–03–सी डी)

6.28 आयोग को चन्द्राकान्त उर्फ कान्तराव भगवानराव कटमांडे, जिसे 10 अक्टूबर, 2002 को कैजी पुलिस स्टेशन, जिला बीड़ में हिरासत में लिया गया था, की मौत के संबंध में 11 अक्टूबर, 2002 को प्रोवीजनल पोस्ट–मार्टम रिपोर्ट की एक प्रति प्राप्त हुई।

6.29 17 मई, 2003 की मजिस्ट्रेटी जांच रिपोर्ट में यह निष्कर्ष दिया गया था कि चन्द्रकांत की मौत पुलिस हिरासत के दौरान पुलिस अधिकारियों द्वारा अत्यधिक पिटाई के कारण हुई।

6.30 इस मामले की जांच राज्य सी आई डी, औरंगाबाद द्वारा भी की गई तथा इसके आधार पर भा. दं. सं. की धारा 302/330 के तहत पुलिस स्टेशन कैजी में मामला सं0 6/2003 दर्ज किया गया था। अन्वेषण के पश्चात कैजी, जिला मजिस्ट्रेट के न्यायालय में भा.दं.सं. की धारा 302/323/218 के तहत श्री एस. डी. सनप, उपनिरीक्षक, श्री जी. एस. खाण्डे, उपनिरीक्षक तथा डॉ0 एस. के. गोली, उपनिरीक्षक के विरूद्ध अभियोजन पत्र दायर किया गया। राज्य सरकार ने श्री सनप, उपनिरीक्षक तथा श्री खाण्डे के साथ–साथ डॉ0 गोली के विरूद्ध अभियोजन के लिए स्वीकृति दी है।

6.31 18 जून, 2007 को इस मामले पर विचार करते समय आयोग ने महाराष्ट्र सरकार के मुख्य सचिव से सिफारिश की कि राज्य 6 महीनों के भीतर मृतक के निकटतम रिश्तेदार को 2,00,000 रु0 की वित्तीय राहत प्रदान करे तथा भुगतान के साक्ष्य के साथ अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करे। भुगतान के साक्ष्य सहित अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

5. विचाराधीन कैदी श्री अनिल कुमार त्यागी की तिहाड़ जेल, नई दिल्ली में न्यायिक हिरासत में मौत (मामला सं0 2746/30/2000–01–सी डी)

6.32 उपाधीक्षक, केन्द्रीय जेल सं0 3, तिहाड़, नई दिल्ली से 13 नवम्बर 2000 को विचाराधीन कैदी अनिल कुमार त्यागी, पुत्र श्री छुट्टन सिंह की मौत के विषय में सूचना प्राप्त करने पर आयोग ने अपेक्षित रिपोर्टें मंगवाई।

6.33 आयोग को प्राप्त विभिन्न रिपोर्टों के आधार पर 16 सितम्बर, 2005 को आयोग ने यह माना कि संबद्ध जेल के अधिकारीगण अनिल कुमार त्यागी की मौत के लिए प्रथम दृष्ट्या जिम्मेदार हैं। परिणामस्वरूप उसके मानव अधिकारों का हनन हुआ है।

6.34 आयोग के कारण बताओ नोटिस के प्रत्युत्तर में उपसचिव (गृह) दिल्ली ने सूचित किया कि यह मामला अन्वेषणाधीन है तथा संबद्ध जेल अधिकारियों के विरूद्ध मुकदमा चलाने के लिए दिल्ली के लेफ्टिनेंट गर्वनर द्वारा पहले ही संस्वीकृति दी जा चुकी है। यह उल्लेख भी किया गया था कि चूंकि यह मामला न्यायालय के विचाराधीन है अतः माननीय न्यायालय के अंतिम फैसले के बाद ही वित्तीय राहत के भुगतान का निर्णय लिया जा सकता है।

6.35 18 अप्रैल, 2007 को इस मामले में अंतिम रूप से विचार करने पर आयोग ने इस दलील को सही नहीं पाया। आयोग ने माना कि "आयोग के समक्ष कार्यवाही किसी भी न्यायालय के समक्ष लंबित किसी भी अन्य कार्यवाही से पूर्णतः स्वतंत्र हैं। मानव अधिकारों के हनन के प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य पाने के बाद पीड़ित अथवा उसके निकटतम रिष्तेदारों को राहत देने की आयोग की शक्ति रोक नहीं लगाई जा सकती। यह राज्य का विधिक दायित्व है कि वह नागरिकों के जीवन की रक्षा करे। भा. दं. सं. की धारा 304 के तहत जेल अधिकारियों के विरुद्ध एफ आई आर दर्ज करना और ले0 गवर्नर द्वारा उनके अभियोजन की स्वीकृति प्रदान करना प्रथम दृष्ट्या यह दर्शाती है कि मृतक कैदी को संरक्षण प्रदान करने में राज्य अपने दायित्व का निर्वहन करने में असफल रहा।"

6.36 अतः आयोग ने सिफारिश की कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार मृतक अनिल कुमार त्यागी के निकटतम रिश्तेदार को 1,00,000/– रु0 की वित्तीय राहत का भुगतान करे तथा 8 सप्ताह के भीतर भुगतान के साक्ष्य सहित अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करे। महानिदेशक (जेल) दिल्ली से अनुपालन रिपोर्ट तथा भुगतान का साक्ष्य प्राप्त हो गया था तथा 8 अक्टूबर, 2007 को आयोग द्वारा इस मामले को बंद कर दिया गया।

6. दिल्ली में पुलिस हिरासत में किशन सिंह की मौत (मामला सं0 5060/30/2004–05–सी डी)

6.37 आयोग को 17 मार्च, 2005 को उत्तर–पूर्व जिला, दिल्ली में पुलिस उपायुक्त से किशन सिंह, पुत्र श्री रामनाथ, व्यापारिक वाहन चालक की 17 मार्च, 2005 को पुलिस हिरासत में हुई मौत की सूचना प्राप्त हुई। मृतक को 16 मार्च, 2005 को शक्ति सिंह की शिकायत पर पूछताछ के लिए शाहदरा पुलिस स्टेशन लाया गया था। उसने पुलिस स्टेशन में अस्वस्थ होने की शिकायत की थी तथा उसे क्षेत्र के एक प्राइवेट नर्सिंग होम में ले जाया गया था। उसे जी टी बी अस्पताल में रैफर किया गया जहां उसे मृत लाये जाने की घोषणा की गई। मृतक के पुत्र श्री संजीव की शिकायत पर पुलिस स्टेशन शाहदरा में 17 मार्च, 2005 को भा. दं. सं. की धारा 342/302/34 के तहत एफ आई आर सं0 89/05 दर्ज की गई। पुलिस स्टेशन शाहदरा के उप निरीक्षक राम कुमार तथा सहायक उप निरीक्षक रमेश चन्द्र को गिरफ्तार किया गया क्योंकि मृतक उनकी हिरासत में मरा था। तीन अन्य दोषी व्यक्तियों को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस स्टेशन शाहदरा, के निरीक्षक श्री नरेन्द्र पाल सिंह को निरीक्षण में लापरवाही के आरोप में निलंबित कर दिया गया।

6.38 यद्यपि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार ने दलील दी कि उत्पीड़न के आरोपी कर्मियों को न्यायालय द्वारा निर्दोष पाया गया है तथा इसलिए वित्तीय राहत प्रदान करना तर्कसंगत नहीं है, आयोग ने माना कि "केवल इसलिए कि पुलिस कर्मियों को न्यायालय द्वारा बरी कर दिया गया है, सरकार पीड़ित को मुआवजा देने के अपने दायित्व से नहीं बच सकती।" सच्चाई यह है कि मृतक किशन सिंह को, पुलिस हिरासत के दौरान घातक चोटें आईं थीं। दोषियों को छोड़े जाने का सीधा अर्थ है कि हमलावरों की पहचान स्थापित नहीं की गई। यह इस तथ्य को प्रभावित नहीं कर सकता कि पुलिस हिरासत में पिटाई के कारण ही मौत हुई। कानून द्वारा पुलिस से यह अपेक्षित है कि वह अपनी हिरासत में रह रहे व्यक्ति के जीवन की रक्षा करें। यदि वे उत्पीड़क तरीकों का सहारा लेते है तथा इस कारण कैदी की मौत होती है तो यह समाज के लिए गंभीर चिंता का विषय है।" इसलिए इस मामले की सभी परिस्थितियों पर विचार करके आयोग ने सिफारिश की कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, मृतक किशन सिंह के निकटतम रिश्तेदार को 2,00,000/– रु0 की वित्तीय राहत प्रदान करे। मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से भुगतान के साक्ष्य के साथ अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

7. जिला जेल, खीरी, उ0 प्र0 में न्यायिक हिरासत में विचारणाधीन कैदी सुरेन्द्र की मौत (मामला सं0 24185/24/2001–02–सी डी)

6.39 आयोग को 26, अक्टूबर, 2001 को अधीक्षक, जिला जेल, खीरी, उ0 प्र0 से सूचना प्राप्त हुई जिसमें उल्लेख था कि एक विचाराधीन कैदी सुरेन्द्र पासी, पुत्र श्री श्यामलाल जो कि भा. दं. सं. की धारा 307/332 के तहत केस सं0 171/2001 में पुलिस स्टेशन नीम गांव में वांछित था, को गंभीर हालत में 26 अक्टूबर, 2001 को 6.20 बजे उसके पुलिस मार्गरक्षी द्वारा जिला जेल खीरी में भर्ती कराया गया। जेल के चिकित्सा अधिकारी की सलाह पर उसे 6.30 बजे उसी पुलिस मार्गरक्षी के साथ जिला अस्पताल भेजा गया, जहां 26 अक्टूबर, 2001 को 7.45 बजे उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई।

6.40 रिपोर्टों के आधार पर आयोग ने दोषी पुलिस कर्मियों के अभियोजन तथा मुआवजे के भुगतान की मॉनीटरिंग की। सचिव, गृह (मानव अधिकार) विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ से 17 नवम्बर, 2006 को प्राप्त रिपोर्ट में

उल्लेख था कि श्रीमती बुन्देला देवी, पत्नी मृतक श्री सुरेन्द्र पासी को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत 1,50,000/– रु0 के मुआवजे की राशि का भुगतान किया गया इसलिए वित्तीय राहत के रूप में अतिरिक्त राशि के भुगतान की बात औचित्यपूर्ण नहीं थी।

6.41 तथापि आयोग का मानना है कि "अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत दिए गए नियमों की सांविधिक आवश्यकता के अनुरूप 1,50,000/– रु0 की वित्तीय सहायता दी गई थी। इस प्रकार की वित्तीय सहायता प्रदान करने का कारण मृतक का उस जाति विशेष से संबंधित होना है। मानव अधिकारों के हनन के लिए वित्तीय राहत को अलग से दिया जाना चाहिए। अतः इस मामले की सभी परिस्थितियों पर विचार कर आयोग ने उत्तर प्रदेश राज्य से सांविधिक आवश्यकता के अनुपालन में पहले ही भुगतान की गई राशि के अतिरिक्त मृतक के निकटतम रिश्तेदार को 2,00,000 की राशि का भुगतान करने की सिफारिश की। चूंकि भुगतान के साक्ष्य सहित अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त हो गई थी, इस मामले को बंद कर दिया गया।"

8. इटानगर, अरुणाचल प्रदेष में पुलिस लॉक–अप में ओलिक तयांग की मौत (मामला संख्या 14/2/2003–04–सी डी)

6.42 पुलिस उपमहानिरीक्षक (मुख्यालय) अरुणाचल प्रदेश ने दिनांक 22 अक्टूबर, 2003 को सूचना के माध्यम से आयोग को अवगत कराया कि 19 वर्षीय ओलिक तयांग, जिसे पुलिस स्टेशन दमबुक में दर्ज अ. केस संख्या 12/03 में 21 अक्टूबर, 2003 को गिरफ्तार किया गया था, ने 22 अक्टूबर 2003 को पुलिस लॉक–अप में शौचालय में कम्बल के टुकड़े से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली।

6.43 राज्य सरकार प्राधिकारियों से प्राप्त रिपोर्ट, जिसमें उल्लेख था कि उप–निरीक्षक को लापरवाह पाया गया तथा हमेशा के लिए संचयी प्रभाव से दो वेतन वृद्धि पर रोक लगा कर उसे दंडित किया गया, का अवलोकन करने पर आयोग ने माना कि पुलिस कर्मचारी मृतक के मानव अधिकारों के हनन को रोकने में लापरवाह पाए गए तथा विभागीय कार्यवाही में दंडित किए गए। अतः यह महसूस किया जाता है कि वित्तीय राहत की स्वीकृति तर्क संगत है। आयोग ने आन्ध्र प्रदेश के मुख्य सचिव से मानव अधिकार सं0 अधिनियम की धारा 18 (3) के तहत मृतक के निकटतम रिश्तेदार को 1,00000/– रु0 की राशि का भुगतान करने की सिफारिश की। भुगतान के साक्ष्य सहित अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

9. स्पेशल जेल, भुवनेश्वर, खुर्द, उड़ीसा में न्यायिक हिरासत में उपचार के अभाव के कारण विचाराधीन कैदी अभिषेक साहू की मौत (मामला सं0 42/18/2003–04–सी डी)

6.44 आयोग को स्पेशल जेल भुवनेश्वर, खुर्द, उड़ीसा के अधीक्षक से 28 अप्रैल 2003 को न्यायायिक हिरासत में 25 वर्षीय विचाराधीन कैदी अभिषेक साहू की मौत की सूचना प्राप्त हुई। यह उल्लेख भी था कि उसकी मौत 26 अप्रैल, 2003 को कैपिटल हॉस्पिटल, भुवनेश्वर में उपचार के दौरान हुई।

6.45 आयोग ने प्राप्त रिपोर्टों पर विचार किया तथा यह माना कि कैदी को अपना उपचार कराने के लिए न तो स्वयं प्रबंध करने का अवसर प्रदान किया गया न ही जेल प्राधिकारियों ने उसे समय पर उचित डॉक्टरी चिकित्सा उपलब्ध

करवाई। प्राधिकारियों को पीड़ित के तत्काल ओपन हार्ट सर्जरी के लिए इंतजाम कराना चाहिए था। आयोग ने उड़ीसा के मुख्य सचिव से सिफारिश की कि राज्य सरकार यह जिम्मेदारी तय करे कि मरीज के उपचार में देरी के किस कारण हुई तथा जो अधिकारी दोषी पाए जाएं उनके विरूद्ध उचित कार्रवाई की जाए। चूंकि पीड़ित अभिषेक साहू के मानव अधिकारों का हनन सिद्ध हो गया था, आयोग ने मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 18 (क) (i) के तहत मृतक के निकटतम रिश्तेदार को 1,00,000/– रु0 वित्तीय राहत की सिफारिश की। उड़ीसा राज्य सरकार ने आयोग को सूचना दी कि मृतक के निकटतम रिश्तेदार को भुगतान किए जाने के लिए 1,00,000/– रु0 की राशि स्वीकृत की गई। यद्यपि भुगतान के साक्ष्य की अभी प्रतीक्षा है।

10. सतना, मध्य प्रदेश में मुगलिया की कथित हिरासत में मौत
(मामला सं0 1996/12/1999–2000 सी डी)

6.46 आयोग को भेजी गई अपनी शिकायत में शीला ने उल्लेख किया कि उसके पति श्री मुगलिया को 20 दिसम्बर 1999 को सुबह 4.00 बजे स्थानीय पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया तथा एस डी एम, मेहर के समक्ष भा. दं. सं. की धारा 109 के तहत प्रस्तुत किया गया। उसे जेल भेजा गया और उसी शाम को जमानत पर छोड़कर घर भेजा दिया। दूसरे दिन शाम करीब 7.00 बजे उसकी मौत हो गई।

6.47 शिकायतकर्त्ता ने यह बताया कि उसका पति, निगम चुनाव में भाग ले रहे भोला प्रसाद चौरसिया के लिए चुनाव प्रचार कर रहा था। उसे पुलिस द्वारा चुनाव कार्यालय से उठाया गया तथा बुरी तरह पीटा गया। हालांकि अधिकार के रूप में वह जमानत का हकदार था, एस डी एम ने उसे मुक्त नहीं किया और उप–जेल मेहर भेज दिया। जेलर ने हालांकि उसे भर्ती नहीं किया क्योंकि उसके शरीर पर बहुत से जख्म थे। इसलिए शाम के समय पुलिस शिकायतकर्त्ता के घर आई और उसे जमानत के कागज़ात प्रस्तुत करने को कहा। जब वह जेल गई तो उसने पाया कि उसका पति नाजुक दशा में पड़ा है। वह उसे रिक्शा में बैठाकर घर लाई तथा जो भी संभव था इलाज करवाया। फिर भी वह नहीं बच पाया और दूसरे दिन उसकी मौत हो गई।

6.48 आयोग ने पोस्ट मॉर्टम रिपोर्ट, एम ई आर तथा कारण बताओ नोटिस के उत्तर पर विचार करने के बाद सिफारिश की कि मध्य प्रदेश राज्य 3,00,000/– रु0 की राशि मृतक मुगलिया के निकटतम रिश्तेदार को दे। भुगतान के साक्ष्य सहित अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

11. बिहार के भागलपुर जिला जेल में सिद्ध दोषी पदमु सोरेन की मौत
(मामला सं0 2848/4/2002–03 सी डी)

6.49 बिहार के भागलपुर जिला जेल के अधीक्षक से दिसम्बर 2002 को जेल में 65 वर्षीय एक सिद्ध दोषी पदमुसोरेन की मौत की सूचना मिलने पर संज्ञान लेते हुए आयोग ने आवश्यक रिपोर्टें मंगवाई।

6.50 आयोग द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस के प्रत्युत्तर में बिहार सरकार के अवर सचिव, (गृह) ने 28 सितम्बर, 2007 को बताया कि कैदी को घातक चोटें उस दुर्घटना में लगीं जब एक पेड़ की शाखा उसके सिर पर गिर गई। अवर

सचिव अनुसार फिरंगी नामक एक अन्य कैदी पेड़ काट रहा था तथा पदमु सोरेन उस समय उस पेड़ के नीचे से जा रहा था जब वह शाखा उसके सिर पर गिरी।

6.51 विभिन्न रिपोर्टों का अवलोकन करने पर आयोग ने माना कि यदि पेड़ की शाखा वाली घटना को सच माना जाए तब भी जेल प्रशासन को लापरवाही के आरोप से बरी नहीं किया जा सकता। यदि एक कैदी को पेड़ काटने का काम दिया गया था तो जेल अधिकारियों को इस बात की सावधानी बरतनी चाहिए थी कि उस पेड़ की दिशा में जाने से अन्य कैदियों को रोका जाए।

6.52 सभी परिस्थितियों पर विचार करने पर आयोग ने पाया कि क्यों न शोक संतप्त परिवार को वित्तीय राहत प्रदान की जाए। अतः 21 जनवरी, 2008 को आयोग ने सिफारिश की कि बिहार सरकार 1,50,000/– रु0 की राशि मृतक पदमु सोरेन के निकटतम रिश्तेदार को दे। भुगतान के साक्ष्य सहित अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

12. मुम्बई, महाराष्ट्र में पुलिस द्वारा पिटाई के कारण सुश्री शांति दशरथ नाइक की कथित हिरासत में मौत (मामला सं0 2021/13/2000–01 सी डी)

6.53 विश्व मानव एकता परिषद के महासचिव ने दिनांक 27 दिसम्बर, 2000 को 'हमारा महानगर' में सुश्री शांति दशरथ नाइक, उम्र 35 वर्ष, पेशे से फेरीवाली, जो कि रूमाल और बालों में लगाने वाले क्लिप बेचा करती थी, जिसे 14 दिसम्बर, 2000 को मुम्बई लोकल ट्रेन से उठा कर ले जाया गया था, के विषय में प्रकाशित घटना की रिपोर्ट का संदर्भ आयोग को दिया। दादर रेलवे स्टेशन पर पुलिस ने उसे बुरी तरह पीटा तथा उसी रात उसे रिहा करने से पहले उससे 9,000/– रू0 छीन लिए। उसे सियोन अस्पताल में भर्ती किया गया जहां पुलिस द्वारा पिटाई के दौरान आई चोटों के कारण उसकी मौत हो गई।

6.54 प्राथमिक जांच के बाद दोषी पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध भा. दं. सं. की धारा 347/348/384/217/323/34 के तहत एफ आई आर सं0 159/2202 दर्ज की गई तथा उन सभी को निलंबित कर दिया गया।

6.55 इस मामले पर विचार करते हुए आयोग ने माना कि चूंकि राज्य सी आई डी द्वारा की गई जांच से इन आरोपों की पुष्टि हो गई है थी कि शांति दशरथ नाइक की मौत पुलिस अधिकारियों द्वारा बुरी तरह से पीटने के कारण हुई, इसलिए मृतक के निकटतम रिश्तेदार को वित्तीय राहत प्रदान न करने का कोई कारण नहीं बनता। अतः आयोग ने सिफारिश की कि महाराष्ट्र सरकार वित्तीय राहत के रूप में 2,00,000/– रु0 की राशि मृतक शांति दशरथ नाइक के निकटतम रिश्तेदार को प्रदान करे। भुगतान के साक्ष्य सहित अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

13. पुलिस स्टेशन सेहरामऊ, जिला शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश में पुलिस हिरासत में राम चन्दर की मौत (मामला सं0 12975/24/1999–2000 सी डी)

6.56 यह मामला 18 जून, 1999 को पुलिस स्टेशन सेहरामऊ, जिला शाहजहांपुर, उ0 प्र0 में राम चन्दर की हिरासत में हुई मौत से संबंधित है। पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर ने 4 जुलाई, 1999 को उसकी मौत की सूचना दी तथा राम चन्दर की पत्नी कलावती ने 11 अगस्त, 1999 को एक शिकायत दर्ज करवाई। जबकि पुलिस का दावा था कि यह आत्महत्या का मामला था, कलावती का आरोप था कि उसका पति पुलिस उत्पीड़न का शिकार हुआ था। उसने उल्लेख किया कि उसके पति को 10 जून, 1999 को रामचन्द्र मिशन पुलिस स्टेशन द्वारा उठाया गया था तथा बाद में उसे सेहरामऊ पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया गया। 18 जून, 1999 को पुलिस उसके घर आई और उसके पति की मौत की सूचना दी।

6.57 पोस्ट मॉर्टम रिपोर्ट बांधने के दो निशान दर्शाती है तथा ऑटोप्सी सर्जन के अनुसार मौत का कारण 'एसफीक्सिया' था जो आत्महत्या के लिए फंदा लगाने के कारण होता है। डॉक्टरी साक्ष्य इस प्रकार संकेत देते हैं कि रामचन्दर की मौत का कारण आत्महत्या करना है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि राम चन्दर ने अपने जीवन को समाप्त करने जैसा उक्त कार्य क्यों किया?

6.58 आयोग द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस के प्रत्युत्तर में उत्तर प्रदेश सरकार के सचिव ने दिनांक 20 जुलाई, 2007 के पत्र के माध्यम से सूचित किया कि दोषी पुलिस अधिकारियों के विरूद्ध न्यायालय में अभियोजन पत्र दाखिल किया गया था तथा मृतक की विधवा को अनुग्रहपूर्वक 2000/– रु0 की राशि दी गई थी।

6.59 इस मामले पर विचार करते हुए आयोग ने माना कि "मानव जीवन की क्षतिपूर्ति के लिए 2000/– रु0 की राशि पूरी तरह से अपर्याप्त है तथा इस प्रकार यह जले पर नमक छिड़कने के समान है। वित्तीय राहत देने का उद्देश्य शोक संतप्त परिवार को कुछ दिलासा देना है। राहत राशि का निर्धारण करते समय मामले की परिस्थितियों तथा मृतक के आश्रितों की आवश्यकताओं के प्रति हमेशा ध्यान दिया जाना चाहिए।" सभी परिस्थितियों पर विचार कर आयोग ने सिफारिश की कि उत्तर प्रदेश राज्य वित्तीय राहत के रूप में 3,00,000/– रु0 की राशि मृतक राम चन्दर के निकटतम रिश्तेदार को प्रदान करे। राज्य सरकार ने दिनांक 5 मार्च, 2008 के पत्र के माध्यम से सूचना दी कि आयोग की सिफारिश के अनुसार 3,00,000/– रु0 की राशि संस्वीकृत की गई थी। तथापि भुगतान के साक्ष्य की अभी प्रतीक्षा है।

14. केन्द्रीय कारागार, बैंगलोर, कर्नाटक में विचाराधीन कैदी विशाल कृष्ण मेडेकर की मौत (मामला सं0 671/10/2001–02 सी डी)

6.60 आयोग ने 16 मार्च, 2002 को अधीक्षक, केन्द्रीय कारा, बैंगलौर, कर्नाटक से प्राप्त जेल में विचाराधीन कैदी विशाल कृष्ण मेडेकर की मौत की सूचना पर संज्ञान लिया तथा राज्य सरकार को संगत रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। इस बीच मृतक के पिता श्री कृष्ण बाबुराव मेडेकर ने भी एक शिकायत दर्ज कराई कि उसके पुत्र की मौत पुलिस द्वारा निर्मम तरीके से की गई पिटाई के कारण हुई।

6.61 विभिन्न रिपोर्टों पर विचार करने पर आयोग ने पाया कि पोस्ट–मॉर्टम रिपोर्ट में मृत्यु पूर्व 42 चोटों का होना बताया गया था जो कि इस बात का संकेत है कि मृतक को बुरी तरह पीटा गया था। यह प्रथम दृष्ट्या मृतक के मानव अधिकारों के हनन को सिद्ध करता है।

6.62 अतः आयोग ने मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 18 (क) (1) के तहत मृतक के निकटतम रिश्तेदार को 3,00,000/– रु0 के मुआवजे का भुगतान करने की सिफारिश की। भुगतान के साक्ष्य सहित अनुपालन रिपोर्ट की अभी प्रतीक्षा है।

15. करीमगंज, असम में न्यायिक हिरासत में मोहम्मद हारिश अली की अवैध गिरफ्तारी/बंदीकरण (मामला सं0 15/3/2000–2001)

6.63 शिकायतकर्त्ता मोहम्मद हारिश अली, रिक्शा चालक, निवासी गांव फुलबारी को उसी नाम के अन्य व्यक्ति के विरूद्ध न्यायालय द्वारा जारी वारंट के पालन के लिए गिरफ्तार किया गया। अपनी गिरफ्तारी के समय शिकायतकर्त्ता ने विरोध किया था कि न्यायालय द्वारा अपेक्षित व्यक्ति वह नहीं है परन्तु कार्यकारी अधिकारी ने उसकी बात नहीं

सुनी। हालांकि उत्तरी त्रिपुरा के पुलिस अधीक्षक ने पहली बार दिनांक 7 दिसम्बर, 2005 के पत्र के माध्यम से दावा किया था कि गिरफ्तारी सही हुई है, 12 जुलाई, 2007 की अपनी उत्तरवर्ती रिपोर्ट में उसने स्वीकार किया कि शिकायतकर्त्ता को कोई दूसरा व्यक्ति समझ कर गलती से गिरफ्तार किया गया था। शिकायतकर्त्ता ने वस्तुतः विचारण के दौरान भी गलत पहचान का प्रश्न उठाया तथा न्यायालय ने उसके पक्ष में निर्णय दिया।

6.64 आयोग ने कहा कि न्यायिक निर्णय के बावजूद पुलिस अधिकारियों के इस अनुचित कार्य को उचित ठहराने के लिए राज्य सरकार संभवतः कोई दलील नहीं दे सकती। इसलिए शिकायतकर्त्ता को उसकी आजादी से वंचित रहने के लिए मुआवजा दिया जाना चाहिए। बंदी बनाए जाने की अवधि तथा अन्य परिस्थितियों पर विचार करते हुए आयोग ने सिफारिश की कि त्रिपुरा राज्य 2,00,000/– रु0 की राशि वित्तीय राहत के रूप में शिकायतकर्त्ता को दे। भुगतान के साक्ष्य सहित अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

(ख) अवैध हिरासत एवं उत्पीड़न

16. कामरूप, असम के गौरीपुर में आउटपोस्ट देवेन्द्रनाथ डेका की मौत (मामला सं0 25/3/2002 –03 सी डी)

6.65 कामरूप, गुवाहाटी के उपायुक्त ने आयोग को एक फैक्स संदेश भेजा कि मेघालय पुलिस के सेवानिवृत पुलिस अधिकारी श्री देवेन्द्र नाथ डेका की दिनांक 13 मई, 2002 को पुलिस प्रभारी तथा उनके अधीनस्थ अन्य पुलिस कर्मियों द्वारा बुरी तरह पीटे जाने के कारण गौरीपुर आउटपोस्ट में मौत हो गई।

6.66 असम सरकार ने आयोग को सूचना दी कि पुलिस स्टेशन में कथित पुलिस कर्मियों के विरूद्ध भा. दं. सं. की धारा 302, 34 के तहत आपराधिक मामला सं0 73/2000 दर्ज किया गया। सभी दोषी व्यक्तियों, श्री एस. एल. मुकुल, कांस्टेबल अनूप शर्मा तथा मानव ककोटी, को निलंबित कर दिया। कांस्टेबलों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया था परन्तु मुकुल ककोटी फरार हो गया था।

6.67 आयोग ने 27 दिसम्बर, 2006 को इस मामले पर विचार किया तथा पाया कि मृतक के मानव अधिकारों का हनन हुआ था। दिनांक 27 अगस्त, 2007 को अपनी कार्यवाही के माध्यम से आयोग ने मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 18 (3) के अंतर्गत मृतक की माता को वित्तीय राहत के रूप में 1,00,000/– रु0 की राशि देने की सिफारिश की। आयोग की सिफारिश के अनुसार असम राज्य ने मृतक की माता को 1,00,000/– रु0 की राशि की संस्वीकृति की। भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है।

17. उत्तर प्रदेश के जिला पीलीभत में पुलिस द्वारा आजाद हुसैन को अवैध हिरासत में लेना व उत्पीड़न करना (मामला सं0 3829/24/2001–02)

6.68 आयोग ने श्री आज़ाद हुसैन पुत्र स्वर्गीय गरीबुल्लाह, निवासी कस्बा एवं पुलिस स्टेशन अमरिया, जिला पीलीभीत, उत्तर प्रदेश से 7 अप्रैल, 2001 को प्राप्त शिकायत पर संज्ञान लिया, जिसमें उसने आरोप लगाया था कि 2 जून, 2000 की रात को पुलिस स्टेशन में उसे शारीरिक प्रताड़ना दी गई, जहाँ उसे उसके पिता तथा उनके नौकर रईस अहमद की हत्या के सिलसिले में पूछताछ के लिया बुलाया गया था। उसका आरोप था कि हत्या के अपराध को स्वीकार करने के लिए दबाव डालने के लिए उसे अवैध रूप से हिरासत में रखा गया। उसे एक रस्सी से बांधा गया और उसके पैरों को जलाने के लिए एक जलती मोमबत्ती का इस्तेमाल किया गया। 4 अप्रैल, 2001 को उसे छोड़ा गया। उसने आयोग से न्याय की गुहार लगाई।

6.69 राज्य सरकार से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन करने के बाद आयोग का मानना है कि "शिकायतकर्त्ता को पुलिस हिरासत में प्रताड़ित करने के तथ्य को अपराध शाखा के पुलिस आयुक्त द्वारा स्वयं स्वीकार किया गया था। इसलिए यह मानव अधिकारों का घोर उल्लंघन है। मात्र इसलिए कि संबद्ध पुलिस अधिकारीगण अनुभागीय जांच में दोष मुक्त हो गए, यह नहीं कहा जा सकता कि शिकायतकर्त्ता के मानव अधिकारों का हनन नहीं हुआ, खासतौर पर इस तथ्य को जानते हुए कि जांच के बाद पुलिस आयुक्त ने इस बात को स्वीकार किया है। इसलिए यह तत्काल वित्तीय राहत प्रदान करने की सिफारिश के लिए उचित मामला है।"

6.70 आयोग ने इसलिए सिफारिश की कि उत्तर प्रदेश राज्य वित्तीय राहत के रूप में 50,000/– रु0 की राशि शिकायतकर्त्ता आज़ाद हुसैन को भुगतान करें तथा भुगतान के साक्ष्य सहित अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करे। राज्य सरकार से यह भी कहा गया कि वह स्पष्टीकरण दे कि उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिरीक्षक (मानव अधिकार) की सिफारिश के बावजूद भी थाना प्रभारी श्री ओ. पी. सिंह के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई क्यों नहीं की गई।

6.71 प्रत्युत्तर में उत्तर प्रदेश सरकार के सचिव ने दिनांक 14 दिसम्बर, 2007 के पत्र के माध्यम से आयोग को सूचित किया कि 50,000/– रु0 की वित्तीय राहत की राशि का भुगतान शिकायतकर्त्ता को कर दिया गया है। भुगतान का साक्ष्य भी आयोग को भेज दिया गया था। आयोग ने 4 फरवरी, 2008 को इस मामले पर अंतिम निर्णय लिया तथा आयोग के निर्देशों के अनुपालन को ध्यान में रखते हुए मामले को बंद कर दिया।

18. गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश की पुलिस द्वारा सुशील कुमार और उसकी पत्नी सविता की पिटाई करना (मामला सं0 28117/24/2006–07)

6.72 आयोग ने 16 सितम्बर 2006 को 'टाइम्स ऑफ इण्डिया' में "निर्दयी पुलिस वालों ने नोएडा के दंपत्ति को पीटा" शीर्षक से प्रकाशित समाचार रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लिया। रिपोर्ट के अनुसार सुशील कुमार और उनकी पत्नी सवेरे–सवेरे अस्पताल जा रहे थे। उसी समय पुलिस दल उनके समीप पहुँचा पति को पीटा गया तथा पत्नी की मर्यादा को भंग करने का प्रयास किया गया।

6.73 आयोग के निदेशों के अनुपालन में गौतमबुद्ध नगर के अपर पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण द्वारा जांच की गई। जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि समाचार रिपोर्ट में लगाए गए आरोप सत्य हैं। पुलिस पार्टी के विरूद्ध पुलिस स्टेशन कासना में भा. दं. सं. की धारा 354/323/504 के तहत एफ आई आर सं0 309/2006 दर्ज की गई। अन्वेषण के बाद संबद्ध पुलिस अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया तथा विचारण के लिए भेजा गया।

6.74 आयोग ने उत्तर प्रदेश राज्य से सिफारिश की कि वह 8 सप्ताहों के भीतर पीड़ित सुशील को 25,000/– रु0 तथा सविता को 50,000/– रु0 के मुआवजे की राशि का भुगतान करे। भुगतान के साक्ष्य सहित अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

19. जहानाबाद, उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा जसवन्त सिंह पटेल को अवैध हिरासत और शारीरिक प्रताड़ना (मामला सं0 5782/24/2003–04)

6.75 दिनांक 8 मई, 2003 की एक शिकायत में शिकायतकर्त्ता ने आरोप लगाया था कि उसके भाई जसवन्त सिंह पटेल को 20 अप्रैल, 2003 को पुलिस स्टेशन जहानाबाद की पुलिस द्वारा पकड़ा गया था तथा सात दिनों तक उसे

कथित रूप से बंदी बना कर अत्यधिक शरीरिक प्रताड़ना दी गई थी। इसके पश्चात् उसे पुलिस स्टेशन चांदपुर को सौंपा गया जहां फिर से उसे शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया। उत्पीड़ित पटेल ने 2 मई, 2003 को पुलिस स्टेशन चांदपुर के लॉकअप में अपने आप को आग लगा ली। उसे प्रारंभ में जलने के इलाज के लिए फार्मासिस्ट के पास ले जाया गया तथा उसके बाद ओरसला अस्पताल, कानपुर के आपातकालीन वार्ड में भर्ती किया गया। डॉक्टरों के अनुसार वह 65 प्रतिशत जल गया था। शिकायतकर्त्ता ने आयोग से इस मामले में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया।

6.76 पुलिस अधीक्षक फतेहपुर ने सूचना दी थी कि अपने कर्त्तव्य के निर्वहन में उपनिरीक्षक निसार अहमद, हेड कांस्टेबल ईश्वर चन्द्र तथा कांस्टेबल छोटे लाल पाण्डे को दोषी पाया गया तथा 5 मई, 2003 से उन्हें निलंबित कर दिया गया।

6.77 रिपोर्ट पर विचार करने पर आयोग ने निम्नलिखित निदेश दिए : "रिपोर्टें संतोषजनक नहीं हैं। पुलिस रिपोर्ट में यह स्वीकार किया गया था कि पीड़ित को पुलिस स्टेशन लाया गया था तथा पुलिस रिकॉर्ड में प्रविष्टि किए बिना ही पुलिस लॉक–अप में रखा गया। हालांकि पुलिस रिपोर्ट में पुलिस द्वारा शारीरिक प्रताड़ना के आरोप के विषय में कुछ नहीं बताया गया, परन्तु सत्य यह है कि पीड़ित ने पुलिस लॉकअप में आत्महत्या करने का प्रयास किया, जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उसे इस हद तक प्रताड़ित किया गया था कि उसने निराश होकर अपने जीवन को समाप्त करने जैसा कदम उठाया, तथा उसे आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए भा. दं. सं. की धारा 306 के तहत दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध मामला दर्ज होना चाहिए था, परन्तु जैसा कि सूचना मिली है कि दोषी पुलिस कर्मियों के विरूद्ध केवल भा. दं. सं. की धारा 342 तथा 323 के तहत मामला दर्ज किया गया। रिपोर्ट में दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई के विषय में नहीं बताया गया।"

6.78 आयोग का यह भी मानना है कि "अभिलेखबद्ध रिपोर्टों में दिए गए तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पीड़ित जसवंत सिंह पटेल, जिसे पुलिस लॉक–अप में अवैध रूप से बंद किया गया तथा शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया, के मानव अधिकारों के हनन की पुष्टि होती है।"

6.79 आयोग ने दोषी पुलिस कर्मियों के विरूद्ध प्रारंभ की गई कार्रवाई की मॉनीटरिंग की। आयोग ने उत्तर प्रदेश सरकार से सिफारिश की कि वह पीड़ित के निकटतम रिश्तेदार को तत्काल वित्तीय राहत के रूप में 1,00,000/– रु0 की राशि का भुगतान 6 माह के भीतर करे। आयोग द्वारा अनुस्मारक भेजने के बावजूद भी भुगतान के साक्ष्य सहित अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

20. राजस्थान के धौलपुर में पुलिस स्टेशन राजाखेड़ा में रमेश, संतोष और राम गोपाल की अवैध हिरासत (मामला सं0 1635/20/2002–03)

6.80 दिनांक 13 नवम्बर, 2002 को अपने टेलीग्राम के रूप में दी गई शिकायत में श्री द्वारका प्रसाद ने उल्लेख किया कि दिनांक 6 नवम्बर, 2002 को राजखेड़ा पुलिस स्टेशन का थाना प्रभारी बाबूलाल मीना उनके पुत्र श्री रमेश, पोते संतोष तथा दामाद श्री राम गोपाल को अपने साथ ले गया तथा उन्हें न तो किसी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया और न ही तब तक छोड़ा गया था।

6.81 राजस्थान सरकार से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर आयोग ने कहा कि पुलिस द्वारा पीड़ितों को अवैध रूप से हिरासत में रखने के स्वीकृत तथ्य को ध्यान में रखते हुए यह सिफारिश की जाती है कि गलत तरीके से हिरासत में लिए गए प्रत्येक पीड़ित को 10,000/– रु0 की राशि राजस्थान राज्य वित्तीय राहत के रूप में प्रदान करे। राजस्थान राज्य ने आयोग की सिफारिशों का अनुपालन कर लिया। हालांकि भुगतान के साक्ष्य की अभी प्रतीक्षा है।

(ग) पुलिस द्वारा गोलीबारी

21. जम्मू एवं कश्मीर के दोमाना में पुलिस द्वारा गोलीबारी के दौरान निशु शर्मा की मौत तथा राकेश शर्मा को चोटें आना (मामला सं0 97/9/2005–06)

6.82 आयोग को 31 अगस्त, 2005 को भेजी गई अपनी शिकायत में निदेशक, एशियन सेन्टर फॉर ह्यूमन राइट्स, नई दिल्ली ने 28 अक्टूबर, 2005 को हुई एक घटना का संदर्भ दिया जिसमें जम्मू के दूरवर्ती स्थान दोमाना शहर में पुलिस की गोलीबारी में एक युवा लड़के निशु शर्मा, निवासी रूप नगर कॉलोनी, जम्मू, की मौत हो गई थी तथा उसका मित्र राकेश शर्मा गंभीर रूप से घायल हो गया था।

6.83 आयोग ने जम्मू एवं कश्मीर सरकार द्वारा भेजी गई रिपोर्टों पर विचार किया। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि राज्य सरकार के कार्यकर्त्ताओं ने स्वयं ही स्वीकार कर लिया कि इस मामले में मुआवजा दिया जाना तर्कसंगत है, आयोग ने जम्मू व कश्मीर राज्य से मृतक निशु शर्मा के निकटतम रिश्तेदार को 2,00,000/– रु0 तथा घायल राकेश शर्मा को 50,000/– रु0 की वित्तीय राहत देने की सिफारिश की। भुगतान के साक्ष्य सहित अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

22. पूर्वी चम्पारन, बिहार में पुलिस की अंधाधुंध गोलीबारी के कारण कमलेश्वर प्रसाद जैसवाल को गंभीर चोटें आना (मामला सं0 4112/4/2000–01)

6.84 श्री कमलेश्वर प्रसाद जैसवाल नामक व्यक्ति ने 26 दिसम्बर, 2000 को आयोग को शिकायत भेजी कि वह अपने गले में लगे उपकरण की मदद से सांस ले रहा था। वह दुर्भाग्यपूर्ण घटना जिसने उसे इस स्थिति में पहुंचाया, तीन वर्ष पहले 17 जुलाई, 1997 को लगभग 12 बजे दोपहर में शिकायतकर्त्ता अपने स्कूटर पर सवार होकर पुलिस थाना सिटी मोतिहारी क्षेत्र में स्थित पुलिस पोस्ट से गुजर रहा था। अचानक पुलिस ने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। शिकायतकर्त्ता का चेहरा गोली से चोटिल हो गया। उसे तत्काल सदर अस्पताल, मोतीहारी ले जाया गया तथा उसके बाद अपोलो बर्न अस्पताल, पटना ले जाया गया। उसके जबड़े पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए थे तथा उसके चेहरा पूरी तरह से विकृत हो गया था। पटना के डॉक्टरों ने उसे सी एम आर आई, कलकत्ता के लिए रेफर किया जहां वह 1 सितम्बर, 1998 तक भर्ती रहा। इसके बाद भी उसे 30 सितम्बर, 2000 तक की सविराम अवधि के लिए दोबारा सी एम आर आई में भर्ती किया गया। इस अवधि में उसके 22 ऑपरेशन किए गए तथा इसके बाद भी उसकी स्थिति सामान्य नहीं हो पाई। शिकायत में दिए गए प्रमाणों के अनुसार उसके सामान्य स्वास्थ्य को वापस प्राप्त करने के लिए 10 और ऑपरेशन करने की आवश्यकता है।

6.85 पूर्वी चम्पारन जिले के पुलिस अधीक्षक ने अपने पत्र में दावा किया कि पुलिस ने उस क्षेत्र में हुई एक हत्या के विरोध में प्रदर्शन कर रही उग्र भीड़ को नियंत्रित करने के लिए गोलीबारी की थी। इस बात को स्वीकार करते हुए कि शिकायतकर्त्ता कमलेश्वर प्रसाद को अपने उपचार पर बहुत बड़ी राशि खर्च करनी पड़ी, पुलिस अधीक्षक ने आयोग को यह सूचना दी थी कि शिकायतकर्त्ता को वित्तीय सहायता देने की भी सिफारिश जिला मजिस्ट्रेट से की गई थी।

6.86 स्थानीय पुलिस ने गोलीबारी को इस आधार पर उचित बताने का प्रयास किया कि भीड़ हिंसक एवं अनियंत्रित हो गई थी। वहीं दूसरी ओर पुलिस ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि शिकायतकर्त्ता उस भीड़ का हिस्सा नहीं था।

संयोग से वह वहां से गुजर रहा था और उसका चेहरा गोली से जख्मी हो गया। चोट लगने का स्थान ही स्पष्टतया इस बात का संकेत देता है कि पुलिस ने न तो सावधानी बरती न ही उन मानकों का पालन किया जिसका सामान्य रूप से पालन किया जाना चाहिए। अतः आयोग ने स्वीकार किया कि शिकायकर्त्ता को होने वाले कष्टों के लिए राज्य द्वारा हरजाना दिया जाना चाहिए।

6.87 आयोग इस तथ्य से अवगत था कि मानव अधिकारों के हनन की तिथि के एक वर्ष के भीतर शिकायत दर्ज नहीं कराई गई थी। यद्यपि आयोग इस महत्वपूर्ण तथ्य से भी अवगत है कि शिकायकर्त्ता 30 सितम्बर, 2000 तक की पूरी अवधि में अस्पताल में भर्ती था । तथा उसने सी एम आर आई से निकलने के तीन महीने के भीतर शिकायत दर्ज की तथा यहां तक कि उस समय भी वह सामान्य रूप से स्वस्थ नहीं था तथा सहायक उपकरण की मदद से सांस ले रहा था।

6.88 इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आयोग ने महसूस किया कि सरकार से वित्तीय राहत का दावा करने के लिए शिकायतकर्त्ता के पास ठोस कारण है। यहां तक कि यदि उसके दावे को खुल्लम–खुल्ला नहीं नकारा जाता है तो भी, इस प्रकार का कोई कार्य स्वयं ही मानव अधिकारों के हनन को उजागर करेगा कि समय पर राहत प्रदान नहीं की गई थी। अतः उनके दावे को विलंबित न माना जाए। वास्तव में यह कहना अमानवीय होगा कि समय पर शिकायत दर्ज नहीं की गई थी। ऐसा प्रतीत होता है कि स्थानीय पुलिस इस स्थिति की गंभीरता से अवगत थी तथा किसी स्तर पर समय सीमा की आपत्ति नहीं जताई। इसके अलावा इस स्तर पर वित्तीय राहत को अस्वीकार करने का अर्थ मानव अधिकारों की अवधारणा को नकारना होगा तथा इससे मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के उद्देश्य की विफलता होगी।

6.89 मामले के विवरण, चोट की प्रकृति, पीड़ा की मात्रा तथा इलाज पर होने वाले व्यय पर विचार करते हुए आयोग ने सिफारिश की कि बिहार राज्य 7,00,000/– रु0 की राशि वित्तीय राहत के रूप में शिकायतकर्त्ता को दे। बिहार सरकार के मुख्य सचिव को 8 सप्ताह के भीतर भुगतान के साक्ष्य सहित अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था। आयोग को अनुपालन रिपोर्ट तथा भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है।

23. बालासोर, उड़ीसा में पुलिस की गोली बारी के दौरान सुनील मंडल की मौत (मामला सं0 837/18/2001–02)

6.90 शिकायतकर्त्ता ने 8 फरवरी, 2002 को अंग्रेजी दैनिक 'पायनीयर' में प्रकाशित समाचार की ओर आयोग का ध्यान आकर्षित करवाया। समाचार में उल्लेख था कि उड़ीसा के बालासोर में एक बस को रोकने के प्रयास में पुलिस ने गोलीबारी की जिसके कारण एक निर्दोष यात्री सुनील मंडल की मौत हो गई। राज्य सरकार ने इस घटना की जांच के आदेश दिए तथा मृतक के परिवार के लिए 1,00,000/– की मुआवजे की राशि अनुग्रहपूर्वक देने की घोषणा की। इस घटना में संलिप्त दो पुलिस कर्मियों को निलंबित किया गया तथा भा. दं. सं. की धारा 304 के तहत मामला भी दर्ज किया गया।

6.91 पुलिस अधीक्षक ने सूचित किया था कि सुनील मंडल के परिवार के लिए उड़ीसा राज्य द्वारा कुल 5,00,000/– रु0 की राशि का भुगतान किया गया था, जिसमें से 1,00,000/– रु0 का भुगतान मुख्यमंत्री कोष से किया गया था तथा उड़ीसा उच्च न्यायालय के निदेशों के अनुसार 4,00,000/– रु0 की राशि का भुगतान किया गया था।

6.92 चूंकि उड़ीसा राज्य ने भुगतान का साक्ष्य प्रस्तुत कर दिया था तथा दोषी पुलिस कर्मियों के विरूद्ध कार्रवाई की गई थी, अतः आयोग ने 11 मार्च, 2008 को इस मामले को बंद कर दिया था।

(घ) सैन्य अथवा अर्द्ध–सैन्य बलों द्वारा अवैध हिरासत, उत्पीड़न अथवा गोलीबारी

24. थिन्गुचिंगजिन, मणिपुर में केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस बल द्वारा अवैध हिरासत एवं उत्पीड़न (मामला सं0 38/14/1999–2000 ए एफ)

6.93 आयोग को मणिपुर निवासी श्री निमई चन्द सिंह से एक शिकायत प्राप्त हुई जिसमें एक बम धमाके, जिसमें थिन्गुचिंगजिन स्थित अपने मुख्यालय लौट रहे केन्द्रीय रिर्जव पुलिस बल के 25 बटेलियन के रक्षादल के पाँच कर्मचारी घायल हो गए, के पश्चात् 20 नवम्बर 1999 को अवैध रूप से बंदी बनाकर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। ईंट के मैदान में काम करने वाले 6 व्यक्ति (जिसमें शिकायतकर्त्ता भी शामिल था) जो धमाके की आवाज सुनकर जान बचाने के लिए दौड़े, उनको केन्द्रीय रिर्जव पुलिस बल के कर्मियों ने पीछा किया और घेर लिया तथा उनकी पिटाई की।

6.94 गृह मंत्रालय और पुलिस अधीक्षक, इंफाल से प्राप्त रिपोर्टों पर विचार करने के बाद आयोग ने 3 सितम्बर, 2007 को माना कि यह स्पष्ट है कि छह व्यक्तियों को केन्द्रीय रिर्जव पुलिस बल के कर्मियों द्वारा घेरा गया था तथा उन्हें चोटें पहुंचाई गई थी। यह भी विवाद का विषय नहीं था कि बंदी बनाए गए लोग निर्दोष थे। इन छः व्यक्तियों के मानव अधिकारों का निश्चय ही उल्लंघन हुआ था और राज्य द्वारा उपयुक्त मुआवजा प्राप्त करने के योग्य है।

6.95 इस बात पर विचार करते हुए कि जख्म मामूली थे, आयोग ने गृह मंत्रालय से सिफारिश की कि छः पीड़ितों में से प्रत्येक को 10,000/– रु0 की राशि प्रदान की जाए। यद्यपि अनुपालन रिपोर्ट अभी तक लंबित है, आयोग ने 14 जनवरी, 2008 को अपनी पूर्ववर्ती सिफारिशों को दोहराया तथा सचिव, गृह मंत्रालय (केन्द्र सरकार) को 6 सप्ताह के भीतर भुगतान के साक्ष्य सहित अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। अनुपालन रिपोर्ट तथा भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है।

25. जम्मू एवं कश्मीर के पुंछ में सैन्यकर्मियों द्वारा तीन नागरिकों मोहम्मद खादम, मोहम्मद रयाज़ और मोहम्मद राशिद का अपहरण एवं हत्या (मामला सं0 179/9/2002–03 ए डी)

6.96 दिनांक 21 मार्च, 2003 को आयोग में प्राप्त तीन शिकायतों में शिकायतकर्त्ताओं ने उल्लेख किया था कि दिनांक 28 जून, 2002 को 7 जाट रेजिमेंट, देहरी डाबसी के सैन्यकर्मियों ने उनके पतियों मोहम्मद खादम, पुत्र बग्गा, मो0 रियाज़, पुत्र–खादम हुसैन तथा मो0 रियाज़ पुत्र–कालू को उनके गांव से उठाया तथा रात में उनकी हत्या कर दी। दूसरे दिन उनके शवों को उनकी पत्नियों को सौंप दिया।

6.97 आयोग ने प्राप्त रिपोर्टों पर विचार करने के उपरान्त अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित बातें भी कहीं :"चूंकि स्थानीय पुलिस द्वारा जांच करने के बाद सैन्यकर्मियों द्वारा तीन व्यक्तियों का अपहरण एवं हत्या सिद्ध हो गई थी तथा रक्षा मंत्रालय ने पुष्टि की थी कि यह मामला न्यायालय में विचारण के लिए लंबित है, आयोग की राय है कि न्यायिक निर्णय का इंतजार किए बिना ही शोक संतप्त हृदयों को दिलासा अवश्य दी जानी चाहिए। आयोग के समक्ष कार्यवाही, आपराधिक विचारण से स्वतंत्र है तथा आयोग द्वारा अपेक्षित साक्ष्य का स्तर उतना सख्त नहीं होता जितना कि आपराधिक विचारण में अपेक्षित होता है। अतः सभी परिस्थितियों पर

विचार कर आयोग ने भारत के केन्द्र सरकार को सिफारिश की कि तीनों मृतकों खादम हुसैन, मो0 रियाज़ और मो0 राशिद, सभी निवासी गांव–देहरी डबासी, तह0 मेंढ़र, जिला पुंछ, के निकटतम रिश्तेदारों को 2,00,000/– रु0 की राशि का भुगतान करे।"

6.98 प्रत्युत्तर में रक्षा मंत्रालय से एक पत्र प्राप्त हुआ जिसमें उन्होंने आयोग से आग्रह किया कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए आयोग अपने निर्णय पर दोबारा विचार करे कि मृतकों के निकटतम रिश्तेदारों को मुआवजे के भुगतान संबंधी निर्णय लेने से पहले कानून की उचित प्रक्रिया के माध्यम से सेना की सदोषता को स्पष्ट रूप से सिद्ध किया जाना आवश्यक है। उसमें उल्लेख था कि मामला न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण इस स्तर पर मुआवजे के भुगतान का निर्णय करना जल्दबाजी होगी।

6.99 आयोग ने दिनांक 11 अक्टूबर, 2007 को इस मामले पर विचार किया और अन्य बातों के साथ–साथ यह माना तथा निर्देश दिया : "मंत्रालय की ओर से प्रस्तुत की गई दलील का समर्थन नहीं किया जा सकता। दाण्डिक न्यायालय के कार्य एवं अधिकार क्षेत्र आयोग के कार्य एवं अधिकार क्षेत्र से पूर्णतः भिन्न एवं अलग हैं। जब कि न्यायालय अपराध का दायित्व तय करता है तथा दोषियों को दण्डित करता है। आयोग पीड़ित की शोक संतप्त आंखों से आंसू पोंछने की दृष्टि से उनको वित्तीय मुआवजा देने की सिफारिश करता है। एक दाण्डिक विचारण मे साक्ष्य का स्तर एकदम सख्त होता है तथा बिना किसी संदेह के अपराध सिद्ध किया जाना चाहिए, परन्तु सभी संभावनाओं के आधार पर तत्काल वित्तीय राहत प्रदान की जा सकती है तथा केवल प्रथम–दृष्ट्या मामला दर्ज किया जा सकता है। यह समीचीन होगा कि तत्काल वित्तीय राहत के विषय को दाण्डिक दायित्वों के साथ घालमेल न किया जाए। अतः भारत सरकार को सुझाव दिया जाता है कि दिनांक 3 अगस्त 2007 को हुई कार्यवाही के माध्यम से आयोग द्वारा की गई सिफारिशों का अनुपालन करे।" अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

26. पश्चिम बंगाल में बी एस एफ कर्मियों द्वारा उत्तम साहा का हिरासत में उत्पीड़न (मामला संख्या 529/25/2000–01 पी एफ)

6.100 सचिव, ऑर्गनाइजेशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स, पश्चिम बंगाल ने अपनी दिनांक 27 दिसम्बर, 2000 की शिकायत में उल्लेख किया कि दिनांक 23 जुलाई, 2000 को प्रातः करीब 8.00 बजे 40 वर्षीय श्री उत्तम साहा नामक व्यक्ति को 48 बटेलियन के बी एस एफ कर्मियों द्वारा बुरी तरह प्रताड़ित किया गया तथा यहां तक कि उसे 500 मि0 ली0 की मात्रा में कोई नशीला पदार्थ दिया गया जिससे कि मिथायल एल्कोहल की विषाक्तता हो गई तथा जिससे उसकी दोनों आँखें अंधी हो गई। उसकी गंभीर दशा को जानकर उत्तम साहा को उत्तर दिनाजपुर जिला अस्पताल में भर्ती किया गया तथा उसके बाद उसे एस एस के एम अस्पताल, कलकत्ता स्थानांतरित कर दिया गया।

6.101 रिकॉर्डों का अवलोकन करने पर आयोग ने पाया कि बी एस एफ अधिकारियों द्वारा प्रताड़ना के आरोप, जिसके कारण उत्तम साहा की दृष्टि चली गई, सही हैं। पीड़ित उत्तम साहा को शारीरिक एवं मानसिक उत्पीड़न सहना पड़ा था। उसके मानव अधिकारों का हनन हुआ था और यह वित्तीय राहत प्रदान करने हेतु उचित मामला है। अतः आयोग ने सिफारिश की कि पीड़ित को वित्तीय राहत के रूप में 50,000/– रु0 की राशि का भुगतान किया जाए। सचिव, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली को निदेश दिया गया कि चार सप्ताह के भीतर भुगतान का साक्ष्य प्रस्तुत करे। चूंकि अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त हो गई थी अतः आयोग ने यह मामला बंद कर दिया।

27. इंडो–बांग्ला बॉर्डर, मालदा, पश्चिम बंगाल में सुरक्षा बलों द्वारा की गई गोलीबारी में रंजन सिंह की हत्या (मामला सं0 128/25/1998–1999–ए डी)

6.102 एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स, मालदा से इंडो–बांग्ला बॉर्डर पर सुरक्षा बलों द्वारा एक भारतीय नागरिक की हत्या तथा साथ ही उसकी पहचान के सबूत मिटाने के लिए उसके शव के साथ हेर–फेर करने संबंधी शिकायत प्राप्त होने पर आयोग ने गृह मंत्रालय से रिपोर्ट मांगी।

6.103 बी एस एफ के 11 वीं0 बटेलियन के कमांडेंट की जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि पीड़ित रंजन सिंह गांव मोर्चा का रहने वाला था। उसकी मौत इण्डो–बांग्ला बॉर्डर पर किस्टोपुर गांव के निकट, जो कि गांव मोर्चा से 82 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, सुरक्षा बलों द्वारा आत्म–रक्षा में किए गए अभ्यास के दौरान हुई। अतः बी एस एफ की 11 वीं बटेलियन के कमांडेंट द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की ध्यानपूर्वक जांच करने पर आयोग की राय थी कि "घटना में संलिप्त प्रेक्षण दल को दोषमुक्त नहीं समझा जा सकता। यह कोई ऐसा मामला नहीं है कि मृतक अथवा उसका कोई साथी अग्नेय अस्त्र लिए हुए था। रिपोर्ट के अनुसार उनके पास केवल नुकीले हथियार थे। इस प्रकार संभवतः वहां गोलीबारी की आवश्यकता नहीं थी तथा बदमाशों को दूसरे तरीके से पकड़ा जा सकता था। यहां तक कि यदि आत्म–रक्षा की दलील को सत्य मान भी लिया जाए, तब भी शव के साथ हेर–फेर तथा उसकी कलाई में गुदे हुए नाम को मिटाने के लिए कोई तर्क नहीं है। गुदाई के निशान को मिटाना किसी मृत व्यक्ति की प्रतिष्ठा का उल्लंघन करने के समान है।"

6.104 सभी परिस्थितियों पर विचार कर आयोग ने माना था कि गृह मंत्रालय अवश्य ही मृतक रंजन सिंह के परिवार को मुआवज़ा दे। अतः आयोग ने गृह मंत्रालय, भारत सरकार को निदेश दिया कि मृतक रंजन सिंह के निकटतम रिश्तेदार को वित्तीय राहत के रूप में 3,00,000/– रु0 की राशि का भुगतान करे। गृह मंत्रालय ने आयोग को सूचित किया कि भुगतान करने के लिए संस्वीकृति आदेश जारी किया गया था। यद्यपि भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है।

ड.) सांप्रदायिक हिंसा

28. उड़ीसा के कंधमाल जिले में ईसाइयों के विरूद्ध हिंसा (मामला सं0 825/18/26/2007–08 लिंक फाइल सं0 923/18/26/2007–08)

6.105 आयोग को कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इण्डिया (सी.बी.सी.आई.) के प्रवक्ता से 24 और 25 दिसम्बर, 2007 को उड़ीसा के कंधमाल में हुई हिंसा, जिसमें ईसाइयों के कुछ चर्चों तथा संस्थानों को ध्वस्त किया गया था तथा अनेकों घरों एवं अन्य संपत्तियों को नुकसान पहुंचाय गया था, के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई। सी.बी.सी.आई.ने उल्लेख किया कि ऐसा लगता है मानो यह हमला कुछ भ्रमित रूढ़िवादियों तथा असामाजिक तत्वों द्वारा सांप्रदायिक शांति को भंग करने का सुनियोजित प्रयास था। इस घटना पर मीडिया द्वारा भी प्रकाश डाला गया तथा आयोग को इस मामले में ग्लोबल काउंसिल ऑफ इण्डियन क्रिश्चियन, सिनोडिकल बोर्ड ऑफ सोशल सर्विसेज, पब्लिक इंटरेस्ट लीगल सपोर्ट रिसर्च सेन्टर तथा पेंशन फॉर ग्लोबल पीस वर्ल्ड विज़न सहित अनेक व्यक्तियों एवं संगठनों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए। इसके अतिरिक्त नेशनल कैम्पेन ऑन दलित ह्यूमन राइट्स ने भी एक अभ्यावेदन दिया, जिसमें उन्होंने पाना समुदाय के प्रति हुए अत्याचारों और भेदभाव के मुद्दे को उठाया।

6.106 आयोग के निदेशों के अनुपालन में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के महानिदेशक (अन्वेषण) तथा पुलिस महानिरीक्षक, उड़ीसा ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा घटना के विभिन्न पहलुओं की जांच के लिए सरकार द्वारा स्थापित उच्चस्तरीय समिति की जांच रिपोर्ट भी भेजी। जांच रिपोर्टों के विश्लेषण से खुलासा हुआ कि उस क्षेत्र में कन्ध जनजाति (जो कि कंधमाल जिले के साथ–साथ राज्य में भी संख्या के हिसाब से में प्रमुख जनजाति है) तथा कुई–बोलने वाले पानाओं, जिन्हें अनुसूचित जाति का दर्जा प्राप्त है तथा जो कंधों के खेतों में काम किया करते थे, के बदलते समाजिक–आर्थिक समीकरणों के कारण सामुदायिक तनाव उत्पन्न हुआ था। समय बीतने के साथ–साथ पानाओं ने कंधों की अपेक्षा तीव्र गति से प्रगति की। भारी संख्या में पाना लोग धर्मान्तरण करके ईसाई बन गए परन्तु वे चाहते थे कि उन्हें अनुसूचित जाति के रूप में आरक्षण की सुविधा मिलती रहे। कुछ पानाओं ने एक संघ बनाकर कुई–बोलने वाले पानाओं को अनुसूचित जन जाति का दर्जा दिए जाने की मांग की। कंधमाल जिला कुई समाज समन्वय समिति के बैनर के अंतर्गत जनजातीय समुदायों ने जिले में 36 घंटों के बंद का आह्वान किया। ब्राह्मण गांव में बंद एवं सामुदायिक हिंसा दोनों एक साथ हो गए, जहां क्रिसमस के आयोजन के लिए ईसाइयों द्वारा मेहराबों को निर्माण विरूद्ध हिंदु समुदाय के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। यह स्थिति उस समय और भी भड़क गई जब विश्व हिंदू परिषद के स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती को ईसाई समुदाय से संबंधित भीड़ द्वारा कथित रूप से उस समय बंदी बनाया गया तथा उन पर हमला किया जब वह ब्राह्मण गांव की ओर जा रहे थे। जिला प्रशासन को अपने सीमित संसाधनों के कारण इस स्थिति पर प्रभावी तरीके से नियंत्रण करने में कठिनाई हुई। दोनों समुदायों की भीड़ हिंसा पर उतारू हो गई। सबसे अधिक संपत्ति को नुकसान बाराखामा नामक स्थान पर हुआ जहां कुछ हिंदुओं द्वारा ईसाइयों के धरों एवं संपत्ति को ध्वस्त किया गया। ब्राह्मण गांव में भी हिंसा भड़क गई, जहां अल्पसंख्यक हिंदू इसके शिकार बने।

6.107 उच्च स्तरीय समिति ने निष्कर्ष निकाला कि ये घटनाएं सामुदायिक उन्माद के अचानक भड़क जाने के कारण हुई तथा इन आरोपों से इंकार किया कि यह सामुदायिक शांति को भंग करने के लिए असामाजिक एवं रूढ़िवादी तत्वों द्वारा किया गया सुनियोजित प्रयास था। रिपोर्ट में उल्लेख था कि स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सभी संभव उपाय किए गए थे। पर्याप्त बलों, जिनमें उड़ीसा प्लाटून, विशेष सशस्त्र पुलिस, केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस बल, आर ए एफ तथा स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप शामिल है, को तैनात किया गया था। दिनांक 15 जनवरी 2008 तक 123 मामले दर्ज किए गए थे तथा 162 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था जिनमें 137 हिन्दू शामिल थे। राज्य सरकार ने पीड़ितों के लिए राहत पैकेजों की घोषणा की थी। इसके अंतर्गत प्रभावित परिवारों के लिए तीन महीने का राशन, सभी दंगा–प्रभावित संस्थानों को 2,00,000/– रु0 तथा आंशिक एवं पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए क्रमशः 20,000/– रु0 तथा 50,000/– रु0 किया जाना शामिल है।

6.108 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) जाँच की रिपोर्ट और निष्कर्ष कमोबेश उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्टों और निष्कर्षों की तर्ज पर ही है। इस टीम को एक एनजीओ की गतिविधियों के खिलाफ असंतोष भी देखने को मिला। टीम की इन अभ्युक्तियों से संकेत मिलता है कि हिंसा का मुख्य कारण सांप्रदायिक सनक थी और नस्ली नृजातीय सोच की भूमिका गौण थी।

6.109 इसी बीच, ग्लोबल कांउसिल ऑफ इंडियन क्रिश्चियन ने 6 मार्च, 2008 को एक दूसरी रिपोर्ट भेजी है, जिसमें ईसाइयों के खिलाफ हिंसा फैलाने के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने/उन्हें गिरफ्तार करने के अनेक मामलों की रिपोर्टें भेजी गई है। काउंसिल ने यह भी आरोप लगाया गया है कि ईसाइयों को झूठे मामलों में फंसाया जा रहा है, उन पर नक्सलपंथी होने का आरोप लगाकर गिरफ्तार किया जा रहा है। बाराखाम राहत शिविर में राज्य सरकार की

सशस्त्र पुलिस द्वारा महिलाओं को ईसाइयत छोड़ने के लिए बाध्य किया जा रहा था। राज्य प्रशासन उन ईसाइयों को इलाका छोड़ने की सलाह दे रहा, जिनके घर बर्बाद कर दिए गए हैं।

6.110 शिकायत को संज्ञान में लेकर आयोग ने उड़ीसा के मुख्य सचिव को एक रिपोर्ट जारी कर चार सप्ताह में रिपोर्ट मांगी। रिपोर्ट की प्रतीक्षा है और यह मामला आयोग के विचाराधीन है।

29. गोधरा के बाद की हिंसा के संबंध में "आज तक" पर "आपरेशन कलंक" नामक कार्यक्रम को स्वतः प्रेरणा से संज्ञान में लेना।

6.111 आयोग ने 25 अक्तूबर, 2007 को टीवी चैनल "आज तक" पर प्रसारित "आपरेशन कलंक" नामक कार्यक्रम को स्वतः प्रेरणा से संज्ञान में लिया, जिसमें गुजरात के मुख्यमंत्री, गृह राज्य मंत्री और पुलिस अधिकारियों सहित सभी राज्य प्राधिकारियों पर गुजरात में गोधरा हिंसा के बाद निर्दोष नागरिकों को जान से मारने का आरोप लगाया गया था। आयोग को इस मामले में श्री अब्दुर्रहमान मोहम्मद युसुफ अंजरिया की शिकायत भी प्राप्त हुई थी।

6.112 आयोग ने गुजरात सरकार को निदेश दिया कि वह दो सप्ताह के भीतर टेपों और उनमें लगाए गए आरोपों की प्रामाणिकता की जाँच सीबीआई से कराने के लिए केन्द्र सरकार को अपनी सहमति सूचित करे।

6.113 इसके उत्तर में गुजरात सरकार ने सीबीआई जाँच के लिए अपनी सहमति देने पर इस आधार पर असमर्थता व्यक्त की कि जाँच आयोग अधिनियम, 1952 के प्रावधानों के तहत उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी टी नानावती और गुजरात तथा मुम्बई उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री के.पी. शाह को गोधरा के बाद फैली हिंसा के विभिन्न पक्षों, जिसमें मुख्यमंत्री और/या उनके मंत्रिपरिषद के अन्य मंत्रियों, पुलिस अधिकारियों तथा अन्य व्यक्तियों और संगठनों की भूमिका और आचरण शामिल है, की जांच के आदेश दिए जा चुके हैं।

6.114 राज्य सरकार की ओर से यह भी कहा गया है कि "आपरेशन कलंक" प्रसारण द्वारा कथित पोल खोलने की किसी प्रकार की जांच सीबीआई जैसी एजेंसी से कराना जरूरी नहीं है क्योंकि जरूरी कार्रवाई पहले ही की जा चुकी है और विचारण लंबित है। इस बीच, यदि कोई अतिरिक्त सामग्री उपलब्ध कराई जाती है तो उसे संबंधित न्यायालय के समक्ष रख दिया जाएगा।

6.115 आयोग ने गुजरात की राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत मुद्दे के सभी पहलुओं पर भलीभांति विचार किया। आयोग ने नोट किया कि पीएचआरए 1993 आयोग को किसी भी मानवाधिकार के उल्लंघन या उस उल्लंघन को रोकने में लापरवाही की जाँच करने का अधिकार प्रदान करता है। अधिनियम के तहत जाँच करने वाले आयोग का स्तर सिविल न्यायालय का है। यह जाँच आयोग अधिनियम 1952 के तहत गठित केवल प्रशासनिक या तथ्य खोजने वाला प्रशासनिक आयोग नहीं है बल्कि एक न्यायिक कल्प निकाय है जिसके क्षेत्राधिकार को अस्वीकार नहीं किया जा सकता।

6.116 धारा 36(1) के अनुसार आयोग ऐसे किसी मामले में जांच नहीं कर सकता, जो अधिनियम की धारा 36(1) के तहत कुछ समय के लिए प्रवृत्त किसी विधि के तहत विधिवत गठित किसी राज्य आयोग या किसी अन्य आयोग के

समक्ष लंबित हो। "अन्य किसी आयोग" का अर्थ राज्य आयोग की धारा की यह योजना व्यवस्थापिका के आशय को स्पष्ट कर देता है। धारा 36(1) को ध्यान में रचकर गठित किसी आयोग को राज्य आयोग या राष्ट्रीय मानवाधिकार से संबंधित होना होगा और इसके प्रकार्य और शक्तियां वहीं होंगी जो राज्य आयोग या एनएचआरसी की होंगी । जाँच आयोग अधिनियम के तहत गठित कोई भी आयोग उस श्रेणी में नहीं आएगा। क्योंकि ऐसे आयोग का स्वरूप प्रशासनिक निकाय का होगा और इसकी भूमिका न्यायिक कल्प निकाय की नहीं है जैसाकि एनएचआरसी पर राज्य आयोग की है।

6.117 इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तथा जांच आयोग अधिनियम (संक्षेप में जांच आयोग) के तहत गठित आयोग में गठन, अवधि प्रकार्य और शक्तियों को लेकर दोनों के बीच मूलभूत अंतर हैं। इसलिए एनएचआरसी के क्षेत्राधिकार को केवल इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता कि न्यायमूर्ति नानावती और न्यायमूर्ति शाह आयोग समान प्रकार के मुद्दों पर कार्रवाई कर रहे हैं।

6.118 आपराधिक मामलों के न्यायालयों में लंबित होने तथा उच्चतम न्यायालय में स्थानांतरण की याचिकाएं दायर होने पर भी वे आयोग के क्षेत्राधिकार में बाधक नहीं हो सकतीं।

6.119 किसी मामले के न्यायाधीन होने पर एनएचआरसी को किसी मामले को अपने क्षेत्राधिकार में लेने का विवेकानुसार निर्णय लेने का अधिकार है। ऐसा हो सकता है कि आयोग मामले के अन्वेषण या जांच के पश्चात् अधिनियम की धारा 12(ख) के अंतर्गत न्यायिक कार्यवाही में अंतक्षेप करने का निर्णय ले सकता है।

6.120 मानवाधिकार संरक्षण अधिनिमय, 1993 की धारा 12(क) के तहत आयोग का अधिकार है कि वह किसी लोक सेवक द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन या इसके लिए उकसाने या ऐसे उल्लंघन को रोकने पर लापरवाही बरतने की शिकायतों की जाँच करे।

6.121 इसके अतिरिक्त, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 14(1) के अनुसार आयोग किसी जाँच से जुड़ी छानबीन करने के लिए केन्द्र सरकार या राज्य सरकार, जैसी भी स्थिति हो, की सहमति से केन्द्र सरकार या राज्य सरकार किसी जाँच एजेंसी या अधिकारी की सेवाओं का उपयोग कर सकता है।

6.122 अधिनियम की धारा 14(1) के तहत अन्वेषण आपराधिक दंड प्रक्रिया के अन्वेषणों से अलग है। यह धारा 12 के तहत जाँच में मदद के लिए अन्वेषण है। अधिनियम की धारा 14(1) को ध्यान में रखकर किए गए अन्वेषण से पुलिस जाँच से प्राप्त अंतिम रिपोर्ट या चालान नहीं प्राप्त होती परंतु ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होती है, जिसे एनएचआरसी संवीक्षा कर सकता है।

6.123 सीबीआई, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम के तहत एक स्वतंत्र जांच एजेंसी है। दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम के तहत आपराधिक मामलों की जाँच करते समय सीबीआई पुलिस के जाँच संबंधी कार्य निष्पादित करती हैं और यह दंड प्रक्रिया संहित के तहत आने वाली शक्तियों और क्षेत्राधिकार का उपयोग करती है। चूंकि पुलिस और पुलिस कार्य पूरी तरह से राज्य के अंतर्गत आते हैं (भारत के संविधान की अनुसूची–7 की प्रविष्टि–2, सूची–2)। इसलिए दिल्ली पुलिस स्थापना अधिनियम की धारा 6 में प्रावधान है कि किसी राज्य में सीबीआई जाँच शुरू करने से

पूर्व उस राज्य की सरकार की सहमति प्राप्त करनी अनिवार्य होगी । तथापि, जब सीबीआई मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा के प्रावधानों के अनुसार जाँच करती है उस समय स्थिति भिन्न होती है। अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत जाँच करते समय सीबीआई, एनएचआरसी के अंतर्गत काम करती है तथा यह धारा 14 की उपधारा–2 में दिए गए अधिकारों का सीमित मात्रा में उपयोग करती हैं । इसलिए अधिनियम की धारा 14(1) में सहमति का भिन्न अर्थ अभिधान है । इसका साधारण–सा अर्थ है किसी अधिकारी या जाँच एजेंसी की सेवाएं उधार लेकर उनका उपयोग करना।

6.124 चूंकि सीबीआई केन्द्र सरकार की जाँच एजेंसी है, इसलिए आयोग से केवल यह अपेक्षित था कि वह केन्द्र सरकार से सीबीआई की सेवाएं देने की सहमति प्रदान करने के लिए कहे और आयोग "आपरेशन कलंक" के टेपों तथा उनमें निहित आरोपों की प्रामाणिकता की जांच के लिए सीबीआई की सेवाओं के लिए अनुरोध करने से पूर्व राज्य सरकार की सहमति प्राप्त करने के लिए कानूनी तौर पर बाध्य नहीं था। राज्य सरकार की सहमति के लिए अनुरोध केवल शिष्टाचारवश किया गया था।

6.125 आयोग ने आयोग के क्षेत्राधिकार के पक्ष पर राज्य सरकार के दृष्टिकोण को अतर्कसंगत और अयुक्तियुक्त माना। इसलिए आयोग ने सीबीआई जाँच के अपने पूर्व निर्णय को दोहराया तथा निदेश दिया कि भारत सरकार से "आपरेशन कलंक" शीर्षक के तहत "आज तक" द्वारा किए गए स्टिंग आपरेशन के टेपों और उनसे उजागर हुए तथ्यों की प्रामाणिकता की जांच के लिए सीबीआई की सेवाएं देने के लिए अपनी सहमति सूचित करने के लिए कहा जाए। सी.बी.आई. के रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

(च) विकास के कारण विस्थापन

30. नंदीग्राम (पश्चिम बंगाल में पुलिस गोलीबारी में मारे गए और घायल ग्रामीण) मामला संख्या (725/25/12/2007–08) ।

6.126 समाचार–पत्रों की रिपोर्टों के आधार पर आयोग ने 15 मार्च, 2007 को मार्च 2007 में नंदीग्राम में घटित एक पूर्व घटना को स्वतः प्रेरणा से संज्ञान में लिया। बाद में श्री संजय पारिख, एडवोकेट ने एक याचिका के जरिए 6 नवम्बर, 2007 के बाद पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में मौजूद अशांत और अस्थिर स्थितियों के प्रति आयोग का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने श्रीमती मेधा पाटकर से प्राप्त एक संदेश को भी आयोग को अग्रेषित किया और हस्तक्षेप के लिए अनुरोध किया। आयोग ने याचिका को संज्ञान में लिया तथा मामला सं. 725/25/2007–2008 पंजीकृत किया गया।

6.127 पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को दस दिनों के भीतर तथ्यपरक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया। आयोग के जाँच प्रभाग की एक टीम को नंदीग्राम के अशांत क्षेत्र में जाकर स्थिति की जांच करने का काम सौंपा गया। साथ ही, साथ भारत सरकार के गृह सचिव से ऐसे कदम उठाने का अनुरोध किया गया जो नंदीग्राम की स्थिति में सुधार लाने के लिए आवश्यक हों।

6.128 पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव ने 3 दिसम्बर, 2007 को एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया, जिसमें रहस्योद्घाटन किया गया था कि 6 से 12 नवम्बर के बीच घटित घटनाओं में 560 घरों को पूरी तरह से और 399 घरों को आंशिक तौर पर क्षतिग्रस्त किया गया था । रिपोर्ट में आगे यह भी कहा गया है कि राज्य सरकार ने पूरी तरह से क्षतिग्रस्त प्रत्येक घर

को 10,000/– रुपए, आंशिक तौर पर क्षतिग्रस्त प्रत्येक घर को 5,000/– रुपए तथा प्रत्येक प्रभावित परिवार को बर्तन तथा घरेलू सामान के लिए 1000/– रुपए देने का निर्णय लिया है । रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार अनुग्रह राशि के लिए मंजूरी की प्रक्रिया फिलहाल चल रही है।

6.129 जाँच दल द्वारा प्रस्तुत की गई तथ्यपरक रिपोर्ट के आधार पर निःसंदेह, आयोग ने नंदीग्राम की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के लिए कुछ ऐसी सामान्य टिप्पणियां की है, जिसकी जिम्मेदारी से न तो संबंधित राजनीतिक दल और न ही एनजीओ बच सकते हैंः–

- पुलिस और नौकरशाही को राजनीतिक प्रभाव से मुक्त रहना चाहिए। सत्तारूढ़ के साथ मिलीभगत से जनता का विश्वास भंग होता है, जिससे अपरिहार्य संकट का जन्म होता है ।

- सत्तारूढ़ दल को पक्षपात और पूर्वाग्रह रहित शासन करने के अपने संवैधानिक दायित्व के प्रति निरंतर सचेष्ट रहना चाहिए। उसे कभी भी अपने समर्थकों की गैर–कानूनी गतिविधियों को न तो प्रोत्साहित करना चाहिए और न उसमें मिलीभगत होनी चाहिए।

- विपक्ष को सरकार की असफलताएं उजागर करने तथा उन नीतियों के बारे में लोगों को शिक्षित करने का अधिकार है, जिन्हें वह नुकसानदेह समझता है । हालांकि विपक्ष शांतिपूर्ण आंदोलन का मार्ग अपना सकता है। परंतु किसी भी हालत में इसे लोगों को गैर–कानूनी गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए ।

- सत्तारूढ दल और विपक्ष में निरंतर संवाद चलते रहना चाहिए तथा इस प्रकार के संवाद का व्यापक उद्देश्य लोगों का जनकल्याण होना चाहिए।

- प्रजातांत्रिक ढांचे में समाचार–पत्र (प्रेस) अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं इसलिए घटनाओं की रिपोर्ट छापते समय इसे हमेशा संतुलित और पूर्वाग्रह मुक्त ष्टिकोण अपनाना चाहिए। नंदीग्राम के मामले में समाचार–पत्रों (प्रेस) ने लोगों के साथ किए जा रहे जुल्मों को उजागर कर प्रशंसनीय काम किया परंतु यह इस बात पर बल न देकर कि नंदीग्राम के बहुत बड़े भू–भाग का घेराव असैंवधानिक था, अपने दायित्व का निर्वाह नहीं कर सका।

- उद्योग या "सेज" जैसी परियोजनाओं के लिए कृषि भूमि का अधिग्रहण किया जाना चाहिए या नहीं यह एक विचारणीय विषय है। कृषि ही किसानों की जीविका का एकमात्र साधन है, इसलिए उनकी भूमि के लिए धन के रूप में दिया गया मुआवजा अपर्याप्त हो सकता है । भूमि का अधिग्रहण किए जाने से ऐसे विस्थापित लोगों के पुनर्वास की प्रक्रिया में सरकार को स्थानीय लोगों को विश्वास में लेना चाहिए। साथ ही, सरकार को विस्थापित लोगों की जीविका के वैकल्पिक साधन और रहने के लिए स्थान सुनिश्चित करना चाहिए। आर्थिक मुआवजे के अतिरिक्त, इस बात पर भी विचार किया जा सकता है कि क्या बसने के लिए कोई दूसरी जमीन दी जा सकती है या जिस परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहित की गई है, पर्याप्त संख्या में उसके शेयर आबंटित कर तथा प्रत्येक प्रभावित परिवार के एक

व्यक्ति को रोजगार दिलाकर या परियोजना से जोड़ा जा सकता है या अन्य उपायों पर विचार किया जा सकता है। हो सकता है कि कृषक मुआवजे के रूप में प्राप्त धन को उचित ढंग से निवेश करने की स्थिति में न हों। सरकार द्वारा आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए ताकि उचित निवेश के लिए सलाहकार नियुक्त किए जा सकें।

6.130 आयोग ने एक आंतरिक (इन–हाउस) समिति की नियुक्ति करना आवश्यक भी समझा जो मामले की छानबीन कर होने वाले नुकसान के लिए मुआवजे के संबंध में सुझाव दे तथा यह सुनिश्चित करे कि आर्थिक राहत हकदार लोगों तक पहुंचे। गठित की गई समिति में एचआरसी के महासचिव, विशेष संपर्क कर्त्ता और रजिस्ट्रार (विधि) शामिल किए गए थे।

6.131 समिति ने निम्नलिखित सिफारिशों सहित अपनी रिपोर्ट आयोग को सौंपी :

1) राज्य सरकार को उन लोगों की एक पूरी सूची प्रकाशित करने के अनुदेश जारी किए जाएं, जिनके घर नंदीग्राम क्षेत्र में "सेज" मुद्दे के संबंध में 14 मार्च से नवम्बर, 2007 तक घटित घटनाओं में क्षतिग्रस्त कर दिए गए थे इस सूची में पता, निर्माण के स्वरूप (पक्का/कच्चा), क्षति का विस्तार (पूर्ण/आंशिक), दी जाए या देने के लिए प्रस्तावित राशि के ब्यौरे दिए जाएं।

2) इस संबंध में अब तक प्राप्त आवेदन–पत्रों की सूची तथा उसकी स्थिति प्रकाशित की करो।

3) ऊपर क्र.सं. 1 और 2 पर उल्लिखित सिफारिशें बड़े विस्तार क्षेत्र वाले कम से कम दो स्थानीय बंगला समाचार–पत्रों में प्रकाशित की जाएँ।

4) इस प्रकाशन में उस तारीख का भी उल्लेख किया जाए जब तक कोई व्यक्ति आवेदन–पत्र दे सकता है या अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकता है। समाचार–पत्र में प्रकाशन की तारीख से एक माह के तीन सप्ताह का समय आवेदन–पत्र प्राप्त करने के लिए उचित माना जाएगा। आवेदनकर्ता को रसीद दी जाए।

5) ये सूचियां ग्राम पंचायत और ब्लॉक कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर लगाई जाएं तथा इनकी प्रतियां राज्य के सभी मान्यताप्राप्त दलों के जिला स्तर के प्रतिनिधियों को दी जाएँ। बीयूपीएस भूमि उच्छेद प्रतिरोध समिति के प्रतिनिधियों को भी प्रतियां दी जाएं और रसीद जरूर ली जाए।

6) सभी नए आवेदन–पत्रों और अभ्यावेदनों के बारे में विधिवत् पूछताछ की जाए और निर्णय लिया जाए, जिसकी पुष्टि एनएचआरसी द्वारा कराई जाए।

7) समिति का मत है कि क्षतिग्रस्त घरों/दुकानों के लिए निम्नलिखित अनुग्रह राशि तर्कसंगत है।

- पक्के घर– पूरी तरह से क्षतिग्रस्त के लिए 20,000/– रुपए तथा आंशिक तौर पर क्षतिग्रस्त के लिए 10,000/– रुपए।

- कच्चे घर – पूरी तरह से क्षतिग्रस्त के लिए 12,000/– रुपए तथा आंशिक तौर पर क्षतिग्रस्त के लिए 6000/– रुपए।

- कच्चे घरों की दरों पर ही दुकानों के लिए अनुग्रह राशि दी जाएगी।

8) 14 मार्च की घटनाओं में मारे गए व्यक्तियों के निकटतम संबंधी को दी जाने वाली अनुग्रह राशि की तर्ज पर ही इस मुद्दे से जुड़ी अन्य घटनाओं में मारे गए लोगों के निकटतम संबंधी को भुगतान किया जाए।

9) राज्य सरकार को चाहिए कि घायल व्यक्तियों की अनुग्रह राशि के भुगतान के बारे में तत्काल निर्णय ले तथा आयोग को सूचित करे।

6.132. आयोग ने समिति की रिपोर्ट को अनुमोदित किया और सुझाव दिया कि निम्नलिखित दो सिफारिशें जोड़ी जाएँ तथा राज्य सरकार को अग्रेषित की जाएँ।

(i) एस.पी.,पूर्व मिदनापुर जिला को सुनिश्चित करना चाहिए कि जिले के थानों में प्राप्त सभी शिकायतों पर उचित की जाती है। यदि शिकायत के आरोप से संक्षेप अपराध का पता चलता है तो धारा 154 दंड प्रक्रिया संहित के प्रावधान लगाएँ जाए।

(ii) मारपीट और दंगाफसाद की घटनाओं के मामले में दर्ज पुलिस केस के सिलसिले में गिरफ्तार सभी लोगों को आवश्यक होने पर विधिक सहायता दी जाए।

6.133 मामले की कार्यवाही अभी चल रही है।

(च) अनुसूचित जातियों/जनजातियों के अधिकारों का उल्लंघन

31. अररिया, बिहार में अनुसूचित जाति की महिला (नाम गुप्त रखा) का बलात्कार तथा उस पर किए गए अन्य अत्याचार (मामला संख्या 431/4/2001–2002)

6.134 संथाल (आदिवासी) अनुसूचित जाति विकास समिति, जिला अररिया के अध्यक्ष ने अपने दिनांक 30 अप्रैल, 2001 के पत्र के साथ एक महिला (नाम गुप्त रखा गया) की शिकायत अग्रेषित की है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि 21 अप्रैल, 2001 को मनोज यादव नामक व्यक्ति अन्य पांच लोगों के साथ उनके घर पर आकर शराब की मांग की । शराब देने से इनकार करने पर मनोज यादव जबर्दस्ती घर में घुस गया। सात महीने की गर्भवती पीड़िता के साथ बलात्कार किया। इसके बाद गोपाल हेम्ब्रम के घर में घुसकर उसने उनकी पत्नी के साथ छेड़छाड़ की। कार्रवाई शुरू करने के लिए पुलिस ने 500/– रुपए की मांग की।

6.135 अररिया के जिलाधिकारी ने कहा है कि आयोग के निदेशों तथा अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 तथा अनुसूचित जातियां और अनसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 की अनुसूची 11, अनुलग्नक–1 के अनुसार पीड़ित महिला को 25,000 रुपए का मुआवजा दे दिया गया है । उन्होंने आगे यह भी उल्लेख किया कि अभी विचारण पूरा नहीं हुआ है इसलिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार केवल 50 प्रतिशत मुआवजा राशि का भुगतान किया गया है। शेष राशि का भुगतान विचारण समाप्त होने पर किया जाएगा।

6.136 अररिया के पुलिस अधीक्षक ने आरोपी नारायण यादव, योगेन्द्र यादव, नारायण कहार, भोलू झा यादव, पंचू यादव और मनोज यादव के खिलाफ लिखाई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट और आरोप पत्र की प्रति प्रस्तुत की। अररिया के जिलाधिकारी से प्राप्त दिनांक 18 जून, 2007 के पत्र से इस बात की पुष्टि हुई कि दूसरे पीड़ित व्यक्ति को भी 25,000/– रुपए का भुगतान कर दिया गया है तथा शेष राशि का भुगतान नियमानुसार विचारण पूरा होने के बाद उसे कर दिया जाएगा।

6.137 चूंकि दोनों पीड़ित महिलाओं को नियमानुसार वित्तीय सहायता दी जा चुकी है तथा अपराधियों पर न्यायालय में अभियोग चल रहा है इसलिए आगे कोई कार्रवाई आवश्यक नहीं समझी गई। इस प्रकार यह मामला 16 जुलाई, 2007 को बंद कर दिया गया।

32. इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में भूमि विवाद में अनुसूचित जाति के 21 लोगों को गोली मारने के मामले में मुकदमा दर्ज करने से इनकार (मामला संख्या 8277/24/4/2007–2008)

6.138 आयोग को "21 एससीज शॉट ड्यू टू लैंड डिस्प्यूट" नामक दुःखद रिपोर्ट देखने को मिली जो जुरी किट (केस ब्रीफ खंड 1) में मुद्रित हुई थी, जिसे इंडियन पीपुल्स ट्रिब्युनल ऑन अनटचेबिलीटी ने प्रकाशित किया था । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार 11 अक्तूबर, 2006 को लगभग 2.30 बजे यादव समुदाय का लाल बहादुर वल्द महादेव और गाँव चमालपुर, थाना बहरिया, जिला इलाहाबाद के उसके परिवार के सदस्यों ने 7 अनुसूचित जाति के लोगों के लिए आबंटित भूमि पर एक घर बनाना शरू किया। जब अनुसूचित जाति के लोगों को यह बात पता चली तो वे सिंकदराबाद थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने गए। पुलिस कर्मियों ने उन्हें हतोत्साहित किया, वहां से अनुसूचित जाति के लोग संबंधित भूमि पर आए और उन्होंने निर्माण कार्य रोकने का अनुरोध किया। उन्होंने उन्हें न्यायालय का स्थगन आदेश भी दिखलाया परंतु यादव समुदाय के लोगों ने अनुसूचित जाति के लोगों को गाली देना और गोलीबारी कर धमकाना शुरू किया। इससे अनुसूचित जाति के 21 लोग घायल हो गए, जिनमें से 16 गंभीर रूप से घायल थे।

6.139 आगे यह भी आरोप है कि कोई पुलिसकर्मी उनकी मदद के लिए नहीं आया। प्रशासन ने न तो उन्हें मुआवजा दिया और न ही सुरक्षा। पीड़ितों का कहना है कि उन्हें अभी भी निर्माणकर्ताओं से धमकियां मिल रही हैं।

6.140 मामले का स्वतः संज्ञान में लेकर आयोग ने एस.एस.पी. इलाहाबाद और डी.जी.पी. उत्तर प्रदेश को नोटिस जारी किया और रिपोर्ट माँगी। इसके उत्तर में एस.एस.पी. इलाहाबाद ने 26 जुलाई 2007 के पत्र द्वारा सूचित किया कि कथित मामले में आई.पी.सी. की धारा 147/148/149/323/336/504/307 तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम,1989 की धारा 3(2)5 के तहत 15 लोगों के खिलाफ फूलपुर थाने में मामला दर्ज किया गया था तथा आरोपितो के खिलाफ 18 मार्च 2007 को आरोप पत्र संख्या 4/07 दाखिल की गई थी राज्य अधिकारियों द्वारा मामले में उचित कार्रवाई को देखते हुए आयोग ने मामला बंदकर दिया।

(ज) महिलाओं और बच्चों पर अत्याचार

33 कानपुर, उत्तर प्रदेश में स्कूली बच्चों का उत्पीड़न (मामला संख्या 23464/24/2005–2006) ।

6.141 आयोग को सुश्री निवेदिता शर्मा, एडवोकेट, नई दिल्ली का दिनांक 11 अक्तूबर, 2005 का पत्र प्राप्त हुआ जिसमें कानपुर में गांधी जंयती कार्यक्रम के आयोजकों पर अमानवीय और गैर–जिम्मेदाराना आचरण का आरोप

लगाया गया था जिसके कारण भाग लेने वाले स्कूली बच्चों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा । 2 अक्तूबर, 2005 को कानपुर नगर प्रशासन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि आयोजन स्थल पर तीन घंटे देर से पहुंचे । बच्चों को खाना या पानी बिना प्रातः 6.00 बजे से मध्याह्न 1.00 बजे तक धूप में बैठने के लिए मजबूर किया गया। उनके शरीर में पानी की काफी कमी हो गई और उनमें से कई बेहोश होने लगे । आयोजन स्थल पर बच्चों की मदद के लिए किसी प्रकार की प्राथमिक चिकित्सा, डॉक्टर या परिवहन की व्यवस्था नहीं थी। जिनकों तुरंत डाक्टरी सहायता की जरूरत थी उन्हें निजी कारों में सरकारी अस्पतालों में पहुंचाया गया। इस कार्य में संबंधित अधिकारियों ने कोई सहयोग नहीं दिया।

6.142 शिकायत में यह आरोप भी लगाया गया है कि जब बड़ी संख्या में छात्रों की हालत नाजुक बनी हुई थी तब भी अधिकारियों ने शेष बच्चों को भोजन–पानी उपलब्ध कराए बिना कार्यक्रम को जारी रखा। शिकायतकर्ता ने बच्चें के अधिकारों का ऐसा घोर उल्लंघन करने के लिए जिम्मेदार प्राधिकारियों के प्रति कार्रवाई करने के लिए आयोग के हस्तक्षेप की मांग की है।

6.143 मामले पर विचार करते समय आयोग ने पाया कि एसएसपी, कानपुर द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में यह बात स्वीकार की गई है कि 10000 बच्चे खुले मैदान में एकत्र हुए थे तथा उनमें से कुछ प्रातः 10.50 पर अस्वस्थ हो गए थे, फिर भी दूसरे बच्चों को चिलचिलाती धूप से बचाने के लिए किसी प्रकार के कदम नहीं उठाए गए । प्रशासन को दूसरे बच्चों को राहत देने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए थे। अगले तीन घंटे तक मुख्य अतिथि के लिए बच्चों से इंतजार करवाना इस बात का सूचक है कि प्रशासन को बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर कोई चिंता नहीं थी। आयोग की राय में यह बच्चों के मानवाधिकारों के घोर उल्लंघन का मामला है।

6.144 आयोग ने अति विशिष्ट व्यक्तियों के आगमन के दौरान छोटे–छोटे बच्चों का इस्तेमाल "शोपीस" के रूप में करने की परिपाटी की घोर भर्त्सना की, इसने यह टिप्पणी भी की कि प्रशासन को यह बात भली–भाँति समझनी चाहिए कि बच्चे राष्ट्र की बहुमूल्य संपत्ति हैं और उनके साथ पर्याप्त ध्यान तथा प्यार का व्यवहार होना चाहिए। बच्चों को चिलचिलाती धूप में छह घंटे तक बैठने के लिए मजबूर करना उनके मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन है तथा सरकार को चाहिए कि प्रभावित बच्चों को कुछ आर्थिक सहायता प्रदान करे ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो ।

6.145 तदनुसार, आयोग ने सिफारिश की कि सरकार अस्पताल ले जाए गए 49 बच्चों में से प्रत्येक को 5000 रूपए की राशि का भुगतान करें।

6.146 चूंकि आयोग को भुगतान का प्रमाण मिल गया था इसलिए 2 जनवरी, 2008 को मामला बंद कर दिया गया।

34. लखनऊ, उत्तर प्रदेश की स्थानीय पुलिस द्वारा महिला के साथ बलात्कार का प्रयास (नाम गुप्त रखा गया) (मामला संख्या 5485/24/1998–1999)

6.147 आयोग को राम भजन नामक व्यक्ति से एक शिकायत मिली, जिसमें कहा गया था कि उसकी गैर–मौजूदगी में एसएचओ जगराम वर्मा के नेतृत्व में एक पुलिस पार्टी 30 मई, 1998 की रात को उसके घर में जबर्दस्ती दाखिल हुई तथा उसकी भाभी के साथ बलात्कार करने की कोशिश की। इसके बाद पीड़ित महिला को जबर्दस्ती पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहां उसे एनडीपीएस अधिनियम के तहत एक झूठे मामले में फंसा दिया गया।

6.148 एसएसपी, लखनऊ द्वारा प्रेषित रिपोर्ट में स्पष्ट कहा गया है कि सब इंस्पेक्टर जगराम वर्मा, कांस्टेबल अरूण कुमार और धरमिन्दर सिंह की भर्त्सना की गई तथा उन्हें चेतावनी दी गई। राज्य सरकार से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन करने के बाद आयोग ने उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को छह सप्ताह के भीतर तत्काल आर्थिक राहत के रूप में 10,000 रूपए पीड़ित महिला को देने के निदेश दिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने आयोग की सिफारिशों का अनुपालन किया है।

35. पश्चिम बंगाल के सिरसोले कोइलरी के सुरक्षा गार्ड के 12 बोर की बंदूक से (4 वर्षीय) शुभम दास को गंभीर चोट

6.149 चार वर्षीय शुभम दास के पिता ने आयोग के समक्ष मांग की है कि उसके बेटे के लिए उपयुक्त राहत सुनिष्चित की जाए जो 19 जनवरी, 2000 को एक सुरक्षा गार्ड की बंदूक की गोली से घायल हो गया था। उस दिन वह छोटा बच्चा अपराह्न 1.30 बजे अपनी माँ के साथ लेखन सामग्री की एक दुकान के सामने खड़ा था । नार्थ सिरसोले कोइलरी का सुरक्षा गार्ड नकद राशि लाने वाली एक टीम के साथ पास के एक बैंक में आया था। उसके पास 12 बोर की भरी हुई बंदूक थी जो अचानक चल गई तथा बच्चे को गोली के कई छर्रे लग गए। शुभम को अस्पताल ले जाया गया । कुछ छर्रों को निकाल दिया गया परंतु बहुत–से छर्रे शरीर में ही रह गये। गार्ड के खिलाफ आईपीसी की धारा 326 के तहत एक आपराधिक मामला सं. 12/2000 दर्ज किया गया।

6.150 आयोग ने कोयला और खान मंत्रालय से रिपोर्ट मंगाई जिसमें इस घटना की पुष्टि हुई। इसमें यह भी कहा गया था कि यह दुर्घटना बंदूक में किसी मशीनी गड़बड़ी के कारण हुई थी तथा सुरक्षा गार्ड को आरोप पत्र देकर उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई थी।

6.151 चिकित्सा रिपोर्ट में स्पष्ट कहा गया है कि इस दुर्घटना के कारण बच्चे को जीवन भर का कष्ट हो गया है। भविष्य में लक्षण उभरने पर बच्चे की काफी समय तक शल्य चिकित्सा करानी पड़ सकती है, जिसमें इन्फ्रा–आपरेटिव इमेज का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो खतरनाक हो सकता है। वास्तव में बच्चे का स्वास्थ्य परिदृष्य इतना अनिश्चित हो गया है कि डाक्टर यह भी नहीं बता सके कि इलाज पर कितना खर्च आएगा। ये सभी समस्याएं इसलिए आई हैं क्योंकि ईसीएल का सुरक्षा गार्ड लापरवाह था। यदि यह मान भी लिया जाए कि सुरक्षा गार्ड की डबल बैरल बंदूक में मैकेनिकल डिफेक्ट के कारण ऐसा हुआ तब भी बच्चे को हुई हानि की जिम्मेदारी कंपनी की ही बनती है, जो राज्य सरकार के स्वामित्व में हैं।

6.152 उर्पयुक्त परिस्थितियों पर विचार कर आयोग ने कहा कि बच्चे के लिए पर्याप्त आर्थिक प्रावधान किया जाए ताकि जरूरत पड़ने वह या उसके माता–पिता धन प्राप्त कर सकें। चिकित्सा रिपोर्ट में उल्लिखित विभिन्न संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए आयोग ने इस प्रकार सिफारिश की कोयला और खान मंत्रालय, भारत सरकार 10,00,000/– रू0(दस लाख रूपये) शुभम दास के नाम किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा करें जिसमें अभिभावक उसके पिता सुरजीत दास हों। बच्चे के व्यस्क होने तक धन बैंक में जमा रहेगा। बच्चे का पिता, आयोग की पूर्व अनुमति से जरूरत पड़ने पर समय समय पर धन निकाल सकेंगे।

6.153 कोयला और खान मंत्रालय ने आयोग द्वारा की गई सिफारिशों का अनुपालन किया है। तथापि, आयोग का मानना है कि मामले को जारी रखा जाना चाहिए तथा कोयला और खान मंत्रालय के सचिव से आवधिक रिपोर्ट मंगाई जानी चाहिए।

36. पटौदी शहर, गुड़गाँव, हरियाणा से अधजले भ्रूण की प्राप्ति (मामला संख्या 795/7/5/2007–2008)

6.154 15 जून, 2007 को अमर उजाला ने पटौदी जिला गुड़गाँव, हरियाणा के बेडला मैटरनिटी और नर्सिंग होम में कदाचार को उजागर करते हुए एक समाचार प्रकाशित किया । रिपोर्ट के अनुसार स्वास्थ्य विभाग द्वारा नर्सिंग होम पर मारे गए छापे से न केवल गर्भ गिराने वाली (एमटीपी) अल्ट्रासाउंड मशीन और उपकरण प्राप्त हुए बल्कि नर्सिंग होम के पास ही गड्ढे में गिराए गए भ्रूण के अवशेष भी प्राप्त हुए।

6.155 आयोग ने इस समाचार को स्वतः संज्ञान में लिया तथा मुख्य सचिव और डीजीपी, हरियाणा से टिप्पणियां मांगी। जांच प्रभाग की एक टीम को मौके पर जांच के लिए भेजा गया।

6.156 जांच दल ने रिपोर्ट दी कि नर्सिंग होम किसी अरविंद कुमार सिंह, सेवानिवृत्त चिकित्सा सहायक द्वारा चलाया जा रहा था, जिसने सुयोग्य डाक्टर होने का ढोंग रचा रखा था । वह प्री कंसेप्शन एंड प्री–मैल डायग्नॉस्टिक टेक्नीक्स प्रौहिबिशन आफ सेक्स सेलेक्शन, 1994 अधिनियम, 1994 के प्रावधानों का उल्लंघन कर गर्भ गिराने के लिए अल्ट्रासाउंड मशीन तथा एमटीपी उपकरणों का इस्तेमाल कर रहा था। एमएमओ डॉ0 जयनारायण ने इस गैर–कानूनी काम में जानबूझकर ए.के. सिंह की मदद की थी। जांच दल ने डॉ0 एम.डी. शर्मा, जिला परिवार कल्याण अधिकारी को भी अपनी ड्यूटी के प्रति लापरवाह पाया क्योंकि वे कानून के अनुसार अपेक्षित नर्सिंग होम का अपेक्षित निरीक्षण नहीं कर सके थे।

6.157 जांच दल की रिपोर्ट हरियाणा के मुख्य सचिव और डीजीपी को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी गई थी और उनसे इन विशिष्ट प्रश्नों के उत्तर मांगे गए थे। नर्सिंग होम के खिलाफ समय से कार्रवाई न कर पाने के कारण सीएमओ, डीएफडब्ल्यूओ और एसएमओ के खिलाफ क्या कार्रवाई शुरू की गई है?राज्य के अन्य हिस्सों में ऐसे कदाचारों को रोकने के लिए राज्य सरकार क्या कार्रवाई कर रही है।

6.158 डीजीपी, हरियाणा ने 28 दिसम्बर, 2007 को रिपोर्ट भेजी, जिसमें कहा गया था कि आईपीसी की धारा 420/417/312/313 तथा पीसीपीएनडीटी अधिनियम, 1994 के तहत एक आईआर संख्या 101/207 पटौदी पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी । जांच–पड़ताल के दौरान डॉ0 ए.के. सिंह को गिरफ्तार किया गया परंतु उनकी पत्नी बेऊला सिंह ने न्यायालय से अग्रिम जमानत प्राप्त कर ली । जांच पूरी होने के बाद दोनों अभियुक्तों के खिलाफ न्यायालय में आरोप–पत्र भी दाखिल किए गए ।

6.159 चूंकि महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, हरियाणा से कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई, आयोग ने 30 अप्रैल, 2008 को आयोग के समक्ष जरूरी रिपोर्टों के साथ व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने के लिए सशर्त सम्मन जारी किए। आगे कार्रवाई चल रही है।

(झ) श्रमिकों का शोषण से बचाव

37. महबूबनगर, आंध्र प्रदेश में मैसर्स सालगुटी प्लास्टिक लिमिटेड में बाल मजदूर (मामला संख्या 401/1/2006–2007)

6.160 आयोग को दिनांक 17 सितम्बर, 2006 की एक शिकायत मिली जिसमें आरोप लगाया गया था कि आंध्र प्रदेश के महबूब नगर जिले के मुद्दिरेडीपाल्ली गाँव में स्थित सालगुटी प्लास्टिक लिमिटेड में 50 बाल मजदूर 50 रू0 प्रति दिन की मजदूरी पर 10 घंटे काम कर रहे थे । उन्हें किराए के गुंडों की कड़ी सुरक्षा के बीच नजरबंद कर रखा गया था। यह भी कहा गया कि उनमें से एक कामगार वेंकटैया की टॉग दुर्घटना में कट गई थी।

6.161 आयोग के निदेश के अनुसरण में आंध्र प्रदेश के सचिव, शिक्षा (पीआरओजी–।।) विभाग ने एक रिपोर्ट भेजी, जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि कलेक्टर और जिलाधिकारी के निदेश पर उन्होंने फैक्टरी इंस्पेक्टर, महबूबनगर, जिला श्रम अधिकारी महबूरनगर तथा एमआरओ, बालानगर के साथ मुद्दिरेडीपाल्ली का दौरा किया ताकि सालगुटी प्लास्टिक के परिसर का निरीक्षण कर रिकार्डों का सत्यापन किया जा सके। उन्होंने आरोप के अनुसार किसी बच्चे को काम करते हुए नहीं पाया। कुछ किशोर काम कर रहे थे परंतु वे बाल मजदूर की परिभाषा में नहीं आते थे और उनके रोजगार पर बालक श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 लागू नहीं होता था। परंतु इससे अन्य कानूनों का उल्लंघन होता था।

6.162 कारखाना निदेशक द्वारा 14 दिसम्बर, 2006 को जारेहेरला के प्रथम श्रेणी मैजिस्ट्रेट की अदालत में कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 68 और 69 के अंतर्गत अर्थात किशोरों का उपयुक्तता के प्रमाण–पत्र के बिना कार्य में संलग्न करना तथा नियम एफ(1) और (3) के नियम 61 धारा 41 के साथ पठित धारा 32 के तहत अर्थात सुरक्षा नियमों का उल्लंघन जिससे श्री वेंकटेश पुत्र श्री के चेन्नैया के साथ गंभीर दुर्घटना घटी तथा कारखाना अधिनियम, 1948 तथा आंध्र प्रदेश कारखाना नियम, 1950 के तहत आरोप–पत्र दाखिल किया गया।

6.163 इसके फलस्वरूप कथित कारखाने के मालिक–सह प्रबंधक पर उपर्युक्त उल्लंघनों के लिए जाडचेला के प्रथम श्रेणी मैजिस्ट्रेट की अदालत में एसटीसी सं. 08/07 में 20 अप्रैल, 2007 को मुकदमा चलाया गया तथा 10,000 रूपए का जुर्माना लगाया गया।

6.164 आयोग ने 22 जनवरी, 2008 को मामले पर विचार किया जिसमें उसने पाया कि टांग कटने वाले घायल व्यक्ति को मुआवजा देने के संबंध में उसे कोई सूचना नहीं दी गई थी। तदनुसार आयोग ने सचिव, शिक्षा विभाग को इस पक्ष के संबंध में अद्यतन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निदेश दिया। रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है।

(झ) बंधुआ मजदूर

38. धर्मपाल और 28 अन्य लोगों को उनके परिवारों के साथ जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश में बंधुआ मजदूर बनाकर रखा गया था (मामला संख्या 36851/24/2006–2007)।

6.165 आयोग को एक शिकायत मिली कि मेरठ जिले के सुरेन्द्र शर्मा के ईंट भट्ठा उद्योग में लगे शिकायतकर्ता और 28 गरीब मजदूरों को रोकड़िया, ठेकेदार तथा ईंट भट्टे के अन्य कर्मचारियों द्वारा उत्पीड़न किया जा रहा था।

6.166 आयोग के निदेश के अनुसरण में मेरठ के जिलाधिकारी ने 4 अप्रैल, 2007 को एक रिपोर्ट भेजी, जिसके साथ उप श्रम आयुक्त, मेरठ द्वारा प्रस्तुत की गई 17 मार्च, 2007 की रिपोर्ट की प्रति भी लगी हुई थी। रिपोर्ट से पता चला कि जांच के दौरान मौके पर मौजूद श्रमिकों को ईंट भट्ठे के मालिक से कोई शिकायत नहीं थी। जो मजदूर घर जाना चाहते थे उनके कांस्टेबल सत्यपाल सिंह के साथ भेजा गया औरउनके साथ उनके परिवार को भी उनके गाँव दिनकरपुर, जिला मुजफ्फरगनर भेजा गया। मालिक सुरेन्द्र शर्मा तथा शिकायतकर्ता धर्मपाल तथा अन्य मजदूरों के बीच भुगतान को लेकर उठा विवाद सुलझा लिया गया था। ईंट भट्ठे को छोड़कर जाने वाले मजदूरों को उनकी पूरी मजदूरी का भुगतान कर दिया गया था। रिपोर्ट में निष्कर्ष निकला कि ईंट के भट्ठे पर कोई बंधुआ मजदूर नहीं था।

6.167 रिपोर्ट पढ़ने के बाद आयोग ने विशेष सम्पर्ककर्त्ता को रिकार्ड की जॉच कर आगे की कार्रवाई के संबंध में सुझाव देने के लिए कहा। उन्होंने सिफारिश की कि :

1. सभी 29 व्यक्ति बंधुआ मजदूर माने जाएं।
2. यदि उन्हें बंधुआ बनाए रखा गया तो तुरंत औपचारिक रूप से छोड़ा जाए।
3. बंधुआ श्रम प्रणली (उन्मूलन) अधिनियम की धारा 21 के तहत नियुक्त मेरठ जिले के जिलाधिकारी द्वारा व्यक्तिगत रूप से उन्हें मुक्ति प्रमाण–पत्र दिया जाए।
4. उनकी पुनर्वास सहायता के लिए उनके पक्ष में 20,000/ रूपए की दर से 5,80,000/ रूपए जारी किए जाएं और उन्हें उनकी प्राथमिकताओं, महसूस की गई जरूरतों और रूचियों के अनुसार उनके मूल स्थान मुजफ्फरनगर में पुनर्वासित किया जाए।
5. इसके अतिरिक्त उन्हें न्यूनतम मजदूरी के रूप में 48,800/ रूपए का भुगतान किया जाए, जो नियोक्ता के जिम्मे बकाया है।

6.168 आयोग ने निदेश दिया कि विशेष रैपर्टर की सिफारिश जिलाधिकारी, मेरठ को टिप्पणी/स्पष्टीकरण के लिए सूचित की जाएं तथा आठ सप्ताह के भीतर की गई कार्रवाई के संबंध में रिपोर्ट आयोग को प्रस्तुत की जाए । अभी उत्तर की प्रतीक्षा है ।

(ट) स्वास्थ्य का अधिकार

39. चिकित्सा सहायता उपलब्ध न कराए जाने के कारण एक बेयरे की मौत (मामला संख्या 2272/30/2005–2006)।

6.169 आयोग ने 19 अगस्त, 2005 को ''दि हिन्दुस्तान टाइम्स'' में प्रकाशित ''हास्पीटल स्नपन्स आउट पेशेंट '' को स्वतः संज्ञान में लिया। दिल्ली के गरीब बेसहारा रवीन्द्र ने 16 अगस्त, 2005 को सांस उखड़ने की शिकायत की। उसे सेंट स्टीफेन अस्पताल ले जाया गया जहां उसे बताया गया कि वह इलाज का खर्च वहन नहीं कर पाएगा । इसलिए उसे सरकारी अस्पताल में जाने की सलाह दी गई। वह लोकनायक जयप्रकाश नारायण (एलएनजेपी) अस्पताल गया, जहां उसकी जांच जूनियर डाक्टर द्वारा की गई, जिसने उसे टीबी का मरीज होने की बात बताई। उसे वहाँ भर्ती नहीं किया गया तथा टी.बी. सेंटर जाने की सलाह दी गई। उसे राजन बाबू टीबी (आरबीटीबी) अस्पताल, जीटीबी नगर, दिल्ली ले जाया गया। वहां भी उसे दाखिला नहीं मिला और अगले दिन वह बिना इलाज के मर गया।

6.170 आयोग ने उस अस्पताल से रिपोर्ट मंगाई जहां वह उस रात गया था । आयोग ने पाया कि एलएनजेपी की बात गले उतरने वाली नहीं थी। इसने चिकित्सा विभाग के दिशानिर्देश को उद्धृत किया, जिसके अनुसार टीबी का ऐसा प्रत्येक मामला संबंधित टी.बी. सेंटर को भेजा जाएगा, जिसमें मरीज की हालत स्थिर हो। तथापि, प्रत्येक मामले में अनिवार्य रूप में इन दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया जाना है। प्रोटोकाल के अनुसार किसी टी.बी. सेंटर को मामला संदर्भित करते समय मरीज की हालत को ध्यान में रखा जाना चाहिए। यदि काफी रात गए मरीज को अस्पताल लाया जाता है और उसे खांसी तथा कफ की शिकायत हो और बार–बार बलगम आ रहा हो तो प्रोटोकाल के आधार पर डाक्टर द्वारा उसे भगा देने का कार्य अमानवीय है। आयोग की राय में यह पीएचआरए की धारा 18(3) के तहत नोटिस जारी करने का उपयुक्त मामला था।

6.171 इस मामले पर विचार करते हुए आयोग ने टिप्पणी की कि एक डाक्टर का पेशा न केवल पवित्र है बल्कि इसके लिए जिम्मेदारी की गंभीर भावना की जरूरत होती है । डाक्टर के दिमाग में हिप्पोक्रेटिक की शपथ का सर्वाधिक महत्व होना चाहिए। गरीब और संसाधनहीन व्यक्तियों पर डाक्टर को सर्वप्रथम ध्यान देना चाहिए। यदि किसी गरीब मरीज को अस्पताल से भगा दिया जाता है तो इससे न केवल चिकित्सा का पेशा बदनाम होता है बल्कि यह मरीज के मानवाधिकारों का अपमान भी है।

6.172 आयोग ने सरकार द्वारा किए गए दावे के बारे में संदेह के संबंध में निम्नलिखित कारण दिए : जब डॉ0 के. डी. मेहता, अपर चिकित्सा अधीक्षक, चिकित्सा अधीक्षक ने 20.04.2007 की अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की तो उसमें मरीज को दाखिल करने या उसके इलाज के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया था जबकि 2.8.2007 के पत्र में काफी ब्यौरे दिए गए हैं। प्रशासन ने मरीज को पांच बोतल इंट्राबेनस फलूइड चढ़ाने का दावा किया है। पांच बोतल चढ़ाने में काफी समय लगेगा और वैसी स्थिति में उसी रात मरीज को अस्पताल से छुट्टी करना संभव नहीं हुआ होता। इसके अतिरिक्त प्रशासन ने स्वयं दावा किया है कि रवीन्द्र अस्पताल में रात में आया था और उसको बुखार और पेट दर्द था तथा बार–बार बलगम निकल रहा था। यदि मरीज को अस्पताल में दाखिल किया गया होता तो जल्दबाजी का कोई तर्कसंगत कारण नहीं होता और उसी रात मरीज को अस्पताल से छुट्टी अनौचित्यपूर्ण नजर आता है। इन परिस्थितियों में आयोग का निष्कर्ष है कि मरीज रवीन्द्र पर वह ध्यान और तवज्जो नहीं दिया गया जो दिया जाना चाहिए था । उसी रात मरीज को अस्पताल से छुट्टी कर देने के कारण उसकी असामयिक मौत हो गई।

6.173 इसीलिए आयोग ने सिफारिश की कि संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार दिवंगत रवीन्द्र के निकटतम संबंधी को 50,000 रूपए की आर्थिक राहत प्रदान करें। अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

40. चिकित्सा उपचार इनकार किए जाने के कारण तिरूवनंतपुरम, केरल में वेणुगोपाल नायर की मृत्यु (मामला संख्या 95/11/1999–2000)।

6.174 आयोग को श्री एस राधाम्मा की दिनांक 22 अप्रैल, 1999 की शिकायत प्राप्त हुई, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उसके पति श्री वेणुगोपाल नायर इसलिए मर गए क्योंकि सिटी पुलिस कंट्रोल रूम के

ड्यूटी ऑफीसर द्वारा चिकित्सा उपचार उपलब्ध नहीं कराया गया । श्री वेणुगोपाल नायर आर्म्ड रिजर्व कैंप, तिरूवनंतपुरम सिटी से जुड़ा हेड कांस्टेबल ड्राइवर था। 20 मार्च, 1999 को उसके सीने में तेज दर्द हुआ। उसने सिटी पुलिस कंट्रोल रूम के ड्यूटी आफीसर से संपर्क कर उसे अस्पताल ले जाने के लिए वाहन का इंतजाम करने का अनुरोध किया। ड्यूटी आफीसर श्री मोहम्मद शाली ने किसी वाहन का इंतजाम नहीं किया, जिसके कारण श्री वेणुगोपाल नायर को समय से अस्पताल नहीं पहुंचाया जा सका और वे अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही मर गए।

6.175 आयोग को सूचित किया गया कि ड्यूटी आफीसर के खिलाफ जांच बंद कर दी गई थी क्योंकि गैर–मौखिक जांच के औपचारिक जांच में परिवर्तन होने से पूर्व ही वे सेवानिवृत्त हो गए थे।

6.176 मामले पर विचार करते हुए आयोग ने टिप्पणी की कि यद्यपि केरल सरकार अपराधी अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई नहीं कर सकती पर यह उस लापरवाही से नहीं बच सकती जिसके कारण नायर की मृत्यु हुई। इसलिए आयोग ने पीएचआरए की धारा 18 (ग) के तहत नोटिस जारी करने का उचित मामला पाया। आयोग ने टिप्पणी की कि यह स्पष्ट है कि ड्यूटी आफीसर की लापरवाही के कारण बहुमूल्य समय नष्ट हो गया तथा शिकायतकर्ता के पति का जीवन नहीं बचाया जा सका। वेणुगोपाल नायर सक्रिय सेवा में थे और उनकी मृत्यु से परिवार की रोजी–रोटी कमाने वाला आदमी दुनिया से चला गया। यह राज्य की जिम्मेदारी है कि वह पत्नी को हानि की प्रतिपूर्ति करे तथा उसे राहत प्रदान करे। आयोग ने सिफारिश की कि केरल सरकार राधाम्मा को 50,000/ रूपए की आर्थिक सहायता प्रदान करे। आयोग ने 16 जनवरी, 2008 को मामले पर पुनः विचार किया जब उसने पाया कि केरल उच्च न्यायालय, एर्नाकुलम में याचिकाकर्ता श्री राधाम्मा तथा एनएचआरसी के विरूद्ध रिट याचिका दायर की गई है । उच्च न्यायालय ने केरल सरकार को तीन महीने का स्थगन प्रदान किया । इसलिए यह मामला न्यायाधीन है ।

41. सीजीएचएस डिस्पेंसरी, पुष्प विहार, दिल्ली द्वारा लापरवाही के कारण सुनीता द्वारा तकलीफ झेलना (मामला संख्या 102/30/2005–06)।

6.177 आयोग को सुशीला मथाई की दिनांक 14 मार्च, 2005 की एक शिकायत प्राप्त हुई जिसमें कहा गया कि राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली में उसकी बेटी सुनीता का सेरेब्रल सीजर का इलाज चल रहा था। डाक्टर ने टैब थाई (75 एमजी) की दवा लिखी थी । तथापि, सीजीएचएस डिस्पेंसरी, पुष्प विहार ने थियारिल–50 नामक गलत दवा जारी की । गलत दवा लेने के कारण शिकायतकर्ता की बेटी की तबीयत बदतर होती गई तथा उसे अवसाद के कारण मूर्च्छा आने लगी और उसका व्यवहार हिंसक हो गया ।

6.178 निदेशक, सीजीएचएस ने अत्यंत विनम्रतापूर्वक कहा कि संबंधित कर्मचारी द्वारा यह भूल अनजाने में गलती से हुई थी। उन्होंने क्षमा मांगते हुए आयोग से मामला समाप्त करने का अनुरोध किया।

6.179 इस मामले पर विचार करते हुए आयोग ने टिप्पणी की कि कौन–सी दवा/ड्रग दी जानी है इस संबंध में किसी पेशेवर की बहुत ज्यादा जिम्मेदारी होती है और इस संबंध में असावधानी ऐसा मामला है, जो गलती मानने से कम नहीं

होगा ..... सीजीएचएस के क्षमा मांगने से शिकायतकर्ता को कोई राहत नहीं मिल सकती, जिसकी बेटी को गलत दवाई लेने से भयंकर परिस्थिति से गुजरना पड़ा। लड़की अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। शिकायतकर्ता कामकाजी महिला है इसलिए वह अपनी बेटी को घर में अकेली नहीं छोड़ सकती और उन्होंने आयोग को अपने इस निर्णय से अवगत कराया है कि वह अपनी बेटी को अहमदाबाद स्थित मानसिक रूप से विक्षिप्त लोगों के अस्पताल में भर्ती कराएंगी। उन्होंने बहुत से कैश मेमो और वाउचर भी संलग्न किए हैं, जिनसे पता चलता है कि बेटी का स्वास्थ्य बदतर होने पर उसे दवाइयों और परीक्षण पर कितना खर्च करना पड़ा।

6.180 आयोग ने गौर किया कि शिकायतकर्ता को उसके द्वारा किए गए खर्च तथा उसे तथा उसकी बेटी की तकलीफों के लिए प्रतिपूर्ति की जानी चाहिए। इसलिए आयोग ने सिफारिश की कि निदेशक, सीजीएचएस शिकायतकर्ता को 1,00,000/ रूपए का भुगतान करें।

6.181 सरकार ने इस सिफारिश के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में सीडब्ल्यूपी 9776/2007 दायर की है इसलिए मामला न्यायाधीन है।

42. तिरूवनंतपुरम, केरल के श्री अवित्तम तिरूनाल अस्पताल में बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण बच्चों की मृत्यु (मामला संख्या 14/11/12/2007–2008)।

6.182 आयोग ने 2 मार्च, 2007 को "डेक्कन हेराल्ड" के एक समाचार ''हास्पीटल राक्ड बाई इनफेंट्स डेथ'' को स्वतः प्रेरणा से संज्ञान में लिया। यह रिपोर्ट थी कि सरकारी अस्पताल श्री अवित्रम तिरूनाल हास्पीटल फार चिल्ड्रेन में 23 नवजात बच्चे पैदा होने के एक माह के भीतर बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण मर गए। अस्पताल के पीड्रियाटिक विंग द्वारा की गई जांच के बाद यह बात तब सामने आई जब उसने असामान्य संख्या में बच्चों की मृत्यु देखकर जांच की । रिपोर्ट के अनुसार 23 में से 18 बच्चे क्लेबसिला बैक्टीरिया से संक्रमण के कारण अप्रैल, 2007 में मर गए तथा चार अन्य स्टाफीलोकस से।

6.183 आयोग ने वस्तुस्थिति जानने के लिए इस समाचार को 9 मई, 2007 को सचिव, परिवार और कल्याण विभाग, केरल सरकार को अग्रेषित किया। वस्तुस्थिति रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई।

(ठ) भूख से मौत

43. उड़ीसा के नुआपाड़ा जिले में भूख के कारण लोग चट्टाने खाने को मजबूर (मामला संख्या 232/18/30/2007–08)।

6.184 आयोग को एक दैनिक समाचार–पत्र ''असम ट्रिब्यून'' में 2 जून, 2007 को एक दुःखद समाचार ''उड़ीसा में भूख के कारण लोग चट्टाने खाने को मजबूर'' समाचार देखने को मिला, जिसमें कहा गया था कि पिछड़े नुआपाड़ा जिले के लोग भूख से निजात पाने के लिए राक खाने को मजबूर हैं। इलेक्ट्रानिक मीडिया ने भी यह समाचार प्रसारित किया।

6.185 प्रेस रिपोर्ट को स्वतः प्रेरणा से संज्ञान में लेते हुए आयोग ने प्रेस रिपोर्ट की एक प्रति मुख्य सचिव को भेजकर उनसे तथ्यपरक रिपोर्ट मांगी।

6.186 उत्तर में राज्य प्राधिकारियों से प्राप्त एक रिपोर्ट से ज्ञात हुआ कि जाँच के दौरान प्रेस रिपोर्ट तथ्यों पर आधारित नहीं पाई गई। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि मामले पर उड़ीसा विधान सभा में भी चर्चा हुई तथा माननीय राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री की अध्यक्षता में इस विषय पर एक हाऊस कमेटी का गठन किया गया था।

6.187 चूंकि यह मामला राज्य विधान सभा में उठाया गया था अतः आयोग ने उस पर आगे कार्रवाई नहीं और मामले को बंद कर दिया।

(ठ) करंट लगने का मामला

44. आलम गंज, पटना बिहार में रविकांत पुरी को बिजली का करंट लगने के कारण हुई मौत (मामला संख्या 1902/4/2000.2001)।

6.188 आयोग को आलमगंज, बिहार की निवासी श्रीमती सरितापुरी से एक शिकायत मिली कि 24 मई, 1999 को उनके बेटे को सड़क से गुजरते समय बिजली की नंगी तार से करंट लग गया और वह उसी समय मर गया। श्रीमती पुरी के बेटे की मृत्यु बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की लापरवाही के कारण हुई थी । इस तर्क के साथ उन्होंने उच्च प्राधिकारियों से मुआवजा के लिए अनुरोध किया परंतु वह नहीं मिला । अब उन्होंने आयोग से विनती की है कि वह बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड (बीएसईबी) को उसकी लापरवाही के लिए 2,00,000/ रूपए मुआवजा देने का निदेश दे।

6.189 सहायक विद्युत इंजीनियर द्वारा की गई शिकायत के आधार पर आलमगंज पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज की गई। जाँच करने पर बीएसईबी ने दावा किया कि एक ट्रक से टकरा कर बिजली का खम्भा क्षतिग्रस्त हो गया था जिससे रविकांत पुरी की मौत हुई और किसी रूप में वे लोग जिम्मेदार नहीं थे। उनके अनुसार शिकायतकर्ता किसी भी मुआवजे का हकदार नहीं था।

6.190 आयोग ने टिप्पणी की कि ''यह स्थापित नियम है कि बिजली का कंरट लगने से हुई मौत की अंतिम जिम्मेदारी विद्युत आपूर्ति करने वाली कंपनी की होती है । बोर्ड के पास कानूनन ट्रक मालिक या ट्रांसपोर्ट कंपनी से पैसा वसूलने का अधिकार हो सकता है परंतु इसे उन लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारी जरूर निभानी चाहिए जो नंगी तारों के कारण अपनी जान गंवा बैठे । आयोग ने यह भी कहा कि हालांकि करंट लगने से हुई मौत के शिकार 5 बच्चों में से केवल बच्चे की माँ ने आयोग से राहत के लिए संपर्क किया है। समानता की मांग है कि सभी पांचों शिकारों को इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से मुआवजा मिले । आयोग ने टिप्पणी की कि बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा बनाए गए नियम के अनुसार करंट लगने से हुई मौत के प्रत्येक मामले में 50,000/ रूपए का तुरंत भुगतान किया जाएगा। इसलिए आयोग ने सिफारिश की कि बीएसईबी सत्यनारायण, बेलदार, रामेश्वर प्रसाद, उमेश कुमार और रविकांत पुरी के निकटतम संबंधी को 50,000/ रूपए का भुगतान करे। भुगतान के प्रमाण सहित अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

(ढ) अन्य मामले

45. गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में घोर अन्याय के कारण पांच निर्दोषों ने 15 वर्ष जेल में बिताए (मामला संख्या 44373/24/2005–2006)।

6.191 आयोग ने 21 मार्च, 2006 को ''दि ट्रिब्यून'' में एक दुःखद समाचार ''फाइव इन्नोसेंट स्पेंड 15 इयर्स इन जेल ड्यू टू मिसकैरेज ऑफ जस्टिस'' देखने को मिला । प्रेस रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ आरोप लगाया गया था कि बाबू सिंह, जिले सिंह, मंगते, गजराज सिंह और समय सिंह, जो एक बच्चे के अपहरण और हत्या के मामले में संभावाली, जिला गाजियाबाद में कैद थे, 15 वर्षों से जेलों में सड़ रहे थे।

6.192 29 अप्रैल, 1990 को गाजियाबाद जिले के संभावाली पुलिस स्टेशन को सूचना मिली कि कुदालिया गाँव के पास एक गनी बैग में एक लाश पड़ी हुई थी । आईपीसी की धारा 302/201 के आपराधिक मामला संख्या 72/90 दर्ज किया गया और इस पुलिस स्टेशन के तत्कालीन अधिकारी–प्रभारी ने मामले की छानबीन शुरू की । श्रीमती लाजवंती द्वारा लाश की पहचान सोनू उर्फ सतिन्दर के रूप में की गई। इसके बाद जाँच का यह मामला गढ़मुक्तेश्वर पुलिस स्टेशन के एसआई श्री एस.के. सिंह को सौंपा गया। पांच व्यक्ति – बाबू सिंह, मंगेत, जिले सिंह, समय सिंह और गजराज सिंह को गिरफ्तार कर आरोप–पत्र दिया गया। बाद में सोनू उर्फ सतिन्दर, जो अपहरण और हत्या का कथित आरोपी था, पुलिस के सामने हाजिर हो गया और पूरा मामला पलट गया। गिरफ्तार किए गए पांचों लोगों को 10 मार्च, 2006 को रिहा कर छोड़ दिया गया।

6.193 आयोग ने प्रेस रिपोर्ट को संज्ञान में लिया और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव तथा डीजीपी से अपनी टिप्पणियां देने को कहा। 17 जुलाई, 2006 के पत्र द्वारा आई.जी (एचआर), उत्तर प्रदेश ने रिपोर्ट दी कि इंस्पेक्टर वी.एस. यादव और सब इंस्पेक्टर एस.के. सिंह को ड्यूटी के प्रति लापरवाही का दोषी पाया गया क्योंकि उन्होंने मामले की छानबीन ठीक ढंग से नहीं की थी । दोनों अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनिक कार्यवाही शुरू कर दी गई थी।

6.194 उर्पयुक्त रिपोर्ट पर विचार कर आयोग ने 20 मार्च 2007 के पत्र द्वारा मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 18(3) के तहत नोटिस जारी किया जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार से पीड़ितों को आर्थिक राहत के लिए कारण बताने की अपेक्षा की गई थी। उन्होंने बताया कि पाँच व्यक्तियों को लगभग एक माह जेल में रहना पड़ा क्योंकि उनकी गिरफ्तारी के एक माह बाद न्यायालय ने उन्हें जमानत पर छोड़ दिया था। आयोग ने सिफारिश की कि उत्तर प्रदेश सरकार पाँचों पीड़ितों को 50–50 हजार रूपये का भुगतान करे जिन्हें बिना किसी गलती के जेल में रहना पडा। उसके उत्तर में उत्तर प्रदेश सरकार के सचिव ने सूचित किया कि राहत राशि चार लोगों को वितरित कर दी गई थी। पाँचवे व्यक्ति बाबूलाल का कहीं अता–पता नहीं था। पिछले चार वर्ष से वह गाँव नही आया था। उसके खेत खाली पड़े थे। राज्य सरकार को निदेश दिया गया कि जब भी बाबूलाल गाँव आए उसे रू0 50,000/–की राशि का भुगतान कर दिया जाए। इस निदेश के साथ यह मामला बंद कर दिया गया।

46. सहारनपुर, उत्तर प्रदेष के एक पटाखा बनाने के कारखाने में विस्फोट होने से ग्यारह कामगार मारे गए (मामला संख्या 33497/24/2004–05)।

6.195 18 अक्तूबर, 2004 को पटाखा बनाने वाले एक कारखाने में विस्फोट हुआ। यह कारखाना ओम बाबू ट्रांसपोर्ट कंपनी, राकेश सिनेमा रोड, सहारनपुर, (उत्तर प्रदेश) में चल रहा था। इस हादसे में 11 कामगारों ने अपने प्राण गंवा दिए तथा दो घायल हो गए। आयोग की नजर में यह मामला, "कैंपेन अंगेस्ट चाइल्ड लेबर" के संयोजक द्वारा लाया गया था तथा अपराधी के खिलाफ कार्रवाई करने तथा पीड़ितों को मुआवजा देने का तर्क दिया गया था।

6.196 आयोग को जिलाधिकारी, सहारनपुर द्वारा भेजी गई पुलिस रिपोर्ट और श्रम आयुक्त द्वारा भेजी गई रिपोर्ट से ज्ञात हुआ कि कारखाने को चलाने वाले प्रबंधक के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी तथा कारखाने के मालकि ने दुर्घटना में मरने वाले प्रत्येक व्यक्ति के निकटतम संबंधी को 50,000 रूपए का भुगतान कर दिया था।

6.197 पुलिस रिपोर्ट से पता चला कि कारखाने में अग्निशमन उपकरणों का पर्याप्त प्रावधान नहीं किया गया था। श्रम आयुक्त की रिपोर्ट से पता चला कि कारखाना दुर्घटना घटित होने से दो माह पहले ही शुरू हुआ था तथा यह शॉप एंड इस्टैमिशमेंट एक्ट के तहत पंजीकृत नहीं था। नियोक्ता ने कर्मकार प्रतिकार अधिनियम के तहत मुआवजा जमा नहीं किया इसलिए पीड़ितों के आश्रितों को दावा करने की सलाह दी गई थी। श्रम आयुक्त ने स्पष्ट किया कि दुर्घटना घटित होने के समय इंस्पेक्टर प्रणाली प्रचालित नहीं थी और इसलिए नियोक्ता के खिलाफ कोई कार्रवाई शुरू करना संभव नहीं था।

6.198 आयोग ने कहा कि खतरनाक व्यवसायों में लगे कामगारों की सुरक्षा सुनिष्चित करना और हादसा होने पर प्रभावित लोगों को उचित राहत प्रदान करना राज्य की जिम्मेदारी है। राज्य द्वारा अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए कानून ने राज्य को पर्याप्त अधिकार दिए हैं।

6.199 इस मामले में जिलाधिकारी और कामगार प्रतिपूर्ति आयुक्त कामगारों की सुरक्षा और उनके परिवारों को राहत देने का अपना दायित्व भूल गए प्रतीत होते हैं। उन्होंने कामगारों को नियोक्ता की मर्जी पर छोड़ दिया। हो सकता है कि निरक्षर कामगारों और उनके परिवारों को मुआवजा प्राप्त करने के हक और उसे प्राप्त करने के तरीके की जानकारी ही न हो।

6.200 चूंकि संबंधित अधिकारी कामगारों के मानवीय अधिकारों का उल्लंघन रोकने के प्रति लापरवाह थे, इसलिए इस दायित्व को निभाने के लिए राज्य जिम्मेदार है तथा राज्य को उन परिवारों को आर्थिक राहत अवश्य देनी चाहिए, जिनकी जीविका कमाने वाले विस्फोट में जान गंवा चुके थे।

2.201 तदनुसार, आयोग ने पीएचआरए, 1993 की धारा 18(क)(1) के तहत उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को नोटिस जारी करने का निदेश दिया, जिसमें उनसे यह कारण बताने के लिए कहा गया था कि क्यों न राज्य सरकार को दुर्घटना में मारे गए कामगारों के परिवारों को आर्थिक राहत देने के लिए कहा जाए। उत्तर की प्रतीक्षा है।

47. पूर्वोत्तर रेलवे, वाराणसी द्वारा सेवानिवृत्त लाभों की प्रतीक्षा करते सोचन की मृत्यु (मामला सं. 37757/24/2000–01)।

6.202 13 फरवरी, 2001 को श्री सोचन ने पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा सेवानिवृत्त लाभ के भुगतान न किए जाने के बारे में आयोग से शिकायत की । आयोग ने शिकायत को अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली को भेजने के निदेश दिए ताकि रेलवे बोर्ड शिकायत की छानबीन कर उचित कार्रवाई कर, की गई कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत कर सके। बार'–बार अनुस्मारक भेजने के बावजूद कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। इसी बीच श्री सोचन की मृत्यु हो गई।

6.203 रिपोर्टों को पढ़ने के बाद आयोग ने टिप्पणी की कि किसी कर्मचारी को उसके जीवनकाल में उसकी विधि संगत देयताओं का न मिलना गंभीर मामला है। इस मामले में शिकायतकर्ता इंतजार करते–करते मर गया। आयोग ने कहा कि रेलवे विभाग ने शिकायतकर्ता को देय भुगतान में अत्यधिक विलंब कर उसके मानवाधिकारों का उल्लंघन किया था तथा पीएचआर की धारा 18(क)(1) के तहत नोटिस जारी किया कि आयोग मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए शिकायतकर्ता (दिवंगत) के निकटतम संबंधी को मुआवजा देने की सिफारिश क्यों न करे। आयोग ने अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड की शिकायतकर्ता की उचित देयताएं जारी करने में विलंब करने के लिए जिम्मेदार सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय जाँच करने के निर्देश दिए कि शिकायतकर्ता की पत्नी को नियमानुसार सभी देयताओं का भुगतान कर दिया गया है या नहीं। उनसे स्पष्ट तौर पर यह रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है कि क्या दिवंगत की विधवा को विलंबित भुगतान और उसकी राशि पर कोई ब्याज दिया गया है या नहीं। रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और यह आयोग के विचाराधीन है।

ग. पटना, बिहार में आयोग द्वारा शिविर का आयोजन

6.204 आयोग की अगली कैप सिटिंग 17–19 मई, 2007 को पटना, बिहार में लगाई गई। इन तीन दिनों में पूर्ण आयोग के 44 मामले और एकल सदस्य से जुड़े 341 मामले सुने गए। पूर्ण आयोग के 30 मामले तथा एकल आयोग से 125 मामले निपटाए। लिए गए निर्णयों के परिणामस्वरूप, राज्य सरकार ने छह संबंधित पीड़ितों को 7,60,000 रूपए का भुगतान किया, जिनके मानवाधिकारों का अतिक्रमण हुआ था। राज्य सरकार ने हिरासत में हुई मौत के शिकार दो व्यक्तियों के निकटतम संबंधी को एक–एक लाख रुपए भुगतान करने का प्रमाण प्रस्तुत किया। राज्य सरकार ने आगे चार मामलों में प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने की कार्रवाई की।

6.205 आयोग ने दस मामलों में 14,25,000 रुपए की आर्थिक राहत की सिफारिश की। इनमें आठ मामले हिरासत में हुई मौतों से जुड़े थे जिनमें दिवंगत व्यक्ति के निकटम संबंधी के लिए कुल 11,25,000 रुपए का भुगतान किया गया।

6.206 अन्य 19 मामलों में आयोग ने पटना में रिपोर्टों पर विचार कर और राज्य सरकार के प्रतिनिधियों की बातें सुनने के बाद प्रथम हष्या यह मत बनाया कि इन मामलों में नागरिकों के मानवाधिकारों का अतिक्रमण हुआ था। आयोग ने इन मामलों में आर्थिक राहत प्रदान करने के लिए मुख्य सचिव/डीजीपी को नोटिस जारी करने का प्रस्ताव किया।

6.207 पटना में सुनवाई के दौरान आयोग मानवाधिकारों के उल्लंघन के अनेक अन्य मामलों के संबंध में (हिरासत में तथा हिरासत से बाहर हुई मौतों सहित) शिकायतें और रिपोर्टें प्राप्त हुईं आयोग के समक्ष लंबित

पड़ी थी। आयोग ने कैंप द्वारा उपलब्ध कराए गए सुअवसर का लाभ उठाकर 50 मामलों में अतिरिक्त सूचनाएं भी मांगी।

6.208 शिविर आयोजन के बाद आयोग ने 20 मई को बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड के मुख्य सचिवों के साथ क्षेत्रीय समीक्षा बैठक की। इस बैठक में आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के अनुपालन में प्रत्येक राज्य की स्थिति पर बल दिया। आयोग ने इस अवसर का उपयोग मानवाधिकारों के उल्लंघन को हतोत्साहित करने की आवश्यकता पर सार्वजनिक प्राधिकारियों को सुग्राही बनाने के लिए भी किया।

(घ) अनुवर्ती कार्रवाई

वर्ष 2004–05 और 2005–06 की वार्षिक रिपोर्ट में शामिल किए गए मामलों पर की गई कार्रवाई

1. *व्यानाद जिला, केरल के वन अधिकारियों द्वारा आदिवासी परिवारों पर अत्याचार (मामला संख्या 199/11/2002–03)*

   (वर्ष 2004–05 की वार्षिक रिपोर्ट में सम्मिलित रिपोर्ट)।

6.209 यह मामला 19 फरवरी, 2003 को केरल पुलिस द्वारा की गई गोलीबारी के दौरान 16 आदिवासियों की मृत्यु तथा अन्य घायलों के संबंध में हैं। इन घायलों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। आयोग की सिफारिशों पर सी.बी.आई. जाँच शुरू की गई जिससे आरोप सिद्ध नहीं हुए और इसकी सिफारिश राज्य सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई। इसी बीच, कुछ लोगों की पहल पर 2004 की रिट याचिका (सिविल) में मामले को केरल उच्च न्यायालय में सुनवाई शुरू हुई।

6.210 आयोग ने यह टिप्पणी करते हुए मामले को बंद कर दिया कि वह सी.बी.आई. की रिपोर्ट की जाँच नहीं कर सकता क्योंकि उस पर केरल उच्च न्यायालय में विचारा चल रहा था।

2. *आंध्र प्रदेश और केरल में किसानों द्वारा आत्महत्या (मामला संख्या 208/1/2004–05)*

   (वर्ष 2004–05 की वार्षिक रिपोर्ट में सम्मिलित रिपोर्ट)।

6.211 आंध्र प्रदेश और केरल के किसानों द्वारा आत्महत्या के मामले पर 7 जनवरी, 2008 को विचार करते हुए आयोग ने उस क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा अध्ययन कराना समीचीन है और आवश्यक पाया ताकि यह अभिनिश्चित किया जा सके कि राज्य सरकार द्वारा उठाए गए इन कदमों से राज्य के किसानों की शिकायतें किस सीमा तक दूर होंगी तथा रूझान कितना पुष्ट होगा।

6.212 श्रीमती उषा पटनायक द्वारा प्रस्तुत किए गए एक नोट पर विचार करते हुए आयोग ने कहा कि किसानों की आत्महत्या का मामला भी रिट याचिका सं0359/2006 संजीव भटनागर बनाम भारत संघ में उच्चत्तम न्यायालय के विचाराधीन था। इसने भी इस मामलों में हस्तक्षेप के लिए आवेदन किया था। चूँकि इस मामले को उच्चत्तम न्यायालय देख रहा था, इसलिए आयोग ने मामला बंद कर दिया। इसने कहा कि जरूरत पड़ने पर वह उच्चत्तम न्यायालय में आपका मत रखेगा।

3. दक्षिण भारत के तटवर्ती क्षेत्रों में सुनामी द्वारा मचाई गई तबाही (मामला सं. 1054/22/2004–05)

(वर्ष 2004–2005 की वार्षिक रिपोर्ट में शामिल रिपोर्ट)।

6.213 20 जनवरी, 2007 को आयोग ने आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, के मुख्य सचिव और पांडुचेरी के प्रशासक से स्टेट्स रिपोर्ट माँगी थी। इसके कथित स्टेटस रिपोर्ट प्राप्त की और कहा कि इन रिपोर्टों के प्राप्त होने के बाद कोई भी व्यक्ति कोई शिकायत या याचिका लेकर आयोग नहीं आया था। इस प्रकार आयोग ने अनुमान लगाया कि संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र ने प्रभावित व्यक्तियों के पुर्नवास और राहत के लिए पर्याप्त कदम उठाए थे। तद्नुसार, आयोग द्वारा मामला बंद कर दिया गया।

4. जलील अंदराबी, एडवोकेट, जम्मू और कश्मीर का कथित अपहरण और हत्या (मामला संख्या 9/123/95एलडी)

(वर्ष 2004–2005 की वार्षिक रिपोर्ट में शामिल रिपोर्ट)।

6.214 यह मामला श्रीनगर के एक एडवोकेट जलील अंदराबी की सुरक्षा बलों द्वारा कथित अपहरण और उसके बाद हत्या से संबंधित है। आयोग ने रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार और न्याय सैनाध्यक्ष के सचिव को यह सुनिश्चित करने का निदेश दिया था कि आर.पी.सी. की धारा 302/365/364/201 के तहत एफ.आई.आर. सं0 139 से 1996 मामले में विचाराधीन अवतार सिंह सी.जे.एम., बदगाम की अदालत में हाजिर हों। इसके उत्तर में रक्षा मंत्रालय ने सूचित किया कि कोर्ट इन्क्वायरी ने ही टी.ए.42277 मेजर अवतार सिंह को भगोड़ा घोषित कर दिया था। इसलिए सेना उन्हें न्यायालय में प्रस्तुत नहीं कर सकती। यह मामला आयोग के विचाराधीन है।

5. नागावल्ली नदी पर बांध के निर्माण के कारण किसानों और कषि मजदूरों का विस्थापन (मामला संख्या 667/1/2002– 2003)

(वर्ष 2004–2005 की वार्षिक रिपोर्ट में शामिल रिपोर्ट)।

6.215 यह मामला नागावल्ली नदी पर बांध के निर्माण के कारण किसानों और कृषि मजदूरों के मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित है। राज्य प्राधिकारियों से प्राप्त रिपोर्ट पर विचार करने के बाद आयोग ने मामला बंद कर दिया है।

6. मध्य प्रदेश में बाल विवाह के खिलाफ अभियान चलाने वाली महिलाओं पर आक्रमण (मामला संख्या 165/12/2005–06 डब्ल्यूसी)

(वर्ष 2005–2006 की वार्षिक रिपोर्ट में शामिल रिपोर्ट)

6.216 यह मामला शकुंतला वर्मा पर किए गए आक्रमण से संबंधित है जब वह मध्य प्रदेश में बाल विवाह के खिलाफ अभियान चला रही थीं। चूंकि आयोग इस बात से संतुष्ट था कि राज्य सरकार ने पीड़ित की हरसंभव सहायता की थी इसलिए मामला बंद कर दिया गया।

7. सहारनपुर, उत्तर प्रदेश में पंचायत के फैसले से सरगुजा जिला, छत्तीसगढ़ की जनजातीय महिला के मानवाधिकारों का उल्लंघन (मामला संख्या 16173/24/2005–06डब्ल्यूसी–लिंक फाइल 232/33/2005–2006 डब्ल्यूसी)

(वर्ष 2005–2006 की वार्षिक रिपोर्ट में शामिल रिपोर्ट)

6.217 यह मामला सहारनपुर में अनुसूचित जाति की एक महिला के साथ बलात्कार की कोशिश करने वाले व्यक्ति को छोड़ देने के फैसले (मामला संख्या 16173/24/2005–06 डब्ल्यू सी) और एक महिला से संबंधित है जिसे जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ की पंचायत ने हल में बैल की जगह लगाकर 5 बार खेत जोतने का निदेश दिया था क्योंकि उसने नांगर (लकड़ी का हल) का स्पर्श कर लिया था। यह ऐसा कार्य है जिसे क्षेत्र के लोगों द्वारा अशुभ माना जाता है तथा कम वर्षा का कारण माना जाता है। (मामला संख्या 232/33/2005–06 डब्ल्यूसी) चूंकि आयोग राज्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तुत की गई कृत कार्रवाई रिपोर्ट से संतुष्ट था, इसलिए मामले को बंद कर दिया गया ।

8. बागपत, उत्तर प्रदेश में पंचायत द्वारा मानवाधिकारों का उल्लंघन (मामला संख्या 16775/24/2005–06 डब्ल्यूसी)

(वर्ष 2005–2006 की वार्षिक रिपोर्ट में शामिल रिपोर्ट)।

6.218 यह मामला उत्तर प्रदेश के बागपत की जाति पंचायत द्वारा एक बलात्कार और हत्या के मामले के निपटारे और मुंह बंद करने के संबंध में है। बागपत के एस.पी. ने सचित किया कि एक हत्या और **बलात्कार के संबंध में** आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। पंचायत के आदेश की अवहेलना कर अपनी बेटी की शादी करने वाले ग्रामीण के सामाजिक बहिष्कार के मामले में पंचायत के निर्णय को पलट दिया था क्योंकि पीड़ित परिवार खुशी से रह रहा है। इसी प्रकार आयोग को मुजफ्फरनगर जिले से एक बलात्कार और एक हत्या के मामले की रिपोर्ट मिली। तथापि ये आरोप प्रमाणित नहीं हो सके। आयोग ने उत्तर प्रदेश सरकार को यह निदेश भी दिए हैं कि वह आपराधिक न्यायिक मामलों में जाति पंचायतों के हस्तक्षेप को रोकने के राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदम, यदि कोई हो, से आयोग को अवगत कराए।

9. जिला पलामू, झारखंड में अनुसूचित जाति की महिला का अपहरण (मामला संख्या 712/34/2005–06 डब्ल्यूसी)

6.219 आयोग ने अनुसूचित जाति की एक महिला के कथित अपहरण के मामले में डीजीपी, झारखंड से रिपोर्ट मांगी थी । एसपी, लातेहर की दिनांक 12 नवम्बर, 2005 की रिपोर्ट में कहा गया है कि (i) आईपीसी की धारा 376 के तहत तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(12) के तहत आपराधिक मामला संख्या 181/2005 बलात्कारी के खिलाफ दर्ज किया गया है। (ii) कानून की अपेक्षा के अनुसार पीड़ित महिला को 25,000 रूपए की वित्तीय सहायता दी गई थी और (iii) महिला का विवाह परंपरागत रीति से एक 27 वर्षीय आदमी के साथ हो गया था और वह सुखी वैवाहिक जीवन जी रही है। आयोग ने मामले को बंद कर दिया है।

10. बिहार के किशनगंज जिले में बीएसएफ कैंप के बाहर से नाबालिग लड़की का अपहरण (मामला संख्या 2610/4/2005–06 डब्ल्यूसी)

(वर्ष 2005–2006 की वार्षिक रिपोर्ट में शामिल रिपोर्ट)।

6.220 श्रीमती शिव देवी, निवासी जिला किशनगंज, बिहार ने आयोग को शिकायत की, जिसमें आरोप लगाया गया था कि 13 जुलाई, 2005 को सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) मुख्यालय अस्पताल अमृतसर के कांस्टेबल केशव देव पाठक, परमिंदर उर्फ मोनू, उसका चचेरा भाई पवन, बहन मीना और माँ ऊषा ने किशनगंज से उसकी नाबालिग बेटियों को नशीली चीज खिलाकर अपहरण कर लिया था। इन लड़कियों को 70,000 रूपए में मुम्बई के कादर अली, मनीषा और सादगी को बेच दिया गया। उन लोगों ने इन दोनों बहनों के साथ बार–बार बलात्कार किया और एफआईआर दर्ज कराने के बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। आयोग के निदेशों के उत्तर में डीजीपी, बिहार ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। आयोग ने 18 मई, 2007 को बिहार के मुख्य सचिव को इस शिकायत की जांच सीबीसीआईडी द्वारा करवाने तथा छह सप्ताह के भीतर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निदेश दिए। रिपोर्ट अभी तक प्रतीक्षित है।

11. बिहार में सब इंस्पेक्टर द्वारा नृत्य बाला से बलात्कार (मामला संख्या 660/4/2003–04 डब्ल्यूसी)

(वर्ष 2005–2006 की वार्षिक रिपोर्ट में शामिल रिपोर्ट)।

6.221 बिहार में नृत्य बाला से बलात्कार करने के मामले में, बिहार सरकार ने पीड़ित व्यक्ति को 50,000 रूपए की आर्थिक राहत देने के आयोग के निदेशों का पालन किया है । यह मामला 27 सितम्बर, 2007 को बंद कर दिया गया ।

12. हरियाणा पुलिस द्वारा नाबालिग की अवैध निरोध और उत्पीड़न (मामला संख्या 1453/7/2005–06)।

6.222 इसके उत्तर में डी.जी.पी., हरियाणा ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की धारा 34 आई.पी.सी. के साथ गठित आई.पी.सी. धारा 323,342 के तहत सी.आई.ए. कर्मचारी जगमल सिंह के खिलाफ 9 अक्टूबर 2005 के एफ.आई.आर. संख्या 473 दर्ज कराई थी। यह व्यक्ति इस मामले में 16 अक्टूबर, 2005 को गिरफ्तार किया गया था। उसके खिलाफ एक आरोप–पत्र भी दाखिल किया गया था। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि यह मामला उच्चत्तम न्यायालय में भी चल रहा है। आयोग ने यह भी कहा कि पीड़ित के नाम के संबंध में अंतर था। इसलिए आयोग ने डी.जी.पी., हरियाणा को पीड़ित के नाम के अंतर को इस मामले में उच्चत्तम न्यायालय के बारे में स्पष्टीकरण देने को कहा।

13. मेघालय पुलिस द्वारा निर्दोष लोगों की हत्या (मामला संख्या 11/15/2005–06)

(वर्ष 2005–2006 की वार्षिक रिपोर्ट में शामिल रिपोर्ट)।

6.223 यह मामला मेघालय पुलिस की विशेष आपरेशन टीम द्वारा मावालिंगाडे, सोरिंगखन, ईस्ट खासी हिल्स जिले

में एनएससीएन (आईएम) के पाँच संदिग्ध आतंकवादियों को मार गिराने के संबंध में है। आयोग को डी.जी.पी. मेघालय से अपेसित रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। मामला आयोग के विचाराधीन है।

14. हरियाणा पुलिस द्वारा होंडा फैक्टरी के आंदोलनकारी कामगारों पर बलप्रयोग (मामला संख्या 618/7/2005–06–एफसी फाइल संख्या 741/7/2005–06 से संबद्ध)

(वर्ष 2005–2006 की वार्षिक रिपोर्ट में शामिल रिपोर्ट)।

6.224 यह मामला हरियाणा पुलिस द्वारा होंडा फैक्टरी के आंदोलनकारी कामगारों पर बलप्रयोग से संबंधित है । आयोग ने 20 फरवरी, 2008 के अपने निदेश द्वारा न्यायमूर्ति जी.सी. गर्ग के नेतृत्व वाले एक सदस्यीय आयोग द्वारा जांच पूरी होने के संबंध में या अन्यथा सूचनाएं मांगी। आयोग को जाँच आयोग की रिपोर्ट प्राप्त हुई और ज्ञात हुआ कि पुलिस द्वारा किया गया बल प्रयोग न्यायोचित था और यह किसी भी दृष्टि से आवश्यता से अधिक नहीं था। जाँच आयोग के निष्कर्षो के आधार पर आयोग ने मामला बंद कर दिया।

15. तेजपुर मानसिक अस्पताल, असम में 33 वर्षों से विचाराधीन कैदी की नजरबंदी (मामला संख्या 26/3/2005–06)

(वर्ष 2005–2006 की वार्षिक रिपोर्ट में शामिल रिपोर्ट)।

6.225 यह मामला विचाराधीन कैदी अनिल कुमार बर्मन की 33 वर्ष की लंबी अवधि की नजरबंदी से संबंधित है। हालांकि दिनांक 15.7.1969 के निर्णय द्वारा अपराध मुक्त कर दिया गया था तथा 1972 में स्वस्थ घोषित कर दिया गया था। उसे 2005 तक अस्पताल से छुट्टी नहीं दी गई । एक नोटिस के जवाब में राज्य सरकार ने आयोग को सूचित किया कि श्री अनिल कुमार बर्मन को 3,00,000 का पुनर्वास अनुदान नहीं दिया जा सका क्योंकि दिनांक 30.4.2006 को वह मर गया । आयोग से अनुरोध किया गया था कि उक्त राशि उसकी एकमात्र वारिस गाडु बर्मन को देने के प्रभाव को अनुमोदन करे। आयोग ने प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया और बाद में भुगतान का प्रभाण प्राप्त हुआ। मामला बंद कर दिया गया है।

16. करीम नगर, आंध्र प्रदेष में पुलिस की हिरासत में चित्याला सुधाकर की मौत (मामला संख्या 381/1/1998–99)

(वर्ष 2005–2006 की वार्षिक रिपोर्ट में शामिल रिपोर्ट)।

6.226 यह मामला आंध्र प्रदेश के वारंगाल जिले के हसनपर्ती पुलिस स्टेशन में 28.9.1998 को पुलिस की हिरासत में चित्याला सुधाकर की मौत से संबंधित है। आयोग ने अपनी दिनांक 3.8.2005 की कार्यवाही द्वारा सिफारिश की थी कि आंध्र प्रदेश सरकार उसकी माँ श्रीमती चित्याला वेकटाम्मा को 50,000 रूपए का भुगतान करें। उत्तर में, राज्य सरकार ने आयोग को सूचित किया कि चूँकि उसका स्वर्गवास हो गया है इसलिए यह राशि उनके दो जीवित बेटों में बराबर–बराबर बांट दी गई है। मामला बंद कर दिया गया है।

17. सीवर में काम करते समय दिल्ली जल बोर्ड के दो कर्मचारियों की मौत (मामला संख्या 716/30/2005–06)

(वर्ष 2005–2006 की वार्षिक रिपोर्ट में शामिल रिपोर्ट)।

6.227 आयोग ने 26 मई, 2005 की कार्यवाही द्वारा मुख्य सचिव, दिल्ली तथा अध्यक्ष दिल्ली जल बोर्ड को निदेश दिया कि सीवर में काम करते समय दिल्ली जल बोर्ड के दो कर्मचारियेां की मौत की जाँच कर दो सप्ताह के भीतर अपनी टिप्पणियां भेजे। आयोग को एक विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें उल्लेख था कि विभाग ने कनिष्ठ अभियंता के निकटतम संबंधी को एक लाख रूपये की राशि और बेलदार के परिवार को 50,000 रू0 की राशि जारी कर दी थी। आयोग ने रिपोर्ट पर विचार किया और राहत राशि को अपर्याप्त पाया तथा दिल्ली जल बोर्ड को इस उत्तर के लिए कारण बताओं नोटिस जारी किया कि दो दिवंगत कर्मचारियों के निकटतम संबंधी को आर्थिक राहत क्यों न दी जाए।

18. विकलांग व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा, श्याम सक्सेना का मामला (मामला संख्या 4/10/2005–2006)

(वर्ष 2005–2006 की वार्षिक रिपोर्ट में शामिल रिपोर्ट)।

6.228 यह मामला किसी श्याम सक्सेना द्वारा की गई शिकायत से संबंधित है जिसमें आरोप लगाया गया है कि मारूति उद्योग लिमिटेड विकलांगों के लिए सुविधजनक कारों का निर्माण नहीं कर रहा है। आयोग ने विशेष रैपर्चर (सुश्री अनुराधा मोहित) द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर भारी उद्योग और सार्वजनकि उद्यम मंत्रालय से टिप्पणियां मांगी थी । रिपोर्ट पर विचार करने के बाद, मामला 11.03.2008 को बंद कर दिया गया था।

19. एम्स, नई दिल्ली द्वारा लेवी चार्ज (मामला संख्या 3153/30/2005–06)

(वर्ष 2005–2006 की वार्षिक रिपोर्ट में शामिल रिपोर्ट)।

6.229 आयोग द्वारा हस्तक्षेप के फलस्वरूप एम्स द्वारा लेवी में वृद्धि वापस ली गई और 10 सितंबर, 2008 को मामला बंद कर दिया गया।

20. उत्तर प्रदेश में जगजीवन राम नामक विचाराधीन कैदी की लंबी कैद (मामला संख्या 35741/24/2005–06)

(वर्ष 2005–2006 की वार्षिक रिपोर्ट में शामिल रिपोर्ट)।

6.230 यह मामला उत्तर प्रदेश के एक विचाराधीन कैदी श्री जगजीवन राम की लंबी कैद से संबंधित है। वह पिछले 38 वर्ष से जेल में बंद है और पागलखाने में सड़ रहा है क्योंकि उसके द्वारा 1968 में की गई हत्या से संबंधित सभी रिकार्ड गायब है। राज्य सरकार ने कहा कि आरोपी जगजीवन राम को अपर शेसन जज फैजाबाद द्वारा 14 फरवरी, 2006 को निजी मुचलके पर छोड़ा गया था। तथा यह भी कहा कि पुलिस ने न्यायिक रिकार्ड से छाँटकर सभी दस्तावेज न्यायालय में जमा करा दिए थे। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि दोषी अपराधी का दंडित किया गया है। आयोग ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को आगे उस स्थिति से अवगत कराने को कहा है कि स्वस्थ घोषित होने के बाद पीड़ित जेल में कब तक रहा और 21 सिंतबर 2005 को जेल कैसे भेजा गया। रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

21. उन्नाव जेल, उत्तर प्रदेष में शंकर दयाल नामक विचाराधीन कैदी की 44 वर्षों से कैद (मामला संख्या 37484/24/2005–06)

(वर्ष 2005–2006 की वार्षिक रिपोर्ट में शामिल रिपोर्ट)।

6.231 आयोग ने एक विचाराधीन कैदी शंकर दयाल द्वारा 44 वर्ष जेल में बिताने के (इसमें उपचार के लिए पागलखाने में बिताए 43 वर्ष शामिल हैं) समाचार को स्वतः प्रेरणा से संज्ञान में लिया। कैदी शंकर दयाल को 11.12. 1961 को जमानत दी गई थी परंतु उसे छोड़ा नहीं जा सका क्योंकि उसका परिवार औपचारिकताएं नहीं पूरी कर सका। बाद में न्यायालय के आदेश पर उसे जिला जेल, उन्नाव द्वारा मानसिक अस्पताल, वाराणसी भेजा गया। आयोग ने स्वास्थ्य सेवा निदेशक, उत्तर प्रदेश सरकार से यह जांच करने के लिए कहा कि क्या मानसिक अस्पताल के अधिकारियों से कोई चूक हुई है कि पीड़ित के इलाज में उन्होंने 43 वर्ष लगाए। मामला आयोग के विचाराधीन है।

22. सोनभद्र, उत्तर प्रदेश में भूख से बच्चों की मृत्यु (मामला संख्या 21997/24/2003–04)

(वर्ष 2005–2006 की वार्षिक रिपोर्ट में शामिल रिपोर्ट)।

6.232 यह मामला सोनभद्र, उत्तर प्रदेश में भूख से बच्चों की मौत के आरोपों के संबंध में है । आयोग ने समाहर्ता, सोनभद्र से रिपोर्ट प्राप्त कर ली है। रिपोर्ट में भूख से मौत के आरोपों से इंकार किया गया। शिकायतकर्त्ता से कथित रिपोर्ट के संबंध में टिप्पणियाँ प्राप्त करने के बाद आयोग का मानना है कि जिला प्रशासन ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी भी आदिवासी की भूख से मृत्यु ना हो, पर्याप्त उपाय किए थे। आयोग का यह भी मानना है कि जिला प्रशासन पर्याप्त खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित करने के अपने दायित्व के प्रति भी सजग था। तद्नुसार आयोग ने इस मामले को बंद कर दिया।

23. जम्मू और कश्मीर में भूकंप (मामला संख्या 76/9/2005–06)

(वर्ष 2005–2006 की वार्षिक रिपोर्ट में शामिल रिपोर्ट)।

6.233 यह मामला जम्मू और कश्मीर के भूकंप पीड़ित लोगों के लिए राहत और पुनर्वास उपायों के संबंध में है। आयोग ने जम्मू डिवीजन के डीवीजनल कमीशनर से आयोग द्वारा पूर्व में की गई संस्तुतियों के संबंध में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्राप्त कर ली है। आयोग का मानना है कि उसकी संस्तुतियों का निरंतर अनुपालन हो रहा है और राहत कार्य संतोषजनक ढ़ग से प्रगति पर है। तदनन्तर यह ज्ञात हुआ कि जम्मू उच्च न्यायालय ने राहत कार्य की मॉनिटरिंग के लिए जनहित की याचिका दायर की। तद्नुसार आयोग ने इस मामले को बंद कर दिया।

ख) वर्ष 2006–07 की वार्षिक रिपोर्ट में शामिल मामलों पर की गई कार्रवाई

1. उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जेल में लखनऊ ले जाते समय रास्ते में अरूण कुमार उपाध्याय की पुलिस हिरासत में मौत (मामला संख्या 32257/24/2002–03 एडी, मामला संख्या 32539/24/2002–03–सीडी से सम्बद्ध)।

6.234 आयोग ने 12 जून, 2006 के निदेश द्वारा सिफारिश की कि उत्तर प्रदेश सरकार दिवंगत व्यक्ति के निकटतम

संबंधी को 50,000 रूपए की आर्थिक राहत प्रदान करें । आयोग ने अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के बाद मामले को बंद कर दिया।

2. जिला जेल, कपूरथला, पंजाब में न्यायिक हिरासत में गुरनाम सिंह की मौत (मामला संख्या 157/19/2001–2002 सीडी)

2.235 चूंकि पंजाब सरकार ने आयोग के दिनांक 17 जुलाई, 2006 के निदेश अर्थात दिवंगत व्यक्ति के निकटतम संबंधी को 1,00,000 रूपए की आर्थिक राहत का भुगतान करने के निदेश का पालन कर दिया था इसलिए यह मामला 18 अप्रैल, 2007 को बंद कर दिया गया था ।

3. सीतापुर, उत्तर प्रदेश में न्यायिक हिरासत में विचाराधीन कैदी शर्मा की मौत (मामला संख्या 38895/24/2001–2002)।

6.236 चूंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने आयोग के दिनांक 01 फरवरी, 2006 के निदेश अर्थात दिवंगत व्यक्ति के निकटतम संबंधी को 50,000 रूपए की आर्थिक राहत का भुगतान करने के निदेश का पालन कर दिया था इसलिए यह मामला 25 जून, 2007 को बंद कर दिया गया था ।

4. दिल्ली के मुखर्जीनगर के पुलिस स्टेशन में पुलिस हिरासत में पृथ्वी की मौत (मामला संख्या 1112/30/1997–98–सीडी)।

6.237 चूंकि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सरकार ने आयोग के दिनांक 15 नवम्बर, 2006 के निदेश अर्थात् दिवंगत व्यक्ति के निकटतम संबंधी को 50,000 रूपए की आर्थिक राहत का भुगतान करने के निदेश का पालन कर दिया था। इसलिए यह मामला 16 अप्रैल, 2007 को बंद कर दिया गया था।

5. बालाघाट, मध्य प्रदेश में पुलिस हिरासत में भानदास की मौत (मामला संख्या 145/12/2000–2001 सीडी)।

6.238 आयोग ने अपने दिनांक 24 अप्रैल 2007 की कार्यवाही द्वारा पुलिस विभाग द्वारा दिवंगत की पत्नी को जारी नियुक्ति पत्र (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में) की प्रति प्राप्त हो जाने तथा उसे 1,50,000 रूपए (1,20,000 रूपए पोस्ट आफिस की मासिक आय योजना में जमा किया गया, 25,000 रूपए नाजिर शाखा में जमा किया गया तथा 5,000रूपए का ड्राफ्ट द्वारा दिया गया) देने संबंधी 16 मई 2000 के मंजूरी आदेश की प्रति हो जाने पर मामला बंद कर दिया ।

6. इंदौर, मध्य प्रदेश में पुलिस हिरासत में मुन्ना कुमार सोनी की मौत (मामला संख्या 50/12/2001–2002–सीडी)।

6.239 आयोग ने अपने दिनांक 22 नवंबर 2006 के निदेश द्वारा सिफारिश की कि मध्य प्रदेश सरकार दिवंगत व्यक्ति के निकटतम संबंधी को आर्थिक राहत के रूप में 50000 रूपए का भुगतान करे। इसके उत्तर में अवर सचिव, गृह, मध्य प्रदेश सरकार ने आयोग को सूचित किया कि राज्य सरकार द्वारा 50,000 रूपए की मंजूरी दी गई है। तथापि, इंदौर पुलिस द्वारा लाख कोशिश के बावजूद दिवंगत व्यक्ति के निकटतम संबंधी का अता–पता नहीं चल सका। आयोग ने राज्य सरकार को यह निर्देश देकर मामले को बंद कर दिया कि जब कभी योग्य व्यक्ति सामने आए उसे अनुशंसित राशि प्रदान कर दी जाए।

7. कानपुर, उत्तर प्रदेश में विचाराधीन कैदी की न्यायिक हिरासत में मौत (मामला संख्या 17979/24/2000–2001 सीडी)।

6.240 उत्तर प्रदेश सरकार ने आयोग के दिनांक 8 जनवरी 2007 के निर्देशों का पालन करते हुए 2,00,000 रूपए की आर्थिक राहत का भुगतान कर दिया है।

8. जलगाँव महाराष्ट्र में दलीप सीताराम चौधरी की न्यायिक हिरासत में मौत (मामला संख्या 531/13/23002–2003–सीडी)।

6.241 चूंकि महाराष्ट्र सरकार ने आयोग के दिनांक 15 फरवरी 2007 के निदेशों का पालन करते हुए दिवंगत व्यक्ति के निकटतम संबंधी को आर्थिक राहत के रूप में 1,00,000 रूपए का भुगतान कर दिया है। यह मामला दिनांक 10 सितंबर 2007 को बंद कर दिया गया।

9. चमन गंज, कानपुर, उत्तर प्रदेश में मानसिक रूप से विकलांग लायक अनवर का पुलिस द्वारा उत्पीड़न (मामला संख्या 36115/24/2002–2003)।

6.242 आयोग ने अपनी दिनांक 22 अक्टूबर, 2006 की कार्यवाही द्वारा पीड़ित लायक अनवर को आर्थिक राहत के रूप में 10,000 रूपए के आर्थिक राहत का भुगतान करने की सिफारिश की और दिनांक 29 नवम्बर, 2006 के पत्र द्वारा मुख्य सचिव से भुगतान का सबूत भेजने को कहा तथा भुगतान का प्रमाण मिलने पर आयोग ने मामले को बंद कर दिया।

10. कथित गलत पहचान के मामले में चंडीगढ़ पुलिस द्वारा संतोष को अवैध जेल (मामला संख्या 72/27/2006–2007 सीडी)

2.243 यह मामला पुलिस द्वारा संतोष नामक एक अपराधी महिला, पत्नी श्री सुरजीत कुमार, उत्पाद अधिनियम की धारा 61/1/14 के अंतर्गत केस एफ.आई.आर. सं0 418 में वांछित, के स्थान पर संतोष नामक एक निर्दोष महिला को अवैध रूप से गिरफ्तार करने से संबंधित है। उसे जे.एम.आई.सी. चंडीगढ़ न्यायालय द्वारा घोषित अपराधी करार दिया गया था। आयोग को एक रिपोर्ट प्राप्त हुई जिससे पुलिस द्वारा निर्दोष महिला की अवैध गिरफ्तारी की पुष्टि होती है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया था कि दोषी पुलिस कर्मचारियों के विरूद्ध विभागीय जाँच के आदेश दे दिए गए थे। आयोग ने चड़ीगढ़ प्रशासन, गृह के सचिव को विभागीय जाँच की स्थिति के विषय में सूचना देने के साथ–साथ वास्तविक अपराधी की पहचान को सिद्ध करने के लिए अगूठे के निशान से संबंधित फोरनसिक विशेषज्ञ की रिपोर्ट के निष्कर्ष की सूचना देने का निदेश दिया। रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

11. चब्बा, अमृतसर, पंजाब में किसानों पर पुलिस जुल्म (मामला संख्या 640/19/2006–2007)

6.244 आयोग के दिनांक 1.2.2007 के निदेश के अनुसरण में अपर पुलिस महानिदेशक ने एसएसपी, अमृतसर की दिनांक 16.5.2007 की रिपोर्ट अग्रेषित की। यह रिपोर्ट आयोग के विचाराधीन है।

12. पाहवा, उन्नाव, उत्तर प्रदेश में पुलिस द्वारा राजू की अवैध गिरफ्तारी और जुल्म (मामला सं. 23139/24/2001–2002)

6.245 दिनांक 29 दिसम्बर,2006 के आयोग के निदेश के अनुसार उत्तर प्रदेश की सरकार ने पीड़ित को 5,000 रूपए की आर्थिक राहत के तुरंत भुगतान को मंजूरी दी है। भुगतान का प्रमाण मिलने पर आयोग ने मामले को बंद कर दिया।

13. बरेली, उत्तर प्रदेश में बिजली का करंट लगने से घनश्याम की मौत (मामला संख्या 20385/24/2000–2001)

6.246 आयोग को एक गैर–सरकारी संगठन नव सृष्टि के सचिव श्री अनिल साहनी से दिनांक 10 सितंबर, 2000 की शिकायत प्राप्त हुई जिसमें आरोप लगाया गया था कि विद्युत विभाग की लापरवाही में बिजली की टूटी तार नंगी पड़ी थी जिससे घनश्याम की मौत हो गई। आयोग ने दिनांक 10 फरवरी 2006 की कार्यवाही द्वारा यू.पी. पावर कार्पोरेशन (यूपीपीसी) लिमिटेड के अध्यक्ष को निदेश दिया कि दिवंगत व्यक्ति के निकटतम संबंधी को पर्याप्त राहत दी जाए तथा बिजली का करंट लगने के मामले में मुआवजा देने के लिए नियमों को तर्कसंगत बनाया जाए। यूपीपीसी ने दिनांक 19 अप्रैल, 2006 के पत्र द्वारा आयोग को सूचित किया कि करंट लगने से मृत व्यक्ति को भुगतान किया जाने वाला मुआवजा 20,000 रूपए से बढ़ाकर 50,000 रूपए कर दिया गया है तथा घनश्याम के निकटतम संबंधी को 50,000 रूपए का भुगतान करने के आदेश जारी किए जा चुके हैं। भुगतान का प्रमाण मिलने पर आयोग ने मामले को बंद कर दिया है।

14. गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में मेगा परियोजनाओं के लिए भूमि का अधिग्रहण कर किसानों के अधिकारों का अतिक्रमण

6.247 पीपुल्स यूनियन फार सिविल लिबर्टीज (पीयूसीएल) के पूर्व अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री राजेन्द्र सच्चर (सेवानिवृत्त) तथा अन्य ने आयोग को एक प्रार्थना पत्र दिया जिसमें मेगा डेवलपमेंट के नाम पर किसानों और भूमि श्रमिकों की जमीन और मकान अधिग्रहित करने के कारण उनके प्रभावित होने तथा उनके मानवाधिकारों का हनन होने का मामला उठाया गया है। इसके साथ ही, उन्होंने एक रिपोर्ट संलग्न की है जिसे न्यायमूर्ति सच्चर, सुश्री मेधा पाटकर तथा अन्य ने तैयार किया था जिसमें निर्दोष नागरिकों पर राज्य प्राधिकारियों द्वारा किए गए हिंसक अत्याचार का विवरण है जब वे मुआवजा कम होने तथा मुख्य मंत्री का वादा पूरा न किए जाने के विरोध में बाझेरा गाँव में विरोधस्वरूप धरने पर बैठे थे।

6.248 आयोग ने 20 सितंबर 2006 को उत्तर प्रदेश के डीजीपी, गाजियाबाद के जिलाधिकारी तथा संबंधित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को मामले को व्यक्तिगत तौर पर देखने तथा एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा। आयोग ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव से मेगा विकास परियोजनाओं के लिए अपने निवास स्थान/भूमि से बेदखल किए गए लोगों को राज्य द्वारा दिए जाने वाले मुआवजा, पुनर्वास तथा दूसरे स्थान पर बसाने की नीति के बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निदेश दिया। मामला आयोग के विचाराधीन है।

6.249 सचिव, प्रशासन, गृह(एचआर) और विद्युत विभाग ने अपने क्रमशः 13 जनवरी 2007 और 17 जनवरी 2007 के पत्रों द्वारा रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं, जिसमें पुनर्वास और पुनर्स्थापन की योजना दी गई है । रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इस मामले पर इलाहबाद उच्च न्यायालय में भी कार्रवाई चल रही है। इसे देखते हुए आयोग ने आगे कार्रवाई नहीं की और मामले को बंद कर दिया।

15. मेरठ, उत्तर प्रदेश में मेले के दौरान आग लगने के कारण हुए हादसे में मौत (मामला संख्या 521/24/2006–07)।

6.250 चूंकि आयोग राज्य प्राधिकारी द्वारा दी गई कार्रवाई के संबंध में प्रस्तुत की गई रिपोर्ट से संतुष्ट था, इसलिए मामला 24 अक्टूबर 2007 को बंद कर दिया गया।

16. मेरठ, उत्तर प्रदेश के जुवेनाइल होम में बाल अंतेवासियों की दशा (मामला संख्या 19884/24/2005–2006)।

6.251 चूंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने आयोग की दिनांक 30 मई 2007 की सिफारिशों का अनुपालन कर दिया है इसलिए मामला बंद कर दिया गया।

17. गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में बच्चों के मानवाधिकारों का उल्लंघन (मामला सं. 35707/24/2006–07 डब्ल्यूसी)।

6.252 यह मामला बालकनाथ आश्रम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में बच्चों के मानवाधिकारों के उल्लंघन के संबंध में है। यह मामला जाँच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा आयोग को सौपा गया था। आयोग की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद उच्चतम न्यायालय ने रिट याचिका को निपटा दिया। चूंकि इस मामले में आगे कोई कार्रवाई शेष नहीं थी, इसलिए यह मामला 17 सितंबर 2007 को आयोग द्वारा बंद कर दिया गया।

18. आरा, बिहार में पुलिस की मौजूदगी में भीड़ द्वारा अनुसूचित जाति के चार लोगों की हत्या (मामला संख्या 1099/4/2006–07)।

6.253 आयोग के दिनांक 27 दिसंबर 2006 और 4 जून 2007 के निदेश के अनुसरण में पुलिस अधीक्षक, भोजपुर, आरा ने अपने दिनांक 12 अगस्त 2007 के पत्र द्वारा सूचित किया है कि घटना के गवाहों तथा दिवंगत व्यक्ति के परिवारों के सदस्यों की सुरक्षा के लिए आवश्यक निदेश जारी कर दिए गए हैं। रिपोर्ट में दिवंगत व्यक्तियों के परिवारों के सदस्यो को दी जाने वाली आर्थिक राहत तथा आपराधिक मामले के परिणाम के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। मामला राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के विचाराधीन है।

19. मदुरै, तमिलनाडु में अनुसूचित जाति की महिला पंचायत प्रधान की नीलामी (मामला संख्या 802/22/2006–07 डब्ल्यूसी)

6.254 दिनांक 20 नवंबर 2006 को आयोग ने "इंडियन एक्सप्रेस" में छपी खबर को स्वतः प्रेरणा से संज्ञान में लिया, जिसमें दावा किया गया था कि कोडाइकुलम गाँव की अनुसूचित जाति की महिला पंचायत प्रधान बालामणि की नीलामी 2.16 लाख रूपए में की गई जब गाँव के लोगों ने निर्णय लिया कि सबसे ज्यादा बोली लगाने वाला व्यक्ति गाँव के करारों और अनुबंधों पर हस्ताक्षर कराने के लिए उसका इस्तेमाल रबड़ स्टैंप के रूप में कर सकेगा । आयोग ने जिलाधिकारी, मदुरै को मामले की छानबीन कर तथ्यपरक रिपोर्ट आयोग के पास भेजने का निदेश दिया।

6.255 आयोग के निदेशों के अनुसरण में डीजीपी, तमिलनाडु ने दिनांक 6.3.2007 के पत्र के साथ एसपी, मदुरै के रिपोर्ट की प्रति आयोग को अग्रेषित की जिसमें स्पष्ट कहा गया था कि इस समाचार में जरा भी सच्चाई नहीं है। कोडाइकुलम पंचायत में एक निर्वाचित पंचायत प्रधान और उप–प्रधान थे । पंचायत की किसी रिक्ति को भरने के लिए चुनाव की घोषणा तक नहीं की गई थी और किसी गैर–सदस्य द्वारा पंचायत अध्यक्ष द्वारा नियंत्रित करने का प्रश्न नही

था। रिपोर्ट में यह बात अतिरिक्त रूप से कही गई थी कि किसी भी पंचायत के उप–प्रधान का पद निर्वाचित वार्ड सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरा जाता है।

6.256 कोडाइकुलम पंचायत में कोई अप्रिय घटना न होने देने के लिए वहां सब डिवीजनल आफीसर और पर्याप्त संख्या में पुलिस कार्मिक तैनात कर दिए गए थे। जिले के स्पेशल ब्रांच स्टाफ को स्थिति पर निगरानी रखने और रिपोर्ट करने का अनुदेश दिया गया था। आयोग ने रिपोर्ट पर विचार किया तथा 31.5.2007 को मामला बंद कर दिया।

20. लक्खीसराय, बिहार में अनुसूचित जाति की चार महिलाओं के साथ बलात्कार (मामला संख्या 1375/4/2006 डब्ल्यूसी)।

6.257 आयोग ने श्रीमती कांति सिंह, राज्यमंत्री, भारत सरकार के नेतृत्व में संसद सदस्यों के शिष्टमंडल द्वारा प्रेषित शिकायत, जिन्होंने स्वयं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष से मिलकर राम नगर, सूर्यगढ़, जिला लक्खीसराय की चार दलित महिलाओं के बलात्कार से संबंधित मामले में आयोग के अंतःक्षेप का अनुरोध किया था, का स्वतः संज्ञान लिया। संबद्ध प्राधिकारियों प्राप्त रिपोर्ट पर विचार करने के उपरान्त आयोग ने जिलाधिकारी, लक्खीसराय को सूर्यगढ़ पुलिस स्टेशन में 23 अगस्त,2006 को पंजीकृत मामला संख्या 2008–211/06 की स्थिति प्रेषित करने का निर्देश दिया।

21. बांद्रा, महाराष्ट्र में अनुसूचित जाति की महिलाओं पर जुल्म (मामला संख्या 1107/13/2006–07–डब्ल्यूसी)।

6.258 आयोग ने गैर–सरकारी संगठन द्वारा खैरालानाली गाँव, जिला बांद्रा, महाराष्ट्र के 29 सितंबर, 2006 को गाँव की उच्च जाति के लोगों द्वारा बौद्ध परिवार के चार सदस्यों के सामूहिक बलात्कार और कत्ल की दिल दहला देने वाली घटना की शिकायत का स्वतः संज्ञान लिया। आयोग ने मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशेक, महाराष्ट्र को इन आरोपों की जाँच करने, आवश्यक कार्रवाई करने और अपनी टिप्पणियाँ भेजने का निर्देश दिया। अनुस्मारकों के बावजूद रिपोर्ट की अभी भी प्रतीक्षा है।

22. बेगूसराय, बिहार में पुलिसकर्मी द्वारा विधवा के साथ बलात्कार का प्रयास, हत्या और सात व्यक्तियों को चोट (मामला संख्या 3618/4/2004–2005 डब्ल्यूसी)।

6.259 चूंकि बिहार सरकार ने प्रत्येक दिवंगत व्यक्ति के निकटतम संबंधी को 1,00,000 रूपए तथा प्रत्येक घायल को 25,000 रूपए आर्थिक राहत देने के निदेशों का पालन किया इसलिए यह मामला 17.5.2007 को पूरा कर दिया गया।

23. निठारी, उत्तर प्रदेश में बच्चों को गायब कर उनकी हत्या (मामला संख्या 39250/24/2006–07)।

6.260 इस मामले में जिसमें निठारी में अपहरण/बलात्कार के अनेक मामलों में 29 अपराधिक केस दर्ज किए गए। विशिष्ट निर्देश देने के अतिरिक्त आयोग ने इस मुद्दे का अध्ययन करने तथा समस्याओं से निपटने के लिए सुझाव और दिशानिर्देश देने के लिए एक सदस्य की अध्यक्षता में एक पांच सदस्यीय समिति का गठन किया। समिति ने अपनी

सिफारिशें दी जिन्हें आयोग ने स्वीकार कर लिया। बाद में सिफारिश सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासकों में परिचालित की गई थी। यह मामला 2.7.2007 को बंद कर दिया गया।

24. दक्षिण दिल्ली की इंब्राइडरी इकाइयों से 55 बाल मजदूरों को मुक्त कराना (मामला संख्या 364/30/2006–2007)।

6.261 कई राष्ट्रीय समाचार–पत्रों में 55 बाल मजदूर को छुड़ाए जाने संबंधी समाचार रिपोर्टो का स्वतः संज्ञान लेते हुए, आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली, दिल्ली पुलिस आयुक्त और सचिव,श्रम,राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के मुख्य सचिव को छुड़ाए गए बच्चों के पुनर्वास हेतु उठाए गए कदमों संबंधी सूचना प्रेषित करने का भी निर्देश दिया। आयोग के निर्देशों के अनुपालन में, उप–प्रभागीय मजिस्ट्रेट, डिफेंस कालोनी ने अपने दिनांक 26 जून 2006 को यह बताते हुए यह रिपोर्ट प्रेषित की कि बाल न्याय अधिनियम की धारा 26 और बाल मजदूरी (निषेध और विनियम)अधिनियम,1986 की धारा 3/14 के अंतर्गत पुलिस स्टेशन लाजपत नगर में 6 जनवरी 2006 को प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 23/2006 दर्ज की गई। इसके उपरान्त, छुड़ाए गए बच्चों के बयानों के आधार पर थाना प्रभारी, पुलिस स्टेशन लाजपतनगर को बंधुवा मजदूरी अधिनियम (उन्मूलन)अधिनियम 1976 के उल्लंघन पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने का निर्देश दिया। रिपोर्ट के अनुसार, अध्यक्ष, बंधुआ मजदूरी मुक्ति मोर्चा से दिनांकित 23 मार्च 2006 का पत्र प्राप्त हुआ जिसमें यह सूचित किया गया कि बच्चों को उनके अपने माता–पिता/अभिभावकों को दिल्ली से ट्रेन द्वारा पुलिस सुरक्षा में भेज दिया गया है। आयोग छुड़ाए गए बच्चों के पुनर्वास हेतु प्राधिकारियों द्वारा उठाए गए कदमों से संतुष्ट था इसलिए आयोग ने मामले को समाप्त कर दिया।

25. वीरप्पन को गिरफ्तार करने के लिए कर्नाटक और तमिलनाडु की सरकारों द्वारा गठित संयुक्त विशेष कार्यबल द्वारा ढाया गया जुल्म (मामला संख्या 795/22/97–98)

6.262 दोनों राज्यों की सरकारों द्वारा इस मामले में आयोग का निर्णय स्वीकार करने और मानने पर सहमत होने पर आयोग ने 7.11.2007 को 89 पीड़ितों तथा उनके परिवारों के लिए कुल 2 करोड़ 80 लाख रूपए की आर्थिक राहत की मंजूरी दी । आयोग ने राज्य सरकारों से दोनों राज्यों के प्रभावित जनजातीय क्षेत्रों और सीमांत क्षेत्रों में विकासात्मक गतिविधियां शुरू करने पर विचार करने के लिए कहा। कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों से अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर आयोग ने मामला बंद कर दिया।

26. उज्जैन, (मध्य प्रदेश) में छात्रों द्वारा की गई पिटाई से प्रोफेसर की हत्या (मामला संख्या 886/12/2006–07)।

6.263 दिनांक 5.9.206 को आयोग ने दि टाइम्स आफ इंडिया में प्रकाशित पुलिस की मौजूदगी में प्रोफेसर एच.के. सभरवाल की पिटाई और बाद में हत्या के समाचार को स्वतः प्रेरणा से संज्ञान में लिया। यह घटना उस समय हुई थी जब माधव कालेज, उज्जैन में अध्यक्ष के चुनाव ने हिंसक रूप धारण कर लिया। आयोग द्वारा भेजे गए नोटिसों के जवाब में राज्य के आईजीपी तथा अपर सचिव(गृह) ने इस बात की पुष्टि की कि मामले दर्ज किए जा चुके थे, चूककर्ता पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया था तथा जांच के आदेश दिए जा चुके थे । दिनांक 20.12.2006 को आयोग ने मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश सरकार को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया कि पीएचआर की धारा 18(3) के

तहत दिवंगत व्यक्ति के निकटतम संबंधी को आर्थिक राहत क्यों न दी जाए। इसने डीजीपी, मध्य प्रदेश को दोषी चूककर्ता पुलिस अधिकारियों के खिलाफ शुरू की गई प्रशासनिक कार्यवाही और आपराधिक मामले में सीआईडी द्वारा की जा रही जाँच की स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए भी कहा। ये रिपोर्टें प्राप्त हो गई हैं तथा आयोग के विचाराधीन हैं। कारण बताओं नोटिस के उत्तर पर विचार करने के बाद आयोग ने डी.एम.उज्जैन को एम.ई.आर.की प्रति देने तथा डी.जी.पी.मध्य प्रदेश को दोषी चूककर्ता पुलिस अधिकारियों के खिलाफ शुरू की गई प्रशासनिक कार्यवाही के परिणाम से अवगत कराने का निदेश दिया।

27. रेलवे सुरक्षा बल के कांस्टेबल द्वारा की गई अंधाधुंध गोलीबारी में मध्य प्रदेश में 3 व्यक्ति मारे गए तथा 11 घायल हुए (मामला संख्या 2252/12/2001–2002)।

6.264 यह मामला एच.सी.महावीर प्रसाद सिंह और सत्यनारायण की मौत से संबंधित है जिन की मौत रेलवे सुरक्षा बल (आर.पी.एफ.) के कांस्टेबल द्वारा चलाई गई अंधाधुंध गोली बारी से हुई। 26 जुलाई, 2006 को रेलवे बोर्ड की ओर से उपनिदेशक (सुरक्षा), रेलवेबोर्ड उपस्थित हुए और उन्होंने दोनों मृतकों के नजदीकी रिश्तेदारों को 5 लाख रूपए देने का वायदा किया। सत्यनारायण की विधवा, श्रीमती पुष्पा को अदा की गई राशि का प्रमाण प्राप्त हो गया है। जहाँ तक दूसरे पीड़ित महावीर प्रसार का संबंध है, उसके विधिक वारिस की पहचान अभी नहीं हुई है और यह मामला अभी विचाराधीन है क्योंकि दो महिलाएँ उसकी पत्नी होने का दावा कर रही हैं। आयोग ने इस मामले को समाप्त दिया है।

28. पंजाब पुलिस द्वारा बड़े पैमाने पर अंतिम संस्कार (मामला संख्या 1/97एनएचआरसी)।

6.265 इस मामले के ब्यौरे एन.एच.आर.सी. के पूर्ववर्ती वार्षिक रिपोर्टों में भी दिए गए हैं। आयोग की पूछताछ में संख्या का स्पष्ट पता चला : इस सूची में 38 नाम दोबारा दिए गए थे। 1,245 लाशों की पहचान कर ली गई थी। दिनांक 10.10.2006 की अपनी कार्यवाही में आयोग ने कहा कि अपनी मृत्यु और अंतिम संस्कार से ठीक पहले पुलिस की हिरासत में रहने वाले 194 व्यक्तियों के मानव अधिकारों के हनन के लिए उनके निकटतम संबंधी को 2,50,000 रूपए की आर्थिक राहत पाने के हकदार थे। जहां तक 1051 व्यक्तियों का संबंध है, जो पुलिस की अभिरक्षा में नहीं थे, लेकिन जिनका अंतिम संस्कार पंजाब राज्य द्वारा पंजाब पुलिस नियमों, दिशानिर्देशों, परिपाटी और मानवीय कानून को ध्यान में रखे बिना किया गया था, उनके निकटतम संबंधी को आयोग ने 1,75,000 रूपए की दर से आर्थिक राहत प्रदान की। शेष 814 लाशों की पहचान के लिए आयोग ने यथासंभव अधिक से अधिक लाशों की पहचान तय करने के लिए साक्ष्य प्राप्त करने तथा जांच करने के लिए एक आयुक्त (न्यायमूर्ति के.एस. भल्ला, सेवानिवृत्त न्यायधीश, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय) की नियुक्ति की।

6.266 दिनांक 15.2.2007 की कार्यवाहियों द्वारा आयोग ने पंजाब राज्य द्वारा 54 से अधिक लाशों के बारे में प्रस्तुत किए गए आवेदन पर विचार किया। आयोग 53 व्यक्तियों की पहचान के बारे में संतुष्ट था। अभिरक्षा वाले एक व्यक्ति के संबंध में आयोग ने दिवंगत व्यक्ति के निकटतम संबंधी को 2,50,000 रूपए की आर्थिक राहत प्रदान की तथा पहचानी गई अन्य 52 लाशों के बारे में इसने (आयोग) ने प्रत्येक दिवंगत व्यक्ति के निकटतम संबंधी को 1,75,000 की राहत प्रदान की।

6.267 न्यायमूर्ति श्री के.एस. भल्ला की अध्यक्षता वाले एक सदस्यीय जांच आयोग के अध्यक्ष की दिनांक 30.6.2007

की रिपोर्ट में 143 दिवंगत व्यक्तियों की पहचान की गई। चूंकि आयोग 53 मामलों में पहले ही मुआवजा दे चुका था, इसलिए इसने शेष 90 दिवंगत व्यक्तियों के प्रत्येक निकटतम संबंधी को 1,75,000 रूपए की आर्थिक राहत की सिफारिश की। इस प्रकार 31.3.2008 तक आयोग ने पहचान किए जा चुके 11338 व्यक्तियों के निकटतम संबंधितयों को आर्थिक राहत प्रदान की।

29. कष्मीर में मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए सेना के 75 लोगों को दंडित किया गया (मामला संख्या 122/9/2006–07 एएफ)।

6.268 आयोग ने कष्मीर टाइम्स में प्रकाशित इस समाचार को स्वतः प्रेरणा से दिनांक 21.12.2006 को संज्ञान में लिया कि जबकि सेना के उच्च प्राधिकारियों ने आतंकवाद विरोधी अभियानों को लोक हितकारी बनाने और इन अभियानों में सिविलियन को कम से कम क्षति पहुंचाने के अनुदेश दिए हैं, उनके विरुद्ध मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए पिछले दो वर्षों के दौरान 76 सैन्य कार्मिकों को दंडित किया गया, जिसमें उनकी सेवा से बर्खास्तगी भी शामिल है

6.269 आयोग ने रक्षा सचिव, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार और मुख्य सचिव, जम्मू व कष्मीर से पूछा कि जम्मू और कष्मीर में सैन्य बलों द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन के शिकार लोगों/पीड़ितों के निकटतम संबंधियों को कोई अनुग्रह राहत दी गई थी। अनुस्मारक देने के बावजूद यह रिपोर्ट अब तक प्राप्त नहीं हुई है।

30. दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में सीजीएचएस पेंशनरों को दवाइयों के प्रावधान में देरी (मामला संख्या 418/30/2006–07)।

6.270 आयोग ने उत्तर प्रदेश के नोएडा और दिल्ली के कृष्णा नगर और अन्य औषधालयों में दवाओं की आपूर्ति देरी के संबंध में गत वर्ष सचिव, परिवार और स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय तथा महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं से टिप्पणियां मांगी थी।

6.271 अपर निदेशक (मुख्यालय) सीजीएचएस ने अपने दिनांक 4.7.2006 के पत्र द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें दवाइयों की आपूर्ति में आने वाली कठिनाइयों तथा आपूर्ति में सुधार के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी गई थी।

6.272 आयोग ने 20.12.2006 को रिपोर्ट पर विचार किया और निदेश दिया कि रिपोर्ट की एक प्रति टिप्पणियां देने के लिए शिकायतकर्ता को भेजी जाए। तथापि निर्धारित समय में शिकायतकर्त्ता से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई हैं। आयोग ने 5.10.2007 को रिपोर्ट को रिकार्ड पर लिया और मामले को बंद कर दिया।

31. आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम के हकीरपेट में जनजातियों को स्वास्थ्य के अधिकार को नकारना।

6.273 आयोग ने "एगोनी आफ ट्रायबल्स लिविंग इन विलिज आफ हकीरपेट मंडल विशाखापत्तमनम" के संबंध में तेलगू समाचार चैनल टी.वी.–9 के स्वतः प्रेरणा से संज्ञान में लेकर आंध्र प्रदेश सरकार के सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा और परिवार कल्याण तथा प्रधान सचिव, पंचायती राज और ग्रामीण जलापूर्ति से तथ्यपरक रिपोर्ट मांगी। रिपोर्ट से पता चला कि 100 कबीलाई लोग एक विचित्र किस्म के ज्वर से मर चुके थे, कि कोई उपचार या चिकित्सा सहायता

उपलब्ध नहीं थी। ग्रामीणों को काफी दूर से पानी लाना पड़ता था तथा पानी पीने की ष्टि से सुरक्षित नहीं था। आयोग को राज्य में रिपोर्ट प्राप्त हुई है जिनसे आरोपो की पुष्टि नहीं होती। तद्नुसार मामला बंद कर दिया गया है।

32. गुडगाँव, हरियाणा में पुलिस द्वारा षक्ति का दुरुपयोग (मामला संख्या 1906/7/2006–07 डब्ल्यूसी)।

6.274 आयोग ने 17.11.2006 के "दि टाइम्स आफ इंडिया" में प्रकाशित एक समाचार को स्वतः प्रेरणा से संज्ञान में लिया जो दो पुलिस कर्मियों द्वारा श्री जीतेन्द्र सिंह संधू के अपमान और पिटाई के बारे में है। यह घटना उस समय घटित हुई जब वह अपनी 21 वर्षीय बेटी के साथ सैर कर रहे थे और दो अनजान पुलिस कर्मियों ने उन्हें छेड़ा। इसका विरोध करने पर उन्हें पुलिस स्टेशन ले लाया गया तथा बेंत और बेल्ट से उनकी जमकर धुनाई की गई। रिपोर्ट में उल्लेख किया गया था कि तीनों पुलिसकर्मी निलंबित किए जा चुके थे और विभागीय कार्रवाई लंबित थी।

6.275 विस्तृत कार्रवाई के बाद एएसआई करन सिंह को दोषी पाया गया है जबकि अन्य पुलिस कर्मियों को अपराधमुक्त मान लिया गया है। पांच भावी वार्षिक वेतनवृद्धियां स्थायी तौर पर रोक देने के लिए कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है। तथापि, मुख्य सचिव से आर्थिक राहत प्रदान करने के संबंध में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

6.276 आयोग ने 29.2.2008 की कार्यवाही द्वारा इसके मुख्य सचिव के जरिए हरियाणा सरकार से सिफारिश की कि श्री जे.एस. संधू को आर्थिक राहत के रूप में 20,000 रूपए भुगतान किया जाए प्रमाण सहित अनुपालन रिपोर्ट एन.एच.आर.सी. को प्राप्त हो गई है।

33. अमृतसर, पंजाब में अध्यापक द्वारा पिटाई करने से बच्चे की मौत (मामला संख्या 621/19/2006–07 डब्ल्यूसी)।

6.277 'द ट्रिब्यून' में प्रकाशित एक खबर, जिसमें अमृतसर के एक स्कूल के प्रथम कक्षा के छात्र सिमरन की उसके अध्यापक द्वारा बुरी तरह पिटे जाने के कारण मौत की खबर छपी थी, का स्वतः संज्ञान लेते हुए आयोग ने पंजाब के पुलिस महानिदेशक से तथ्यात्मक रिपोर्ट के साथ–साथ उनकी टिप्पणी मांगी। पंजाब पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक से प्राप्त रिपोर्ट पर विचार करने के उपरांत आयोग ने पंजाब पुलिस के महानिदेशक को पीड़ित की मौत के अंतिम कारण के संबंध में रिपोर्ट दर्ज करने को कहा। रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

34. राजमुंदरी, आंध्र प्रदेष में माता–पिता द्वारा लड़कियों की बिक्री (मामला संख्या 658/1/2006–07 डब्ल्यूसी)।

6.278 सीएनएन–आईबीएन द्वारा प्रसारित समाचार "पैरेंट्स टर्न पिंप्स, सेल गर्ल इन एपी" को संज्ञान में लेते हुए आयोग ने आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव और डीजीपी से एक तथ्यपरक रिपोर्ट मंगवाई।

6.279 उत्तर में डीजीपी, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद से एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है । रिपोर्ट से स्पष्ट हुआ कि श्रवन्ति नामक एक स्वैच्छिक संगठन द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर तीन मामले दर्ज किए गए थे। जांच में 16 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया और 11 लड़कियों को वेष्यावृत्ति करने के लिए मजबूर किया गया जिनमें से 5 नाबालिग लड़कियों को मुक्त कराया गया। प्रसारण में उल्लिखित चिन्ना राव ने अपने भाई की बेटी को वेष्यावृत्ति करने के लिए मजबूर किया।

यह भी ज्ञात हुआ कि पीड़ित व्यक्ति गरीबी से तंग थे तथा वेष्यावृत्ति में धकेले गए थे। किसी भी सेक्स कार्यकर्ता को गिरफ्तार नहीं किया गया क्योंकि उन्हें वेष्यावृत्ति करने के लिए मजबूर किया गया था। सभी नाबालिग लड़कियों को एक पुनर्वास केन्द्र में भेजा गया। लगभग सभी प्रमुख दलालों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनमें शारीरिक व्यापार से जुड़ा एक प्रमुख व्यक्ति शामिल था। इस वेष्यावृत्ति में लिप्त अपराधियों को पकड़ने तथा निर्दोष लड़कियों को छुड़ाने का हरसंभव प्रयास किया जा रहा था। चूंकि वेष्यावृत्ति की समस्या की जड़ गरीबी थी इसलिए सामाजिक–आर्थिक समस्या को सुलझाने के प्रयास भी किए जा रहे थे।

6.280 पुलिस अधीक्षक, पूर्वी गोदावरी, काकीनाड़ा से प्राप्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् आयोग ने उन्हें देह–व्यापार के पीड़ितों के पुनर्वास के लिए किए गए कार्यों के विषय में अध्यतन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निदेश दिया। रिपोर्ट की अभी प्रतीक्षा है।

35. केरल में एचआईवी पाजीटिव बच्चों को षिक्षा से वंचित करना (मामला संख्या 143/11/2006–07)।

6.281 आयोग ने 8.12.2006 को "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित होने वाले समाचार को संज्ञान में लिया जिसमें कहा गया था कि कोट्टायम के एक स्कूल के 4–10 आयु वर्ग के पांच एचआईवी पाजीटिव बच्चें को इसलिए निकाल दिया गया था जब अन्य बच्चों के माँ–बाप ने अपने बच्चों को स्कूल से निकाल लेने की धमकी दी थी। बच्चों को एक अनाथालय में भेजा गया। जहां उनकी स्थिति गुप्त रखी गई। परंतु उनकी मुसीबत तब और बढ़ गई जब विष्व एड्स दिवस पर एक कार्यक्रम में भाग लेने के बाद समाचार–पत्रों ने उनके फोटोग्राफ छाप दिए। इसके बाद वे अनाथालय के अपने–अपने कमरों में बंद हो गए।

6.282 राज्य सरकार ने एक रिपोर्ट भेजी जिसमें उल्लेख था कि वर्तमान में मार डियोनसियस एल.पी. स्कूल, पामबड़ी, केरल में पढ़ने वाले एच.आई.वी. प्रभावित छात्रों के प्रति किसी प्रकार के लांछन एवं भेदभाव से संबंधित किसी प्रकार की शिकायत नहीं है और घटना के गंभीर होने के बाद और इस समस्या का समाधान करने के लिए तत्काल कदम उठाए गए तथा इसी कारण स्कूल प्रबंधन ने विवादास्पद छात्रों को उसी स्कूल में पढ़ने की इजाज़त दे दी। रिपोर्ट ने आगे उल्लेख थाकि एच.आई.वी. प्रभावित दो बच्चे अभी भी उसी स्कूल से अपनी उच्च शिक्षा/पारिवारिक पुनर्मिलन/परिवार के स्थानांतरण के लिए स्थानांतरण की मांग की/ रिपोर्ट पर विचार करने पर आयोग ने उसे संतोष जनक पाया और केस बंद कर दिया।

36. गुजरात में बच्चों का गायब होना (मामला संख्या 756/6/2006–07)।

6.283 "दि इंडियन एक्प्रेस" में दिनांक 5 फरवरी 2007 को "30,000 गुमशुदा बच्चेः गुजरात गुमशुदा प्रकोष्ठः2 से कर्मचारियों की संख्या" लिया। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2002 से 2005 तक 6 माह से 18 वर्ष की आयु वर्ग के 1054 बच्चे गुम हुए थे। रिपोर्ट में आगे गुजरात राज्य में विभिन्न शहरों में गुमशुदा व्यक्ति प्रकोष्ठ में अपर्याप्त स्टाफ के बारे में उल्लेख था। प्रत्युत्तर में आयोग को गुजरात के अपर पुलिस महानिदशक तथा पुलिस उप–महानिरीक्षक (महिला प्रकोष्ठ), सी.आई.डी., क्राईम एण्ड रेलवे से रिपोर्ट प्राप्त हुई। रिपोर्टो पर विचार करने के उपांत आयोग ने उन्हें संतोषजनक पाया तथा यह माना कि गुजरात सरकार गुमशुदा बच्चों को ढूढ़ने के लिए उचित कदम उठा रही है तथा अयोग को आशा है कि हालात को और सुधारने के लिए राज्य पुलिस द्वारा सतत् प्रयास जारी रहेंगे। इन टिप्पणियों के साथ अयोग ने इस मामले को बंद कर दिया।

(ड.) मानवाधिकार उल्लंघन के शिकार लोगों/मृत व्यक्तियों के निकटतम संबंधी को आर्थिक राहत के संबंध में या दोषी लोक सेवकों के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई या उन पर अभियोग चलाने के संबंध में आयोग की सिफारिशें।

6.284 वर्ष 2007–08 के दौरान आयोग ने हिरासतीय मौतों के 81 मामलों सहित 199 मामलों में 3,20,00,000 रू0 वित्तीय राहत की सिफारिश की। 199 मामलों में से आयोग ने 9 मामलों में अनुशासनिक कार्रवाई तथा 2 मामलों में दोषी सरकारी कर्मचारियों के विरूद्ध अभियोजन की संस्तुति भी की। इसके अलावा केवल 2 मामलों में केवल अनुशासनिक कार्रवाई की संस्तुति की गई **(अनुलग्नक–7)**।

6.285 आयोग को 125 मामलों की अनुपालन रिपोर्टें प्राप्त हुई और कुल 1,95,10,000 रूपए पीड़ितों/पीड़ितों के निकटतम संबंधियों को आर्थिक राहत के रूप में भुगतान किया गया। 5 मामलों में अनुपालन रिपोर्ट भी प्राप्त हुई थी – अपराधी पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की सिफारिश की गई थी। 89 मामलों में अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा थी **(अनुलग्नक–8)**।

6.286 इन 89 में से दो मामलों में आयोग की सिफारिशों को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। दोनों मामलों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

1) मामला संख्या 95/11/99–2000– श्रीमती एस राधाम्मा ने आरोप लगाया कि उसके पति वेणुगोपाल नायर, जो तिरुवनंतपुरम शहर के आर्म्ड रिजर्व कैंप से सम्बद्ध हेड कांस्टेबल ड्राइवर थे, की मृत्यु इसलिए हो गई कि सिटी पुलिस कंट्रोल रूम के ड्यूटी आफीसर ने चिकित्सा उपचार से इनकार कर दिया था। दिनांक 29.8.2007 के व्यापक कार्यवाहियों में आयोग ने सिफारिशा की कि केरल सरकार आर्थिक राहत के रूप में राघम्मा को 50,000 रूपए का भुगतान इस आधार पर करे कि राज्य समय से चिकित्सीय सहायता नहीं उपलब्ध करा सका जिसके फलस्वरूप शिकायतकर्ता परिवार की जीविका कमाने वाले को खो बैठी/राज्य सरकार ने केरल उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या 36890/07 में आयोग की सिफारिश को चुनौती दी थी। उच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 13.12.2007 के आदेश द्वारा केरल सरकार को 3 माह का अंतरिम स्थगन प्रदान किया। यह मामला अभी भी केरल उच्च न्यायालय के विचाराधीन है।

2) मामला संख्या 102/30/2005–06 – श्रीमती शीला मथाई ने आरोप लगाया कि सीजीएचएस लाभग्राही उसकी बेटी का राम मनोहर लोहिया अस्पताल (आरएमएल), नई दिल्ली में सेरेब्रल सीजर का ईलाज चल रहा था। उसको गहरा अवसाद हो गया और व्यवहार हिंसक हो गया है क्योकिं सीजीएचएस, पुष्प विहार ने आरएमएल डाक्टर द्वारा निर्धारित टैबलेट थाई(70एमजी) के स्थान पर लापरवाही से थियोरिल–50 नामक गलत दवाई जारी कर दी। उनकी बेटी ने सही समझकर गलत दवा ले ली।

   आयोग द्वारा जारी किए गए नोटिस के जवाब में अपर निदेशक, सीजीएचएस ने स्वीकार किया कि गलत दवाई मंगाकर मरीज को दे दी गई थी। तथापि, यह तर्क दिया गया कि सीजीएचएस कर्मचारी

की यह चूक अनजाने में हुई थी। उन्होंने क्षमा मांगी और आयोग से मामला बंद करने का अनुरोध क्या।

आयोग ने दिनांक 30.7.2007 की कार्यवाही के द्वारा निदेशक, सीजीएचएस को 01 लाख रूपए शिकायतकर्ता को देने की सिफारिश की क्योंकि कारण बताओ नोटिस के जवाब में निदेशालय ने सीजीएचएस कर्मचारी के भूल/चूक के आरोप को स्वीकार कर लिया था। सरकार इस सिफारिश के विरुद्ध दिल्ली उच्च न्यायालय में सीडब्ल्यूपी सं. 9776/2007 दायर किया है और मामला न्यायालय के विचाराधीन है।

6.287 इसके अतिरिक्त मामला संख्या 653/6/02–03–सीडी में एक सिद्धदोष व्यक्ति कालूजी, उम्र 22 वर्ष, जेल में बंद था। उसे साथ में रहने वाले एक दूसरे कैदी ने मार डाला। आयोग ने अपनी 3.9.2007 की कार्यवाही द्वारा इस आधार पर दिवंगत कैदी के निकटतम संबंधी को 2 लाख रुपए देने की सिफारिश की कि राज्य एक कैदी का जीवन बचाने में असफल रहा। इन सिफारिशों के उत्तर में राज्य सरकार, आयोग से सिफारिश को अस्थगित रखने का अनुरोध किया क्योंकि दिवंगत कैदी के पिता ने गुजरात उच्च न्यायालय में एक याचिका दायत की थी। इसलिए आयोग ने गुजरात उच्च न्यायालय में मामले के फैसले का इंतजार करना उचित समझा और इसलिए अनुपालन रूका रहा।

6.288 उपर्युक्त के अतिरिक्त, वर्ष 1999–2000 से 2006–07 **(अनुलग्नक 9)** से संबंधित 12 मामलों में अनुपालन रिपोर्टें प्राप्त नहीं हुई हैं । इन मामलों के ब्यौरे आयोग की पूर्व वार्षिक रिपोर्टों में दिए गए हैं।

6.289 इन मामलों में से 3 मामलों **(अनुलग्नक 10)** में संबंधित राज्य सरकारों की सिफारिशों को चुनौती दी है। ये मामले संबंधित उच्च न्यायालयों में विचाराधीन हैं।

❖ ❖ ❖

अध्याय 7

आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार

7.1 भारत का संविधान राज्य के कुछ नीति निर्देशक सिद्धांतों का विवरण देता है जो देश के प्रशासन के लिए अति महत्वपूर्ण हैं । नागरिकों के समग्र विकास के लिए इन निर्देशक सिद्धांतों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना राज्य की जिम्मेदारी है । ये अनिवार्य रूप से आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों से जुड़े हुए हैं । अन्य बातों के साथ–साथ इनमें शामिल हैं : काम करने का अधिकार, शिक्षा का अधिकर, पोषण स्तर बढ़ाने का अधिकार तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार । आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 16 दिसम्बर 1966 को अंगीकार किया था और जो 3 जनवरी, 1976 को प्रवृत्त हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों से संबंधित प्रमुख संधि है । इसमें काम करने का अधिकार और काम करने के लिए अनुकूल परिस्थितियां, मजदूर संघ बनाना और उसमें शामिल होना, सामाजिक बीमा सहित सामाजिक सुरक्षा, परिवार और माँ और बच्चे के लिए हर संभव सुरक्षा एवं सहायता पर्याप्त भोजन, वस्त्र तथा मकान सहित उचित जीवन स्तर, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा का उच्चतम प्राप्त स्तर शामिल है। आर्थिक–सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों से जुड़ी समिति/राज्य पक्षकारों के सम्मेलन के तहत मान्यताप्राप्त अधिकारों के अनुपालन की निगरानी के लिए जिम्मेदार है । भारत इस सम्मेलन का एक पक्षकार है ।

7.2 इस अध्याय में "स्वास्थ्य के अधिकार", भोजन के अधिकार, शिक्षा के अधिकार तथा "महिलाओं " और बच्चों के अधिकार पर बल दिया गया है ।

क. स्वास्थ्य का अधिकार

7.3 "स्वास्थ्य का अधिकार" अन्य मानवाधिकारों के प्रयोग के लिए अनिवार्य है । प्रत्येक व्यक्ति सम्मानयुक्त जीवन जीने के लिए उपयुक्त उच्चतम प्राप्य स्वास्थ्य स्तरों को प्राप्त करने का हकदार है । स्वास्थ्य के प्रति मानवाधिकार को कई अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेजों में मान्यता दी गई है । उदाहरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार घोषणा पत्र में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे जीवन स्तर का अधिकार है जो उसके और उसके परिवार के स्वास्थ्य तथा कुशलता के लिए जरूरी हो । इसमें भोजन, वस्त्र, आवास, चिकित्सा और आवश्यक सामाजिक–सेवाएं तथा बेरोजगारी, बीमारी, विकलांगता, विधवापन, वृद्धावस्था की स्थिति में सुरक्षा का अधिकार आते हैं .... माताओं तथा बच्चों पर विशेष ध्यान और सहायता दी जानी अपेक्षित है । तथापि, आईसीईएससीआर में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार विधि में स्वास्थ्य के अधिकार के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अनुच्छेद दिया गया है । प्रसंविदा के अनुच्छेद 12.1 में इस बात की पुष्टि की गई है कि राज्य पक्षकारों को प्रत्येक व्यक्ति के सर्वोत्तम स्तर के प्राप्य शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के अधिकार को मानना चाहिए, जबकि अनुच्छेद 12.2 में उदाहरणों द्वारा पक्षकारों के लिए ऐसे अनेक कदम उठाए जाने अपेक्षित हैं ताकि इस अधिकार को पूरी तरह कार्यान्वित किया जा सके ।

7.4 आयोग के अधिदेश को देखते हुए इसकी जिम्मेदारी है कि इस दायित्व को पूरा करने में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर नजर रखे और यदि राज्य प्रतिबद्ध मार्ग से हट गए हों तो उचित कार्रवाई करें । इसी कारण आयोग राज्यों के प्राधिकारियों को ध्यान दिलाता रहा कि इन अधिकारों को पूरी तरह कार्यान्वित करने के लिए वे कर्त्तव्यबद्ध है। इसलिए हमने स्वास्थ्य के अधिकार को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों के संबंध में लगातार बैठकें आयोजित की हैं, विचार–विमर्श शुरू किए हैं और सिफारिशें की है ।

चिकित्सीय देखभाल की उपलब्धता

7.5 पिछली वार्षिक रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया था कि 6 मार्च, 2007 को आयोग ने स्वास्थ्य के संबंध में एक राष्ट्रीय समीक्षा बैठक आयोजित की थी । इस बैठक में यह कहा गया था कि हालांकि देशभर में डाक्टरों और अर्द्ध–चिकित्सीय स्टाफ की संख्या काफी है फिर भी देश में ऐसे गांवों और दूर–दराज के क्षेत्रों में ऐसे पॉकेटों की संख्या असंख्य है जहां इनकी कमी महसूस की जाती है । इसके कारण अधिकांश लोग नीम–हकीमों की दया पर निर्भर करते हैं । इसलिए आयोग ने आमतौर पर देश में और खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में मौजूदा अपर्याप्ताओं के बारे में बार–बार चिंता व्यक्त की है । इसलिए आयोग ने इस समस्या के समाधान के लिए अनेक सिफारिशें कीं ।

7.6 एक सिफारिश यह भी थी कि मेडिकल काउंसिल आफ इंडिया (एमसीआई) बुनियादी निरोधक और रोगहर स्वास्थ्य सेवाओं के संबंध में डाक्टरों को प्रशिक्षण देने के लिए एक तीन वर्षीय पाठ्यक्रम तैयार करे ताकि इस क्षेत्र में जनशक्ति की कमी पर ध्यान दिया जा सके। दूसरा विकल्प है कि भारतीय चिकित्सा पद्धति के डाक्टरों के लिए एक वर्षीय सेतु पाठ्यक्रम तैयार किया जाए तथा उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (सीएचसी) और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पीएचसी) पर तैनात किया जाए ।

7.7 एनएचआरसी ने यह सिफारिश भी की थी कि नर्स का काम करने वालों के लिए एक मान्यताप्राप्त पाठ्यक्रम की जरूरत है ताकि देश के ग्रामीण क्षेत्रों में नर्स एनेस्थेटिस्ट और माइनोकोलोजिस्ट विशेषज्ञों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके । आयोग का मत था कि इस प्रकार के कदम से बाल मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर में निश्चित रूप से कमी आएगी ।

7.8 इसके फलस्वरूप आयोग ने इस मुद्दे पर स्वयं द्वारा की गई पूर्व सिफारिशों के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए 30 अगस्त, 2007 को नई दिल्ली एमसीआई, इंडियन नर्सिंग काउंसिल (आईएनसी) और स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ बैठक की । व्यापक विचार–विमर्श के बाद ग्रामीण और दूर–दराज के क्षेत्रों में डाक्टरों और नर्सों की कमी दूर करने के लिए आयोग ने निम्नलिखित बिंदु सूचीबद्ध किए ।

- सरकार को चाहिए कि भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम में आवश्यक परिवर्तन करे, जिससे एमबीबीएस छात्रों को उनके पंजीकरण से पूर्व ग्रामीण क्षेत्रों में एक वर्ष तक कार्य करना अनिवार्य बना दिया जाए । "अधिनियम" में ग्रामीण शब्द की परिभाषा स्पष्ट की जानी चाहिए ।

- सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को उचित संशोधन सहित छत्तीसगढ़ ग्रामीण स्वास्थ्य अधिनियम या असम ग्रामीण स्वास्थ्य अधिनियम अपनाना चाहिए या इसी प्रकार का विधायन पारित करना चाहिए, जिसमें चिकित्सा और जन स्वास्थ्य में तीन वर्षीय डिप्लोमा धारक को राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में "प्रैक्टिस" करने का प्रावधान है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में डाक्टरों की कमी को दूर किया जा सके ।

- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय सरकारी अस्पतालों और निजी मेडिकल कालेजों में सार्वजनिक–निजी भागीदारी के लिए रास्ता बनाने हेतु अपने मानदंडों को शिथिल बनाने की संभावना तलाशेंगे ।

- देश के सभी जिला अस्पतालों में नर्सिंग कालेज होने चाहिए ताकि विशेषकर दूर–दराज के क्षेत्रों में नर्सों की कमी दूर की जा सके । आयोग योजना आयोग से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण को और धन प्रदान करने की सिफारिश करता है ताकि जिला स्तर पर 230 नर्सिंग कालेज स्थापित किए जा सकें ।

- नर्सिंग काउंसिल ने नर्स प्रैक्टिशनर्स कोर्स के लिए 14 स्पेशियलिटी को सूचीबद्ध किया है जिनमें से नौ के लिए पाठ्यक्रम तैयार किए जा चुके हैं । काउंसिल को चाहिए कि शेष स्पेशियलिटी के लिए भी पाठ्यक्रमों को अंतिम रूप दे ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में नर्स एनेस्थिटिक और गायनाकोलोजिस्ट जैसे विशेषज्ञों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके ।

- एमसीआई मेडिकल कालेजों में मनोचिकित्सा (साइकायट्री) में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के प्रति और जागरूकता लाएगा ताकि इस क्षेत्र में जनशक्ति की कमी दूर की जा सके ।

7.9 इसके बाद आयोग ने ग्रामीण अटैचमेंट के मुद्दे पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से इस प्रकार विस्तृत चर्चा की : एमबीबीएस डाक्टर अपने नियमित इंटर्नशिप के अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पीएचसी) पर एक वर्ष की अनिवार्य ग्रामीण सेवा कार्य करें । इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए एमबीबीएस करने के बाद प्रैक्टिस करने के लिए उन्हें अनंतिम पंजीकरण दिया जाए। उन्हें स्थायी पंजीकरण और डिग्री तभी दी जाए जब वे एक वर्षीय अनिवार्य ग्रामीण सेवा पूरी कर लें । इस बिंदु को सुनिश्चित करने के लिए कि एमबीबीएस पाठ्यक्रम की अवधि के वर्षों में कोई वृद्धि नहीं हुई है, अनिवार्य ग्रामीण सेवा को स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के योग्य बनने के लिए पूर्व शर्त बना देना चाहिए । आयोग ने यह सिफारिश भी की कि देश में आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं में सुधार लाने के लिए आकस्मिक चिकित्सा को स्पेशयलिटी के रूप में विकसित करने की जरूरत है ।

आयोग की सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्रवाई और प्रभाव

7.10 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने आयोग को सूचित किया कि उसने स्वास्थ्य क्षेत्र में जनशक्ति की कमी दूर करने के लिए कदम उठाने शुरू किए हैं । अस्पताल और स्वास्थ्य केन्द्र अब अनुबंध आधार पर डाक्टरों की सेवाएं ले सकते हैं और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर अब स्टाफ नर्सों की संख्या बढ़ाकर तीन कर दी गई है ।

7.11 मंत्रालय ने एनएचआरसी को यह भी सूचित किया कि एमबीबीएस छात्रों को एनेस्थिसिया और गायनाकोलोजी में प्रशिक्षण देने पर विशेष बल दिया जा रहा है तथा अब इमर्जेंसी हैंडलिंग और एनेस्थेसया पर विशेष रूप से तैयार किए गए छमाही प्रशिक्षण कार्यक्रम हैं । आयोग की सिफारिशों के अनुरूप 11वीं पंचवर्षीय योजना में चिकित्सा शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए योजना आयोग ने 15,000 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है । इसके अतिरिक्त योजना आयोग के पास और अधिक निधियां उपलब्ध कराने का प्रस्ताव भेजा जा रहा है ताकि जिला अस्पतालों में 230 नर्सिंग कालेज खोले जा सके ।

7.12 जनवरी, 2008 में आईएनसी ने आयोग को सूचित किया कि इसकी सिफारिश के अनुसार काउंसिल ने "नर्स प्रैक्टिशनर्स इन मिडवाइफरी" के पाठ्यक्रम को अनुमोदित कर दिया है तथा "नर्स एनेस्थेटिस्ट्स" का पाठ्यक्रम तैयार किया जा रहा है। "नर्स प्रैक्टिशनर्स इन मिडवाइफरी" से संबंधित पाठ्यक्रम आजीवन महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार करेगा जिसमें उनके माँ बनने के दिनों और नवजात शिशुओं पर विशेष बल दिया जाएगा । ये महिलाओं के गर्भधारण से पूर्व गर्भावस्था के दौरान, बच्चे के जन्म के बाद तथा उनके नवजात शिशुओं की देखभाल करने के लिए भी जिम्मेदार होंगे । प्रशिक्षित नर्स को ऐसे सुविधाजनक स्थान पर तैनात किया जाएगा जहां कोई अन्य प्रसूति विशेषज्ञ तैनात या उपलब्ध न हो । कोई भी पंजीकृत नर्स और पंजीकृत मिडवाइफ जिसे न्यूनतम एक वर्ष का अनुभव हो, इस पाठ्यक्रम में दाखिला ले सकती है । पूरे पाठ्यक्रम की अवधि एक वर्ष की होगी ।

7.13 आयोग ने यह सिफारिश भी की थी कि एससीआई और आईएनसी द्वारा नर्स प्रैक्टिशनर के पाठ्यक्रम पर पुनर्विचार किया जाना तथा इसे मान्यता दिलाने के लिए एक प्रणाली तैयार करना अपेक्षित है ।

7.14 अनिवार्य रूरल अटैचमेंट को चिकित्सा प्रशिक्षण का भाग बनाने के आयोग के सुझाव का उत्तर देते हुए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और एमसीआई ने कहा कि वे एमबीबीएस पाठ्यक्रम की अवधि साढ़े चार वर्ष से बढ़ाकर पांच वर्ष करने तथा एक वर्षीय अनिवार्य रूरल अटैचमेंट करने के प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं । डाक्टरों का पंजीकरण तभी किया जाएगा जब वे रूरल अटैचमेंट पूरा कर लें ।

7.15 एमसीआई ने एनएचआरसी को यह भी सूचित किया कि उन्होंने स्पेशियलिटी के रूप में इमरजेंसी मेडिसिन विकसित करने की आयोग की सिफारिश स्वीकार कर ली है तथा इसे शीघ्र ही शुरू किया जाएगा ।

7.16 इस निर्णय का स्वागत करते हुए आयोग ने उल्लेख किया कि एमसीआई ने उसकी अन्य महत्वपूर्ण सिफारिशों जैसे नर्स प्रैक्टिशनर्स कोर्सेज को मान्यता देने, बुनियादी एहतियाती और रोगहर स्वास्थ्य सेवाओं तथा मानदंडों में शिथिलता लाने ताकि अधिक से अधिक छात्र मनोचिकित्सा को अपनाकर देश में मनोचिकित्सकों की कमी दूर कर सकें, पर अभी कार्रवाई नहीं की है । आयोग इस बात को दोहराता है कि ये मानवाधिकार के ज्वलंत मुद्दे हैं, जो स्वास्थ्य के अधिकार की गारंटी देते हैं । इसलिए आयोग एमसीआई से आग्रह करता है कि आयोग की इन सकारात्मक और सक्रिय सिफारिशों का यथाशीघ्र अनुपालन किया जाए ।

7.17 देश में मनोचिकित्सकों की मौजूदा कमी को देखते हुए एमसीआई ने आयोग को सूचित किया कि यह मेडिकल कालेजों में इस विषय को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता पैदा करेगा । आयोग ने एमसीआई से अपने मानदंडों को शिथिल बनाने का अनुरोध किया ताकि मनोचिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिए अधिक से अधिक छात्रों को आकर्षित किया जा सके ।

7.18 आई.एन.सी. ने देश में और अधिक संख्या में नर्सिंग कालेजों की स्थापना को बढ़ावा देने संबंधी सिफारिश पर उठाए गए कदमों के बारे में आयोग को जानकारी दी । इसके अनुसार अब 54000 वर्ग फीट कारपेट एरिया में नर्सिंग कालेज खोला जा सकता है । नर्सिंग कालेज शुरू करने के लिए न्यूनतम दो एमएससी नर्सिंग अध्यापक पर्याप्त होंगे । परिषद ने आगे यह भी सूचित किया कि इससे पांच मरीज पर एक छात्र के अनुपात को घटाकर तीन मरीज पर एक छात्र का अनुपात कर दिया है ।

सिलिकॉसिस

7.19 सिलिकॉसिस फेफड़े की एक गंभीर बीमारी है जो फ्री क्रिस्टालिना सिलिका, जो बालू, रॉक और खनिज अयस्क का एक महत्वपूर्ण घटक है, को धूल के साथ सांस के रूप में अंदर खींचने पर होती है । यह विकलांग बनाने वाली, ठीक न होने वाली तथा कभी–कभी जानलेवा फेफड़े की बीमारी है जो तब भी बढ़ती रहती है जब सिलिका से संपर्क टूट चुका होता है । भारत के लाखों श्रमिक, जिनमें से अधिकांश असंगठित क्षेत्र जैसे स्लेट और पेंसिल कटाई, पत्थर कटाई और गोमेद उद्योग में लगे हैं, उन्हें सिलिका से खतरा बना रहता है ।

7.20 आयोग सिलिकॉसिस और मानवाधिकारों पर इसके प्रतिकूल प्रभाव के बारे में अत्यधिक चिंतित रहा है । 6 मार्च, 2007 को आयोजित स्वास्थ्य संबंधी राष्ट्रीय समीक्षा बैठक में आयोग ने उल्लेख किया कि सिलिकॉसिस एक पेशागत खतरा है, जिस पर संबंधित उद्योग, श्रम और स्वास्थ्य मंत्रालयों और नेशनल इंस्टीट्यूट आफ आकूपेशनल हेल्थ (एनआईओएच) और नेशनल इंस्टीट्यूट आफ माइनर्स हेल्थ (एनआईएमएच) का आवश्यक हस्तक्षेप और उनका समन्वय अपेक्षित है । इसलिए इसने व्यापक विधायन तथा एक कारगर प्रचालनात्मक तंत्र की सिफारिश की है ताकि प्रभावित व्यक्तियों की देखभाल की जा सके तथा आगे निवारक उपाय सुनिश्चित किया जा सके ।

7.21 अपनी सिफारिशों पर मतैक्य के लिए आयोग ने 24 अप्रैल, 2007 को विभिन्न स्टेकहोल्डरों की बैठक बुलाई । इस बैठक में श्रम और रोजगार मंत्रालय, खान सुरक्षा महानिदेशालय, धनबाद, डायरेक्टर जनरल आफ फैक्टरी एडवाइस सर्विस एंड लेबर इंस्टीट्यूट, मुम्बई, नेशनल इंस्टीट्यूट आफ आकुपेशनल हेल्थ, अहमदाबाद और स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने भाग लिया । बैठक में इस बात पर चिंता व्यक्त की गई कि हालांकि कारखाना अधिनियम, 1948 के तहत सिलिकॉसिस एक अधिसूचित बीमारी है, प्रभावित लोगों के बारे में कोई विश्वसनीय रिपोर्टिंग प्रणाली या आंकड़े नहीं हैं ।

7.22 व्यापक विचार–विमर्श के बाद बैठक में निम्नलिखित अल्पकालिक और दीर्घकालिक सिफारिशें की गई :

अल्पकालिक सिफारिशें :

- सिलिकॉसिस से स्वास्थ्य संबंधी खतरा होने के बारे में मजदूरों, नियोक्ताओं और डाक्टरों में जागरूकता पैदा करने के लिए सभी स्तरों पर इलेक्ट्रानिक और प्रिंट मीडिया का उपयोग कर व्यापक प्रचार अभियान चलाना ।

- बड़ी संख्या में सिलिकॉसिस वाले राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों की पहचान और मानीटरिंग करना ।

- चिह्नित राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को कारखाना अधिनियम की धारा 85 के तहत अधिसूचना जारी करनी चाहिए ताकि 10 से कम कामगारों वाले उद्यमियों पर भी यह कानून समान रूप से लागू हो सके तथा वे और उनके कामगार सिलिकॉसिस के खतरे से आगाह हो सकें ।

- मध्य प्रदेश से संबंधित मामला अध्ययन भली–भांति विश्लेषित किया जाना चाहिए ताकि सिलिकॉसिस निवारण, स्वास्थ्य देखभाल तथा केन्द्रिक और व्यापक रीति से बीमा के संबंध में राज्य द्वारा उठाए गए कदमों को समझा जा सके ।

- भिन्न–भिन्न एजेंसियों के पास उपलब्ध सर्वेक्षणों को एकत्र किया जाए ताकि सिलिकॉसिस से ग्रस्त पॉकेट की पहचान की जा सके । एनएचआरसी द्वारा संबंधित राज्य सरकार के कर्मचारियों को बुलाया जाए ताकि उनके द्वारा उठाए जा रहे कारगर कदमों की मानीटरिंग की जा सके ।
- राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सिलिकॉसिस की रोकथाम के संबंध में प्रवर्तन मशीनरी सहित मौजूदा कमियों को दूर करने की दिशा में कार्य करने की आवश्यकता ताकि उनकी समग्र प्रभावोत्पादकता बढ़ाई जा सके ।
- श्रम मंत्रालय सिलिकॉसिस के उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू करने के लिए पृष्ठभूमि पेपर तैयार करे ।
- पीड़ितों या उनके निकटतम संबंधी के लिए प्रतिपूर्ति पैकेज तथा इसकी रूपात्मकताएं तैयार करने की आवश्यकता ।
- सिलिकॉसिस पर विजय पाने में चुनिंदा एनजीओ के अनुभवों का लाभ उठाने के लिए उन्हें आमंत्रित करना ।

दीर्घकालिक सिफारिशें :

- मौजूदा कानूनों की पर्याप्तता पर विचार करना तथा इस पर भी विचार करना कि क्या इस मुद्दे पर अलग/विशिष्ट विधायन की जरूरत है ।
- सिलिकॉसिस से संबंधित कार्य समूह/राष्ट्रीय कार्यसमूह/राष्ट्रीय कार्यदल या राष्ट्रीय कोर ग्रुप का गठन किया जाए । संबंधित समूह/कार्यदल दी गई समयावधि के भीतर काम करे और सिफारिशें करे जिसे केन्द्र/राज्य सरकार जैसी भी स्थिति हो, के समक्ष रखा जाए।

राष्ट्रीय कार्यदल

7.23 उपर्युक्त सिफारिशों के उत्तर में एनएचआरसी ने भी सिलिकॉसिस के संबंध में कार्यदल का गठन किया। कार्यदल ने 6 सितम्बर, 2007 को आयोग में अपनी पहली बैठक की ।

7.24 कार्यदल ने सिलिकॉसिस के संबंध में सूचना आधार की अपर्याप्तता तथा सर्वेक्षण के जरिए एक ठोस डेटाबेस बनाने की आवश्यकता को माना । श्रमिकों का प्रव्रजन अधिकृत सूचनाओं/आंकड़ों की कमी का मुख्य कारण माना गया । बैठक के दौरान कारखाना अधिनियम की धारा 85 के अंतर्गत सिलिकॉसिस की अधिसूचना के संबंध में स्थिति की समीक्षा भी की गई। व्यापक विचार–विमर्श एवं विस्तृत परिचर्चा के बाद निम्नलिखित कार्य बिंदुओं की पहचान की गई ।

- सभी स्टेकहोल्डरों को जारे देकर कहना कि राज्यों केा इस मुद्दे के लिए प्राथमिक भूमिका संभालनी है।
- श्रम मंत्रालय उन राज्यों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई करे, जिन्होंने अब तक कारखाना अधिनियम की धारा 85 के तहत अधिसूचनाएं जारी नहीं की हैं ।
- श्रम मंत्रालय सिलिकॉसिस से प्रभावित क्षेत्रों की पहचान करने के लिए 26 प्रमुख राज्यों से सूचना एकत्र करने के लिए एक प्रोफार्मा तैयार करे ताकि समस्या की गंभीरता का यथार्थपरक आकलन किया जा सके ।

- सभी राज्य सरकारें स्वयं या सार्वजनिक निजी अनुसंधान संस्था को संलग्न कर सर्वेक्षण करें ।
- श्रम मंत्रालय, एनएचआरसी को एक व्यापक सर्वेक्षण फार्म उपलब्ध कराए जिसमें सिलिकॉसिस से संबंधित सभी सूचनाएं शामिल की गई हैं तथा राज्य सरकारों के निवारक तंत्रों पर बल दिया गया हो।
- बैठक में सर्वेक्षण शुरू करने से पहले राज्य सरकारों से परामर्श को महत्वपूर्ण माना गया । यह सुझाव दिया गया कि सर्वेक्षण पूर्व बैठक का इस्तेमाल ऐसे फोरम के रूप में किया जा सकता है जिसमें सुरक्षा, मशीनरी, स्टाफ की कमी तथा जागरूकता फैलाने से संबंधित मुद्दों पर विचार किया जाए ताकि सिलिकॉसिस के मुद्दे पर राज्य सरकार के कर्मचारियों को संवेदनशील बनाया जा सके ।
- सिलिकॉसिस के स्वास्थ्य से जुड़े पक्षों की मानीटरिंग में पंचायतों को शामिल करने पर विचार करना।

7.25 इसके बाद 29 अक्तूबर, 2007 को आयोग में सिलिकॉसिस के संबंध में एक बैठक आयोजित की गई ताकि सभी राज्य सरकारों के साथ सर्वेक्षण और सर्वेक्षण पूर्व बैठकों के फार्मेट के संबंध में ब्यौरे तैयार किए जा सकें । एन एचआरसी के संयुक्त सचिव ने सुझाव दिया कि प्रोफार्मा में धूल के स्तर की सहनीय सीमा देने के साथ–साथ ऐसे इंजीनियरी उपायों का भी उल्लेख होना चाहिए जिनसे धूल का स्तर न्यूनतम किया जा सके तथा उसके निवारक उपायों की सूची संलग्न की जानी चाहिए । इस बैठक में महानिदेशक, फैक्टरी एडवाइस सर्विस एंड लेबर इंस्टीट्यूट (डीजी एफएसएलआई) से सिलिकॉसिस के पक्के मामलों की सूची उपलब्ध कराने के लिए कहा गया, जिसे आयोग व्यक्तिगत शिकायत के रूप में ले सके ।

एंटी रेबीज वैक्सीन (टीकों) की उपलब्धता : एनएचआरसी के हस्तक्षेप की सफलता की कहानी

7.26 आयोग ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को सिफारिश की कि इंट्राडर्मल रेबीज वैक्सीनेशन को अनुमोदित करे क्योंकि इससे लागत में 1/5 कमी आ जाएगी। मंत्रालय ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की उपरोक्त सिफारिश को स्वीकार कर लिया।

7.27 परिवार और स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय ने एंटी रेबीज वैक्सीन (एआरवी) के इस्तेमाल के संबंध में एनएचआरसी की एक प्रमुख सिफारिश स्वीकार कर ली है । 01 अगस्त, 2007 को एनएचआरसी को भेजे गए एक पत्र में मंत्रालय ने कहा कि इसने एनएचआरसी द्वारा की गई अनुशंसा के अनुसार इंट्राडर्मल (आईडी) रूट के जरिए देश भर में एआरवी के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है । इस पत्र में यह भी कहा गया था कि स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डीजीएचएस) ने अपने उस पहले आदेश को निरस्त कर दिया था कि एआरवी केवल उन्हीं अस्पतालों को उपलब्ध कराया जाएगा जहां कुत्तों के काटने के 50 मामले प्रतिदिन आते हों ।

फाइलेरियासिस

7.28 आयोग को एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ जिसमें फाइलेरियासिस के मरीजों को निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के तहत ''लोकोमीटर विकलांगता'' की श्रेणी में विकलांग के रूप में शामिल करने का अनुरोध किया गया था । आयोग ने स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय से इसकी छानबीन करने का अनुरोध किया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सिफारिश की कि लिफेंटिक फाइलेरियसिस (ग्रेड–।।। के मामलों को, अधिनियम के प्रावधानों के तहत शामिल कर लिया जाए। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने आयोग को सूचित किया कि यह आयोग की सिफारिश के अनुसार अधिनियम में संशोधन कर रहा है ।

कुष्ठ रोग और मानव अधिकार

7.29 कुष्ठ रोग से पीड़ित लोगों के मानवाधिकारों के संबंध में आयोग काफी चिंतित रहा है । इसने नोट किया है कि यद्यपि कुष्ठ रोग का इलाज आसानी से संभव है परंतु स्वस्थ हो चुके रोगियों पर लगा धब्बा और उनके प्रति किया जाने वाला भेदभाव जारी रहता है । यही कारण है कि कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति के साथ–साथ इस रोग से मुक्त हो चुके लोग भी अपनी जिंदगी अलग–थलग रह कर बिताते हैं । मौजूदा कानूनों के प्रावधान और भी चिंताजनक हैं जो ऐसे लोगों के साथ भेदभाव करते हैं । इसलिए इस मुद्दे पर केन्द्र और राज्य दोनों स्तरों पर विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा अत्यधिक ध्यान दिया जाना और हस्तक्षेप किया जाना जरूरी है ।

7.30 आयोग ने एनएचआरसी के अध्यक्ष की अध्यक्षता में 3 जनवरी, 2008 को एक बैठक बुलाई, जिसमें संबंधित मंत्रालयों और इस क्षेत्र में कार्यरत गैर–सरकारी संगठनों के वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने भाग लिया । इस बैठक में सुझाव दिया गया कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय निम्नलिखित कार्य करे ।

क) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत एक मानीटरिंग तंत्र विकसित करे ताकि कुष्ठ रोगियों की पहचान हो सके और उन्हें इलाज उपलब्ध कराया जा सके ।

ख) कुष्ठ रोगियों तथा उनके परिवार के सदस्यों के प्रति भेदभाव दूर करने के लिए (एचआइवी/एड्स प्रभावित व्यक्तियों के लिए ह्यूमन राइट काउंसिल द्वारा जारी किए दिशानिर्देशों की तर्ज पर) दिशानिर्देश तैयार करे । बैठक में यह सुझाव भी दिया गया कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा विधि और न्याय मंत्रालय कुष्ठ से प्रभावित लोगों से संबंधित विभिन्न अधिनियमों के भेदभावपूर्ण उपबंधों में संशोधन करने/हटाने के मामले को उठाएं ।

एचआईवी/एड्स और मानव अधिकार

7.31 आयोग, एचआईवी/एड्स द्वारा प्रभावित/संक्रमित लोगों द्वारा झेले जा रहे भेदभाव के बारे में काफी चिंतित रहा है । इस संबंध में आयोग द्वारा की गई विस्तृत सिफारिशें इससे पिछली वार्षिक रिपोर्टों में पहले ही दी जा चुकी हैं। आयोग ने यह बहुत ही खेदजनक माना है कि सरकार ने एच आई वी/एड्स संक्रमित/प्रभावित व्यक्तियों को चिकित्सा देखरेख एवं शिक्षा के लिए पहुंच के संबंध में उनके प्रति भेदभाव की रोकथाम के लिए अभी तक किसी प्रकार के कानून को लागू नहीं किया है।

7.32 पुनरीक्षाधीन वर्ष के दौरान आयोग ने एच.आई.वी/एड्स से पीड़ित व्यक्तियों के अधिकारों पर एक फिल्म और एक वीडियो स्पाट बनाया, जिसको दूरदर्शन और कुछेक निजी चैनलों ने दिखाया और इसे विभिन्न जन–जागृति कार्यक्रमों के दौरान भी दिखाया गया। अनेक गैर–सरकारी संगठनों ने, एच.आई.वी/एड्स और मानवाधिकार के बारे में लोगों में जागृति पैदा करने की दिशा में आयोग के इस कार्य की प्रशंसा की है।

7.33 आयोग ने सभी राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटियों, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से संक्रमित व्यक्तियों के स्वास्थ्य देखभाल, आश्रय और जीविकोपार्जन संबंधी अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध किया है।

ख. मानसिक स्वास्थ्य

7.34 उच्चतम न्यायालय द्वारा आयोग को दिए गए अधिदेश के एक भाग के रूप में वर्तमान में यह आगरा, ग्वालियर और रांची मानसिक स्वास्थ्य अस्पतालों की कार्यप्रणाली का प्रबोधन कर रहा है। आयोग के विशेष सम्पर्ककर्ताओं ने इन अस्पतालों का दौरा किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, कटक, मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, धारवाड़ और निमहन्स बंगलौर का दौरा भी किया। पुनरीक्षाधीन अवधि के दौरान आयोग के एक सदस्य ने वाराणसी मानसिक स्वास्थ्य अस्पताल का दौरा भी किया।

7.35 इन दौरों के आधार पर, विशेष सम्पर्कर्ता ने 21 अगस्त, 2007 को नई दिल्ली में आयोजित, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी पुर्नगठित कोर ग्रुप की पहली बैठक में पृष्ठभूमि दस्तावेज प्रस्तुत किया। दस्तावेज में इन अस्पतालों के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए एक भावी योजना बनाने की बात कही गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने भी मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने पर मंत्रालय के विचार प्रस्तुत किए। बैठक में ग्वालियर मानसिक आरोग्यशाला, मानसिक स्वास्थ्य संस्थान और अस्पताल, आगरा, रांची मनोविज्ञान और संबद्ध विज्ञान संस्थान और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया।

7.36 बाद में हुए विचार विमर्श के आधार पर कोर ग्रुप ने निम्नलिखित संस्तुतियां की :–

- मानसिक रोगी की मूल आवश्यकताओं जैसे भोजन, पौष्टिक आहार, सफाई इत्यादि की पूर्ति की जानी चाहिए।
- सभी सुविधा जैसे वृद्धावस्था पेंशन – जो आम नागरिक को उपलब्ध है मानसिक रोगियों को भी निश्चित तौर पर उपलब्ध करायी जानी चाहिए।
- लम्बी अवधि से रह रहे रोगियों के पुनर्वास के लिए एक अलग स्कीम बनाकर उनका पुनर्वास किए जाने की आवश्यकता है।
- मानसिक रोगियों के लिए सामाजिक सुरक्षा स्कीम के मानदण्डों में छूट दी जानी चाहिए।
- मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों को वित्तीय स्वायत्तता देने और रोजगार नीति पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।
- मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों का सर्वेक्षण/अध्ययन करने के विशेष कार्य, विश्वसनीय गैर–सरकारी संगठनों को दिए जाने की आवश्यकता है।
- रोगियों के लिए व्यावसायिक रणनीति विकसित करने के लिए गैर–सरकारी संगठनों को सम्मिलित करने की संभावनाओं का पता लगाया जाना चाहिए।
- मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों में मृत्यु दर का पता लगाने और उनके प्रति संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए "मृत्यु दर–विश्लेषण" किया जाना चाहिए।
- इस विषय पर बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को राज्य–स्वास्थ्य विभागों के सचिवों के साथ वार्षिक बैठकें करनी चाहिए।

- हाफ–वे–होम के बारे में सुव्यवस्थित रूप से एक नया प्रस्ताव बनाया जाना चाहिए।
- कार्मिक की कमी को दूर करने के लिए एम.सी.आई. के साथ विचार–विमर्श करके मनोविज्ञान में "एक छात्र पर एक प्रोफेसर" के वर्तमान पी.जी. मानदण्ड में छूट दी जानी चाहिए।
- रोगियों की बढ़ती हुई संख्या को ध्यान में रखते हुए अधिक मानसिक स्वास्थ्य संस्थान खोले जाने चाहिए।
- मानसिक रोगियों को दवाओं की कीमतों में रियायत दी जानी चाहिए।
- प्रत्येक मानसिक स्वास्थ्य संस्थान की विशिष्ट जरूरतों को समझने के लिए उनका व्यापक अध्ययन/सर्वेक्षण किया जाना चाहिए।
- मानसिक रोगियों के परिवारों और समाज के सुग्राही बनाने के लिए मीडिया को मुख्य और सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए।
- विभिन्न मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों की बेहतर कार्य प्रणाली का अनुसरण करने के लिए ठोस प्रयास किए जाने चाहिए।

ग. भोजन का अधिकार

7.37 राष्ट्रीय मानवाधिकार का हमेशा ही यह मानना रहा है कि सम्मानजनक जीवन के लिए "भोजन का अधिकार" अत्यावश्यक है। भोजन का अधिकार का अभिप्राय मौलिक "जीवन का अधिकार" के समान है जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रदत्त हैं। इस अधिकार की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए संविधान में राज्यों की जिम्मेवारी के अन्य महत्वपूर्ण घटकों का भी विशिष्ट उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 38 राज्य नीति का निदेशात्मक सिद्धान्त, में यह व्यवस्था है कि राज्य को, लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक व्यवस्था करनी चाहिए, जिसमें राष्ट्रीय जीवन के सभी संस्थानों को न्यायिक समाजिक, आर्थिक और राजनैतिक स्वतंत्रता का प्रावधान है। संविधान का एक दूसरा निदेशात्मक सिद्धान्त अनुच्छेद 39 (क) है जिसमें यह प्रावधान है कि राज्यों को अपनी नीतियां, सभी नागरिकों को जीवकोपार्जन के साधन उपलब्ध कराने की दिशा में तैयार करनी चाहिए। एक अन्य निदेशात्मक सिद्धान्त, अनुच्छेद–47 में भी यह कहा गया है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल का स्तर बढ़ाने सहित नागरिकों का जीवन स्तर और पौष्टिक आहार के स्तर में बढ़ोत्तरी करना राज्य का कर्तव्य हैं। अनुच्छेद 21 को, यदि अनुच्छेद 38, 39 (क) और 47 में उल्लिखित राज्यों की जिम्मेवारी के प्रावधानों के साथ पढ़ा जाय तो उसमें भोजन के अधिकार की महत्ता का विशेष उल्लेख किया गया है जिसमें जीवकोपार्जन साधनों की सुनिश्चितता, रोजगार की सुनिश्चितता और भोजन की सुनिश्चिता का प्रावधान है। संविधान में उल्लिखित प्रावधान, आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार संबंधी अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंविदा 1966 प्रावधानों के समान हैं, भारत जिसका पक्षकार है। प्रसंविदा में अनुच्छेद में पर्याप्त जीवन स्तर, पर्याप्त भोजन के अधिकार संबंधी प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार को स्पष्ट मान्यता दी गई है। बाल अधिकार संबंधी संयुक्त राष्ट्र संघ प्रसविदा जिस पर भारत सरकार ने हस्ताक्षर किए हैं, में भी यह प्रावधान है कि प्रत्येक बच्चे को उसके शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, नैतिक और सामाजिक विकास के लिए, पर्याप्त जीवन स्तर का अधिकार दिया जाना चाहिए।

7.38 उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए आयोग ने अपनी वर्ष 2006–07 की वार्षिक रिपोर्ट में यह उल्लेख किया है कि भोजन के अधिकार में उपयुक्त स्तर का पौष्टिक भोजन का अधिकार भी सम्मिलित है और जरूरत मदों को राहत की मात्रा इस स्तर के समान होनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भोजन के अधिकार को वास्तव में प्राप्त कर लिया गया है और यह केवल धारणा बनकर नहीं रह गया है। आयोग का यह मत है कि मृत्युदर ही केवल भुखमरी का संकेतक नहीं है अपितु निर्धनता और साधनहीनता भी भुखमरी का कारण है। अतः इस संबंध में सार्वजनिक नीति और राहत मानकों में आमूलचूक परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता है।

7.39 आयोग का यह मानना है कि इस अधिकार से वंचित रखना और भुखमरी, सरकारी सेवकों की गलतियों और खामियों के कारण कुशासन का नतीजा है। आयोग ने अपनी पिछली वार्षिक रिपोर्ट में यह कहा था कि भोजन का अधिकार संबंधी कोर–ग्रुप का पुनगर्ठन आयोग में 2 जनवरी, 2006 को कर दिया गया है और कोर–ग्रुप की दो बैठकें हो गई है। पहली बैठक 13 जनवरी, 2006 को और दूसरी बैठक 15 सितम्बर, 2006 को इन बैठकों के दौरान कोर ग्रुप ने कुछ संस्तुतियां की थी जिन्हें आयोग ने अनुमोदित कर दिया था। ये संस्तुतियां खाद्य सामग्री और पोषक आहार स्तर में सुधार सहित अनाज के उपयुक्त वितरण से सरकारी स्कीमों का उपयुक्त कार्यान्वयन तक के बारे में हैं। इन संस्तुतियों को कार्यान्वयन और अनुपालन के लिए सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को भेजा गया था।

7.40 भोजन का अधिकार संबंधी पुर्नगठित कोर–ग्रुप की तीसरी बैठक आयोग में, 9 अगस्त, 2007 को आयोजित की गई। इस बैठक में यह संस्तुति की गई कि प्रत्येक राज्य/संघ शासित क्षेत्र में ग्राम/खंड/जिला स्तर पर समितियां गठित करने की आवश्यकता है जो पात्र और विशेषतः अत्यधिक कमजोर व्यक्तियों को खाद्य–अनाज की उपलब्धता/पहुंच का प्रबोधन करेंगी। ये समितियां उपरी प्रबोधन प्रणाली से मुक्त होंगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संबंधित स्कीमों का कार्यान्वयन उपयुक्त तरीके से किया जा रहा है और खाद्य अनाज उपलब्ध हैं और उसका वितरण उपयुकत तरीके से किया जाता है। ये समितियां, राज्य/संघ शासित क्षेत्रों में संबंधित प्राधिकारियों या सीधे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को, जैसा भी मामला हो, रिपोर्ट कर सकती है।

7.41 भोजन के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए राज्य/संघ शासित क्षेत्रों में स्वतंत्र समितियां गठित करने के लिए दिशा निर्देश भी तैयार करेंगी।

घ. शिक्षा का अधिकार

7.42 शिक्षा के अधिकार के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की वकालत इस अधिकार से संबंधित महत्वपूर्ण संवैधानिक, विधायी और न्यायिक घोषणाओं पर आधारित है। आयोग, शिक्षा के अधिकार की वकालत 1994 से कर रहा है। आयोग, शिक्षा के अधिकार की समानता और गुणवत्ता के प्रति भी चिन्तित है क्योंकि शहरी, ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में दी जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता में महत्वपूर्ण अन्तर है।

7.43 "मानवाधिकारों की वैश्विक घोषणा के अनुच्छेद 26(1) में यह प्रावधान किया गया है कि" प्रत्येक को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है। शिक्षा मुफ्त होनी चाहिए कम से कम प्रारंभिक और मौलिक स्तर पर प्रारंभिक शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए। तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए और उच्चतर शिक्षा सभी के लिए समान रूप से मैरिट आधार पर सुलभ करायी जानी चाहिए। अनुच्छेद 26 (2) में आगे यह कहा गया है कि "शिक्षा का लक्ष्य मानव जीवन का सर्वांगीण विकास होगा और मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता के प्रति सम्मान की भावना में बढ़ोतरी करना होना चाहिए। यह सभी राष्ट्रों, जातियों या धार्मिक ग्रुपों के बीच सौहार्द सहनशीलता और भाईचारा बढ़ाएगा और शांति बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की गतिविधियों को आगे सक्रिय करेगा।

7.44 शिक्षा के अधिकार को आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार संबंधी अन्तर्राष्ट्रीय प्रसविदा तथा बाल अधिकार संबंधी संयुक्त राष्ट्र संघ प्रसंविदा द्वारा भी मान्यता दी गई है। भारत इसका एक पक्षकार है। अतः भारत इसमे उल्लिखित प्रावधानों को कार्यान्वित करने के लिए बाध्य है।

7.45 जब से भारत आजाद हुआ तभी से देश में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के विधायन बनाने की मांग रही है। इस दिशा में भी अनेक विधायी प्रयास किए गए लेकिन उनका कोई लाभकारी परिणाम नहीं हुआ। वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम से पहले बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान राज्य नीति के निदेशात्मक सिद्धान्तों के अनुच्छेद 45 में किए गए थे। इसमें यह व्यवस्था थी कि राज्य संविधान लागू होने के दस वर्ष की अवधि के भीतर, 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। 2002 के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम में, अनुच्छेद 21 'क', 51–क (ट) जोड़कर और अनुच्छेद 21–क में यह प्रावधान है कि राज्य छः से चौदह वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को, राज्य द्वारा, विधि द्वारा निर्धारित तरीके से, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। अनुच्छेद 51–क (ट) में यह उल्लेख है कि भारत के प्रत्येक नागरिक जो अभिभावक या संरक्षक है जैसा भी मामला हो, वे अपने 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराएंगे। इस प्रकार से संशोधित अनुच्छेद 45 में शिशु देखभाल और छः वर्ष तक की आयु प्राप्त करने तक सभी बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान है।

7.46 वैश्विक रूप से मान्य सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों (एम0डी0जी0)*, संवैधानिक अधिदेश और अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों से उत्पन्न होने वाले उत्तरदायित्वों, विशेषतौर पर बाल अधिकार प्रसंविदा के प्रावधानों को कार्यान्वित करने सहित, को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट रूप से अपेक्षित है कि :

- केन्द्र सरकार इसको कार्यान्वित करने की तारीख के बारे में शासकीय राजपत्र में अधिसूचना जारी करे; और
- एक विधायन अधिनियमित करे जिसमें वह प्रणाली निर्धारित की गई है जिसके अनुसार मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करायी जाएगी।

* एम.डी.जी का उद्देश्य 2015 तक वैश्विक प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करना, और सभी स्तरों पर प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में लिंग भेद असमानता को दूर करना है। शिक्षा के लक्ष्यों की प्राप्ति को मॉनीटर करने के आधार है–प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में छात्र एवं छात्राओं के नामांकन की दर, विभिन्न स्तरों पर उनके द्वारा स्कूल छोड़ने की दर, साक्षरता दर, इत्यादि।

7.47 86वें संविधान संशोधन अधिनियम को कार्यान्वित करने के प्रयास में वर्ष 2005 में शिक्षा का अधिकार विधेयक का प्रारूप तैयार किया गया था लेकिन इस पर संसद में बहस नहीं की जा सकी। उसके बाद जून, 2006 में राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को शिक्षा का अधिकार विधेयक का प्रारुप परिचालित किया गया। यह विधेयक भी मूर्त नहीं हुआ। इसके परिणामस्वरूप आज तक देश में शिक्षा का अधिकार संबंधी कोई केन्द्रीय विधायन नहीं बना।

7.48 वर्ष 2007–08 के दौरान, आयोग ने अनेक बैठकें की ताकि आयोग की भावी कार्रवाई की रूपरेखा तैयार की जा सके, ताकि प्रत्येक बच्चे के शिक्षा के अधिकार की पूर्ति की जा सके। आयोग ने राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों को, बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने के उनके उत्तरदायित्व का बोध कराया है कि विकास तभी संभव है जब यह अधिकार प्रत्येक को, कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे बच्चों, जैसे बाल श्रमिक, बंधुवा बाल मजदूर, लावारिस बच्चों और देखभाल और संरक्षण की जरूरत वाले बच्चों को मिले। आयोग की यह दृढ़ इच्छा है कि सारे बच्चे स्कूलों में हों न कि कारखानों या गलियों या खानपान की दुकानों या लगातार दूसरों के घरों में काम कर रहे हो और स्वयं या अपने परिवारों के लिए कमा रहे हैं।

ङ महिलाओं और बच्चों के अधिकार

7.49 समीक्षाधीन अवधि के दौरान महिलाओं और बच्चों के अधिकारों का संरक्षण और सवर्धन के क्षेत्र में आयोग की गतिविधियां मुख्यतः लिंग भेद आधारित हिंसा को रोकने, कार्य स्थली पर महिलाओं का यौन शोषण रोकने सहित, राज्य/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा तैयार जनसंख्या नीतियों के प्रोत्साहन/प्रोत्साहनहीन कदमों और राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000, बाल बलात्कार मामलों का त्वरित निपटान, लापता बच्चों की समस्या, महिलाओं और बच्चों में अनैतिक व्यापार रोकना, किशोर न्याय प्रणाली का प्रबोधन और वृन्दावन में विधवाओं के पुनर्वास पर केन्द्रित रही।

(क) महिलाओं के अधिकार

कार्यस्थलों पर महिलाओं के यौन शोषण को रोकनाः विशाखा दिशानिर्देशों पर अनुपालन रिपोर्ट

7.50 कार्य स्थलों पर महिलाओं के यौन शोषण की रोकथाम पर उच्चतम न्यायालय द्वारा (ए.आई.आर 1997 एस.सी. 3011) निर्धारित दिशानिर्देशों और मानकों, जो विशाखा दिशानिर्देशों के रूप में प्रख्यात है, के कार्यान्वयन के संबंध में आयोग ने गहरी रूचि दिखाई है। अनथक प्रयत्न और अधीक्षण के परिणामस्वरूप आयोग को यह नोट करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों ने शिकायत तंत्र की स्थापना और अपने कर्मचारियों के लिए आचार संहिता में अपेक्षित संशोधन किए जाने के बारे में अनुपालन रिपोर्ट भेज दी हैं।

राज्य सरकारों की जनसंख्या नीति तथा राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में प्रोत्साहनों/प्रोत्साहनहीन कदमों का मामला

7.51 आयोग की पिछली वार्षिक रिपोर्ट में यह कहा गया था कि कुछ राज्य सरकारों द्वारा अपनायी गई जनसंख्या नीति में दमनात्मक कारक है और अपनाए गए प्रोत्साहनों/प्रोत्साहनहीन कदम राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुकूल नहीं है। इस प्रकार के दृष्टिकोण से निसन्देह जनसंख्या के एक बड़े भाग विशेषतः कमजोर वर्गों जिसमें महिलाएं और बच्चे शामिल है, के अधिकारों का उल्लंघन होता है।

7.52 आयोग का यह मानना है कि राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों द्वारा तैयार की गई जनसंख्या नीति से दमनकारी कदमों को हटाया जाना चाहिए। वर्ष 2005–06 में आयोग ने, जनसंख्या नीति संबंधी मामले विशेष रूप से "2003 में आयोजित जनसंख्या नीति पर विचारगोष्ठी विकास और मानवाधिकार" के बाद हुई घटनाओं को ध्यान में रखते हुए "सही परिदृश्य" में प्रोत्साहनों/प्रोत्साहनहीन कदमों की जांच करने के लिए एक कार्यकारी दल का गठन किया था, आयोग के कार्यकारी दल से महिला अधिकारिता और 0–6 वर्ष की आयु के बच्चों में लिंग अनुपात घटने के कारणों सहित समाज के कमजोर वर्गों की अधिकारिता संबंधी मुद्दों पर अध्ययन करने के लिए कहा। कार्यकारी दल की बैठकें 2006–07 में हुई। अप्रैल, 2007 में इसने अपनी रिपोर्ट आयोग को प्रस्तुत कर दी थी।

7.53 कार्यकारी दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की आयोग ने गहराई से जांच की और निम्नलिखित सिफारिशें की :

- राज्य सरकारों, संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों द्वारा प्रस्तुत विभिन्न पणधारियों की रिपोर्ट कार्यान्वयन रिपोर्ट पर टिप्पणियों और सुझाव मांगना।

- राज्यों की स्वास्थ्य और जनसंख्या नीति के कार्यान्वयन पर (राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत कार्यान्वयन रिपोर्ट को आधार बनाकर) व्यापक विचार विमर्श करने के लिए प्रत्येक वर्ष कुछेक राज्यों का चुनाव किया जाय ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि लागू की गई नीति से वास्तव में महिलाओं के सम्मान और व्यक्ति विशेष के अधिकारों का उल्लंघन न हो।

7.54 इन्हें सांविधिक पूर्ण आयोग ने भी नोट किया कार्यकारी दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में संबंधित राज्य की जनसंख्या नीति के कार्यान्वयन से संबंधित स्थिति के बारे में प्रत्येक राज्य/संघ शासित क्षेत्रों में सूचना प्राप्त करने का प्रपत्र भी शामिल था। आयोग ने इस रिपोर्ट को इस अनुरोध के साथ सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के मुख्य सचिवों/प्रशासकों को परिचालित किया कि अपेक्षित सूचना भेजी जाय ताकि मामले में आगे आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

अवैध मानव व्यापार को रोकने के लिए एकीकृत कार्रवाई योजना बनाना, जिसमें बच्चों और महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया जाय।

7.55 जैसाकि वर्ष 2006–07 की पिछली रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है, मानवाधिकार आयोग, गृह मंत्रालय, महिला और बाल कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय महिला आयोग और यूनीसेफ ने सितम्बर, 2006 में एक सामूहिक

निर्णय लिया कि अवैध मानव व्यापार को रोकने के लिए मिलकर काम करेंगे और अवैध मानव व्यापार को रोकने के लिए एक एकीकृत कार्रवाई योजना बनाएंगे जिसमें बच्चों और महिलाओं पर विशेष ध्यान होगा। तदनुसार, सभी संबंधितों के अनुभवों के आधार पर, अवैध मानव व्यापार को रोकने के लिए एक एकीकृत कार्रवाई योजना का मसौदा तैयार किया गया, जिसमें बच्चों और महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया गया और सामूहिक रूप से यह निर्णय लिया गया कि इस प्रारूप को अंतिम रूप देने से पहले, इस विषय से संबंधित सभी पणधारियों से इस पर चर्चा की जाय। इस उद्देश्य के लिए गुवाहाटी, हैदराबाद और गोवा में तीन क्षेत्रीय कार्यशालाएं और नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय स्तर की एक कार्यशाला आयोजित करने का निर्णय लिया गया। तीन क्षेत्रीय कार्यशालाओं का आयोजन 2006–2007 में और राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला का आयोजन अगस्त, 2007 में किया गया। इन कार्यशालाओं से मात्रात्मक और गुणात्मक लक्ष्यों की पहचान में सहायता मिली जिससे एकीकृत कार्रवाई योजना को अंतिम रूप देने के बाद इसका कार्यान्वयन हो सकेगा।

7.56 उसके बाद आयोग ने गृह–मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास, राष्ट्रीय महिला आयोग, यूनिसेफ और कुछेक गैर सरकारी संगठनों के साथ 18 सितम्बर, 2007 को एक बैठक बुलाई ताकि प्रस्तावित एकीकृत कार्रवाई योजना की खामियों को दूर किया जा सके और इसे अंतिम रूप दिया जा सके। बैठक में इस बात पर चर्चा हुई कि अवैध मानव व्यापार श्रमिकों में भी होता है अतः प्रस्तावित एकीकृत योजना में श्रम और रोजगार मंत्रालय के विचार भी शामिल किए जाने की आवश्यकता है। बैठक में एक अन्य निर्णय यह लिया गया है कि एक ऐसे कार्यबल का गठन किया जाए जो प्रस्तावित एकीकृत योजना की खामियों को दूर करे और पूरे दस्तावेज को अंतिम रूप दे, जिसे इसके बाद टिप्पणियों के लिए संबंधित पणधारियों को परिचालित किया जा सके।

7.57 इस प्रकार से श्रम और रोजगार मंत्रालय (अध्यक्ष), विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास, पंचायती राज, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, यूनिसेफ और अवैध व्यापार को रोकने के कार्य में लगे गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों को शामिल करके एक कार्यबल का गठन किया गया। कार्यबल से, अवैध मानव व्यापार को रोकने के लिए अंतिम एकीकृत कार्रवाई योजना को 15 नवंम्बर, 2007 तक प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया जिसमें महिलाओं और बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जाए। क्योंकि कार्यबल निर्धारित तिथि तक एकीकृत कार्रवाई योजना को अंतिम रूप नहीं दे सका अतः आयोग ने 30 जनवरी, 2008 को एक बैठक पुनः बुलाई ताकि कार्यबल के सदस्यों के साथ इस मामले पर विचार–विमर्श किया जा सके। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि कार्यबल अपना काम फरवरी, 2008 तक पूरा कर ले ताकि बाल एवं महिलाओं से संबंधित मामलों को देखने वाले सभी सचिवों का अनुमोदन उस समय लिया जा सके जब वे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के साथ मार्च, 2008 में नई दिल्ली में होने वाली बैठक में भाग लेने के लिए आए। इस वार्षिक रिपोर्ट के लिखे जाने तक चूंकि कार्य दल ने बच्चों एवं महिलाओं पर विशेष ध्यान देते हुए मानव व्यापार को रोकने एवं उससे लड़ने के लिए समेकित कार्य योजना को अंतिम रूप नहीं दिया था, इसलिए आयोग ने अपनी तरफ से समेकित कार्य योजना के मसौदे को अनुमोदित कर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार को इस मामले में अगली आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित किया इसकी एक प्रति राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग एंव श्रम मंत्रालय भारत सरकार को भी उपयुक्त कार्रवाई के लिए अग्रेषित की गई।

वृंदावन में निराश्रित महिलाओं का पुनर्वास

7.58 आयोग सन् 2000 से, वृंदावन में रह रही निराश्रित महिलाओं के पुनर्वास के लिए अपनी सिफारिशों के कार्यान्वयन की मॉनिटरिंग करता आ रहा है। इस संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार के संबंधित अधिकारियों को यह निदेश भी दिया गया है कि निराश्रित महिलाओं के हालात में सुधार करने के दिशा में हुई समग्र प्रगति के बारे में आयोग को निरंतर सूचित किया जाए।

7.59 सूचना प्राप्त करने के लिए आयोग के सदस्य और वरिष्ठ अधिकारी समय–समय पर वृंदावन का दौरा करते आ रहे हैं। पुनरीक्षाधीन वर्ष के दौरान आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा करने के लिए आयोग के तीन सदस्यों की एक टीम 13 मार्च, 2008 को वृंदावन के दौरे पर गई। टीम ने आयोग द्वारा दी गई सिफारिशों के कार्यान्वयन में अनेकों खामियां पाई। इसने पेंशन, आवास, एल.पी.जी. कनेक्शन, राशन कार्ड, स्वास्थ्य देखभाल और सफाई, दाह संस्कार निधि, व्यावसायिक प्रशिक्षण, सामाजिक सुरक्षा कार्ड और मनोरंजन की सुविधाओं के बारे में आयोग के निदेशों को संबंधित अधिकारियों को दोहराया गया है और उनसे इनका अनुपालन करने का अनुरोध किया।

7.60 सिफारिशों के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति संबंधी दल के प्रेक्षणों वाली एक रिपोर्ट को उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को भेजा ताकि मामले पर त्वरित कार्रवाई की जा सके।

(ख) बाल अधिकार

बच्चों के साथ बलात्कार के मामलों के त्वरित निपटान के लिए दिशानिर्देश

7.61 आयोग की संवैधानिक जिम्मेवारियों के अनुसरण में शुरू किए गए कार्यक्रमों के संबंध में 28 जून 2007 को हुई आयोग की बैठक में बच्चों के साथ बलात्कार के मामलों के त्वरित निपटान के लिए दिशानिर्देशों को अनुमोदित किया गया। दिशानिर्देशों को तैयार करने का काम आयोग द्वारा उस समय किया गया जब यौन शोषण की तीन धटनाएं और थिरूवन्तपुरम में एक गैर सरकारी संगठन द्वारा केरल में एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार की घटना के बारे में आयोग को बताया गया। इन दिशानिर्देशों को तैयार करने में सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्र राज्यों के गृह सचिवों और पुलिस महानिदेशकों ने आयोग की सहायता की। आयोग द्वारा अनुमोदित अंतिम दिशानिर्देश नीचे दिए गए हैं। इन दिशानिर्देशों को सूचनार्थ और अनुपालन के लिए सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के गृह सचिवों और पुलिस महानिदेशकों को भेजा गया है।

7.62 बच्चों के साथ बलात्कार संबंधी शिकायतों को तत्काल और सही ढंग से दर्ज किया जाए। शिकायत किसी भी व्यक्ति जिसे इस अपराध के बारे में सूचना मिली हो, दर्ज की जा सकती है – वह व्यक्ति पीड़ित हो सकता है, प्रत्यक्षदर्शी हो सकता है, किसी गैर सरकारी संगठन का प्रतिनिधि हो सकता है। मामले पर निम्नलिखित दिशानिर्देशों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी :–

- अधिकारी (रिकार्डिंग अधिकारी) उपनिरीक्षक से कम रैंक का नहीं होना चाहिए और अधिमानतः महिला पुलिस अधिकारी होनी चाहिए।

- रिकार्डिंग शब्दशः होना चाहिए।
- रिकार्ड करने वाला व्यक्ति सिविल वर्दी में हो।
- केवल पुलिस स्टेशन में ही बयान दर्ज करने पर जोर नहीं दिया जाना चाहिए, यह काम पीड़िता के घर पर भी किया जा सकता है।
- यदि शिकायतकर्ता कोई बाल पीड़ित है तो यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि रिपोर्टिंग ऑफिसर यह सुनिश्चित करे कि बयान दर्ज करने वाला व्यक्ति, शिकायत दर्ज करने से पहले तनावमुक्त रहे। इससे यह सुनिश्चित होगा कि घटना किस प्रकार घटी। यदि व्यवहार्य हो मनोचिकित्सक की सहायता भी ली जा सकती है।
- जांच अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि यौन शोषण के पीड़ित की चिकित्सा जांच और अभियुक्त की चिकित्सा जांच, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 क के अनुसार 24 घंटे के भीतर की जाए। इस आशय के निर्देश जारी किए जाएं की मुख्य चिकित्सा अधिकारी यह सुनिश्चित करे कि पीड़ित की चिकित्सा जांच, जांच अधिकारी से अनुरोध प्राप्त होने पर तुरंत की जाए। पीड़िता की जांच करते समय स्त्री रोग विशेषज्ञ, घटनाक्रम की रिकार्डिंग सुनिश्चित करे।
- मामला दर्ज करने के तुरंत बाद जांच दल घटना स्थल का दौरा करेंगे और वहां जो भी अभिशंसी साक्ष्य उपलब्ध हैं उन्हें बरामद करेगा।
- जांच अधिकारी पीड़िता के कपड़े और अभियुक्त यदि गिरफ्तार हो गया है तो उसके कपड़े अपने कब्जे में लेगा और उन्हें 10 दिन के अंदर न्यायलीय जांच के लिए भेजेगा।
- न्यायालीय प्रयोगशाला इनकी जांच प्राथमिक तौर पर करेगा और अपनी रिपोर्ट तुरंत भेजेगा।
- मामले की जांच–पड़ताल उप निरिक्षक के कम स्तर के अधिकारी द्वारा नहीं की जानी चाहिए और इसे प्राथमिक तौर पर जहां तक संभव हो मामला दर्ज होने से 90 दिन के अंदर पूरी कर दी जानी चाहिए। उपयुक्त और त्वरित जांच पूरी करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा इसका आवधिक पर्यवेक्षण किया जाना चाहिए।
- जहां कहीं वांछित हो, दंड प्रक्रिया संहिता धारा 164 के तहत पीड़ित का बयान तत्काल दर्ज किया जाना चाहिए।
- पीड़ित और उसके परिवार की पहचान गुप्त रखी जानी चाहिए और उन्हें सुरक्षा अवश्य प्रदान की जानी चाहिए। जांच अधिकारी / गैर सरकारी संगठन इस मामले पर अत्यधिक सावधानी बरतेंगे।

विचारण न्यायालय के लिए दिशा–निर्देश :

- फास्ट ट्रेक कोर्ट की पीठासीन अधिकारी अधिमानतः महिला न्यायाधीश होनी चाहिए।
- विचारण बंद कमरे में किया जाए।
- न्यायालय का वातावरण बाल अनुकूल हों

- यदि संभव हो रिकार्डिंग, वीडियो कॉनफ्रेंसिंग द्वारा और/या अनुकूल वातावरण में किया जाए ताकि पीड़िता इस बात से डर न जाए कि अभियुक्त उसके बहुत नजदीक है।
- मजिस्ट्रेट को, आरोपपत्र दाखिल करने के बाद मामले को 15 दिन के अंदर सत्र न्यायालय को भेज देना चाहिए।

लापता बच्चों का मुद्दा

7.63 आयोग ने वर्ष 2006–07 की वार्षिक रिपोर्ट में सूचित किया था कि लापता बच्चों के मामले की गहराई से जांच करने और इस संबंध में सुझाव देने के लिए आयोग ने 12 फरवरी, 2007 को एक समिति गठित की थी ताकि आयोग द्वारा उपयुक्त दिशानिर्देश तैयार किए जाए और इन्हें राज्यों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के संबंधित अधिकारियों तथा भारत सरकार को अग्रेषित किया जा सके जिससे लापता बच्चों का पता लगाया जा सके और उन्हें उनके परिवारों को या एजेंसियों/ऐसी संस्थाओं को सुपर्द किया जा सके जहां पर उनकी देखभाल हो सके और उन्हें संरक्षण प्राप्त हो सके। समिति से आठ सप्ताह के अंदर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। समिति ने निर्धारित समय पर अपनी विस्तृत रिपोर्ट और संस्तुतियां/आयोग के लिए सुझाव प्रस्तुत कर दिए थे।

7.64 समिति द्वारा रिपोर्ट में दी गई संस्तुतियों और सुझावों का पृष्ठांकन बाद में आयोग द्वारा किया गया और इन्हें राष्ट्रीय महिला आयोग, बाल अधिकार संरक्षण संबंधी राष्ट्रीय आयोग और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के साथ–साथ सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों को भेजा गया। रिपोर्ट की एक प्रतिलिपि अनुलग्नक 11 के रूप में संलग्न है।

भारत में किशोर न्याय प्रणाली की मॉनीटरिंग

7.65 आयोग ने 3 और 4 फरवरी, 2004 को, भारत में किशोर न्याय प्रणाली पर दो दिवसीय एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। आयोग ने देश में किशोर न्याय प्रणाली में सुधारों के लिए अनेक सिफारिशें/सुझाव दिए। आयोग ने किशोर न्याय अधिनियम के अक्षरशः कार्यान्वयन पर जोर दिया। जिसमें राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि लंबित मामलों की संख्या शून्य हो और जांच पड़ताल चार महीने की निर्धारित अवधि के अंदर पूरी की जाए। किशोर न्याय प्रणाली के अंतर्गत अपेक्षित ढांचा स्थापित करने के लिए भी कहा गया है। इसमें उन बच्चों के विकास और संरक्षण सुनिश्चित करने पर भी आवश्यक जोर दिया गया है जो बच्चे कानून का उल्लंघन करते हैं और जिन्हें देखभाल और संरक्षण की जरूरत है।

7.66 इन संस्तुतियों को बाद में आयोग द्वारा पृष्ठांकन किया गया और अनुपालन के लिए सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के समाज कल्याण/सामाजिक न्याय विभागों के सचिवों को भेजा गया ताकि किशोर न्याय प्रणाली में गुणवत्ता सुधार लाया जा सके।

❖ ❖ ❖

अध्याय 8

बंधुआ मजदूर और बाल श्रम प्रथा का उन्मूलन

क. बंधुआ मजदूर प्रथा

8.1 आयोग सन् 2003 से जिला मजिस्ट्रेटों और राज्य और जिला स्तर के अन्य अधिकारियों के लिए श्रम मंत्रालय और संबंधित राज्य सरकारों के साथ मिलकर बंधुआ और बाल मजदूरी पर अनेक कार्यशालाएं आयोजित करता रहा है। इन कार्यशालाओं में की गई संस्तुतियों में निम्नलिखित शामिल हैं : पता लगाए गए और मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूरों को, प्रत्येक को तुरंत वित्तीय राहत देना, दलालों और बिचौलियों जो बच्चों को मजदूरी में झोंकते हैं, को सख्त सजा देने के उद्देश्य से बंधुआ मजदूरी के सभी मामलों में अभियोजन चलाना, सरकारी विभागों और गैर सरकारी संगठनों द्वारा किए गए कार्यों को समेकित करना, जिला और उप मंडल स्तर पर सतर्कता समितियों का गठन करना और उन बंधुआ मजदूरों के परिवारों के पुनर्वास के लिए व्यापक भौतिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक कदम उठाना जिन्हें बंधन से मुक्त कराया गया है।

8.2 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उन कुछेक राज्य सरकारों के दृष्टिकोण के प्रति अपनी चिंता व्यक्त की है जिन्होंने अपने दावों के समर्थन में सर्वेक्षण के बिना यह घोषणा कर दी है कि उनके क्षेत्र में बंधुआ मजदूरी प्रथा व्याप्त नहीं है। इसके परिणामस्वरूप उन्होंने इस प्रकार के सर्वेक्षणों या जन–जागृति के लिए और मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए बजट का प्रावधान करने से मना कर दिया है। जब बंधुआ मजदूरी प्रथा के दृष्टांत सामने लिए जाते हैं तो वे बंधुआ मजदूरी प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम 1976 के तहत अपराधियों के खिलाफ संक्षिप्त विचारण मुश्किल से करते हैं। इसके अतिरिक्त उनमें से कई इस अपेक्षा का पालन नहीं करते है कि अपराधियों को दोषी करार दिए जाने तक प्रतीक्षा करने के बजाय बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने और उनका पुनर्वास करने के लिए साथ–साथ कार्रवाई की जानी चाहिए क्योंकि अपराधियों को दोषी करार देने तक काफी समय गुजर जाता है जिसके परिणामस्वरूप पहचान करने, रिहा करने और पुनर्वास करने के बीच एक लंबे समय का अंतराल हो जाता है। अक्सर इसके कारण बंधुआ मजदूर पुनः बंधुआ मजदूरी के जाल में फंस जाते हैं।

8.3 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन में इस मामले पर पूरे देश में जागरूकता फैलाने के लिए राज्य–वार समीक्षा भर की है और संबंधित मामलों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कार्यशालाएं भी आयोजित करता रहा है।

राज्यों की समीक्षा

8.4 वर्ष 2007–08 के दौरान राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के एक विशेष संपर्ककर्ता ने कर्नाटक राज्य (मई 2007) में बंधुआ मजदूरी प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम के कार्यान्वयन की समीक्षा की और उसके बाद उड़ीसा (दिसंबर, 2007) झारखंड (मार्च, 2008) पंजाब (मार्च, 2008) और छत्तीसगढ़ (मार्च, 2008) की समीक्षा की।

8.5 विशेष संपर्ककर्त्ता के प्रेक्षणों और संस्तुतियों का सारांश, जैसाकि रिपोर्ट में दिया गया है, निम्न प्रकार है :

कर्नाटक

8.6 1977–78 और मई, 2007 के बीच केवल 2000 बंधुआ मजदूरों को पता लगाया गया। इस कम रिपोर्टिंग का एक कारण सरकारी कर्मचारियों में यह गलत धारणा है कि जीठा–कृषि श्रमिक–बंधुआ मजदूरी प्रणाली की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है जैसा कि बी.एल.एस.ए. अधिनियम की धारा 2 (छ) के तहत परिभाषित किया गया है। सतर्कता समितियों ने उनके जीवन को दूभर बना दिया है और उनके पुनर्गठन का प्रस्ताव सरकार से अनुमोदन न मिलने के कारण लंबित पड़ा है। समितियों का पुनर्गठन लंबित होने के कारण पुरानी समितियां बैठकें नहीं कर रही हैं और न ही अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों का वहन कर रही हैं जोकि बंधुआ मजदूर प्रणाली (उन्मूलन) नियमावली के नियम 4 के प्रावधानों के विपरीत है।

8.7 राज्य सरकार ने, प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियां बहुत पहले 1975 में जिला मजिस्ट्रटों को दी थी लेकिन जिला मजिस्ट्रेटों ने बिना किसी प्राधिकार के वे शक्तियां उपजिला मजिस्ट्रेटों को दे दी जोकि कानूनों के प्रावधानों के विपरीत है। उपजिला मजिस्ट्रेट पहचाने गए बंधुआ मजदूरों की रिहाई सुनिश्चित करने में असफल रहे हैं जबकि बंधुआ मजदूरों को रखने वालों को छोड़ दिया जाता है।

8.8 राज्य सरकार को सभी कार्यकारी मजिस्ट्रेटों को अधिसूचित करना चाहिए और उन्हें प्रथम या द्वितीय श्रेणी, जैसा भी मामला हो, न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियां देनी चाहिए और बी.एल.एस.ए. अधिनियम के प्रावधानों पर उनके लिए गहन उन्मुखीकरण कार्यक्रम और प्रशिक्षण आयोजित करना चाहिए।

8.9 राज्य के कुछ भागों में जिला और उप–मंडलीय अधिकारियों द्वारा कोई सतर्कता नहीं रखी जाती है और न ही बंधुआ मजदूर प्रणाली के प्रचलन को रोकने के लिए या यह देखने के लिए कोई मॉनीटरिंग तंत्र है, कि संवैधानिक तंत्र काम कर रहा है या नहीं।

8.10 न्यूनतम मजदूरी देने से मना करना, उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 1981 का 8143, पी.यू.डी.आर. बनाम भारत संघ (ए.आई.आर. 1982 एस.सी. 1473) मामले में दिनांक 18.9.1982 को दिए गए न्याय निर्णय के अनुसार जबरन मजदूरी कराने के समान है। कर्नाटक में इस महत्वपूर्ण न्याय निर्णय को लागू नहीं किया गया हालांकि इस बात के प्रमाण हैं कि (क) अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किया जा रहा है, (ख) महिला और पुरुष समान काम के लिए या समान प्रकृति के काम के लिए समान मजदूरी प्राप्त नहीं करते हैं, और (ग) न्यूनतम मजदूरी मांगने पर गंभीर रूप से प्रतिपीड़न किया जाता है।

उड़ीसा (कोरापुट, बोलनगीर और कालाहांडी–के.बी.के. जिले

8.11 इन क्षेत्रों का यह दूसरा पुननिरीक्षण था, पहला पुननिरीक्षण दिसंबर, 2006 में विशेष संपर्ककर्ता द्वारा किया गया था। पुननिरीक्षण पंचायती राज विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मिलकर किया गया था और मुख्य सचिव के साथ बैठक के बाद इसका समापन किया गया।

8.12 मुख्य प्रेक्षण और संस्तुतियां निम्न प्रकार थी :–

- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने यह नोट किया है कि आठ कोरापुट, बोलनगीर और कालाहांडी (के. बी.के.) जिलों में बंधुआ मजदूरी प्रथा के उन्मूलन संबंधी प्रथम पुनरीक्षा रिपोर्ट जिसे मई, 2007 में राज्य सरकार को भेजा गया था, उसे अभी तक उन जिलों के समाहर्ताओं/जिला मजिस्ट्रेटों को नहीं भेजा गया है। अतः दिए गए प्रेक्षणों/सुझाव/निदेशों का कोई अनुपालन नहीं किया गया है।

- आदिवासी बाहुल्य वाले इन आठ जिलों को बंधुआ मजदूरी प्रथा के लिए अत्यधिक संवेदनशील माना जाता है, तथापि बंधुआ मजदूरों को पता लगाने के लिए कोई नया सर्वेक्षण नहीं किया गया तथा इस चुनौती से निपटने के लिए कोई भावी योजना नहीं बनाई गई है। बंधुआ ऋृण की घटनाओं को रोकने के लिए या स्थायी आधार पर बंधुआ ऋण के पीड़ितों की पहचान करने, उन्हें मुक्त करने और उनका पुनर्वास करने के लिए कोई ठोस प्रयास किए गए प्रतीत नहीं होते हैं।

- साथ ही साथ बंधुआ मजदूरी प्रथा के उन्मूलन की दिशा में प्रयास करने की बजाय बंधुआ मजदूरी रखने वालों और बंधुआ मजदूरों के बीच समझौता कराने के प्रयास किए जा रहे हैं, इस तथ्य के बावजूद कि अधिनियम में इस प्रकार के समझौते के लिए कोई प्रावधान नहीं है।

- यह दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है कि बंधुआ मजदूरों को तब तक मुक्त और पुनर्वास नहीं किया जा सकता है जब तक बंधुआ मजदूरों को रखने वाला व्यक्ति दोषी सिद्ध नहीं हो जाता। यह एक विपरीतगामी कदम है। उच्चतम न्यायालय ने बिना किसी संदेह के यह स्पष्ट किया है कि बंधुआ मजदूरों की रिहाई और उनका पुनर्वास कानून के मुख्य लक्ष्य है और इसे बंधुआ मजदूरी रखने वाले के खिलाफ मुकदमा चलाने/उसके दोष सिद्ध होने की शर्त से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। यदि बंधुआ मजदूर रखने वाला किसी कारण से दोष मुक्त हो जाता है तो इससे रिहाई और पुनर्वास की प्रक्रिया को रोका नहीं जाना चाहिए।

झारखंड

8.13 सतर्कता समितियों के कार्यकरण का निरीक्षण और पुनरीक्षण करने के लिए राज्य स्तर की कोई मॉनीटरिंग विद्यमान नहीं है। सतर्कता समितियां, अधिनियम की धारा 14 के तहत सर्वेक्षण द्वारा बंधुआ मजदूरों का पता लगाना, उन्हें सौंपी गई महत्वपूर्ण संवैधानिक जिम्मेदारियों के निर्वहन में पूरी तरह से असफल रहे हैं।

8.14 मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए झारखंड में कोई क्रमिक और क्रमवार दृष्टिकोण नहीं अपनाया गया है और न ही कार्यान्वित किया गया है। बंधुआ मजदूरों से, उनके रोजगार अवसरों के बारे में, आमदनी के बारे में, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभ, उनके बच्चों के लिए शिक्षा के अवसर, परिवार के सभी सदस्यों के लिए चिकित्सा और स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा, यह जानने के लिए कि पशुपालन और पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारी की सहायता से उनके दुधारू जानवरों का उपयुक्त रखरखाव हो रहा है या नहीं और यह क्या उन्हें नई तकनीकें अपनाने और वर्तमान तकनीकों को विकसित करने के लिए कोई प्रशिक्षण दिया गया है या नहीं, के बारे में जानने के लिए पुनर्वासित बंधुआ मजदूरों से संपर्क स्थापित करने के कोई प्रयास नहीं किए गए हैं।

8.15 झारखंड से बड़ी संख्या में लोग दूसरे राज्यों को पलायन कर रहे हैं और इस प्रकार से वे गंतव्य स्थान पर नियोजक/प्रति एजेंट/बिचौलियों के बंधुआ ऋणी के रूप में फंस रहे हैं। इस प्रकार की आस्मिकताओं में श्रम, राजस्व और पुलिस विभाग के अधिकारियों की एक विशेष टीम गठित की जानी चाहिए थी और इन प्रवासी मजदूरों के साथ बातचीत करने के लिए गंतव्य स्थान पर प्रतिनियुक्त किया जाना चाहिए था ताकि गंतव्य राज्य के अधिकारियों द्वारा उनकी समस्याओं और कठिनाईयों को समय पर दूर किया जा सके। यदि कोई प्रवासी मजदूर बंधुआ मजदूरी के समान हालत में काम करता है तो इस बात की कानूनी अपेक्षा की जाती है कि गंतव्य स्थान पर सक्षम प्राधिकारी, के साथ मामला उठाकर उसे रिहा किया जाए जिससे तत्काल रिहाई प्रमाणपत्र जारी हो सके, बंधुआ मजदूरों को उनके गृह राज्यों को भेजा जा सके और उनका पुनर्वास स्थायी, सार्थक और प्रभावकारी ढंग से किया जा सके। लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा है।

पंजाब

8.16 पिछले 32 वर्षों के दौरान, बी.एस.एस.के. अधिनियम से, पंजाब सरकार का हमेशा ही यह कहना रहा है कि (क) पंजाब में बंधुआ मजदूरों की समस्या इतनी गंभीर नहीं है जितनी अन्य राज्यों में है, (ख) किसानों, ईंट के भट्टों और उन मजदूरों जो अन्य राज्यों से पलायन करके आए हैं और इन स्थापनाओं में काम कर रहे हैं, के बीच लेनदार–देनदार का एक अनोखा रिश्ता है जिसे उस विशेष संदर्भ में समझे जाने की आवश्यकता है जिस स्थिति में यह घटित होता है और पुनः घटित होता है।

8.17 समाज विज्ञान और अनुसंधान के दो प्रमुख संस्थानों द्वारा किए गए सर्वेक्षण को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार को उनके साथ बैठक आयोजित करने की सलाह दी गई थी ताकि सर्वेक्षण के निष्कर्षो पर बारीकी से विचार–विमर्श किया जा सके, बी.एल.एस.ए. अधिनियम की धारा (छः) की परिधि में आने वाले कृषि और ईंट के भट्टों पर कार्य करने वाले व्यक्तियों की स्थिति के बारे में किसी विशिष्ट निर्णय पर पहुंचा जा सके। उनकी रिहाई उन्हें उनके राज्यों में भेजने और पुनर्वासित करने, यदि वे इस अधिनियम के तहत बंधुआ मजदूर प्रणाली की परिभाषा की परिधि में आते हैं, के लिए कार्रवाई की जा सके।

8.18 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने निम्नलिखित कार्रवाई करने की सलाह दी है – जिला और उप–मंडल स्तर पर चरित्रवान और निष्ठावान महिलाओं और पुरूषों जो बंधुआ मजदूरी प्रथा के उन्मूलन के प्रति समर्पित हों को शामिल करके सतर्कता समितियों का गठन और पुनर्गठन (जहां इस प्रकार का पुनर्गठन किया जाना अपेक्षित हो) किया जाए, सतर्कता समितियों के सभी सदस्यों तथा श्रम कानून प्रवर्तन के सभी फील्ड कार्यकर्ताओं के लिए उन्मुखीकरण और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएं, जमींदारों/साहूकारों और मजदूरों में संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों और उच्चतम न्यायालयों के न्याय निर्णयों के बारे में जागृति पैदा करने के लिए अभियान चलाए जाएं, सक्रिय और कानूनी सेवा कार्यक्रम चलाने के लिए राज्य और जिला विधिक सहायता प्राधिकारियों को सक्रिय किया जाए।

छत्तीसगढ़

8.19 छत्तीसगढ़ से भारी संख्या में पलायन होता है जो बंधुआ मजदूरी के लिए उतना ही जिम्मेवार है जितना कि

गरीबी है और ये दोनों मिलकर लोगों को कर्ज में डुबोते हैं, आजादी से वंचित रखते हैं और परिणामस्वरूप बंधुआ मजदूर बनाते हैं।

8.20 सतर्कता समितियों को बी.एल.एस.ए. अधिनियम की धारा 14 के तहत सर्वेक्षण करने का आदेश दिया गया है। उच्चतम न्यायालय ने निदेश दिया है कि बंधुआ मजदूरों की पहचान करने और उन्हें मुक्त करने में प्राथमिक स्तर पर कार्य कर रहे सामाजिक कार्य ग्रुपों को शामिल किया जाए। लेकिन इस संवैधानिक प्रावधान और उच्चतम न्यायालय के निदेशों के विपरीत राजस्व, ग्रामीण विकास और समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों को, पूर्व अभिमुखी कार्यक्रम और प्रशिक्षण के बिना इस प्रकार के सर्वेक्षण करने में लगाया जा रहा है।

8.21 बिलासपुर जिले के रहने वाले 586 बंधुआ मजदूरों को विभिन्न गंतव्य स्थानों से अलग–अलग समय पर रिहा करवाया गया। वे 1999 और 2007 के बीच पुनर्वास के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं जो पहचान, रिहाई और पुनर्वास के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांतों का उल्लंघन है। प्रक्रियात्मक रुकावटों के कारण पुनर्वास प्रक्रिया में असाधारण विलंब किया गया अर्थात राज्य सरकार द्वारा बजट प्रावधान न करना और श्रम मंत्रालय द्वारा केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम 1978 (आज तक संशोधित) के तहत निधियां स्वीकृत करने में विलम्ब।

8.22 राज्य सरकार और समय गवांए बिना टीमों का गठन करें और उन्हें बिलासपुर जिले के विभिन्न भागों में भेजें जहां बंधुआ मजदूरों को प्रत्यावर्तित किया गया है और जहां पर वे एक से नौ साल तक पुनर्वास की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अधिकारियों का दल उनसे संपर्क स्थापित करे और उनसे बातचीत करे और यह पता लगाए कि वे किस स्तर का जीवन व्यतीत कर रहे हैं और क्या वे स्वतंत्र महसूस कर रहे हैं।

8.23 इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार को अन्य के अलावा सार्थक प्रभावी और स्थायी पुनर्वास के लिए निम्नलिखित कदम उठाने चाहिए : सभी चालू योजनाओं के तहत जिसमें एन.आर.ई.जी. भी शामिल है, उन्हें प्राथमिक आधार पर रोजगार उपलब्ध कराने का प्रावधान, इन्दिरा आवास योजना के तहत प्राथमिक आधार पर कम लागत के रिहायशी मकानों के लिए वित्तीय सहायता (28 हजार रूपए) का प्रावधान, टी.आर.वाई.एस.ई.एम. (अब स्वर्ण जयंति ग्राम स्वरोजगार योजना) के अंतर्गत कौशल का प्रशिक्षण, न्यूनतम मजदूरी लागू करने के लिए अभियान चलाना इत्यादि।

ख. बाल मजदूर

8.24 आयोग का यह दृढ़ मत है कि स्कूल जाने वाले बच्चों को (6 से 14 साल के बच्चे) स्कूल में ही होना चाहिए और उन्हें जीविकोपार्जन के लिए काम नहीं करना चाहिए और संविधान और कानून प्रदत्त संरक्षणात्मक प्रावधानों को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। आयोग, जोखिम भरे कार्यों में मजदूरी कर रहे बाल मजदूरी के उन्मूलन की दिशा में उठाए जाने वाले कदमों की अपने विशेष संपर्ककर्त्ताओं के जरिए नियमित तौर पर मॉनीटरिंग करता है और मुआवजा और कानूनी कार्यवाही के लिए संस्तुतियां जारी करता है।

राज्य समीक्षा

8.25 आयोग इस विषय पर सन् 2000 से राज्यवार स्थिति की समीक्षा करता आ रहा है। राष्ट्रीय मानवाधिकार

आयोग ने 2007–08 में अपने विशेष संपर्ककर्ता के जरिए कर्नाटक, उड़ीसा, झारखंड, पंजाब और छत्तीसगढ़ पर ध्यान दिया है। विशेष संपर्ककर्ता की रिपोर्ट में निहित संस्तुतियां संक्षिप्त रूप में नीचे दी गई है :

कर्नाटक

8.26 कर्नाटक में जिन व्यवसायों में बड़ी संख्या में बच्चे काम करते हैं वे इस प्रकार हैं : कताई–बुनाई, निर्माण और भवन निर्माण, बीड़ी उद्योग, लेबलिंग और पैकेजिंग, ऑटो वर्कशॉप / वाहन मरम्मत, अगरबत्ती, साबुन और कपड़ा धोने वाला पाउडर के निर्माण, मुरमुरा बनाना, ढ़ाबा / रेस्टोरेंट / होटल / मोटल / मनोरंजन केन्द्र और घरेलू नौकर। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इन व्यवसायों / कार्यों जहां पर श्रम मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के तहत बच्चों को नौकरी पर रखने पर विशेष रूप से प्रतिबंध लगाया गया है, पर प्राथमिक तौर से ध्यान देने की सलाह राज्य सरकार को दी है ताकि वहां नौकरी कर रहे बच्चों को काम से हटाया जा सके और शिक्षा, पौष्टिक आहार, कौशल प्रशिक्षण और स्वास्थ्य जांच के जरिए उनका पुनर्वास किया जा सके।

8.27 राज्य सरकार बच्चों की आयु / विकास / शिक्षा स्तर से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर ध्यान देने में असफल रही है। इसलिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने श्रम विभाग को जनगणना के निष्कर्षों के संदर्भ में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न आयु ग्रुप के लड़कों और लड़कियों जो आई.सी.एस. के तहत आंगनबाड़ी केंन्द्रों में नामांकित हैं और जो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर में दाखिले के लायक हो गए हैं और वास्तव में जिन्हें दाखिल कर लिया गया है, जो स्कूल से बाहर है, जो अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों में दाखिल हैं, जिन्हें काम से हटा दिया गया है और एन.सी.एल.पी और एच.सी.एल.पी. के स्कूलों में दाखिल किया गया है उनका कम्प्यूटरीकृत डाटा तैयार करने और उसका रखरखाव करने की सलाह दी है। इस प्रकार का कम्प्यूटरीकृत डाटा भावी योजना के लिए एक विश्वसनीय आधार के रूप में काम करेगा और प्रबोधन के लिए एक प्रभावी यंत्र के रूप में काम करेगा।

8.28 राज्य सरकार ने अभी तक कोई निर्धारित चिकित्सा अधिकारी के बारे में कोई अधिसूचना जारी नहीं की है जो अर्ध न्यायिक अधिकारी हो और जिसके पास बच्चे की उम्र के निर्धारण के संबंध में विवाद उत्पन्न होने पर न्याय निर्णय देने के लिए कानून के तहत शक्तियां हों। यह बाल श्रम (निषेध और विनिमयन) अधिनियम की धारा 10 के तहत अपेक्षित है। इसलिए राज्य सरकार को सलाह दी गई है कि वह अविलंब चिकित्सा प्राधिकारी प्राधिकृत करे और तदनुसार अधिसूचना जारी करे।

8.29 2002–03 और 2003–04 के बीच निरीक्षणों और अभियोजनों की संख्या में प्रागामी प्रगति हुई है। तथापि 2004–05 और 2005–06 में यह संख्या घटकर नीचे आ गई। इसके परिणामस्वरूप बहुत कम मुकदमें दोषसिद्धी में न्याय निर्णीत हुए और अधिकांश मामले दोष मुक्ति में समाप्त हुए।

8.30 ऐसे नियोजकों के मामले हैं जो बार–बार अपराध करते हों लेकिन मामूली जुर्माना देकर छूट जाते हैं। उच्चतम न्यायालय के निदेशों के अनुसार ऐसे अपराधियों को सख्त न्याय निर्णय सुनाया जाना चाहिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने राज्य सरकार को केन्द्रीय नियोजक संगठन के साथ परामर्श करके बार–बार अपराध करने वालों में संवेदनशीलता और जागृति पैदा करने के लिए, शिक्षा अभियान चलाना चाहिए।

8.31 आयोग ने यह भी नोट किया कि देवांगिरी की 400 मंदकीबट्टी यूनिटों जहां पर बड़ी संख्या में बच्चे नौकरी पर हैं वहां पर प्रदूषण और दमघोटू वातावरण है ये बट्टिया, देवांगिरी के उप–आयुक्त द्वारा में छापा मारने के बावजूद भी चल रही है। राज्य सरकार को इन बट्टियों को स्थायी रूप से बंद करने का आदेश देने की आवश्यकता है।

8.32 उच्चतम न्यायालय के निदेशों के अनुपालन में राज्यों ने कुछ सकारात्मक कदम उठाए हैं। कर्नाटक अकेला ऐसा राज्य है जहां पर जोखिम रहित कार्यों में नियोजित बच्चों के बीच कोई भेद–भाव नहीं किया जाता है और सभी क्षेत्रों में बाल मजदूरी उन्मूलन के लिए एक समान नीति अपनाई है, संविधान के अनुच्छेद 21 (क) के तहत यह राज्यों की जिम्मेवारी है कि 6 से 14 वर्ष आयु तक के बच्चों को उन्हें प्रदत्त मौलिक मानवाधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए।

8.33 प्रतिकूल क्षेत्र इस प्रकार है :– उच्चतम न्यायालय के निदेशों के अनुपालन में 1997 में किए गए राज्यवार सर्वेक्षण में केवल 96,267 बच्चों का पता लगाया जा सका, जोकि काम कर रहे कुल बच्चों की संख्या का मात्र दस प्रतिशत है। 2001 में किए गए सर्वेक्षण में 39,300 बच्चों का पता लगाया जा सका जोकि काम कर रहे कुल बच्चों की संख्या का पांच प्रतिशत से भी कम है। अधिकांश बच्चे जोखिम रहित कार्यों में काम कर रहे थे और जोखिम वाले कार्यों में इनकी संख्या नगण्य थी।

8.34 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने राज्य सरकारों को सलाह दी है कि 8.22 लाख बच्चों को कार्य से हटाने और उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, पौष्टिक आहार और कौशल प्रशिक्षण देकर उनका पुनर्वास करने की प्रक्रिया पूरी करने के लिए एक अल्पकालीन और दीर्घकालीन कार्य योजना बनाई जाए।

उड़ीसा (कोरापुट, बोलांगीर और कालाहांडी जिले)

8.35 दिसंबर 2007 में कराया गया सर्वेक्षण उन क्षेत्रों में विशेष संपर्ककर्ता द्वारा किया गया यह दूसरा सर्वेक्षण था। इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि लगभग एक साल तक प्रथम सर्वेक्षण पर कोई अनुपालन नहीं हुआ।

8.36 रिपोर्ट में अनुकूल और प्रतिकूल क्षेत्र का उल्लेख उड़ीसा सरकार द्वारा बाल मजदूरी के उन्मूलन के लिए किए गए प्रयासों के लिए किया है।

अनुकूल क्षेत्र : राज्य सरकार ने ट्रांजिट होम जैसी स्कीमों का महत्व समझा है और केन्द्र से वित्तीय सहायता का अनुरोध किया है, एन.सी.एल.पी. और एन.सी.एल.पी.–भिन्न (के.बी.के. जिलों) में बच्चों का पता लगाने और उनकी गणना करने के लिए निरंतर सर्वेक्षण किए जा रहे हैं, एन.सी.एल.पी. द्वारा अभी तक 30 में से 24 जिलों को कवर किया गया है, एन.सी.एल.पी. के कार्यकरण को मॉनीटर करने, समन्वित करने और निरीक्षण करने के लिए 3 संस्थागत तंत्र विद्यमान है : राज्य स्तरीय कार्यबल, राज्य स्तरीय कार्यान्वयन समिति और राज्य स्तरीय मॉनीटरिंग समिति जो एन.सी.एल.पी. के कार्यकरण को मॉनीटर करने, समन्वित करने और निरीक्षण

करने के लिए 3 संस्थागत तंत्र विद्यमान है : राज्य स्तरीय कार्यबल, राज्य स्तरीय कार्यान्वयन समिति और राज्य स्तरीय मॉनिटरिंग समिति जो एन.सी.एल.पी. का अधिक्षण, मॉनिटरिंग और मूल्यांकन करती है। दिनांक 10 अक्टूबर, 2006 के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना के तुरंत बाद, जिसमें बच्चों को घरेलू नौकरों और होटल जैसे इस प्रकार के संस्थानों में काम पर रखने पर प्रतिबंध लगाया गया था, उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने एक बैठक बुलाई जिसमें आदेश के अनुपालन के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर विचार–विमर्श किया गया। जिसमें एक कदम, गैर सरकारी संगठनों सहित सभी स्रोतों की मदद से इस प्रकार के स्थानों का पता लगाना, एकत्रित सूचना का कम्प्यूटरीकरण, पूर्ण गोपनीयता के साथ छापे मारना और अच्छे, विश्वसनीय और समर्पित अधिकारियों की टीम का चयन करना, इस प्रकार के स्थापनाओं से बच्चों का हटाना और उन्हें ट्रांजिट होम में रखना। अपराध करने वाले सभी व्यक्तियों के खिलाफ उच्चतम न्यायालय के निदेशों के अनुसार सख्त कार्यवाही और दाण्डिक कार्यवाही (प्रति बच्चे के लिए 20 हजार रूपए की दर से वसूली) साथ–साथ करना, बाल मजदूरी उन्मूलन के क्षेत्र में अच्छा कार्य करने वाले राज्य के गैर सरकारी संगठनों को शामिल करके चाइल्ड हैल्प लाइन को चालू करना।

प्रतिकूल क्षेत्र और उन्हें दूर करने के लिए विशिष्ट सुझाव : यह अनावश्यक है कि मॉनीटरिंग समन्वय और अधिक्षण के लिए एक से अधिक निकाय हों, उन सब को एकीकृत किया जाए और प्रत्येक ग्रुप से विशेषज्ञों को उसमें रखा जाए, इस प्रकार से गठित निकाय अनेक उप समितियां और टास्क बल स्थापित कर सकता है। जो बाल मजदूरी उन्मूलन के विभिन्न पहलुओं पर काम करेंगे जैसे जन्म के बाद सभी बच्चों का पंजीकरण, एन.सी.एल.पी. का प्रबंधन और एन.सी.एल.पी. के विशेष स्कूलों के जरिए बच्चों को आम स्कूलों में दाखिल करना, प्रौढ़ व्यक्तियों को न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करना, बंधुआ मजदूर और बंधुआ मजदूर के रूप में कार्य कर रहे बच्चों और अवैध धंधे में लगाए गए बच्चों का पता लगाना/रिहा करना/उनका पुनर्वास करना, उड़ीसा के संबंध में जोखिम वाले नए क्षेत्रों का पता लगाना और ऐसे क्षेत्रों के संबंध में निषेधाज्ञा जारी करने के लिए श्रम मंत्रालय को सिफारिश करना।

विशिष्ट सुझाव

8.37 बाल मजदूरी उन्मूलन संबंधी कानूनों को लागू करने के बारे में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने राज्य सरकार को यह संस्तुति की है कि उन 15 व्यवसायों और 57 व्यवसायों और 57 स्थापनाओं का उड़िया भाषा के अनुवाद किया जाए जिनमें बच्चों को रोजगार पर रखना निषेध है और इसे सभी जिलों, उप मंडलों, तहसीलों, ब्लॉक और पंचायत कार्यालयों पर प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाए। इन पोस्टरों में स्पष्ट रूप से यह दर्शाया जाना चाहिए कि प्रतिबंधित क्षेत्रों में बच्चों के नियोजन के लिए कानूनी और दाण्डिक कार्यवाई की जा सकती है।

झारखंड

8.38 10 वर्षीय जनगणना (2001) के अनुसार झारखंड में काम कर रहे बच्चों की कुल संख्या 4,07,200 थी। तथापि एम.सी. मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य और अन्य में उच्चतम न्यायालय द्वारा 1996–97 में दिए गए न्याय निर्णय के

अनुसरण में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार केवल 4644 बच्चे जोखिम वाले व्यवसायों में काम कर रहे थे (सर्वेक्षण करने के लिए अपनाई गई प्रणाली के ब्यौरे उपलब्ध नहीं है) उनमें से केवल 412 बच्चों को काम से हटाया गया।

8.39 गलती करने वाले नियोजक से प्रति बच्चा 20,000 रूपए की दर से 82,40,000 रूपए वसूले जाने चाहिए थे लेकिन केवल 1,20,000 ही वसूल किए गए।

8.40 राज्य सरकार ने जिला बाल मजदूर कल्याण एवं पुनर्वास निधि में कोई धन जमा नहीं किया जबकि उन्हें जोखिम भरे कार्यों में काम कर रहे प्रति बच्चे के लिए 20,000 रूपए के अलावा उसके परिवार के एक व्यस्क व्यक्ति को रोजगार उपलब्ध कराने में असफलता के लिए 5,000 रूपया प्रति बच्चा जमा करना चाहिए था।

8.41 बाल मजदूरी उन्मूलन के क्षेत्र में उनके निष्पादन को ध्यान में रखते हुए आयोग ने राज्य सरकार को निम्नलिखित कार्रवाई करने की सलाह दी :

- राज्य श्रम विभाग को, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विभिन्न व्यावसायों के कार्य कर रहे बच्चों से संबंधित सूचना के संगत उद्धरण दस वर्षीय जनगणना से लेने चाहिए और इस सूचना का विश्लेषण करना चाहिए ताकि इसका इस्तेमाल बाल मजदूरी उन्मूलन के लिए योजना बनाने में किया जा सके।

- प्रत्येक जिले में सर्वेक्षण टीम का उपयुक्त रूप से गठन किए जाने की आवश्यकता है और उन्हें उन्मुखीकरण और प्रशिक्षण दिए जाने की आवश्यकता है ताकि वे घरेलू और स्थापनाओं से संबंधित साधारण और बुद्धिमतापूर्ण प्रश्नों को निपटाने में विशेषज्ञता हासिल कर सके और उपयुक्त परिणाम प्राप्त कर सकें। इस निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले इनका संकलन और विश्लेषण करने की आवश्यकता है। सर्वेक्षण के निष्कर्षो को कम्प्यूटरीकृत किया जाना चाहिए।

- जोखिम भरे व्यवसायों से हटाए गए बच्चों को या तो औपचारिक स्कूल प्रणाली में या एन.सी.एल.पी. के तहत विशेष स्कूलों में दाखिल किया जाना चाहिए। पहले वाला निदेश उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया है जबकि दूसरा निदेश राष्ट्रीय नीति से संबंधित है। इन दोनों का उद्देश्य जोखिम भरे व्यवसायों से हटाए गए बच्चों का पुनर्वास करना है। एकमात्र अंतर यह है कि दूसरे निदेश में व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण दिए जाने का प्रावधान है (संयुक्त प्रावधान इस प्रकार है : दोपहर के भोजन के जरिए पौष्टिक आहार, स्वास्थ्य जांच और शिक्षा का एक न्यूनतम स्तर प्राप्त करना है।

पंजाब

8.42 उच्चतम न्यायालय द्वारा 1996 में दिए गए न्याय निर्णय के अनुसरण में फरवरी मार्च, 1997 में किए गए सर्वेक्षण में यह पाया गया कि 3614 बच्चे 1681 स्थापनाओं में काम कर रहे थे। तथापि दस वर्षीय जनगणना 2001 के अनुसार पंजाब में काम कर रहे बच्चों की कुल संख्या 1,77,268 थी।

8.43 उच्चतम न्यायालय ने 10 दिसंबर, 1996 को पाया कि उस समय ईंट भट्टा, होटलों, रेस्टोरेंट, ढाबा, चाय की दुकानों और घरेलू नौकरों के रूप में बच्चों से काम लेने पर प्रतिबंध नहीं था। क्योंकि अब इन पर भी प्रतिबंध लगा दिया

गया है अतः राज्य सरकारों को सलाह दी जाती है कि काम कर रहे बच्चों का पता लगाने और उनकी गणना करने के लिए पुनः सर्वेक्षण करना लाभदायक होगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस प्रकार के सर्वेक्षण के लिए व्यापक नीति और प्रणाली तय की है।

8.44 शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में, लड़कों और लड़कियों, जोखिम भरे व्यवसायों में और जोखिम रहित व्यवसायों में काम कर रहे बच्चों के अलग–अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने राज्य सरकार को यह सूचना जनगणना से लेने के लिए कहा है और इसे जिलेवार अलग–अलग करने के लिए कहा है। इस सूचना को प्रधान सचिव के कार्यालय, श्रम, श्रमायुक्त, निर्माणी निदेशक और अन्य सभी अधीनस्थ ढांचों के कार्यालयों में कम्प्यूटरों में रखा जाना चाहिए ताकि इसका इस्तेमाल योजना बनाते समय किया जा सके।

8.45 राज्य श्रम कानून प्रवर्तन कार्यालय के अधिकारी काम कर रहे बच्चों का पता लगाने और उनकी गणना करने के लिए स्थापनाओं का निरीक्षण कर रहे हैं। 2003 और 2007 के बीच किए गए निरीक्षणों की संख्या सराहनीय है तथापि चलाए गए मुकद्दमों की संख्या नगण्य है और दोष सिद्ध मामलों की संख्या बहुत कम है। इससे यह संदेश जाता है कि कानून के प्रावधानों के अनुसार अनुपालन बिलकुल ठीक है लेकिन वास्तव में स्थिति ऐसी नहीं है।

8.46 आयोग ने राज्य सरकारों से यह कहा है कि निरीक्षणों का प्राथमिक उद्देश्य बच्चों को काम से हटाना है (यदि बच्चा प्रतिबंधित श्रेणी वाले व्यवसायों में काम कर रहा है) और बाद में शिक्षा, पौष्टिक आहार और कौशल प्रशिक्षण देकर उनका पुनर्वास किया जाए।

8.47 स्थापनाओं का निरीक्षण करने का यह भी उद्देश्य है कि जिन स्थापनाओं में बच्चों को काम में रखने की अनुमति है वहां पर यह भी सुनिश्चित किया जाए कि : कार्य घंटे प्रतिदिन साढ़े चार घंटे से अधिक नहीं होने चाहिए, निर्धारित कार्य घंटों से अधिक घंटों तक काम करने के लिए दैनिक दिहाड़ी से दुगने दर पर समयोपरि भत्ता दिया जाना चाहिए। उन्हें साप्ताहिक छुट्टी भी दी जानी चाहिए, यदि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित मजदूरी नहीं दी जाती है तो इस अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी के समक्ष दावा प्रस्तुत किया जाना चाहिए, यदि बच्चे के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है जिससे वह जख्मी या अपंग हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसे मजदूर मुआवजा मिलना चाहिए।

8.48 एम.सी. मेहता बनाम तमिलनाडु मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित करने में राज्य सरकार का कार्य प्रोत्साहनजनक नहीं रहा। फरवरी–मार्च, 1987 में उच्चतम न्यायालय के निदेशों के अनुसरण में किए गए सर्वेक्षण में यह पाया गया कि जोखिम भरे व्यवसायों में केवल 91 बच्चे काम कर रहे थे। गलती करने वाले नियोजक से 20,000 रूपए प्रति बच्चे की दर से वसूल करने पर यह राशि 18,20,000 रूपए बनती है जबकि केवल 1,21,000 रूपए ही वसूल किए गए। राज्य सरकार उसके परिवार के एक व्यस्क सदस्य को रोजगार देने में असफल रही जिसके कारण बच्चों को काम पर जाना पड़ता है। राज्य सरकार जिला बाल श्रमिक कल्याण एवं पुनर्वास निधि में प्रति बच्चा 5,000 रूपए की दर से धन जमा करने में भी असफल रही है।

जोखिम भरे व्यवसायों में काम कर रहे जिन 91 बच्चों का पता लगाया गया था उनमें से, उच्चतम न्यायालय के स्पष्ट निदेशों के बावजूद औपचारिक सकूल प्रणाली में किसी को भी दाखिल नहीं किया गया है। इसी प्रकार जोखिम रहित व्यवसायों में काम कर रहे सभी 3523 बच्चों को नियोजक द्वारा हटा दिया गया था लेकिन उन्हें, उच्चतम न्यायालय के स्पष्ट निदेशों के बावजूद नियोजक की लागत पर अनौपचारिक शिक्षा नहीं दी गई है। श्रम विभाग में एक एकक स्थापित किया गया है लेकिन एकक द्वारा किए जाने वाले कार्यों का स्पष्ट और पूर्ण विवरण उपलब्ध नहीं है। पंजाब में 20 जिले में और लगभग सभी जिलों में बाल मजदूरी एक आम बात है, इस समय तीन जिलों में, अमृतसर, जालंधर और लुधियाना में तीन एन.सी.एल.पी. काम कर रहे हैं जिनमें क्रमशः 40, 27 और 20 विशेष स्कूल हैं और क्रमशः 1970, 1176 और 899 बच्चे दाखिल है।

छत्तीसगढ़

8.49 2001 की जनगणना के अनुसार काम कर रहे बच्चों की संख्या 3,64,572 थी।

8.50 राज्य श्रम विभाग को सलाह दी गई है कि काम कर रहे लड़के व लड़कियों की संख्या, शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के ब्यौरे और जोखिम भरे और जोखिम रहित व्यवसायों से संबंधित आंकड़े जनगणना से पृथक–पृथक प्राप्त करें। इसका इस्तेमाल राज्य में बाल मजदूरी उन्मूलन के लिए भावी रणनीति बनाने के लिए किया जा सकता है।

8.51 लगभग 50 प्रतिशत निरीक्षकों के पद रिक्त पड़े हैं जिसके कारण श्रम कानून प्रवर्तन पर बुरा असर पड़ रहा है।

8.52 अगस्त 2007 में एक राज्य स्तरीय समिति गठित की गई थी जिसके अध्यक्ष सरकार के मुख्य सचिव हैं और श्रम सचिव, महिला और बाल विकास सचिव, स्कूल शिक्षा सचिव, पंचायत और ग्रामीण विकास सचिव और गैर सरकारी संगठन इसके सदस्य हैं लेकिन अभी तक एक भी बैठक नहीं की गई है। परिणामस्वरूप बाल मजदूरी उन्मूलन के बारे में श्रम विभाग की गतिविधियों की राज्य स्तरीय एक भी समीक्षा नहीं हो पाई है।

8.53 ऐसा प्रतीत होता है कि काम पर लगे बच्चों का पता लगाने और उनकी गणना करने की दिशा में श्रम विभाग का कार्य निष्पादन बहुत हतोत्साहित करने वाला रहा है। जोखिम भरे व्यवसायों में लगे केवल 17 बच्चों का पता लगाया गया है। यह स्पष्ट है कि यह बहुत कम आंकलन है।

8.54 आयोग ने काम पर लगे बच्चों का पता लगाने और उन्हें काम से हटाने के लिए योजनाबद्ध, समन्वित रणनीति अपनाने और ठोस प्रयास करने की सलाह राज्य सरकार को दी है।

- निजी स्थापनाओं (होटल, मोटल, ढाबा, मनोरंजन केन्द्र इत्यादि) पर छापा डालने के लिए श्रम, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला एवं बाल विकास से अधिकारियों को लेकर एक टीम गठित की जाए।

- इस प्रकार के छापे गुप–चुप डाले जाने चाहिए और इस बारे में पूर्णतः गोपनीयता बरती जानी चाहिए।

- अपेक्षित प्रभाव प्राप्त करने के लिए तत्स्थान पर दोषी व्यक्तियों को दंडित करने के लिए कैंप न्यायालय आयोजित किए जाने चाहिए।

8.55 उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निदेशों के अनुपालन के बारे में ऐसा प्रतीत होता है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निदेशों के अनुपालन के संबंध में स्थापनाओं/घरेलू स्थापनाओं का सर्वेक्षण करने में अपनाई जाने वाली नीति और प्रणाली के बारे में राज्य सरकार स्पष्ट नहीं है और दुविधा की स्थिति में है, जोखिम भरे व्यवसायों में नियोजित बच्चों के बारे में चूककर्ता नियोजकों से 20,000 रूपए प्रति बच्चे की दर से, जोखिम भरे व्यावसायों से हटाए गए 992 बच्चों के संबंध में, कुल 1,98,40,000 रूपए वसूल किए जाने चाहिए थे लेकिन केवल 4,40,000 रूपए वसूल किए गए, राज्य सरकार ने अभी तक केवल 400 अभिभावकों को नौकरियां दी हैं जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले, जो अपने बच्चों को काम पर भेज रहे हैं कि वास्तविक संख्या की तुलना में काफी कम है, औपचारिक स्कूल प्रणाली में दाखिले के लिए 992 बच्चों में से केवल 198 बच्चों के नाम भेजे गए हैं, जोखिम रहित व्यावसायों में नियोजित पाए गए बच्चों जिन्हें नियोजक की लागत पर अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त होनी थी के बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है और विभाग ने प्रश्नावलि के उत्तर में इस बात की पुष्टि की है कि एक एकक का गठन कर दिया गया है तथापि वास्तव में कोई एकक गठित नहीं किया गया है क्योंकि कोई पूर्णकालीन कर्मचारी उसमें तैनात नहीं किया गया है।

ग. सम्मेलन और कार्यशालाएं

8.56 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 27 जून, 2007 को अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में बंधुआ मजदूर और बाल मजदूर विषय पर एक राष्ट्र स्तर की कार्यशाला का आयोजन किया जिसका उद्देश्य बंधुआ और बाल मजदूर की अवधारणा और परिभाषा को स्पष्ट करना, पता लगाने की रणनीति और प्रणाली, बंधुआ मजदूरों और काम पर लगाए गए बच्चों की रिहाई और उनका पुनर्वास और विभिन्न राज्यों के बीच विचारों और अनुभवों का आदान–प्रदान करना था।

8.57 कार्यशाला में की गई संस्तुतियों में निम्नलिखित शामिल हैं :

- उन क्षेत्रों का सतर्कता समितियों द्वारा गहन सर्वेक्षण किया जाना चाहिए जो क्षेत्र परम्परागत रूप से बंधुआ ऋणी प्रथा के प्रति संवेदनशील हैं।

- बंधुआ मजदूरों का पता लगाने और उन्हें रिहा कराने के काम में प्राथमिक स्तर पर काम कर रहे सोशल एक्शन ग्रुपों को पूर्णतः शामिल किया जाए।

- जिन अधिकारियों को बंधुआ मजदूरी की समस्या से निपटने के लिए विभिन्न स्तरों पर तैनात किया गया है उन्हें उचित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए और संवेदनशील बनाया जाना चाहिए ताकि वे गरीबों की मुसीबत और पीड़ा को समझ सकें।

- रिहा किए गए प्रत्येक बंधुआ मजदूर को संबंधित समार्हता/जिला मजिस्ट्रेट या उप जिला मजिस्ट्रेट

या कार्यकारी मजिस्ट्रेट जैसा भी मामला हो, जिन्हें बी.एल.एस.ए. अधि. की धारा 21 के तहत न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्राप्त हों, द्वारा रिहाई प्रमाणपत्र दिया जाना चाहिए।

- राज्य सरकार को बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास स्थायी आधार पर करना चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए कि मुक्त कराया गया बंधुआ मजदूर गरीबी, दीनहीनता और नाउमीदी के दलदल में पुनः न फंसे, पता लगाने और रिहा करने के तुरंत बाद उसका पुनर्वास किया जाना जरूरी है।

- मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए बी.एल.एस.ए. अधिनियम के तहत बनाई गई केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम के तहत पर्याप्त धन जारी किया जाना चाहिए। समाहर्ता और ऐसे अन्य अधिकारियों को जिन्हें पुनर्वास स्कीम के कार्यान्वयन की जिम्मेवारी दी गई है यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूर की रिहाई और उसके पुनर्वास से नहीं जोड़ा जाना चाहिए, जिस पर अलग से एक प्राथमिक मामले के रूप में कार्रवाई की जानी चाहिए।

- बी.एस.एल.ए. नियमावली 1976 के नियम 7 में यथा अपेक्षित रिहा कराए गए मजदूरों का रिकार्ड रखा जाना चाहिए।

- एन.सी.एन.पी. स्कूलों में उपलब्ध कराई जाने वाले सुविधा और कुछेक एन.सी.एल.पी. से उच्च ड्रॉप आऊट दर का मूल्यांकन और गहन विश्लेषण किए जाने की आवश्यकता है। बहुआयामी पुनर्वास प्रयासों में शिक्षा, पौष्टिक आहार, व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण और स्वास्थ्य जांच सम्मिलित है।

- प्रवासी परिवारों के बच्चों को दीन–हीन अवस्था में नहीं छोड़ा जाना चाहिए। सामान्य श्रेणी के अन्य बच्चों के साथ–साथ उनका भी पुनर्वास किया जाना अपेक्षित है। यदि वे गंतव्य स्थान पर बसना चाहते हैं तो उच्चतम न्यायालय के निदेशों के अनुसार उनका पुनर्वास वहां पर किया जाना चाहिए।

- इसी प्रकार प्रवासी मजदूरों से, उच्चतम न्यायालय द्वारा अनेक न्याय निर्णयों में दिए गए निदेशों की भावनाओं के अनुसार, यह पूछा जाना चाहिए कि वे कहां पर पुनर्वासित होना चाहेंगे, अर्थात् अपने मूल स्थान पर या गंतव्य राज्य में। उन्हें केवल उनके मूल स्थान को भेजकर या उन्हें दीन–हीन अवस्था में छोड़कर काम की इतिश्री नहीं होती है जो उच्चतम न्यायालय के निदेशों का उल्लंघन होगा।

- राज्य में पता लगाए गए बंधुआ मजदूरों जिन्हें पुनर्वास के लिए उनके मूल राज्यों को भेजा गया है के बारे में एक विस्तृत सूची तैयार की जानी चाहिए – इसमें मूल राज्य में उनके रिहायशी पते के ब्यौरे होने चाहिए। सूची की एक प्रति राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और उस राज्य के श्रमायुक्त को भेजी जानी चाहिए जहां के वे मूल निवासी हैं।

- गृह, श्रम, विधि, राजस्व, पंचायती राज और ग्रामीण विकास, खाद्य और नागरिक आपूर्ति, महिला और

बाल विकास और अनु. जाति, अनु. जनजाति और अन्य पिछड़ी जातियों के कल्याण, आवास, उद्योग, वित्त (लघु वित्त) सहकारिता इत्यादि से संबंधित सरकारी विभागों और गैर सरकारी संगठनों के बीच प्रभावी समन्वय होना चाहिए।

- जिन क्षेत्रों में जिला और उप मंडल स्तरीय सतर्कता समितियां गठित नहीं है वहां उनका गठन किया जाना चाहिए। इन समितियों की आवधिक बैठक निर्धारित समय सीमा के अंदर की जानी चाहिए।

❖ ❖ ❖

अध्याय 9 कमजोर वर्गों के अधिकार

9.1 दुर्भाग्य से भारत में ऐसे अनेक ग्रुप हैं जो लोगों की उस श्रेणी में आते हैं जिनके प्रति अत्यधिक भेदभाव किया जाता है या उनकी अनदेखी की जाती है। महिलाओं और बच्चों के अलावा – जिनके अधिकारों के बारे में इस रिपोर्ट में दूसरे स्थानों पर उल्लेख किया गया है– सबसे अधिक कमजोर वर्गों में निःशक्त व्यक्ति, सिर पर मैला ढोने वाले व्यक्ति, बुजुर्ग लोग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोग और अल्पसंख्यक समुदाय के लोग, विस्थापित व्यक्ति और निर्धन व्यक्ति आते हैं।

9.2 राष्ट्रीय मानवधिकार आयोग अपने गठन से ही इस बात के प्रति चिंतित है कि समान अधिकारों के लिए संवैधानिक प्रावधानों और ऊपर उल्लिखित कुछ ग्रुपों के संरक्षण के लिए बनाए गए कानूनों के बावजूद भेदभाव और शोषण जारी है। इसलिए आयोग ने उन्हें संरक्षण प्रदान करने और उन्हें उनके अधिकार प्रदान करने के लिए विशेष प्रयास किए हैं।

क. निःशक्त व्यक्तियों के अधिकार

9.3 निःशक्त व्यक्तियों के प्रति लोगों का दृष्टिकोण राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तरों पर लंबे समय से सदाशयता की भावना पर आधारित रहा है। इस ढांचे में निःशक्त व्यक्ति को, उसकी क्षमताओं के बावजूद अपने अधिकारों के उपभोग के लिए सक्षम नहीं समझा गया। उनके प्रति दृष्टिकोण में लगभग चार दशक पहले उस समय परिवर्तन आया जब निःशक्त व्यक्तियों ने अपने मानवाधिकारों की उपलब्धता और संरक्षण के लिए मांग करनी शुरू की। क्योंकि मानवाधिकारों के क्षेत्र में निःशक्ता एक प्रमुख समस्या के रूप में उभरा है इसलिए समुदाय की तरफ से और बाहर से भी उनकी वकालत बढ़ी है।

9.4 भारत में उनके लिए उल्लेखनीय विधायन बनाए गए हैं जिसमें निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 शामिल है। जिसका अनुसरण अंतः स्थिति, मस्तिष्क पक्षाघात, मानसिक व्यवघात और बहु निःशक्तता वाले व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय कल्याण ट्रस्ट अधिनियम 1999 में किया गया है।

9.5 इन सभी घटनाक्रमों के बावजूद आयोग ने यह नोट किया है कि निःशक्त व्यक्तियों के साथ अभी भी भेदभाव हो रहा है। आयोग ऐसा वातावरण पैदा करने के लिए प्रतिबद्ध है जिसमें निःशक्त व्यक्ति अपने मानवाधिकार और मौलिक स्वतंत्रता को समान आधार पर उपभोग कर सके। इस दिशा में आयोग ने अनेकों निदेश जारी किए हैं। इन निदेशों को आयोग की पिछली वार्षिक रिपोर्टों में व्यापक रूप से उल्लेख किया गया है।

9.6 इस दिशा में आयोग ने निःशक्त व्यक्तियों के अधिकारों के संरक्षण और संवर्धन के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है। इसमें व्यक्तिगत शिकायतों का निपटान, विधायी और नीतिगत सुधार, अपेक्षित ढांचा

और सेवाएं उपलब्ध कराना, गैर सरकारी संगठनों को प्रोत्साहित करना, अनुसंधान, प्रशिक्षण और जन जागृति पैदा करना शामिल है।

9.7 निःशक्त व्यक्तियों के अधिकार संबंधी अभिसमय को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2006 में अंगीकृत किया गया और मार्च, 2007 तक इसे पक्षकारों के लिए हस्ताक्षर हेतु रखा गया। अभिसमय का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि निःशक्त व्यक्ति अन्य लोगों की भांति समान आधार पर अपने मानवीय अधिकारों का उपभोग कर सके। आयोग ने निःशक्त व्यक्तियों के अधिकार संबंधी संयुक्त राष्ट्र अभिसमय का प्रारूप तैयार करने में अहम भूमिका निभाई है क्योंकि इसमें अनुच्छेद 33 को जोड़ने के लिए सतत् वकालत की गई है जो राष्ट्रीय कार्यान्वयन और मॉनिटरिंग तंत्र से संबंधित है। इसमें भारत सरकार से सी.आर.पी.डी. का यथाशीघ्र अनुसमर्थन के लिए भी कहा गया है और सरकार ने अक्टूबर, 2007 में इसका अनुसमर्थन कर दिया।

9.8 सी.आर.पी.डी. का अनुच्छेद 33 कार्यान्वयन और मॉनीटरिंग तंत्र से संबंधित है। अनुच्छेद राज्यों को निदेश देता है कि अभिसमय के कार्यान्वयन से संबंधित मामलों के लिए सरकार में एक या अधिक सकेन्द्रित तंत्र बनाए जाएं, समन्वय तंत्र शामिल किया जाए, कार्यान्वयन में तेजी लाने, संरक्षित करने और मॉनीटरिंग करने के लिए एक ढांचा बनाया जाए और सुदृढ़ किया जाए और शिष्ट समाज, विशेषतौर से निःशक्त व्यक्तियों को और उनके प्रतिनिधि संगठनों को मॉनीटरिंग प्रक्रिया में शामिल किया जाए।

9.9 अनुवर्ती कार्यवाई के रूप में आयोग ने अपनी तरफ से महिला, बाल और निःशक्तता से संबंधित मामलों पर एक विशेष संपर्ककर्त्ता नियुक्त किया है और निःशक्तता पर एक ओर कोर ग्रुप भी स्थापित किया है जिसमें विशेषज्ञ और वे सामाजिक कार्यकर्त्ता होंगे जिन्होंने निःशक्तों को अधिकार प्राप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। निःशक्तता पर कोर ग्रुप की स्थापना निम्नलिखित विचारार्थ विषयों के अनुसार की गई हैः–

- निःशक्त व्यक्तियों के लिए बनाए गए कानूनों, भारतीय संविधान में उल्लिखित अधिकारों के संवर्धन, संरक्षण, मॉनीटरिंग से संबंधित मामलों पर और सी.आर.पी.डी के अनुच्छेद 33 (2) में दिए गए मॉनीटरिंग अधिकारों के बारे में राष्ट्रीय मानवाधिकार को सलाह देना।

- निःशक्त व्यक्तियों के अधिकारों के बारे में महत्वपूर्ण रणनीति बनाने वाले पणधारियों का क्षमता निर्माण और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को मॉनीटर करने में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को सहायता देना।

- केन्द्र और राज्यों द्वारा गठित सकेन्द्रित तंत्रों/समन्वय तंत्रों के कार्यान्वयन का अध्ययन करना और आयोग को बेहतर रूप से प्रभावी बनाने की दिशा में सुधार के लिए सुझाव देना।

- निःशक्त व्यक्तियों के अधिकारों के अल्लंघन के मामलों राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के ध्यान में लाना।

- सी.आर.पी.डी पर भारत द्वारा हस्ताक्षर करने और उसका अनुसमर्थन करने के मद्देनजर भारतीय

कानूनों और नीतियों में किए जाने वाले परिवर्तनों पर आयोग को सलाह देना जिनकी सिफारिश भारत सरकार को की जाएगा।

9.10 सी.आर.पी.डी के अनूच्छेद 33 में यथा उल्लिखित आयोग की भूमिका के मद्देनजर आयोग ने वर्ष 2008–2009 में पांत्र क्षेत्रीय कार्यशालाएं आयोजित करने का निर्णय लिया। आयोग का यह प्रस्ताव है कि निःशक्त व्यक्तियों और उसके प्रतिनिधि संगठनों सहित सभी पणधारियों को इस प्रयास में शामिल किया जाए।

सांकेतिक भाषा

9.11 आयोग बधिर व्यक्तियों विशेषतौर से बच्चों जिन्हें सांकेतिक भाषा के माध्यम से शिक्षा नहीं मिली है के प्रति भेदभाव से संबंधित समस्याओं के प्रति अत्यधिक चिंतित है। इसका एक मुख्य कारण यह है कि देश में बाल केन्द्रित सांकेतिक भाषा उपलब्ध नहीं है और सांकेतिक भाषा का प्रशिक्षण देने के लिए अध्यापकों का अभाव है।

9.12 2003 में, बधिरों की दिल्ली एसोसिएशन से प्राप्त अभ्यावेदन के जवाब में और विशेष संपर्ककर्त्ता के प्रेक्षणों को ध्यान में रखते हुए आयोग में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, अलियावरजंग राष्ट्रीय बधिर संस्थान और अन्य संस्थानों और गैर सरकारी संगठनों के साथ परामर्श करके बधिर व्यक्तियों के लिए भारतीय सांकेतिक भाषा नामक परियोजना बनाई। इस परियोजना में आयोग की भूमिका सुविधा देने वाले के रूप में रही है।

9.13 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, सक्षम भागीदारों और पणधारियों के बीच हुई अनेक बैठकों के बाद एवाईजेएनआईएचएच ने पुनरीक्षाधीन वर्ष के दौरान एक कार्यशाला आयोजित की जिसमें परियोजना के अंतर्गत तैयार मॉडयूल को प्रस्तुत किया गया। इस मॉडयूलों का बाद में बधिर बच्चों पर परीक्षण किया गया है। आयोग ने एवाईजेएनआईएचएच से अनुरोध किया है कि इस प्रयास में सभी पणधारियों को शमिल किया जाए।

ख. विस्थापित व्यक्तियों के अधिकार

9.14 विस्थापन कई कारणों से हो सकता है जिसमें विकास परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण करना, दंगे और प्राकृतिक आपदा भी शामिल है। इनके कारण मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन होता है जिसमें भोजन के अधिकार का उल्लंघन, जीविकोपार्जन के अधिकार का उल्लंघन, आवास के अधिकार का उल्लंघन, स्वास्थ्य के अधिकार का उल्लंघन और भेदभाव के खिलाफ अधिकार का उल्लंघन शमिल है। राष्ट्रीय आयोग ने विस्थापन के अनेक मामलों में हस्तक्षेप किया है और इसकी सिफारिशें में अनेकों विषय कवर है जिसमें राहत सामग्री का समान वितरण, अस्थायी आश्रयों की व्यवस्था, अनाथ बच्चों, विधवाओं और लड़कियों की कम्प्यूटरीकृत सूची तैयार करना शामिल है।

9.15 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग इस तथ्य से भलीभांति परिचित है कि वह सबसे अधिक कमजोर है जिसको विकास की कीमत चुकानी पड़ती है। पिछले एक साल में बड़े औद्योगिक परियोजनाओं और देश के अनेक भागों में विशेष आर्थिक जोन के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहित करने के मामलों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। आयोग इस आर्थिक कदमों के सही आयामों से भलिभांति परिचित है और इसीलिए इसने प्रभावित क्षेत्रों में अपनी

सतर्कता बढ़ा दी है। इसने केवल व्यक्तिगत शिकायतें ही नहीं ली है अपितु गहन जांच के लिए कानून और नीति के मामले भी उठाएं हैं।

राष्ट्रीय पुनर्वास नीति

9.16 आयोग को इस बारे में खुशी है कि सरकार ने संशोधित राष्ट्रीय पुनर्वास और पुनर्स्थापना नीति को 31 अक्टूबर, 2007 को अधिसूचित कर दिया है। इस विषय पर दो विधेयक, भूमि अधिग्रहण (संशोधन) विधेयक 2007 और पुनर्वास और पुनर्स्थापना विधेयक 2007 इस समय ग्रामीण विकास से संबंधित संसदीय स्थायी समिति के समक्ष है। जिसनें इन विधेयकों के प्रावधानों पर पणधारियों के विचार मांगे है।

9.17 इस महत्वपूर्ण घटनाक्रम को देखते हुए आयोग ने 24–25 मार्च, 2008 को नई दिल्ली में विस्थापित व्यक्तियों को राहत और उनका पुनर्वास विषय पर एक सम्मेलन आयोजित किया था जिसका उद्घाटन गृह मंत्री द्वारा किया गया था। इस सम्मेलन में सहायक आयोगों के सदस्यों, केन्द्र और राज्य सरकार के राजकीय अधिकारियों, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधिकारियों, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों और गैर सरकारी संगठनों ने भाग लिया। सम्मेलन में भूमि अधिग्रहण, विस्थापित व्यक्तियों के मानवाधिकारों और उन्हें राहत देने और उनका पुनर्वास करने पर अनेक सिफारिशें की। पुनरीक्षाधीन अवधि के अंत तक इनकी जांच की जा रही थी।

ग. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अधिकार

9.18 आयोग अपने गठन से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों के संरक्षण और संवर्धन में सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। अपने–आप कार्रवाई करने के अलावा आयोग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के प्रति अत्याचार से संबंधित शिकायतों पर भी कार्य कर रहा है, आयोग इस विषय पर मुख्य पणधारियों के साथ यह कार्य करता है, पुस्तिकाएं प्रकाशित करता है और प्रशिक्षण कार्यक्रम और कार्यशालएं आयोजित करता है जिसका उद्देश्य इस विषय पर विभिन्न पणधिरियों को संवेदनशील बनाना है ताकि अत्याचार, भेदभाव और मानवाधिकारों का उल्लंघन रोका जा सके।

9.19 अपनी पिछली वार्षिक रिपोर्ट में आयोग ने चार जिलों जिनमें अनुसूचित जातियों पर अत्याचार के बहुत अधिक मामले हैं, में जागृति अभियान चलाने के बारे में आयोग के निर्णय का उल्लेख किया है इस संबंध में आयोग के वरिष्ट अधिकारी राजस्थान में भरतपुर और हरियाणा में फरीदाबाद गए और राष्ट्रीय मानवाधिकार के सदस्य ने राजस्थान में जयपुर और अजमेर का दौरा किया।

9.20 आयोग ने 3 और 4 दिसंबर, 2007 को नई दिल्ली में दलित मानवाधिकार संबंधी राष्ट्रीय अभियान के साथ अनुसूचित जातियों के लिए शिष्ट समाज पहलुओं को सुदृढ़ करने पर एक राष्ट्रीय विचार गोष्ठी भी आयोजित की।

घ. गैर अधिसूचित और खानाबदोश जनजातियों के अधिकार

9.21 आयोग गैर अधिसूचित जनजातियों और खानाबदोश जनजातियों के मानवाधिकारों के लिए चिंतित है। उनके प्रति भारत की आजादी से काफी पहले पूर्वाग्रह था जब उन्हें आपराधिक जनजाति के रूप में माना जाता था। हालांकि

आजादी प्राप्ति के तुरंत बाद आपराधिक जनजतियां अधिनियम 1871 को निरस्त कर दिया गया था तथापि पुलिस और जनता उन्हें जन्मजात/आदतन अपराधियों के रूप में मानती रही है।

9.22 1998 में इस विषय पर आयोग के परामर्शों ग्रुप ने इन समुदायों की दशा में सुधार करने के लिए अनेक सिफारिशें की है। पुनरीक्षाधीन अवधि के दौरान आयोग इन सिफारिशों पर राज्य सरकारो/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों की प्रतिक्रियाओं का मॉनीटरिंग कर रहा है।

ड़ सिर पर मैला ढोने की प्रथा का उन्मूलन

9.23 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सिर पर मैला ढोने की अपमानजनक प्रथा को पूरी तरह समाप्त करने के उद्देश्यों पर सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है, जिसे आयोग मानव गरिमा का घोर उल्लंघन और इस काम में लगे हुए व्यक्तियों के अधिकारों का घोर उल्लंघन मानता है। सिर पर मैला ढोने वाली प्रथा मानवजीवन के लिए हद्यशूल के समान है जो सभी मानवाधिकारों को दरकिनार करता है।

9.24 आयोग ने राज्य सरकारों के साथ पिछले कुछ वर्षों में अनेक पुनरीक्षा बैठके है। जैसाकि आयोग की पिछली वार्षिक रिपोर्ट में उल्लेख किया है सिर पर मैला ढोने वाली प्रथा के उन्मूलन पर 18 मार्च, 2007 को एक बैठक की गई थी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष ने इसकी अध्यक्षता की और केन्द्र और राज्य सरकारों के वरिष्ठ प्रतिनिधियों और अन्य पणधारियों ने इसमें भाग लिया।

9.25 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्यों को इस बात पर बल दे रहा है कि सिर पर मैला उठाने वालों को रोजगार और शुल्क शौचालयों (निषेध) अधिनियम, 1993 (केन्द्र सरकार द्वारा 1997 में अधिसूचित) को अपनाया जाए।

9.26 सिर पर मैला उठाने वाली प्रथा के पूर्ण उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई योजना में दिसंबर, 2007 लक्ष्य तारीख रखी गई है। हालांकि यह विचारधीन है कि इस तारीख को बढ़ाकर मार्च, 2009 कर दिया जाए जो तारीख मैला उठाने वालों और उनके आश्रितों के पुनर्वास के लिए भी रखी गई है।

9.27 जिन राज्यों ने इस अधिनियम को अपनाया है वे इस प्रकार हैः– आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश (इसका अपना म्यूनिसिपल अधिनियम है) झारखंड, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, उड़ीसा, पंजाब, (77 शहरों में मैला ढोने वालों की मुक्ति के लिए एकीकृत स्कीम का कार्यान्वयन और सफाई व्यवस्था में सुधार), राजस्थान, जम्मू और कश्मीर, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह।

9.28 अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह, त्रिपुरा, अरूणाचल प्रदेश, सिक्किम, गोवा, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़ और केरल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों ने आयोग को सूचित किया है कि उनके यहां सिर पर मैला ढोने वाली प्रथा/शुष्क शौचालय नहीं है।

9.29 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार जिन राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों ने केन्द्रीय अधिनियम को नहीं अपनाया है वे इस प्रकार हैः– मणिपुर, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, लक्षद्वीप, पाण्डिचेरी और नागालैंड। आयोग इसको अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण मानता है कि देश के भागों ने इस मामले से निपटने में अपेक्षित इच्छाशासित नहीं दिखाई है। आयोग का यह दृढ़भत है कि इस प्रथा का पूरी तरह से उन्मूलन तभी किया जा सकता है जब संबंधित मंत्रालय, सरकारी एजेंसियां, वित्तीय संस्थान, मानवाधिकार संस्थान सहित सभी पणधारी और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोग और शिष्ट सामाजिक ग्रुप ठोस प्रयास करे। आयोग को खेद है कि मिलकर काम करने की बजाय अधिकतर पणधारी एक–दूसरे पर दोषारोपण कर रहे हैं इस बात की परवाह किए बिना कि इस प्रथा को किस प्रकार से समाप्त किया जा सकता है और किस प्रकार से खामियों को दूर किया जा सकता है। आयोग, सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों से एक बार पुनः यह अनुरोध करता है कि इस अधिनियम को पूरी तरह कार्यान्वित करने में हर संभव प्रयास किए जाएं।

❖ ❖ ❖

मानवाधिकार शिक्षा और जागरूकता

अध्याय 10

10.1 आज के समय में मानवाधिकार शिक्षा का संवर्धन अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गया है। सभी वर्गों के लोगों में विशेषतौर से उनकी धारणाओं और विचारधाराओं के संबंध में उनके नजरिए में परिवर्तन लाने के लिए ज्ञान और जागरूकता पैदा करना और उसका प्रचार–प्रसार करना एक महत्वपूर्ण तरीका है। पुनरीक्षा अवधि के दौरान आयोग ने मानवाधिकार शिक्षा का विकास करने के लिए अनेक कदम उठाएं है।

i) *स्कूल और विश्वविद्यालय शिक्षा प्रणाली में मानवाधिकार शिक्षा को शामिल करने के लिए राष्ट्रीय स्तर की विचारगोष्ठी।*

10.2 स्कूल और विश्वविद्यालय शिक्षा प्रणाली में मानवाधिकार शिक्षा को शामिल करने के लिए 6 जुलाई, 2007 को नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय विचारगोष्ठी आयोजित की गई थी। विचारगोष्ठी का उद्घाटन श्री अर्जुन सिंह, मानव संसाधन विकास मंत्री, भारत सरकार द्वारा किया गया। इस अवसर पर मंत्री महोदय ने दो पुस्तकें नामतः ''राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सिफरिशें–विश्वविद्यालय और कॉलेज स्तर पर मानवधिकार शिक्षा'' और ''राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सिफारिशें–प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतम माध्यमिक स्तर पर शिक्षण कार्य कर रहे प्रध्यापकों के लिए मानवाधिकार शिक्षा का मॉड्यूल''। डॉ. एस.के. थोराट, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष, मुख्य अतिथि थे।

ii) *न्यायिक अधिकारियों को मानवधिकारों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए कार्यशाला।*

10.3 वर्ष 2006–2007 के दौरान आयोग ने, भारतीय नेशनल विधि विद्यालय, बैगलौर, के सहयोग से मानवाधिकारों पर न्यायिक अधिकारियों को संवेदनशील बनाने के लिए दो कार्यशालाएं आयोजित की।

10.4 इन कार्यशालाओं के अनुसरण में आंध प्रदेश न्यायिक अकादमी, हैदराबाद द्वारा 6 और 7 अप्रैल, 2007 को एक अन्य कार्यशाला आयोजित की गई।

iii) *मानवाधिकारों के संवर्धन और मॉनिटर करने के लिए कार्यशाला मानक।*

10.5 ''मानवधिकारों के कार्यान्वयन को बढ़ाने और मॉनिटर करने के लिए मानकों का प्रयोग विषय पर एक उप क्षेत्रीय कार्यशाला'' का आयोजन मानवाधिकार संबंधी संयुक्त राष्ट्रसंघ उच्चायुक्त और मानव विकास संस्थान के कार्यालय द्वारा 26 से 28 जुलाई, 2007 तक नई दिल्ली में किया गया। कार्यशाला में मानवाधिकार पदधारियों जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थान, नीति निर्माता, राष्ट्रीय साहित्यिक एजेंसियां और अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडोनेशिया, इस्लामी गणतंत्र ईरान, मलेशिया, मालद्वीप, नेपाल, पाकिस्तान, फिलीपीन, श्रीलंका और भारत के कुछ विशिष्ट प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

10.6 इस तीन दिवसीय कार्यशाला के दौरान भाग लेने वालों ने अपना विशेष ध्यान, मानवाधिकारों के उन क्षेत्रों/मामलों पर केन्द्रित किया ताकि इनके संबंध में मॉनिटर करने, संरक्षण और संवर्धन के लिए वैश्विक मानक तैयार किए जा सकें।

iv) *आशा की भूमिका पर राष्ट्रीय विचारगोष्ठी*

10.7 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने, ''मानवधिकारों के संरक्षण और संवर्धन में हिन्दी और दक्षिण भारतीय भाषाओं की भूमिका'' पर 31 मई और 1 जून, 2007 को हैदराबाद में दो दिवसीय विचारगोष्ठी का आयोजन किया। इस अवसर पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष ने हिन्दी और अंग्रेजी में मानवाधिकारों शब्दावली का लोकार्पण किया।

v) *ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन अंतशिक्षु कार्यक्रम*

10.8 आयोग ने नई दिल्ली में अपने परिसर में 15 मई से 14 जून, 2007 तक एक माह का ग्रीष्मकालीन अंतशिक्षु कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में 10 राज्यों के 12 विश्वविद्यालय से 36 छात्रों ने भाग लिया। आयोग ने 17 दिसंबर, 2007 से 16 जनवरी, 2008 तक शीतकालीन अंतशिक्षु कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में 7 राज्यों के 17 विश्वविद्यालयों से 46 छात्रों ने भाग लिया। दोनों कार्यक्रमों में विभिन्न मानवाधिकार विषयों पर रोशनी डाली गई। प्राथमिक जानकारी देने के उद्देश्य से अंतशिक्षुओं को क्षेत्रीय दौरों के लिए, एस.ओ.एस. बालग्राम, फरीदाबाद, तिहाड़जेल, सरकारी अस्पतालों और नई दिल्ली में रेलवे स्टेशनों पर ले जाया गया। अंतरिक्षु कार्यक्रम के एक भाग के रूप में अंतरिक्षुओं को परियोजना कार्य दिया गया और उन्हें उसपर प्रस्तुतिकरण देने के लिए कहा गया।

vi) *आयोग द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम।*

10.9 आयोग के दिए गए अधिदेश के एक भाग के रूप में, आयोग ने वर्ष 2007–2008 के लिए पूरे देश में मानवाधिकारों के विभिन्न विषयों पर 35 संस्थानों/गैर सरकारी संगठनों के 93 प्रशिक्षण कार्यक्रमों को अनुमोदित किया, विशेष ध्यान पूर्वोत्तर राज्यों और अन्य पिछड़े राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों पर दिया गया। इनमें से 65 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

vii) *भारतीय विदेश सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम।*

10.10 आयोग ने सन् 2006 के विदेश सेवा के 20 परिक्षाधीन अधिकारियों के लिए 17 और 18 सितंबर तक दो दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम के दौरान आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों और वरिष्ठ अधिकारियों ने परिवीक्षाधीन अधिकारियों के साथ बातचीत की।

viii) *विभिन्न सेवाओं/संस्थानों के अधिकारियों का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का दौरा।*

10.11 सीमा शुल्क, राजस्व, आबकारी, रक्षा, केन्द्रीय और अर्धसैनिक बल, मनोत्तेजक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो, लोकनायक जयप्रकाश नारायण अपराध और विधिविज्ञान राष्ट्रीय संस्थान के प्रशिक्षण अधिकारियों और विभिन्न अधिकारियों ने 1 अगस्त, 2007 को आयोग का दौरा किया। आयोग के अध्यक्ष ने भी उनके साथ बातचीत की।

ix) *अंतः प्रशिक्षण कार्यक्रम*

10.12 आयोग द्वारा भर्ती किए गए नए अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए अप्रैल, 2007 में एक अंतः प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें कुल 25 अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया।

x) *भारत के विभिन्न कॉलेजों/विश्वविद्यालयों से आंगतुक छात्रों/प्रशिक्षुओं के साथ बातचीत।*

10.13 वर्ष 2007–08 के दौरान आयोग ने पूरे देश के 17 विभिन्न कॉलेजों और विश्वविद्यालयों से आए 564 छात्रों/प्रशिक्षुओं, जो आयोग में आए थे, के साथ बातचीत की। ये छात्र विभिन्न विषय जैसे विधि, समाज कार्य, राजनीति विज्ञान, मानवाधिकार और पत्रकारिता आदि का अध्ययन कर रहे थे।

xi) *गैर सरकारी संगठनों सहित विभिन्न संस्थानों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की भागीदारी।*

10.14 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने अधिकारियों को देश में विभिन्न संस्थानों और गैर सरकारी संगठनों में प्रशिक्षण कार्यक्रमों में और विभिन्न संस्थानों/शिक्षण संस्थानों में मानवाधिकार विषयों पर व्याख्यान देने के लिए प्रतिनियुक्त किया।

10.15 आयोग के एक सदस्य ने बटरफ्लाई, एक गैर सरकारी संगठन द्वारा 29 से 31 मई, 2007 तक आयोजित ''बाल अधिकारों पर वकालत प्रशिक्षण कार्यक्रम'' में भाग लेने के लिए पोर्टब्लेयर का दौरा किया।

xii) *आयोग में हिन्दी पखवाड़ा*

10.16 आयोग के दैनिक काम–काज में राजकीय भाषा का प्रयोग बढ़ाने के लिए, 14 से 28 सितंबर, 2007 तक एक वार्षिक हिन्दी पखवाड़ा आयोजित किया गया। आयोग के अधिकारियों/कर्मचारियों ने वादविवाद, प्रश्नोत्तरि कार्यक्रम, कवि सम्मेलन और सृजनात्मक लेख प्रतियोगिताओं, जो मानवाधिकारों संबंधी विषयों से संबंधित थे, में सक्रिय रूप से भाग लिया।

xiii) *स्थापना दिवस समारोह*

10.17 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने नई दिल्ली में फिक्की गोल्डन जुबली सभागृह में अपना स्थापना दिवस मनाकर 12 अक्टूबर, 2007 को अपने 14 वर्ष पूरे किए। भारत के मुख्य न्यायधीश श्री के.जी. बालाकृष्णन मुख्य अतिथि थे। इस अवसर पर उन्होंने, एच.आई.वी. एड्स, सिर पर मैला ढोने की प्रथा, महिलाओं और बच्चों में अनैतिक व्यापार और कन्या भ्रूण हत्या विषयों पर 4 फिल्में जारी की। ये सभी फिल्में मानवाधिकार परिप्रेक्ष्य में बनाई गई थी। इस अवसर पर वृद्धावस्था पेंशन स्कीम पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का एक प्रकाशन भी जारी किया गया।

xiv) *मानवाधिकार दिवस*

10.18 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 10 दिसंबर, 2007 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में मानवधिकार दिवस समारोह आयोजित किया। इस अवसर पर श्रीमति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की महामहिम राष्ट्रपति मुख्य अतिथि थी। राष्ट्रपति महोदया ने आयोग के 4 प्रकाशन जारी किए :– दांडिक न्याय से संबंधित मानवाधिकारों की बेहतर

प्रणाली, संक्षेप में: जिला मजिस्ट्रेटों के लिए नियमावली, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पत्रिका (अंग्रेजी) खंड 6/2007, राष्ट्रीय मानवाधिकार पत्रिका (हिन्दी) – नई दिशाएं। उन्होंने मानवाधिकारों की वैश्विक घोषणा की साठवीं वर्षगांठ पर प्रतीक चिन्ह भी जारी किया। समारोह के दौरान राष्ट्रपति ने आयोग द्वारा पहले आयोजित अंतः कॉलेज वादविवाद प्रतियोगिता, अर्धसैनिक बल वादविवाद प्रतियोगिता और चित्रकला प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार भी प्रदान किया। सुश्री शालिनी दीवान, निदेशक, संयुक्त राष्ट्र सूचना केन्द्र, नई दिल्ली द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासचिव श्री बान की –मून का संदेश पढ़ा गया।

xv) *कमजोर बच्चों के लिए चित्रकला प्रतियोगिता*

10.19 मानवधिकार दिवस के उपलक्ष्य में आयोग ने लावारिस बच्चों सहित कमजोर बच्चों के लिए एक गैर सरकारी संगठन बटरफ्लाई के सहयोग से 1 दिसंबर, 2007 को ''पर्यावरण'' विषय पर एक चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की। इस चित्रकला प्रतियोगिता में पूरी दिल्ली से विभिन्न गैर सरकारी संगठनों से आए 48 बेसहारा/कमजोर बच्चों ने भाग लिया।

❖ ❖ ❖

अध्याय 11 अन्तरराष्ट्रीय सहयोग

11.1 जून, 2007 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (जिसने जून, 2006 में मानवाधिकारों संबंधी मुख्य संयुक्त राष्ट्र निकाय के रूप में आयोग का स्थान लिया जो मानवाधिकारों के मॉनिटरिंग और संरक्षण का प्रभारी है) ने जिनेवा बैठक में वैश्विक आवधिक समीक्षा तंत्र के लिए एक संकल्प पारित किया। वैश्विक आवधिक समीक्षा तंत्र एक नया तंत्र है जिसके तहत मानवाधिकार परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य देशों में मानवाधिकारों की स्थिति की जांच करेगा। प्रत्येक देश की जांच चार साल में एक बार होगी। भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मानवाधिकार परिषद और यू.पी.आर. तंत्र में राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों की प्रभावी भागीदारी की वकालत की है। इसके परिणामस्वरूप "संस्थागत निर्माण" पर मानवाधिकार परिषद के संकल्प 5/1 में भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की भागीदारी का प्रभावी उल्लेख किया गया है।

क. वैश्विक आवधिक पुनरीक्षा के बारे में आयोग द्वारा अपनायी गई प्रक्रिया

11.2 मानवाधिकार परिषद संकल्प 5/1 जो सभी संबंधित पणधारियों के साथ राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक परामर्शी प्रक्रिया के जरिए सूचना तैयार करने के लिए राष्ट्रों को प्रोत्साहित करता है के आधार पर आयोग ने भारत राष्ट्र का दस्तावेज तैयार करने में भारत सरकार के साथ सक्रिय रूप से सहयोग किया और अहम भूमिका निभायी।

11.3 भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अद्वितीय स्थान है और मानवाधिकारों के बारे में वास्तविक स्थिति का गहन ज्ञान है, अतः विदेश मंत्रालय, भारत सरकार ने आयोग से अनुरोध किया है कि यू.पी.आर. तंत्र के लिए भारत राष्ट्र का दस्तावेज तैयार करने में सहायता करे।

11.4 आयोग ने विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक की और विचार–विमर्श के आधार पर कुछेक महत्वपूर्ण विषयों को चिन्हित किया है जिनका उल्लेख भारत राष्ट्र दस्तावेज में किया जाना आवश्यक है।

11.5 आयोग ने 13 और 14 नवंबर, 2007 को मानवाधिकार और विकास से संबंधित (एशियाई मंच) बैंकाक और मानवाधिकार संबंधी एशियाई केन्द्र नई दिल्ली द्वारा नई दिल्ली में आयोजित वैश्विक आवधिक पुनरीक्षा के तहत पणधारियों की रिपोर्ट तैयार करने के लिए भारत राष्ट्र विचारगोष्ठी में भाग लिया। आयोग ने पीपुल्स फोरम से रिपोर्ट प्राप्त की।

11.6 आयोग ने 23 जनवरी, 2008 को अपने कार्यालय में विभिन्न सरकारी मंत्रालयों/राज्य मानवाधिकार आयोगों के प्रतिनिधियों और विशेषज्ञों और अन्य पणधारियों के साथ एक बैठक आयोजित की। इस बैठक में विभिन्न मंत्रालयों गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, अल्प संख्यक कार्य मंत्रालय, उपभोक्ता कार्य मंत्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय, मानव संसाधन मंत्रालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय के वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया। इसमें राज्य मानवाधिकार आयोगों के अध्यक्षों, शिक्षाविदों, वकीलों और विभिन्न क्षेत्र के विशेषज्ञों ने भाग लिया। उनके द्वारा दी गई जानकारी को भारत राष्ट्र दस्तावेज के मसौदे में शामिल किया गया और उसके बाद इसे विदेश मंत्रालय को अग्रेषित किया गया।

11.7 आयोग ने विदेश मंत्रालय से यह अनुरोध किया है कि भारत राष्ट्र दस्तावेज को अंतिम रूप देने से पहले आपसी सहयोग किया जाए जो 18 फरवरी, 2008 को हुआ।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, वैश्विक आवधिक पुनरीक्षा के लिए भारत का दस्तावेज

11.8 "संस्थागत निर्माण" पर मानवाधिकार परिषद संकल्प के पैरा 15(ग) में यह अपेक्षित है कि अन्य संबंधित पणधारी वैश्विक आवधिक पुनरीक्षा के लिए अतिरिक्त, विश्वसनीय सूचना उपलब्ध कराएं। तदनुसार आयोग ने अंतःनिर्धारित विचार–विमर्शों और गैर सरकारी संगठनों और अन्यों के साथ चल रही वार्तालाप के आधार पर एक संक्षिप्त दस्तावेज तैयार किया। इसके बाद इस दस्तावेज को जनवरी, 2008 में मानवाधिकारों के उच्चायोग के कार्यालय को अग्रेषित किया गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दस्तावेज की एक प्रति अनुलग्नक 13 पर है।

11.9 अपने दस्तावेज में आयोग ने अपने काम, उसके द्वारा उल्लेखनीय अंतःक्षेपों और उसके द्वारा निपटाई गई कुछ महत्वपूर्ण शिकायतों के बारे में उल्लेख किया। इसने बच्चों के शिक्षा के अधिकार, स्वास्थ्य के अधिकार, बाल अधिकार, भोजन का अधिकार, निःशक्त व्यक्तियों के अधिकार और भ्रष्टाचार के बारे में महत्वपूर्ण मानवाधिकार संबंधी चुनौतियों का भी उल्लेख किया। आयोग ने अंतराष्ट्रीय मानवाधिकार प्रतिबद्धताओं की पुनरीक्षा करते हुए इस बात पर जोर दिया कि शरणार्थियों के स्तर और प्रताड़ना विरोधी अभिसमय से संबंधित संयुक्त राष्ट्र अभिसमय 1951 का अनुसमर्थन किए जाने की आवश्यकता है।

ख. अंतरराष्ट्रीय बैठकों में भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा भाग लेना।

11.10 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और महासचिव ने 17 से 23 जून, 2007 तक जिनेवा में मानवाधिकार परिषद में राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों की वकालत करने वाले अंतरराष्ट्रीय समन्वय समिति की बैठक में भाग लिया।

11.11 भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के महासचिव ने 10 से 17 जून, 2007 तक जिनेवा में राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों की अंतरराष्ट्रीय समन्वयन समिति की बैठक में भाग लिया। बैठक में मानवाधिकारों के संरक्षण और संवर्धन में भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख किया गया है। परिषद द्वारा अंगीकृत संस्थागत निर्माण पर संकल्प में न केवल परिषद की सभी कार्यसूची में भाग लेने के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों को आमंत्रित करने के कार्य का पृष्ठांकन किया गया है अपितु शिकायत निपटान के लिए प्राथमिक तरीका अपनाने का श्रेय भी इसे दिया गया है। इससे राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों की महत्ता और जिम्मेवारी में बढ़ोतरी हुई है।

11.12 भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के एक उच्चस्तरीय प्रतिमंडल जिसका नेतृत्व अध्यक्ष महोदय द्वारा किया गया, ने 24 से 28 सितंबर, 2007 तक सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के एशिया पेसिफिक मंच की 12वीं वार्षिक बैठक में भाग लिया।

11.13 राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों की अंतरराष्ट्रीय समन्वय समिति की विस्तारित ब्यूरो बैठक 12–14 दिसंबर, 2007 को जिनेवा में आयोजित की गई। अध्यक्ष महोदय के नेतृत्व में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रतिनिधिमंडल ने इसमें भाग लिया।

ग. राष्ट्रमंडल सम्मेलन

11.14 भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने 30 और 31 अक्टूबर, 2007 तक ढाका, बांग्लादेश में आयोजित लिंग भेद, सांस्कृतिक और विधि पर राष्ट्रमंडल एशियाई सम्मेलन में भाग लिया।

11.15 भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के महासचिव ने 19 और 20 नवंबर, 2007 तक कम्पाला–यूगांडा में आयोजित राष्ट्रमंडल राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थान मंच में भाग लिया।

11.16 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संयुक्त सचिव ने 17 और 18 मार्च, 2008 तक लंदन, इंग्लैंड में राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा आयोजित वैश्विक आवधिक पुनरीक्षा बैठक में भाग लिया।

घ. राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के साथ सहयोग

11.17 विगत वर्षों में भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने नेपाल राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, काठमांडू और राष्ट्रीय मानवाधिकार केन्द्र, अमान, जॉर्डन में राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, भारत सरकार की तकनीकी सहायता से एक प्रभावी और विकसित शिकायत प्रबंधन तंत्र स्थापित किया। सी.एम.एस एप्लीकेशन को कार्यान्वित करने और प्रक्रिया में लाने के बाद इन आयोगों में विभिन्न उद्देश्यों के लिए एक सुव्यवस्थित और पूरी तरह कम्प्यूटरीकृत डाटाबेस शिकायत प्रबंधन स्थापित किया गया है।

11.18 इस शिकायत निपटान सॉफ्टवेयर को यू.एन.डी.पी. समन्वित क्षमता विकास परियोजना के तत्वाधान में तीन और अन्य स्थानों पर परीक्षण और कार्यान्वित किया गया :–

- **यूगांडा मानवाधिकार आयोग** : आयोग के दो अधिकारियों को यूगांडा मानवाधिकार आयोग की शिकायत निपटान प्रणाली को विकसित करने के लिए 12 से 26 फरवरी, 2007 तक यूगांडा भेजा गया।

- **मालदीव मानवाधिकार आयोग** : भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दो अधिकारियों ने अप्रैल, 2007 में मालदीव मानवाधिकार आयोग का दौरा किया। सी.एम.एस. को उनकी स्थानीय भाषाओं की अपेक्षाओं के अनुसार कार्यान्वित किया गया।

- **रवांडा मानवाधिकार आयोग** : भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के एक अधिकारी ने राष्ट्रीय सूचना केन्द्र के तकनीकी निदेशक के साथ 25 नवंबर से 10 दिसंबर, 2007 तक किगाली में रवांडा मानवाधिकार आयोग का दौरा किया। उन्होंने कीनिया–रवांडा और अंग्रेजी फोंट में उनके सी.एम.एस. को चालू किया।

ङ बैठकें और कार्यशालाएं

i) *राष्ट्रीय स्तर पर पूछताछ पर उपक्षेत्रीय कार्यशाला*

11.19 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 29 अक्टूबर से 1 नवंबर 2007 तक राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के एशिया प्रशांत मंच और मानवीय आधारित कानून, लुंड विश्वविद्यालय, स्वीडन के साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर पर पूछताछ पर एक चार दिवसीय उपक्षेत्रीय कार्यशाला आयोजित की। कार्यशाला में भाग लेने वालों को राष्ट्रीय स्तर पर पूछताछ आयोजित करने की प्रक्रिया का क्रमवार विवरण बताया गया।

ii) *न्यायविदों की सलाहकार परिषद को सुदृढ़ करने पर कार्यशाला*

11.20 भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के एशिया प्रशांत मंच के सहयोग से न्यायविदों की सलाहकार परिषद को सुदृढ़ करने पर 27 और 28 फरवरी, 2007 को नई दिल्ली में एक कार्यशाला आयोजित की।

11.21 इस कार्यशाला में न्यायविदों की सलाहकार परिषद की विशेषज्ञता का उपयोग करने के लिए अत्यधिक प्रभावी कदमों पर विचार करने, संदर्भों का चयन और विकास करने की प्रक्रिया और उनकी सिफारिशों को कार्यान्वित और मॉनिटरिंग करने की प्रक्रिया में सुधार करने, मंच परिषद और न्यायविद्ों की सलाहकार परिषद और राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों और उनके ए.सी.जे. नामांकितियों के बीच संबंधों को सुदृढ़ करने के उपायों पर विचार करने के लिए मंच पार्षदों और न्यायविद्ों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

च. विदेश में यात्रा, सम्मेलन तथा कार्यशालाएं

11.22 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अधिकारियों ने पुनरीक्षाधीन वर्ष के दौरान विभिन्न संगोष्ठियों/कार्यशालाओं/सम्मेलनों आदि कार्यक्रमों में भाग लिया, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- सियोल, दक्षिण कोरिया में दिनांक 5–8 सितम्बर, 2007 तक हुई 7वीं अंतर्राष्ट्रीय निशक्त व्यक्ति विश्व सभा।
- बैंकॉक, थाईलैण्ड में दिनांक 2 से 9 अक्टूबर, 2007 तक "बेसिक्स ऑफ इंटरनेशनल हयूमेनिटेरियन रिस्पान्स" विषय पर हुई कार्यशाला।
- सियोल, दक्षिण कोरिया में दिनांक 9 से 17 अक्टूबर, 2007 तक राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के साथ लेसमेन्ट कार्यक्रम।
- दिनांक 15 से 19 अक्टूबर, 2007 तक फनोम पेन्ह, कम्बोडिया में "मानव अधिकार तथा एशिया प्रशांत क्षेत्र में विस्थापित श्रमिक" विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- दिनांक 19 से 28 नवम्बर, 2007 तक बैंकॉक, थाईलैण्ड में मानव अधिकारों पर क्षेत्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- दिनांक 21 से 25 जनवरी, 2008 तक अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आई एल ओ) द्वारा टयूरिन, इटली द्वारा अपने अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण केन्द्र में आयोजित मजदूरी के लिए बच्चों का अवैध व्यापार तथा विस्थापन विषय पर सुग्राही पाठयक्रम।

छ. आदान प्रदान तथा अन्य विचार विमर्श

11.23 वर्ष 2007–08 के दौरान निम्नलिखित व्यक्तियों/प्रतिनिधिमंडलों ने आयोग का दौरा किया:

i) ईरान की तीन महिला संसद सदस्यों का शिष्टमंडल – 16 अप्रैल, 2007।

ii) फिजी के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश मि0 एन्थनी गेटस – 22 मई, 2007।

iii) एच यू आर ओ एन (नेपाल मानव अधिकार संगठन) का शिष्टमंडल – 18 जुलाई, 2007।

iv) संयुक्त राष्ट्र के राज्य विभाग का चार सदस्यों का शिष्टमंडल – 18 सितम्बर, 2007।

v) लुटियन्स ट्रस्ट, यूनाईटेड किंगडम का शिष्टमंडल – 9 अक्टूबर, 2007।

vi) रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेन्स स्टडीज, यूनाईटेड किंगडम के सदस्य – 10 अक्टूबर, 2007।

vii) हयूमन राईटस वॉच, यूनाईटेड किंगडम के अधिशासी निदेशक मि0 ब्रॉड एडमस – 16 अक्टूबर, 2007।

viii) अखिल भारतीय महिला महासंघ के अधिकारियों सहित भारत में अध्ययन भ्रमण पर आई चीन की एक फील्ड मिशन टीम – 14 नवम्बर, 2007।

ix) "राईट टू एनवॉयरमेन्ट टू दि एन्जॉयमेन्ट ऑफ दि हाईएस्ट अटेनेबल स्टेन्डर्ड ऑफ फिजिकल एण्ड मेन्टल हेल्थ" विषय पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष संपर्ककर्ता मि0 पॉल हन्ट – 23 नवम्बर, 2007।

x) "न्याय सुलभता तथा मानव अधिकार" विषय पर मंगोलिया का शिष्टमंडल – 23 नवम्बर, 2007।

xi) प्रो0 माईकल स्टेन, अधिशासी निदेशक, हॉर्वर्ड प्रोजेक्ट ऑन डिसेबिलिटी, हार्वर्ड लॉ स्कूल, कैम्ब्रिज, मसाचुसेटस, यू0एस0ए0 – 18 से 19 फरवरी, 2008।

xii) सुश्री असमा जहांगीर, "धर्म एवं मत की स्वतंत्रता" विषय पर संयुक्त राष्ट्र की विशेष संपर्ककर्ता – 3 मार्च, 2008।

xiii) मि0 पिऐरे सने, एसिस्टेन्ट डायरेक्टर जनरल, सोशल एण्ड हयूमन साईंसेस सेक्टर, युनेस्को, पेरिस – 4 फरवरी, 2008।

xiv) आईरिश संसद की संयुक्त समिति का प्रतिनिधिमंडल – 11 मार्च, 2008।

xv) राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, रवांडा का प्रतिनिधिमंडल – 29 मार्च से 9 अप्रैल 2008।

xvi) मि0 ईरिक कुरवील, राजनैतिक सलाहकार, जर्मन दूतावास, नई दिल्ली – 11 मार्च, 2008।

❖ ❖ ❖

गैर सरकारी संगठन (एन जी ओ)

अध्याय 12

12.1 आयोग और गैर सरकारी संगठनों के बीच पूर्ण सामंजस्य के अभाव में मानव अधिकारों के संरक्षण एवं प्रचार–प्रसार का विषय गतिमान नहीं हो सकता है। मानव अधिकारों के क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों (एन जी ओ) के प्रयासों को प्रोत्साहित करना आयोग का संवैधानिक दायित्व है। आयोग को गैर सरकारी संगठनों – जो कि देश के दूरस्थ क्षेत्रों में आयोग के आँख–कान का कार्य करते हैं – द्वारा किए जाने वाले गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों संबंधी शिकायतें मिलती रहती हैं। गैर सरकारी संगठनों तथा मानव अधिकारों के क्षेत्र में कार्यरत संस्थानों के प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत गैर सरकारी संगठनों के एक कोर ग्रुप का गठन किया गया है।

12.2 निशक्त व्यक्तियों के अधिकार तथा पर्यावरण संबंधी अधिकार पर विचार विमर्श करने के लिए दिनांक 12 सितम्बर, 2007 को गैर सरकारी संगठनों के कोर ग्रुप की एक बैठक आयोजित की गई।

12.3 निशक्त व्यक्तियों के अधिकारों के कार्यान्वयन एवं मॉनीटरिंग के संबंध में की जाने वाली कार्रवाई तथा परामर्श में निम्नलिखित शामिल हैं – लिंग संबंधी भेदभाव पर विशेष ध्यान देते हुए निशक्त व्यक्तियों की पहचान करने के लिए पंचायतों एवं शिष्ट समाज का सहयोग, निशक्त व्यक्तियों के अधिकारों के बारे में आम जनता में जागरुकता पैदा करना, मानसिक रुप से बीमार व्यक्तियों का पुनर्वास तथा इस संबंध में राज्य सरकारों को अपने कर्तव्यों के प्रति जागरुक कराना, विकलांग व्यक्तियों के लिए बैंक तथा सार्वजनिक परिवहन (बसे, ट्रेन इत्यादि) जैसे सार्वजनिक सुविधाओं को सुलभ बनाना, शहरों एवं गांवों को निशक्त व्यक्तियों के अनुकूल बनाने के लिए अवसंरचना को बेहतर बनाना।

12.4 पर्यावरण संबंधी अधिकार पर विचार विमर्श करते हुए कोर ग्रुप ने एम0जी0के0 मेनन समिति द्वारा घातक अवशिष्ट प्रबंधन के संबंध में की गई सिफारिशों के कमजोर कार्यान्वयन पर और चिन्ता व्यक्त की। इस संबंध में एजबेस्टॉस का जहरीला धुंआ, अनुवांशिक रुप से परिष्कृत बीजों के अनुक्रमिक विशेषतः वर्षा बहुल क्षेत्रों में उनका प्रयोग करने वाले व्यक्तियों की समस्या जिसके कारण किसानों द्वारा आत्महत्याएं की जाती हैं, अभ्यारणयों में बसने वाले लोगों द्वारा अवैध ढंग से शिकार करने और अतिक्रमण करने और बालू के अवैध खनन तथा नए होटलों एवं रिसॉर्ट के निमार्ण के कारण तटों को होने वाले नुकसान आदि जैसे मुददों पर भी विचार विमर्श किया गया।

12.5 आयोग ने दिनांक 28 से 29 अप्रैल 2007 तक बंगलौर में "मानव अधिकारों का बेहतर संवर्धन और संरक्षण हेतु राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सहयोग में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका" विषय पर दो दिवसीय सम्मलेन आयोजित किया।

❖ ❖ ❖

राज्य मानव अधिकार आयोग

अध्याय 13

13.1 मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 21 के अनुसरण में 18 राज्यों आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में राज्य मानव अधिकार आयोगों (एस एच आर सी) का गठन किया जा चुका है। ।

13.2 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग प्रत्येक राज्य में एक राज्य मानव अधिकार आयोग गठित करने का इच्छुक है ताकि देश में प्रत्येक नागरिक के मानव अधिकारों का संरक्षण और संवर्धन किया जाए। जिन राज्यों ने अभी तक आयोग गठित नहीं किए हैं, आयोग द्वारा उन राज्यों से इन्हें जल्दी से जल्दी गठित करने की सिफारिश की गई है। इसके अलावा आपसी सहयोग तथा भागीदारी के क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने और संभावनाएं तलाशने के लिए आयोग ने राज्य मानव अधिकार आयोगों के साथ नियमित बैठकें करने की पहल की है।

13.3 दिनांक 19 नवम्बर, 2007 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग तथा राज्य मानव अधिकार आयोगों की एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में अध्यक्ष ने कहा कि विगत में हुई दोनों पक्षों की बैठकों ने उभरती हुई चुनौतियों से निपटने के लिए संयुक्त रुप से रणनीति बनाने के लिए मजबूत बुनियाद रख दी है। राज्य मानवाधिकार आयोग के सामने आने वाली संरचनात्मक कठिनाईयों पर चिन्ता व्यक्त करते हुए अध्यक्ष ने आगे कहा कि आयोग ने राज्य मानव अधिकार आयोगों को सुदृढ़ बनाने के लिए अपने बजट में विशेष प्रावधान किए हैं। उन्होंने यह इंगित करते हुए कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 में संशोधन करने के बाद आयोग अब राज्य मानव अधिकार आयोग को मामले हस्तांतरित कर सकता है, उन्होंने आश्वस्त किया कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, शिकायत प्रबंधन प्रणाली के साथ–साथ आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, सिविल तथा राजनैतिक अधिकारों संबंधी मानव अधिकारों के संवर्धन एवं संरक्षण के संबंध में राज्य मानव अधिकार आयोगों की क्षमता को बेहतर बनाएगा।

13.4 इस बैठक के बाद दिनांक 4 मार्च, 2008 को नई दिल्ली में राज्य मानव अधिकार आयोगों के सचिवों तथा जिन राज्यों में राज्य मानव अधिकार आयोगों का गठन नहीं हुआ है वहां के नोडल अधिकारियों के बीच एक बैठक हुई।

13.5 राज्य मानव अधिकार आयोगों ने भी आयोग के साथ अलग से बैठकें की। एक प्रतिनिधिमंडल ने जिसमें कर्नाटक राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष, सदस्य, सचिव तथा असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार थे दिनांक 26 और 27 दिसम्बर, 2007 को आयोग का दौरा किया।

13.6 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग तथा राज्य मानव अधिकार आयोगों के बीच आपसी सांमजस्य को दर्शाते हुए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने अप्रैल, 2007 में मुम्बई में महाराष्ट्र राज्य मानव अधिकार आयोग में शिकायत प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन की शुरुआत की।

❖ ❖ ❖

मानवाधिकारों से संबंधित कानूनों, अन्तरराष्ट्रीय संधियों एंव अन्य अन्तरराष्ट्रीय दस्तावेजों की समीक्षा एवं उनका कार्यान्वयन

अध्याय 14

14.1 मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए संविधान अथवा किसी अन्य कानून में उपबंधित सुरक्षापायों की समीक्षा करना और उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सिफारिशें करना आयोग का सांविधिक दायित्व है। इसके अतिरिक्त, यह मानवाधिकारों से संबंधित संधियों एवं अन्य अंतराष्ट्रीय दस्तावेजों की भी समीक्षा करता है और उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सिफारिशें करता है।

मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993

14.2 वर्ष 2006–2007 की वार्षिक रिपोर्ट में आयोग की यह रिपोर्ट थी कि भारत ने मानवाधिकार संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2006 को अन्तिम रूप से अधिसूचित कर दिया है। इसने यह भी सिफारिश की थी कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए संशोधन आयोग की सिफारिशों एवं अपेक्षाओं के मुकाबले पूर्ण नहीं हैं क्योंकि इसमें ऐसे अनेक खण्ड शामिल कर दिए गए हैं जो अंतर्राष्ट्रीय समझौतों से संबंधित आयोग के अधिदेश को सीमित करते है। आयोग संविधान के अनुच्छेद 51 का उल्लेख करना चाहता है जिसमें यह प्रावधान है कि राज्य, संगठित लोगों द्वारा एक–दूसरे के साथ व्यवहार करने से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय विधियों एवं संधियों के दायित्वों के प्रति सम्मान प्रकट करने को बढ़ावा दिए जाने का प्रयास करेंगे। उच्चतम न्यायालय ने अधिनिर्णय दिया है कि न्यायालय देशी विधायन के न होने की स्थिति में, भारत द्वारा की गई अन्तर्राष्ट्रीय संधियों अथवा समझौतों का सम्मान करेगा। यदि अन्तर्राष्ट्रीय विधि के विपरीत कोई स्पष्ट विधायन है तो न्यायालय अपने देश के विधायन को महत्व देगा।

14.3 इसमें आगे उल्लेख है कि हालांकि धारा 2 (1) (घ) में मानवाधिकारों को सभी अर्न्राष्ट्रीय अभिसमयों की धारा 2 (1) (च) के अनुसार भारत मं न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय अर्न्राष्ट्रीय प्रसंविदाओं (आई सी सी पी आर अथवा आई सी ई एस सी आर) के रूप में परिभाषित किया गया है। हालांकि उनका अनुसमर्थन भारत सरकार और भारतीय न्यायालयों द्वारा किया गया है, फिर भी उनका अधिसूचित किया जाना शेष है। अतएव, आयोग ने इस विसंगति को इंगित करते हुए दिसम्बर, 2007 में और फरवरी 2008 में गृह मंत्रालय से यह अनुरोध किया कि इस मामले की जांच की जाए ओर यथोचित अधिसूचना जारी की जाए ताकि इस विरोधाभास को दूर किया जा सके। गृह मंत्रालय द्वारा आयोग को सूचित किया गया कि उसने इस मामले को विदेश मंत्रालय को अग्रेषित कर दिया है। आयोग दोनों मंत्रालयों के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा है।

(ख) शरणार्थियों की स्थिति से संबंधित समझौता 1951 और 1967 का प्रोटोकॉल :

14.4 आयोग ने शरणार्थियों की स्थिति, 1951 और उससे संबंधित 1967 के प्रोटोकाल से संबंधित समझौते के अनुसमर्थन और इस संबंध में एक राष्ट्रीय कानून का अधिनियमन करने की वकालत की है। विगत वर्ष में आयोग ने

शरणर्थियों की सुरक्षा के संबंध में राष्ट्रीय कानून का अधिनियम करने का दायित्व संबंधित मंत्रालयों को सौंपा था। आयोग ने सरकार के उच्च पदाधिकारियों के साथ की कई विस्तृत चर्चा के आधार पर गृह मंत्रालय एवं विदेश मंत्रालय से आवश्यक प्रस्ताव तैयार करने और उसे यथाशीघ्र आयोग को भेजने का आग्रह किया है। इस रिपोर्ट के तैयार होने तक उनका उत्तर प्रतीक्षित है।

(ग) प्रताड़ना एवं अन्य क्रूर, अमानवीय अथवा अपमानजनक व्यवहार या दण्ड के विरूद्ध समझौता 1984

14.5 आयोग के प्रयासों के अनुसरण में, भारत द्वारा वर्ष 1997 में प्रताड़ना के विरूद्ध समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। आयोग, पिछले कई वर्षों से प्रताड़ना के विरूद्ध समझौते का यथाशीघ्र अनुसमर्थन करने की वकालत करता रहा है। पूर्ववर्ती रिपोर्ट में भी, आयोग ने अनुसमर्थन में हो रहे विलम्ब पर गहरी चिंता व्यक्त की थी और सरकार से इसका यथाशीघ्र अनुसमर्थन करने का आग्रह किया था। प्रताड़ना निषेध, देश के घरेलू/आन्तरिक कानून का एक भाग है और इसलिए, अनुसमर्थन के द्वारा केवल इस निषेध को सशक्त बनाया जा सकेगा।

14.6 जैसाकि पिछली वार्षिक रिपोर्ट में उल्लेख किया गया था कि आयोग द्वारा गृह मंत्रालय को इससे संबंधित मसौदागत विधेयक पर अपनी टिप्पणियां संसूचित की गई थी। अगस्त, 2007 में मंत्रालय ने यह प्रत्युत्तर दिया था कि आयोग और अन्य मंत्रालयों/एजेंसियों की टिप्पणियों को विदेश मंत्रालय को भेज दिया गया है। आयोग ने इस मामले को विदेश मंत्रालय के साथ उठाया जिसने यह उत्तर दिया था कि उसने अपने दिनांक 7 सितम्बर, 2007 के पत्र के तहत अपनी टिप्पणी गृह मंत्रालय को भेज दी थी। अक्टूबर, 2007 में आयोग ने अनुसमर्थन की स्थिति के संबंध में जानकारी देने के लिए गृह मंत्रालय से अनुरोध किया था। उत्तर प्रतीक्षित है।

14.7 उच्चतम न्यायालय ने पहले ही इस संबंध में अनेक आदेश जारी किए हैं। भारतीय दण्ड संहिता एवं अन्य विधायनों में प्रताड़ना को अपराध माना गया है। आयोग द्वारा उन घटनाओं में तत्काल आर्थिक राहत प्रदान करने की सिफारिश की गई है जिनमें प्रताड़ना की पुष्टि हुई है। मानवाधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन के प्रयोजनार्थ, आयोग ने भारत संरकार से इस समझौते का यथाशीघ्र अनुसमर्थन करने का पुनः आग्रह किया है।

(घ) जिनेवा समझौता, 1949 के अतिरिक्त, वर्ष 1977 के प्रोटोकॉल

14.8 जिनेवा समझौते 1949 के प्रोटोकॉल 1 में अन्तरराष्ट्रीय सशस्त्र लड़ाई से संबंधित नए नियमों का प्रावधान है और प्रोटोकॉल II में गैर–अन्तर्राष्ट्रीय सशस्त्र लड़ाइयों के संबंध में अंतरराष्ट्रीय मानवतावादी कानून विकसित किए गए है।

14.9 दोनों प्रोटोकॉल पर टिप्पणियां देने के लिए आयोग द्वारा किए गए अनुरोध के प्रत्युत्तर में विदेश मंत्रालय ने सशस्त्र लड़ाई की बदलती हुई प्रकृति का हवाला देते हुए इस संबंध में अन्य एजेंसियों के साथ विस्तृत विचार– विमर्श करने की आवश्यकता पर बल दिया।

(ड़) अशक्त व्यक्तियों के अधिकारों पर समझौता, 2006

14.10 आयोग ने, अशक्त व्यक्तियों के अधिकारों पर एक समझौते का मसौदा तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा दिसम्बर, 2006 में अंगीकार किया गया। आयोग ने, समीक्षाधीन अवधि के दौरान, भारत सरकार के इस समझौते का अनुसमर्थन करने की सिफारिश की। जैसाकि इस वार्षिक रिपोर्ट में पहले उल्लेख किया गया है, आयोग को यह उल्लेख करते हुए हर्ष हो रहा है कि भारत सरकार ने दिनांक 1 अक्तूबर, 2007 को इस समझौते का अनुसमर्थन कर दिया है।

❖ ❖ ❖

अनुसंधान अध्ययन एवं परियोजनाएं

अध्याय 15

15.1 मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 12 (छ) आयोग को मानवाधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य प्रारंभ करने और उसको बढ़ावा देने संबंधी सांविधिक दायित्व प्रदान करता है। इसके अनुसरण में आयोग अपने गठन के पश्चात से ही अनुसंधान अध्ययन एवं परियोजनाएं चलाता रहा है। आयोग द्वारा शुरू किए गए और पूरे किए गए अध्ययनों का ब्यौरा आयोग की वेबसाइट (www.nhrc.nic.in) पर उपलब्ध है। वर्ष 2007–2008 के दौरान शुरू किए गए और किए गए अनुसंधान नीचे दिए गए हैं :

क. पूर्ण अनुसंधान अध्ययन :–

(i) *दिल्ली, गुजरात और महाराष्ट्र के गैर–अधिसूचित एवं खानाबदोश समुदायों की मानवाधिकार स्थिति का अध्ययन :*

15.2 आयोग द्वारा उपर्युक्त अध्ययन का कार्य भाषा अनुसंधान एवं प्रकाशन केन्द्र (बी आर पी सी), बड़ोदा को मार्च 2004 में सौंपा गया। इस अध्ययन का उद्देश्य चिन्हित राज्य में चयनित समुदायों के आर्थिक स्तर और व्यावसायिक प्रणालियों का अध्ययन, पुलिस विभाग द्वारा किए जाने वाले मुठभेड़ के तरीकों का अध्ययन, इन समुदायों से सम्बन्धित व्यक्तियों की हिरासतीय मौतों की घटनाओं का अध्ययन, इन समुदायों के लोगों की विधि जागरूकता एवं इनमें विधि साक्षरता तथा चुनाव प्रक्रियाओं में इन समुदायों की भागीदारी का अध्ययन करना है।

15.3 इस रिपोर्ट को तैयार करते समय, बी आर पी सी द्वारा हाल में ही आयोग की पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी।

ख. नयी अनुसन्धान परियोजना

(i) *महत्वपूर्ण प्रायोगिक राज्यों में प्रि–कन्सेपशन एवं प्रि–नॉटल डाग्नॉस्टिक टेकनीक (प्रोहिब्शन ऑफ सेक्स सेलेक्शन) अधिनियम के कार्यान्वयन को सुदृढ़ करने हेतु अनुसंधान एवं समीक्षा*

15.4 वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में बाल लिंग (1000 लड़कों पर 927 लड़कियों) का घटता हुआ अनुपात अत्यन्त चिंता का विषय है। यह विशेष रूप में पिछले दो दशकों के दौरान सामने आई उस प्रवृत्ति को दर्शाता है जहां जन्म लेने से पूर्व ही बालिकाओं के साथ भेदभाव किया जाता है। लिंग का पता लगाने वाले परीक्षणों की सहज पहुंच के कारण दम्पतियों द्वारा प्रसवपूर्व लिंग चयन की प्रणाली को अपनाने की वजह से लिंग अनुपात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और हाल मे किए गए अनुमानों से पता चलता है कि हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश गुजरात, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एवं संघ शासित क्षेत्र चंडीगढ़ जैसे कतिपय समृद्ध राज्यों में यह अनुपात घटकर 1000 लड़कों की तुलना में 900 लड़कियों से भी कम रह गया है। अतः ऐसी स्थिति बहुत जल्द आ सकती है जब कम पड़ रही

लड़कियों की भरपाई करना, यदि असम्भव नहीं, तो अत्यन्त कठिन अवश्य हो जाएगा। इस भेदभाव पर समाज के सभी वर्गों द्वारा ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है कि लड़कियों को भी लड़कों की भांति ही जीने का अधिकार है। इसके अतिरिक्त, दोनों लिंगों की घट रही संख्या और उसके परिणामस्वरूप आए असंतुलन से हमारा समाज और उसका ढांचा चरमरा सकता है। इस समस्या का समाधान करने के लिए प्रि–कन्सेपशन एवं प्रि–नॉटल डायग्नॉस्टिक टेकनीक (प्रोहिब्शन ऑफ सेक्स सेलेक्शन) अधिनियम, 1994 (पीसीपीएनडीटी) पारित किया गया है किन्तु दंडाभाव के कारण इस कानून का उपहास उड़ाया गया है।

15.5 समीक्षाधीन अवधि के दौरान, आयोग और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या निधि (पीसीपीएनडीटी) ने महत्वपूर्ण प्रयोगिक राज्यों में प्रि–कन्सेपशन एवं प्रि–नॉटल डायग्नॉस्टिक टेकनीक (प्रोहिब्शन ऑफ सेक्स सेलेक्शन) अधिनियम के कार्यान्वयन को सुदृढ़ बनाने के लिए "अनुसंधान एवं समीक्षा" नामक एक संयुक्त अनुसंधान परियोजना प्रारम्भ की। इस अनुसंधान परियोजना का मुख्य उद्देश्य प्रि–कन्सेपशन एवं प्रि–नॉटल डायग्नॉस्टिक टेकनीक (प्रोहिब्शन ऑफ सेक्स सेलेक्शन) अधिनियम (पीसीपीएनडीटी) के अन्तर्गत राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा दर्ज किए गए मामलों की समीक्षा करना और ऐसे मामलों के दर्ज करने में आने वाली बाधाओं की पहचान करना और उन मामलों के सम्बन्ध में अंतिम आदेश पारित करते हुए, अधिनियम के कार्यान्वयन में आने वाली बाधाओं पर ध्यान केन्द्रित करना है। इस अध्ययन में देश के 18 राज्यों को शामिल किया जायेगा। ये राज्य हैं :–आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली।

❖ ❖ ❖

प्रशासन एवं संभार तंत्र सहायता

अध्याय 16

16.1 आयोग के स्टाफ की कुल अनुमोदित संख्या 343 पदों की बनी रही। 31 मार्च, 2008 की स्थिति के अनुसार, 325 अधिकारी एवं कर्मचारी कार्यरत थे और 18 पद रिक्त थे।

क) विशेष सम्पर्ककर्ता:

16.2 आयोग द्वारा, संबंधित राज्य (राज्यों) में नागरिक एवं राजनैतिक अधिकारों, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों; मानवाधिकार उल्लंघनों के क्षेत्र में आयोग से समाधान मांगने और मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के संबंध में नागरिकों का मार्गदर्शन करने के संबंध में, एन एच आर सी के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए प्रतिष्ठित व्यक्तियों को विशेष सम्पर्ककर्त्ता के रूप में नियुक्त करने संबंधी योजना को जारी रखा गया।

ख) कोर–ग्रुप

16.3 आयोग द्वारा गठित विशेषज्ञों के कोर–ग्रुप की सेवाओं को जटिल तकनीकी मुद्दों पर आयोग को सलाह देने के लिए जारी रखा गया। कोर–ग्रुप के सदस्यों ने मानवाधिकारों के कारकों पर अपनी चिंता प्रकट की और आयोग द्वारा उन्हें संदर्भित मुद्दों को सलाह देने में अपने बहुमूल्य समय का योगदान दिया।

ग) राजभाषा का प्रयोग

16.4 आयोग का राजभाषा अनुभाग, आयोग की वार्षिक रिपोर्ट, मासिक समाचार पत्र एवं उसके बजट दस्तावेजों का हिन्दी में अनुवाद करने का कार्य करता है। यह अनुभाग, हिन्दी/क्षेत्रीय भाषाओं में प्राप्त शिकायतों/रिपोर्टों का अंग्रेजी भाषा में भी अनुवाद करता है।

घ) पुस्तकालय

16.5 आयोग का पुस्तकालय, जिसकी स्थापना, अनुसंधान एवं संदर्भ कार्य हेतु, वर्ष 1994 में की गई थी, अब, कम्प्यूटर एवं इन्टरनेट सुविधा सहित एक अभिलेखन केन्द्र का दर्जा प्राप्त कर चुका है। पुस्तकालय की महत्ता को बढ़ाते हुए, वर्ष 2007–08 में एक अभिनव सूचीकरण सेवा – ''वर्तमान विषय सूची'' – का आरम्भ किया गया जिसमें पुस्तकालय में प्राप्त पत्रिकाओं के लेखों को, बृहत विषय शीर्षकों और लेखों के मूल पाठ में प्रयुक्त मुख्य शब्दों के तहत सूचीबद्ध किया जाता है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, पुस्तकालय के संग्रह में मानवाधिकारों से संबंधित 1017 पुस्तकें शामिल की गईं।

❖ ❖ ❖

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

अध्याय 17

17.1 आयोग ने सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 (आर.टी.आई.) के अंतर्गत केंद्रीय जन सूचना अधिकारी के रूप में सूचना और जन सम्पर्क अधिकारी को और अपीलीय अधिकारी के रूप में संयुक्त सचिव (कार्मिक और प्रशासन) को नियुक्त किया है।

17.2 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2008 की अवधि के दौरान सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों और अपीलों का विवरण निम्न प्रकार है:

1	प्राप्त आवेदनों की संख्या	872
2	30 दिनों के भीतर निपटाए गए आवेदनों की संख्या	872
3	उन लंबित आवेदनों की संख्या जिन्हें एक माह के उपरान्त निपटाया गया	कोई नहीं
4	उन लंबित अवेदन की संख्या जो एक माह से कम अवधि की है।	कोई नहीं
5	अन्य मंत्रालयों/विभागों/संगठनों को स्थानांतरित आवेदनों की संख्या	13

पहली अपीलों का विवरण

1	अपीली प्राधिकारी को प्राप्त अपीलों की संख्या	12
2	एक माह के भीतर निपटाई गई ऐसी अपीलों की संख्या	12
3	लंबित अपीलों की संख्या	कोई नहीं

मुख्य सूचना आयोग को भेजी दूसरी अपीलों का विवरण

1	केंद्रीय सूचना आयोग से प्राप्त नोटिसों की संख्या	कोई नहीं
2	केंद्रीय जन सूचना अधिकारी/अपीली प्राधिकारी द्वारा सुनवाईयों में भाग ली गई सुनवाईयों की संख्या	कोई नहीं
3	उन सुनवाईयों की संख्या जिनके संबंध में केंद्रीय सूचना आयोग को अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।	कोई नहीं
4	उन सुनवाईयों की संख्या जिनके संबंध में केंद्रीय सूचना आयोग को अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई।	कोई नहीं

❖ ❖ ❖

अध्याय 18

मुख्य सिफारिशों एवं संस्तुतियों का सार

18.1 इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता कि एक प्रभावी संवैधानिक, विधायी एवं संस्थागत ढांचा होने और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा उपलब्धियों का रिकार्ड बनाए जाने के बावजूद, स्वतन्त्रता प्राप्ति के आधी शताब्दी बाद भी, भारत में मानव अधिकारों का संरक्षण और संवर्धन, सरकार और इसकी एजेन्सियों के साथ–साथ बहुत हद तक समाज के लिए एक कठिन चुनौती बना हुआ है। मानव अधिकारों की पूर्ण प्राप्ति में आड़े आने वाली पुरानी और नई बाधाओं में गरीबी, अशिक्षा, भ्रष्टाचार, आतंकवाद के कृत्यों में वृद्धि और मानव अधिकारों से सम्बन्धित कई विद्यमान कानूनों को कार्यान्वित करने में दृढ़ राजनीतिक एवं प्रशासनिक इच्छा शक्ति की कमी शामिल हैं। आज हमारे समक्ष उपस्थित चुनौती, इन समस्याओं से निपटने और मानव अधिकारों से सम्बन्धित संवैधानिक गारन्टियों, अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं और घरेलू कानूनों को कार्यान्वित करने की है। संघ और सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र के प्रशासनों, स्वायत्त निकायों, सभ्य समाज और नागरिकों के प्रयास इस दिशा में होने चाहिए।

18.2 कई राज्य सरकारों/संघ शसित क्षेत्र प्रशासनों और केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों ने आयोग की पूछताछ, नोटिसों और सिफारिशों पर कार्रवाई न करके – या प्रभावी कार्रवाई न करके– आयोग के कार्य में देरी की है। यह उल्लेख करते हुए दुख हो रहा है कि आयोग के समक्ष प्रस्तुत कई मामलों का समाधान अभी तक भी नहीं हुआ है क्योंकि सम्बन्धित राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के कार्यालय द्वारा इनका उत्तर नहीं दिया गया अथवा किसी मामले में आयोग के आदेशों का अनुसरण नहीं किया गया अथवा अनुवर्ती कार्रवाई को रिपोर्ट नहीं दी गई। **(पैरा 1.10)**

18.3 अतः कुल मिलाकर इसके परिणाम को आयोग के समक्ष लम्बित पड़े मामलों के रूप में नहीं मापा जाना चाहिए बल्कि इसे ऐसे व्यक्तियों की संख्या के रूप में मापा जाना चाहिए जो अपने अधिकारों से वंचित हो गए है और ऐसे अभियुक्तों की संख्या के रूप में मापा जाना चाहिए जिन्हें मानव अधिकारों का उल्लंघन करने के बावजूद भी दंडित नहीं किया जा सका है। यह सब घटित होना निःसंदेह दुख का विषय है जबकि भारत में मानव अधिकार प्रदान करने और उनकी गारन्टी देने से सम्बन्धित कानून हैं और इन अधिकारों के संरक्षण के लिए आयोग जैसी संस्थाएं है जो लोगों के संरक्षक के रूप में कार्य करती है। **(पैरा 1.11)**

18.4 आयोग, सभी पणधारियों से, इस मुद्दे को अपेक्षित तात्कालिकता देने का पुनः अनुरोध करने के लिए, इस वार्षिक रिपोर्ट द्वारा पेश किए गए मंच को एक बार फिर से प्रयोग करना चाहेगा। सभी सरकारी मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को अनिवार्य रूप से अपना ध्यान, आयोग की उन सिफारिशों, आदेशों और जांच पर तहे दिल से केन्द्रित करना होगा, जो उनकी बिसर चुकी फाईलों में अभी तक लम्बित हैं और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करनी होगी ताकि उन सभी लोगों को राहत प्रदान की जा सके जो अपने अधिकारों से वंचित हो चुके हैं। जब किसी व्यक्ति के ऐसे अधिकारा की बहाली होती है जिससे वह वंचित हो चुका था या उस व्यक्ति पर कारित हिंसा के लिए उसे क्षतिपूर्ति दी जाती है तो यह मानवता है जिसकी अंततः जीत होती है। **(पैरा 1.12)**

आतंकवाद एवं उग्रवाद

18.5 हाल ही के वर्षों में नागरिक स्वतन्त्रताओं और मानव अधिकारों के मुद्दे, विशेषकर भारत जैसे देश जो आतंकवाद एवं उग्रवाद जैसी महाविपत्ति का सामना कर रहा है, में अधिक जटिल हो गए हैं। अपनी पिछली वार्षिक रिपोर्ट में आयोग ने निरन्तर यह इंगित किया है कि आतंकवाद और उग्रवाद का लक्ष्य समाज और राजय को अस्थिर करना है। अतः यह आवश्यक है कि इनसे लड़ा जाए और इन्हें इनके सभी रूपों और उद्देश्यों मे मात दी जाए। मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए इसका अत्यन्त महत्व है। तथापि, यह सब ऐसे तरीके से किया जाना चाहिए जिससे गणराज्य का संविधान और कानून का शासन सर्वोपरि रहे। **(पैरा 5.1)**

18.6 आतंकवाद रोधी और उग्रवाद रोधी उपायों का प्रयोग अनिवार्य रूप से इन कृत्यों के सूत्रधारों अथवा इन्हें प्रोत्साहित करने वालों के विरूद्ध किया जना चाहिए न कि निर्दोष नागरिकों के विरूद्ध। आयोग, राज्य एजेन्सियों द्वारा आतंकवाद और उग्रवाद से निपटने के लिए किए जाने वाले उपायों के दौरान निर्दोष नागरिकों के मानव अधिकारों के हनन की वर्षों से भर्त्सना करता रहा है। इस प्रकार का हनन प्रायः विधि–विरूद्ध गिरफ्तारी, हिरासतीय हिंसा, प्रताड़ना और पुलिस एवं अन्य विधि प्रवर्तन एजेन्सियों द्वारा शक्ति का दुरूपयोग करने के रूप में होता है इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि समय–समय पर देने वाले मानवाधिकारों के उल्लंघन से अक्सर अशांति और विवाद पैदा होते है। यदि इस स्थिति की उपेक्षा की जाए तो उससे आतंकवाद और उग्रवाद के लिए जमीन तैयार होती है। सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक असमानता भी अपनी हद तक राज्य में और उसके बाहर, अशांति और विवादों को जन्म देती हैं। चूंकि आतंकवाद और उग्रवाद के सामाजिक–आर्थिक आयाम काफी गहरे पैठ चेके हैं अतः आयोग का यह विचार है कि देश से आतंकवाद एवं उग्रवाद के निवारण और उसका खात्मा करने के लिए कानूनों का प्रभावी प्रवर्तन और सुशासन, दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। **(पैरा 5.2)**

18.7 तदनुसार, आयोग हमेशा ही कुछे ऐसे उपायों की वकालत करता आ रहा है कि जिससे राज्य प्रधिकारी के मानवाधिकारों का उल्लंघन किए बिना आतंकवाद और उग्रवाद प्रभावी तरीके से निपटने में समर्थ हो सकेंगे । आयोग में राज्यों के ''उपयुक्त प्रक्रिया अपनाने'' कानून का पालन करने, आतंकवाद और उग्रवाद से निपटते समय विद्यमान कानूनों की परिधि में कार्य करने के बारे में दिशा निर्देश जारी किए है। आयोग, जो हिरासत में होने वाली मौतों और मानव अधिकारों उल्लंघन के अन्य आरोपों के बारे में केन्द्र एवं राज्यों से नियमित रूप से रिपोर्टें मंगवाता है, ने राज्य की विभिन्न एजेन्सियों द्वारा आतंकवाद एवं उग्रवाद से निपटने के नाम पर ही जाने वाली कार्रवाई में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। आयोग ने, इस बुराई से निपटने के कार्य में लगे सभी लोगों को, मानव अधिकार जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से सुग्राही बनाने के लिए विशेष प्रयास भी किया है। **(पैरा 5.3)**

हिरासतीय हिंसा एवं प्रताड़ना

18.8 आयोग का हमेशा से ही यह मत रहा हैं कि जब कभी भी किसी व्यक्ति को उसकी आजादी से वंचित किया जाता है और संबंधित प्रधिकारी द्वारा, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार उसे हिरासत मं दिया जाता है तो प्रधिकारी की यह जिम्मेदारी बन जाती है कि उसको पूरा संरक्षण दिया जाए, जिसमें उसके सभी मूलभूत अधिकारों की आपूर्ति करना हैं, जैसे जीवन का अधिकार, भोजन का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार इत्यादि प्रताड़ना सहित हिरासतीय हिंसा कानून के शासन को कमजोर बनाती है। किसी व्यक्ति के खूंखार अपराधी अथवा समाज के लिए

खतरा बन जाने की सम्भावना मात्र के कारण, पुलिस अथवा अन्य प्राधिकारियों को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी अन्य रूप में, उस व्यक्ति को उसके मानव अधिकारों से वंचित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। यह पुलिस का इस बात का लाईसेंस भी नहीं देता है कि पुलिस उससे सूचना प्राप्त करने के लिए उसे प्रताड़ित करे। **(पैरा 5.4)**

हिरासत में होने वाली मौतें

18.9 हिरासत में होने वाली हिंसा को रोकने के लिए उठाए गए एक महत्वपूर्ण कदम में आयोग ने 1993 में सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों को यह दिशा–निर्देश जारी किए थे कि पुलिस और न्यायिक हिरासत में होने वाली सभी मौतों, प्राकृतिक और अप्राकृतिक, की सूचना घटना घटित होने के 24 घन्टे के भीतर दी जाए। इन निदेशों का संख्ती से अनुपालन किया जा रहा है और किसी प्रकार के उल्लंघन के लिए प्रधिकारियों को उत्तरदायी ठहराया जा रहा है। एन. एच.आर.सी. ने आगे यह निदेश दिया कि पुलिस हिरासत में होने वाली मौत के मामले में, शव–परीक्षण की वीडियोग्राफी करवाई जाए और उसका वीडियो टेप आयोग को भेजा जाए। इन उपायों से आयोग, पुलिस और अन्य लोक सेवकों द्वारा हिरासत में की जाने वाली प्रताड़ना और हिंसा पर रोक लगाने में सक्षम हो सका है। आयोग में हिरासत में होने वाली हिंसा/मौतों के प्रति यह कहते हुए सावधान किया है कि कानून प्रवर्तन अधिकारियों के हिंसक व्यवहार से अव्यवस्था फेलेगी और उनके लिए अवभावना का मामला बनेगा। एन.एच.आर.सी का यह विश्वास है कि हिरासत में होने वाले अपराधों में कमी लाने का एक उपाय, प्रताड़ना और अत्याचार इत्यादि सहित प्रताड़ना और हिंसा से संबधित सभी प्रकार की हिरासतीय हिंसा करने वालों के विरूद्ध अभियोजन सहित कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करना है। ऐसे कई मामलों में, आयोग ने लापरावाह अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की है और पीड़ितों के निकट सम्बन्धियों को नकद राहत प्रदान की है। तथापि, बहुत से मामलों में प्रधिकारियों द्वारा विभागीय कार्रवाईयों में दी गई सजा, किए गए अपराध से मेल नहीं खाती है। **(पैरा 5.5)**

जेलों की परिस्थितियाँ

18.10 आयोग ने बार–बार इस बात पर जोर दिया है कि कैदियों के मानव अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है और परिरूद्धता या कैद में होने के कारण मात्र से उनके अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता। उन्हें उनके द्वारा कारित कतिपय अपराधों (आरोपित अथवा सिद्ध हो चुके, जैसा भी मामला हो) के लिए अपेक्षित कानूनी प्रक्रिया के कारण उनकी स्वतन्त्रता से अस्थायी रूप से वंचित किया गया है। उन्हें कारागार में, अपराध प्रतिरोधक के रूप में केवल सजा भुगतने के लिए ही नही रखा जाता है बल्कि उन्हें सुधारने के लिए भी रखा जाता है। **(पैरा 5.10)**

18.11 आयोग ने हमेशा ही इस बात पर जोर दिया कि अप्रताड़ना और किसी भी प्रकार के क्रूर, अमानवीय और अभद्र वयवहार अथवा सजा को पूर्णतः निषिद्ध किया जाए। आयोग ने यह उल्लेख भी किया है कि अपेक्षित कानूनी प्रक्रिया द्वारा कैदियों के, परिवार से सम्पर्क करने के अधिकार को प्रतिबंधित किया जा सकता परन्तु इस पूर्णतः समाप्त नहीं किया जा सकता । साथ ही साथ इसने इस बात पर भी जोर दिया हैं कि महिला केदियों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए **(पैरा 5.11)**

18.12 आयोग द्वारा, पिछले कई वर्षों से, जेलों के हालातों को सुधारने के लिए दिशा–निदेश दिए गए हैं जांच पड़ताल करने के बाद प्रेक्षण दिए गए हैं और कई अन्य उपाय किए गए हैं ताकि कैदी अपना जीवन गरिमा से जी सकें और अधिनिर्णय का इंतजार करते समय तथा सज़ा काटते हुए अपने अधिकारों का उपयोग कर सकें। **(पैरा 5.12)**

18.13 आयोग ने उड़ीसा सरकार से बहुत से प्रेक्षण और सिफारिशें की हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं: (क) भारत में जेलों के अधीक्षण एवं प्रबन्धन के सम्बन्ध में पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, गृह मंत्रालय द्वारा सन् 2003 में तैयार की गई मॉडल कारागार संहिता के प्रावधानों को पारित हुए लगभग पांच वर्ष बीत चुके हैं। तथापि, इन्हें उड़ीसा के 70 जेलों के सम्बन्ध में अंगीकृत और कार्यान्वित किया जाना अभी बाकी है। इस उद्देश्य के लिए गठित समिति की कोई बैठक नहीं हुई। समिति के कार्य को शीघ्र निटाए जाने और इसे सौंपे गए कार्यों को आरम्भ करने और पूरा करने के लिए एक निश्चित समय–सीमा निर्धरित किए जाने की आवश्यकता है। (ख) उड़ीसा सरकार के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय हिरासतीय/दंडात्मक परामर्शी समिति गठित की जा सकती है जिसमें सरकार के गृह, वित्त, विधि, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, राजस्व, महिला एवं बाल विकास विभागों के सचिवों और उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार को सदस्यों के रूप में शामिल किया जा सकता है। साथ ही साथ जैसा कि मॉडल कारागार संहिता मं सिफारिश की गर्ठ है, मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार प्राप्त कारागार विकास बोर्ड का गठन किया जा सकता है, जिसमें कारागारों के प्रभारी मंत्री को उपाध्यक्ष और सरकार के गृह, वित्त, राजस्व और विधि विभागों के सचिवों को सदस्य के रूप में शामिल किया जा सकता है। **(पैरा 5.16 और 5.19)**

कारागारों में कैदियों की संख्या का विश्लेषण

18.14 आयोग, जेल आकड़ों का साल में दो बार संकलन और विश्लेषण करता है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, इसने 30जून 2006 तक के आकड़ों का विश्लेषण किया है। देश के जेलों में कैदियों की कुल संख्या 3,65,431 थी जो पिछले समकालीन अवधि (30 जून 2005) की संख्या, 3,50,346 से 4 प्रतिशत अधिक है। सभी जेलों और उप–जेलों की प्राधिकृत क्षमता जो कि 2,57,348 है को देखते हुए दिनांक 30 जून 2005 की स्थिति (जब क्षमता कुछ कम थी) की तुलना में देश भर की जेलों में समग्र रूप से 42% अधिक कैदी थे। दस राज्यों–राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली, सिक्किम, गुजरात, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेशा, मध्य प्रदेश और उड़ीसा – में प्राधिकत क्षमता से 53% से 128% कैदी अधिक थे। **(पैरा 5.20)**

18.15 दिनांक 30 जून, 2006 की स्थिति के अनुसार विचारणाधीन कैदियों की संख्या, जेलों के कैदियों की कुल संख्या का 69.2% थी जो पिछले वर्ष के 70.6% से कुछ कम थी। नौ राज्यों संघ शासित क्षेत्रों दादरा एवं नगर हवेली (100%), लक्षद्वीप (100%), मेघालय (93.0%), मणिपुर (90.3%), दमन एवं दीप (87.5%), जम्मू एवं कश्मीर (85.7%), बिहार (85.7%), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली (81.8%), और चंडीगढ़ (80.1%) में विचारणाधीन कैदियों की संख्या, जेलों के कैदियों की कुल संख्या का 80% से अधिक थी। पुनरीक्षाधीन वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश, राज्य, अपने विचारणाधीन कैदियों की संख्या, कुल कैदियों की संख्या के अनुपात में 80% से कम करने में सफल हुआ **(पैरा 5.23)**

18.16 देश के कैदियों की कुल संख्या की तुल में महिला कैदियों का प्रतिशत, पिछले वर्ष के समान अर्थात् 3.9% ही रहा। इस संबंध में, मिजोरम (15.5%), 2002 से सभी पाचों विश्लेषणों में लगातार उपर रहा है। इसके बाद दमन एवं द्वीप (10.2%), तमिलनाडु (8%), चंडीगढ़ (6.7%), पश्चिम बंगाल (6.2%), पंजाब और आंध्र (5.2%) रहा है। **(पैरा 5.23)**

18.17 पूरे देश में 1,732 बच्चे (6 वर्ष तक के आयु के) अपनी माताओं के साथ जेलों में रह रहे थे। उत्तर प्रदेश में इनकी संख्या सबसे अधिक अर्थात् 323 थी इसके बाद पश्चिम बंगाल (264), मध्य प्रदेश (184), महाराष्ट्र (152) और झारखंड (141) का नम्बर आता है। **(पैरा 5.25)**

मानवाधिकार उल्लंघन के मामले

18.18 पुनरीक्षाधीन वर्ष के दौरान आयोग के पास जांच के लए कुल 1,32,497 मामले थे (इनमें पिछले वर्षों के अग्रेनीत मामले भी शामिल है) आयोग द्वारा, दिनांक 1 अप्रैल, 2007 से दिनांक 31 मार्च, 2008 के बीच 1,02,848 मामलों का निपटान किया गया। दिनांक 31 मार्च 2008 की स्थिति के अनुसार आयोग के पास लम्बित मामलों की कुल संखया 29. 649 थी। **(पैरा 6.2)**

18.19 वर्ष 2007–08 के दौरान आयोग के पास 1,00,616 मामले दर्ज हुए जो कि एक रिकार्ड है, जबकि 2006–07 में यह संख्या 82,233 थी। पुनरीक्षाधीन वर्ष के दौरान दर्ज किए गए मामलों में से 98,332 मामलों शिकायतों के थे, 108 मामले आयोग द्वारा स्वतः संज्ञान में लिए गए मामले से थे। हिरासत में हुई मौतों से सम्बन्धित मामलों की संखया 188, न्यायिक हिरासत में मौतों के 1789 मामले, रक्षा/अर्धसैनिक बलों की हिरासत में मृत्यु के 4 मामले, हिरासत में हुए बलात्कार के मामलों की संख्या 18 और पुलिस मुठभेड़ के मामलों की संखया 177 थी। **(पैरा 6.3)**

18.20 पूर्व की भांति सबसे अधिक शिकायते अर्थात् 58,865 जो कि कुल का 58.50 प्रतिशत है, उत्तर प्रदेश में दर्ज की गई, उत्तर प्रदेश के बार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली का नम्बर आता है, जहां दर्ज की गई शिकायतों की संखया 6,210 थी। 4,595 शिकायतों के साथ बिहार तीसरे नम्बर पर था राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली और बिहार में रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान कई राज्य मानवाधिकार आयोग नहीं थे। उत्तर प्रदेश में राज्य मानवाधिकार आयोग, अध्यक्ष और सदस्यों के रिक्त पदों के न भरने से निष्क्रिय बना रहा। **(पैरा 6.4)**

18.21 वर्ष 2007–2008 के दौरान निपटाए 1,02,848 मामलों मेसे 63,763 मामलों को – प्रथम दृष्टया खारिज कर दिया गया, जबकि 26,600 मामलों का निपटान करते हुए समचित प्राधिकारियों को निदेश दिए गए। 1,576 मामले, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसरण में, राज्य मानव अधिकार आयोगों को स्थनान्तरित कर दिए गए। **(पैरा 6.5)**

18.22 आयोग ने, सम्बन्धित प्राधिकारियों से रिपोर्टें मंगवाने के उपरान्त, बलात्कार के 3 मामलों सहित हिरासत में होने वाली मौतों की सूचनाओं से सम्बन्धित 747 मामलों, मुठभेड़ से हुई मौतों के 62 मामलां और 10,100 अन्य मामलों का निपटान किया। शामिल की गई अंतिम श्रेणी में तथाकथित गुमशुदगी (32), गैर कानूनी नगरबड़ी (675), और अवैध गिरफ्तारी (318), झुठे मामलों में फंसाना (254), हिरासतीय हिंसा (2), नकली मुठभेद (57), उपयुक्त कार्रवाई करने में असफलता (1589) और अन्य तथाकथित पुलिस ज्यादतियों (2.623) के मामले हैं **(पैरा 6.5 और 6.6)**

18.23 उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 12 दिसम्बर, 1996 के अपने आदेश द्वारा, पंजाब में बड़ी संख्या में मृतकों का अंतिम संस्कार करने का मामला राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को सौंपा। यह मामला पंजाब के कुछ मांगों से पुलिस द्वारा किए अपहरण के कारण लोगों के लापता होने से सम्बन्धित था। जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि पुलिस द्वारा वर्ष 1984 के बीच, अमृतसर, मजीठा और तरनतारन जिलों में 2,097 शवों का गुप्त रूप से अंतिम संस्कार कर दिया गया था। आयोग की पिछली वार्षिक रिपोर्टों में आयोग द्वारा इस संबंध में की गई कार्रवाई का पूरा विवरण दिया गया है। आयोग ने 11 नवम्बर 2004 की कार्यवाही के जरिए उन प्रत्येक व्यक्तियों के नजदीकी रिश्तेदार को 2,50,000

रू का मुआवजा दिया जो मृत्यु के समय पंजाब पुलिस की हिरासत में थे। बाद में आयोग ने अपने दिनांक 10 अक्टूबर 2006 के प्रदेश के तहत प्रत्येक मृतक के नजदीकी रिश्तेदार को 1,75,000 रू का मुआवजा देने की सिफारिश की जिनका दाह संस्कार, पंजाब राज्य द्वारा, पंजाव पुलिस नियमावली, दिशानिर्देश, वैधानिक कार्यवाही और माननीय कानून के बगैर कर दिया गया। आयोग ने दिनांक 31 मार्च, 2008 तक 195 मृतकों के निकट सम्बन्धियों को 2,50,000 रूपये प्रत्येक की दर से, 4,87,50,000 रूपये की राशि और 1,193 मृतकों के निकट सम्बन्धियों को 1,75,000 रूपयें प्रत्येक की दर से 20,87,75,000 रूपये की राशि प्रदान की। इस प्रकार आयोग द्वारा 1,388 मृतकों के निकट सम्बन्धियों को कुल 25,75,25,000 रूपये (पच्चीस करोड़ पिचहत्तर लाख पच्चीस हजार रूपय) की राशि प्रदान करने की सिफारिश की गई थी। **(पैरा 6.11 एवं 6.12)**

18.24 आयोग को किसी संज्ञेय अपराध की रिपोर्ट दर्ज करने में आनाकानी करने अथवा मामले को दर्ज करते समय अपराध की गम्भीरता को कम कर देने के बारे में पुलिस थानों के अधिकारियों द्वारा बरती जाने वाली लापरवाही शिकायतें बड़ी संख्या में प्राप्त हुई हैं। किसी पुलिस थाने के प्रभारी द्वारा ऐसा करना, उसे दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय XII, विशेषकर दंड प्रक्रिया संहिता की धरा 154 के प्रावधानों के तहत सौपें गए संवैधनिक दायित्वों का गम्भीर उल्लंघन है। इसे दांडिक न्याय प्रदान करने की प्रणाली पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। आयोग यह सिफारिश करता है कि सभी राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों द्वारा सम्बन्धित पुलिस कार्मिकों को यह निदेश जारी किए जाएं कि वे रिपोर्ट दर्ज करते समय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के प्रावधानों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करें। **(पैरा 6.14)**

18.25 आयोग ने 2007–2008 के दौरान हिरासत में मौतों के मामलों सहित 199 मामलों में पीड़ितों/पीड़ितों के निकट सम्बन्धियों को 3,20,00,000 रूपये की नकद सहायता/क्षतिपूर्ति देने की सिफारिश की हैं। आयोग ने, इन 199 में से 9 मामलों में अनुशासनात्मक कार्रवाई करने और चूक करने वाले 2 मामलों में मुकदमा चलाने की सिफारिश भी हैं। अनुशासनात्मक कार्रवाई किए जाने की सिफारिश की। इसके अतिरिक्त 2 मामलो में केवल अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की सिफारिश भी की थी। **(पैरा 6.284)**

18.26 आयोग को 112 मामलो की अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त हुई है और पीड़ितों/पीड़ितों के निकट सम्बन्धियों को 1,95,10,000 रूपये की नकद सहायता प्रदान की जा चुकी है। 5 अन्य मामलों – जिनमें लापरवाह पुलिस अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई किए जाने थे – की अनुपालन रिपोर्टें भी प्राप्त हुई है। 89 मामलों में अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है। **(पैरा 6.285)**

चिकित्सकीय देखभाल की उपलब्धता

18.27 आयोग ने अपनी पहले चिकित्सकीय देखभाल की उपलब्धता की सिफारिशों के कार्यान्वयन की पुनरीक्षा करने के लिए 30 अग्रस्त 2007 को नई दिल्ली में, एम.सी.आई. इंडियन नर्सिंग काऊन्सिलिंग और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ बैठके की। आयोग ने, ग्रामीण एवं दूर–दराज के क्षेत्रों में डाक्टरों एवं नर्सों की कमी को पूरा करने के लिए निम्नलिखित कार्य बिन्दुओं को सूचीबद्ध किया है।

- एम.बी.बी.एस. विद्यार्थियों के लिए, पंजीकरण से पहले एक वर्ष तक गांवो में कार्य करना अनिवार्य बनाने के लिए सरकार द्वारा, भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम में आवश्यक परिवर्तन करने चाहिए। अधिनियम में 'ग्रामीण' शब्द का अर्थ भी स्पष्ट किया जाना चाहिए।

- सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों द्वारा छत्तीसगढ़ ग्रामीण स्वास्थ्य अधिनियम अथव असम ग्रामीण स्वास्थय अधिनियम को, समुचित संशोधनों सहित, अंगीकार किया जाना चाहिए अथवा ऐसा ही कोई समरूप विधान पारित करना चाहिए जिसमें, मेडिसन एवं पब्लिक हैल्थ में तीन–वर्षीय डिप्लोमा धारक व्यक्तियों द्वारा राज्य/संघ शासित क्षेत्र में प्रैक्टिस करने का प्रावधान हो ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में डाक्टरों की कमी को पूरा किया जा सके।
- सरकारी अस्पतालों और निजी मैडिकल कॉलेजों के बीच सार्वजनिक–निजी भागीदारी का मार्ग बनाने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा अपने मानदंड़ो को नरम बनाने/उनमें छूट देने की सम्भावनाओं की तलाश की जानी चाहिए।
- नर्सों की कमी, विशेषकर दूर–दराज के इलाकों में, से निपटने के लिए देश के सभी जिला अस्पतालों के अपने नर्सिंग महाविद्यालय होने चाहिए। आयोग, जिला स्तर पर 230 नर्सिंग महाविद्यालय स्थापित करने के लिए योजना आयोग से, स्थास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को और अधिक निधियां उपलब्ध कराने की सिफारिश भी करता है।
- नर्सिंग कांउसिल ने नर्स प्रैक्टीशनर कोर्स के लिए 14 विशिष्ट क्षेत्रों का उल्लेख किया है जिनमें से नौ क्षेत्रों के पाठयक्रमों को अन्तिम रूप दिया जा चुका है। ग्रामीण क्षेत्रों में नर्सों, एनेसथिस्यिटों जैसे विशेषज्ञों एवं स्त्री रोग विशेषज्ञों की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से परिषद् द्वारा शेष बचे हुए विशिष्ट क्षेत्रों के पाठयक्रमों का निर्धारण भी किया जाना चाहिए।
- भारतीय चिकित्सा परिषद, मनोरोग चिकित्सा में स्नातकोत्तर पाठयक्रमों की आवश्यकता के बारे में चिकित्सा महाविद्यालयों के बीच अधिक जागरूकता पैदा करेगी ताकि इस क्षेत्र में मानवशक्ति की कमी को पूरा किया जा सके। **(पैरा 7.8)**

18.28 आयोग ने ग्रामीण क्षेत्रों में तैनाती सम्बंधी मामले के स्वास्थ्य और कल्याण मंत्रालय के साथ निम्न रूप से आया हैः– एम.बी.एस.एस विद्यार्थियों के नियमित विशिष्ट प्रशिक्षण के साथ–साथ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में एक वर्ष की अनिवार्य ग्राम सेवा करनी चाहिए। इस प्रक्रिया को चलाने के लिए उन्हें एम.बी.एस.एस की पढ़ाई पूरी कर लेने के बाद प्रैक्टिस के लिए अनन्तिम पंजीकरण प्रदान किया जाना चाहिए। एक वर्ष की अनिवार्य ग्राम सेवा पूरा करने के बाद ही उन्हें स्थायी पंजीकरण एवं उपाधि दी जानी चाहिए। यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से कि एम.बी.बी.एस की पढ़ाई के वर्षों में काई बढ़ोतरी न हों, अनिवार्य ग्राम सेवा हो, स्नातकोत्तर उपाधि की अनिवार्य पूर्व–अपेक्षताओं में से एक बनाया जाना चाहिए। **(पैरा 7.9)**

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की संस्तुतियों का अनुवर्तन

18.29 आयोग ने यह सिफारिश भी की थी कि एम.सी.आई और आई एन.सी. द्वारा नर्स प्रैक्टीशनरों के पाठयक्रम का पुनरीक्षण करने और इसे मान्यता प्रदान करने के लिए एक तरीका खोजे जाने की आवश्यकता है। **(पैरा 7.13)**

18.30 चिकित्सकीय प्रशिक्षण के भाग के रूप में अनिवार्य ग्रामीण अटैचमैंट को पाठ्यक्रम के अनिवार्य हिस्से के रूप में आयोग की संस्तुतियों के प्रत्युत्तर में, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा कि वे एक वर्ष के अनिवार्य ग्रामीण अटैचमैंट कार्यक्रम के प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं। डॉक्टरों का पंजीकरण तभी किया जाएगा जब उनका ग्रामीण अटैचमैंट पूरा होगा। एम सी आई ने आयोग को यह भी सूचित किया कि उन्होंने आयोग द्वारा 'अमरजैंसी मेडिसिन' को

स्पेश्यलिटी के रूप में विकसित करने की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और उसे जल्द ही आरंभ कर दिया जाएगा **(पैरा 7.14 और 7.15)**

18.31 आयोग यह इंगित करना चाहेगा कि आयोग की अन्य महत्वपूर्ण सिफारिशों जैसे कि नर्स प्रैक्टीशनर पाठयक्रम को मान्यता प्रदान करना; मूल निवारणात्मक एवं नैदानिक स्वास्थ्य सेवाओं पर तीन–वर्षीय डिप्लोमा कोर्स; और मानदंडों में छूट प्रदान करना ताकि और अधिक विद्यार्थी मनोरोग चिकित्सा की पढ़ाई का विकल्प चुने और इस प्रकार देश में मनोरोग चिकित्सकों की कमी को पूरा किया जा सके, पर एम.सी.आई द्वारा अभी कार्रवाई की जानी है। आयोग यह दोहराता है कि यह मानव अधिकारों से सम्बन्धित ज्वलन्त मुद्दे हैं क्योंकि यह स्वास्थ्य के अधिकार की गारन्टी है। अतः आयोग, भारतीय चिकित्सा परिषद से यह अनुरोध करता है कि वह आयोग द्वारा की गई इन सकारात्मक एवं प्रतिकारी सिफारिशों का शीघ्र अनुपालन करे। देश में मनोचिकित्सकों की कमी के संबंध में एम सी आई ने आयोग को यह सूचित किया कि वह मेडिकल कॉलेजों में इस विषय के संबंध में जागरूकता पैदा करेगा। आयोग ने एम.सी.आई. को अपने मानदण्ड़ों से भी छूट देने का आग्रह किया ताकि मनोचिकित्सक पाठ्यक्रम के विद्याथियों को इस विषय की ओर आकर्षित कर सके। **(पैरा 7.16 और 7.17)**

सिलिकोसिस

18.32 अपनी संस्तुतियों के अनवर्तन में आयोग ने 24 अप्रैल 2007 को विभिन्न पणधारियों हेतु एवं बैठक का आयोजन किया विस्तृत विचार विमर्श के उपरान्त निम्न अल्पकालिक और दीर्घकालिक संस्तुतियाँ :–

अल्पकालिक संस्तुतियाँ

- सिलिकॉसिस से स्वास्थ्य संबंधी खतरा होने के बारे में मजदूरों, नियोक्ताओं और डाक्टरों में जागरूकता पैदा करने के लिए सभी स्तरों पर इलेक्ट्रानिक और प्रिंट मीडिया का उपयोग कर व्यापक प्रचार अभियान चलाना ।
- बड़ी संख्या में सिलिकॉसिस वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की पहचान और मानीटरिंग करना ।
- चिह्नित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कारखाना अधिनियम की धारा 85 के तहत अधिसूचना जारी करनी चाहिए ताकि 10 से कम कामगारों वाले उद्यमियों पर भी यह कानून समान रूप से लागू हो सके तथा वे और उनके कामगार सिलिकॉसिस के खतरे से आगाह हो सकें ।
- मध्य प्रदेश से संबंधित मामला अध्ययन भली–भांति विश्लेषित किया जाना चाहिए ताकि सिलिकॉसिस निवारण, स्वास्थ्य देखभाल तथा केन्द्रिक और व्यापक रीति से बीमा के संबंध में राज्य द्वारा उठाए गए कदमों को समझा जा सके ।
- भिन्न–भिन्न एजेंसियों के पास उपलब्ध सर्वेक्षणों को एकत्र किया जाए ताकि सिलिकॉसिस से ग्रस्त पॉकेट की पहचान की जा सके । एनएचआरसी द्वारा संबंधित राज्य सरकार के कर्मचारियों को बुलाया जाए ताकि उनके द्वारा उठाए जा रहे कारगर कदमों की मानीटरिंग की जा सके ।
- राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सिलिकॉसिस रोकथाम के संबंध में प्रवर्तन मशीनरी सहित मौजूदा कमियों को दूर करने की दिशा में कार्य करने की आवश्यकता ताकि उनकी समग्र प्रभावोत्पादकता बढ़ाई जा सके ।

- श्रम मंत्रालय सिलिकॉसिस के उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू करने के लिए पृष्ठभूमि पेपर तैयार करे ।
- पीड़ितों या उनके निकटतम संबंधी के लिए प्रतिपूर्ति पैकेज तथा इसकी रूपात्मकताएं तैयार करने की आवश्यकता ।
- सिलिकॉसिस पर विजय पाने में चुनिंदा एनजीओ के अनुभवों का लाभ उठाने के लिए उन्हें आमंत्रित करना ।

दीर्घकालिक सिफारिशें :

- मौजूदा कानूनों की पर्याप्तता पर विचार करना तथा इस पर भी विचार करना कि क्या इस मुद्दे पर अलग/विशिष्ट विधायन की जरूरत है ।
- सिलिकॉसिस से संबंधित कार्य समूह/राष्ट्रीय कार्यसमूह/राष्ट्रीय कार्यदल या राष्ट्रीय कोर ग्रुप का गठन किया जाए । संबंधित समूह/कार्यदल दी गई समयावधि के भीतर काम करे और सिफारिशें कर जिसे केन्द्र/राज्य सरकार जैसी भी स्थिति हो, के समक्ष रखा जाए ।

राष्ट्रीय कार्यदल

18.33 उपर्युक्त सिफारिशों के उत्तर में एनएचआरसी ने भी सिलिकॉसिस के संबंध में कार्यदल का गठन किया। कार्यदल ने 6 सितम्बर, 2007 को आयोग में अपनी पहली बैठक की **(पैरा 7.23)**।

18.34 कार्यदल ने सिलिकॉसिस के संबंध में सूचना आधार की अपर्याप्तता तथा सर्वेक्षण के जरिए एक ठोस डेटाबेस बनाने की आवश्यकता को माना । श्रमिकों का प्रव्रजन अधिकृत सूचनाओं/आंकड़ों की कमी का मुख्य कारण माना गया । बैठक के दौरान कारखाना अधिनियम की धारा 85 के अंतर्गत सिलिकॉसिस की अधिसूचना के संबंध में स्थिति की समीक्षा भी की गई। व्यापक विचार–विमर्श एवं विस्तृत परिचर्चा के बाद निम्नलिखित कार्य बिंदुओं की पहचान की गई ।

- सभी स्टेकहोल्डरों को जारे देकर करना कि राज्यों केा इस मुद्दे के लिए प्राथमिक भूमिका संभालनी है।
- श्रम मंत्रालय उन राज्यों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई करे, जिन्होंने अब तक कारखाना अधिनियम की धारा 85 के तहत अधिसूचनाएं जारी नहीं की हैं ।
- श्रम मंत्रालय सिलिकॉसिस से प्रभावित क्षेत्रों की पहचान करने के लिए 26 प्रमुख राज्यों से सूचना एकत्र करने के लिए एक प्रोफार्मा तैयार करे ताकि समस्या की गंभीरता का यथार्थपरक आकलन किया जा सके ।
- सभी राज्य सरकारें स्वयं या सार्वजनिक निजी अनुसंधान संस्था को संलग्न कर सर्वेक्षण करें ।
- श्रम मंत्रालय, एनएचआरसी को एक व्यापक सर्वेक्षण फार्म उपलब्ध कराए जिसमें सिलिकॉसिस से संबंधित सभी सूचनाएं शामिल की गई हैं तथा राज्य सरकारों के निवारक तंत्रों पर बल दिया गया हो।
- बैठक में सर्वेक्षण शुरू करने से पहले राज्य सरकारों से परामर्श को महत्वपूर्ण माना गया । यह सुझाव दिया गया कि सर्वेक्षण पूर्व बैठक का इस्तेमाल ऐसे फोरम के रूप में किया जा सकता है जिसमें सुरक्षा, मशीनरी, स्टाफ की कमी तथा जागरूकता फैलाने से संबंधित मुद्दों पर विचार किया जाए ताकि सिलिकॉसिस के मुद्दे पर राज्य सरकार के कर्मचारियों को संवेदनशील बनाया जा सके ।

- सिलिकॉसिस के स्वास्थ्य से जुड़े पक्षों की मानीटरिंग में पंचायतों को शामिल करने पर विचार करना **(पैरा 7.24)**।

18.35 इसके बाद 29 अक्तूबर, 2007 को आयोग में सिलिकॉसिस के संबंध में एक बैठक आयोजित की गई ताकि सभी राज्य सरकारों के साथ सर्वेक्षण और सर्वेक्षण पूर्व बैठकों के फार्मेट के संबंध में ब्यौरे तैयार किए जा सकें । एन एचआरसी के संयुक्त सचिव ने सुझाव दिया कि प्रोफार्मा में धूल के स्तर की सानीय सीमा देने के साथ–साथ ऐसे इंजीनियरी उपायों का भी उल्लेख होना चाहिए जिनसे धूल का स्तर न्यूनतम किया जा सके तथा उसके निवारक उपायों की सूची संलग्न की जानी चाहिए । इस बैठक में महानिदेशक, फैक्टरी एडवाइस सर्विस एंड लेबर इंस्टीट्यूट (डीजी एफएसएलआई) से सिलिकॉसिस के पक्के मामलों की सूची उपलब्ध कराने के लिए कहा गया, जिसे आयोग व्यक्तिगत शिकायत के रूप में ले सके **(पैरा 7.25)**।

रैबीज़–रोधी वैक्सीन की उपलब्धताः एन.एच.आर.सी. के हस्तक्षेप की सफलता

18.36 आयोग ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को इन्टराडरमल रैबीज टीकाकरण को स्वीकृति देने की सिफारिश की है क्योकि इससे लागत में 20प्रतिशत तक कमी आएगी। मंत्रालय में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सिफारिश के स्वीकार कर लिया है। **(पैरा 7.26)**

18.37 आयोग को, दिनांक 1 अगस्त, 2007 को भेजे गए एक पत्र में मंत्रालय ने यह कहा कि उसने इन्टराडरमल टीकाकरण के जरिए देश में रैबीच निरोधी टीकाकरण के प्रयोग के बारे में अपनी अनुमति दे दी हैं जैसा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सिफारिश की थी। पत्र में यह भी उल्लेख किया गया था कि महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं ने अपने उस आदेश को निरस्त कर दिया है, जिसमें कहा गया था कि ए.आर.वी उन अस्पतालों को उपलब्ध कराई जाएगी जिनमें कुते के काटने के कम से कम 50 मामले प्रतिदि आते है। आयोग नेा, मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों को निदेश देने की आवश्यकता पर भी बल दिया। **(पैरा 7.27)**

फाइलेरियासिस

18.38 आयोग को एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ जिसमें फाइलेरियासिस के मरीजों को निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के तहत ''लोकोमीटर विकलांगता'' की श्रेणी में विकलांग के रूप में शामिल करने का अनुरोध किया गया था। आयोग ने स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय से इसकी छानबीन करने का अनुरोध किया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सिफारिश की कि लिफेंटिक फाइलेरियसिस (ग्रेड– ।।। के मामलों को, अधिनियम के प्रावधानों के तहत शामिल कर लिया जाए। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने आयोग को सूचित किया कि यह आयोग की सिफारिश के अनुसार अधिनियम में संशोधन कर रहा है **(पैरा 7.28)**।

कुष्ठ रोग एवं मानव अधिकार

18.39 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष की अध्यक्षता में आयोग की एक बैठक दिनांक 3 जनवरी 2008 को आयोजित की गई जिसमें सम्बन्धित मं.ालों और इस क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में यह सुझााव दिया गया कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित कार्य किए जाने चाहिए :

क) कुष्ठ रोगियों और उन्हें उपलब्ध उपचार का पता लगाने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन. एच.आर.एस) के तहत एक मॉनीटरिंग तंत्र बनाना।

ख) कुष्ठ रोगियों और उनके परिवारों के प्रति होने वाले भेद–भाव को रोकने के लिए दिशा–निर्देश तैयार करना (एच.आई.वी./एड्स से प्रभावित व्यक्तियों के सम्बन्ध में मानव अधिकार परिषद द्वारा जारी निर्देशों के आधार पर)। बैठक में यह सुझााव भी दिया गया कि कुष्ठ रोग से प्रभावित व्यक्तियों से सम्बन्धित विभिन्न अधिनियमों के भेद–भाव पूर्ण प्रावधानों में संशोधन करने /उन प्रावधानों को हटानें के सम्बन्ध में कार्रवाई सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा की जाए। **(पैरा 7.30)**

एच.आई.वी./एड्स एवं मानव अधिकार

18.40 आयोग, एच.आई.वी./एड्स प्रभावित/संक्रमित व्यक्ति से किए जा रहे भेद–भाव के प्रति चिन्तित है। इस सम्बन्ध में, आयोग द्वारा अपनी पिछली वार्षिक रिपोर्टों में पहले ही व्यापक सिफारिशें की गई है। आयोग के लिए यह दुख की बात है कि सरकार ने अभी तक ऐसा कोई विधान अधिनियमित नहीं किया जा एच.आई.वी./एड्स प्रभावित/संक्रमित व्यक्ति से इलाज और शिक्षा के सम्बन्ध में किए जा रहे भेद–भाव को रोक सके **(पैरा 7.31)**।

18.41 आयोग ने सभी राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटियों, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से संक्रमित व्यक्तियों के स्वास्थ्य देखभाल, आश्रय और जीविकोपार्जन संबंधी अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध किया है **(पैरा 7.33)**।

मानसिक स्वास्थ्य

18.42 मानसिक स्वास्थ्य पर पुनर्गठित कोर ग्रुप की प्रथम बैठक, आयोग के कार्यालय में दिनांक 21 अगस्त, 2007 को आयोजित की गई थी। बैठक में हुए विचार–विमर्श के आधार पर कोर ग्रुप ने निम्नलिखित सिफारिशें की:

- मानसिक रोगी की मूल आवश्यकताओं जैसे भोजन, पौष्टिक आहार, सफाई इत्यादि का ध्यान रखा जाना चाहिए।
- सभी सुविधाओं जैसे वृद्धावस्था पेंशन – जो आम नागरिक को उपलब्ध है मानसिक रोगियों को भी निश्चित तौर पर उपलब्ध करायी जानी चाहिए।
- लम्बी अवधि से रह रहे रोगियों के पुनर्वास के लिए एक अलग स्कीम बनाने की आवश्यकता है।
- मानसिक रोगियों के लिए सामाजिक सुरक्षा स्कीम के मानदण्डों में छूट दी जानी चाहिए।
- मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों को वित्तीय स्वायत्तता देने और रोजगार नीति पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।
- मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों को सर्वेक्षण/अध्ययन करने के विशेष कार्य, विश्वसनीय गैर–सरकारी संगठनों को दिए जाने की आवश्यकता है।
- रोगियों के लिए व्यावसायिक रणनीति विकसित करने के लिए गैर–सरकारी संगठनों को सम्मिलित करने की संभावनाओं का पता लगाया जाना चाहिए।
- मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों में मृत्यु दर का पता लगाने और उनके प्रति संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए ''मृत्यु दर–विश्लेषण'' किया जाना चाहिए।

- इस विषय पर बेहतर समन्वय सीिपित करने के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को राज्य–स्वास्थ्य विभागों के सचिवों के साथ वार्षिक बैठकें करनी चाहिए।
- हाफ–वे–होम के बारे में, सुव्यवस्थित के रूप में एक नया प्रस्तावा बना जाना चाहिए।
- कार्मिक की कमी को दूर करने के लिए एम.सी.आई के साथ विचार–विमर्श करके मनोविज्ञान में ''एक छात्र पर एक प्रोफेसर'' के वर्तमान पोहर ग्रेज्युएट मानदण्ड में छूट दी जानी चाहिए।
- रोगियों की बढ़ती हुई संख्या को ध्यान में रखते हुए अधिक मानसिक स्वास्थ्य संस्थान खोले जोने चाहिए।
- मानसिक रोगियों को दवाओं की कीमतों में रियायत दी जानी चाहिए।
- प्रत्येक मानसिक संस्थान की विशिष्ट जरूरतों को समझने के लिए उनका व्यापक अध्ययन/सर्वेक्षण किया जाना चाहिए।
- मानसिक रोगियों के परिवारों और समाज को सुग्राही बनाने के लिए मीडिया को मुख्य और सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए।
- विभिन्न मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों की बेहतर कार्य प्रणाली का अनुसरण करने के लिए ठोस प्रयास किए जाने चाहिए। (पैरा 7.35 और 7.36)

भोजन का अधिकार

18.43 आयोग का यह मानना है कि इस अधिकार से वंचित रखना और भुखमरी, सरकारी सेवकों की गलतियों और खामियों के कारण कुशासन का नतीजा है। आयोग ने अपनी पिछली वार्षिक रिपोर्ट में यह कहा था कि भोजन का अधिकार संबंधी कोर–ग्रुप का पुनगर्ठन आयोग में 2 जनवरी, 2006 को कर दिया गया है और कोर–ग्रुप की दो बैठकें हो गई है। पहली बैठक 13 जनवरी, 2006 को और दूसरी बैठक 15 सितम्बर, 2006 को इन बैठकों के दौरान कोर ग्रुप ने कुछ संस्तुतियां की थी जिन्हें आयोग ने अनुमोदित कर दिया था। ये संस्तुतियां खाद्य सामग्री और पोषक आहार स्तर में सुधार सहित अनाज के उपयुक्त वितरण से सरकारी स्कीमों का उपयुक्त कार्यान्वयन तक के बारे में हैं। इन संस्तुतियों को कार्यान्वयन और अनुपालन के लिए सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को भेजा गया था **(पैरा 7.38 और 7.39)।**

18.44 भोजन का अधिकार संबंधी पुर्नगठित कोर–ग्रुप की तीसरी बैठक आयोग में, 9 अगस्त, 2007 को आयोजित की गई। इस बैठक में यह संस्तुति की गई कि प्रत्येक राज्य/संघ शासित क्षेत्र में ग्राम/खंड/जिला स्तर पर समितियां गठित करने की आवश्यकता है जो पात्र और विशेषतः अत्यधिक कमजोर व्यक्तियों को खाद्य–अनाज की उपलब्धता/पहुंच का प्रबोधन करेंगी। ये समितियां उपरी प्रबोधन प्रणाली से मुक्त होंगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संबंधित स्कीमों का कार्यान्वयन उपयुक्त तरीके से किया जा रहा है और खाद्य अनाज उपलब्ध हैं और उसका वितरण उपयुकत तरीके से किया जाता है। ये समितियां, राज्य/संघ शासित क्षेत्रों में संबंधित प्राधिकारियों या सीधे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को, जैसा भी मामला हो, रिपोर्ट कर सकती है **(पैरा 7.40 और 7.41)।**

18.45 वैश्विक रूप से मान्य सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों (एम0डी0जी0)*, संवैधानिक अधिदेश और अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों से उत्पन्न होने वाले उत्तरदायित्वों, विशेषतौर पर बाल अधिकार प्रसविदा के प्रावधानों को कार्यान्वित करने सहित, को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट रूप से अपेक्षित है कि :

- केन्द्र सरकार इसको कार्यान्वित करने की तारीख के बारे में शासकीय राजपत्र में अधिसूचना जारी करे; और
- एक विधायन अधिनियमित करे जिसमें वह प्रणाली निर्धारित की गई है जिसके अनुसार मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करायी जाएगी **(पैरा 7.46)।**

18.46 86वें संविधान संशोधन अधिनियम को कार्यान्वित करने के प्रयास में वर्ष 2005 में शिक्षा का अधिकार विधेयक का प्रारूप तैयार किया गया था लेकिन इस पर संसद में बहस नहीं की जा सकी। उसके बाद जून, 2006 में राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को शिक्षा का अधिकार विधेयक का प्रारुप परिचालित किया गया। यह विधेयक भी मूर्त नहीं हुआ। इसके परिणामस्वरूप आज तक देश में शिक्षा का अधिकार संबंधी कोई केन्द्रीय विधायन नहीं बना। वर्ष 2007–08 के दौरान, आयोग ने अनेक बैठकें की ताकि आयोग की भावी कार्रवाई की रूपरेखा तैयार की जा सके, ताकि प्रत्येक बच्चे के शिक्षा के अधिकार की पूर्ति की जा सके। आयोग ने राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों को, बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने के उनके उत्तरदायित्व का बोध कराया है कि विकास तभी संभव है जब यह अधिकार प्रत्येक को, कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे बच्चों, जैसे बाल श्रमिक, बंधुवा बाल मजदूर, लावारिस बच्चों और देखभाल और संरक्षण की जरूरत वाले बच्चों को मिले। आयोग की यह दृढ़ इच्छा है कि सारे बच्चे स्कूलों में हों न कि कारखानों या गलियों या खानपान की दुकानों या लगातार दूसरों के घरों में काम कर रहे हो और स्वयं या अपने परिवारों के लिए कमा रहे हैं **(पैरा 7.47 और 7.48)।**

राज्य सरकारों की जनसंख्या नीति तथा राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में प्रोत्साहनों/प्रोत्साहनहीन कदमों का मामला

18.47 आयोग की पिछली वार्षिक रिपोर्ट में यह कहा गया था कि कुछ राज्य सरकारों द्वारा अपनायी गई जनसंख्या नीति में दमनात्मक कारक है और अपनाए गए प्रोत्साहनों/प्रोत्साहनहीन कदम राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुकूल नहीं है। इस प्रकार के दृष्टिकोण से निसन्देह जनसंख्या के एक बड़े भाग विशेषतः कमजोर वर्गों जिसमें महिलाएं और बच्चे शामिल है, के अधिकारों का उल्लंघन होता है। आयोग का यह मानना है कि राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों द्वारा तैयार की गई जनसंख्या नीति से दमनकारी कदमों को हटाया जाना चाहिए। वर्ष 2005–06 में आयोग ने, जनसंख्या नीति संबंधी मामले विशेष रूप से "2003 में आयोजित जनसंख्या नीति पर विचारगोष्ठी विकास और मानवाधिकार" के बाद हुई घटनाओं को ध्यान में रखते हुए "सही परिदृश्य" में प्रोत्साहनों/प्रोत्साहनहीन कदमों की जांच करने के लिए एक कार्यकारी दल का गठन किया था, आयोग के कार्यकारी दल से महिला अधिकारिता और 0–6 वर्ष की आयु के बच्चों में लिंग अनुपात घटने के कारणों सहित समाज के कमजोर वर्गों की अधिकारिता संबंधी मुद्दों पर अध्ययन करने के लिए कहा। कार्यकारी दल की बैठकें 2006–07 में हुई। अप्रैल, 2007 में इसने अपनी रिपोर्ट आयोग को प्रस्तुत कर दी थी **(पैरा 7.51 और 7.52)।**

18.48 कार्यकारी दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की आयोग ने गहराई से जांच की और निम्नलिखित सिफारिशें की :

- राज्य सरकारों, संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों द्वारा प्रस्तुत विभिन्न पणधारियों की रिपोर्ट कार्यान्वयन रिपोर्ट पर टिप्पणियों और सुझाव मांगना।
- राज्यों की स्वास्थ्य और जनसंख्या नीति के कार्यान्वयन पर (राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत कार्यान्वयन रिपोर्ट को आधार बनाकर) व्यापक विचार विमर्श करने के लिए प्रत्येक वर्ष कुछेक राज्यों का चुनाव किया जाय ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि लागू की गई नीति से वास्तव में महिलाओं के सम्मान और व्यक्ति विशेष के अधिकारों का उल्लंघन न हो।

18.49 इन्हें सांविधिक पूर्ण आयोग ने भी नोट किया कार्यकारी दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में संबंधित राज्य की जनसंख्या नीति के कार्यान्वयन से संबंधित स्थिति के बारे में प्रत्येक राज्य/संघ शासित क्षेत्रों में सूचना प्राप्त करने का प्रपत्र भी शामिल था। आयोग ने इस रिपोर्ट को इस अनुरोध के साथ सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के मुख्य सचिवों/प्रशासकों को परिचालित किया कि अपेक्षित सूचना भेजी जाय ताकि मामले में आगे आवश्यक कार्रवाई की जा सके **(पैरा 7.54)**।

महिलाओं एवं बच्चों पर विशेष ध्यान केन्द्रित करते हुए, अवैध मान व्यापार को रोकने और उससे निपटने के लिए एकीकृत कार्य याजना बनाना।

18.50 राष्ट्रीय मान अधिकार आयोग, गृह मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, राष्ट्रीय महिला आयोग एवं यूनिसेफ ने सितम्बर, 2006 में, इक्ठ्ठे काग्र करने और महिलाओं एवं बच्चों पर विशेष ध्यान केन्द्रित करते हुए, अवैध्श मानव व्यापार को रोकने और उससे पिटने के लिए एकीकृत कार्य योजना तैयार करने का सामूहिक निर्णय लिया। तत्पश्चात्, सभी सम्बन्धितों के अनुभवों के आधार पर महिलाओं एवं बच्चों पर विशेष ध्यान केन्द्रित करते हुए, अवैध मानव व्यापार को रोकने और उससे निपटने के लिए एकीकृत कार्य योजना का मसौदा तैयार किया गया और सामूहिक रूप से यह निर्ण लिया गया कि इसे अन्तिम रूप दिए जाने से पूर्व, इस क्षेत्र के सभी पणधरियों के साथ इस मसौदे पर विचार–विमर्श किए जाने की आवश्यकता है। इस प्रयोजनार्थ, गुवाहाटी, हैदराबाद और गौवा में तीन क्षेत्रीय कार्यशालाएं और नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला आयोजित करने का निर्णय लिया गया। 3 क्षेत्रीय कार्याशालाऐं 2006–07 और एवं राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला अगस्त 2007 में आयोजित की गई। कार्यशलाओं से गुणात्मक और परिमाणत्मक लक्ष्यों की पहचान करने में मदद मिली जिससे एकीकृत कार्य योजना, एक बार अंतिम रूप देने के बाद, को कार्यान्वयन हो सकेगा। **(पैरा 7.55)**

18.51 आयोग ने उसके बाद, संबंधित प्रतिनिधियों के साथ 18 सिम्बर 2007 को एक बैठक बुलाई, बैठक में एक कार्य–रत गठित करने का निर्णया लिया गया जो प्रस्तावित एकीकृत कार्य–योजना में खामियों को दूर करेगा और पूरे दस्तावेज को अंतिम रूप देगा। श्रम एंव रोज़गार मंत्रालय (अध्यक्ष), विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, यूनीसेफ के प्रतिनिधियों और अवैध मानव व्यापार को रोकने के क्षेत्र में कार्यरत वो गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों को शामिल करतु हुए एक कार्य बल का गठन भी किया गया। कार्य बल ने महिलाओं एवं बच्चों पर विशेष ध्यान केन्द्रित करने हुए अवैध मानव व्यापर को रोकने और उससे निपटने के लिए राष्ट्रीय एकीकृत कार्य योजना को 15 नवम्बर 2007 तक प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। इस वार्षिक रिपोर्ट को लिखते समय, सभी संबंधितों को अनेक अनुस्मारक भेजे

जोने के बाद भी कार्य–बल ने यह काम पूरा नहीं किया। क्योंकि कार्यबल निर्धारित तिथि तक एकीकृत कार्रवाई योजना को अंतिम रूप नहीं दे सका अतः आयोग ने 30 जनवरी, 2008 को एक बैठक पुनः बुलाई ताकि कार्यबल के सदस्यों के साथ इस मामले पर विचार–विमर्श किया जा सके। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि कार्यबल अपना काम फरवरी, 2008 तक पूरा कर ले ताकि बाल एवं महिलाओं से संबंधित मामलों को देखने वाले सभी सचिवों का अनुमोदन उस समय लिया जा सके जब वे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के साथ मार्च, 2008 में नई दिल्ली में होने वाली बैठक में भाग लेने के लिए आए। इस वार्षिक रिपोर्ट के लिखे जाने तक चूंकि कार्य दल ने बच्चों एवं महिलाओं पर विशेष ध्यान देते हुए मानव व्यापार को रोकने एवं उससे लड़ने के लिए समेकित कार्य योजना को अंतिम रूप नहीं दिया था, इसलिए आयोग ने अपनी तरफ से समेकित कार्य योजना के मसौदे को अनुमोदित कर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार को इस मामले में अगली आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित किया इसकी एक प्रति राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग एंव श्रम मंत्रालय भारत सरकार को भी उपयुक्त कार्रवाई के लिए अग्रेषित की गई **(पैरा 7.56 और 7.57)।**

वृन्दावान में निराश्रित महिलाओं का पुनर्वास

18.52 पुनरीक्षाधीन वर्ष के दौरान आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा करने के लिए आयोग के तीन सदस्यों की एक टीम 13 मार्च, 2008 को वृंदावन के दौरे पर गई। टीम ने आयोग द्वारा दी गई सिफारिशों के कार्यान्वयन में अनेकों खामियां पाई। इसने पेंशन, आवास, एल.पी.जी. कनेक्शन, राशन कार्ड, स्वास्थ्य देखभाल और सफाई, दाह संस्कार निधि, व्यावसायिक प्रशिक्षण, सामाजिक सुरक्षा कार्ड और मनोरंजन की सुविधाओं के बारे में आयोग के निदेशों को संबंधित अधिकारियों को दोहराया गया है और उनसे इनका अनुपालन करने का अनुरोध किया। सिफारिशों के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति संबंधी दल के प्रेक्षणों वाली एक रिपोर्ट को उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को भेजा ताकि मामले पर त्वरित कार्रवाई की जा सके।

बच्चों के साथ बलात्कार के मामलों का शीघ्र निपटान करने के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश

18.53 आयोग ने, अपने संवैधानिक दायित्वों के अनुसरण में चलाए जाने वाले कार्यक्रमों के सम्बन्ध में दिनांक 28 जून, 2007 को आयोजित अपनी बैठक में 'बच्चों से बलात्कार के मामलों का शीघ्र निपटान करने के सम्बन्ध में दिशा–निर्देशों' को अनुमोदित किया था। ये दिशा–निर्देश तैयार करने में आयोग को सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्र प्रशसनों के गृह सचिवों और पुलिस महानिदेशकों का सहयोग प्राप्त हुआ। अंतिम दिशा–निर्देशों को उपयोग द्वारा अनुमोदित किया गया। ये दिशा–निर्देश, सूचना एवं अनुपालन के लिए सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के गृह सचिवों और पुलिस महानिदेशकों को अग्रेषित किए गए हैं। **(पैरा 7.61)**

गुमशुदा बच्चों का मामला

18.54 आयोग ने वर्ष 2006–2007 के लिए अपनी वार्षिक रिपोर्ट में सूचित किया है कि आयोग ने गुमशुदा बच्चों के मामलें में गहराई से जांच करने और उपयुक्त सुझाव देने के लिए 12 फरवरी 2007 को एक समिति गठित की थी ताकि आयोग उपयुक्त दिशा निर्देश तैयार कर सके और इसे राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों के संबंधित प्राधिकारियों और भारत सरकार को अग्रेषित किया जा सके जो गुमशुदा बच्चों का पता लगाने और उन्हें उनके परिवारों या एजेन्सियों सहायक क्षेत्रों को सुपुर्द करने में सहायक होगा, जहां पर उनकी देखभाल की जा सके और उन्हें संरक्षण प्राप्त हो सके। समिति ने सिफारिशों/सुझावों सहित एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की है। बाद में, समिति द्वारा रिपोर्ट में उल्लिखित

सिफारिशें/सुझाव, आयोग द्वारा, राष्ट्रीय महिला आयोग, बाल अधिकारों के संरक्षण पर राष्ट्रीय आयोग और महिला एवं बाल विकास विभाग सहित सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के मुख्य सचिवों एवं पुलिस महानिदेशकों को अनुपालन के लिए अग्रेषित कर दिए गए थे। **(पैरा 7.63 और 7.64)**

भारत में किशोर न्याय प्रणाली की मॉनीटरिंग

18.55 आयोग ने भारत में किशोर न्याय प्रणाली पर 3 और 4 फरवरी 2007 को एक दिवसीय का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। सम्मेलन में, देश के किशोर न्याय प्रणाली के कार्यरत को सुधारने के लिए अनेक सिफारिशें की राष्ट्रीय सम्मेलन में हुए विचार–विमर्श के आधार पर आयोग ने किशोर न्याय अधिनियम को अक्षरशः कार्यान्वित करने पर बल दिया है और राज्य/संघ शासित क्षेत्र से यह अनुरोध किया है कि वे किशोर न्याय प्रणाली के तहत अपेक्षित अवसंरचना उपलब्ध कराएं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई लम्बित मामला न हो और मामले की जांच चार महीनों की निर्धरित अवधि में पूरी हो सके। आयोग ने कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों और संरक्षण एवं देखभाल के जरूरतमंद बच्चों, दोनों का संरक्षण, अभिवृद्धि एवं विकास सुनिश्चित करने के लिए उनका आवश्यक ध्यान रखे जाने पर भी बल दिया। बाद में इन सिफारिशों को अनुपालन के लिए सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के समाज कल्याण/सामाजिक सुरक्षा/सामाजिक न्याय मंत्रालयों/विभागों के सचिवों को अग्रेषित कर दिया गया ताकि किशोर न्याय प्रणाली में गुणवत्तायुक्त सुधार लाया जा सके। **(पैरा 7.65 एवं 7.66)**

बंधुआ मज़दूरी

18.56 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने ऐसी कुछ राज्य सरकारों के रवैयै पर चिन्ता व्यक्त की है जिन्होने अपने दावे की पुष्टि के लिए काई सर्वेक्षण कराए बिना ही यह घोषणा कर दी कि उनके क्षेत्र में बंधुआ मज़दूरी की प्रथा अब नहीं है। बाद में, उन्होंने ऐसे किसी सर्वेक्षण के लिए अथवा जागरूकता पैदा करने के लिए और मुक्त कराए गए बंधुआ मज़दूरों के पुर्वास के लिए बजट प्रावधान करने से इन्कार कर दिया। जब कभी भी बंधुआ मज़दूरों की घटनाएं उजागर होती है वे बंधुआ मज़दूरी प्रथा (निवारण) अधिनियम, 1976 (बी.एल.एस.ए अधिनियम) के अन्तर्गत अपराधियों का संक्षिप्त विचारण कभी कभी करते है। इसके अतिरिक्त साथ साथ बंधुआ मज़दूरों को मुक्त कराने और उनके पुनर्वास की कार्रवाई का अनुसरण कई नहीं करते है। अपराधी के दोष सिद्ध हो जाने की इंतजार के परिणामस्वरूप पहचान करने, मुक्त कराने और पुनर्वास करने में काफी अन्तराल आ जाता है। इससे प्रायः बंधुआ मज़दूर पुनः बंधुआ मज़दूरी के कार्य में लग जाता है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने, अपने दायित्व का निर्वाह करते हुए उसके एक विशेष सम्पर्ककर्ता द्वारा 2007–08 में कर्नाटक (मई 2007), उड़ीसा (दिसम्बर 2007), झारखंड (मार्च 2008), पंजाब (मार्च 2008) और छत्तीसगढ़ (मार्च 2008) में बी.एल.एस.ए. के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग इस मुद्दे पर सभी पणधारियों के सुग्राही बनाने और जागरूकता उत्पन्न करने के लिए देशभर में कार्यशालाओं का भी आयोजन कर रहा है। **(पैरा 8.2, 8.3 और 8.4)**

18.57 विशेष सम्पर्ककता की टिप्पणियां और सिफारिशें, जैसा कि उनकी रिपोर्ट में निहित है, इस वार्षिक रिपोर्ट में अध्ययन 8 के पैरा 8.5 और 8.23 में दिए गए हे।

बाल मज़दूरी

18.58 आयोग का यह दृढ़ विचार है कि स्कूल जाने की उम्र (6–14) में बच्चों को स्कूलों में ही होना चाहिए न कि अपनी आजीविका चलाने के लिए कार्य करना चाहिए और इस सम्बन्ध में संविधान और कानूनों में उल्लिखित

संरक्षणात्मक प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन किया जाना चाहिए। आयोग, खतरनाक कार्यों में बाल मज़दूरी की प्रथा को समाप्त करने के लिए किए जाने वाले उपायों की, अपने विशेष रिपोर्टरों के माध्यम से, नियमित रूप से मॉनीटरिंग काता हैऔर क्षतिपूर्ति के साथ–साथ दंडात्मक कार्रवाई की सिफारिशें करता है। आयोग, सन् 2000 से ही इस मुद्दे की स्थिति की राज्य–वार पुनरीक्षा कर रहा है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने, वर्ष 2007–08 में अपने विशेष रिपोर्टर के माध्यम से कर्नाटक, उड़ीसा, झारखंड, पंजीब और छत्तीसगढ़ में अपना ध्यान केन्द्रित किया था। (पैरा 8.24 और 8.25)

18.59 विशेष सम्पर्ककता की रिपोर्ट में निहित प्रेक्षण और सिफारिशें इस वार्षिक रिपोर्ट के अध्यया 8 के पैरो 8.26 से 8.55 में दी गई हैं।

निशक्त व्यक्तियों के अधिकार

18.60 आयोग ने यह नोट किया है कि निशक्त व्यक्तियों के साथ अभी भी भेदभाव हो रहा है, इस प्रयास में आयोग ने अशक्त व्यक्तियों के अधिकारों के संरक्षण एवं उन्नयन के लिए एक बहु–आयामी दृष्टिकोण अपनाया है। इसमें – व्यक्तिगत शिकायतों का निवारण करना, विधायी एवं नीतिगत सुधार लाना, अपेक्षित अवसंरचना एवं सेवाएं उपलब्ध कराना, गैर सरकारी संगठनों के प्रयासों को प्रोत्साहित करना, अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं जागरूकता पैदा करना शमिल है। आयोग ने, महिलाओं, बच्चों और निशक्तता से सम्बन्धित मुद्दों के सम्बन्ध में अपना एक विशेष रिपोर्टर नियुक्त किया हे और निशक्तता पर एक कोर ग्रुप का गठन भी किया है जिसमें निशक्त व्यक्तियों को सशक्त बनाने की दिशा में उल्लेखनीय योगदान देने वाले कार्यकर्ताओं सहित विशेषज्ञ शामिल है। (पैरा 9.5, 9.6 और 9.9)

विस्थापित व्यक्तियों के अधिकार

18.61 आयोग इस तथ्य से परिचित है कि इन कमजोर व्यक्तियों को ही विकास का मूल्य सबसे अधिक चुकता करना पड़ता है। पिछले एक वर्ष के दौरान बड़ी उद्योग परियोजनाओं और देश के अनेक भागों में विशेष आर्थिक क्षेत्रों की सीापना के लिए भूमि अधिग्रहज मामले में बेतहाशा वृद्धि हुई है। आयोग इन आर्थिक पहलों की सही दिशा से पूरी तरह परिचित है और तदानुसार ही इनसे प्रभावित क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ा दी हैं। इससे न केवल व्यक्तिगत मामले अपितु कानून व्यवस्था और नीति का भी गहन अध्ययन शुरू किया है। **(पैरा 9.15)**

राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना नीति

18.62 आयोग को यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना नीति दिनांक 31 अक्तूबर, 2007 को अधिसूचित कर दी गई है। इस विषय पर दो विधेयक नामतः भूमि अधिगहण (संशोधन) विधेयक, 2007 और पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना विधेयक, 2007 वर्तमान में ग्रामीण विकास सम्बन्धी संसदीय स्थायी समिति के समक्ष प्रस्तुत हैं जिसने विधेयक के प्रावधानों पर पणधारियों के विचार मागे है। **(पैरा 9.16)**

अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन–जातियों के अधिकार

18.63 आयोग, अपने गठन से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के के संरक्षण और उनके उत्थान में निरन्तर प्रयासरत है। आयोग, अनु.जाति औश्र अनु. जनजाति के प्रति अत्याचारों से संबंधित शिकायतों पर स्वयं या शिकायतमों के आधार पर कार्रवाई करता है। मामले पर मुख्य पणधारियों का लगाता है पुस्तिकाएं प्रकाशित करता है और मामले

पर विभिन्न पणधारियों को सुग्राही बनानें के उद्देश्य से प्रशिक्षण कार्यक्रम और कार्यशालाएं आयोजित करता है ताकि अत्याचार, भेदभाव और उनके मानव अधिकारों के किसी प्रकार के उल्लंघन को रोका जा सके **(पैरा 9.18)**

18.64 पिछली वार्षिक रिपोर्ट में, चार ज़िलों, जिनमें अनुसूचित जातियों के प्रति घोर अत्याचार होता हैं, में जागरूकता अभियान चलाए जाने के बारे में आयोग के निर्णय का उल्लेख किया गया था। इस संदर्भ में आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों ने राजस्थान के भरतपुर औश्र हरियाणा के फरीदाबाद का दौरा किया और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के एक सदस्य ने राजस्थान के जयपुर और अलवर का दौरा किया। **(पैरा 9.19)**

अनाधिसूचित और खानाबदोश जन–जातियों के अधिकार

18.65 इस मुद्दे पर आयोग के परामर्शी ग्रुप ने इन जनजातियों की हालत में सुधार करने के लिए वर्ष 1998 में कई सिफारिशें की थीं।। पुनरीक्षाधीन अवधि के दौरान आयोन, इन सिफारिशें के सम्बन्ध में राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के उत्तर की मॉनीटरिंग कर रहा हैं। **(पैरा 9.22)**

सिर पर मैला ढोने की प्रथा का उन्मूलन

18.66 आयोग ने, सिर पर मैला ढोने वालो को रोज़गार प्रदान करने और शुष्क शौचालयों का निर्माण (निषेघ) अधिनियम, 1993 (केन्द्र सरकार द्वारा 1977 में अधिसूचित) को अंगीकृत करने के लिए राज्यों से पुरजोर अनुरोध किया है। **(पैरा 9.25)**

18.67 राष्ट्रीय कार्य योजना में सिर पर मैला ढोने की प्रथा को पूर्णतः समाप्त करने की अन्तिम तारीख दिसम्बर 2007 की निर्धारित की गई थी, हालांकि यह उल्लेख किया गया था कि इस तारीख को आगे बढ़कर मार्च 2009 किया जा सकता है जो कि सिर पर मैला ढोने वालों और उनके आश्रितों के पुनर्वास को अन्तिम तारीख भी है। **(पैरा 9.26)**

18.68 अधिनियम को अंगीकृत करने वाले राज्य – आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश (अपना नगरपालिका अधिनियम अंगीकृत किया है), झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, उड़ीसा, पंजाब (मैला ढोने वालों की मुक्ति एवं 77 नगरों की सफाई व्यवस्था में सुधार की एकीकृत स्कीम को कार्यान्वित किया है) राजस्थान, जम्मू एवं कश्मीर, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और संघ शासित क्षेत्र अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। **(पैरा 9.27)**

18.69 जिन राज्यों ने यह सूचित किया है कि वे सिर पर मैला ढोने की प्रथा से मुक्त है/ उनके यहां शुष्क शौचालय नहीं है, उनके नाम–अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, त्रिपुरा, अरूणाचल प्रदेश, सिक्किम, गोवा, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैण्ड, हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश चण्डीगढ़ एवं केरल हैं। **(पैरा 9.29)**

18.70 आयोग के विचार में यह अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण है कि बहुत से राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों ने इस मुद्दे से निपटने में अपेक्षित रूचि नहीं दिखाई है। इस आयोग का यह विचार है कि इस प्रथा का पूर्ण एवं आमूल–चूल उन्मूलन केवल तभी हो सकता है जब सम्बन्धित मंत्रालयों, सरकारी एजेन्सियों, वित्तीय संस्थानों, आयोग एवं राज्य मानव अधिकार आयोगों

सहित सभी मानव अधिकार संस्थानों और सभ्य समाज समूहों सहित सभी पणधारियों द्वारा ठोस उपाय किए जाएंगे। आयोग को यह व्यक्त करते हुए खेद है कि अधिकांश पणधारी, इस बात कि इस समस्या का उन्मूलन करने केलिए उनमें से प्रत्येक किस प्रकार योगदान दे सकता है और विफलताओं को कैसे सुधारा जाए, पर विचार करते हुए मिलकर कार्य करने की बजाए एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। आयोग, राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों से यह अनुरोध करता है कि वे अधिनियम के पूर्ण कार्यान्वयन के लिए अधिक से अधिक प्रयास करें। **(पैरा 9.29)**

आयोग द्वारा आयोजित किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रम

18.71 आज के समय में मानवाधिकार शिक्षा का संवर्धन अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गया है। सभी वर्गों के लोगों में विशेषतौर से उनकी धारणाओं और विचारधाराओं के संबंध में उनके नजरिए में परिवर्तन लाने के लिए ज्ञान और जागरूकता पैदा करना और उसका प्रचार–प्रसार करना एक महत्वपूर्ण तरीका है। पुनरीक्षा अवधि के दौरान आयोग ने मानवाधिकार शिक्षा का विकास करने के लिए अनेक कदम उठाएं है। आयोग के दिए गए अधिदेश के एक भाग के रूप में, आयोग ने वर्ष 2007–2008 के लिए पूरे देश में मानवाधिकारों के विभिन्न विषयों पर 35 संस्थानों/गैर सरकारी संगठनों के 93 प्रशिक्षण कार्यक्रमों को अनुमोदित किया, विशेष ध्यान पूर्वोत्तर राज्यों और अन्य पिछड़े राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों पर दिया गया। इनमें से 65 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993

18.72 वर्ष 2006–2007 की वार्षिक रिपोर्ट मं आयोग ने सूचित किया था कि भारत सरकार ने मानव अधिकार संरक्षण (संरक्षण) अधिनियम, 2006 को अधिसूचित कर दिया है जो दिनांक 23 नवम्बर, 2006 से प्रवृत्त होगा। यह भी उल्लेख किया गया था कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 में भारत सरकार द्वारा किए गए संशोधन, आयोग की सिफारिशों एवं अपेक्षताओं से कमतर हैं क्योंकि इसमें कई ऐसे प्रयोजनों को जोड़ा गया है जो अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमयों के सम्बन्ध में आयोग के कार्यों को सीमित करते हैं। आयोग, यह भी इंगित करना चाहेगा कि संविधान के अनुच्छेद 51 में यह प्रावधान है कि राज्य, लोगों को एक –दूसरे से जोड़ने के कार्य में अन्तर्राष्ट्रीय कानून एवं अभिसमय के दायित्वों के प्रति आदर को बढ़ावा देगा। उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि न्यायालय, किसी विरोधाभासी विधान की अनुपस्थिति में, भारत द्वारा की जाने वाली अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमयों अथवा समझौतों का आदर करेंगे। यदि कोई घोषित विधान, अन्तर्राष्ट्रीय कानून का विरोधाभासी है तो न्यायलय घरेलू विधान के अनुरूप कार्य करेंगे। **(पैरा 14.2)**

18.73 इसमें आगे उल्लेख है कि हालांकि धारा 2 (1) (घ) में मानवाधिकारों को सभी अर्न्राष्ट्रीय अभिसमयों की धारा 2 (1) (च) के अनुसार भारत मं न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय अर्न्राष्ट्रीय प्रसंविदाओं (आई सी सी पी आर अथवा आई सी ई एस सी आर) के रूप में परिभाषित किया गया है। हालांकि उनका अनुसमर्थन भारत सरकार और भारतीय न्यायालयों द्वारा किया गया है, फिर भी उनका अधिसूचित किया जाना शेष है। अतएव, आयोग ने इस विसंगति को इंगित करते हुए दिसम्बर, 2007 में और फरवरी 2008 में गृह मंत्रालय से यह अनुरोध किया कि इस मामले की जांच की जाए ओर यथोचित अधिसूचना जारी की जाए ताकि इस विरोधाभास को दूर किया जा सके। गृह मंत्रालय द्वारा आयोग को सूचित किया गया कि उसने इस मामले को विदेश मंत्रालय को अग्रेषित कर दिया है। आयोग दोनों मंत्रालयों के उत्तर की प्रत्तीक्षा कर रहा है। **(पैरा 14.3)**

शरणार्थियों की स्थिति, 1951 और 1967 के न्याचार (प्रोटोकॉल) से सम्बन्धित अभिसमय

18.74 आयोग ने शरणार्थियों की स्थिति, 1951 और उससे संबंधित 1967 के प्रोटोकाल से संबंधित समझौते के अनुसमर्थन और इस संबंध में एक राष्ट्रीय कानून का अधिनियमन करने की वकालत की है। विगत वर्ष में आयोग ने शरणर्थियों की सुरक्षा के संबंध में राष्ट्रीय कानून का अधिनियम करने का दायित्व संबंधित मंत्रालयों को सौंपा था। आयोग ने सरकार के उच्च पदाधिकारियों के साथ की कई विस्तृत चर्चा के आधार पर गृह मंत्रालय एवं विदेश मंत्रालय से आवश्यक प्रस्ताव तैयार करने और उसे यथाशीघ्र आयोग को भेजने का आग्रह किया है। इस रिपोर्ट के तैयार होने तक उनका उत्तर प्रतीक्षित है **(पैरा 14.4)**।

उत्पीड़न और अन्य क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार के विरूद्ध समझौता या सजा, 1984

18.75 आयोग के प्रयत्नेां के अनुसरण में, भारत ने वर्ष 1997 में उत्पीड़न के विरूद्ध एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। आयोग पिछले कई वर्षों से उत्पीड़न के विरूद्ध समझौते की खामियों को जल्द सुधारने की वकालत कर रहा है। अपनी पहली वार्षिक रिर्पोटों में भी, आयोग ने कमियां दूर करने में विलम्ब के बारे में गहरी चिन्ता व्यक्त की थी और सरकार से इसे शीघ्रतापूर्वक सुधारने के लिए कहा था। उत्पीड़न का निषेध देश के घरेलू कानून का एक हिस्सा है और इसलिए इसमें सुधार करने से इस निषेध को ही बल मिलेगा। आयोग, भारत सरकार से इस समझौते को जल्द से जल्द सुधारने का पुनः अनुरोध करता है। आयोग भारत सरकार को पुनः अभिसमय यथाशीर्ष अनुसमर्थन करने का अनुरोध करता है। **(पैरा 14.5 एवं 14.7)**

1949 के जिनेवा समझौते के अतिरिक्त 1977 के प्रोटोकॉल

18.76 जिनेवा समझौते 1949 के प्रोटोकॉल 1 में अन्तर्राष्ट्रीय सशस्त्र लड़ाई से संबंधित नए नियमों का प्रावधान है और प्रोटोकॉल II में गैर–अन्तर्राष्ट्रीय सशस्त्र लड़ाइयों के संबंध में अंतरराष्ट्रीय मानवतावादी कानून विकसित किए गए है। दोनों प्रोटोकॉल पर टिप्पणियां देने के लिए आयोग द्वारा किए गए अनुरोध के प्रत्युत्तर में विदेश मंत्रालय ने सशस्त्र लड़ाई की बदलती हुई प्रकृति का हवाला देते हुए इस संबंध में अन्य एजेंसियों के साथ विस्तृत विचार– विमर्श करने की आवश्यकता पर बल दिया **(पैरा 14.8 एवं 14.9)**।

❖ ❖ ❖

अनुलग्नक

सर्वे भवन्तु सुखिनः

अनुलग्नक 1 पैरा 5.7

1993–1994 से 2007–2008 तक आयोग द्वारा पंजीकृत पुलिस हिरासत मौतों या न्यायिक हिरासत (जेल) मौतों में मृत्यु मामलों (प्राकृतिक और अप्राकृतिक) की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार और वर्षवार विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	वर्ष															कुल		
		1993-94* PC+JC	1994-95		1995-96		1996-97		1997-98		1998-99		1999-00		2000-01				
			पीसी	जेसी	पीसी	जेसी	पीसी	जेसी	पीसी	जेसी	पीसी	जेसी	पीसी	जेसी	पीसी	जेसी	PC + JC* (1993-94)	पुलिस हिरासत (4+6+8+10+12+14+16)	न्यायिक हिरासत (5+7+9+11+13+15+17)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
1	अण्डमान और निकोबार	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	0	2	0	1	6
2	आंध्र प्रदेश	0	6	0	10	45	27	70	21	53	25	96	11	73	2	76	0	102	413
3	अरूणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	2	0	2	2	2	1	4	0	1	1	0	11	4
4	असम	1	14	4	7	15	13	12	18	15	15	22	11	22	11	11	1	89	101
5	बिहार	4	17	0	8	67	14	79	10	107	10	182	7	155	2	137	4	68	727
6	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	1	2
7	छत्तीसगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	29	0	1	29
8	दादर और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	दमन और द्वीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
10	दिल्ली	7	5	33	7	33	5	19	11	26	0	17	6	19	9	28	7	43	175
11	गोवा	0	1	1	0	0	2	0	0	2	0	1	2	2	2	3	0	7	9
12	गुजरात	0	0	0	15	4	18	32	10	27	8	37	13	19	11	27	0	75	146
13	हरियाणा	1	2	0	4	5	2	7	3	7	4	18	5	24	4	20	1	24	81
14	हिमाचल प्रदेश	0	2	0	0	1	1	0	0	0	2	0	1	0	1	2	0	7	3
15	जम्मु और कश्मीर	1	0	0	15	0	4	0	2	0	0	0	0	0	0	1	1	21	1
16	झारखण्ड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	33	0	1	33
17	कर्नाटक	0	1	0	3	10	8	28	7	33	10	40	6	35	5	41	0	40	187
18	केरल	1	3	0	2	2	6	9	6	30	4	25	6	14	1	26	1	28	106
19	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	मध्य प्रदेश	1	2	8	2	7	8	7	17	43	19	99	13	58	11	37	1	72	259
21	महाराष्ट्र	0	2	0	9	25	21	180	17	116	20	98	30	126	19	104	0	118	649
22	मणिपुर	1	2	1	4	0	1	0	1	0	3	0	0	1	0	0	1	11	2
23	मेघालय	1	3	0	0	3	0	10	2	0	1	6	0	2	1	0	1	7	21
24	मिजोरम	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	3
25	नागालैंड	0	1	0	2	0	2	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	7	1
26	उड़ीसा	0	3	1	2	8	3	10	4	19	0	68	1	45	2	55	0	15	206
27	पुडुचेरी	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	2	0
28	पंजाब	0	10	2	8	8	5	12	8	27	12	43	11	42	13	48	0	67	182
29	राजस्थान	1	10	0	6	11	5	25	11	30	3	47	3	45	3	38	1	41	196
30	सिक्किम	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
31	तमिलनाडु	6	7	0	4	1	3	18	13	54	14	41	9	48	4	24	6	54	186
32	त्रिपुरा	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	5	0
33	उत्तर प्रदेश	8	5	0	13	24	32	139	14	172	20	222	18	141	10	121	8	112	819
34	उत्तराखंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	6
35	पश्चिम बंगाल	0	14	1	14	37	6	42	10	43	6	40	19	43	9	38	0	78	244
36	विदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल		34	111	51	136	308	188	700	191	807	180	1106	177	916	127	910	**34**	**1110**	**4798**
कुल (वर्ष–वार)		**34**	**162**		**444**		**888**		**998**		**1286**		**1093**		**1037**				

पीसी > पुलिस हिरासतीय मौतें जेसी > न्यायिक हिरासत (जेल) मौतें

1993–1994 के लिए पुलिस हिरासत या न्यायिक हिरासत (जेल) मौतों की कोई भी आंकड़े अलग से उपलब्ध।

(अनुलग्नक – 1 जारी...)

1993–1994 से 2007–2008 तक आयोग द्वारा पंजीकृत पुलिस हिरासत मौतों या न्यायिक हिरासत (जेल) मौतों में मृत्यु मामलों (प्राकृतिक और अप्राकृतिक) की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार और वर्षवार विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	वर्ष														कुल			कुल जोड़ (37+38+39)
		2001-02		2002-03		2003-04		2004-05		2005-06		2006-07		2007-08					
		पीसी	जेसी	पीसी	जेसी	पीसी	जेसी	पीसी	जेसी	पीसी	जेसी	पीसी	जेसी	पीसी	जेसी	पीसी* +जेसी* (1993-94)	पुलिस हिरासत (19+23+25+27 +29+31+33+35)	न्यायिक हिरासत (20+24+26+28+30 +32+34+36)	
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
1	अण्डमान और निकोबार	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	1	9	10
2	आंध्र प्रदेश	16	81	10	112	10	114	13	116	11	134	5	118	9	132	0	176	1,220	1,396
3	अरूणाचल प्रदेश	2	0	2	2	2	1	0	2	1	0	1	1	0	1	0	19	11	30
4	असम	10	20	15	13	6	18	4	11	7	27	8	17	12	19	1	151	226	378
5	बिहार	2	144	4	153	9	139	3	150	1	246	2	193	8	222	4	97	1,974	2,075
6	चंडीगढ़	0	1	0	3	0	4	1	3	0	3	0	2	1	1	0	3	19	22
7	छत्तीसगढ़	4	28	3	29	2	42	5	26	2	52	3	50	2	45	0	22	301	323
8	दादर और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1
9	दमन और द्वीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
10	दिल्ली	5	27	2	30	3	22	5	27	3	29	3	25	6	33	7	70	368	445
11	गोवा	0	5	0	1	0	0	0	4	1	4	0	1	0	0	0	8	24	32
12	गुजरात	8	44	17	34	20	37	15	54	20	52	7	54	16	55	0	178	476	654
13	हरियाणा	5	34	6	41	2	49	2	49	4	58	2	51	9	59	1	54	422	477
14	हिमाचल प्रदेश	1	1	0	2	0	2	0	5	0	5	0	3	1	3	0	9	24	33
15	जम्मु और कश्मीर	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	2	1	25	3	29
16	झारखण्ड	4	55	6	41	3	53	5	66	4	62	3	59	3	77	0	29	446	475
17	कर्नाटक	9	41	16	49	4	52	9	51	5	67	8	56	5	76	0	96	579	675
18	केरल	4	33	4	50	4	51	6	51	5	44	3	37	6	56	1	60	428	489
19	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	मध्य प्रदेश	7	38	1	36	3	30	2	49	4	44	10	59	10	97	1	109	612	722
21	महाराष्ट्र	27	125	26	117	32	148	23	138	20	115	21	130	25	174	0	292	1,596	1,888
22	मणिपुर	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	11	3	15
23	मेघालय	3	2	3	3	3	3	2	6	0	4	1	1	3	0	1	22	40	63
24	मिजोरम	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	8
25	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	7	3	10
26	उड़ीसा	7	49	1	41	1	52	3	39	2	42	2	53	6	50	0	37	532	569
27	पुडुचेरी	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	2	1	5	4	10
28	पंजाब	7	70	9	65	7	81	6	65	6	100	1	87	7	100	0	110	750	860
29	राजस्थान	5	49	6	55	5	45	0	50	7	50	3	54	2	58	1	69	557	627
30	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	1	3
31	तमिलनाडु	7	48	17	51	12	106	9	98	7	101	16	103	6	104	6	128	797	931
32	त्रिपुरा	1	0	1	1	0	0	1	4	1	4	1	5	1	4	0	11	18	29
33	उत्तर प्रदेश	11	183	16	169	18	199	7	219	18	259	11	241	32	312	8	225	2,401	2,634
34	उत्तराखंड	3	8	1	7	2	7	3	9	1	10	1	7	5	14	0	16	68	84
35	पश्चिम बंगाल	17	54	16	49	13	43	11	64	8	76	7	69	8	89	0	158	688	846
36	विदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1
कुल		165	1140	183	1157	162	1300	136	1357	139	1591	119	1477	188	1789	34	2202	14609	16845
कुल (वर्ष–वार)		**1305**		**1340**		**1462**		**1493**		**1730**		**1596**		**1977**					

पीसी > पुलिस हिरासतीय मौतें जेसी > न्यायिक हिरासत (जेल) मौतें

1993–1994 के लिए पुलिस हिरासत या न्यायिक हिरासत (जेल) मौतों की कोई भी आंकड़े अलग से उपलब्ध।

अनुलग्नक 2 पैरा 6.2

1 अप्रैल 2007 को राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार लंबित मामलों की संख्या दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	ऐसे मामले जिनपर प्राथमिक स्तर पर विचार किया जाना है				वे लंबित मामले जिनके संबंध में रिपोर्ट या तो प्राप्त हो चुकी हैं या प्राप्त होती है।			
		शिकायत/ स्वतः संज्ञान	प्राप्त सूचना		कुल	शिकायत	हिरासतीय मौतों के मामले	मुठभेड़ मौतों के मामले	कुल (7+8+9)
			हिरासतिय मौतें	मुठभेड़ मौतें					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	संपूर्ण भारत	0	0	0	0	7	0	0	7
2	आंध्र प्रदेश	1	0	1	2	262	319	35	616
3	अरुणाचल प्रदेश	1	0	0	1	14	5	0	19
4	असम	0	0	0	0	147	45	14	206
5	बिहार	0	1	0	1	2280	560	6	2846
6	गोवा	0	0	0	0	8	6	0	14
7	गुजरात	4	1	0	5	436	205	3	644
8	हरियाणा	5	0	0	5	1049	125	6	1180
9	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	48	5	0	53
10	जम्मू और कश्मीर	2	0	0	2	321	6	3	330
11	कर्नाटक	2	1	0	3	271	225	16	512
12	केरल	0	0	0	0	120	78	1	199
13	मध्य प्रदेश	4	1	0	5	652	125	14	791
14	महाराष्ट्र	2	2	0	4	1031	314	35	1380
15	मणिपुर	0	0	0	0	90	2	1	93
16	मेघालय	0	0	0	0	3	7	1	11
17	मिज़ोरम	0	0	0	0	12	1	0	13
18	नागालैंड	0	0	0	0	19	1	0	20
19	उड़ीसा	3	1	0	4	903	89	4	996
20	पंजाब	3	1	0	4	552	96	2	650
21	राजस्थान	1	1	0	2	871	71	35	977
22	सिक्किम	0	0	0	0	4	0	0	4
23	तमिलनाडु	4	2	0	6	449	399	12	860
24	त्रिपुरा	0	0	0	0	39	15	1	55
25	उत्तर प्रदेश	22	4	0	26	13150	820	393	14363
26	पश्चिम बंगाल	10	2	0	12	578	66	7	651
27	अंडमान और निकोबार	0	0	0	0	11	1	0	12
28	चंडीगढ़	0	0	0	0	37	8	0	45
29	दादर एवं नागर हवेली	0	0	0	0	3	0	0	3
30	दमन एवं दीयू	0	0	0	0	4	0	0	4
31	दिल्ली	59	0	0	59	2227	70	37	2334
32	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0
33	पुदुचेरी	2	0	0	2	21	4	0	25
34	छत्तीसगढ़	0	0	0	0	149	83	3	235
35	झारखंड	1	1	0	2	631	165	2	798
36	उत्तराखंड	1	1	0	2	659	39	31	729
37	विदेश	1	0	0	1	58	0	0	58
कुल		**128**	**19**	**1**	**148**	**27116**	**3955**	**662**	**31733**
कुल जोड़ *(6+10)* = 148+31733=31881									

अनुलग्नक 3 पैरा 6.2, 6.3 & 6.4

1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2008 के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार पंजीकृत मामलों में संख्या दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	शिकायतें	स्वतः संज्ञान	हिरासतिय मौतों/बलात्कारों से संबंधित प्राप्त सूचना				मुठभेड़ मौतों के संबंध में प्राप्त सूचना	कुल (3+4+5+6+7+8+9)
				पुलिस हिरासत	न्यायिक हिरासत (जेल)	रक्षा संघ सैनिक बल	हिरासतिय बलात्कार		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	संपूर्ण भारत	132	0	0	0	0	0	0	132
2	आंध्र प्रदेश	1415	7	9	132	0	0	20	1583
3	अरुणाचल प्रदेश	31	1	0	1	0	0	1	34
4	असम	180	4	12	19	0	0	22	237
5	बिहार	4348	11	8	222	0	3	3	4595
6	गोवा	45	0	0	0	0	0	0	45
7	गुजरात	1888	3	16	55	0	0	1	1963
8	हरियाणा	3601	9	9	59	0	1	7	3686
9	हिमाचल प्रदेश	137	0	1	3	0	0	0	141
10	जम्मू और कश्मीर	207	1	3	2	3	0	2	218
11	कर्नाटक	1662	1	5	76	0	0	6	1750
12	केरल	398	5	6	56	0	0	0	465
13	मध्य प्रदेश	2726	1	10	97	0	1	3	2838
14	महाराष्ट्र	2609	3	25	174	0	0	10	2821
15	मणिपुर	53	0	0	0	0	1	1	55
16	मेघालय	26	0	3	0	0	0	0	29
17	मिज़ोरम	16	0	0	0	0	0	0	16
18	नागालैंड	7	0	0	2	0	0	0	9
19	उड़ीसा	1147	4	6	50	0	0	1	1208
20	पंजाब	2020	3	7	100	0	0	2	2132
21	राजस्थान	2913	2	2	58	0	1	0	2976
22	सिक्किम	18	0	1	1	0	0	0	20
23	तमिलनाडु	2303	4	6	104	0	1	1	2419
24	त्रिपुरा	46	0	1	4	0	0	0	51
25	उत्तर प्रदेश	58412	18	32	312	0	7	84	58865
26	पश्चिम बंगाल	1021	7	8	89	1	0	3	1129
27	अंडमान और निकोबार	22	0	0	0	0	0	0	22
28	चंडीगढ़	143	1	1	1	0	0	0	146
29	दादर एवं नागर हवेली	11	0	0	1	0	0	0	12
30	दमन एवं दीयू	18	0	0	0	0	0	0	18
31	दिल्ली	6153	16	6	33	0	0	2	6210
32	लक्षद्वीप	5	0	0	0	0	0	0	5
33	पुदुचेरी	71	0	0	2	0	0	0	73
34	छत्तीसगढ़	724	1	2	45	0	2	0	774
35	झारखंड	1620	4	3	77	0	1	5	1710
36	उत्तराखंड	2024	1	5	14	0	0	3	2047
37	विदेश	180	1	1	0	0	0	0	182
कुल योग		**98332**	**108**	**188**	**1789**	**4**	**18**	**177**	**100616**

अनुलग्नक 4 पैरा 6.2 & 6.5

2007–2008 के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार निपटाए गए मामलों का विवरण

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	आरंभ मे ही खारिज	निर्देशों सहित निपटाए गए	राज्य मानव अधिकार आयोगों की स्थानांतरित	रिपोर्ट प्रति के पश्चात् निर्णय				कुल
					शिकायत/ स्वतः संज्ञान के मामले	हिरासतीय मौतों के मामले	हिरासतीय बलात्कार के मामले	मुठभेड़ मौतों के मामले	
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*7*	*8*	*9*	*10*
1	संपूर्ण भारत	115	14	0	2	0	0	0	131
2	आंध्र प्रदेश	889	436	34	240	57	0	2	1658
3	अरुणाचल प्रदेश	23	7	0	5	0	0	0	35
4	असम	121	34	0	65	15	0	4	239
5	बिहार	2859	1238	0	1065	136	0	2	5300
6	गोवा	29	10	0	2	0	0	0	41
7	गुजरात	1680	203	8	121	25	0	0	2037
8	हरियाणा	2327	993	0	332	23	0	1	3676
9	हिमाचल प्रदेश	97	34	1	32	4	0	0	168
10	जम्मू और कश्मीर	132	59	0	70	1	0	0	262
11	कर्नाटक	1373	241	16	119	15	0	1	1765
12	केरल	339	41	7	47	9	0	0	443
13	मध्य प्रदेश	1988	605	45	263	40	1	1	2943
14	महाराष्ट्र	2038	374	203	525	30	0	2	3172
15	मणिपुर	18	13	0	22	1	0	0	54
16	मेघालय	20	1	0	3	2	0	0	26
17	मिज़ोरम	11	3	0	1	0	0	0	15
18	नागालैंड	4	3	0	0	1	0	0	8
19	उड़ीसा	765	344	4	204	52	0	0	1369
20	पंजाब	1690	257	24	125	59	0	1	2156
21	राजस्थान	1979	743	42	283	11	1	0	3059
22	सिक्किम	14	1	0	1	1	0	0	17
23	तमिलनाडु	1513	602	38	215	49	0	1	2418
24	त्रिपुरा	35	6	0	13	0	0	0	54
25	उत्तर प्रदेश	35312	17513	1074	4841	119	0	37	58896
26	पश्चिम बंगाल	660	227	72	213	64	0	1	1237
27	अंडमान और निकोबार	20	2	0	1	0	0	0	23
28	चंडीगढ़	100	34	0	14	0	1	0	149
29	दादर एवं नागर हवेली	9	3	0	1	0	0	0	13
30	दमन एवं दीयू	17	1	0	1	0	0	0	19
31	दिल्ली	4407	1478	0	779	7	0	4	6675
32	लक्षद्वीप	5	0	0	0	0	0	0	5
33	पुदुचेरी	55	13	0	4	0	0	0	72
34	छत्तीसगढ़	481	182	8	41	8	0	0	720
35	झारखंड	1163	349	0	214	6	0	0	1732
36	उत्तराखंड	1355	480	0	224	9	0	5	2073
37	विदेश	120	56	0	12	0	0	0	188
कुल योग		**63763**	**26600**	**1576**	**10100**	**744**	**3**	**62**	**102848**

अनुलग्नक 5 पैरा 6.2

31 मार्च, 2008 तक राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार लंबित मामलों की संख्या दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	ऐसे मामले जिन पर प्राथमिक स्तर पर विचार किया जाना है				वे लंबित मामले जिनके संबंध में रिपोर्टें या तो प्राप्त हो चुकी हैं या प्राप्त होनी हैं			
		शिकायत/ स्वतः संज्ञान	प्राप्त सूचना		कुल	शिकायत	हिरासतीय मौतों के मामले	मुठभेड़ की मौतों के मामले	कुल
			हिरासतीय मौतें	मुठभेड़ मौतें					
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1	संपूर्ण भारत	3	0	0	3	4	0	0	4
2	आंध्र प्रदेश	18	7	1	26	379	389	47	815
3	अरुणाचल प्रदेश	1	0	0	1	7	5	0	12
4	असम	14	0	2	16	85	67	33	185
5	बिहार	105	6	0	111	1449	533	5	1987
6	गोवा	1	0	0	1	13	5	0	18
7	गुजरात	10	3	0	13	350	238	3	591
8	हरियाणा	109	1	0	110	696	172	10	878
9	हिमाचल प्रदेश	1	0	0	1	24	7	0	31
10	जम्मू और कश्मीर	6	0	0	6	184	9	5	198
11	कर्नाटक	13	8	0	21	237	273	18	528
12	केरल	5	2	0	7	75	132	1	208
13	मध्य प्रदेश	64	3	0	67	422	172	13	607
14	महाराष्ट्र	25	17	0	42	451	453	46	950
15	मणिपुर	3	0	0	3	73	1	6	80
16	मेघालय	2	0	0	2	15	8	1	24
17	मिज़ोरम	0	0	0	0	9	1	0	10
18	नागालैंड	0	0	0	0	2	4	0	6
19	उड़ीसा	31	1	0	32	275	76	5	356
20	पंजाब	57	5	0	62	514	106	1	621
21	राजस्थान	68	1	0	69	528	117	34	679
22	सिक्किम	2	0	0	2	1	1	0	2
23	तमिलनाडु	35	13	0	48	502	434	5	941
24	त्रिपुरा	0	0	0	0	26	20	2	48
25	उत्तर प्रदेश	1451	5	0	1456	12556	873	413	13842
26	पश्चिम बंगाल	42	1	0	43	368	91	7	466
27	अंडमान और निकोबार	0	0	0	0	9	1	0	10
28	चंडीगढ़	2	0	0	2	32	10	0	42
29	दादर एवं नागर हवेली	0	0	0	0	2	1	0	3
30	दमन एवं दीयू	0	0	0	0	3	0	0	3
31	दिल्ली	120	1	0	121	1317	106	29	1452
32	लक्षद्वीप	0	0	0	0	1	0	0	1
33	पुदुचेरी	2	0	0	2	11	7	0	18
34	छत्तीसगढ़	18	1	0	19	168	98	2	268
35	झारखंड	31	0	0	31	568	228	8	804
36	उत्तराखंड	57	1	0	58	464	47	25	536
37	विदेश	4	0	0	4	46	0	0	46
कुल		2300	76	3	2379	21866	4685	719	27270
कुल योग *(6+10)* 2379+27270 = 29649									

अनुलग्नक 6 पैरा 6.6 to 6.10

2007–2008 के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार और वर्गवार लंबित मामलों का प्रतिवेदन दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	तथाकथित गुमशुदगी	तथाकथित झूठे आरोप	हिरासतीय हिंसा	अवैध गिरफ्तारी	गैर कानूनी निरोध	कार्रवाई करने में असफलता	तथाकथित झुठी मुठभेड़ें	पुलिस की अन्य तथाकथित ज्यादतियाँ	कुल
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	संपूर्ण भारत	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	आंध्र प्रदेश	1	9	0	11	6	34	8	55	124
3	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	1	0	1	2
4	असम	0	3	0	0	0	11	1	8	23
5	बिहार	3	47	0	2	15	277	4	168	516
6	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	1	1
7	गुजरात	0	12	0	0	6	19	0	19	56
8	हरियाणा	2	12	0	3	12	92	1	43	165
9	हिमाचल प्रदेश	1	0	0	0	0	4	0	7	12
10	जम्मू और कश्मीर	1	1	0	1	3	0	1	11	18
11	कर्नाटक	0	4	0	4	4	10	0	29	51
12	केरल	1	1	0	1	1	4	0	6	14
13	मध्य प्रदेश	1	3	0	2	6	54	1	34	101
14	महाराष्ट्र	7	9	0	1	3	21	3	17	61
15	मणिपुर	0	0	0	1	1	0	0	4	6
16	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	1	1
17	मिज़ोरम	0	0	0	0	0	0	0	1	1
18	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	उड़ीसा	1	2	0	2	1	16	0	24	46
20	पंजाब	0	4	0	0	2	20	0	19	45
21	राजस्थान	0	5	0	3	5	36	1	47	97
22	सिक्किम	0	0	0	0	0	1	0	0	1
23	तमिलनाडु	2	13	0	12	16	28	1	57	129
24	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	1	0	5	6
25	उत्तर प्रदेश	5	95	1	261	474	721	32	1759	3348
26	पश्चिम बंगाल	1	2	0	0	1	33	1	35	73
27	अंडमान और निकोबार	0	0	0	0	0	0	0	1	1
28	चंडीगढ़	0	1	0	0	0	2	0	4	7
29	दादर एवं नागर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	1	1
30	दमन एवं दीयू	0	0	0	0	0	1	0	0	1
31	दिल्ली	2	14	1	6	93	145	0	167	428
32	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	पुदुचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	छत्तीसगढ़	0	1	0	1	1	3	0	5	11
35	झारखंड	2	9	0	2	3	29	0	33	78
36	उत्तराखंड	2	7	0	5	22	26	3	61	126
37	विदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल योग	**32**	**254**	**2**	**318**	**675**	**1589**	**57**	**2623**	**5550**

* मामले आरंभ मे ही खारिज या निर्देशों सहित निपटाए या राज्य मानव अधिकार आयोग

(अनुलग्नक–6 जारी...)

2007–2008 के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार और वर्गवार निपटाए गए रिपोर्ट मामलों को दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	महिलाओं का अपमान	यौन उत्पीड़न	अपहरण बलात्कार और कत्ल	दहेज मौतें या इसके प्रयास	दहेज मांग	महिलाओं का शोषण	महिलाओं का बलात्कार	कुल
12	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*
1	संपूर्ण भारत	0	0	0	0	0	0	0	0
2	आंध्र प्रदेश	2	8	4	3	2	1	4	24
3	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0
4	असम	2	0	0	0	0	0	2	4
5	बिहार	9	11	22	106	15	18	39	220
6	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0
7	गुजरात	1	1	1	0	2	0	3	8
8	हरियाणा	6	3	18	22	4	1	11	65
9	हिमाचल प्रदेश	0	0	3	0	2	1	0	6
10	जम्मू और कश्मीर	0	2	1	1	0	0	2	6
11	कर्नाटक	0	6	1	5	2	1	1	16
12	केरल	0	1	0	1	0	0	0	2
13	मध्य प्रदेश	5	3	12	20	4	1	9	54
14	महाराष्ट्र	1	3	2	4	0	1	2	13
15	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0
16	मेघालय	0	0	1	0	0	0	0	1
17	मिज़ोरम	0	0	0	0	0	0	0	0
18	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0
19	उड़ीसा	8	4	1	13	5	3	6	40
20	पंजाब	1	1	0	0	0	1	0	3
21	राजस्थान	7	1	8	14	5	7	12	54
22	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0
23	तमिलनाडु	5	2	1	3	2	1	3	17
24	त्रिपुरा	1	0	0	0	0	0	0	1
25	उत्तर प्रदेश	36	26	161	210	52	22	117	624
26	पश्चिम बंगाल	2	1	7	5	4	2	4	25
27	अंडमान और निकोबार	0	0	0	0	0	0	0	0
28	चंडीगढ़	1	0	2	1	0	0	0	4
29	दादर एवं नागर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0
30	दमन एवं दीयू	0	0	0	0	0	0	0	0
31	दिल्ली	5	12	27	17	10	6	13	90
32	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0
33	पुदुचेरी	0	0	0	0	0	0	1	1
34	छत्तीसगढ़	1	1	1	0	0	0	2	5
35	झारखंड	4	2	3	16	3	8	8	44
36	उत्तराखंड	3	1	2	2	5	2	3	18
37	विदेश	0	0	0	0	0	1	0	1
	कुल योग	**100**	**89**	**278**	**443**	**117**	**77**	**242**	**1346**

(अनुलग्नक–6 जारी...)

2007–2008 के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार और वर्गवार निपटाए गए रिपोर्ट मामलों को दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	बाल श्रम	बाल विवाह	बंधुआ मजदूरी	कैदियों का तथाकथित उत्पीड़न	जेलों में चिकित्सकीय सुविधाओं की कमी	जेल स्थितियाँ	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति पर अत्याचार	सांप्रदायिक हिंसा	अन्य मामले	कुल (24-32)	कुल (11+21+33)
22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
1	संपूर्ण भारत	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	**2**
2	आंध्र प्रदेश	4	0	2	1	0	2	9	0	74	92	**240**
3	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	**5**
4	असम	0	0	0	0	0	1	1	0	36	38	**65**
5	बिहार	1	0	3	6	5	22	43	1	248	329	**1065**
6	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	**2**
7	गुजरात	0	0	1	1	1	1	1	1	51	57	**121**
8	हरियाणा	1	1	13	7	0	7	3	1	69	102	**332**
9	हिमाचल प्रदेश	0	0	2	0	0	0	0	0	12	14	**32**
10	जम्मू और कश्मीर	0	0	2	0	0	1	0	0	43	46	**70**
11	कर्नाटक	2	0	5	1	0	7	1	0	36	52	**119**
12	केरल	0	0	0	0	0	1	0	0	30	31	**47**
13	मध्य प्रदेश	1	0	0	1	1	0	6	0	99	108	**263**
14	महाराष्ट्र	1	0	0	11	2	20	2	0	415	451	**525**
15	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16	**22**
16	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	**3**
17	मिज़ोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
18	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
19	उड़ीसा	1	0	3	3	1	3	2	0	105	118	**204**
20	पंजाब	0	0	8	11	0	5	3	0	50	77	**125**
21	राजस्थान	2	5	2	6	0	7	28	0	82	132	**283**
22	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
23	तमिलनाडु	0	1	3	2	0	3	10	0	50	69	**215**
24	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	**13**
25	उत्तर प्रदेश	12	9	32	54	14	45	51	0	652	869	**4841**
26	पश्चिम बंगाल	0	1	0	2	0	1	1	0	110	115	**213**
27	अंडमान और निकोबार	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
28	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	**14**
29	दादर एवं नागर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
30	दमन एवं दीयू	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
31	दिल्ली	3	3	3	9	1	12	5	0	225	261	**779**
32	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
33	पुदुचेरी	0	0	0	1	0	0	0	0	2	3	**4**
34	छत्तीसगढ़	0	0	0	0	0	2	3	0	20	25	**41**
35	झारखंड	1	0	0	3	2	4	5	0	77	92	**214**
36	उत्तराखंड	0	0	3	4	1	2	1	0	69	80	**224**
37	विदेश	0	0	0	0	0	1	0	0	10	11	**12**
	कुल योग	**29**	**20**	**82**	**123**	**28**	**147**	**175**	**3**	**2597**	**3204**	**10100**

अनुलग्नक 7 पैरा 6.13 & 6.284

2007–2008 के दौरान ऐसे मामलों की कुल संख्या जिसमें आयोग ने आर्थिक राहत देने/अनुशासनिक कार्रवाई करने/मुकदमा चलाने की संस्तुति की।

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	उन मामलों की संख्या जिसमें 2007–08 के दौरान संस्तुतियाँ की गई	संस्तुति–राशि	ऐसे मामलों की संख्या जिसमें संस्तुतियों का अनुपालन किया गया	भुगतान की गई राशि एंव अन्य सिफारिशों की स्थिति	अनुपालन के लिए लंबित मामलों की संख्या	संस्तुत की गई राशि/अनुपालन के लिए लंबित कार्रवाई
1	आंध्रप्रदेश	18 मामले (एक मामले में अनुशासनिक कार्रवाई सहित 17 मामलों में आर्थिक राहत एवं एक मामले में केवल अनुशासनिक कार्रवाई)	50,75,000	11	44,00,000 एवं एक मामले में अनुशासनिक कार्रवाई	7 मामले (6 मामले में आर्थिक राहत एवं 1 मामले में अनुशासनिक कार्रवाई)	6,75,000 एवं 1 मामले में अनुशासनिक कार्रवाई
2	अरूणाचल प्रदेश	दो मामलों में आर्थिक राहत	4,00,000	1	3,00,000	1	1,00,000
3	असम	4 मामलों में आर्थिक राहत	8,00,000	1	4,00,000	3	4,00,000
4	बिहार	22 मामलों में आर्थिक राहत जिसमें से एक मामले में अनुशासनिक कार्रवाई भी संस्तुत की गई	38,35,000	7	13,35,000	15	25,00,000 एवं 1 मामले में अनुशासनिक कार्रवाई
5	गुजरात	6 (एक मामले में अनुशासनिक कार्रवाई सहित 5 मामलों में आर्थिक राहत की संस्तुति एवं 1 मामले में केवल अनुशासनिक कार्रवाई संस्तुत की गई)	10,00,000	3	7,00,000 1 मामले में अनुशासनिक कार्रवाई	3	3,00,000 एवं 1 मामले में अनुशासनिक कार्रवाई
6	हरियाणा	8 मामलों में आर्थिक राहत	8,10,000	7	7,90,000	1	20,000.00
7	जम्मू और कश्मीर	4 मामलों में आर्थिक राहत	11,50,000	1	2,00,000	3	9,50,000
8	कर्नाटक	4 मामलों में आर्थिक राहत	8,00,000	3	5,00,000	1	3,00,000
9	केरल	4 मामलों में आर्थिक राहत	2,80,000	3	2,30,000	1	50,000
10	मध्य प्रदेश	9 मामलों में आर्थिक राहत	22,25,000	8	19,25,000	1	3,00,000
11	महाराष्ट्र	7 मामलों में आर्थिक राहत	10,00,000	1	1,00,000	6	9,00,000
12	मणिपुर	1 मामलों में आर्थिक राहत	60,000	1	60,000	-	-
13	उडीसा	6 मामलों में आर्थिक राहत	3,35,000	4	1,35,000	2	2,00,000
14	पंजाब	5 मामलों में आर्थिक राहत जिसमें से 1 मामले में अनुशासनिक कार्रवाई भी संस्तुत की गई	7,25,000	4	4,25,000	1	3,00,000 एवं 1 मामलें में अनु–शासनिक कार्रवाई
15	राजस्थान	1 मामलों में आर्थिक राहत	30,000	-	-	1	30,000
16	तमिलनाडु	11 मामलों में आर्थिक राहत जिसमें से 3 मामलों में अनुशासनिक कार्रवाई एवं 1 मामले में दोशी जनसेवक के विरूद्ध अभियोजन की संस्तुति की गई	12,85,000	6	8,10,000 एवं 2 मामलों में अनुशासनिक कार्रवाई भी की गई	5	4,75,000 एवं 1 मामले में अनुशासनिक कार्रवाई के साथ–साथ दोषी जनसेवक
17	उत्तर प्रदेश	62 मामलों में आर्थिक राहत जिसमें से 1 मामलें में अनुशासनिक कार्रवाई एवं दोषी जनसेवक के विरूद्ध अभियोजन की संस्तुति की गई	81,95,000	36	45,95,000	26	36,00,000 एवं अनुशासनिक कार्रवाई के साथ–साथ दोषी जनसेवक के विरूद्ध अभियोजन
18	पश्चिम बंगाल	5 मामलों में आर्थिक राहत	15,00,000	2	12,50,000	3	2,50,000
19	दिल्ली	9 मामलों में आर्थिक राहत	10,70,000	6	8,60,000	3	2,10,000
20	छत्तीसगढ	2 मामलों में आर्थिक राहत	6,00,000	1	1,00,000	1	5,00,000
21	झारखंड	8 मामलों में आर्थिक राहत	6,55,000	5	3,45,000	3	3,10,000
22	उत्तराखंड	3 मामलों में आर्थिक राहत जिसमें से 1 मामलें में अनुशासनिक कार्रवाई की संस्तुति की गई	1,70,000	1	50,000 एवं 1 मामले में अनु–शासनिक कार्रवाई	2	1,20,000
	कुल	**199 मामलों में आर्थिक राहत, 11 मामलें में अनुशासनिक कार्रवाई एवं 2 मामलों में अभियोजन**	**3,20,00,000**	**112**	**1,95,10,000 अनुशासनिक कार्रवाई के 5 मामलों सहित**	**89**	**1,24,90,000 अनुशासनिक कार्रवाई के 6 मामलों एवं अभियोजन के 2 मामलों सहित**

अनुलग्नक 8 पैरा 6.285

वर्ष 2007–2008 के दौरान वित्तीय राहत/अनुशासनात्मक कार्रवाई/अभियोजन के लिए आयोग की सिफारिशों के अनुपालन के लिए लंबित मामलों का विवरण दर्शाने वाली तालिका

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	केस संख्या	शिकायत की प्रकृति	संस्तुति	संस्तुति की तिथि	टिप्पणियाँ
1.	आंध्र प्रदेश	393/1/2002-2003-सी.डी.	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	वित्तीय राहत के रूप में 50,000/–रू0 की संस्तुति	26.12.2007	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
2.	आंध्र प्रदेश	673/1/2004-2005-सी.डी.	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	वित्तीय राहत के रूप में 50,000/–रू0 की संस्तुति	08.10.2007	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
3.	आंध्र प्रदेश	330/1/2002-2003-सी.डी.	पुलिस हिरासत में मौत (सूचना)	वित्तीय राहत के रूप में 1,00,000/–रू0 की संस्तुति	11.02.2008	अनुपालन रिपोर्ट और भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
4.	आंध्र प्रदेश	611/1/2002-2003-सी.डी.	पुलिस हिरासत में मौत (सूचना)	वित्तीय राहत के रूप में 75,000/–रू0 की संस्तुति	26.07.2007	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
5.	आंध्र प्रदेश	819/1/2004-2005-सी.डी.	पुलिस हिरासत में मौत (सूचना)	दोशी डॉक्टर के विरूद्ध विभागीय जाँच	15.02.2008	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
6.	आंध्र प्रदेश	308/1/2003-2004-सी.डी.	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	वित्तीय राहत के रूप में 1,00,000/–रू0 की संस्तुति	14.02.2008	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
7.	आंध्र प्रदेश	614/1/2001-2002-सी.डी.	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	वित्तीय राहत के रूप में 3,00,000/–रू0 की संस्तुति	03.03.2008	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
8.	अरूणाचल प्रदेश	14/2/2003-2004-सी.डी.	पुलिस हिरासत में मौत (सूचना)	वित्तीय राहत के रूप में 1,00,000/–रू0 की संस्तुति	12.12.2007	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
9.	असम	111/3/2003-2004-सी.डी.	पुलिस हिरासत में मौत (सूचना)	वित्तीय राहत के रूप में 1,00,000/–रू0 की संस्तुति	20.02.2008	एक लाख रूपये का संस्वीकृति आदेश पारित किया गया। यद्यपि भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
10.	असम	25/3/2002-2003-सी.डी.	पुलिस हिरासत में मौत (सूचना)	वित्तीय राहत के रूप में 2,00,000/–रू0 की संस्तुति	27.08.2007	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
11.	असम	106/3/2001-2002-ए.एफ.	बागी आपरेशन की जवाबी कार्रवाई के दौरान एक कर्नल की मौत	वित्तीय राहत के रूप में 1,00,000/–रू0 की संस्तुति	19.03.2008	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
12.	बिहार	1231/4/2000-01-सी.डी.	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	वित्तीय राहत के रूप में 2,00,000/–रू0 की संस्तुति	8.05.2007	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
13.	बिहार	3731/4/02-03	फर्जी मुठभेड़ में मौत (सूचना)	वित्तीय राहत के रूप में 2,00,000/–रू0 की संस्तुति	17.05.2007	अनुपालन रिपोर्ट और भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है

जारी...

14.	बिहार	2812/4/97-98	फर्जी मुठभेड़ में मौत (सूचना)	वित्तीय राहत के रूप में 3,00,000/–रू0 की संस्तुति	1.08.2007	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
15.	बिहार	1633/4/2005-2006	अध्यापिका द्वारा बुरी तरह से पीटे जाने के कारण छात्र की मौत (स्वतः संज्ञान)	वित्तीय राहत के रूप में 2,00,000/–रू0 की संस्तुति	8.08.2007	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
16.	बिहार	3133/4/97-98	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	वित्तीय राहत के रूप में 2,00,000/–रू0 की संस्तुति	24.09.2007	अनुपालन रिपोर्ट और भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
17.	बिहार	689/4/2002-2003-सी.डी.	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	वित्तीय राहत के रूप में 1,00,000/–रू0 की संस्तुति	9.12.2007	अनुपालन रिपोर्ट और भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
18.	बिहार	2887/4/2005-2006-सी.डी.	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	वित्तीय राहत के रूप में 1,00,000/–रू0 की संस्तुति	3.12.2007	अनुपालन रिपोर्ट और भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
19.	बिहार	1015/4/2002-2003-सी.डी.	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	वित्तीय राहत के रूप में 3,00,000/–रू0 की संस्तुति	17.12.2007	अनुपालन रिपोर्ट और भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
20.	बिहार	2252/4/2003-2004-सी.डी.	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	वित्तीय राहत के रूप में 1,00,000/–रू0 की संस्तुति	28.12.2007	अनुपालन रिपोर्ट और भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
21.	बिहार	2848/4/2002-2003-सी.डी.	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	वित्तीय राहत के रूप में 1,50,000/–रू0 की संस्तुति	2.01.2008	अनुपालन रिपोर्ट और भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
22.	बिहार	2417/4/98-99	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	वित्तीय राहत के रूप में 1,00,000/–रू0 की संस्तुति	25.02.2008	अनुपालन रिपोर्ट और भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
23.	बिहार	1676/4/2003-2004-सी.डी.	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	वित्तीय राहत के रूप में 1,50,000/–रू0 की संस्तुति	12.03.2008	अनुपालन रिपोर्ट और भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
24.	बिहार	838/4/2006-2007-सी.डी.	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	वित्तीय राहत के रूप में 1,00,000/–रू0 की संस्तुति	29.02.2008	अनुपालन रिपोर्ट और भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
25.	बिहार	656/4/2000-2001-सी.डी.	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	वित्तीय राहत के रूप में 1,00,000/–रू0 की संस्तुति	18.02.2008	अनुपालन रिपोर्ट और भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
26.	बिहार	1902/4/2000-2001	बिजली की लटकी हुई तार से करंट लगने के कारण हुई मौत की शिकायत	वित्तीय राहत के रूप में 2,00,000/–रू0 की संस्तुति	20.02.2008	अनुपालन रिपोर्ट और भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
27.	गुजरात	653/6/2002-2003-सी.डी.	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	वित्तीय राहत के रूप में 2,00,000/–रू0 की संस्तुति	3.09.2007	मामला उच्च न्यायालय में लंबित है।
28.	गुजरात	310/6/2003-2004-सी.डी.	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	वित्तीय राहत के रूप में 1,00,000/–रू0 की संस्तुति	5.09.2007	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
29.	गुजरात	136/6/25/07-08-सी.डी.	हरियाणा पुलिस द्वारा उत्पीड़न एवं प्रताड़ना	आयोग ने दोषी पुलिस अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की सस्तुति की।	15.02.2008	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है

जारी...

30.	हरियाणा	1906/7/2006-2007 -डब्ल्यू.सी.	पुलिस द्वारा एक लड़की के साथ दुर्व्यवहार का आरोप (स्वतः संज्ञान)	वित्तीय राहत के रूप में 20,000/–रू0 की दोशी पुलिस कर्मी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की सस्तुति की।	19-2-2008	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
31.	जम्मू और कश्मीर	162/9/1999-2000	स्थानीय पुलिस द्वारा अवैद्य हिरासत और उत्पीड़न (शिकायत)	वित्तीय राहत के रूप में 1,00,000/–रू0 की संस्तुति	12-2-2008	अनुपालन रिपोर्ट और भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
32.	जम्मू और कश्मीर	97/9/2005-2006	पुलिस गोलीबारी में मौंत (सूचना)	2,50,000/– की संस्तुति (अर्थात् 2,00,000/–रू0 निशुशर्मा तथा 50,000/– श्री राकेश शर्मा के लिए)	22.08.2007	अनुपालन रिपोर्ट और भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
33.	जम्मू और कश्मीर	179/9/2002-2003 -ए.डी.	सैन्य कर्मियों द्वारा 3 व्यक्तियों की कथित मौंत (शिकायत)	भारत सरकार के प्रत्येक मृतक व्यक्ति के निकटतम रिश्तेदार को 2 लाख रूपये का भुगतान करने की संस्तुति (6,00,000/–रू0)	03.08.2007	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
34.	कर्नाटक	180/10/2004-2005-सी.डी.	पुलिस हिरासत में मौंत (सूचना)	वित्तीय राहत के रूप में 3,,00,000/–रू0 की संस्तुति	17.09.2007	अनुपालन रिपोर्ट और भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
35.	केरल	95/11/99-2000	समय से चिकित्सा देखरेख न मिलने के कारण ड्यूटी पर तैनात हैडकांस्टेबल की मौंत (शिकायत)	वित्तीय राहत के रूप में 50,000/–रू0 की संस्तुति	29.08.2007	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है क्योंकि मामलों को केरल उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है।
36.	मध्य प्रदेश	12/395/95-एल.डी.	पुलिस प्रताड़ना के कारण मौंत (शिकायत)	वित्तीय राहत के रूप में 3,00,000/–रू0 की संस्तुति	6.02.2008	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
37.	महाराष्ट्र	2788/13/03-04-सी.डी.	पुलिस हिरासत में मौंत (सूचना)	वित्तीय राहत के रूप में 2,00,000/–रू0 की संस्तुति	30.05.2007	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
38.	महाराष्ट्र	548/13/03-04-सी.डी.	पुलिस हिरासत में मौंत (सूचना)	वित्तीय राहत के रूप में 1,00,000/–रू0 की संस्तुति	11.06.2007	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
39.	महाराष्ट्र	1287/13/02-03-सी.डी.	पुलिस हिरासत में मौंत (सूचना)	वित्तीय राहत के रूप में 2,00,000/–रू0 की संस्तुति	18.06.2007	अनुपालन रिपोर्ट और भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
40.	महाराष्ट्र	2021/13/2000-2001-ऐ.डी.	पुलिस हिरासत में मौंत (सूचना)	वित्तीय राहत के रूप में 2,00,000/–रू0 की संस्तुति	14.01.2008	अनुपालन रिपोर्ट और भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
41.	महाराष्ट्र	415/13/02-03-सी.डी.	न्यायिक हिरासत में मौंत (सूचना)	वित्तीय राहत के रूप में 1,00,000/–रू0	30.01.2008	अनुपालन रिपोर्ट और भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है

जारी...

42.	महाराष्ट्र	1299/13/2000-2001-सी.डी.	न्यायिक हिरासत में मौंत (सूचना)	वित्तीय राहत के रूप में 1,00,000/–रू0 की संस्तुति	04.03.2008	अनुपालन रिपोर्ट और भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
43.	उड़ीसा	42/18/2003-2004-सी.डी.	न्यायिक हिरासत में मौंत (सूचना)	वित्तीय राहत के रूप में 1,00,000/–रू0 की संस्तुति	12.12.2007	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
44.	उड़ीसा	323/18/04-05	न्यायिक हिरासत में मौंत (सूचना)	वित्तीय राहत के रूप में 1,00,000/–रू0 की संस्तुति	23.01.2008	अनुपालन रिपोर्ट और भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
45.	पंजाब	104/19/2006-2007	पुलिस द्वारा अवैध हिरासत एवं प्रताड़ना (शिकायत)	वित्तीय राहत के रूप में 3,00,000/–रू0 की संस्तुति	20.02.2008	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
46.	राजस्थान	1635/20/2002-2003	पुलिस द्वारा अवैध हिरासत	वित्तीय राहत के रूप में 30,000/–रू0 की संस्तुति	8.10.2007	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
47.	तमिलनाडु	1213/22/2002-2003	रिश्वत की मांग न पूरी करने पर झुठ केस में फंसाया जाना	वित्तीय राहत के रूप में 50,000/–रू0 की संस्तुति	14.03.2008	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
48.	तमिलनाडु	404/22/98-99	पुलिस द्वारा अवैध हिरासत (शिकायत)	वित्तीय राहत के रूप में 25,000/–रू0 की संस्तुति	28.11.2007	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
49.	तमिलनाडु	728/22/04-05-सी.डी.	पुलिस हिरासत में मौंत (सूचना)	वित्तीय राहत के रूप में 2,00,000/–रू0 की संस्तुति	31.03.2008	एक लाख रूपये का भुगतान पहले ही किया जा चुका है और शेश एक लाख रूपये का भुगतान किया जाना है
50.	तमिलनाडु	333/22/2004-2005	पुलिस द्वारा शारीरिक प्रताड़ना (शिकायत)	वित्तीय राहत के रूप में 1,00,000/–रू0 + दोषी पुलिस कर्मियों के विरूद्ध विभागीय कार्रवाई +अभियोजन	7.03.2008	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
51.	तमिलनाडु	482/22/2004-2005	वन अधिकारियों की हिरासत में मौंत	वित्तीय राहत के रूप में 1,00,000/–रू0 की संस्तुति	20.02.2008	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
52.	उत्तर प्रदेश	11/24/2006-07	पुलिस द्वारा गैर–कानूनी रूप से हिरासत (शिकायत)	वित्तीय राहत के रूप में 10,000/–रू0 की संस्तुति	28.02.2008	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
53.	उत्तर प्रदेश	18427/24/2001-2002	पुलिस द्वारा अवैध हिरासत(शिकायत)	वित्तीय राहत के रूप में 25,000/–रू0 की संस्तुति	12.11.2007	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
54.	उत्तर प्रदेश	36867/24/2002-2003	बंधुआ मजदूरों की मौंत और स्थानीय पुलिस की निश्क्रियता	वित्तीय राहत के रूप में 5,000/–रू0 की संस्तुति + दोशी पुलिस कर्मियों के विरूद्ध विभागीय कार्रवाई	8.11.2007	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
55.	उत्तर प्रदेश	12821/24/2002-2003	गलत वसूली प्रमाणपत्र के कारण राजस्व प्राधिकारियों द्वारा अवैध हिरासत (शिकायत)	वित्तीय राहत के रूप में 25,000/–रू0 की संस्तुति	22.02.2008	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है

जारी...

56.	उत्तर प्रदेश	16838/24/2004-2005	गलत तरीके से वसूली प्रकिया में राजस्व प्राधिकारियों द्वारा अवैध हिरासत (शिकायत)	वित्तीय राहत के रूप में 50,000/–रू0 की संस्तुति	07.03.2008	अनुपालन रिपोर्ट और भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
57.	उत्तर प्रदेश	14621/24/02-03-सी.डी.	न्यायिक हिरासत में मौंत (सूचना)	वित्तीय राहत के रूप में 10,000/–रू0 की संस्तुति	3.09.2007	अनुपालन रिपोर्ट और भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
58.	उत्तर प्रदेश	36/24(74)/96-LD एल.डी.	पुलिस हिरासत में मौंत (सूचना)	वित्तीय राहत के रूप में 1,00,000/–रू0 की संस्तुति	24.10.2007	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
59.	उत्तर प्रदेश	26685/24/1999-2000	पुलिस द्वारा गैर–कानूनी हिरासत (शिकायत)	वित्तीय राहत के रूप में 25,000/–रू0 की संस्तुति	12.11.2007	अनुपालन रिपोर्ट और भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
60.	उत्तर प्रदेश	7049/24/2000-2001-सी.डी.	न्यायिक हिरासत में मौंत (सूचना)	आयोग ने वित्तीय राहत के रूप में 3,00,000/–रू0 की संस्तुति	10.03.2008	भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
61.	उत्तर प्रदेश	26626/24/2000-2001	न्यायिक हिरासत में कथित मौंत (शिकायत)	10,50,000/– रू0 की संस्तुति (अर्थात् 5 मृतकों के नजदीकी रिश्तेदारों को 1,50,000/–रू0 तथा विश्वास नामक व्यक्ति को 3,00,000/–रू0)	17.03.2008	अनुपालन रिपोर्ट और भुगतान के साक्ष्य की प्रतीक्षा है
62.	उत्तर प्रदेश	43727/24/2005-2006	पुलिस द्वारा अवैध हिरासत (शिकायत)	वित्तीय राहत के रूप में 10,000/–रू0 की संस्तुति	04.03.2008	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
63.	उत्तर प्रदेश	38771/24/2002-2003	पुलिस द्वारा अवैध हिरासत (शिकायत)	वित्तीय राहत के रूप में 5,000/–रू0 की संस्तुति	30.08.2007	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
64.	उत्तर प्रदेश	6310/24/2003-2004-सी.डी.	न्यायिक हिरासत में मौंत (सूचना)	वित्तीय राहत के रूप में 1,00,000/–रू0 की संस्तुति	15.11.2007	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
65.	उत्तर प्रदेश	17012/24/2001-2002-सी.डी.	न्यायिक हिरासत में मौंत (सूचना)	वित्तीय राहत के रूप में 50,000/–रू0 की संस्तुति	14.02.2008	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
66.	उत्तर प्रदेश	30093/24/2004-2005-डबल्यु.डी.	कथित यौन शोशण (शिकायत)	वित्तीय राहत के रूप में 20,000/–रू0 की संस्तुति	26.12.2007	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
67.	उत्तर प्रदेश	39488/24/2002-2003	मुख्य वार्डन द्वारा कैदियों का उत्पीड़न(शिकायत)	वित्तीय राहत के रूप में 5,000/–रू0 की संस्तुति	26.12.2007	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
68.	उत्तर प्रदेश	19721/24/2005-2006	पुलिस द्वारा अवैध गिरफ्तारी (शिकायत)	वित्तीय राहत के रूप में 10,000/–रू0 की संस्तुति	12.03.2008	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
69.	उत्तर प्रदेश	30217/24/2002-2003-सी.डी.	पुलिस हिरासत में मौंत (सूचना)	वित्तीय राहत के रूप में 10,000/–रू0 की संस्तुति	20.02.2008	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
70.	उत्तर प्रदेश	24835/24/2002-2003-ऐ.डी.	न्यायिक हिरासत में कथित मौंत	वित्तीय राहत के रूप में 2,00,000/–रू0 की संस्तुति	25.06.2007	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
71.	उत्तर प्रदेश	24/2374/95-एल.डी.	फर्जी मुठभेड़ के बारे में शिकायत	वित्तीय राहत के रूप में 6,00,000/–रू0 की संस्तुति	04.07.2007	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है

जारी...

72.	उत्तर प्रदेश	43972/24/2006-2007	मजदूरों को ईंट भट्टे में बंधुआ मजदूों के रूप में रखे जाने संबंधी शिकायत	वित्तीय राहत के रूप में 5,60,000/–रू0 की संस्तुति	13.12.2007	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतिक्षा है
73.	उत्तर प्रदेश	26989/24/22/07-08	कांस्टेबल द्वारा एक बच्चे को निर्दयता से पीटे जाने के विशय में मीडिया रिपोर्ट से स्वतः संज्ञान लेना	वित्तीय राहत के रूप में 20,000/–रू0 की संस्तुति	28.01.2008	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतिक्षा है
74.	उत्तर प्रदेश	974/24/2006-2007-सी.डी.	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	वित्तीय राहत के रूप में 1,00,000/–रू0 की संस्तुति	29.01.2008	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतिक्षा है
75.	उत्तर प्रदेश	2144/24/2002-2003-सी.डी.	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	वित्तीय राहत के रूप में 1,00,000/–रू0 की संस्तुति	04.02.2008	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतिक्षा है
76.	उत्तर प्रदेश	46335/24/2006-2007	पुलिस द्वारा अवैध हिरासत के विशय में शिकायत	वित्तीय राहत के रूप में 10,000/–रू0 की संस्तुति	25.02.2008	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतिक्षा है
77.	उत्तर प्रदेश	3519/24/2003-2004	पुलिस द्वारा फर्जी मुठभेड़ के आरोप की शिकायत	वित्तीय राहत के रूप में 2,00,000/–रू0 की संस्तुति	04.03.2008	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतिक्षा है
78.	पश्चिम बंगाल	147/25/2001-2002-सी.डी.	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	वित्तीय राहत के रूप में 1,00,000/–रू0 की संस्तुति	7.03.2008	भुगतान के साक्ष्य की प्रतिक्षा है
79.	पश्चिम बंगाल	589/25/02-03	कोयला विभाग, भारत सरकार के अतंर्गत कोलियरी के गार्ड द्वारा गलती से गोली चलने के कारण एक लड़के का बुरी तरह घायल होना (शिकायत)	वित्तीय राहत के रूप में 1,00,000/–रू0 की संस्तुति	28.12.2007	अनुपालन रिपोर्ट और भुगतान के साक्ष्य की प्रतिक्षा है
80.	पश्चिम बंगाल	222/25/19/07-08	पुलिस द्वारा गैर–कानूनी हिरासत और शारीरिक यातना (शिकायत)	वित्तीय राहत के रूप में 50,000/–रू0 की संस्तुति	13.03.2008	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतिक्षा है
81.	दिल्ली	2678/30/2004-2005	रिश्वत की मांग पूरी नहीं किए जाने पर पुलिस द्वारा उत्पीड़न और मोटर व्हीकल अधिनियम के अंतर्गत गलत चालान काटना (शिकायत)	वित्तीय राहत के रूप में 10,000/–रू0 की संस्तुति	12.12.2007	भुगतान के साक्ष्य की प्रतिक्षा है
82.	दिल्ली	102/30/05-06	सी.जी.एच.एस डिस्पेंसरी द्वारा गलत दवाइयों लेने के कारण एक लड़की द्वारा स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना (शिकायत)	वित्तीय राहत के रूप में 1,00,000/–रू0 की संस्तुति	30.7.2007	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतिक्षा है क्योंकि इस मामले दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है

जारी...

83.	दिल्ली	272/30/2000-2001-सी.डी.	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	वित्तीय राहत के रूप में 1,00,000/–रू0 की संस्तुति	17.10.2007	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतिक्षा है
84.	छत्तीसगढ़	99/33/04-05-डबल्यू.डी.	अनुसूचित जाति की महिला से सामूहिक बलात्कार (शिकायत)	वित्तीय राहत के रूप में 5,00,000/–रू0 की संस्तुति	17.3.2008	अनुपालन रिपोर्ट और भुगतान के साक्ष्य की प्रतिक्षा है
85.	झारखंड	1253/34/2002-2003-सी.डी.	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	वित्तीय राहत के रूप में 2,00,000/–रू0 की संस्तुति	9.5.2007	भुगतान के साक्ष्य की प्रतिक्षा है
86.	झारखंड	1431/34/2001-2002	पुलिस हिरासत में प्रताड़ना (शिकायत)	वित्तीय राहत के रूप में 10,000/–रू0 तथा दोशी पुलिसकर्मियों के विरूद्ध विभागीय कार्रवाई की संस्तुति	11.2.2008	भुगतान के साक्ष्य की प्रतिक्षा है
87.	झारखंड	312/4/2000-2001-सी.डी.	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	वित्तीय राहत के रूप में 1,00,000/–रू0 की संस्तुति	20.02.2008	अनुपालन रिपोर्ट और भुगतान के साक्ष्य की प्रतिक्षा है
88.	उत्तराखंड	682/35/2002-2003-सी.डी.	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	वित्तीय राहत के रूप में 1,00,000/–रू0 की संस्तुति	26.02.2008	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतिक्षा है
89.	उत्तराखंड	718/35/2003-2004	पुलिस द्वारा पिटाई तथा दुर्व्यवहार	वित्तीय राहत के रूप में 20,000/–रू0 की संस्तुति	09.10.2007	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतिक्षा है

सर्वे भवन्तु सुखिनः

अनुलग्नक 9 पैरा 6.288

आर्थिक राहत/अनुशासनात्मक कार्रवाई/अभियोजन का भुगतान करने के लिए वर्ष 1992–2000 से 2006–07 के दौरान आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के अनुपालन में लंबित पड़े मामलों की विवरणी।

क्रम सं.	राज्यों के नाम	मामला सं.	शिकायत की प्रकृति	सिफारिश	सिफारिश की तारीख	टिप्पणियां
1	बिहार	2214/4/2003-2004	पुलिस गोला–बारी में लगी चोटों के बारे में शिकायत	30,000/– रु. की आर्थिक राहत की सिफारिश की गई	07.02.2007	अनुपालन रिपोर्ट प्रतीक्षित है।
2	गुजरात	608/6/2002-2003	पुलिस द्वारा परेशान करने और उत्पीड़न के विरूद्ध शिकायत	20,000/–रू. की आर्थिक राहत की सिफारिश की गई (दोनों पीड़ितों में प्रत्येक को 10,000/– और दोषी पुलिस अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई	23.01.2006	अनुपालन रिपोर्ट प्रतीक्षित है।
3	झारखण्ड	4/743/95-एल.डी.	पुलिस हिरासत में मृत्यु होने की शिकायत	4,00,000/–रू. की आर्थिक राहत की सिफारिश की गई और दो पुलिस अधिकारियों के विरूद्ध अभियोजन और अनुशासनात्मक कार्रवाई	20.1.2000	पुलिस अधिकारियों को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई और मामला लंबित पड़ा है।
4	कर्नाटक	10/3295-एल.डी.	पुलिस हिरासत में मृत्यु (स्वतः संज्ञान)	3,00,000/–रू. की आर्थिक राहत की सिफारिश की गई	21.05.1999	स्वीकृति आदेश प्राप्त हुए भुगतान के सबूत प्रतीक्षित है।
5	केरल	235/11/98-99	झूठे मामले में फंसाने के संबंध में पूर्व निदेशक, इसरो, बंगलौर से प्राप्त शिकायत	10,00,000/–रू. की आर्थिक राहत की सिफारिश की गई	14.3.2001	राज्य सरकार ने आयोग की सिफारिशों के विरूद्ध रिट अपीलें करने को प्राथमिकता दी है, जो विचाराधीन लंबित पड़ी है।
6	मध्य प्रदेश	978/12/2005-2006	तुष्टि की मांग के लिए पुलिस द्वारा आक्रमण और धमकियां	पथभ्रष्ट पुलिस कर्मियों के विरूद्ध विभागीय कार्रवाई की सिफारिश की गई।	27.07.2006	अनुपालन रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

contd./-

क्रम सं.	राज्यों के नाम	मामला सं.	शिकायत की प्रकृति	सिफारिश	सिफारिश की तारीख	टिप्पणियां
7	उड़ीसा	123/18/1999-2000	पुलिस द्वारा शारीरिक उत्पीड़न और अवैध रूप से हिरासत में रखने की शिकायत	50,000/–रू. की आर्थिक राहत की सिफारिश की गई और पथभ्रष्ट पुलिस कार्मियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई	31.7.2000	राज्य सरकार ने आयोग की सिफारिश जो कि विचार हेतु लंबित है, के विरूद्ध उड़ीसा उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या/ओ/जे/सी/संख्या 8776/2000 दायर की है।
8	राजस्थान	1042/20/2003-2004	शिकायतकर्ता ने पुलिस द्वारा झूठे मामले में फंसाने का आरोप लगाया	10,000/– रू. की आर्थिक राहत की सिफारिश की जाती है।	21.6.2005	अनुपालन रिपोर्ट प्रतीक्षित है।
9	राजस्थान	20/599/96-एल.डी. (12462/96-97-एन.एच.आर.सी.)	खाई गिरने के कारण कार्यस्थल पर मजदूर घायल हुए	80,000/–रू. की आर्थिक राहत की सिफारिश (दो मर गए पीड़ितों में से प्रत्येक के निकतम संबंधी को 25,000/–रू. और दो घायल पीड़ितों को 15,000/–रू.	25.10.2000	65,000/–रू. का भुगतान किया गया। पीड़ितों में से एक घायल को 15,000/–रू. का भुगतान करने की प्रतीक्षा की जा रही है।
10	तमिलनाडु	795/22/97-98-एफ.सी संबंधित मामले 222/10/97-98, 534/22/97-98, 249/10/98-99, 79/10/98-99, 248/10/97-98, 250/10/97-98, 318/10/97-98 और 329/10/98-99	कई व्यक्तियों और गैर सरकारी संगठनों से मानवाधिकारों के उल्लंघन, तंग करने/उत्पीड़न चंदन की तस्करी करने वाले वीरप्पन को गिरफ्तार करने के लिए गठित संयुक्त विशेष कार्य बल द्वारा गांव वालों को तंग करने/ उत्पीड़न द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन के बारे में कई व्यक्तियों और गैर सरकारी संगठनों से प्राप्त शिकायतें	89 व्यक्तियों को 2,80,00,000 रू. की आर्थिक राहत की सिफारिश की जाती है 86 व्यक्तियों को 2,69,00,000 रू. का भुगतान किया गया है। 3 व्यक्तियों को 11,00,000 रू. दिया जाना अभी बाकी है।	15.1.2007	अनुपालन रिपोर्ट प्रतीक्षित है।
11	उत्तर प्रदेश	4122/24/2001-2002	बंधुआ मजदूरी	30,00,000/–रू. की आर्थिक राहत की सिफारिश की जाती है। (300 बंधुआ मजदूरों में से प्रत्येक को 1000/–रू.)	28.02.2005	अनुपालन रिपोर्ट प्रतीक्षित है।
12	उत्तर प्रदेश	18413/24/2001-2002	पुलिस हिरासत में मृत्यु (एक शिकायत)	1,00,000/–रू. की आर्थिक राहत की सिफारिश की जाती है।	2.11.2005	अनुपालन रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

अनुलग्नक 10 पैरा 6.289

उन मामलों की संख्या जिनमें दिनांक 1.4.1993 से 31.3.2007 के दौरान आर्थिक राहत के भुगतान/अनुशासनात्मक कार्रवाई/अभियोजन की सिफारिशों को न्यायालय में चुनौती दी गई, को दर्शाने वाली विवरणी

क्रम सं.	राज्यों के नाम	मामला सं.	शिकायत की प्रकृति	सिफारिश	सिफारिश की तारीख	टिप्पणियां
1	झारखण्ड	4/743/95-एल.डी.	पुलिस हिरासत में मृत्यु की शिकायत	4,00,000/–रू. आर्थिक राहत और 2 पुलिस अधिकारियों के विरूद्ध विभागीय कार्रवाई	20.1.2000	दिल्ली उच्च न्यायालय में पुलिस अधिकारियों को चुनौती दी गई और मामला लंबित पड़ा है।
2	केरल	235/11/98-99	झूठे मामले में फंसाने के संबंध में पूर्व निदेशक, इसरो, बंगलौर से प्राप्त शिकायत	शिकायतकर्ता को 10,00,000/– रू. की आर्थिक राहत की सिफारिश की गई	14.3.2001	राज्य सरकार ने आयोग की सिफारिशों के विरूद्ध रिट अपीलें करने को प्राथमिकता दी है, जो विचाराधीन लंबित पड़ी है।
3	उड़ीसा	123/18/1999-2000	पुलिस द्वारा शारीरिक उत्पीड़न और अवैध रूप से हिरासत में रखने की शिकायत	50,000/–रू. के मुआवजे की सिफारिश की गई + पथभ्रष्ट पुलिस कार्मिकों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई	31.7.2000	राज्य सरकार ने आयोग की सिफारिश जो कि विचार हेतु लंबित है, के विरूद्ध उड़ीसा उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या/ओ/जे/सी/संख्या 8776/2000 दायर की है।

अनुलग्नक 11 पैरा 7.64

गुमशुदा बच्चों पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग समिति की रिपोर्ट

प्राक्कथन

बच्चे राष्ट्र की सम्पत्ति होते हैं। एक सुखी बालक से ही उसका घर और देश खुशहाल होता है। किसी भी देश का भविष्य उसके बच्चों के उचित पालन–पोषण पर निर्भर करता है और उसके सर्वांगीण विकास के लिए अनुकूल वातावरण एवं पर्याप्त अवसरों का मुहैया कराया जाना अति आवश्यक है।

यूनीसेफ की ''वर्ष 2006 की दि स्टेट ऑफ दि वर्ल्ड चील्ड्रेन'' रिपोर्ट के अनुसार विश्व के एक तिहाई बच्चे आश्रयहीन है, 31% बच्चों को मूलभूत स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं और 31% बच्चों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध नहीं है। जब बच्चों को अति आवश्यक बुनियादी सुविधाएं ही नहीं मिलेगी तो बीमारियां, कुपोषण और उनकी आसामयिक मृत्यु होना आम बात है।

निठारी में अनेक निर्दोष बालकों की जघन्य हत्या से सारे राष्ट्र में उनके साथ हुए दुर्व्यवहार और उनके मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन करने के प्रति आक्रोश की लहर पैदा हो गई। यह अत्यन्त शर्मनाक घटना थी और इसने राष्ट्र के आत्मविश्वास को झकझोर दिया।

बालकों की सुरक्षा के संबंध में इस हृदय विदारक भेदभाव और असुरक्षा को समाप्त करने के लिए और इस प्रकार के अपराधों में और जाने से बचाने के लिए, इसे सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा गुमशुदा बच्चों से संबंधित मुद्दों की जांच करने के लिए एक समिति का गठन किया गया। इस समिति द्वारा गुमशुदा बालकों की जांच की जानी थी और इस मुद्दे को राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में सबसे आगे लाया जाना है। वर्तमान में गुमशुदा बच्चों के मामले माता–पिता को छोड़कर प्रत्येक व्यक्ति की नजर में उपेक्षित, कम प्राथमिकता वाले माने जाते हैं।

यह सुनिश्चित करना राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का प्रयास होगा कि मानवाधिकारों के ऐसे घोर उल्लंघन को रोका जाए। आशा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के इस प्रयास में राज्य सरकारें, संबंधित विभाग और समाज, सहभागी होंगे।

मैं, समिति के सभी सदस्यों और उन लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने इस महत्वपूर्ण विषय पर इस विचार–विमर्श की प्रक्रिया को सशक्त और सार्थक बनाने में अपना योगदान दिया और विभिन्न स्तरों पर अत्यावश्यक उपायों का पता लगाने और इस हेतु एक योजना तैयार करने में हमें सक्षम बनाया। मैं, विशेष रूप से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी डा. सविता भाखड़ी को अपना धन्यवाद और कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहूँगा जिन्होंने इस मसौदे का मूलपाठ तैयार किया और उन समग्र आंकड़ों को समेकन किया जिनका उपयोग इस रिपोर्ट को तैयार करने में किया गया। मैं, श्री अजय बक्शी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने इस विषय पर समिति द्वारा आयोजित बैठकों के कार्यवृत्त को अभिलेखबद्ध किया।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये सिफारिशें बालकों के प्रति होने वाले जघन्य अपराध को कारित होने से रोकने में सार्थक सिद्ध होंगी।

(पी.सी. शर्मा)
आयोग के सदस्य

विषय वस्तु

1. गुमशुदा बच्चों की समस्या की जांच करने के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में समिति का गठन।

2. भारत में गुमशुदा बच्चों का स्थितिपरक विश्लेषण।

3. गुमशुदा बच्चों के मामलों से निपटने के लिए दिशा निर्देश तैयार करने हेतु राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग समिति द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया।

4. गुमशुदा बच्चों से संबंधित मुद्दों का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग समिति द्वारा निपटान।

5. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग समिति की सिफारिशें/सुझाव।

6. निष्कर्ष

7. अनुलग्नक

   क. उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए दिशा–निर्देश।

   ख. गुमशुदा बच्चों के संबंध में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा का लेख।

गुमशुदा बच्चों की समस्या की जांच करने के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में समिति का गठन

अध्याय I

गुमशुदा बच्चों की समस्या की जांच करने के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में समिति का गठन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एन एच आर सी) अपनी स्थापना, वर्ष अक्टूबर, 1993 से ही गुमशुदा बच्चों की समस्या के प्रति गंभीर रहा है। इसके द्वारा अनेक राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को नोटिस जारी किए हैं और उनसे की गई कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी गई है।

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के पड़ोसी गांव नामतः नोएडा स्थित निठारी जो उत्तर प्रदेश के क्षेत्राधिकार में आता है, से जिस तरीके से युवा बच्चे गुम हुए, उसका आयोग पर गहरा प्रभाव पड़ा। इस मामले को स्वतः संज्ञान में लेते हुए, आयोग ने यह नोट किया कि ''बच्चों के लापता हो जाने का मामला केवल निठारी या उत्तर प्रदेश तक ही सीमित नहीं है। आयोग को देश के अन्य भागों से भी इसी प्रकार की घटनाओं की जानकारी मीडिया के माध्यम से पता चली हैं। इस प्रकार, गुमशुदा बच्चों की समस्या, राष्ट्र के लिए एक अति गंभीर चिन्ता का विषय बन गया है और भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के लिए यह इससे भी कहीं ज्यादा गंभीर है, क्योंकि इसे सौंपा गया कार्य मानवाधिकारों का बेहतर तरीके से संरक्षण एवं समर्थन करना है और आयोग के ध्यान में आने वाले मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों से निपटना और उस संबंध में यथोचित सिफारिशें करना और पीड़ितों को राहत मुहैया करवाना है। अतः, आयोग की यह राय है कि इस मुद्दे की गहन जांच की जाए और इस प्रकार के मामलों से कारगर और सार्थक रूप से निपटने के लिए दिशा–निर्देश तैयार किए जाएं ताकि बालकों के मानवाधिकारों का संरक्षण एवं संवर्धन किया जा सके और इसके साथ ही साथ उन मामलों में यथोचित कार्रवाई की जा सके जहां इनसे संबंधित मानवाधिकारों के उल्लंघनों का पता चले।

तदनुसार, दिनांक 12 फरवरी, 2007 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने गुमशुदा बच्चों के मामलों की जांच करने के लिए एक समिति का गठन किया और ऐसे सरल और व्यवहार्य दिशानिर्देश तैयार किए ताकि आयोग द्वारा समुचित सिफारिश की जा सके और उन्हें राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के साथ–साथ भारत सरकार के माध्यम से संबंधित प्राधिकारियों को भेजा जा सके जिससे कि गुमशुदा बच्चों की तलाश की जा सके और उन्हें उनके परिवारों या ऐसी एजेंसियों को सौंपा जा सके जहां उनकी देखभाल हो सके और उन्हें संरक्षण मिल सके। समिति में निम्नलिखित शामिल हैं:–

1.	श्री पी.सी. शर्मा सदस्य, एन एच आर सी	–	अध्यक्ष
2.	श्री दामोदर षडंगी महानिदेशक (अन्वेषण) एन एच आर सी	–	सदस्य

3.	श्री ए.के. गर्ग कार्यवाहक पंजीयक (विधि) एन एच आर सी	–	सदस्य
4.	डा. सविता भाखड़ी वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी एन एच आर सी	–	सदस्य
5.	श्री पी.एम.वी. शिरोमणि मुख्य समन्वयक (प्रशिक्षण) एन एच आर सी	–	संयोजक

समिति ने विचार–विमर्श के दौरान राय लेने और चर्चा में भाग लेने के लिए निम्नलिखित विशेषज्ञों को सहयोजित सदस्य के रूप में सहयोजित किया :–

1) डा. पी.एम. नायर, आई पी एस, परियोजना समन्वयक, अवैध मानव व्यापार निवारण, यू एन ओ डी सी, नई दिल्ली

2) प्रो. बी.बी. पांडे, सेवानिवृत्त विधि प्रोफेसर, दिल्ली विश्व विद्यालय एवं परामर्शदाता एन एच आर सी।

3) सुश्री शांता सिन्हा, अध्यक्ष, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग।

4) प्रो. सी. राजकुमार, स्कूल ऑफ लॉ, हांग कांग शहरी विश्व विद्यालय, क्वालून, हांगकांग।

समिति ने, सरकार में विभिन्न पदधारियों जिसमें गृह मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, श्रम मंत्रालय, सामाजिक कल्याण मंत्रालय, दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस, राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत) यूनीसेफ और भारत में इस क्षेत्र में कार्य कर रहे गैर–सरकारी संगठनों के साथ–साथ इस विषय का विशिष्ट ज्ञान रखने वाले विशेषज्ञों के साथ व्यापक विचार–विमर्श किया। हमने, सुश्री रीतू सरीन, इण्डियन एक्सप्रेस, श्री गेरी पिन्टो, सलाहकार, बटरफ्लाई, दिल्ली (एन.जी.ओ.) श्री सनत सिन्हा, बाल सखा ट्रस्ट, पटना स्थित गैर–सरकारी संगठन से भी बहुमूल्य जानकारी प्राप्त की हैं।

आयोग ने समिति के विचारार्थ किसी विशेष विषय का निर्धारण नहीं किया था। तथापि, समिति ने स्वमेव निम्नलिखित विषयों पर कार्य करने का निर्णय लिया।

- गुमशुदा बच्चों की तलाश करने/पता लगाने के लिए देश के विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में पुलिस और स्थानीय प्रशासन द्वारा निभाई गई भूमिका का समग्रतः मूल्यांकन करना।

- गुमशुदा बच्चों की तलाश करने में पुलिस द्वारा अपनाए जाने वाले नियमों, दिशानिर्देशों, परिपत्रों और आदेशों का गहन अध्ययन एवं विश्लेषण।

- गुमशुदा बच्चों की तलाश करने/पता लगाने में राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा अपनायी गई बेहतर

प्रणालियों की जांच करने के साथ–साथ गुमशुदा बच्चों को संरक्षण प्रदान करने अथवा पता लगाने के लिए देश के उच्चतम न्यायालय अथवा देश में अन्य उच्च न्यायालयों द्वारा जारी महत्वपूर्ण व्यवस्था/दिशानिर्देशों का अध्ययन करना।

- गुमशुदा बच्चों की तलाश करने/उनका पता लगाने में अन्य सरकारी और गैर सरकारी संगठनों, जिनमें मीडिया तथा शिष्ट समाज भी शामिल है, द्वारा निभायी गई भूमिका और गुमशुदा बच्चों के परिवारों को दिए गए सहयोग का अध्ययन।

- पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका अध्ययन।

- पुलिस और अन्य पणधारियों हेतु ऐसे मानक उपाय प्रारंभ करने के लिए व्यवहारिक दिशानिर्देश तैयार करना जिनके द्वारा गुमशुदा बच्चों की तलाश कर के उन्हें न केवल उनके परिवारों तक पहुंचाया जाएगा बल्कि इसके द्वारा पणधारियों को जवाबदेह ठहराना।

समिति के लिए अन्य विशेषज्ञों एवं संगठनों की सहायता और मदद यदि वह उचित समझे, प्राप्त करने का विकल्प खुला रखा गया।

❖ ❖ ❖

अध्याय II

भारत में गुमशुदा बच्चों का स्थितिपरक विश्लेषण

पूरे विश्व में बच्चे एवं बचपन को व्यापक रूप से अबोध, आजाद, प्रसन्नता, खेलकूल और इसी तरह के स्वर्णिम काल का पर्याय माना जाता है। यही वह समय है जब कोई व्यक्ति, वयस्क जीवन के संघर्षों, उत्तरदायित्वों और बाध्यताओं से मुक्त होता है। लेकिन इसी समय वह काल आता है जब बच्चे अति नाजुक स्थिति में होते हैं, विशेषकर तब, जब वे अति सुकुमार होते हैं क्योंकि उस समय उन्हें बाहरी संसार की कठोरता से बचाने और संरक्षण प्रदान करने की जरूरत होती है। ऐसा होने की वजह से युवा–बच्चों के बीच का संबंध, विशेष रूप से माता–पिता के संदर्भ में उन्हें ''देखभाल, प्यार और संरक्षण'' प्रदान किया जाना चाहिए। इस प्रकार बच्चे के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए और उसके अस्तित्व के लिए दिन प्रतिदिन की जरूरतों को पूरा करने के लिए तथा कुल मिलाकर उनका सर्वांगीण व्यक्तिगत विकास करना होना चाहिए। समग्र रूप से समाज और विशेष रूप से युवा वर्ग को बच्चों के संरक्षक के रूप में कार्य करना होगा और उस दृष्टि से उनके कल्याण और विकास के उत्तरदायित्व को निभाना होगा। वस्तुतः, यही वह आदर्श है जिसे पूरा करना अत्यधिक कठिन है क्योंकि ऐसा कोई दिन नहीं गुजरता जब कोई मामला सामने न आता हो जिसमें किसी बच्चे का शोषण न हुआ हो, लापता न हुआ हो, अथवा जान से न मारा गया हो। ऐसा होने के कारण बच्चे अनेक प्रकार के अपराधों के प्रति संवेदनशील होते हैं।

गुमशुदा बच्चों की समस्या

भारत में 18 वर्ष के कम उम्र के 400 मिलियन से ज्यादा बच्चे रहते है और इसे एक ऐसे देश के रूप में जाना जाता है जहां युवा और बच्चों की जनसंख्या कुल आबादी के 55% से ज्यादा है। ये बच्चे, विविध संस्कृति, धर्म, जाति, समुदाय और सामाजिक एवं आर्थिक वर्ग से होते हैं। सरकार, निस्संदेह बच्चों के लिए हर संभव करने के लिए प्रतिबद्ध है तथापि, इसके अथक प्रयासों के बावजूद ऐसे असंख्य बच्चे हैं जो विभिन्न प्रकार के शोषण और अत्याचार के शिकार हो रहे है। प्रतिवर्ष असंख्य बच्चे ''लापता'' हो रहे हैं। बच्चों के इस प्रकार लापता होने के अनेकों कारण है जिनमें परिवार के सदस्यों के द्वारा व्यपहरण/अपहरण, गैर पारिवारिक सदस्यों या परिचितों द्वारा व्यपहरण/अपहरण, अपनी इच्छा से भाग जाने वाले बच्चे अथवा पारिवारिक एवं आस–पास की परिस्थितियों की मजबूरी की वजह से भागने के लिए मजबूर बच्चे, ऐसे बच्चे जिन्हें प्रतिकूल एवं हिंसक माहौल का सामना करना पड़ता है और जिन्हें घर छोड़ने के लिए कहा जाता है अथवा जिन्हें परित्यक्त कर दिया जाता है, ऐसे बच्चे जिन्हें विभिन्न प्रयोजनों के लिए, अवैध मानव व्यापार या तस्करी द्वारा ले जाया जाता है और ऐसे बच्चे जो बिछुड़ गए हैं अथवा घायल हो गये हैं, जैसे मुख्य हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस प्रकार के बच्चे विभिन्न सामाजिक समस्याओं के परिचायक हैं। चूंकि गुमशुदा बच्चे इतनी विषमता की स्थिति में होते हैं कि उनके बारे में पर्याप्त आंकड़े नहीं होते हैं अथवा उन्हें परिभाषित करने के लिए कोई विशेष परिभाषा नहीं है। इसके अतिरिक्त, गुमशुदा बच्चों के अनेक मामले विभिन्न कारणों के वजह से पुलिस में सूचित नहीं किए जाते और पूरे देश में अलग–अलग प्रकार मामलों को हल करने में पुलिस की प्रणाली में भी व्यापक अन्तर है।

इसकी वजह से गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। ओरिएंट लॉगमैन द्वारा 2005 में ''अवैध मानव व्यापार विषय पर प्रकाशित राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की कार्रवाई'' से यह पता चलता है कि उसमें एक वर्ष में औसतन 44,000 बच्चों के गुमशुदा होने की रिपोर्टें हैं जिनमें से 11,000 से अधिक बच्चों का पता नहीं लगाया जा सका।

निठारी कांड से उद्घाटित तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि गुमशुदा बच्चे विभिन्न प्रकार के स्थानों और विभिन्न परिस्थितियों में पड़ोस के पिछवाड़े मार कर गाड़ दिए जाते हैं, अवैध कारखानों/स्थापनाओं/घरों में सस्ते बंधुआ श्रमिक के रूप में कार्य करते हैं, यौन गुलामों की तरह शोषित किए जाते हैं अथवा बाल शोषण उद्योगों, खाड़ी देशों में कैमेल जॉकी के रूप में, भिखारी रैकेटों में बाल भिखारी के रूप में, अवैध गोदनामा या बलात् शादी के शिकार के रूप अथवा शायद इससे भी जघन्य अंग व्यापार और निठारी रिपोर्ट के रूप में घृणित नरमांस भक्षियों के शिकार बनने को मजबूर हो जाते हैं।

समिति ने यह प्रेक्षण किया कि सरकारी और गैर सरकारी संगठनों, दोनों द्वारा कराए गए कुछेक ऐसे अध्ययन हैं जिनसे यह तथ्य उद्घाटित होता है कि बड़ी संख्या में ऐसी लड़कियां और लड़के जो अपने घरों से भाग जाते हैं अथवा उन्हें घर से भाग जाने के लिए कहा जाता है, वे मुख्यतः स्कूल से बीच में पढ़ाई छोड़ देने वाले बच्चे होते हैं अथवा अपनी घरेलू स्थिति से ऊब चुके होते हैं। बड़े–बड़े शहरों की तड़क–भड़क देखकर वे शहरी जीवन वास्तविकता को समझने में भूल कर जाते हैं। संवेदनशील होने की वजह से वे अक्सर फिल्म एवं मॉडलिंग क्षेत्र में काम या सुनहरा भविष्य के वादों के शिकार बन जाते हैं और दुर्भाग्यवश सेक्स वर्कर अथवा घरों, छोटे होटलों/रेस्टोरेंटों, चाय की दुकानों/स्टालों एवं असंगठित स्थापनाओं और अधिकांशतः जोखिमपूर्ण कार्यों में फंस जाते हैं। घर से भागने वाले लड़के और लड़कियों में से अधिकांश बच्चे भीख मंगवाने वाले रैकेटों अथवा जेब तराशी/नशीले पदार्थ पहुंचाने वाले रैकेटों आदि के शिकार हो जाते हैं। इन बच्चों में से अधिकांश का अवैध मानव व्यापार भी किया जाता है जहां उनका शारीरिक, यौन शोषण किया जाता है और उनके मामलों को पुलिस की जानकारी में भी नहीं लाया जाता है। इनमें से अधिकांश बच्चे गरीब परिवारों के होते हैं जो न तो प्राधिकारियों तक पहुंच पाते हैं और न ही जिनकी शिकायतों पर पर्याप्त ध्यान दिया जाता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा प्रकाशित ट्रैफिकिंग पर किए गए एक्शन रिसर्च अध्ययन में किए गए अनेक मामलों के अध्ययन से ''ट्रैफिकिंग'' और गुमशुदा सूचित व्यक्तियों के बीच के संबंध की कड़ी की पुष्टि होती है।

समिति ने प्रेक्षण किया कि किशोर न्याय प्रणाली भी, बच्चों के लिए पर्याप्त देखभाल एवं संरक्षण प्रदान करने में विफल रही है। किशोर न्याय (देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 में किए गए विशेष प्रावधानों के बावजूद अनेक राज्य सरकारें/संघ शासित क्षेत्र अभी तक मूल अधिनियम के तहत अपने नियम नहीं बना सकी हैं। अधिकांश स्थानों पर विशेष किशोर पुलिस इकाईयों का गठन नहीं किया गया। इन सब बातों की वजह से इस प्रणाली से लोगों का विश्वास कम हो गया है।

जब कोई बच्चा लापता हो जाता है तो अपराधकर्ता के अलावा कोई अन्य व्यक्ति इस घटना के वास्तविक मकसद के बारे में नहीं जानता है। यह भी संभव हो सकता है कि वह बच्चा अपने घर, रिश्तेदार के घर या किसी संस्था से अन्य विभिन्न कारणों की वजह से भाग गया हो जिसे उसके मां–बाप ''गुमशुदा'' मानते हैं। दूसरी ओर यह भी संभव है कि बच्चे का भागने का कारण यौन संतुष्टि, यौन शोषण, श्रम शोषण, लाभ कमाना या व्यक्तिगत बदला लेना आदि हो सकता है। ऐसे मामलों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस घटना में संलिप्त व्यक्ति अपहरण, व्यपहरण, गंभीर चोट,

हमला, बलात्कार, अप्राकृतिक अपराध, यहां तक कि हत्या जैसे विभिन्न प्रकार के अपराधों का सहारा ले सकता है। वस्तुतः, ऐसा बच्चा जो किसी भी प्रयोजन से भाग गया है, वह अपहरण, व्यपहरण, दुरुपयोग या हमले का शिकार हो सकता है। इनसे यह प्रश्न उठता है कि गुमशुदा बच्चों की रिपोर्ट को संज्ञेय अपराध के रूप में क्यों नहीं माना जाता है।

'गुमशुदा बच्चों' के बारे में आमतौर पर अपनाई जाने वाली जांच प्रणाली

सामान्यतौर पर, अपराध की जांच का कार्य पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) के दर्ज होने के पश्चात् प्रारंभ होता है। एफ.आई.आर. दर्ज हो जाने को संज्ञेय अपराध का पूर्वाभास माना जाता है। तथापि, लापता बच्चों के मामलों के बारे में एफ.आई.आर. दर्ज करने की कोई प्रणाली पूरे देश में नहीं है। कुल मिलाकर गुमशुदा बच्चों की शिकायत को एक अन्य प्रकार का गैर–संज्ञेय अपराध माना जाता है और उसकी प्रविष्टि सामान्य पुलिस डायरी (जी.डी.) में कर दी जाती है जिसकी जांच चलती रहती है। दूसरे शब्दों में जिस प्रकार गुमशुदा लोगों के मामलों की कोई एफ.आई.आर. दर्ज नहीं की जाती है, केवल संबंधित पुलिस स्टेशन की जी.डी. में प्रविष्टि कर दी जाती है, गुमशुदा बच्चों के मामलों में भी वही प्रक्रिया अपनाई जाती है। इस प्रक्रिया अपनाने के बाद पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर द्वारा यह सूचना सभी संबंधितों को अग्रेषित करने के साथ–साथ पुलिस अधीक्षक या उप पुलिस आयुक्त को भेजी जाती है जो उसे पुलिस प्रमुख को अग्रेषित करते हैं। क्षेत्र स्तर पर, स्थानीय पुलिस अधिकारी मीडिया में गुमशुदा बच्चे के विवरण और फोटो भेजकर उसका ब्यौरा प्रकाशित करते हैं।

गुमशुदा बच्चा/बच्चों के संबंध में दिया गया संदेश; जो सामान्य तौर पर पुलिस मुख्यालय तक पहुंचता है उसकी जांच गुमशुदा व्यक्ति ब्यूरो द्वारा की जाती है। राज्य स्तर पर यह ब्यूरो राज्य पुलिस के सी आई डी विभाग की एक ईकाई है। कार्रवाई करते समय वे इसकी सूचना राज्य अपराध रिकार्ड ब्यूरो को भी भेजते हैं जो इस सूचना को दिल्ली स्थित राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एन.सी.आर.बी.) जो गृह मंत्रालय के नियंत्रणाधीन कार्य करता है, के गुमशुदा व्यक्ति एकक को हस्तांतरित करता है। एन सी आर बी इस सूचना को अधिक से अधिक अन्य राज्यों के पुलिस प्रमुखों को संप्रेषित करता है। एन सी आर बी का तलाश स्कंध इस जानकारी का समन्वय करता है और आगे इसे अन्य स्थानों को संप्रेषित करने का कार्य करता है।

एन..सी.आर.बी., तलाश सूचना प्रणाली के अन्तर्गत निम्नलिखित बृहत वर्गीकरण – गुमशुदा, अपहरित, गिरफ्तार, निर्वासित, बचकर भागे, घोषित अपराधी, वांछित, अज्ञात शव, अज्ञात व्यक्ति, ढूंढ़े गए/पाये गए व्यक्ति के रूप में गुमशुदा व्यक्तियों के राष्ट्रीय स्तरीय डाटाबेस का रख रखाव करता है। ''गुमशुदा श्रेणी के व्यापक वर्गीकरण के अन्तर्गत गुमशुदा बच्चों से संबंधित पहले के डाटा उपलब्ध नहीं है, तथापि, ये आंकड़े 0–12 और 13–18 आई. वर्ग के अन्तर्गत दोनों लिंगों – लड़का एवं लड़की के संबंध में उपलब्ध है। इस प्रकार, एन.सी.आर.बी. कुल मिलाकर अभिलेखन के रूप में अथवा अधिक से अधिक ''ट्रांसफर डैस्क के रूप में कार्य करता है, क्योंकि आज तक एन.सी.आर. बी. ने न तो किसी प्रकार अन्वेषण/जांच कार्य किया है और न ही वह एक सकारात्मक सक्रिय संगठन के रूप में गुमशुदा बच्चों को ढूंढ़ने के बारे में कोई निगरानी करता है और न ही इस कार्य में सहायता करता है। आमतौर पर, पुलिस स्टेशन भी बच्चे के छुड़ा लिए जाने, ढूंढ़ लिए जाने या वापस आ जाने के बारे में एन.सी.आर.बी. को कोई जानकारी नहीं देती हैं। इसलिए आंकड़ों में यथार्थता की कमी पायी जाती है। इस प्रकार ''अपराध आंकड़ों का एक राष्ट्रीय आधान केन्द्र होते हुए भी, एन.सी.आर.बी. दोनों प्रकार के बच्चों – जिन्हें ढूंढ़ लिया जाता है अथवा जिनका पता नहीं चल पाया है, के बारे में अनभिज्ञ है।

मजे की बात यह है कि हालांकि, गुमशुदा बच्चों की श्रेणी को तलाश सूचना प्रणाली में प्रदर्शित किया जाता है तथापि, एन सी आर बी द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट – क्राइम इन इंडिया में इसका कोई उल्लेख या विश्लेषण नहीं होता। ऐसा इस तथ्य के बावजूद है कि इसका ''बच्चों के प्रति अपराध'' शीर्षक नामक अध्याय 6 मुख्य रूप से इस बात की पुष्टि करता है कि आमतौर पर बच्चों के प्रति कारित अपराध अथवा ऐसे अपराध जिनमें बच्चे पीड़ित होते हैं, को बच्चों के प्रति अपराध के रूप में माना जाता है, तब यह बच्चों के प्रति अपराध बन जाता है जो भारतीय दंड संहिता, 1960 के अन्तर्गत दंडनीय है और बच्चों के प्रति कारित अपराध, सामाजिक एवं स्थानीय कानून के अन्तर्गत दण्डनीय हैं।

क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2005 में दी गई अद्यतन जानकारी के अनुसार देश में वर्ष 2005 के दौरान बच्चों के प्रति अपराध के कुल 14,975 मामले दर्ज किए गए जबकि वर्ष 2004 में इनकी संख्या 14,443 थी। इस प्रकार इनमें 3. 8% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई। राष्ट्रीय औसत अपराध दर 1.4 की तुलना सबसे उच्च अपराध दर (6.5) दिल्ली में है। इसके बाद चंडीगढ़ में (5.7) और मध्य प्रदेश में (5.6) है। वर्ष 2005 के दौरान देश में बाल बलात्कार के कुल 4026 मामले दर्ज किए गए जबकि वर्ष 2004 में यह संख्या 3542 थी। इस प्रकार, वर्ष के दौरान 13.7% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा (870) मामले दर्ज हुए जिसके बाद महाराष्ट्र का स्थान (634) रहा। इन दोनों राज्यों में दर्ज किए गए बाल बलात्कार के कुल मामलों का प्रतिशत देश के ऐसे मामलों की तुलना में 37.3% रहा। अपहरण और व्यपहरण से संबंधित मामलों को उजागर करते हुए रिपोर्ट में यह उल्लेख है कि वर्ष के दौरान कुल 3518 मामले दर्ज किए गए जबकि पिछले वर्ष 3196 मामले दर्ज हुए और इस प्रकार 10.1% की बढ़ोत्तरी रही। दिल्ली में 15 वर्ष तक की उम्र के बच्चों के बारे में ऐसे मामलों का प्रतिशत सर्वाधित रहा है। इन आंकड़ों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि देश में बच्चों के साथ कारित किए जाने वाले अपराधों की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई है।

उपर्युक्त आंकड़ों से गुमशुदा बच्चों की अनेक प्रकार से होने वाली दुर्दशा का पता चलता है। एन.सी.आर.बी. के अलावा ऐसी कुछ क्षेत्रीय पुलिस वेबसाइट अर्थात् जोनल इंटीग्रेटेड पुलिस नेटवर्क (जिपनैट) और कुछ राज्य पुलिस वेबसाइट हैं जिनमें गुमशुदा लोगों, जिसमें गुमशुदा बच्चे भी शामिल है, के बारे में आंकड़े उपलब्ध कराए जाते हैं। किन्तु उनमें उपलब्ध कराई जाने वाली सूचना ज्यादातर अधूरी होती है क्योंकि इन डाटाबेस के बारे में जानकारी, विशेषकर पुलिस कार्मिकों की जानकारी कम होती है। अतः इनके द्वारा गुमशुदा बच्चों की तलाश करने एवं उनका पता लगाने पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता है।

यह उल्लेख करना भी प्रासंगिक होगा कि प्रत्येक राज्य/संघ शासित क्षेत्र में ''लुक आऊट'' नोटिस भेजना और स्थानीय दृश्य एवं प्रिंट मीडिया में उनकी फोटो व अन्य विवरण प्रकाशित करना अनिवार्य नहीं है। इसके अतिरिक्त, अनेक अन्य कारण हैं, जैसे कारगर पर्यवेक्षण और अनुवर्ती कार्रवाई की कमी, गुमशुदा बच्चों की समस्या को अल्प प्राथमिकता दिए जाने के कारण इच्छा शक्ति की कमी, संसाधनों की कमी, समन्वय की कमी और इस चुनौती से निपटने के लिए राष्ट्रीय नीति का अभाव, जिनकी वजह से गुमशुदा बच्चों के मामलों पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता है जितना दिया जाना चाहिए। समय गुजरने के साथ गुमशुदा बच्चों को ढूंढ़ने के प्रयासों को भी छोड़ दिया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप अधिकांश गुमशुदा बच्चों का पता ही नहीं चल पाता है। गुमशुदा बच्चों को लगातार ढूंढ़ने के प्रयास यदा–कदा ही किए जाते हैं।

गुमशुदा बच्चों के मुद्दे पर राज्य सरकार और गैर–सरकारी एजेंसियों द्वारा किए जा रहे प्रयासों की स्थिति

देश में गुमशुदा बच्चों के संबंध में प्रयास करने वाली सरकारी और गैर सरकारी ऐजेंसियों की समग्र स्थिति को देखने से पता चलता है कि कतिपय राज्यों को छोड़कर, अधिकांश राज्य गुमशुदा बच्चों की समस्या पर कोई ध्यान नहीं देते हैं। तमिलनाडु राज्य के पुलिस विभाग में एक मोडस आपरेण्डी ब्यूरो है जो गुमशुदा व्यक्तियों की सूची रखता है। गुमशुदा व्यक्तियों की इस सूची का संकलन अकारादि क्रम में पुलिस स्टेशनों से प्राप्त गुमशुदा व्यक्तियों की प्राथमिकी रिपोर्ट के आधार पर किया जाता है। गुमशुदा बच्चों, अपहरित महिलाओं एवं बच्चों तथा महिलाओं एवं बच्चों का अवैध व्यापार करने वाले पेशेवर ट्रेफिकर्स की गतिविधियों के सभी मामले, पुलिस हाउस ऑफिसर द्वारा सीधे मोडस अपरेन्डी ब्यूरो को रिपोर्ट किए जाते है। ऐसे मामलों की निगरानी एवं पर्यवेक्षण की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए गुमशुदा बच्चों के संबंध में रेंज एवं जिला स्तरों पर विशेष सेल गठित किए गए हैं। इसके साथ–साथ तमिलनाडु सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा विभाग के अधीन एक गुमशुदा बच्चा ब्यूरो स्थापित किया गया है। यह ब्यूरो पुलिस, बच्चों के अधिकारों के लिए कार्यरत गैर–सरकारी संगठनों जैसे संगठनों के सहयोग से गुमशुदा बच्चों के प्रति अपनी सेवाएं प्रदान करता हैं। बच्चों के मामलों के लिए 24X7 चौबीस घण्टे सातों दिन निःशुल्क चाईल्ड लाईन हैल्प लाईन नम्बर 1098 है जिसका प्रयोग किसी भी व्यक्ति, यहां तक कि स्वयं बच्चों द्वारा, किया जा सकता है। इसकी एक वेबसाइट है जिसमें क्या करें और क्या न करें और गुमशुदा बच्चों के मामले में किससे सम्पर्क करें शीर्षक के तहत गुमशुदा बच्चों की घटनाओं को रोकने के लिए सामान्य किन्तु महत्वपूर्ण सांकेतिक निर्देश प्रदर्शित किए गए हैं।

भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा 1996 की रिट याचिका (दा0) सं. 610 (होरी लाल बनाम पुलिस आयुक्त, दिल्ली एवं अन्य) मामले में गुमशुदा एवं अपहरित अवयस्क लड़कियों एवं महिलाओं के संबंध में दिनांक 14 नवम्बर, 2002 को जारी दिशानिर्देशों को आधार बनाकर महाराष्ट्र राज्य पुलिस मुख्यालय ने अपने परिपत्रों के माध्यम से इसे कार्यान्वित करने की आवश्यकता के बारे में दोहराया गया है। उसमें निहित दिशानिर्देश 5 (ङ) को छोड़कर, महाराष्ट्र सरकार ने ये निर्देश जारी किए हैं कि सभी यूनिट कमान्डरों द्वारा गुमशुदा व्यक्तियों के मामले में इनका अनुपालन किया जाना है। उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों की एक प्रति अनुलग्नक–I पर है। इसके अतिरिक्त, इसमें दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 97 एवं 98 और किशोर न्याय (बाल संरक्षण एवं देखभाल अधिनियम) के प्रावधानों के कार्यान्वयन की आवश्यकता पर बल दिया गया है।

उड़ीसा पुलिस की अपराध शाखा द्वारा समय–समय पर सभी गुमशुदगी की रिपोर्ट और गुमशुदा बच्चों की तलाश करने में की गई अनुवर्ती कार्रवाई की रिकार्डिंग करने के सख्त अनुदेश जारी किए गए हैं। जहां कहीं आवश्यक समझा जाता है, दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध दाण्डिक मामला दायर किया जाता है ताकि उन्हें दण्ड दिया जा सके। राज्य ने महिला एवं शिशु डेस्क भी गठित किए हैं जिनके प्रमुख, 210 पुलिस स्टेशनों में उप निरीक्षक/सहायक उप निरीक्षक बनाए गए हैं। राज्य द्वारा सभी पुलिस स्टेशनों में इन डेस्कों को स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है। महिलाओं एवं बच्चों की ट्रेफिकिंग में ट्रेफिकिंग के मामलों की निगरानी करने के लिए सी आई डी, सी बी विभागों में संगठित अपराध इकाईयां स्थापित की गई हैं जिनके प्रमुख, सी आई डी के पुलिस महानिरीक्षक होते हैं और जिला स्तर पर पुलिस अधीक्षक, अपराध इसके प्रमुख होते हैं। वस्तुतः, महिलाओं एवं बच्चों में ट्रेफिकिंग के मामलों की जांच करने के लिए

पुलिस महानिरीक्षक, सी आई डी को नोड्ल प्राधिकारी के रूप में पदनामित किया गया है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय समन्वय समिति का भी गठन किया गया है ताकि ट्रेफिकिंग निरोधक सभी मामलों का समन्वय किया जा सके। इसमें राज्य के विभिन्न विभागों के अधिकारी और प्रतिष्ठित गैर–सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि सहित 15 सदस्य हैं। इसके अलावा, राज्य में बच्चों से संबंधित मामलों पर सभी पुलिस कार्मिकों को प्रशिक्षण दिए जाने पर बल दिया जा रहा है।

आन्ध्र प्रदेश राज्य में गुमशुदा बच्चों के सभी मामलों को एफ.आई.आर. के रूप में दर्ज किया जाता है इसके साथ–साथ गुमशुदा बच्चों का पता लगाने के लिए समय–समय पर नियमित समीक्षा बैठकें और विशेष अभियान चलाए जाते हैं। गुमशुदा बच्चों के संबंध में राज्य की अपनी वेबसाइट भी है।

दिल्ली पुलिस से प्राप्त गुमशुदा बच्चों से संबंधित रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली के प्रत्येक पुलिस स्टेशन में गुमशुदा व्यक्तियों के बारे में एक रजिस्टर का रखरखाव किया जा रहा है। इस रजिस्टर में गुमशुदा से संबंधित हर जानकारी की प्रविष्टि की जाती है और उसे गुमशुदा व्यक्ति पुलिस दल (स्क्वॉड) को भेजा जाता है। प्रत्येक पुलिस स्टेशन में बाल कल्याण अधिकारी के रूप में जिला के वरिष्ठ अधिकारियों की तैनाती की जाती है। सहायक पुलिस आयुक्त/डी.आई.यू. के पर्यवेक्षणाधीन प्रत्येक जिले में एक जिला गुमशुदा व्यक्ति इकाई कार्य कर रही है।

दिल्ली पुलिस ने वर्ष 2006 से गुमशुदा व्यक्तियों संबंधी विवरण का कम्प्यूटरीकरण करने का कार्य प्रारंभ किया है। कम्प्यूटरों की मदद से अज्ञात शवों का मिलान गुमशुदा व्यक्तियों के साथ करके किया जा रहा है। गुमशुदा व्यक्तियों के आंकड़ों का कम्प्यूटरीकरण करने से पूर्व गुमशुदा व्यक्ति को ढूंढ़ निकालने का प्रतिशत लगभग 25% था जो 2006 में बढ़कर 73.77% हो गया है। रिपोर्ट के अनुसार, 80% गुमशुदा बच्चों का पता लगा लिया गया है। गुमशुदा व्यक्तियों की फोटो के साथ–साथ अज्ञात शवों की फोटो को कम्प्यूटर में डाला जाता है। दिल्ली पुलिस द्वारा विकसित इस वेबसाइट को विश्व के किसी भी भाग से जन साधारण द्वारा देखा जा सकता है। रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि वर्ष 2006 में गुमशुदा सूचित किए गए 15201 व्यक्तियों में से 11215 व्यक्तियों का पता लगा लिया गया है और उन्हें उनके माता–पिता/संरक्षकों तक पहुंचा दिया गया है।

दिल्ली पुलिस द्वारा प्रत्येक जिले में एक जिला गुमशुदा व्यक्ति इकाई (डी एम पी यू) स्थापित की गई है। इस इकाई को वेब आधारित कम्प्यूटर प्रोग्राम तथा गुमशुदा व्यक्तियों एवं अज्ञात शवों की जानकारी को अपलोड करने लिए ब्रोडबैड कनेक्शन मुहैया कराया गया है। यह जानकारी जनसाधारण द्वारा साधारण इन्टरनेट के माध्यम से जिपनेट पर प्राप्त की जा सकती है।

दिल्ली पुलिस ने समिति को यह भी सूचित किया है कि वर्ष 2006 में 4118 पुरुष गुमशुदा बच्चों में से 3446 बालकों और 2910 महिला बच्चों में से 2196 लड़कियों को ढूंढ़ निकाला गया है।

दिल्ली पुलिस द्वारा 2007 में किए गए हालिया अध्ययन में यह दर्शाया गया कि 11–18 वर्ष आयु के अवयस्क पुरुष एवं महिला बच्चे सर्वाधिक प्रभावित हैं। गुमशुदा बच्चों में से अधिकांश बच्चे अशिक्षित थे और उन्होंने विभिन्न कारणों से स्वेच्छापूर्वक अपना घर छोड़ दिया था जिसमें मां–बाप के डर के कारण साथी के साथ भाग जाना भी शामिल हैं। यह भी सूचित किया गया कि 10 वर्ष से कम उम्र की सभी लड़कियों को ढूंढ़ निकाला गया है और उनके लापता हो जाने में किसी भी आपराधिक गतिविधि का हाथ नहीं था।

गुमशुदा बच्चों के मुद्दे पर अनेक राज्यों की कार्य प्रणाली की समीक्षा करते हुए समय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की समिति के चौंकाने वाली एक बात आयी कि गुमशुदा बच्चों के मां–बाप बच्चों के घर वापस आ जाने पर, उसकी सूचना पुलिस स्टेशनों में नहीं करते हैं जिसमें उन्होंने मामला दर्ज कराया था। इसकी वजह से समस्या जटिल हो जाती है। गुमशुदा लड़कियों के अनेक मामलों में पुलिस ने यह पाया कि संबंधित परिवार ने अपना मकान बदल लिया था और इस बात की सूचना कि गुमशुदा लड़की वापस आ गई थी, उसके पड़ोसी से मिली।

समिति की यह राय है कि अनेक गैर सरकारी संगठन इस क्षेत्र में सराहनीय कार्य कर रहे हैं। इसमें से चाइल्डलाइन नामक देश की पहली 24X7 (पूरे सप्ताह चौबीस घंटे) निःशुल्क टेली हेल्पलाइन है जो भारत में 73 शहरों एवं नगरों में चालू है। बाल–सखा, पटना ने सैकड़ों गुमशुदा बच्चों का पता लगाकर, उन्हें उचित परामर्श देकर और लापता होने के कारण की पहचान करने और बच्चों को उनके माता–पिता के पास वापस भेजने के साथ–साथ इस अच्छे कार्य को अभिलेखबद्ध करने का सराहनीय कार्य किया है। मध्य प्रदेश में नेशनल सेन्टर फार मिसिंग चिल्ड्रेन नामक एक गैर सरकारी संगठन ने वेबसाइट missingindiankids.com लांच की है जिसमें वह मां–बाप और पुलिस थानों से गुमशुदा बच्चों के ब्यौरे मांगती है और उन्हें फोटो के साथ वेबसाइट में डालती है। तथापि, इन जैसे संगठनों के लिए धन की कमी एक गंभीर समस्या रही है।

समिति ने यह पाया कि विधि प्रवर्तन के कार्य में गुमशुदा बच्चों का मामला एक वास्तविक ब्लैक–होल है। राज्य/संघ शासित क्षेत्र सरकारें, जिसमें स्थानीय प्रशासन भी शामिल है, अभी तक भी इस समस्या को एक समस्या के रूप में समझने में विफल रही हैं। इसके लिए एक ऐसी प्रणाली विकसित करने का तत्काल आवश्यकता है जिसमें हम सभी गुमशुदा बच्चों के प्रति सचेष्ट रूप से कार्य करें ताकि यथाशीघ्र उनके परिवारों/संरक्षकों तक वापस पहुंचाया जा सके।

❖ ❖ ❖

गुमशुदा बच्चों के मामलों से निपटने के लिए दिशानिर्देश तैयार करने हेतु राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग समिति द्वारा अपनायी गई प्रक्रिया

अध्याय III

समिति द्वारा निर्धारित समग्र विचारार्थ विषयों को ध्यान में रखते हुए, समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों ने सर्वप्रथम विषय के जानकार विभिन्न विशेषज्ञों के साथ एक अन्तरिक प्रारंभिक बैठक आयोजित की। इस बैठक में हुई चर्चा के आधार पर समिति को भावी कार्य योजना तैयार करने में निर्णय लेने में सहायता मिली। तदनुसार इसने देश के सभी राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों के पुलिस महानिदेशकों एवं पुलिस आयुक्तों को पत्र लिखकर उनसे प्रासंगिक जानकारी मंगाई। इसने उस समिति से भी रिपोर्ट मंगाई जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विशेष रूप से नोएडा के निठारी गांव में बच्चों के साथ बड़े पैमाने पर हुए यौन शोषण, बलात्कार एवं हत्या के आरोपों की जांच करने के लिए गठित की गई थी। इसके साथ ही साथ इसने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एवं बाहरी एजेंसियों, अन्य पणधारियों के साथ अनेक बैठकें भी की।

समिति ने निठारी और देश के विभिन्न भागों से गुम हुए बच्चों के मां–बाप, परिवार के सदस्यों एवं संबंधियों के साथ बातचीत करने के लिए स्टाफ की तैनाती की जो उनके बच्चों की तलाश में प्राधिकारियों के ढुलमुल रवैये एवं व्यवहार के प्रति विरोध प्रकट करने के लिए जनपथ, नई दिल्ली में एकत्रित हुए थे। इसका एकमात्र उद्देश्य बच्चों की रिपोर्ट के प्रत्युत्तर में पुलिस और स्थानीय प्रशासन के संबंध में उनसे वास्तविक और ठोस जानकारी एकत्र करना था।

❖ ❖ ❖

अध्याय IV
राष्ट्रीय मानवाधिकार समिति द्वारा गुमशुदा बच्चों से संबंधित मुद्दों का निपटान

इस रिपोर्ट के अध्याय 1 में भारत में गुमशुदा हुए बच्चों के स्थितिपरक विश्लेषण से यह स्पष्ट उदाहरण मिलता है कि गुमशुदा बच्चों का मामला एक अलग समस्या नहीं है। इसके साथ अन्य अनेक मुद्दों का अन्तर्संबंध है। इसके अलावा, भारत में गुमशुदा बच्चों की कोई एकरूप और व्यापक परिभाषा नहीं है और विश्व में इस मामले से संबंधित प्रामाणिक आंकड़े एकत्र करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। ऐसा मुख्यतः इसलिए है क्योंकि जब कोई बच्चा गुम हो जाता है तो कोई भी व्यक्ति इस घटना के पीछे के मकसद या उद्देश्य को नहीं जानता। यह बिलकुल संभव है कि बच्चा विभिन्न कारणों की वजह से अपनी मर्जी से अपने घर अथवा अपने रिश्तेदार के घर या किसी संस्था से भाग गया हो और इस घटना को उसके मां–बाप/संरक्षक गुमशुदगी समझ रहे हों। दूसरी ओर, यह संभव हो सकता है कि बच्चा ऐसे किसी भिन्न उद्देश्य के लिए वहां से भाग गया हो जो उसकी यौन संतुष्टि या यौन शोषण या बाल श्रम शोषण या लाभ कमाने या व्यक्तिगत बदले अथवा इसी तरह के अन्य कारणों से भागा हो सकता है और इस प्रयोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से गुमशुदा बच्चों की घटना में शामिल व्यक्ति अपहरण, व्यपहरण, गंभीर चोट, हमला, बलात्कार, अप्राकृतिक अपराध और यहां तक कि बच्चे की हत्या कर सकता है।

समिति ने यह नोट किया कि गुमशुदा बच्चों का मामला कुल मिलाकर तब तक आपराधिक कृत्य के दायरे में नहीं आता जब तक कि उसके अपहरण या व्यपहरण के संबंध में रिपोर्ट/शिकायत दर्ज न की गई हो। किन्तु सच्चाई यह है कि गुमशुदा बच्चा वह बच्चा होता है जो घर से भागा हुआ है और जिसने अपने अता–पता के बारे में किसी को नहीं बताया है, जो खो गया है या बिछुड़ गया है, किसी परिचित या अपरिचित अथवा अपराधियों के संगठित गिरोह द्वारा जिसका अपहरण या व्यपहरण हो गया है अथवा बहला–फुसलाकर भगा लिया गया हो, ऐसा बच्चा जिसे बेच दिया गया है, परित्याग कर दिया गया है अथवा जिसका जीवन उसके अभिभावक, कानूनी संरक्षक अथवा ऐसे संरक्षक जो उसे गुमशुदा समझते हैं द्वारा समाप्त कर दिया गया हो।

अतः, समिति द्वारा अपनी बैठकों में इस प्रकार के हर वर्ग के बच्चे के बारे में विचार–विमर्श किया और समस्या से निपटने के लिए समुचित एवं व्यवहार्य दिशा–निर्देश तैयार किए।

❖ ❖ ❖

अध्याय V राष्ट्रीय मानव अधिकार समिति की सिफारिशें/सुझाव

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग समिति ने, पणधारियों से विचार–विमर्श करने के उपरांत, गुमशुदा बच्चों की समस्या के संबंध में निम्नलिखित सिफारिशों/सुझावों का प्रस्ताव दिया है:

1. **पूर्वता मुद्दा:** इसमें कोई सन्देह नहीं है कि 'गुमशुदा बच्चों' की समस्या निश्चित रूप से एक गंभीर मसला है जो कि मानव अधिकार मुद्दा भी है। यह पाया गया है कि इस मुद्दे पर सरकार और समाज की ओर से उतना ध्यान नहीं दिया गया है, जितना इसके लिए अपेक्षित है। अतः, सभी पणधारियों, विशेषकर विधि प्रवर्तन एजेन्सियों द्वारा इस मुद्दे को ''पूर्वता मुद्दा'' बनाए जाने की आवश्यकता है। राज्यों के पुलिस महानिदेशकों द्वारा समुचित कार्रवाई की जानी चाहिए और पुलिस आदेश/परिपत्र/स्थायी निर्देश इत्यादि जारी करके सभी अधिकारियों को इस संबंध में सुग्राही बनाना चाहिए और उन्हें जवाबदेह भी बनाया जाना चाहिए।

2. **पुलिस थानों में गुमशुदा व्यक्ति सम्बन्धी दल/एकक:** समिति यह सिफारिश करती है कि देश भर के प्रत्येक पुलिस थाने में गुमशुदा बच्चों की तलाश के लिए विशेष दल/गुमशुदा व्यक्ति संबंधी एकक होने चाहिए। इस दल/एकक में एक पंजीकरण अधिकारी होना चाहिए जिसे गुमशुदा बच्चों की शिकायतें दर्ज करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाना चाहिए। उसके द्वारा, गुमशुदा बच्चों की तलाश करने के लिए उनके द्वारा और विशेष दल द्वारा किए गए प्रयासों के संबंध में पूरे रिकार्ड रखे जाने चाहिए। पंजीकरण अधिकारी द्वारा घटना की रिपोर्टें भी लिखी जानी चाहिए और उन्हें थाने की डायरी/मामले की डायरी, जैसा भी मामला हो, में रिकार्ड पर रखा जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, पंजीकरण अधिकारी को जांच अधिकारी के रूप में भी कार्य करना चाहिए जिसमें गुमशुदा बच्चे की खोज/तलाश की पूरी प्रक्रिया की अनुवर्ती कार्रवाई के लिए उसे उत्तरदायी बनाया जाना चाहिए। यदि अपेक्षित हो तो, गुमशुदा बच्चों के मामले से निपटने के लिए जे.ए.पी.यू. (किशोर सहायता पुलिस इकाई) का उपयोग किया जा सकता है, चाहे गुम हुए बच्चों को किसी भी तरह से किशोर नहीं माना जा सकता हो, परन्तु, वस्तुतः उन बच्चों की देखभाल करने एवं उन पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा इस इकाई/दल के कार्यकरण की नियमित मॉनीटरिंग/पुनरीक्षा की जानी चाहिए और जहां आवश्यक हो पंजीकरण–सह–जांच अधिकारी को समुचित निर्देश एवं सहायता प्रदान की जानी चाहिए।

3. **न्यायालय के निर्देश:** देश भर के सभी पुलिस थानों में, होरी लाल बनाम पुलिस आयुक्त, दिल्ली एवं अन्य के मामले में दायर 1996की रिट याचिका (दांडिक) सं. 610 के संबंध में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 14/11/2002 को दिए गए दिशा–निर्देशों के कार्यान्वयन को दोहराए जाने की आवश्यकता है। इससे गुमशुदा बच्चों की तलाश में त्वरित एवं प्रभावी उपाय किये जा सकेंगे।

दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार, गुमशुदा व्यक्तियों/बच्चों के संबंध में, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी.बी.आई.) में एक एकक स्थापित किया गया था। यह एकक तब से ही कार्य कर रहा है परन्तु पर्याप्त

संसाधनों की कमी के कारण अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं किए जा सके। सी.बी.आई., एक ऐसी केन्द्रीय जांच एजेन्सी है जिसके पास अन्तरराज्यीय एवं अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर व्याप्ति के मामलों का निपटान करने की शक्तियां एवं क्षेत्राधिकार है, अतः गुमशुदा बच्चों एवं व्यक्तियों से संबंधित दांडिक मामलों के समन्वय एवं जांच की क्षमता को बढ़ाने के लिए इस एकक को सुदृढ़ बनाना वांछनीय होगा।

4. **जिला प्रशासन की भूमिकाः** विधान में देश के जिला प्रशासन को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वह उन स्थानों का आवधिक रूप से निरीक्षण करें जहां पर बच्चों को काम पर लगाया जाता है। समिति को यह व्यक्त करते हुए गहरा दुःख है कि पूरे देश में जिला प्रशासन इस कार्य में असफल रहा है। यह इस तथ्य से प्रकट होता है कि आज भी घरेलू नौकर के रूप में कार्य करने वाले बच्चों की संख्या और बंधुआ/बाल मजदूरों की संख्या काफी अधिक है। पुनः, यह चिन्ता का विषय है कि बाल मजदूरी और बंधुआ मजदूरी के पहचाने गए ऐसे मामलों, जिनमें नियोक्ता के विरूद्ध अभियोजन की कार्रवाई की गई हो, उनमें दोषसिद्धि का प्रतिशत 1% भी नहीं है जो निःसन्देह, पर्यवेक्षण की कमी के कारण है। इस महत्वपूर्ण मुद्दे के प्रति इस प्रकार की उदासीनता को प्रतिकारी दृष्टिकोण अपनाकर दूर करना होगा। समिति, सम्बन्धित प्राधिकारियों से यह अनुरोध करती है कि वे जिला प्रशासन को अपने उत्तरदायित्व के निर्वाह में ढिलाई बरतने के लिए उत्तरदायी ठहराएं।

समिति का यह विचार है कि नियमित निरीक्षणों की यह कार्रवाई, यदि ईमानदारी से की जाती है तो इससे बड़ी संख्या में गुमशुदा बच्चों को उनके घरों को सुपुर्द किया जा सकेगा।

5. **अनिवार्य रिपोर्टिंगः** राज्य पुलिस मुख्यालयों द्वारा अनिवार्य रिपोर्टिंग प्रणाली आरम्भ की जानी चाहिए जिसमें बच्चों की गुमशुदगी की देश भर की घटनाओं की रिपोर्ट, नवगठित राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एन.सी.पी.सी.आर.) को घटना घटित होने के 24 घंटे के भीतर दी जानी चाहिए। तत्परता से रिपोर्ट करने में असफल रहने पर यह सन्देह होगा कि घटना को दबाने का प्रयास किया गया है। रिपोर्टिंग तत्परता से की जानी चाहिए और इसकी प्रक्रिया वैसी ही हो सकती है जैसी हिरासत में होने वाली मौतों की रिपोर्ट एन.एच.आर.सी. को करने के लिए संबंधित अधिकारियों द्वारा अपनाई जा रही है।

6. **पंचायती राज संस्थाओं (पी.आर.आई.) इत्यादि की भागीदारीः** गुमशुदा बच्चों के संबंध में जांच प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी एवं प्रयोगकर्तानुकूल बनाने के लिए, पुलिस जांच दल के लिए यह वांछनीय होगा कि विद्यमान सहायक संस्थाओं के साथ–साथ समाज, जैसे कि पंचायती राज संस्थाओं/नगर पालिकाओं/पड़ोसी समितियों/निवासी कल्याण एसोसिएशनों इत्यादि के प्रतिनिधियों को जांच में शामिल किया जाए। इससे, गुमशुदा बच्चों की तलाश करने में पुलिस के साथ समाज की पूर्ण भागीदारी हो सकेगी। पुलिस महानिदेशकों द्वारा, न केवल बच्चों से संबंधित अपराधों की जांच में, बल्कि गुमशुदा बच्चों का पता लगाने के कार्य में भी इन एजेन्सियों का पूर्ण लाभ उठाने पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। पंचायत और ऐसे निकायों की भूमिका में निम्नलिखित बातों को शामिल किया जाना चाहिएः

- बच्चों की गुमशुदगी की सूचना तत्परता से देना;
- विधि प्रवर्तन एजेन्सियों को सूचना, यदि कोई हो, तत्परता से देना;
- बच्चों की तलाश में विधि प्रवर्तन एजेन्सियों को सहयोग देना;

- विधि प्रवर्तन एजेन्सियों को बच्चे के वापस आने के बारे में तत्काल सूचित करना।

7. **गैर सरकारी संगठनों की भागीदारीः** ऐसे स्थानों, जहां बड़ी संख्या में कमजोर बच्चे पाए जाते हैं, वहां प्रवर्तन एजेन्सियों द्वारा, गैर–सरकारी संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की भागीदारी से एक इस प्रकार का तंत्र विकसित करने की आवश्यकता है, जिसमें उन्हें परामर्श देने के अतिरिक्त जागरूकता उत्पन्न करने वाली गतिविधियां भी चलाई जाएं। इससे, न केवल उनमें आत्म–विश्वास पैदा होगा बल्कि वे सुदृढ़ भी बनेंगे और उन्हें इस बात का विशेष संरक्षण भी प्राप्त होगा कि उन्हें अब बाह्य एजेन्सियों/तत्वों द्वारा किसी प्रकार से बहकाया नहीं जाएगा। यह पहल, जिलों में गुमशुदा बच्चे संबंधी दल/एकक द्वारा की जा सकती है। पुलिस महानिदेशकों द्वारा इस पहल पर कार्रवाई सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है।

8. **राष्ट्रीय डाटा–बेस एवं मॉनिटरिंगः** राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो द्वारा एक राष्ट्रीय खोज प्रणाली आरंभ की जानी चाहिए जो गुम हुए बच्चों का पता लगाने और ढूंढ़ने में प्रारंभिक स्तर से प्रभावी हो। इसमें न केवल गुम हुए बच्चों के बारे में, बल्कि उनकी वापसी/बचाव/बरामदगी के बारे में भी तत्परता से सूचना दी जाए। बच्चों को यौन शोषण और शोषण–युक्त श्रम के स्थानों सहित शोषण के स्थानों से मुक्त कराए जाने की हर घटना को एन.सी.आर.बी. के डाटा–बेस में शामिल किया जाना चाहिए। इस डाटा–बेस को नियमित और सुव्यवस्थित रूप से अद्यतन किया जाना चाहिए। इसमें, अवैध रूप से रखे गए व्यक्तियों का बचाव और बरामदगी करने के संबंध में रिपोर्टिंग प्रपत्र को संशोधित करना भी शामिल है। निदेशक, एन.सी.आर.बी. द्वारा परियोजना समन्वयक, अवैध मानव व्यापार निरोधी यू.एन.डी.ओ.सी., नई दिल्ली से सम्पर्क करना चाहिए और प्रपत्र को उसी प्रकार बनाना चाहिए जैसे यू.एन.डी.ओ.सी. द्वारा अवैध मानव व्यापार और उससे संबंधित मामलों के संबंध में विधि प्रवर्तन एजेन्सियों को सशक्त बनाने और समुचित परियोजनाओं इत्यादि के विकास का कार्य किया जा रहा है। इसे वेब–आधारित बनाकर और अन्य अन्तः और अन्तरराज्यीय नेटवर्क सम्पर्कों के माध्यम से अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। एकत्रित की गई जानकारी को समुचित रूप से प्रसारित किया जाए। ऐसा सुझाव है कि एन.सी.आर.बी. द्वारा स्थिति को दर्शाने वाला एक पृष्ठ का उपयोगी पत्र प्रकाशित किया जाना चाहिए जिसमें प्रासंगिक आंकड़ों सहित विभिन्न अपराधों के संबंध में जानकारी दी गई हो। यह, किसी विशेष समस्या से निपटने में लगी विभिन्न एजेन्सियों के लिए लाभदायक एवं सुलभ अस्त्र हो सकता है। उदाहरणार्थ, गुमशुदा बच्चों के बारे में प्रासंगिक जानकारी को यदि एक या दो पृष्ठों में दिया जाए तो यह सभी पणधारियों के लिए, एन.सी.आर.बी. द्वारा सूचना को समेकित करके तैयार की जाने वाली बड़ी रिपोर्ट की तुलना में, कहीं अधिक सुलभ और पठनीय होगी।

9. **राज्य अपराध रिकार्ड ब्यूरो/जिला अपराध रिकार्ड ब्यूरोः** राज्य/जिला अपराध रिकार्ड ब्यूरो को पुनर्जीवित किए जाने की अत्यंत आवश्यकता है। गुम हुए व्यक्तियों, उनकी वापसी के डाटा–बेस एवं इसमें अपनाई गई प्रक्रिया को समुचित रूप से दस्तावेज़बद्ध किया जाना चाहिए। राज्य गुमशुदा व्यक्ति ब्यूरो (एम.पी.बी.) का पुनरोद्धार किए जाने, उसे कार्यशील और सुदृढ़ बनाए जाने की आवश्यकता है। अधिकारी, मानव अधिकारों की दृष्टि से मामले का विश्लेषणात्मक रूप से निपटान करने में सुप्रशिक्षित और जानकार होने चाहिए। एस.सी.आर.बी. और एम.पी.बी. के बीच समुचित संपर्क होना चाहिए ताकि एस.सी.आर.बी. और एन.सी.आर.बी. के डाटा–बेस को एम.पी.बी. और पुलिस थानों में गठित किए जाने वाले विशेष एकक/दल के कार्यकरण के लिए प्रयोग किया जा सके। एम.पी.बी. के आंकड़े, विशेषरूप से अवैध मानव व्यापार के अपराधों से बचाए गए बच्चों के आंकड़ों सहित, अद्यतन होने चाहिए।

10. हैल्पलाईनः सभी जिलों में सरकार के पर्याप्त सहयोग से, गैर सरकारी संगठनों/पंचायत राज संस्थानों/अन्य एजेन्सियों के माध्यम से एक चाईल्ड हैल्पलाईन स्थापित किए जाने की आवश्यकता है। ऐसा एक राष्ट्रीय नेटवर्क स्थापित करने की पहल, महिला एवं बाल विकास विभाग, भारत सरकार द्वारा की जा सकती है।

11. प्रारंभिक जांच के काम की गैर सरकारी संगठनों से आऊटसोर्सिंगः राष्ट्रीय मानव अधिकार समिति को ऐसी कई घटनाओं के बारे में पता चला है जिनमें गैर–सरकारी संगठन गुम हुए बच्चों का पता लगाने में तत्परता से कार्य कर रहे हैं, बेहतर परिणाम दे रहे है और उनका दस्तावेज के रूप में साक्ष्य भी दे रहे हैं। ऐसे प्रयासों एवं पहलों से विधि प्रवर्तन एजेन्सियों के कार्य को बल मिला है। पुलिस और गैर–सरकारी संगठनों के समन्वयन से, इस मुद्दे को सुलझाने में और पुलिस एजेन्सियों, जो कई अन्य कार्यों में पहले से ही व्यस्त होती हैं, विशेषकर उन स्थानों में जहां पुलिस थाने में स्टॉफ काफी कम है, को भारी सहायता प्रदान करने में अत्यन्त सहायता मिल सकती है। अतः, गुमशुदा व्यक्तियों के बारे में प्रारंभिक जांच की जानकारी की आऊटसोर्सिंग उन गैर सरकारी संगठनों को की जा सकती है जो इस कार्य को करने के इच्छुक हैं। गृह मंत्रालय इस संबंध में राज्यों को समुचित दिशा–निर्देश जारी कर सकता है। प्रत्येक राज्य कुछेक गैर सरकारी संगठनों की पहचान कर सकता है और यदि अपेक्षित हो तो उन्हें अधिसूचित कर सकता है। आज, गैर सरकारी संगठनों को ऐसी जांच करने से कोई भी नहीं रोक सकता और अधिकांश संगठन पहले से ही यह कार्य कर रहे हैं। अतः, इस स्थिति में, विधि प्रवर्तन एजेन्सियों और गैर सरकारी संगठनों के बीच समन्वय स्थापित करना और इस भागीदारी को संस्थाबद्ध करना ही बेहतर विकल्प है।

12. साक्ष्य की संज्ञेयताः चूंकि गुमशुदा बच्चों का मुद्दा एक संज्ञेय अपराध नहीं है और किसी बच्चे का गुम हो जाना किसी अपराध के घटित होने को नहीं दर्शाता। तथापि, आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु जैसे कुछ राज्यों में पुलिस को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने और जांच करने की अनुमति है। समुचित पूछताछ/जांच करने की सुविधा प्रदान करने के लिए यह परामर्शयोग्य है कि गुमशुदा बच्चे के मुद्दे के संबंध में पुलिस द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जाती है। तथापि, अनुभवों के आधार पर यह पता चलता है कि बहुत से मामलों में बच्चा गुम नहीं होता और अभिभावकों की डर–युक्त प्रतिक्रिया के कारण ऐसी रिपोर्ट दर्ज करा दी जाती है। अतः, ऐसे सभी मामलों में तत्काल प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करना अपेक्षित नहीं है। चाहे जो भी हो, यह परामर्शयोग्य है कि यदि कोई गुमशुदा बच्चा वापिस नहीं आता है अथवा एक युक्तियुक्त समय में उसका पता नहीं लगाया जा सकता है तो प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जाए। राज्य सरकारों को यह सलाह दी जाती है कि वे रिपोर्टिंग के समय से 15 दिन की समय–सीमा निर्धारित करते हुए विधि प्रवर्तन एजेन्सियों को समुचित दिशा–निर्देश जारी करने पर विचार करें कि यदि गुमशुदा बच्चे का पता 15 दिन के भीतर नहीं लगाया जा सका तो किसी दुराशय की संभावना हो सकती है और गुमशुदा बच्चों के ऐसे सभी मामलों के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जाए।

13. पणधारियों को सुग्राही बनानाः सभी रैंकों के पुलिस अधिकारियों और अन्य पणधारियों को गुमशुदा बच्चों के मुद्दे के संबंध में सुग्राही बनाए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो द्वारा एक दो–दिवसीय माड्यूल तैयार किया जा सकता है ताकि सभी संबंधितों को एक–समान प्रशिक्षण दिया जा सके। इसके साथ ही, उपयुक्त पठन सामग्री तैयार कि जाने की आवश्यकता है जिसमें गुमशुदा बच्चों के बारे में राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के साथ–साथ अन्य देशों में अपनाई जा रही अच्छी प्रक्रियाओं का उल्लेख हो।

14. संरक्षण एवं देखभाल के जरूरतमंद बच्चों को बचानाः ''भागे हुए बच्चों'' ''परित्यक्त बच्चों'', ''उपेक्षित बच्चों'' और ''कमजोर बच्चों'', जो प्रायः रेलवे स्टेशनों, ट्रैफिक चौराहों इत्यादि जैसे स्थानों, जहां कोई भी उनके साथ

दुर्व्यवहार और शोषण कर सकता है, के आस–पास घूमते हुए पाए जाते हैं, की पहचान करने की आवश्यकता है। उन्हें सहारा देने वालों – परिवार या कोई अन्य – की कमी के कारण उनके प्रति खतरा बढ़ जाता है। समुचित पहचान, संरक्षण एवं सहारे का प्रावधान एवं एक 'सुरक्षित स्थान' उनके लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। किशोर न्याय अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले ये बच्चे संरक्षण एवं देखभाल के जरूरतमंद बच्चे हैं जो उन्हें दिया जाना चाहिए। उन्हें सी.डब्ल्यू.सी. के समक्ष पेश करके और संबंधित गृहों में उनकी समुचित देखभाल सुनिश्चित करके ऐसा किया जा सकता है। यदि सरकारी गृह उपलब्ध नहीं हैं तो सरकारी एजेन्सियों द्वारा उपयुक्त गैर सरकारी संगठनों को ऐसे गृहों की स्थापना करने के लिए सहायता दी जानी चाहिए। राज्य सरकारों को ऐसे गैर सरकारी संगठनों को तत्काल अधिसूचित करने के लिए कहा गया है ताकि वे अविलम्ब कार्यशील हो सकें। राज्यों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसी अधिसूचनाएं, गैर सरकारी संगठन द्वारा आवेदन दिए जाने के एक माह के भीतर की समय–सीमा में ही हो जानी चाहिए।

15. **बच्चों के लिए पहचान–पत्रः** स्थानीय प्रशासन द्वारा स्कूलों को अपने बच्चों की निगरानी करने की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए, विशेषकर जब वे मिल न रहे हो अथवा स्कूल से भाग गए हों। स्कूलों और पुराने शिक्षण संस्थानों को बच्चों के फोटो पहचान–पत्र जारी करने चाहिएं ताकि उनका पता लगाना संभव हो सके। पहचान विवरण सहित ऐसे सभी फोटो दस्तावेजों में रखे जाने चाहिएं और शीघ्र डाटा–बेस तैयार किया जाना चाहिए। इस दिशा में राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार द्वारा पहल की जानी चाहिए। स्कूलों द्वारा, बच्चों को उनके अधिकारों, विधिक अधिकारों के बारे में जागरूक बनाने और आवश्यकता पड़ने पर आत्म–रक्षा के तरीकों के बारे में जानकारी देने के लिए कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए।

16. **गरीबी उन्मूलन के उपायः** यह सर्वविदित है कि गरीबी, बच्चों को बेसहारा हालात में धकेलने और उन्हें शोषण का आसान शिकार बनाने के मुख्य कारकों में से एक है। केन्द्र और राज्य सरकारों ने, गरीबों और वंचितों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने और उन्हें गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यान्वित की जाने वाली स्कीमें आरंभ की हैं। ये सभी कार्यक्रम, विशेषकर बच्चों के कल्याण से संबंधित कार्यक्रम अन्तोदय दृष्टिकोण के अनुसरण में ग्राम सभा स्तर पर समुचित रूप से योजनाबद्ध होने चाहिए। बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए मिड–डे मील स्कीम, सर्व शिक्षा अभियान, स्वास्थ्य टीकाकरण इत्यादि स्कीमों की समुचित रूप से मॉनिटरिंग करना अपेक्षित है। गरीबी उन्मूलन के इन कार्यक्रमों का समुचित कार्यान्वयन निःसन्देह मानव अधिकार दृष्टिकोण है। यदि सरकार की ऐसी स्कीमों और कार्यक्रमों का कार्यान्वयन हो रहा है तो यह युक्तियुक्त आशा की जा सकती है कि कमजोर वर्ग, अक्सर होने वाले अपने शोषण का प्रतिरोध करने में सशक्त होगा।

17. **राज्य आयोगों की भूमिकाः** राज्य मानव अधिकार आयोगों, राज्य/केन्द्र के महिला आयोगों को गुमशुदा बच्चों से संबंधित मुद्दे से जोड़ने की आवश्यकता है। मुद्दों पर सही तरीके से कार्रवाई करने के संबंध में ऐसे निकायों का अपने संबंधित क्षेत्राधिकार में सभी पणधारियों पर व्यापक प्रभाव होता है।

18. **मीडिया की भूमिकाः** वर्तमान भयावह स्थिति के मद्देनजर, मीडिया, गुमशुदा बच्चों और हजारों असहाय परिवारों जिनके बच्चों का पता नहीं लग पाया, के दुर्भाग्य के बारे में जन–जागरूकता को बढ़ावा देकर, महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इस संबंध में निम्नानुसार कार्रवाई की जा सकती हैः

- न्यूजरूम स्तर पर, अपराध संवाददाताओं और मैट्रो सम्पादकों द्वारा, गुमशुदा बच्चों से संबंधित

जानकारी को नियमित सूचना के रूप में और दैनिक समाचार के रूप में शामिल किए जाने की आवश्यकता है।

- इससे संबंधित कहानी को, हत्या, अवैध मानव व्यापार आदि की अन्य कहानियों की भांति नियमित रूप से दोहराए जाने की आवश्यकता है। एक खोया एवं पाया सीरियल भी आरंभ किया जा सकता है। गुमशुदा बच्चों के ऐसे मामलों, जिनमें बच्चे का पता लगा लिया गया है/वह घर वापिस आ गया है को ''अच्छी खबर'' के रूप में प्रसारित किया जाना चाहिए जिससे पुलिस/स्थानीय अधिकारियों को भी अपनी कार्रवाई तेज करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।
- गुमशुदा बच्चों की आहत भावनाओं का चित्रण लम्बी कहानी के रूप में मानव अधिकार दिवस, बाल दिवस और इसी प्रकार के अन्य अवसरों पर प्रदर्शित किया जा सकता है।
- समाचार पत्र अपने वर्गीकृत विज्ञापनों में गुमशुदा बच्चों के बारे में एक अलग भाग निर्धारित कर सकते हैं। गुमशुदा बच्चों के बारे में नोटिसों और विज्ञापनों को बेहतर रूप से प्रदर्शित किए जाने और इन्हें समाचार–पत्र और दूरदर्शन के बुलेटिनों में और अधिक एवं स्थान दिए जाने की आवश्यकता है।
- जिस प्रकार कई समाचार–पत्रों में आतंकवाद से पीड़ितों के संबंध में दैनिक/साप्ताहिक विवरण दिया जाता है उसी प्रकार शहर/देश के गुमशुदा बच्चों के बारे में भी एक नया कॉलम जोड़ा जा सकता है।
- स्थानीय समाचारों पर जोर देने वाले समाचार–पत्रों, दूरदर्शन चैनलों द्वारा गुमशुदा बच्चों के बारे में घोषणा और विज्ञापनों को निःशुल्क छापने के लिए पुलिस अथवा स्थानीय गैर सरकारी संगठन के साथ मिलकर कार्य किया जा सकता है।
- कई दूरदर्शन चैनलों पर रोजाना दिखाए जाने वाले क्राईम शो में गुमशुदा बच्चे की कहानी को भी दिखाया जाना चाहिए। जैसे देह व्यापार, अंगों की तस्करी इत्यादि की जांच की कहानियों को दिखाया जाता है ठीक उसी प्रकार यह दिखाया जाना चाहिए कि गुमशुदा बच्चे किस प्रकार कोठों पर या कारखानों में ले जाए जाते हैं। दिखाई जाने वाली कहानी, हल हो चुके मामलों में से अथवा जिन मामलों में बच्चों की सीमा–पार तस्करी की गई है, से ली जा सकती है। यदि आवश्यक हो तो पहचान को गुप्त रखा जा सकता है।
- मीडिया संगठन जैसे मीडिया यूनियनें, महिला प्रेस कॉर्पस और इसी प्रकार के संगठन, इस विषय पर सेमिनार एवं सम्मेलन आयोजित करने के लिए एन.एच.आर.सी. जैसी एजेन्सियों और बच्चों के अधिकारों के मुद्दे पर कार्य करने वाले अन्य गैर–सरकारी संगठनों से सहयोग कर सकते हैं।

19. अवैध मानव व्यापार के निकास मार्गों पर ध्यान देना: रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों, हवाई अड्डों, बन्दरगाहों और ऐसे अन्य स्थानों, जो भाग जाने वाले या भगाए जाने वाले बच्चों सहित गुमशुदा बच्चों के बाहर जाने का मार्ग हो सकते हैं, की विशेष निगरानी किए जाने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में, राजकीय रेलवे पुलिस, रेलवे संरक्षण बल, विमानपत्तन और बन्दरगाह प्राधिकारियों को गुमशुदा बच्चों के मुद्दे के बारे में अभिमुखी बनाए जाने की आवश्यकता है।

20. सीमा–पार से गुम हुए बच्चे: यह एक चिन्ताजनक क्षेत्र है जिस पर प्रायः ध्यान नहीं दिया जाता। ऐसी सूचना मिली है कि अवैध व्यापार के जरिए भारत में लाए गए कई विदेशी बच्चों को अवैध अप्रवासियों के रूप में दंडित

किया गया है और वे कष्ट पा रहे हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने राज्य सरकारों से, ऐसे सभी मामलों का पुनरीक्षण करने और ऐसे बच्चों, जैसे कि अवैध मानव व्यापार के जरिए लाए गए सभी बच्चों और संरक्षण एवं देखभाल के जरूरतमंद बच्चों को, उनकी नागरिकता को ध्यान में न रखते हुए, राहत प्रदान करने की सिफारिश की है। इसके अतिरिक्त इस मुद्दे पर एक नयाचार विकसित करने की आवश्यकता है। यह पता चलता है कि यू.एन.ओ.डी.सी., अपनी अवैध मानव व्यापार निरोधी परियोजना में अपेक्षित तकनीकी सहायता प्रदान कर सकता है। इस संबंध में महिला एवं बाल विकास विभाग, यू.एन.ओ.डी.सी. की तकनीकी सहायता का उपयोग कर सकता है और विदेश मंत्रालय से गहन समन्वय स्थापित करके इस मुद्दे पर एक नयाचार विकसित कर सकता है। यू.एन.ओ.डी.सी. के परियोजना समन्वयक अपेक्षित तकनीकी सहायता प्रदान कर सकते हैं।

21. **सर्वेक्षण एवं अनुसंधानः** गुमशुदा बच्चों का संसार अज्ञात है और इस मुद्दे पर उपयुक्त अध्ययन अथवा अनुसंधान नहीं किया गया है। यहां तक कि आज भी गुमशुदा बच्चों की सही संख्या उपलब्ध नहीं है। विद्यमान विधान में राज्य और जिला प्राधिकारियों से यह अपेक्षा की गई है कि वे गुमशुदा बच्चों और बंधुआ मजदूरी/बाल मजदूरी में लगे बच्चों की पहचान करने के उद्देश्य से ऐसे स्थानों, जहां बच्चों को काम पर लगाया गया है, का आवधिक रूप से निरीक्षण/सर्वेक्षण करें। इस कार्य को बहुत कम प्राथमिकता दी गई है। राज्य प्रशासन द्वारा विशेषकर उन स्थानों, जहां बच्चों को खतरा होने की जानकारी है, का माईक्रो अध्ययन करने की अत्यंत आवश्यकता है।

इस समस्या के वास्तविक आयामों को समझाने के लिए उन सभी बच्चों, जो गुम हो गए हैं अथवा गुम हो जाने के बाद बरामद हो गए हैं, का ग्राम–वार सर्वेक्षण करने की अत्यंत आवश्यकता है। इसका सटीक प्रत्युत्तर देने के लिए यह सिफारिश की जाती है कि बच्चों को होने वाले खतरे की पृष्ठभूमि के घटकों का शैक्षणिक संस्थानों द्वारा अध्ययन किया जाए।

❖ ❖ ❖

निष्कर्ष

अध्याय VI

'गुमशुदा बच्चों' के संबंध में समिति की वर्तमान रिपोर्ट इस बात की साक्षी है कि बच्चों के अधिकारों को संरक्षण प्रदान करने के लिए पिछले 60 वर्षों के दौरान कुछ अधिक नहीं किया गया। इनमें कोई संदेह नहीं कि योजनाओं, नीतियों कार्यक्रमों, स्कीमों और सरकार द्वारा, स्वतंत्रता से लेकर अब तक, बच्चों के अधिकारों को संरक्षण एवं बढ़ावा देने के लिए की गई प्रतिज्ञाओं के रूप में दस्तावेजों का एक बड़ा पुलिन्दा है परन्तु राष्ट्रीय शासन, सार्वजनिक निवेश और विकास कार्यों में बच्चों के लिए किए गए कार्य बहुत कम हैं। बच्चों, विशेषकर समाज के वंचित और कमजोर वर्गों के बच्चों, की स्थिति को देखते हुए, समिति का यह विचार है कि बच्चों के मानव अधिकारों को सुरक्षित बनाने के लिए भारत के संविधान में प्रर्याप्त प्राधिकार हैं। ऐसे होते हुए भी समय की यह मांग है कि राज्य और समाज दोनों द्वारा कतिपय प्रतिबद्धताओं की पहचान 'अपरक्राम्य' के रूप में की जाए और उसे बनाए रखा जाए। बच्चों की भलाई और सुरक्षा के लिए निवेश करना ऐसी ही एक प्रतिबद्धता है। इस संदर्भ में केन्द्र एवं राज्य सरकारों, दोनों को यह सुनिश्चित करना होगा कि कार्रवाई योजनाएं वास्तविक हों ताकि एक निश्चित समय–सीमा के भीतर बच्चों की सुरक्षा को मूर्त रूप दिया जा सके। इसके लिए, निःसन्देह, संसाधनों की अत्यधिक गतिशीलता, ठोस राजनीतिक प्रतिबद्धता और आयोजना और प्रबंधन ढांचे का विकेन्द्रीकरण अपेक्षित होगा। सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रभावी रूप से सेवाएं प्रदान करने के लिए सामाजिक सेवा प्रशासन में आमल–चूल परिवर्तन की अत्यंत आवश्यकता है। सभ्य समाज के अन्य संस्थानों के साथ समन्वय भी आवश्यक होगा। इन सब बातों से अंततः यह सुनिश्चित होगा कि राष्ट्र के पास एक सुदृढ़ मानव संसाधन आधार है।

❖ ❖ ❖

अनुलग्नक क

गुमशुदा बच्चों पर उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए दिशानिर्देश

उच्चतम न्यायालय द्वारा, होरी लाल बनाम पुलिस आयुक्त, दिल्ली एवं अन्य के मामले में दायर 1996 की रिट याचिका (दांडिक) सं. 610 की सुनवाई करते समय, गुमशुदा बच्चों और अपहरित की गई अवयस्क लड़कियों एवं महिलाओं इत्यादि की तलाश के लिए किए जाने वाले प्रभावी उपायों के संबंध में दिनांक 14/11/2002 को दिए गए दिशा–निर्देशः

(1) गुम हुए व्यक्ति के फोटोग्राफ को समाचार–पत्रों में प्रकाशित किया जाए, उन्हें शीघ्रता से दूरदर्शन पर प्रसारित किया जाए और ऐसा किसी भी सूरत में शिकायत प्राप्त होने के एक सप्ताह के भीतर ही किया जाए। गुमशुदा व्यक्ति के फोटोग्राफ का संबंधित शहर/नगर/गांव के महत्वपूर्ण स्थानों – अर्थात् रेलवे स्टेशनों, अन्तरराज्यीय बस अड्डों, हवाई अड्डों, क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय और विधि प्रवर्तन एजेन्सियों के माध्यम से सीमा जांच–चौकियों – पर व्यापक प्रचार किया जाए। यह सब तत्परता से किया जाए और किसी भी सूरत में शिकायत प्राप्त होने के एक सप्ताह के भीतर ही किया जाए। परन्तु किसी अवयस्क/वयस्क लड़की के मामले में ऐसे फोटोग्राफ का प्रकाशन उसके अभिभावकों/संरक्षकों की लिखित अनुमति के बिना न किया जाए।

(2) गुमशुदा लड़की के आस–पड़ोस से, कार्य/पढ़ाई के स्थान पर मित्रों, सहयोगियों, जान–पहचान वालों, संबंधियों इत्यादि से तत्काल पूछताछ की जाए। इसी प्रकार, गुमशुदा व्यक्ति के कागजातों और सामान से मिले सुरागों की तत्परता से जांच की जानी चाहिए।

(3) गुमशुदा व्यक्ति के हाल ही के स्कूल/शैक्षणिक संस्थानों के प्रधानाचार्य, कक्षा अध्यापक और विद्यार्थियों से संपर्क करना। यदि गुमशुदा लड़की अथवा महिला कहीं कार्यरत हो तो उसके हाल ही के नियोक्ता और कार्यस्थल पर उसके सहयोगियों से संपर्क करना।

(4) गुमशुदा लड़की अथवा महिला के परिवार के निकट संबंधियों, पड़ोसियों, स्कूल के मित्रों सहित स्कूल के अध्यापकों से उसके बारे में पूछताछ करना।

(5) इस बारे में आवश्यक पूछताछ करना कि क्या परिवार में पहले भी कोई घटना अथवा हिंसा की वारदात हुई थी।

इसके उपरान्त जांच अधिकारी/एजेन्सी द्वारा निम्नलिखित कार्रवाई की जाएगीः

(क) अभिभावकों से मांगे गए रिकार्ड की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए निरंतर अनुवर्ती कार्रवाई करेगा और सुरागों का पता लगाने के लिए उनकी जांच करेगा।

(ख) शिकायत प्राप्त होने के तुरन्त बाद अस्पतालों और शव–गृहों में खोज की जाएगी।

(ग) उसके लापता होने के एक माह के भीतर गुमशुदा व्यक्ति के बारे में सुराग देने वाले के लिए ईनाम की घोषणा की जाएगी।

(घ) इसी प्रकार एक माह के भीतर ही सार्वजनिक सूचना जारी की जाएगी।

(ङ) जहां तक संभव हो, जांच, महिला पुलिस अधिकारी द्वारा की जानी चाहिए।

(च) राज्य पुलिस के संबंधित पुलिस आयुक्त अथवा उप महानिदेशक/महानिदेशक, गुमशुदा लड़की अथवा महिला का पता लगाने के लिए बहु–आयामी कार्य बल गठित करने की व्यवहार्यता का पता लगाएंगे।

(छ) इसके अतिरिक्त, दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता और चेन्नई जैसे महानगरों में जांच अधिकारी तत्काल रेड–लाईट क्षेत्रों में जांच करेगा और अवयस्क लड़कियों को तलाश करने की कोशिश करेगा। यदि कोई अवयस्क लड़की (चाहे वह वहां हाल ही में लाई गई हो अथवा नहीं) पाई जाती है तो उसे कब्जे में लिया जाएगा और उसे स्थानीय बाल गृह भेजा जाएगा [किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा 34] और जांच अधिकारी, उसे चिकित्सा/अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के सभी उपयुक्त उपाय करेगा।

❖ ❖ ❖

अनुलग्नक **ख**

गुमशुदा बच्चों पर सी बी आई द्वारा पूर्ण एवं औपचारिक ब्यौरा लिखना

मौजूदा प्रणाली

गुमशुदा व्यक्तियों के मामलों को निपटाने के लिए भारत के विभिन्न राज्यों में विभिन्न प्रक्रिया अपनाई जाती है। उनमें से लगभग सभी गुमशुदा व्यक्तियों की रिपोर्ट को उसी प्रकार लेते हैं जैसे किसी अन्य असंगठित अपराध के विषय में मिली सूचना को। अर्थात् डायरी में इस बाबत प्रविश्टि के उपरान्त जाँच की जाती है। तलाश हेतु नोटिस भेजने और स्थानीय दृश्य और प्रिंट मीडिया में फोटो और अन्य विवरण प्रकाशित करना प्रत्येक राज्य में अनिवार्य नहीं है। कई कारणों से – प्रभावी अनुवर्तन और पर्यवेक्षण की कमी, संसाधनों की कमी, समन्वय की कमी और चुनौती से निपटने के लिए राष्ट्रीय रणनीति की कमी – इन मामले की ओर उतना ध्यान नहीं दिया जाता जितना दिए जाने की अपेक्षा होती है जिसके कारण बड़ी संख्या में गुमशुदा व्यक्तियों का पता नहीं लग पाता। साथ ही, इतनी ही बड़ी संख्या में ऐसे शव जिनकी पहचान नहीं हो पाती (यू आई डी बी) – लगभग 40,000 प्रतिवर्ष–अनपहचाने रह जाते हैं। यह सर्वज्ञात तथ्य है कि यू आई डी बी गुमशुदा व्यक्तियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। दूसरे शब्दों में, प्रत्येक पहचान न किए जा सकने वाला शव संभवतः किसी अन्य स्थान का गुमशुदा व्यक्ति भी हो सकता है। स्पश्टतः, अन्वेषण अभीकरणों के पास अभी ऐसा कोई साधन नहीं है जिससे इन दोनों आपस में जुड़े हुए आंकड़ों की तुलना की जा सके तथा इन्हें एक–दूसरे से संबद्ध किया जा सके।

इसके अतिरिक्त, वर्तमान में देश में गुमशुदा व्यक्तियों की संख्या से संबंधित कोई विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। यद्यपि राश्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एन सी आर बी) विभिन्न राज्य अपराध रिकार्ड ब्यूरों (एस सी आर बी) से (गुमशुदा व्यक्तियों से संबंधित) सूचना इकट्ठी करता है और उसे अपनी वेबसाईट पर अपलोड करता है। कुछ क्षेत्रीय पुलिस वेबसाईटें जैसे कि जिपनेट (ZIPNET) और कुछ राज्य पुलिस वेबसाइटें भी गुमशुदा व्यक्तियों पर सूचना उपलब्ध कराती हैं। लेकिन ये सूचनाएं ज्यादातर अधूरी होती हैं। इसके अतिरिक्त पुलिस कर्मियों में इन आंकड़ों के प्रति जागरुकता बहुत कम है जिसके परिणामस्वरूप गुमशुदा व्यक्तियों को ढूंढने की सफलता दर असंतोशजनक है।

प्रस्तावित प्रणाली

मौजूदा प्रणाली में उपरोक्त समस्याओं/कमियों को ध्यान में रखते हुए, मैं यह प्रस्ताव देता हूँ कि देश में गुमशुदा व्यक्तियों को ढूंढने के लिए राष्ट्रीय प्रणली तैयार की जाए जिसमें निम्नलिखित चार उप–प्रणाली/घटक हों :–

1. वेब आधारित एक ऐसा तंत्र जिससे लोगों को गुमशुदा व्यक्तियों के संबंध में सुलभ सूचना दे सके। इसे फोन, फैक्स अथवा डाक द्वारा रिपोर्ट करने के विकल्प से जोड़ दिया जाएगा।

2. गुमशुदा व्यक्तियों का एक डाटाबेस तैयार करना जिसमें पहचान से संबंधित विवरण यथा–नाम, वंशज, पता, लम्बाई, वजन, व्यक्ति का रंग, गमशुदा व्यक्तियों का डी.एन.ए. यदि उपलब्ध हो, भी दिए जाएंगे।

3. यू आई डी बी (जिन शवों की पहचान नहीं की जा सकी) उनकी पहचान से संबंधित विवरण (ऊपर उल्लिखित ब्यौरों) के साथ–साथ डी. एन. ए. का डाटाबेस तैयार करना ताकि लापता व्यक्तियों के डाटाबेस के साथ उसकी तुलना/मिलान की जा सके।

4. लापता व्यक्तियों के परिवारों के हित में/उनकी जानकारी के लिए वेबसाइट पर एक विपुल संसाधन आधार उपलब्ध कराना, उससे संबंधित मुद्दे यथा बच्चों एवं महिलाओं जैसे कमजोर समूहों द्वारा झेले जा रहे खतरों, बच्चों के यौन शोषण के व्यावहारिक एवं मनोवैज्ञानिक पहलूओं आदि। ये स्त्रोत कानून प्रवर्तन अधिकारियों को प्रशिक्षण देने में भी काफी उपयोगी होंगे।

किसी गुमशुदा व्यक्ति के संबंध में प्राप्त सूचना चाहे वह ऑनलाइन हो या फोन पर हो या फैक्स अथवा डाक द्वारा, लापता व्यक्तियों के डाटाबेस में चली जाएंगी। ऐसी सूचना के मिलने पर, तंत्र स्वतः रिपोर्ट तैयार करेगा जिसे स्थानीय कानून प्रवर्तन एजेंसी को उपलब्ध कराया जाएगा। इसी प्रकार का एक दूसरा डाटाबेस तैयार किया जाएगा जिसमें पहचान में नहीं आए शवों का ब्यौरा होगा। इस उद्देश्य के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरों एवं देश के क्षेत्रीय पुलिस अधिकारियों के बीच एक स्वैच्छिक भागीदारी की आवश्यकता होगी।

एक बार इस डाटाबेस के तैयार होने के बाद सी बी आई या किसी राज्य पुलिस विभाग में जाँच अधिकारी लापता व्यक्त्यिों के डी एन ए प्रोफाइल पर आधारित पूछताछ कर सकेंगे। यदि लापता व्यक्तियों का डी एन ए उपलब्ध नहीं है तो मिलान के लिए उनके माता–पिता या भाई–बहन के डी एन ए का इस्तेमाल किया जा सकता है। डाटाबेस मिलान इस प्रणाली का एक महत्वपूर्ण घटक है तथा इसके लिए कम्प्यूटिंग पॉवर इन्टेन्सिव ऑपरेशन उपयुक्त होगा, किन्तु कम्प्यूटिंग तकनीक में आधुनिक तरक्की को देखते हुए इसे प्राप्त करना कठिन नहीं होगा।

चुनौतियाँ :–

प्रस्तावित प्रणाली के समक्ष निम्नलिखित तीन चुनौतियाँ आने की संभावना है –

1. गुमशुदा व्यक्तियों के संबंध में डाटा एकत्र करने में कठिनाई

2. पहचान नहीं किए जा सके शवों के संबंध में स्थानीय पुलिस से डाटा संग्रह में कठिनाई

3. देश में फारेंनसिक विज्ञान के संबंध में बुनियादी सुविधाओं के अभाव में पहचान नहीं किए गए शवों की डी एन ए प्रोफाइलिंग में कठिनाई

1. गुमशुदा व्यक्तियों के संबंध में डाटा संग्रह में कठिनाई

इंटरनेट का प्रयोग कर गुमशुदा व्यक्तियों के संबंध में सूचना का संग्रह निश्चित रूप से सर्वाधिक किफायती होगा किन्तु देश में इंटरनेट के विस्तार में कमी को देखते हुए समाज के सभी वर्गों के लिए यह कारगर नहीं होगा। वर्तमान में देश में 2.5 ब्रॉडबैन्ड कनेक्शन सहित लगभग 40 करोड़ इंटरनेट कनेक्शन हैं। यदि हम प्रति कनेक्शन दो व्यक्ति भी मानें तो, हम कह सकते हैं कि लगभग 80 करोड़ लोगों की पहुंच आज इंटरनेट तक है। किन्तु वास्तविक समस्या यह है कि यह वितरण एक तरफा है क्योंकि इनमें से अधिकांश लोग शहरों में रहते हैं। हालांकि इंटरनेट के विस्तार में ग्रामीण क्षेत्रों सहित देश में भारी वृद्धि हो रही है जो उत्साहवर्द्धक है। कुछ वर्षों में,

जब तक प्रस्तावित प्रणाली पूर्णतः लागू होगी, स्थिति में काफी सुधार आने की संभावना है, जैसा कि मोबाइल टेलीफोन के मामले में हुआ है। हालांकि, तब तक हमें डाक द्वारा रिपोर्टिंग, फोन या फैक्स जैसे अन्य विकल्पों को वेब आधारित विकल्प के अनुपूरक के रूप में प्रयोग में लाने की जरूरत है।

सूचना के अन्य महत्वपूर्ण स्रोतों में स्थानीय पुलिस होगी। इस परियोजना में वे अत्यधिक महत्वपूर्ण भागीदार हैं। वस्तुतः इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए स्थानीय पुलिस के बीच समय पर सूचना देने की जरूरत के संबंध में जागरूकता पैदा करना महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है। अन्ततोगत्वा, इस प्रणाली की लोकप्रियता इसकी उपयोगिता से तय होगी। यदि पुलिस अधिकारी इसे उपयोगी पायेंगे तो निश्चित रूप से इसका उपयोग करेंगे एवं अपेक्षित सूचना भी प्रस्तुत करेंगे। इस प्रणाली की विश्वसनीयता को स्थापित करने में सफलता की कुछेक कहानियाँ काफी सहायक होंगी।

2. पहचान नहीं किए जा सके शवों के संबंध में डाटा एकत्र करने में कठिनाई

देश भर में लगभग 40,000 ऐसे शवों, जिनकी पहचान नहीं की जा सकी है, के संबंध में सही–सही डाटा एकत्र करना इस प्रणाली की सफलता के लिए महत्वपूर्ण हैं। जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, यू आई डी बी गुमशुदा व्यक्तियों का एक महत्वपूर्ण सबसेट है। इन दो डाटाबेसों के बीच स्वचालित तुलना से बड़ी संख्या में मिलान किए जाने की संभावना है जिसके परिणमस्वरूप गुमशुदा व्यक्तियों/यू.आई.डी.बी. की पहचान सफलतापूर्वक की जा सकेगी।

डाटा के इस महत्वपूर्ण भाग को एकत्र करने के लिए, देश मुें क्षेत्रीय पुलिस अधिकरियों के साथ प्रत्यक्ष भागीदारी किए जाने की जरूरत होगी। इसमें अन्य बातों के साथ–साथ यू.आई.डी.बी. के संबंध में सूचना एकत्र करना एवं इसे सीधे सी.बी.आई. को उपलब्ध कराना शामिल है। नारकोटिक नियंत्रण ब्यूरों के एन.डी.पी.एस. मामले में स्थानीय पुलिस को ईनाम देने की योजना पहले ही उदाहरणार्थ मौजूद है।

3. डी.एन.ए. प्रोफाइलिंग आदि में कठिनाईयाँ

जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, पहचान न किए गए शव, लापता व्यक्तियों का एक महत्वपूर्ण सब–सेट है। इस दो डाटाबेसों को एक बार तैयार करने के पश्चात् इनके स्वचालित मिलान एवं तुलना के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जा सकता है परन्तु यह तभी संभव होगा जब हम डी.एन.ए. प्रोफाइल जैसी अनन्य विशेषता को डाटाबेस में शामिल करेंगे। चूँकि पहचान न किए गए लाश का कोई अन्य ब्यौरा जैसे लम्बाई, वजन, रंग, त्वचा का रंग आदि मानव जाति की अनन्य विशेषता नहीं होती है, अतः इनका प्रयोग इस प्रयोजन के लिए नहीं किया जा सकता है। अतः यदि हम स्वचालित तुलना को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो डी.एन.ए. प्रोफाइलिंग अत्यन्त आवश्यक है। दूसरे शब्दों में, कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिससे इसके बिना उक्त कार्य को किया जा सके।

चूँकि देश में फोरेंसिक विज्ञान की मौजूदा अवसंरचना इस कार्यभार को उठाने में यथेश्ट नहीं हो सकती है, अतः अतिरिक्त अवसंरचना को सृजित किया जाना होगा। इससे व्यापार के बेहतर अवसर उपलब्ध होते हैं अतः निजी क्षेत्र को शामिल करने के लिए व्यापाक संभावना है। कई निजी लैब (उदाहरणार्थ श्री राम लैब) कुछेक क्षेत्रों (जैसे रासायनिक और भौतिक परीक्षण)में पहले से ही अच्छा कार्य कर रहे हैं और इन्हें उच्च विश्वसनीयता प्राप्त है। नामोदिश्ट निजी मेडिकल लैब जो केन्द्र सरकार के स्वास्थ्य तंत्र के पूरक का कार्य करते हैं, वे अन्य उदाहरण हैं। डी.एन.ए. प्रोफाइलिंग में अवसंरचना को इस तरीके से सार्वजनिक निजी भागीदारी के जरिए बढ़ाया जा सकता

है। यू.के. में द नेशनल डाटाबेस (डब्ल्यू. डब्ल्यू. डब्ल्यू. पार्लियामैंन्ट यू.के/डाक्यूमैंन्ट/अपलोड़/पोस्टपन/258.पी.डी.एफ.) वर्ष 1995 से कार्य कर रहा है और इसके पास इस समय 3 मिलियन अभिलेख मौजूद हैं। यदि हम इस परियोजना को सफल बनाना चाहते हैं तो इसी प्रकार के प्रयास की आवश्यकता होगी।

लागत

आरंभिक निवेश का मुख्य संघटक देश में डी.एन.ए. लैब अवसंरचना तैयार करने के लिए होगा। तथापि, इस संघटक को सार्वजनिक निजी भागीदारी के जरिए आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है, जैसा कि देश में कई अवसंरचनात्मक परियोजनाओं (जैसे राजमार्ग)में किया जा रहा है डी.एन.ए. प्रोफाइल पर आधारित दो डाटाबेसों का मिलान करने एवं उनका संग्रह करने के लिए साफ्टवेयर विकसित करने पर होने वाली लागत अन्य महत्वपूर्ण व्यय होगा। शेष मद जैसे डोमेन के नाम का पंजीकरण वेबसाइट के अग्र भाग तथा परियोजना का अंतिम चरण (लापता व्यक्तियों तथा पहचान न किए गए शवों का डाटाबेस)तैयार करने की लागत कुछेक लाख रूपये से कम आने की संभावना है और इसे संगठन के आन्तरिक संसाधनों से (उदाहरणार्थ वार्शिक आधुनिकीकरण योजना से) पूरा किया जा सकता है।

प्रणाली को चलाने की आवर्ती लागत के दो मुख्य संघटक होंगे – पहचान न किए गए शवों के संबंध में आकड़ों को एकत्र करने एवं उनके डी.एन.ए. प्रोफाइलिंग की लागत सरसरी तौर पर किए गए आंकलन के अनुसार क्षेत्रीय पुलिस कर्मियों को पहचान न किए गए लाशों के नमूने को एकत्र करने डी.एन.ए. प्रोफाईलिग के लिए इसे नामोदिश्ट लैब में भेजने के लिए उनके द्वारा लगने वाले समय तथा प्रयास के लिए (प्रत्येक मामले के लिए 2000 रूपये देने से देश में पाये जाने वाले लगभग ऐसे 4,000 शवों के लिए प्रतिवर्श 8 करोड़ रूपये का व्यय होगा। इसमें प्रत्येक नमूने की डी.एन.ए. प्रोफाइलिग की लागत लगभग 2500/–रूपये होगी अर्थात् लगभग 10 करोड़ रूपये प्रतिवर्श का अतिरिक्त व्यय होगा। इस प्रकार इस प्रणाली को चलाने की वार्षिक लागत 25 करोड़ रूपये से अधिक होने की संभावना नहीं है, जो भारत जैसे विशाल देश के लिए युक्तिसंगत है।

हित लाभ

प्रस्तावित प्रणाली के संभावित लाभ निम्नानुसार हैंः–

1. देश में गुमशुदा व्यक्तियों का पता लगाने में काफी सुधार होगा जिससे हजारों पीड़ित परिवारों के कश्ट को कम किया जा सकेगा।

2. पहचान न किए गए शवों की सफलतापूर्वक पहचान करने में काफी वृद्धि होगी।

❖ ❖ ❖

अनुलग्नक 12 पैरा 10.9

वर्ष 2007–2008 के दौरान आयोजित मानव अधिकार प्रशिक्षण कार्यक्रम

क्रम संख्या	संस्थान का नाम	प्रशिक्षण का विषय एव कार्यकमों की संख्या	स्थान	कार्यक्रम की तिथि एवं प्रतिभागियों की संख्या
1.	सिटिजनशिप डवलेपमेंट सोसायटी मयूर विहार फेस–II दिल्ली (गैर–सरकारी संगठन)	मानव अधिकार जागरूकता पर सेमीनार (दो दिवसीय) **एक कार्यक्रम**	भारतीय विद्या भवन, जयपुर, राजस्थान	12 से 13 अप्रैल 2007 **75 प्रतिभागी**
2.	जूडिशियल अकादमी, झारखंड, राँची	न्यायिक अधिकारियों हेतु मानव अधिकार प्रशिक्षण **एक कार्यक्रम**	जूडिशियल अकादमी राँची, झारखण्ड	14 अप्रैल,2007 **30 प्रतिभागी**
3.	तमिलनाडू, राज्य मानव अधिकार आयोग, तिरूवरंगम मालगई (ग्रीनवेस रोड़) चेन्नई, तमिलनाडु	i. विशेषज्ञ व्यक्तियों और पुलिस अधिकारियों हेतु मानव अधिकार साक्षरता पर संवेदनशीलता पर कार्यक्रम (एक दिन) ii. मानव अधिकार संरक्षण और मानव अधिकार साक्षरता संबंधी जागरूकता को बढ़ावा (एक दिन) iii. और iv. वही **चार कार्यक्रम**	i. सेन्ट्रल लैदर रिसर्च इंस्टिट्यूट,चेन्नई, तमिलनाडु ii. सभाकक्ष समाहर्तालय थिरूनामलई, तमिलनाडु iii. सभाकक्ष समाहर्तालय ट्रिकी, तमिलनाडु iv. थिरूनवलवेली	i. 1 मई 2007 ii. 9 जून 2007 iii. 6 अक्टूबर, 2007 iv. 27 फरवरी 2008 **180 प्रतिभागी**
4.	प्रेरणा अयोध्या नगर, भोपाल, मध्य प्रदेश (गैर–सरकारी संगठन)	मानव अधिकारों पर कार्यशाला (दो दिवसीय) **एक कार्यक्रम**	नेहरू युवा केंद्र, बेतूल, मध्य प्रदेश	3 से 5 अगस्त, 2007 **60 प्रतिभागी**
5.	इंस्टीट्यूट ऑफ मैंनेजमेंट इन गवर्नमैंट, केरल (ए.टी.आई.)	i. मानव अधिकारों पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (चार दिन) ii. मानव अधिकारों पर संवेदनशीलता कार्यक्रम (दो दिवसीय) **दो कार्यक्रम**	थिरूवन्नतापुरम, केरल	17 से 20 सित्तंबर, 2007 **35 प्रतिभागी** 24 से 25 सितंबर 2007 **33 प्रतिभागी**
6.	मुख्य वन, अनुसंधान शिक्षा और कार्ययोजना संरक्षक कार्यालय असम सरकार, गुवाहाटी	उत्तर पूर्वी क्षेत्र में मानव अधिकारों पर असम वन प्रभाग के फ्रंटलाईन कर्मचारियों का प्रशिक्षण (तीन दिवसीय) **एक कार्यक्रम**	असम वन स्कूल गुवाहाटी	8 से 10 अक्टूबर 2007 **45 प्रतिभागी**

जारी...

क्रम संख्या	संस्थान का नाम	प्रशिक्षण का विषय एव कार्यकमों की संख्या	स्थान	कार्यक्रम की तिथि एवं प्रतिभागियों की संख्या
7.	राज्य महिला स्त्रोत केन्द्र, प्रशासन और प्रबंधन अकादमी आर.सी.वी.पी.नोरोहा, भोपाल मध्य प्रदेश (ए.टी.आई.)	महिलाओं के विरूद्ध हिंसा पर प्रभागीय स्तर की कार्यशाला (दो दिवसीय प्रत्येक) **पाँच कार्यक्रम**	i. जबलपुर, मध्य प्रदेश ii. रेवा, मध्य प्रदेश iii. चम्बल ग्वालियर प्रभाग, मध्य प्रदेश iv. इंदौर, उज्जैन प्रभाग, मध्य प्रदेश v. सागर, मध्य प्रदेश	i. 8 से 9 अक्टूबर 2007 **30 प्रतिभागी** ii. 15 से 16 अक्टूबर 2007 **25 प्रतिभागी** iii. 13 से 14 दिसंबर 2007 **28 प्रतिभागी** iv. 17 से 18 दिसंबर 2007 **30 प्रतिभागी** v. 27 से 28 दिसंबर 2007 **25 प्रतिभागी**
8.	बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास (बी.आई.पी.ए.आर.डी.) (ए.टी.आई.)	मानव अधिकारों पर प्रशिक्षण (दो दिवसीय) **आठ कार्यक्रम**	बी.आई.पी.ए.आर.डी, पटना, बिहार	i. 30 से 31 अक्टूबर 2007 **30 प्रतिभागी** ii. 29 से 30 नवंबर, 2007 **30 प्रतिभागी** iii. 18 से 19 दिसंबर 2007 **25 प्रतिभागी** iv. 8 से 9 जनवरी 2008 **28 प्रतिभागी** v. 30 से 31 जनवरी 2008 **30 प्रतिभागी** vi. 4 से 5 मार्च 2008 **25 प्रतिभागी** vii. 10 से 11 मार्च 2008 **28 प्रतिभागी** viii. 12 से 13 मार्च 2008 **30 प्रतिभागी**
9.	डॉ.पी.एस. शंकर प्रतिशठाना 'दिप्ति' गुलबर्ग, कर्नाटक (गैर सरकारी संगठन)	वयोवृद्धों के लिए स्वास्थ्य देखभाल शैक्षणिक कार्यक्रम (पाँच दिवसीय) **एक कार्यक्रम**	रोटरी स्कूल,पब्लिक गार्डन,गुलबर्ग, कर्नाटक	2 से 6 नवंबर 2007 **250 प्रतिभागी**
10.	मानव अधिकार परिषद् द्वारा महाराजा अग्रसेन, शिक्षा सोसाइटी, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश, गैर–सरकारी संगठन	मानव अधिकार पर पर्यावरणीय प्रभाव (तीन दिवसीय) **एक कार्यक्रम**	प्राकृति कुंज आश्रम सहानपुर, उत्तर प्रदेश	16 से 18 नवंबर,2007 **85 प्रतिभागी**

जारी...

क्रम संख्या	संस्थान का नाम	प्रशिक्षण का विषय एव कार्यकमों की संख्या	स्थान	कार्यक्रम की तिथि एवं प्रतिभागियों की संख्या
11.	मेघालय प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान मेघालय सरकार, शिलोंग, मेघालय (ए.टी.आई.)	i. मानव अधिकार मामलों पर संवेदनशीलता (दो दिवसीय) ii. महिलाओं के अधिकारों पर कार्यशाला (दो दिवसीय) iii. मानव अधिकार अवधारणा और मामले (दो दिवसीय) **तीन कार्यक्रम**	ए.टी.आई. मेघालय	i. 26 से 27 नवंबर 2007 **18 प्रतिभागी** ii. 24 से 25 जनवरी 2008 **17 प्रतिभागी** iii. 27 से 28 मार्च 2008 **15 प्रतिभागी**
12.	प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान नागालैंड सरकार, कोहिमा, नागालैंड (ए.टी.आई.)	मानव अधिकार मामलों पर संवेदनशीलता प्रशिक्षण कार्यक्रम (तीन दिवसीय) **एक कार्यक्रम**	ए.टी.आई. नागालैंड	26 से 28 नवंबर,2007 **30 प्रतिभागी**
13.	भारतीय नागरिक कल्याण एवं अपराध निरोधक समिति, जिला हाथरस, उत्तर प्रदेश (गैर–सरकारी संगठन)	मानव अधिकार जागरूकता पर सेमीनार* (एक दिवसीय) **एक कार्यक्रम**	श्री रामानंद आश्रम, गोवर्धन जिला मथुरा, उत्तर प्रदेश बी.एस.ए. कॉलेज मथुरा, उत्तर प्रदेश	2 दिसंबर,2007 24 फरवरी 2008 **80 प्रतिभागी**
14.	आग्सिलियम कॉलेज (थिरूवल्लूर विश्वविद्यालय से संबद्ध) वेल्लोर, तमिलनाडु (कॉलेज)	नव समाज धार्मिक संबंधों के प्रति मानव अधिकारों और नैतिकताओं की नई परिभाषा (दो दिवसीय) **एक कार्यक्रम**	आग्सिलियम कॉलेज, वेल्लोर, तमिलनाडु	12 से 13 दिसंबर,2007 **70 प्रतिभागी**
15.	छत्तीसगढ़ प्रशासनिक अकादमी रायपुर, छत्तीसगढ़ (ए.टी.आई.)	i. मानव अधिकार मामलों पर संवेदनशीलता (तीन दिवसीय) ii. मानव अधिकार मामलों पर संवेदनशीलता कार्यशाला (तीन दिवसीय) iii. महिलाओं और यौन उत्पीड़न पर कार्यशाला (तीन दिवसीय) iv. महिलाओं के विरूद्ध घरेलू हिंसा पर कार्यशाला (तीन दिवसीय) **चार कार्यक्रम**	i. रायपुर, छत्तीसगढ़ ii. बिलासपुर, छत्तीसगढ़ iii. जगदलपुर छत्तीसगढ़ iv. अंबिकापुर छत्तीसगढ़	i. 12 से 14 दिसंबर 2007 **20 प्रतिभागी** ii. 26 से 28 दिसंबर 2007 **26 प्रतिभागी** iii. 7 से 9 जनवरी 2007 **45 प्रतिभागी** iv. 15 से 17 जनवरी 2007 **35 प्रतिभागी**
16.	प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान–मैसूर कर्नाटक ए.टी.आई	बाल देह–व्यापार (प्रत्येक तीन दिवसीय) **दो कार्यक्रम**	ए.टी.आई.,मैसूर कर्नाटक	17 से 19 दिसंबर 2007 **35 प्रतिभागी** 6 से 8 फरवरी,2008 **30 प्रतिभागी**
17.	सेंट जोसफ शैक्षणिक न्यास (जे.ई.टी.) थिरूचिरापल्ली, तमिलनाडु (गैर.सरकारी संगठन)	अनुसूचित जाति की महिलाओं हेतु विधिक शिक्षा कार्यक्रम **एक कार्यक्रम**	थिरूचिरापल्ली जिला तमिलनाडु	21 से 30 दिसंबर, 2007 **300 प्रतिभागी**

*आयोग ने केवल क कार्यक्रम का अनुमोदन किया था। बहरहाल,मथुरा में दो कार्यक्रमों का आयोजन व्यय गैर–सरकारी संगठनों द्वारा वहन किया गया जब कि तकनीकी सहायता राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा मुहैया करवाई गई।

जारी...

क्रम संख्या	संस्थान का नाम	प्रशिक्षण का विषय एव कार्यकमों की संख्या	स्थान	कार्यक्रम की तिथि एवं प्रतिभागियों की संख्या
18.	इंटरनेशल लैपरोसी यूनियन (आई.एल.यू.) पुणे, महाराष्ट्र (गैर सरकारी संगठन)	कुष्ठ रोग एवं एच.आई.वी./एड्स के संदर्भ में मानव अधिकारों संबंधी कार्यशाला (दो दिवसीय प्रत्येक) **चार क्षेत्रों में चार कार्यक्रम**	i) बंगलुरू,कर्नाटक ii) परूलिया,पश्चिम बंगाल iii) बिलासपुर,छत्तीसगढ़ iv) सिलवासा,दादर एवं नगर हवेली	i) 26 से 27 दिसंबर 2007 **50 प्रतिभागी** ii) 10 से 11 जनवरी 2008 **55 प्रतिभागी** iii) 9 से 10 फरवरी 2008 **45 प्रतिभागी** iv) 8 से 9 मार्च 2008 **40 प्रतिभागी**
19.	हेल्प एज इण्डिया, नई दिल्ली (गैर–सरकारी संगठन)	मानव अधिकार और वृद्धजनों के साथ दुर्व्यवहार पर सम्मेलन (एक दिवसीय प्रत्येक) **छः कार्यक्रम**	i) रांची,झारखंड ii) हजारीबाग,झारखण्ड iii) उन्नाव, उत्तर प्रदेश iv) बांदा, उत्तर प्रदेश v) बेतूल, मध्य प्रदेश vi) मांडला, मध्य प्रदेश	i) 27 दिसंबर 2007 **40 प्रतिभागी** ii) 29 दिसंबर 2007 **35 प्रतिभागी** iii) 13 फरवरी 2008 **42 प्रतिभागी** iv) 17 फरवरी 2008 **45 प्रतिभागी** v) 28 फरवरी 2008 **40 प्रतिभागी** vi) 4 मार्च 2008 **40 प्रतिभागी**
20.	उत्तर पूर्व पुलिस अकादमी (एन.ई.पी.ए.) भारत सरकार उमसौ, मेघालय (पुलिस प्रशिक्षण संस्थान)	उत्तर पूर्व क्षेत्र के पुलिस अधिकारियों के लिए मानव अधिकारों संबंधी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (पाँच दिवसीय) **एक कार्यक्रम**	एन.ई.पी.ए.मेघालय	14 से 18 जनवरी 2008 **30 प्रतिभागी**
21.	कर्नाटक लॉ सोसायटी राजा लखमगौड़ा लॉ कालेज, बेलगाम, कर्नाटक (कॉलेज)	मानव अधिकार 'लिंगन्यायः कुछ आधुनिक संसदीय एवं न्यायिक पहले' संबंधी राष्ट्रीय कार्यशाला (तीन दिवसीय) **एक कार्यक्रम**	राजा लखमगौड़ा लॉ कॉलेज, बेलगॉम, कर्नाटक	14 से 16 फरवरी 2008 **50 प्रतिभागी**
22.	डिपार्टमेंट ऑफ स्टडीज इन लॉ मैसूर, यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर कर्नाटक (विश्वविद्यालय)	अशक्त व्यक्तियों, वृद्धों तथा बीमार व्यक्तियों के अधिकारों संबंधी राष्ट्रीय कार्यशाला (दो दिवसीय) **एक कार्यक्रम**	विश्वविद्यालय प्रागण मैसूर, कर्नाटक	28 से 29 मार्च 2008 **60 प्रतिभागी**
23.	एच.सी.एम. स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जयपुर, राजस्थान (ए.टी.आई.)	मानव अधिकारों के संबंध में प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम (तीन दिवसीय) **दो कार्यक्रम**	एच.सी.एम.आर.आई.पी.ए. कैम्पस, जयपुर राजस्थान	3 से 5 मार्च 2008 **18 प्रतिभागी** 17 से 19 मार्च 2008 **17 प्रतिभागी**
24.	सेन एण्ड एन्यूजियास्ट केलेन्टीयर एसोसिएशन ऑफ कोलकता (एस.ई.वी.ए.सी.) कोलकता,पश्चिम बंगाल (गैर–सरकारी संगठन)	उड़ीसा, बिहार, झारखंड तथा पश्चिम बंगाल में कार्यरत पुलिस कर्मियों के लिए मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा (दो दिवसीय) **एक कार्यक्रम**	साल्टलेक कोलकता पश्चिम बंगाल	1 से 2 फरवरी 2008 **64 प्रतिभागी**

जारी...

क्रम संख्या	संस्थान का नाम	प्रशिक्षण का विषय एव कार्यकमों की संख्या	स्थान	कार्यक्रम की तिथि एवं प्रतिभागियों की संख्या
25.	अरुणाचल प्रदेश सरकार, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान, नहारलगुन (ए.टी.आई)	मानव अधिकार विषय पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम (तीन दिवसीय) **एक कार्यक्रम**	ए.टी.आई. नहारलगुन	24 से 26 मार्च 2008 **20 प्रतिभागी**
26.	प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान, मिजोरम (ए.टी.आई)	मानव अधिकार विषय पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम (दो दिवसीय) **एक कार्यक्रम**	ए.टी.आई.,मिजोरम	26 से 27 मार्च 2008 **30 प्रतिभागी**
27.	उत्तर प्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग, लखनऊ उत्तर प्रदेश (एस.एच.आर.सी.)	मानव अधिकारों के प्रति संवेदनशीलता विषयक प्रशिक्षण कार्यशाला (दो दिवसीय) **एक कार्यक्रम**	गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	4 से 5 अप्रैल 2008 **45 प्रतिभागी**
28.	इंदिरा महिला मंण्डली प्रकाशम जिला,आंध्र प्रदेश (गैर–सरकारी संगठन)	मानव अधिकार विषय पर सम्मेलन (दो दिवसीय) **एक कार्यक्रम**	तंगुटुर मण्डल जिला प्रकाशम आंध्र प्रदेश	29 से 30 मार्च 2008 **253 प्रतिभागी**
29.	समाज सेवा समिति बंगलुरू कर्नाटक (गैर सरकारी संगठन)	विभिन्न सामाजिक पहलुओं में मानव अधिकारों के संवर्द्धन एवं संरक्षण में स्वैच्छिक संगठनों की भूमिका संबंधी कार्यशाला (दो दिवसीय) **एक कार्यक्रम**	बिदर,कर्नाटक	24 से 25 मार्च 2008 **100 प्रतिभागी**
30.	रूरल लिटिगेशन एण्ड एनटाइटलमेंट केंद्र (आर.एल.ई.के.) देहरादून, उत्तराखण्ड (गैर सरकारी संगठन)	भारत में उत्तराखण्ड में विशिष्ट तौर पर मानव अधिकारों के साथ–साथ उपेक्षित समुदायों के संबंध में कार्यशाला (दो दिवसीय) **एक कार्यक्रम**	देहरादून,उत्ताखण्ड़	29 से 30 मार्च 2008 **93 प्रतिभागी**
31.	नेशनल कैम्पेन आन दलित ह्यूमन राइट्स नई दिल्ली (गैर सरकारी संगठन)	दलित मानव अधिकारों की मॉनीटरिग और प्रक्रिया संबंधी जागरूकता उत्पन्न करना (दो दिवसीय प्रत्येक) **तीन कार्यक्रम**	i) चंडीगढ़, हरियाणा ii) जमुई,बिहार iii) वाराणसी,उत्तर प्रदेश	i) 3 से 4 मार्च 2008 **50 प्रतिभागी** ii) 19 से 20 जनवरी 2008 **50 प्रतिभागी** iii) 27 से 28 मार्च 2008 **50 प्रतिभागी**
32.	यू.पी.एकेडेमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एण्ड मैनेजमेंट लखनऊ, उत्तर प्रदेश (ए.टी.आई.)	मानव अधिकारों के संबंध पर संवेदनशीलता (एक दिवसीय) **एक कार्यक्रम**	ए.टी.आई., लखनऊ, उत्तर प्रदेश	25 मार्च 2008 **33 प्रतिभागी**
	कुल संस्थान – 32	आयोजित किए गए कार्यक्रमों की संख्या = 65		प्रतिभागियों की कुल संख्या = 3,273

विभिन्न संस्थानों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों की कुल संख्या का सार

क्रम सं.	संस्थान का नाम		आयोजित कार्यक्रमों की सख्या
1.	बारह–प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान (ए.टी.आई.)	:	31
2.	एक–न्यायिक प्रशिक्षण संस्थान (जे.टी.आई.)	:	01
3.	दो–राज्य मानव अधिकार आयोग (एस.एच.आर.सी.)	:	05
4.	तीन–विश्वविद्यालय/महाविद्यालय	:	03
5.	तेरह–गैर सरकारी संगठन (एन.जी.ओ.)	:	24
6.	एक –पुलिस प्रशिक्षण संस्थान (पी.टी.आई.)	:	01
	कुल	**:**	**65**

अनुलग्नक 13 पैरा 11.8

वैश्विक, आवधिक पुनरीक्षा के लिए भारतीय राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का दस्तावेज

"सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिद दुख भाग भवेत"

सभी सुखी होवें, सभी निरोगी होवें,
सभी एक दूसरे को कल्याण की दृष्टि से देखें। किसी को कोई दुखः न पहुँचें।।

1. यह भारतीय समाज में मानव अधिकारों के प्रचार–प्रसार तथा संरक्षण का आधार है और इसलिए इस आयोग का उददेश्य है "सर्वे भवन्तु सुखिनः"।

2. उन्नीसवीं एवं बीसवीं शताब्दी में औपनिवेशिक काल के दौरान कई देशो द्वारा मानव अधिकारों के हनन का दंश झेलने तथा पिछली शताब्दी में दो विश्व युद्धों के दौरान घोर दण्ड झेलने के बाद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने मानव अधिकार वैश्विक घोषणा में मानव अधिकारों के संरक्षण एवं प्रचार–प्रसार का संकल्प किया। वर्ष 1949 में भारतीयों ने ऐसा संविधान अपनाया जिसमें नागरिकों के मौलिक अधिकारों की गारंटी थी। मानव अधिकारों के "बेहतर संरक्षण" के लिए संसद ने वर्ष 1993 में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राज्य मानव अधिकार आयोगों तथा मानव अधिकार न्यायालयों के गठन हेतु मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम पारित किया। तदनुसार, दिनांक 12 अक्टूबर, 1993 को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग अस्तित्व में आया। 18 राज्यों में भी राज्य मानव अधिकार आयोगों का गठन किया जा चुका है।

3. भारत के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की संपूर्ण स्वायत्तता इसकी शक्ति है। इसके अध्यक्ष तथा सदस्यों की चयन प्रक्रिया में सत्ता पक्ष तथा विपक्ष दोनों ही समाहित हैं। आयोग को अपना स्टॉफ तथा अधिकारियों का चयन करने की भी पूर्ण स्वतंत्रता है। आयोग ने अपनी सुलभता एवं सकारात्मक कार्यों के चलते जनमानस में अपनी साख बना ली है जो इसकी सबसे बड़ी शक्ति है।

4. हालांकि आयोग एक संस्तुति करने वाला निकाय है फिर भी संसद में आयोग की रिपोर्ट के साथ सरकार द्वारा की गई कार्रवाई की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जाती है। अतः सरकार द्वारा इसकी सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए इसमें जवाबदेही अंतःनिहित है। यदि सरकार असहमति व्यक्त करती है तो उसे की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट में कारण देने होते हैं। कुल मिलाकर अनुभव यह रहा है कि आमतौर पर 95 प्रतिशत सिफारिशों का अनुपालन हो जाता है।

5. पिछले 14 वर्षों में आयोग को मानव अधिकार के विभिन्न मुददों के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई। कई बार आयोग, मीडिया आदि की रिपोर्टों के आधार पर कुछेक मामलों को स्वतःसंज्ञान में लेता है। पिछले 3 वर्षों के दौरान प्राप्त हुई तथा निपटाई गई शिकायतों की संख्या निम्नानुसार हैः

वर्ष	गत वर्षों के बकाया मामलों सहित नए मामलें।	निपटाए गए मामले
1 अप्रैल 2004–31 मार्च 05	1,35,209	85,661
1 अप्रैल 2005–31 मार्च 06	1,23,992	80,923
1 अप्रैल 2006–31 मार्च 07	1,14,114	93,421

6. आयोग की भूमिका न्यायापालिका की भूमिका के अनुपूरक है। उच्चतम न्यायालय ने अनेकों महत्वपूर्ण मामले आयोग के समक्ष मॉनीटरिंग हेतु भेजे हैं तथा आयोग भी मानव अधिकार उल्लंघन के कुछेक मामले न्यायालयों तक लेकर गया है। कैद में रखे गए मानसिक रुप से विक्षिप्त व्यक्तियों के इलाज तथा बाल यौन शोषण जैसे मुददों पर आयोग द्वारा तैयार किए गए दिशानिर्देशों को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा अंगीकार किया गया है तथा इन्हें अपनाने के लिए प्राधिकारियों को आदेश भी दिया। भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग तथा उच्चतर न्यायपालिका की अनुपूरक भूमिका एक "बेहतर प्रथा" का उदाहरण है।

7. आयोग के हस्तक्षेप का दायरा तथा इसके परिणाम, आयोग की वार्षिक रिपोर्टों में दिए गए हैं। आयोग की वर्ष 2006–07 तक की वार्षिक रिपोर्टें सरकार को प्रस्तुत कर दी गई हैं तथा आयोग की 2005–06 तक की रिपोर्टों को भी सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्टों के साथ संसद में पेश कर दिया गया है। आयोग, वार्षिक पत्रिकाएं तथा अन्य प्रकाशन भी प्रकाशित करता है। आयोग की वेबसाईट http://nhrc.nic.in पर प्रत्येक शिकायत की वर्तमान स्थिति की अद्यतन जानकारी दी जाती है। आयोग अपने कार्यों में पूर्ण पारदर्शी प्रक्रिया अपनाता है। आयोग के कार्यों का ब्यौरा उपरोक्त वेबसाईट पर देखा जा सकता है, आयोग द्वारा की गई कुछेक महत्वपूर्ण सिफारिशों पर उत्तरवर्ती पैराग्राफ में प्रकाश डाला गया है।

8. आयोग दिसम्बर, 1996 से उडीसा के कोरापुट, बोलनगीर तथा कालाहांडी (के बी के) जिलों में भूख के कारण होने वाली कथित मौतों की शिकायतों पर कार्रवाई कर रहा है। आयोग ने विभिन्न पक्षों की बातों को सुनकर एक व्यवहार्य कार्यक्रम तैयार किया है जिसमें ग्रामीण जलापूर्ति स्कीम, जन स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक सुरक्षा स्कीम, जल एवं मृदा संरक्षण उपाय तथा ग्रामीण विकास योजनाएं शामिल हैं। कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के साथ–साथ आयोग के अपने विशेष संपर्कों के माध्यम से की जाने वाली मॉनीटरिंग के कारण बेहतर परिणाम सामने आए हैं।

9. पंजाब में आंतकवादी हमलों तथा पुलिस द्वारा कथित फर्जी मुठभेड के कारण होने वाली अज्ञात व्यक्तियों की मौतें, जिसे "पंजाब सामूहिक दाहसंस्कार मामला" के नाम से जाना जाता है, के मामले में आयोग ने पहचाने गए 195 मृतकों, जिनके बारे में यह माना गया है कि वे पुलिस की अभिरक्षा में थे, के निकट संबंधी को 250000/–रु0 का मुआवजा देने तथा पहचाने गए 1103 मृतकों, जिनके शव का अंतिम संस्कार पंजाब पुलिस द्वारा कर दिया गया, के निकट संबंधियों को 175000/–रु0 का मुआवजा देने की सिफारिश की है जो वर्ष 2006–07 के अंत तक कुल मिलाकर 242725000/–रु0 बनता है।

10. गुजरात में 27 फरवरी, 2002 को सांप्रदायिक दंगे भडक उठे थे। आयोग ने इस दुखद घटना को स्वतः संज्ञान में लिया और आयोग तभी से इस मुददे पर कार्रवाई कर रहा है। आयोग ने कुछ महत्वपूर्ण मामलों की जांच केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सौंपने के लिए राज्य सरकार से कहा। आयोग अपने विशेष संपर्ककर्ताओं के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा दंगा पीडित व्यक्तियों को राहत देने एवं उनके पुनर्वास हेतु किए जाने वाले उपायों की प्रगति की निरंतर मॉनीटरिंग कर रहा है। आयोग ने सभी के लिए "निष्पक्ष विचारण का अधिकार" लागू करने के लिए वर्ष 2003 में भारत के उच्चतम न्यायालय में एक विशेष अनुमति याचिका तथा नौ गंभीर मामलों की सुनवाई गुजरात राज्य से बाहर स्थानांतरित करने की एक याचिका दायर की। भारत के उच्चतम न्यायालय के कार्यों में आयोग द्वारा किए गए हस्तक्षेप के कई सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं जिसमें कुछेक महत्वपूर्ण मामलों का गुजरात से बाहर हस्तांतरण करना, महत्वपूर्ण मामलों को पुनः खोलना तथा सुनवाई करना तथा "बेस्ट बेकरी" तथा "बिलकिस बानो" जैसे मामलों में आरोपित व्यक्तियों की दोषसिद्धि शामिल है। बिलकिस बानो मामले में आयोग ने बिलकिस बानो को कानूनी सहायता भी उपलब्ध कराई। अन्य मामले विचारणाधीन हैं।

11. चंदन तस्कर तथा जंगल के लुटेरे वीरप्पन को पकडने के लिए कर्नाटक एवं तमिलनाडु राज्यों द्वारा गठित ज्वाईंट स्पेशल टास्क फोर्स द्वारा किए गए अत्याचारों के संबंध में आयोग को गैर–सरकारी संगठनों तथा व्यक्तियों से कई प्रतिवेदन प्राप्त हुए। आयोग ने विस्तृत विचार–विमर्श के बाद 89 पीडितों के दुखों और मुश्किलों को कम करने के लिए 28 करोड़ रु0 की तत्काल अंतरिम राहत की संस्तुति की।

12. पश्चिम बंगाल राज्य में नंदीग्राम तथा निकटवर्ती क्षेत्र में 10000 एकड की भूमि पर एक मेगा कैमिकल हब तथा स्पेशल इकोनॉमिक जोन (एस ई जैड) स्थापित करने के लिए प्रस्तावित भूमि को अधिग्रहित करने के मुददे पर मार्च, 2007 तथा नवम्बर, 2007 के महीनों में बडे पैमाने पर हिंसा भड़क उठी। आयोग ने मामले को स्वतःसंज्ञान में लिया और न केवल राज्य सरकार से रिपोर्टें मांगी बल्कि अपना एक जांच दल भी वहां भेजा। मामला आयोग के विचाराधीन है। तथापि, न्यायपालिका एवं आयोग जैसी विभिन्न एजेंसियों द्वारा जताई गई चिंता तथा की गई कार्रवाईयों का लाभाकरी प्रभाव दिखाई दे रहा है।

13. आयोग ने एल0जी0बी0 रीजनल इन्स्टीटयूट ऑफ मेन्टल हेल्थ, तेजपुर, असम में लगभग 32 से 54 वर्षों से विचारणाधीन 5 कैदियों को रखे जाने के संबंध में वर्ष 2005 में दौरा करने वाले आयोग के विशेष संपर्ककर्ता से प्राप्त रिपोर्ट को संज्ञान में लिया और असम सरकार से रिपोर्ट तलब की। आयोग के हस्तक्षेप के परिणामस्वरुप उन पांचों व्यक्तियों का रिहा कर दिया गया है तथा उन्हें मुआवजा भी दिया गया है।

14. आयोग ने दिसम्बर 24–25, 2007 को उडीसा के कंदमाल जिले में ईसाईयों तथा उनके संस्थानों पर हुए कथित हमलों की शिकायत को संज्ञान में लिया। आयोग ने उडीसा सरकार के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक, उड़ीसा को न केवल घायल तथा मारे गए व्यक्तियों के ब्यौरे, यदि कोई हैं तो, संपत्ति को हुए नुकसान, सरकार द्वारा प्रभावित व्यक्तियों/संस्थानों को राहत एवं मुआवजा देने के संबंध में उठाए गए कदमों के विवरण सहित रिपोर्ट प्रस्तुत करने का नोटिस जारी किया बल्कि राज्य में ईसाई समुदाय के प्रत्येक सदस्य को हर संभव सुरक्षा उपलब्ध कराने का भी निदेश दिया। आयोग ने तथ्यों का पता लगाने के लिए अपने जांच प्रभाग की एक टीम को मौका–ए–वारदात पर भी रवाना किया।

15. देश के कुछ भाग जैसे कि जम्मू एवं कश्मीर तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के साथ–साथ कुछ अन्य राज्य भी आतंकवाद एवं उग्रवाद का दंश झेल रहे हैं। आतंरिक सुरक्षा की स्थिति को नियंत्रित करने में राज्य सरकार के प्राधिकारियों की मदद करने हेतु कुछ अशांत क्षेत्रों में अर्ध सैनिक बलों सहित संघ के सशस्त्र बलों को तैनात किया गया है। कई बार आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन करने वाले सशस्त्र बलो के उपर मानव अधिकारों के उल्लंघन के आरोप लगते हैं तथा ऐसी शिकायतों की प्राप्ति पर आयोग संबंधित प्राधिकारियों से रिपोर्ट मंगाता है। सेना ने अपने सभी रैंकों को ऐसे क्षेत्रों में ऑपरेशन करते समय मानव अधिकारों का उल्लंघन नहीं करने के सख्त दिशानिर्देश जारी किए हैं। यह भी पता चला है कि वर्ष 1994 से अब तक मानव अधिकार उल्लंघन के 1318 आरोप लगे हैं जिनमें से 1269 मामलों की जांच की जा चुकी है तथा केवल 54 मामले ही सत्य पाए गए हैं। 115 व्यक्तियों को सजा दी गई है।

16. पिछले 14 वर्षों में आयोग ने मानव अधिकारों के उल्लंघन को रोकने के साथ–साथ देश में विभिन्न कदमों के जरिए मानव अधिकारों के प्रति आदर–सम्मान का प्रचार–प्रसार करने का प्रयास किया है। इसमें स्कूल स्तर से यूनीवर्सिटी स्तर तक के पाठयक्रम में मानव अधिकार शिक्षा को शामिल करना, प्रशिक्षण देना तथा अंग्रेजी, हिन्दी तथा क्षेत्रीय भाषाओं आदि में प्रकाशन प्रकाशित करके बड़े पैमाने पर जागरुकता कार्यक्रम शुरु करना शामिल है। विभिन्न पणधारियों को सुग्राही बनाने के लिए आयोग अपने गठन के समय से ही प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा मानव अधिकार मुददों पर कार्यशालाएं आयोजित कर रहा है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का लक्ष्य पुलिस कार्मिकों, सशस्त्र बलों के कार्मिकों, न्यायिक अधिकारियों, विधार्थियों, जन प्रतिनिधियों, गैरसरकारी संगठनों आदि को सुग्राही बनाना है। कार्यक्रमों में सामान्य मानव अधिकार जागरुकता के साथ–साथ समाज के वंचित वर्गों जैसे कि महिलाएं, आदिवासी, खादय सुरक्षा, शिक्षा तथा स्वास्थ्य अधिकार और अभिरक्षा न्याय आदि के अधिकारों जैसे कुछ विशेष मुददे भी कवर किए गए हैं। आयोग द्वारा प्रकाशित ''अपने अधिकारों को जानिए'' प्रकाशन, मानवाधिकारों के प्रति जागरुकता फैलाने में अत्यधिक लाभकारी सिद्ध हुआ। अन्य प्रकाशन हैंः– न्यायिक अधिकारियों के लिए मानवाधिकारों पर पुस्तिका, निशक्तता पर नियमावली, नौसिखियों के लिए मानवाधिकार शिक्षा।

17. आयोग सघन मॉनीटरिंग करने के साथ–साथ राज्य प्राधिकारियों से अनुरोध कर रहा है कि वे सिर पर मैला ढोने की कलंकित प्रथा का पूरी तरह से उन्मूलन करने की दिशा में जोर–शोर से कार्य करें। उच्चतम न्यायालय के एक दिशानिर्देश के तहत इसका वर्ष 2009 तक पूरी तरह उन्मूलन अपेक्षित है।

18. भारत, आतंकवाद, उग्रवाद और अविकसितता से जूझने के बावजूद भी अपने नागरिकों के मानव अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण में प्रयासरत है। इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि कुछ उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं फिर भी सभी नागरिकों को मानव अधिकार प्राप्त हो इस बारे में गंभीर चिंता के कुछेक मुददे अभी शेष हैं। यह मुददे महिलाओं एवं बच्चों के अवैध व्यापार, भोजन सुरक्षा, शिक्षा एवं स्वास्थ्य अधिकार, व्यक्तियों की गुमशुदगी, आपदा, लड़ाई तथा विकास के कारण व्यक्तियों का विस्थापन, बाल श्रम, हिरासतीय मौतें, कारागार तथा निशक्त व्यक्ति आदि से संबंधित हैं। इन मुददों पर आयोग न केवल व्यक्तिगत मामलों का निपटान कर रहा है बल्कि कार्यान्वयन एजेंसियों को नीतिगत दिशानिर्देश भी जारी कर रहा है।

19. आयोग ने हिरासतीय मौतों तथा बलात्कार के संबंध में सख्त रिपोर्टिंग अपेक्षताएं निर्धारित की हैं। इस संबंध में एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें समाज के सभी वर्गों ने हिस्सा लिया। इसमें हिरासतीय मौतों तथा बलात्कार को रोकने के तरीकों पर विचार–विमर्श किया गया। आयोग ने अन्य बातों के साथ–साथ फर्जी मुठभेड में होने वाली मौतों, गिरफतारी तथा कारागारों में मानव अधिकारों के संरक्षण के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए। आयोग के दिशानिर्देशों का नियमनिष्ठ अनुपालन मानव अधिकारों के संरक्षण एवं प्रचार–प्रसार में मील का पत्थर साबित होगा। आयोग, पुलिस सुधार तथा नए पुलिस अधिनियम को लागू करने के संबंध में उच्चतम न्यायालय में दायर याचिका का प्रतिवादी था।

20. आयोग ने, मानव अधिकारों के कुछ चिन्ता के विषयों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों के कार्यान्वयन की आवधिक रुप से मॉनीटरिंग एवं पुनरीक्षण के प्रति एक प्रतिकारी नजरिया अपनाया है। इनमें से कुछ निम्नानुसार हैं –

I. शिक्षा का अधिकारः

21. आयोग, वर्ष 1994 से सभी बच्चों को 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की वकालत कर रहा है। वर्ष 2002 में पारित 86वें संवैधानिक संशोधन में प्रावधान है कि 'राष्ट्र, कानून द्वारा निर्धारित या राष्ट्र द्वारा निर्धारित तरीके से छः से चौदह वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा'। फिलहाल इस संबंध में कोई केन्द्रीय विधान नहीं है। वर्ष 2006 में सभी राज्यों को आदर्श शिक्षा अधिकार विधेयक परिचालित किया गया था। संवैधानिक संशोधन अधिनियम पारित हो चुका है फिर भी यह अधिकार अभी प्राप्त नहीं है क्योंकि संगत विधायन लागू नहीं किया गया है। **सर्व शिक्षा अभियान** तथा अन्य कार्यक्रमों के होते हुए भी किसी केन्द्रीय या राज्य विधायन के माध्यम से सुस्पष्ट नीति तथा वैधानिक उपायों के अभाव में, देश में शिक्षा के मौलिक अधिकार को मूर्त रुप नहीं दिया जा सकता है। आयोग, समान शिक्षा तथा शिक्षा की गुणवत्ता, जिसके कारण बहुत सारी अपेक्षित बातें रह जाती हैं, के बारे में बहुत चिन्तित है। शिक्षा के मामले में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विशिष्ट तथा गैर–विशिष्ट स्कूलों में व्यापक अंतर है और पिछड़े जिले और आदिवासी, आम जनता से पीछे हैं।

II. स्वास्थ्य का अधिकारः

22. आवश्यकता आधारित जरुरी स्वास्थ्य सेवाओं की सार्वभौमिक समान सुलभता, हमारे लिए अभी छलावा है। जरुरी स्वास्थ्य सेवाओं की सुलभता में व्यापक अंतर्राज्यीय, शहरी–ग्रामीण तथा आर्थिक स्तर संबंधी असमानताएं हैं जिन्हें राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण III में स्पष्ट रुप में दर्शाया गया है।

मनोरोग चिकित्सालयों में गुणवत्ता प्रबंधन तथा मानसिक रुप से पीडितों के अधिकारों का संरक्षण भी एक चुनौती है। आयोग ने मानवशक्ति की कमी को दूर करने हेतु डॉक्टरों तथा नर्सिंग कार्मिकों को अनिवार्य रुप से गांवों से संबद्ध करने की सिफारिश की है।

III. बच्चों के अधिकारः

23. आयोग जोखिम वाले कार्यों में बच्चों से काम कराने की प्रथा के उन्मूलन के लिए उठाए जाने वाले कदमों की

अपने विशेष सम्पर्ककर्ताओं के जरिए नियमित मॉनीटरिंग करता है और मुआवजे के साथ–साथ दांडिक कार्रवाई के लिए भी सिफारिशें जारी करता है। आयोग का यह दृढ़ मत है कि बच्चों को अपनी जीविका कमाने के लिए काम करने की बजाय स्कूलों में होना चाहिए और यह कि संविधान तथा कानून में निहित संरक्षण प्रावधानों का सख्त प्रवर्तन होना चाहिए। आयोग, राष्ट्रीय परिवार एवं स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एन एफ एच एस 3) द्वारा दर्शाई गई नवजात शिशु मृत्युदर में होने वाली गिरावट की धीमी गति से भी चिन्तित है। किशोर न्याय के बारे में गंभीर रुप से चिन्तित होते हुए आयोग ने एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया और इस संबंध में विस्तृत सिफारिश की। बाल यौन शोषण के मामले भी बढ रहे हैं जो कि आयोग के लिए गंभीर चिंता का विषय हैं। आयोग ने बाल यौन शोषण के विशिष्ट मामलों में हस्तक्षेप किया जिसमें निठारी कांड भी शामिल है जिसमें आयोग ने गुमशुदा बच्चों के संबंध में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की और इसकी रिपोर्ट के आधार पर आयोग ने इस मुददे पर विस्तृत सिफारिशें की। बच्चों के बलात्कार के मामलों के तीव्र एवं संवेदनशील निपटान के लिए आयोग ने जुलाई 2007 में दिशानिर्देश जारी किए। परिवार का वंश पुरुष द्वारा ही चलता है जैसी धारणा के आधार पर पुरुष प्रधान समाज, संस्कृति तथा धार्मिक परम्पराओं के कारण भी भारत में महिलाओं का स्थिति गौण है। इसके परिणामस्वरुप परिवार में लडकी को जन्म न देने की प्रबल इच्छा जागृत हो रही है जिसके कारण बाल लिंग अनुपात में चौंकाने वाली दर से कमी आई है। लडकियों की बजाय लडकों को वरीयता देने की संस्कृति सहित आधुनिक तकनीक के आविर्भाव के कारण पूरे भारत में जन्म पूर्व भ्रूण संबंधी क्लिीनिकों की संख्या में एक बाढ सी आ गई है जहां पर मॉ–बाप अपने अजन्मे बच्चे के लिंग का पता लगाते हैं। देश के कुछ भागों में गर्भ में लडकी का पता चलने पर माता–पिता गर्भपात करवा देते हैं।

IV. भोजन का अधिकारः

24. देश में पर्याप्त खादय सामग्री उपलब्ध है फिर भी आयोग भोजन की उपलब्धता तथा कुपोषण संबंधी मुददों के बारे में चिन्तित है। अनेकों योजनाओं के बावजूद भी इसमें कोई प्रगति दिखाई नहीं देती है। एक तरफ हमने भुखमरी पर विजय प्राप्त कर ली है और भोजन की कमी वाले देश की उपमा से बाहर निकल आए हैं, तो दूसरी तरफ भुखमरी एवं कुपोषण के मामले सामने आ रहे हैं। आयोग का यह दृढ़ मत है कि 'पोषण का अधिकार', 'कुपोषण', 'भुखमरी' जैसी अवधारणाओं को पुनःपरिभाषित करने की आवश्यकता है ताकि कुपोषण और भुखमरी के मुददे पर 'कल्याणकारी' दृष्टिकोण से 'अधिकार आधारित दृष्टिकोण' अपनाया जा सके। आयोग का मानना है कि भोजन का अधिकार केवल एक संवैधानिक गारंटी नहीं है बल्कि एक मूल मानवीय अधिकार भी है। भोजन के अधिकार के गुणात्मक कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए आयोग ने ऐसी समितियों के गठन की सिफारिश की है जो समाज के कमजोर वर्गों तथा पात्र व्यक्तियों को खादय सामग्री की उपलब्धता एवं सुलभता की मॉनीटरिंग करेगी। आयोग ने समितियों के गठन तथा कार्यप्रणाली के संबंध में सभी राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय मंत्रालयों को दिशानिर्देश जारी किए हैं। आयोग यह आशा करता है कि यदि अक्षरशः कार्यान्वयन होता है तो ये समितियां जो एक चौकीदार के रुप में कार्य करेंगी, एक भूखमुक्त भारत के निर्माण के लिए रास्ता प्रशस्त करेंगी। आयोग, भोजन के अधिकार पर राष्ट्रीय कार्य योजना का एक प्रारुप तैयार करने के अलावा महाराष्ट्र में कुपोषण की घटनाओं की मॉनीटरिंग भी कर रहा है।

V. निशक्त व्यक्तियों के अधिकारः

25. आयोग, निशक्त व्यक्तियों के अधिकारों पर अभिसमय का प्रारुप तैयार करने में सक्रिय रुप से शामिल था तथा संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसे अंगीकार करने के तुरन्त बाद ही आयोग ने इसे भारत सरकार के समक्ष अनुसमर्थन के लिए प्रस्तुत किया तथा भारत सरकार ने इसका अनुसमर्थन कर दिया है। इस अभिसमय के अनुच्छेद 33 में कार्यान्वयन की मॉनीटरिंग में राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों की भूमिका का प्रावधान है। तदनुसार, आयोग ने एक अनुवर्ती कार्रवाई शुरु कर दी है। आयोग ने अभिसमय के प्रावधानों के बारे में विभिन्न पणधारियों को सुग्राही बनाने तथा निशक्त व्यक्तियों के अधिकारों के कार्यान्वयन की मॉनीटरिंग करने के लिए क्षेत्रीय कार्यशालाएं आयोजित करने का प्रस्ताव रखा है।

VI. भ्रष्टाचार तथा मानव अधिकारः

26. आयोग ने, भ्रष्टाचार तथा सुशासन के बीच के संबंधों तथा किस प्रकार भ्रष्टाचार मानव अधिकारों के उपभोग में अड़चने डालता है, का पता लगाने के लिए मई 2006 में उक्त विषय पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया तथा इसके आधार पर सभी संबंधित प्राधिकारियों से विस्तृत संस्तुतियां की।

VII. अन्तरराष्ट्रीय मानव अधिकार वचनबद्धता की पुनरीक्षाः

27. आयोग, एक 'ए' श्रेणी पेरिस प्रिंसीपल्स कम्पलाईंट नेशनल इंस्टीटयूशन के रुप में राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों की अन्तरराष्ट्रीय समन्वय समिति और एशिया पेसेफिक फोरम में सक्रिय भूमिका निभाता रहा है और संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद संकल्प 5/1 – जो संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद में राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों की भूमिका को महत्वपूर्ण मानता है – के आविर्भाव में भी इसकी भूमिका महत्वपूर्ण रही। भारत सरकार के अनुरोध पर आयोग ने भारत राष्ट्र दस्तावेज तैयार करने में सक्रिय रुप से भाग लिया।

28. अन्तरराष्ट्रीय अभिसमयों के कार्यान्वयन की व्याख्या में न्यायालयों तथा आयोग ने इसकी व्याख्या हमेशा सौहार्द अन्तरराष्ट्रीय कानून के अनुकूल प्रगामी रुप से की है। आयोग के प्रयासों के आधार पर भारत सरकार ने प्रताड़ना अभिसमय पर हस्ताक्षर किए। आयोग के परामर्श पर भारत सरकार ने बाल अधिकार अभिसमय तथा निशक्त व्यक्तियों के अधिकार के अभिसमय जैसे दो वैकल्पिक प्रोटोकॉल्स पर हस्ताक्षर किए और उनका अनुसमर्थन किया। इसी तर्ज पर आयोग, शरणार्थियों की स्थिति के संबंध में संयुक्त राष्ट्र के वर्ष 1951 के अभिसमय और प्रताडना अभिसमय के अनुसमर्थन की वकालत कर रहा है। इसके अतिरिक्त, आयोग शरणार्थियों के संबंध में राष्ट्रीय कानून की वकालत भी कर रहा है।

VIII. निष्कर्षः

29. विभिन्न वर्गों – राष्ट्र, मानव अधिकार संस्थान तथा शिष्ट समाज – के बीच इस बात पर सहमति बढ़ रही है कि मानव अधिकारों के संवर्धन एवं संरक्षण और विकास के अधिकार के लिए विकास एक अनिवार्य अपेक्षता है। इन अधिकारों को औपचारिक रुप से नीति एवं कार्य में लाने के लिए दो चुनौतियों से निपटना होगा। पहली चुनौती होगी –

विकास की एक सुदृढ़ अवधारणा का सृजन करना तथा दूसरा चुनौती होगी इस अधिकार को कार्यान्वित करने के लिए प्रशासन को सक्रिय करके तथा कानून को लागू करके इस अधिकार को लागू करने के लिए व्यवहारिक कदमों का पता लगाना। इस अधिकार का उददेश्य मानवीय परिस्थितियों की भौतिक बेहतरी के साथ असमानताओं को कम करना, स्वतंत्रता एवं गरिमा की आकांक्षओं को सुमेलित करना है। निर्धनता की स्थिति में दोनों में से कोई भी उददेश्य संभव नहीं है। निर्धनता, सामान्यतः जानबूझ कर की गई अनदेखी तथा भेदभाव का परिणाम होती है। पर्याप्त विकास का अभाव या संसाधनों के आबंटन में भेदभाव और उपेक्षा से अक्सर असमानता में बढोतरी होती है और गरीब और कमजोर व्यक्तियों को दरकिनार करता है। इससे वे व्यक्ति सक्षमता की कमी के चलते मानव अधिकारों से वंचित हो जाते हैं।

30. नोबल पुरस्कार विजेता अम्रर्त्य सेन के अनुसार, "विकास का उददेश्य लोगों की सक्षमता को बढाना है–अपनी इच्छानुसार जीवन व्यतीत करने की आजादी और ऐसा जीवन व्यतीत करने के आधारों को समझने की आजादी है"। आर्थिक एवं सामाजिक असमानता के कारण राजनीतिक अधिकार, न्याय, आवश्यक वस्तुओं तथा सेवाएं, जो मानवीय अधिकारों के उपभोग के लिए आवश्यक है, को प्राप्त करने में अंतर आ जाता है। विकास की प्रक्रिया सभी सही लोगों के मानव अधिकार संबंधी हक को मूर्त रुप देने के लिए होनी चाहिए। यह विशेषतः गरीब एवं उपेक्षितों के मामले में संगत प्रतीत होता है। उनके लिए यह आवश्यक है कि विकास की प्रक्रिया सदाशयता एवं सहायता की अवधारणा से अलग होनी चाहिए, ऐसे वास्तविक हक का सृजन करे जो जीवन के सभी पहलुओं अर्थात आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक के साथ–साथ नागरिक एवं राजनीतिक पहलुओं का पोषण करे।

31. दूसरी चुनौती राजनीतिक वचनबद्धता को मूर्त रुप देना है। मानव अध्किारों के प्रति सम्मान की अनुपस्थिति में विकास के साथ सामान्य न्याय प्राप्त नहीं किया जा सकता है। विकास के अधिकार को मूर्त रुप देने के लिए स्थानीय संदर्भ में एक समर्थकारी वातावरण – विधिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक – होना चाहिए। कथनी और करनी के अंतर ने कई योजनाओं की विश्वसनीयता को कम कर दिया है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का लक्ष्य विकास के अधिकार को मूर्त रुप देने के लिए इस प्रक्रिया को गति प्रदान करने में सहायता देना है।

❖ ❖ ❖

चार्ट
और
ग्राफ

गत तीन वर्षो में राज्य/संघराज्य क्षेत्र में पंजीकृत मामले

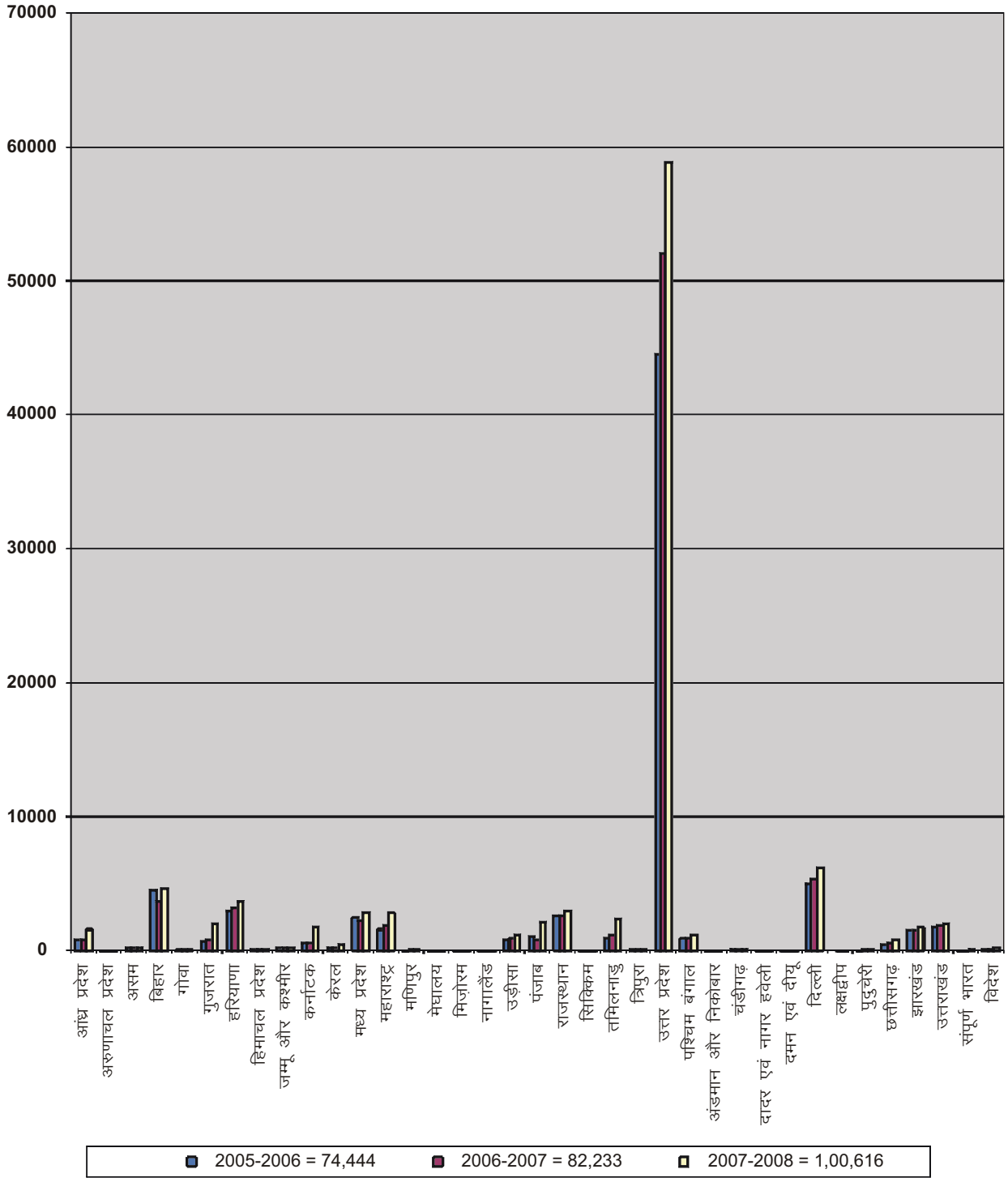

वर्ष 2007–2008 के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार पंजीकृत मामलों की संख्या

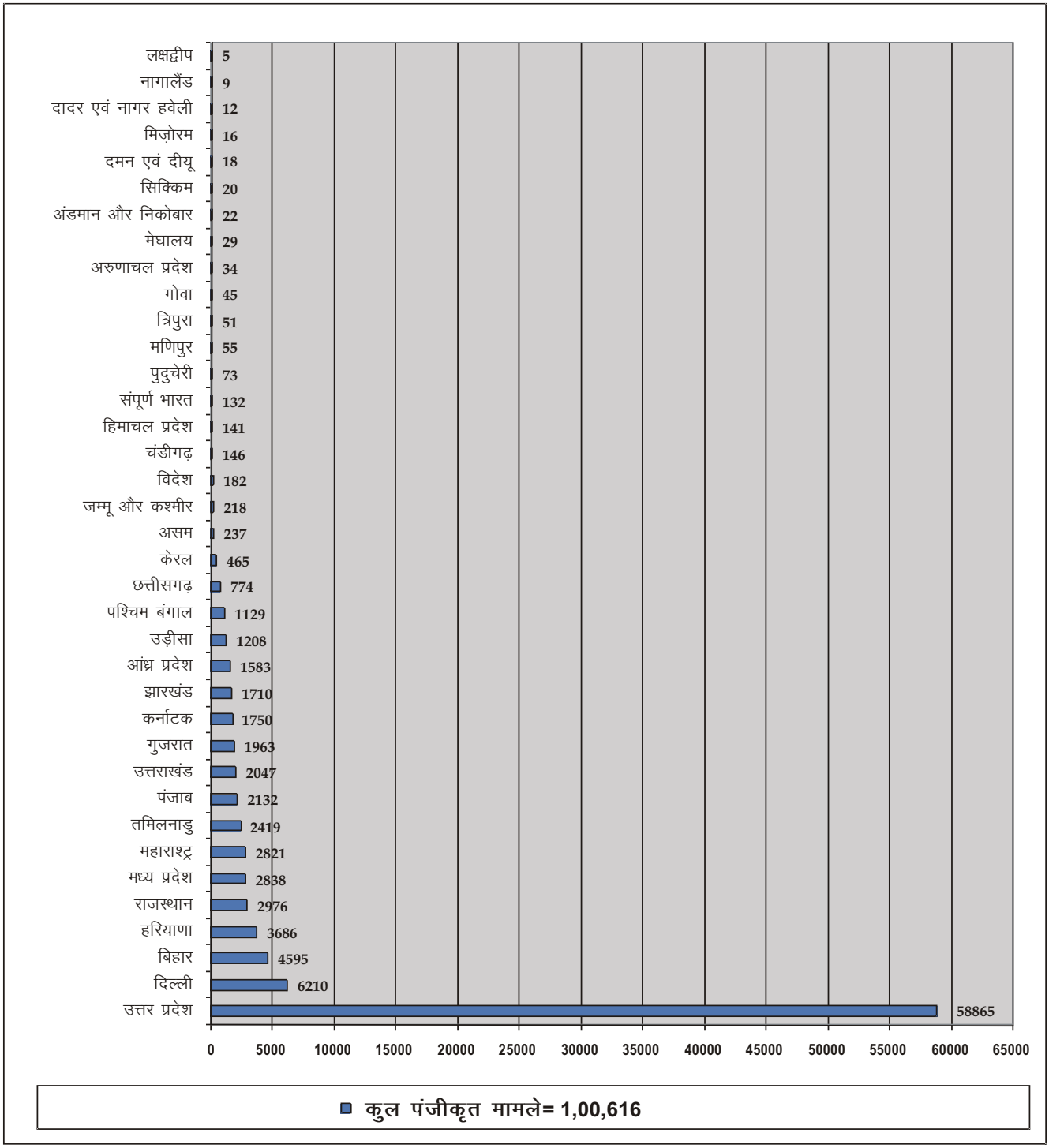

वर्ष 2007–2008 के दौरान हिरासतीय मौतों/बलात्कारों से संबंधित पंजीकृत सूचनाओं की राज्य/संघराज्य क्षेत्रवार सूची

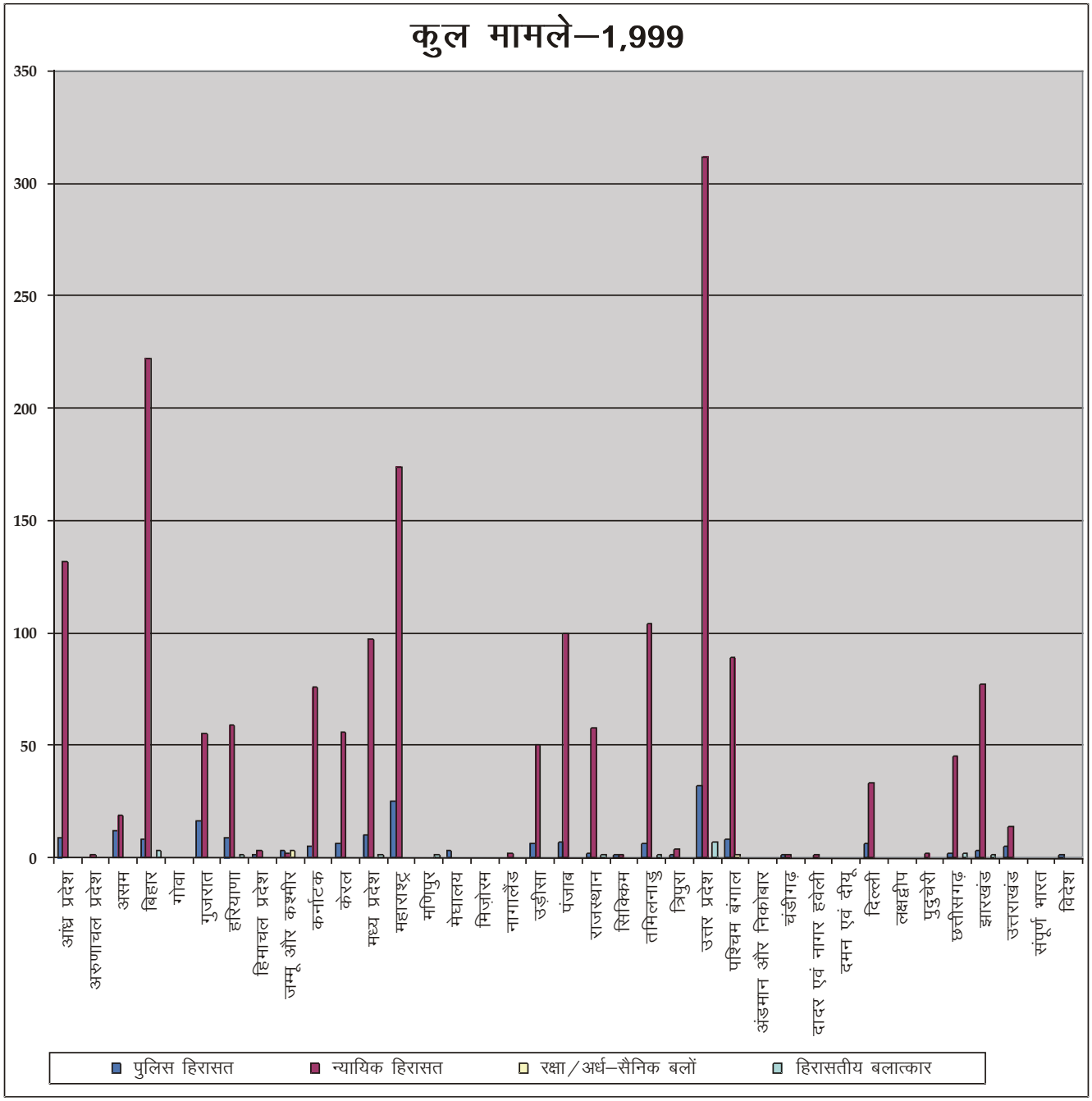

प्रतिवेदित मामलों की प्रकृति और वर्गीकरण* वर्ष 2007–2008 के दौरान आयोग द्वारा निपटाए गए मामले

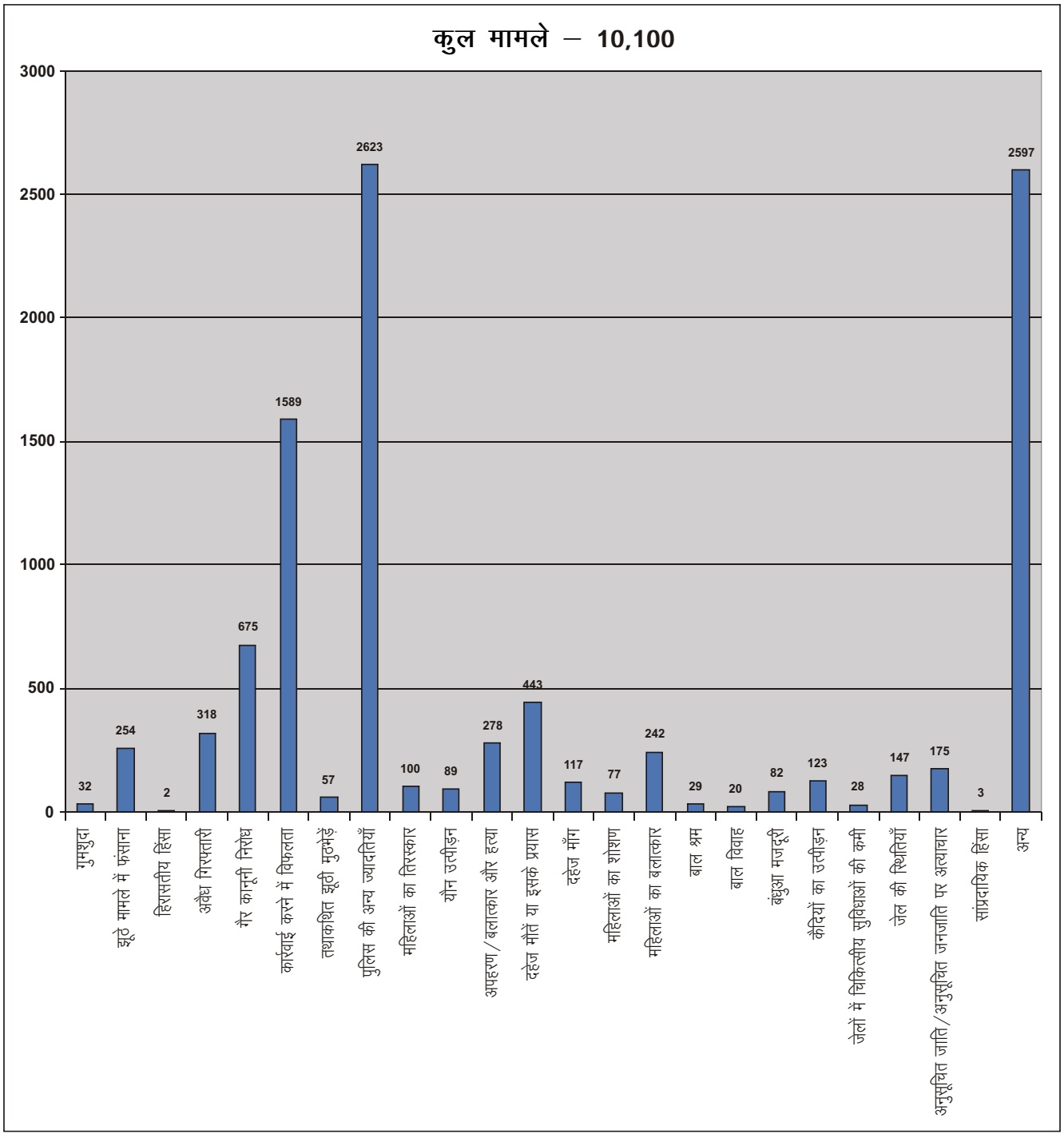

* मामले आरंभ में ही खारिज या निर्देशों सहित निपटाए या राज्य मानव अधिकार आयोग को स्थानांतरित मामलों के अतिरिक्त हैं।

2007–2008 के दौरान राज्य मानव अधिकार आयोग को स्थानांतरित मामले

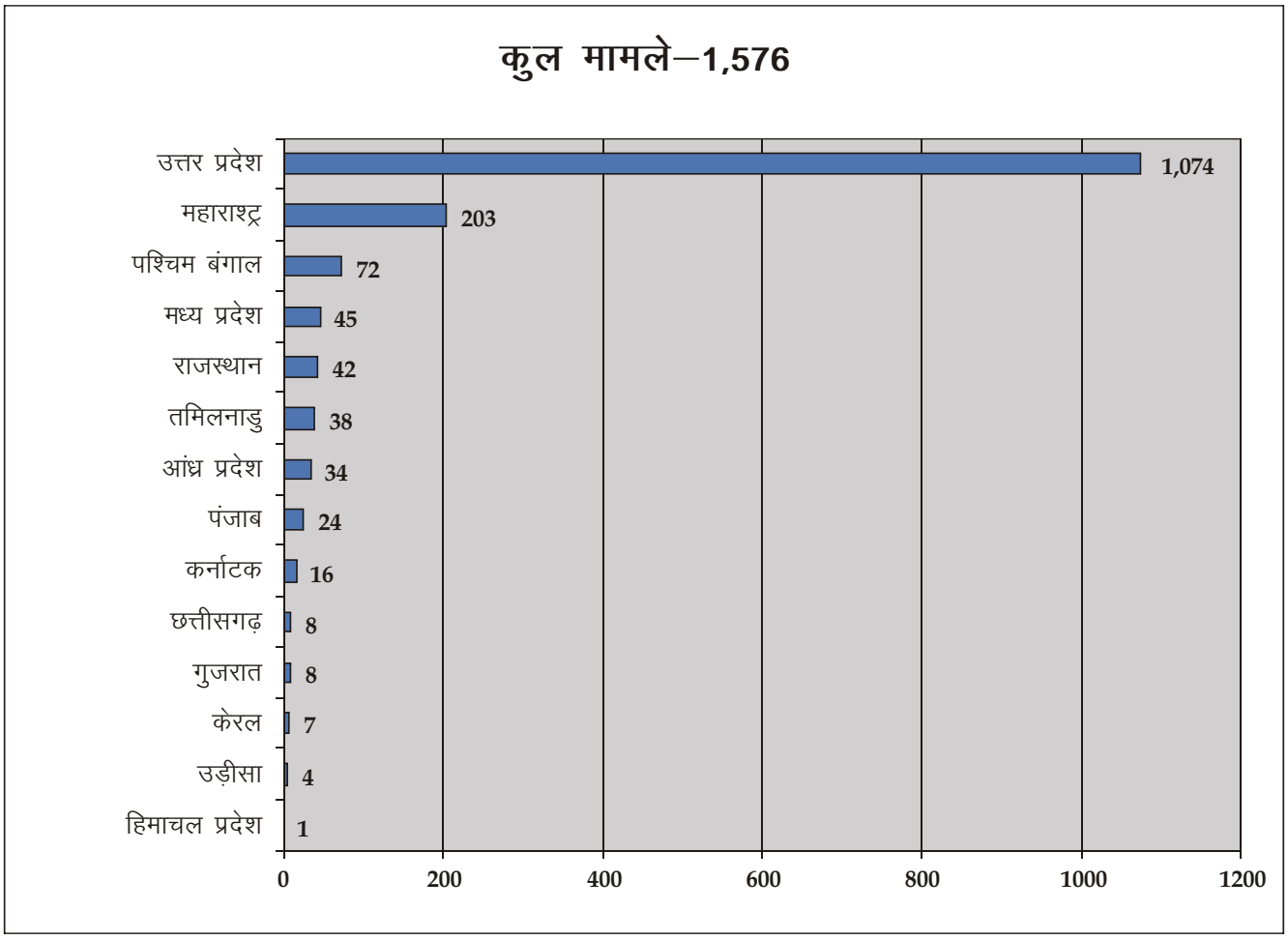

2007–2008 के दौरान निपटाए गए/लंबित मामले

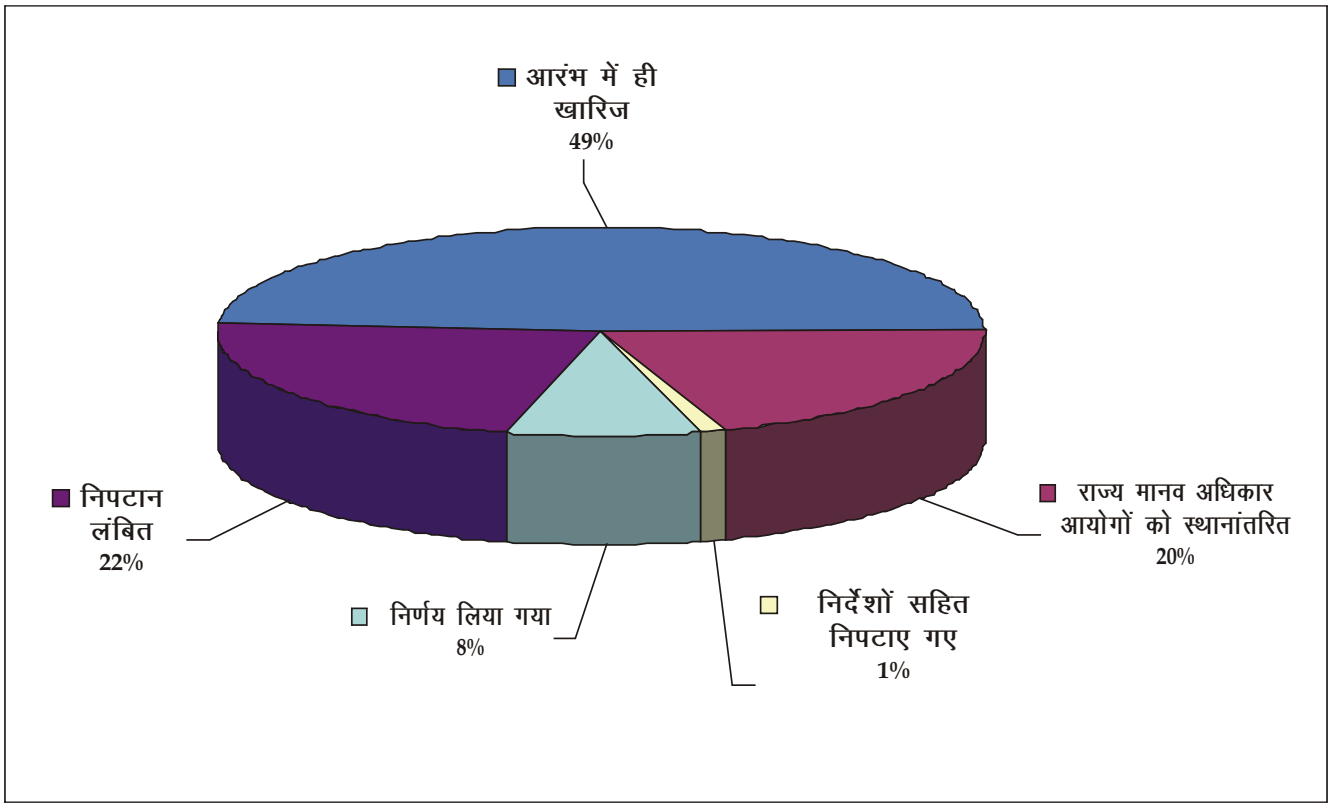

3: से भी अधिक की दर से राज्यों/संघराज्य क्षेत्रों में 2007–2008 के दौरान आरंभ में ही खारिज किए गए मामले

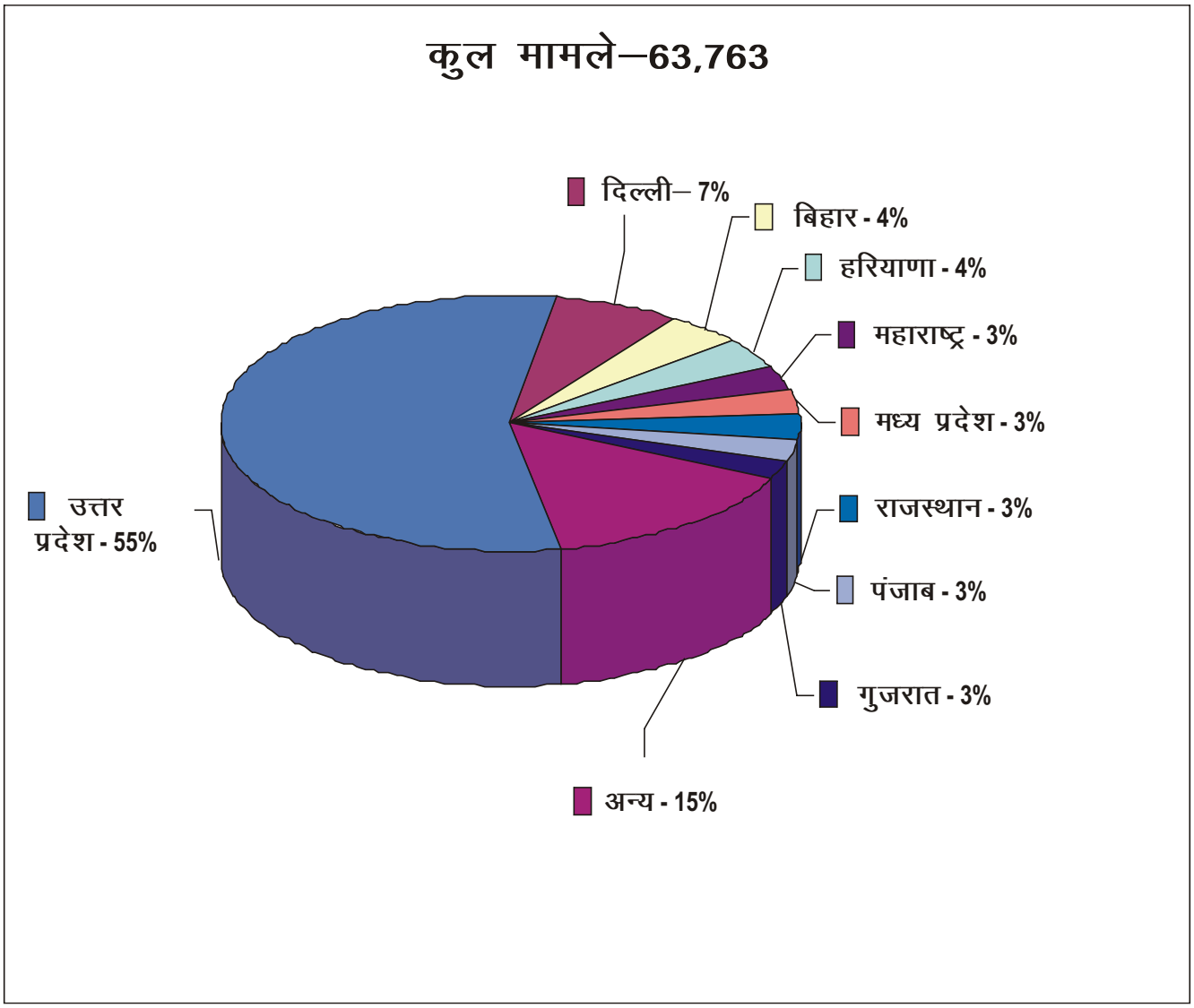

3: से भी अधिक की दर से राज्यों/संघराज्य क्षेत्रों में 2007–2008 के दौरान निर्देशों सहित निपटाए गए मामले

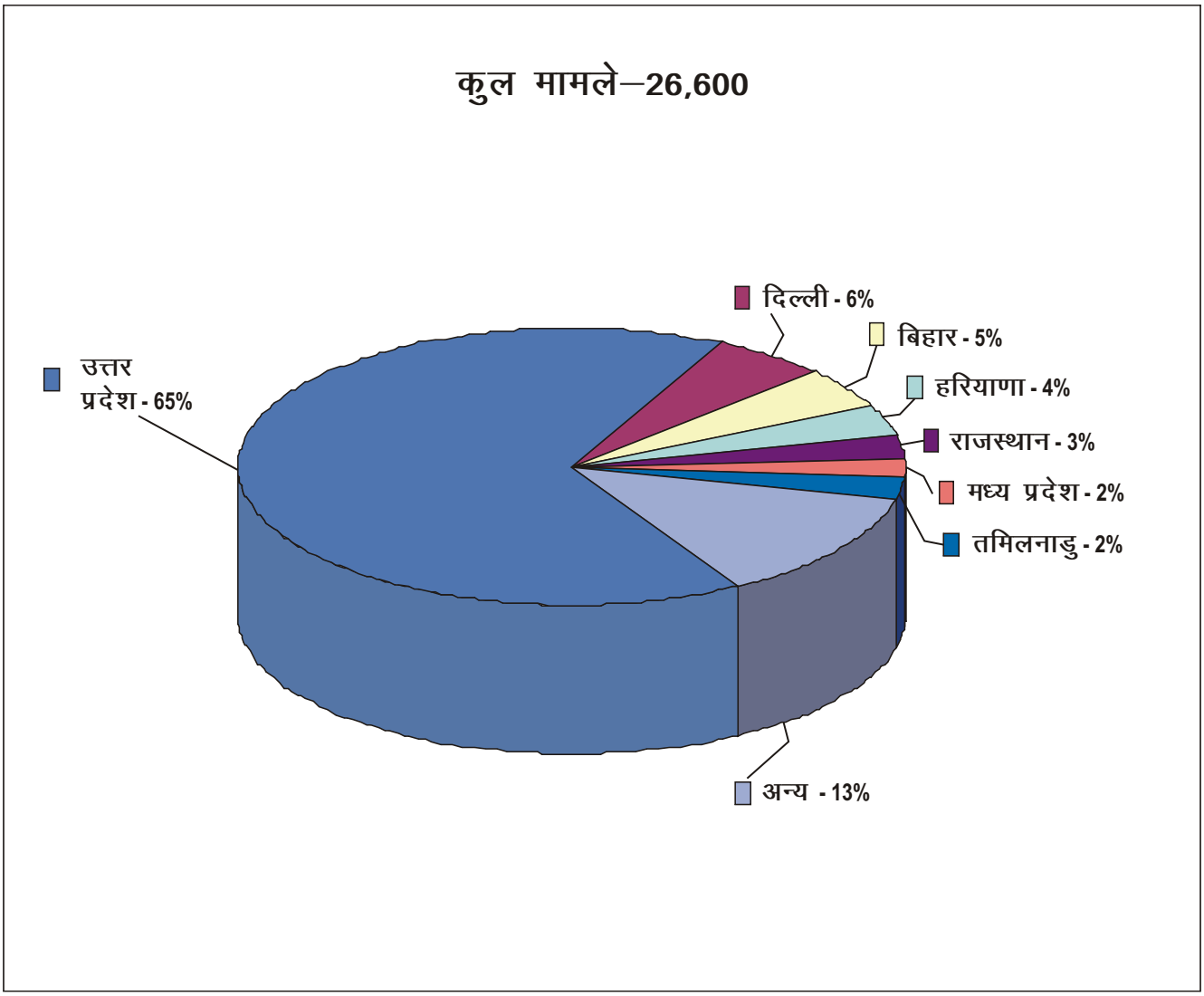

संक्षिप्तियाँ

एम्स (AIIMS)	–	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान
ए आई आर (AIR)	–	अखिल भारतीय रिपोर्टर
ए पी (A.P.)	–	आंध्र प्रदेश
ए पी एफ (APF)	–	एशिया प्रशांत मंच
ए आर वी (ARV)	–	रेबीज–प्रतिरोधी टीका
ए एस आई (ASI)	–	सहायक उपनिरीक्षक
ए टी आई (ATI)	–	प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान
बी एन (BN.)	–	बटालियन
बी पी एल (BPL)	–	गरीबी रेखा से नीचे
बी एस एफ (BSF)	–	सीमा सुरक्षा बल
सी बी–सी आई डी (CB-CID)	–	अपराध शाखा – अपराध अन्वेषण विभाग
सी बी आई (CBI)	–	केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो
सी जी एच एस (CGHS)	–	केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना
सी एच सीज़ (CHCs)	–	सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र
सी आई सी (CIC)	–	केंद्रीय सूचना आयोग
सी आई डी (CID)	–	अपराध अन्वेषण विभाग
सी जे एम (CJM)	–	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
सी एम ओ (CMO)	–	मुख्य चिकित्सा अधिकारी
सी एम आर आई (CMRI)	–	कोलकाता चिकित्सा अनुसंधान संस्थान
सी एम एस (CMS)	–	शिकायत प्रबंधन प्रणाली
सी पी आई ओ (CPIO)	–	केंद्रीय जनसूचना अधिकारी
सी आर. (Cr.)	–	अपराधी
सी आर पी सी (Cr.P.C.)	–	दंड प्रक्रिया संहिता
सी डब्ल्यू सी (CWC)	–	बाल कल्याण समिति
सी आर डब्ल्यू पी (Cr.W.P.)	–	आपराधिक रिट याचिका
सी आर पी डी (CRPD)	–	अशक्तों के अधिकारों से संबंधित सम्मेलन
सी आर पी एफ (CRPF)	–	केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस बल
सी डब्ल्यू पी (C.W.P.)	–	सिविल रिट याचिका
डी एफ डब्ल्यू ओ (DFWO)	–	जिला परिवार कल्याण अधिकारी
डी जी एच एस (DGHS)	–	स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय

डी जी (DG)	–	महानिदेशक
डी जी (आई) (DG(I)	–	महानिदेशक (अन्वेषण)
डी जी पी (DGP)	–	पुलिस महानिदेशक
डी आई जी (DIG)	–	उप महानिदेशक
डी एम (DMs)	–	जिला मजिस्ट्रेट
ई सी एल (ECL)	–	ईस्र्टन कोलफील्ड्स लिमिटेड
एफ आई आर (FIR)	–	प्रथम सूचना रिपोर्ट
जी ओ आई (GOI)	–	भारत सरकार
एच आर सी (HRC)	–	मानव अधिकार परिषद्
एच आर (HR)	–	मानव अधिकार
एच क्यू (HQs.)	–	मुख्यालय
आई कार्ड (I-CARD)	–	पहचान पत्र
आई सी सी पी आर (ICCPR)	–	सिविल एवं राजनैतिक अधिकार संबंधी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन
आई सी ई एस सी आर (ICESCR)	–	आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार संबंधी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन
आई जी पी (IGP)	–	पुलिस महानिरीक्षक
आई एन सी (INC)	–	भारतीय नर्सिंग परिषद
आई पी सी (IPC)	–	भारतीय दंड संहिता
जे टी आई (JTI)	–	न्यायिक प्रशिक्षण संस्थान
के बी के (KBK)	–	कोरापुट, बोलांगीर एवं कालाहांडी
एम सी आई (MCI)	–	भारतीय चिकित्सा परिषद
एम ई आर (MER)	–	मजिस्टेरियल जाँच रिपोर्ट
एम आर ओ (MRO)	–	मंडल राजस्व अधिकारी
एम टी पी (MTP)	–	चिकित्सीय गर्भपात
एन सी टी (NCT)	–	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
एन डी पी एस (NDPS)	–	नारकोटिक्स ड्रग्स एवं साइकोट्रोपिक पदार्थ
एन जी ओ (NGOs)	–	गैर सरकारी संगठन
एन एच आर सी (NHRC)	–	राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग
एन एच आर आई (NHRIs)	–	राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थान
एन आई सी (NIC)	–	राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र
एन ओ के (NOK)	–	नज़दीकी रिश्तेदार
एन पी पी (NPP)	–	राष्ट्रीय जनसंख्या नीति
एन आर ई जी (NREG)	–	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी
एन एस सी एन (आई एम) (NSCN (IM)		–नागालैंड राष्ट्रीय समाजवादी परिषद (इज़ेक मुएबा)
ओ एच सी एच आर (OHCHR)	–	संयुक्त राष्ट्रसंघ मानव अधिकार आयुक्त कार्यालय
पी सी पी एन डी टी (PCPNDT)	–	गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व पहचान तकनीक (लिंग चयन निषेध) अधिनियम 1994
पी एच सी (PHCs)	–	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

पी एच आर ए (PHRA)	–	मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम
पी एस (PS)	–	पुलिस स्टेशन
पी एस आई (PSIs)	–	पुलिस उपनिरीक्षक
पी टी आई (PTI)	–	पुलिस प्रशिक्षण संस्थान
आर ए एफ (RAF)	–	त्वरित कार्रवाई बल
आर पी सी (RPC)	–	रनबीर दंड संहिता
आर पी एफ (RPF)	–	रेलवे सुरक्षा बल
आर टी आई (RTI)	–	सूचना का अधिकार
एस सी (SC)	–	सर्वोच्च न्यायालय
एस सी (SCs)	–	अनुसूचित जाति
एस डी एम (SDM)	–	उपप्रभागीय मजिस्ट्रेट
एस ई जेड (SEZ)	–	विशेष आर्थिक जोन
एस एच ओ (SHO)	–	थाना प्रभारी
एस एच आर सी (SHRCs)	–	राज्य मानव अधिकार आयोग
एस आई (SI)	–	उपनिरीक्षक
एस एल (Sl.)	–	क्रम
एस एम ओ (SMO)	–	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी
एस पी (SP)	–	पुलिस अधीक्षक
एस एस पी (SSP)	–	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
एस टी (STs)	–	अनुसूचित जनजाति
टी ए बी (TAB)	–	दवा की गोली
टी बी (T.B.)	–	क्षय रोग/तपेदिक
यू आई डी बी (UIDBs)	–	बिना पहचान किए गए शव
यू एन (UN)	–	संयुक्त राष्ट्रसंघ
यू एन डी पी (UNDP)	–	संयुक्त राष्ट्रसंघ विकास कार्यक्रम
यू पी (UP)	–	उत्तर प्रदेश
यू पी आर (UPR)	–	सार्वभौम आवधिक समीक्षा
यू एन आई सी (UNIC)	–	संयुक्त राष्ट्र सूचना केंद्र
यू एस (u/s)	–	धारा के तहत
यू टी (UT)	–	संघ राज्य क्षेत्र
यू टी एस (UTs)	–	संघ राज्य क्षेत्रों
यू टी पी (UTP)	–	विचाराधीन कैदी
वी आई पी (VIP)	–	बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति
डब्ल्यू पी (W.P.)	–	रिट याचिका

❖ ❖ ❖

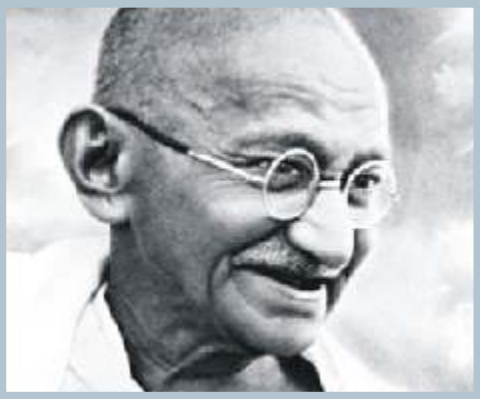

"मेरे लिए यह हमेशा ही एक अनसुलझी पहेली बनी रही कि मानव अपने साथियों का अनादर करके, किस प्रकार से अपने आपको सम्मानित समझता है।"

– महात्मा गांधी

सर्वे भवन्तु सुखिनः

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

फरीदकोट हाउस, कॉपरनिकस मार्ग
नई दिल्ली–110001, भारत

Designed by onlineprinters 9899507719 & Printed by Viba Press Pvt. Ltd. 9810049515